

पुरुषार्थ

[नवीन मंशोधित और परिवर्द्धित मंस्करण]

रचयिता

डा. ए. ए. भगवान्दास एम० ए०, डी० लिट्

१९४७

मस्ता माहित्य मंडल

नई दिल्ली

प्रकाशक
सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली ।

मुद्रक
अमरचंद्र
राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

दूसरा संस्करण : १९४७

मूल्य

साढ़े छः रुपये

सन् १९५० ई० के अंत तक इस ग्रन्थ का 'कापीराइट', अधिकार, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, के हाथ में रहेगा; इस के बाद, इस में कोई 'कापीराइट' नहीं रहेगा; जिस का जी चाहे, छाप सकेगा; किन्तु, अन्य भाषाओं में अनुवाद करने और छापने का अधिकार, अभी से ही, सब को है ।

—भगवान्दास

सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्भव, जानने से ज्ञान सुसम्पन्न होता है, और संसार-यात्रा का, अल्पतम दुःख और अधिकतम सुख से, निर्वाह हो सकता है।

आजकाल मिलने वाला, धर्मशास्त्र का प्रधान सर्वाङ्गीण ग्रन्थ 'मनु-स्मृति' माना जाता है; तथा अर्थशास्त्र का, चाणक्य-कृत अर्थशास्त्र; तथा कामशास्त्र का, वात्स्यायन-कृत कामसूत्र; तथा मोक्षशास्त्र का, 'प्रस्थानत्रय' ('उपनिषत्', 'भगवद्गीता', चादरायण-कृत 'ब्रह्मसूत्र'), पतञ्जलि-कृत 'योगसूत्र', नारद- (अथवा शाङ्गिर-) कृत 'भक्तिसूत्र'। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, और सांख्य के सूत्रों को भी ब्रह्मसूत्र और योगसूत्र का अन्वन्तर अङ्ग ही माना जा सकता है।

दोनों का ऐकान्तिक लक्ष्य—सुख । सुख का

मूल रूप, तथा दो अन्वन्तर रूप ।

तत्त्वतः, अंततो गत्वा, पुरुष का 'अर्थ' एक ही है—सुख । अर्थ्यते, याच्यते, इष्यते, इति अर्थः । जो चाहा जाय, मागा जाय, वह अर्थ । जीवमात्र सुख चाहते हैं, दुःख से सब भागते हैं । सुख की लिप्सा, दुःख की जिहासा*, यही मनुष्य की सभी मामस और शारीर प्रवृत्तियों का एकमात्र प्रवर्त्तक प्रेरक हेतु है ।

सर्वेऽपि जीवास्तु सुखे रमन्ते,

सर्वे च दुःखाद् भृशं दुःखिजन्ते । (म० भा०)

सर्वं पश्यं दुःखं, सर्वम् आत्मवशं सुखम् । (मनु)

परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । आत्मा का राज्य, स्व-अधीनता, स्व-तन्त्रता, स्व-च्छन्दता, स्व-राज्य, 'अस्मिता' की पूर्ति, यही सुख है, जैसा ऊपर कहा है; "मैं जो चाहूँ वही हो" । दूसरे का, पराये का, राज्य, पर-अधीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का होना, यही दुःख है । काम-चेष्टा में, स्त्री-पुरुष के परस्पर-परिध्वंग में, सब त्रपा लज्जा रुकावट छोड़ कर, इस स्वच्छन्दता की पराकाष्ठा, एक दृष्टि से,

* लब्ध; इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; हात इच्छा, जिहासा, छोड़ने की इच्छा ।

देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं। इसी लिये मैथुन शक्ति के अभाव को, झीवत्व बध्यात्व को, साधारण स्त्री-पुरुष अस्वह्य दुःख मान लेते हैं। इसी लिये उपनिषत् में भी कहा है, “सर्वेषां आनन्दानां उपस्थः एव एकायनम्”, सब आनन्दों का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय है। उपस्थ शब्द, स्त्री के भी, पुरुष के भी, गुह्य अंग के लिये व्यापक शब्द है। एक दृष्टि से, योषा-पुमान् के परस्पर आलिंगन में सभी पाँचो ज्ञानेन्द्रियों का (बल्कि पाँचो कर्मेन्द्रियों का भी) एक साथ प्रवर्तन, तर्पण, आनन्दन होता है; इस लिये भी कामदेव का एक नाम ‘पंच-सायक’ कहा जा सकता है; यद्यपि और हेतु भी प्रसिद्ध हैं, दूसरी दृष्टियों से, यथा,

अरविंदं, अशोकं च, चूतं च, नवमल्लिका,
नीलोत्पलं च, पंचैते पंचबाणस्य सायकाः ।
संमोहन-उन्मादनौ च, शोषणः, तापनः तथा,
स्तम्भनश्चेति, कामस्य पंचबाणाः प्रकीर्तिताः ।

लाल कमल, अशोक पुष्प, आम की बौर, चमेली, नीला कमल—ये पांच, कामदेव के पांच बाण हैं; संमोहन, उन्मादन, शोषण, तापन, स्तम्भन—ये भी। पहिले पाच, काम के उद्दीपक कारण हैं; दूसरे, उस के फलरूप कार्य।

रतीञ्छा की ऐसी उग्रता होते हुए भी, गहिरी दृष्टि से देखने से, यही कहना पड़ेगा कि आहारेञ्छा ही घोरतम है; क्योंकि ‘रति’ कि बिना जीवन दुःखी है, तो आहार के बिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक में स्थिति ही नहीं रह सकती। उपनिषत् ने भी कहा है ‘पुत्रैपणा’ और ‘वित्तैषणा’ भी ‘लोकैषणा’ ही हैं।

और भी। जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक आनन्द हैं; आनन्दाभास हैं, उस परम और सत्य आनन्द की, शांति की, नकल हैं, झायामात्र हैं; जिस के लिये उपनिषत् में कहा है,

यश्च अकामहतः एष एव परम आनन्दः; एको द्रष्टा अद्वैतो भवति;
एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति ।

जब ‘मेरे’ सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, सब का सिरजनै, पालने,

संहारने वाला 'मै' ही, तब 'मेरी' हुकूमत, 'मेरे' ईश्वरभाव, का क्या पूछना ? वहाँ तो 'काम' बाकी वचा ही नहीं; कामना होना ही तो खंडित होना है, अपूरा अधूरा होना है; किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज़ की कमी, है। 'परिपूर्णस्य का स्त्रहा' ? परिपूर्ण को न काम है, न मोह है, न शोक है।

यस्य सर्वं आत्मैव अभूत्, तत्र को मोहः, कः शोकः; एकत्वं अनुपश्यतः।

भूमा एव सुखम् । (उपनिषत्.)

आनन्द की, सुख की, पराकाष्ठा यह है कि सब को, सब मे, सब जगह, अपने को, आत्मा को ही. देखै, जानै, पहिचानै—कोई पराया है ही नहीं, सब 'मै' ही है; सब कुछ 'मेरे' मे, 'सुभ' मे, ही है, 'मै' ही सब मे हूँ, 'मै' ही सब कुछ हूँ, 'मै' सब से बड़ा है; 'बहोर्भावः भूमा' ।

यच्च कामसुखं लोकै, यच्च दिव्यं महत्सुखं,

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं क्लाम् । (योगभाष्य)

भौम कामसुख, इस भू-लोक का; दिव्य कामसुख, परलोक स्वर्ग का; यह दोनों सुख, मिथ्या, छोटी, जीवात्मा की हाड़ मांस मे 'अस्मि' वाली तृष्णा के क्षय के, और सच्ची, बड़ी, परमात्मा की सब जगत् मे 'अस्मि' वाली शांति के उदय के, अजर अमर अपार अनन्त सुख के, अणु भाग के भी तुल्य नहीं हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर, संसार-नाटक मे, जीव के लिये, सुख के आभास का; मिथ्या सुख का, इन्द्रियों के विषयों के भोग के सुख का, जो उस सच्चे सुख की भूठी नकल, प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिबिम्ब है. अनुभव करना भी आवश्यक है। उस के पीछे, जीवात्मा परमात्मा के 'स्व-भाव' के नियमों के अनुसार, नित्य-अनित्य का 'विवेक' जागने पर, और अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से 'वैराग्य' उत्पन्न होने पर, दूसरा, सच्चा, पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी परम आवश्यक है।

प्रवृत्तिमार्ग का प्रधान पुरुषार्थ काम-सुख, जो धर्म से साधित अर्थ (धन-सम्पत्ति) से परिष्कृत हो।

इस लिये प्रवृत्ति मार्ग का प्रधान 'अर्थ', 'पुरुषार्थ', 'काम-सुख' ही है। इस के साथ 'अर्थ' (सम्पत्ति) और 'धर्म', विशेष हेतु से लगा दिये

गये हैं। उन की चर्चा करने से पहिले, 'काम' शब्द के दो अर्थ बताना आवश्यक है। वात्स्यायन ने कामसूत्र (१ अधिकरण, २ अध्याय, ११-१२ सू०) में इन का उल्लेख किया है। (१) पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषयों में जो अपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रीतिकर, सुखद, पदार्थ हैं, उन के अनुभव की इच्छा—यह काम-सामान्य है। 'अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल'—इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से किसी को खट्टा अधिक अच्छा लगता है, किसी को तीता, किसी को मीठा, किसी को कड़वा कसैला भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, किसी को सुगंध, किसी को स्पर्श।

कुरंग-मातंग-पतंग-भृंग-मीनाः हताः पंचभिर् एव पंच;
नरः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पंचभिरेव पंच ।

हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख-स्पर्श, फर्तियों को चमकती जोत, भौरे को फूलों का सुगन्ध (तथा मधुरूपी रस भी), मछली को सुस्वाद कवल, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर में पड़ कर, एक एक जाति का जीव मारा जाता है, वा बंधन में पड़ता है; मनुष्य को पान्चो इन्द्रियों के विषय प्यारे हैं, 'पंच-शर' काम-देव का वह शिकार बनता है; तो भी प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; जिह्वा का

*ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिन, मधुर गाने बाजे से मुग्ध हो कर खड़ा हो जाता है, तब व्याध उसे मार लेता है; तथा सर्प को भी सँपेरा, तूम्बी के बाजे से मुग्ध करके पकड़ता है; पतंग, फर्तिगा, दीपक की लौ को देख कर, मुग्ध हो कर, उस में घुस जाता है, और जल मरता है; भ्रमर, फूल के सुगन्ध और मधु की लालच में, उस में पैठता है, और रात में जब कमल बन्द हो जाता है, तो उसी के भीतर रह जाता है; मछली, चारा लगी कांटेदार बंसि को, खाने की लालच में निगल जाती है; जंगली हाथी को पकड़ने के लिये शिकारी लोग, सिखाई हुई 'कुट्टनी' हथिनियों को उस के पास छोड़ते हैं; वे जा कर उस से सट कर खड़ी हो जाती हैं; उस स्पर्श के सुख से वह मुग्ध निस्तब्ध हो जाता है; तब शिकारी, हथिनियों के पैरों के बीच, चुपके से चला कर, हाथी के पैर रस्सों से बाँध देते हैं।

रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये 'जिह्वा-उपस्थ-रताः', 'शिश्न-उदर-परायणाः,' शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये प्रसिद्ध हो रहे हैं । इस अर्थ में 'काम' शब्द, इच्छा, वासना, वृष्णा, एषणा, आदि का, तथा 'ज्ञान', 'अविद्या', 'शक्ति', 'दैवी प्रकृति', 'माया', आदि का, पर्याय ही है, सारे संसार का बीज है ।

काम-सामान्य ।

कामः तदग्रे समवर्त्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्;
सतो बंधुम् असति निरविदन् हृदा प्रतीष्या कवयो मनीषा । (ऋग्वेद
सोऽकामयत बहु स्यां, प्रजायेय ।

काममयः एवायं पुरुषः । (उपनिषत्)

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् । (मनु)

सनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिधीयते ।

संकल्पाभिर्हचिः कामः सनातनतमौऽभवत्,

जगत्पतिर् अनिर्देश्यः सर्वगः सर्वभावनः,

दृच्छयः सर्वभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद् अपि प्रभुः ।

(म० भा०, अनुशासन पर्व, अ० १६१)

कामः सर्वमयः पुंसां स्व-संकल्प-समुद्भवः,

कामात् सर्वे प्रवर्तन्ते, लीयन्ते वृद्धिमागताः ।

(शिव-पु०, धर्म-सं०, अ० ८)

मनस् का, चित्त का, जीवत्व का, संसार का, रेतस, बीज, 'काम', परमात्मा के 'निष्-काम' हृदय में, सदा, सब से आगे, वर्तमान है । मनीषी कवियों ने, ऋषियों ने, अपने हृदय में, (हृदि अयम्, तस्मात् हृदयम्) हृदय-गुहा में, हृदयस्थ परमात्मा में, गहिरा खोज कर के, सत् के सगे बंधु इस असत् को पाया है । परमात्मा के भीतर संकल्प हुआ, कामना हुई; कि 'मैं' एक से अनेक हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ, तब सृष्टि हुई । पुरुष काममय है, उस का रूप, उस की शक्ति, उस की प्रकृति, काम ही है ।

वासना वासुदेवस्य, वासितं सकलं जगत्;

चित्ते वसति यस्माच्च, चित्तं वासयते तथा,

जीव एव हि वासुस्तु, वासनेऽयुच्यते ततः;

वासु-देवश्च सर्वेषां वासूनां देव एव हि ।

चित्त मे सदा बसती है, गंध जैसे हवा को वैसे चित्त को वासे रहते हैं, वासु अर्थात् जीव का रूप ही है, इस लिये इस का नाम वासना है । सब जीवों, वासुओं, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं ।

शरीरधारी जीव का सुख (और दुःख भी) इन्द्रियों के विषयों के द्वारा ही होता है । जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को संसार मे रहने का प्रयोजन नहीं । वह प्रवृत्ति-मार्ग को छोड़ कर निवृत्ति-मार्ग पर पैर रखता है ।

धर्म और अर्थ का प्रयोजन ।

यह कामसुख पशुओं को भी होता है; अर्थ और धर्म से उन को प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्यों ? इसका उत्तर यह है कि (१) पहिले तो पशुओं को भी किसी मात्रा मे 'अर्थ' का प्रयोजन रहता ही है, उन मे भी 'परिग्रह' देख पड़ता है, अपनी-अपनी मांदा, बिल, खोते, बसेरे के पेड़, निरामिषों के चरने के और सामिषों के शिकार के जङ्गल, 'रख', रक्षित स्थल, अलग-अलग होते हैं, जिन के लिये आपस मे बड़ी बड़ी लड़ाइया होती हैं । तथा, अव्यक्त रूप से उन मे आपस के समझौते, कायदे कानून, मर्यादा, 'धर्म', भी देख पड़ते हैं; यथा ऋतु काल मे अपने-अपने नर-मादा, और, जब तक छोटे और अ-स्वच्छन्द रहें तब तक बच्चे, एक साथ, अन्य ऐसे कुटुम्बों से अलग अलग, रहते हैं; तथा एक दूसरे की 'रख' मे चरने या शिकार करने नहीं जाते—इत्यादि । (२) दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जीवन मे, उस के इन्द्रिय-सुखों मे, संस्कार परिष्कार, पशुओं की अपेक्षा से, बहुत अधिक है । यहा तक कि जब तक उचित 'संस्कारों' से 'संस्कृत' न हो, तब तक मनुष्य सच्चा 'अर्थ' मनुष्य नहीं हो सकता । मनुष्य को, लकड़ी पत्ते मिट्टी फूस के भोपड़े से ले कर चादी सोना जवाहिर से जड़े संगमरमर के करोड़ों रुपये के महल तक, रहने को; जंगली कंद मूल फल से ले कर अति महर्घ (महँगे) कृत्रिम सुस्वाद षड्रस लेह्य पेय चोष्य खाद्य लक, खाने-पीने को; पत्ते से ले कर हज़ारों रुपये गज के शाल-दुशाल कमखान

तक, पहिने को; सुगन्ध फूल, और फूलों के सौ-सौ रुपये तोले के इत्र, सूघने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड़ फूल फल भरे उद्यान, तथा चित्र, प्रतिमा, रत्न के आभूषण, देखने पहिने को; बसी खजड़ी से ले कर भारी कारीगरी से बनाई वीणा, मृदंग, शहनाई, धौसा, 'पियानो', 'ऑर्गन', तौयत्रिक, नाच, गाना, हाव-भाव, बाजा, नाटक, 'थियेटर', 'सैनेमा,' आदि, सुनने और देखने को; इत्यादि, चाहिये। जीवन के ऐसे परिष्कार सस्कार से ही लक्ष्मी-देवता, सम्पत्ति, 'अर्थ', चरितार्थ होते हैं। निष्कर्ष यह कि बिना 'अर्थ' के मनुष्योचित सुपरिष्कृत 'काम', अर्थात् विषयोप-भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मैत्री स्नेह प्रीति के सहित कौटुम्बिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख, सम्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही, बिना समाज के समर्थन, व्यूहन, व्यवस्थापन के, बिना परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के, बिना अधिकार के नियमन कर्तव्य के, बिना उन नियमों को मानने-मनवाने, पालन करने-कराने, के उपायों के, अर्थात् बिना 'धर्म' के, 'अर्थ' का सचय और स्थैर्य, समाज में, किसी के पास हो नहीं सकता। इस लिये 'अर्थ' और 'धर्म' की, 'काम' के साथ-साथ, परम आवश्यकता है।

आहार-निद्रा-भय-मैथुनानि सामान्यं एतत् पशुभिर्नराणाम्,

(धर्मात् चित्तोऽर्थः खलु तद्विशेषः, ताभ्यां विहीनाः) पशुभिः समानाः ।

(हितोपदेश)

आहार, निद्रा, भय, मैथुन—यह तो पशुओं में और मनुष्यों में समान ही हैं। मनुष्यों में, धर्म से सञ्चित, अर्जित, रक्षित, (तथा वीत, व्ययित अर्थात् व्यय-किया, खर्च किया) अर्थ—ये ही पशुओं की अपेक्षा विशेष हैं। इन दो से विहीन मनुष्य, पशुओं के समान हैं।

धर्माद् अर्थो, ऽर्थतः कामः, कामाद् धर्मफलोदयः—

इत्येवं निर्णयं शास्त्रे प्रवदन्ति विपश्चितः । (पद्मपुराण)

यथा पुष्प-फलं काष्ठात्, कामः धर्मार्थयोर्वरः । (म० भा० शा०)

धर्म से अर्थ, अर्थ से 'काम', काम से धर्म के फल अर्थात् सुख का उदय—यह निर्णय विद्वान् बुद्धिमान् लोगो ने शास्त्र में कर दिया है। जैसे,

जीते पेड़ में, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता है, वैसे ही धर्म और अर्थ से साधनीय काम । 'काम' से अधिक अर्थ पर, और अर्थ से बहुत अधिक धर्म पर, जोर इस लिये दिया है, कि 'काम' की ओर तो जीवात्मा की प्रवृत्ति अत्यधिक अपने आप हैं, उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने और सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है; तथा धर्म की ओर जीव की स्वरसतः प्रवृत्ति कम है, इस लिये उस को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

लोक्रे व्यवायऽमिष-मद्य-सेवाः निःश्यास्तु जन्तोः, नहि तत्र चोदना;
व्यवस्थितिः तासु विवाह-यज्ञ-सुरा-ग्रहेः; आसु निवृत्तिर् इष्टा ।

(भागवत)

अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित्;
यद्यद् हि कुरुते जंतुः तत् तत् कामस्य चेष्टितम् ।
कामऽऽत्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्ति अकामता;
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः ।
तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छति अमरलोकतामः;
यथासंकल्पिताश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते । (मनु)
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि, भरतर्षभ ! (गीता)

मद्य-मास-मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है । उस को बढ़ाने का प्रयोजन नहीं । रोकने के लिये, नियम से मर्यादित करने के लिये, विवाह और यज्ञ आदि की विधि, वृद्धो ने बनाई है । विना 'काम' के, कोई क्रिया, कोई जीव नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह अन्ततः काम की चेष्टा है; सुख की लिप्ता से ही किया गया है । वेदो का पढ़ना, वैदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है । पर अति-काम काम-मग्नता, यह प्रशंसनीय नहीं । उचित मात्रा में, उचित प्रकार से, 'वैदिक' धर्म की, अर्थात् सज् ज्ञान से, सद्बुद्धि से, 'वेद' से, निर्णीत व्यवस्थापित 'धर्म' की, आज्ञा के अनुसार, 'काम' का सेवन जो मनुष्य करता है, वही सब 'काम'-सुखों को पाता है । धर्म से अविरुद्ध, धर्म-सम्मत, जो 'काम' है, वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है । क्यों कि "कामीत् क्रोधो-

ऽभिजायते”, धर्म के विरुद्ध कामाचरण से, चारो ओर, अभितः, आस-पास, क्रोध उपजता है ।

काम-विशेष ।

यहाँ तक ‘काम’-सामान्य की चर्चा हुई । अब (२) ‘काम’-विशेष को देखना चाहिये । कामदेव का एक नाम पंचसायक है । सुख की इच्छा, पाँच ज्ञानेन्द्रियो के (तथा पाँचो कर्मेन्द्रियो के भी) विषयों (और क्रियाओं) के उपभोग से, उद्दीपित भी और पूरित भी होता है, इस लिये यह नाम पड़ा, ऐसा पहिले कहा (पृ० १७८) । स्त्री पुरुष, एक दूसरे के शरीर मे, इन पाँचो (वा दसो) विषयो (और क्रियाओं) के सार, और उन के उपभोग से सासारिक सुख की पराकाष्ठा का तीव्रतम अनुभव, पाते हैं; इस लिये स्त्री-पुरुष के मिथुन, जोड़े, द्वन्द्व, का परस्पर ‘काम’, विशेष कर के ‘काम’ का नाम पाता है । स्थूल-शरीर और सूक्ष्म-शरीर, चित्त और देह, दोनो के सभी विषयो मे (मूलप्रकृति-परमात्मा के, पार्वती-परमेश्वर के, अनुकारी) स्त्री-पुरुष एक दूसरे के लिये संसार-सर्वस्व हैं ।

आपयतो वै तौ अन्योऽन्यस्य कामान् सर्वान् । (छांदोग्य उप०)

जीव, एक ओर, अति लघु, सडादि सान्त, मूठी भर हाड़-मास के देह से बँधा हुआ, तद्रूप हो रहा है; दूसरी ओर, अनादि अनन्त अति महान् परमात्मा से बँधा हुआ, क्या परमात्मा ही, है । लघोर्लघीयान्, अणोर-णीयान्, महतो महीयान्—दोनो है । ऊपर कहा (पृ० १७७) कि आत्मवशता ही सुख है, ‘मुझ’ से अधिक, क्या ‘मेरे’ समान भी, कोई दूसरा नहीं है । और क्या, ‘मेरे’ सिवा दूसरा कोई है ही नहीं । ‘मै’ ही सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्ठा है और हूँ, ‘मै’ ही सब कुछ है और हूँ । बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई मे सुख कहाँ !

नाल्पे वै सुखमस्ति, भूमैव सुखम् ।

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । (उप०)

न त्वत्समोऽभित्, अभ्यधिकः कुतोऽन्यः । (गीता)

वात्स्यायनन ने, इस प्रकार से, धर्म, अर्थ, काम की परिभाषा की है—
धर्मार्थकामेभ्यो नमः । . . शतायुर्वै पुरुषः, विभज्य कालम्, अन्योऽन्या-

नुबद्धं, परस्परस्य अनुपवातकं, त्रिवर्गं सेवेत । बाल्ये विद्याग्रहणादीन्
अर्थान् । कामं च यौवने । स्थाविरे धर्मं च मोक्षं च ।.. ब्रह्मचर्यम् एव तु
आ-विद्याग्रहणात् ।

अलौकिकत्वाद्, अदृष्टार्थत्वाद्, अप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात्प्रवर्तनम्;
लौकिकत्वाद् दृष्टार्थत्वाच् च प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणदिभ्यः शास्त्रादेव निवा-
रणं; धर्मः । विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-धान्य-भाण्ड-उपस्कर-मित्रादीनाम्
अर्जनम्, अर्जितस्य विवर्धनम्, अर्थः । श्रोत्र-त्वक्-चक्षुर्-जिह्वा-घ्राणानाम्,
आत्मसयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानां, स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यतः प्रवृत्तिः,
कामः । स्पर्शविशेषविषये तु, अस्य, आभिमानिकसुखानुविद्धा, फलवती,
अर्थप्रतीतिः, प्राधान्यात् कामः ।

धर्म अर्थ-काम तीनों को नमस्कार है । मन्त्ररित्र सावधान मनुष्य की
आयु सौ वर्ष की होनी चाहिये; यदि इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन, एक
दूसरे से परस्पर बाँध कर, परस्पर विरोध के बिना, बल्कि तीनों को पर-
स्पर सहायक बना कर, मनुष्य करे; जैसे, उस को, काल का, आयु का,
विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य में विद्याग्रहण (रूपी 'अर्थ'),
यौवन (और प्रौढ़ि) में 'काम', वार्धक्य में सासारिक-'धर्म' और मोक्षधम,
का । (तथा प्रौढावस्था में, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूर्वाह्न में धर्म,
अपराह्ण में अर्थ, सायंकाल में काम, का) । विद्या-ग्रहण को अवस्था में
ब्रह्मचर्य ही करना चाहिये ।*

जिन का फल प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे यज्ञ आदि कर्म, उन का शास्त्र
की आज्ञा से प्रवर्तन; और ऐसे कर्मों का, जैसे मांस भक्षण आदि, जिन
का फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवर्तन; यह 'धर्म' है । भूमि, सोना चाँदी,
पशु, धन-धान्य, बर्त्तन भाँड़ा, लकड़ी लोहा का सामान, ओढ़ना-बिछौना,

* वास्त्यायन ने, अपने ग्रन्थ की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है ।
सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ('बाल्ये', 'कौमार'), प्रथम आश्रम में,
प्रवृत्ति-मार्गोपयोगी 'धर्म', जिस में विद्या-ग्रहण अन्तर्गत है; द्वितीय आश्रम
में, ('यौवन' और 'प्रौढ़ि' में) 'काम' के उपयोगी गार्हस्थ्य का 'अर्थ'
और 'धर्म'; तृतीय और चतुर्थ में (स्थाविरे), मोक्षोपयोगी 'धर्म' ।

अर्थात् गृहस्थी की सब सामग्री, तथा मित्र का अर्जन, और अर्जित का वर्धन, यह 'अर्थ' है। पाँचो इन्द्रियों के विषया मे प्रवृत्ति, यह 'काम-सामान्य' है। विशेष प्रकार के स्पर्श की इच्छा, जिस मे 'अभिमान' का सुख मिश्रित है, ('अहं बहुधा स्याम्'-इस 'अस्मिता' के दर्प का रस सना है); अपने सामर्थ्य का, गर्भकारक पौरुष पुरुषत्व का, गर्भ-विस्तारक स्त्रीत्व का, स्वसदृश नई सृष्टि कर सकने का, दूसरे को अपने अधीन कर लेने का, हर्ष मिश्रित है; ('पुरि', शरीरे, शेते, इति 'पुरुषः'; 'पुरति, अग्रे गच्छति, पूरयति वा'; 'स्तृणाति, विस्तृणाति, विस्तारयति गर्भ, इति स्त्री'; 'स्त्यायति गर्भः अस्था, इति वा'); और जिस विशेष प्रकार के स्पर्श से, स्त्री-पुरुष के संयोगात्मक स्पर्श से, सन्तान रूपी फल के, अर्थ के, प्राप्ति की प्रतीति, विश्वास, आशा, उमीद, भी है, ऐसे विशेष स्पर्श की, रति की, मैथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते है। 'काम' शब्द इसी अर्थ मे प्रधानतः प्रयोग किया जाता है।

अन्य शास्त्रकारो ने 'धर्म' और 'अर्थ' के और ('अपर') भी लक्षण बताये है।

ब्रह्मज्ञानन्द और कामज्ञानन्द।

जब जीवात्मा अपने को सकल सृष्टि करने वाला परमात्मा पहिचान लेता है, तब उस को भूमता, बहुतमता, महत्तमता, का सच्चा 'ब्रह्मज्ञानन्द' प्राप्त होता है। उस की सब वासना कामना ऐसी पूर्ण होती हैं कि लुप्त हो जाती है। इच्छा तो अपूर्ण को ही होगी न ? जो पूर्णतम हो गया, जिस के उदर मे सारा संसार आ गया, जिस ने जान लिया कि 'मेरा' हो चैतन्य, 'मै' ही, 'अहं' ही, सारे ससार का कर्ता धर्ता सहर्ता है, हूँ, 'अस्ति', 'अस्मि', उस को इच्छा कहाँ अवशिष्ट रहैगी ? जो कुछ भी हो रहा है, सब उसी की, 'मेरी' ही, इच्छा से हो रहा है। पारमार्थिक 'अहता' 'अस्मिता' की यहाँ परा काष्ठा है।

इस सच्चे 'ब्रह्मज्ञानन्द' का प्रतिबिम्ब, मिथ्या आभास, होता हुआ भी, व्यावहारिक दृष्टि से नितान्त वास्तविक और बलवान् 'कामानन्द' है। इस मे भी, स्त्री पुरुष के शरीर को धारण करने वाले जीव को, मिथ्या

ही, विवर्तित ही, उल्टा ही, लेकिन ब्रह्मानन्द के सदृश (जैसे जल के किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिबिम्ब उल्टा भी और सदृश भी), सब विषयों के उपभोग से सब इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूर्णता का, तथा 'सर्जन-शक्ति', नया (संसारात्मक) शरीर उत्पन्न करने की शक्ति, अतः 'ईश्वरता' का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनुभव होता है ।* इस में सासारिक 'अहंता', 'अस्मिता', 'अहंकार', 'अभिमान', 'दर्प' की पराकाष्ठा है । मैथुन कर्म से 'अभिमान' का अनुभव, स्त्री-पुरुष दोनों को होना, (न केवल पुरुष को, जैसा कि वात्स्यायन के कई कच्चे (सदोष) सूत्रों से, अति त्वरावान् जल्दबाज़ पाठकों को, धोखा हो सकता है), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने 'आभिमानीक सुख' का, इस के सम्बन्ध में उद्देश किया है (१-२-१२) । विना अध्यात्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, की शरण लिये, इस का तात्त्विक हेतु समझ में नहीं आता । और समझने की आवश्यकता है । यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने हृदय में सदा रखे, तो भारी भूलां, पापों, और उन के फलरूप कष्टों से, बचा जा सकता है । काम-सुख में अति 'दर्प' 'गर्व' करने से, स्त्री और पुरुष, परस्पर अथवा दूसरों को, शारीर और मानस क्लेश पहुँचा कर, वैमनस्य खड़ा कर, वैवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा दूसरो को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भीष्म पितामह ने, शातिपर्व के षट्त्रिंशी नामक अध्याय में, कहा है, 'सेवेत् कामम् अनुद्धतः', काम के सेवन में बहुत उद्धत न होना चाहिये ।**

* 'शरीर' को 'संसारात्मक' इस लिये कहा, कि जहां 'शरीर' नहीं वहां संसार नहीं; शरीर के, और उस में स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार का अनुभव होता है ।

** पहिले पृ० १७७—१७८ पर लिख आये हैं कि, मैथुनप्रसंग में नर-नारी, एक दूसरे पर, जो चाहते हैं सो करते हैं, और 'अभिमान', 'अस्मिता', 'अहंकार' का रस चखते हैं । पुण्य और पाप को पृथक् करने वाली रेखा बहुत बारीक होती है; जरा-सी 'अति' होने से पुण्य का रूप बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की 'अति' होने से पुण्य नहीं

काम के अन्य अर्थपूर्ण नाम ।

कंदर्प—काम के और भी नाम संस्कृत में हैं । बहुत अर्थपूर्ण हैं । ‘मय्यक् कृता’ ‘अच्छी बनाई हुई’, ‘संस्कृत’ भाषा ऐसी ही है । पर निरुक्त शास्त्र का प्रयोग, जिस से प्राचीन अर्थगर्भ शब्दों का निर्वचन, अध्यात्मशास्त्र की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है । एक नाम, काम बन जाता; (मनुष्य-दृष्टि से; ईश्वर-दृष्टि से, रावण आदि का अतिपाप भी, अ-साक्षात्, अ-प्रत्यक्ष, रूप से, मानव जाति का, दूर जा कर, कल्याणकारक हुआ; यह ईश्वर के, परमात्मा के, द्वंद्व-मय, पुण्य-पाप-मय, जगन्नाटक का, अ-वारणीय नियम ही है); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से ऊपर चढ़ना कठिन; इसके विशेष आध्यात्मिक हेतु हैं । सच्चे प्रेम से, विवाहित भार्या-भर्ता के, परस्पर मैथुनीय-आलिगन में भी, दोनों और, सूक्ष्म अभिमान की (जिसी का घनोभाव, राजस घोर-भाव, दर्प, गर्व, है), मात्रा रहती ही है; उसका आस्वादन, लीला से, बनावटी, कृत्रिम, ‘खेल’ के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाटकीय प्रदर्शन से, परस्पर, एक दूसरे पर, पर्याय (पारी-पारी) से मिथ्या ‘बलात्कार’ कर के, होता है; और उस से, परस्पर प्रेम, परस्पर रमण (एक दूसरे में ‘रमना’, ‘रीकना’), आनन्द, बढ़ता है; किन्तु, यदि यह ‘बलात्कार’, मिथ्या खेल के स्थान में वास्तविक (‘जिना बिल-जब्र’), और परस्पर के स्थान पर एक-तरफ़ा, हो जाय, तो घोर, पापिष्ठ, और अति अनर्थकारी होगा, प्रेम प्रीति का सर्वथा नाश करेगा, तीव्र द्रोह और हीनता की आग जलावेगा, जीवन को विष-मय करेगा, मानस और शारीर तीक्ष्ण आधि-व्याधियों को जन्म देगा । इस सब विषय के विस्तार की—‘अभिमान’ के पुरुषरूप, ‘सैडिज्म और स्त्रीरूप, ‘मैसोचिज्म’, आदि की—चर्चा, ‘दि सायन्स् आफ् दि इमोशनस्’ में की है । पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं में लिखे हुए, ‘सैक्रियेट्री’ (कामादिजनित मानस विक्रिया, उन्मादादि) के शास्त्र के ग्रन्थों में इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है—कि यह कामसम्बन्धी दर्प अभिमान, कैसे कैसे घोर विकृत बीभत्स भयानक क्रूर रूप धारण कर लेता है, यहां तक कि मैथुन में हिंसा तक कर डालता है । वास्तविक ने भी कुछ थोड़ी चर्चा इस की की है, जिस का स्यात्

का, ‘कंदर्प’ है। इस का दो प्रकार से निर्वचन हो सकता है। ‘कं दर्पयति,’ किम के इंद्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दर्प को बचने देता है ? किसी के नहीं, इस लिये ‘कटर्प’।

अहल्याया जारः सुरपतिर् अभूद्; आत्मतनयां
प्रजानाथो ऽयासीद्; अभजत गुरोर् इन्दुर् अबलां;
इति प्रायः को वा न पदम् अपथे ऽकार्यत मया,
श्रमो मद्वाणानां क इव भुवनोन्माथविधिषु।

(प्रबोध-चन्द्रोदय)

कामदेव कहता है, मैंने सुरपति इन्द्र को गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का जार (यार) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से व्यभिचार करा दिया; स्वयं ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया; मेरे बाणों को सारे संसार के ‘उन्मथन’, ‘मनो-मथन’, मे क्या कोई श्रम है ? कुछ नहीं। मेरा एक नाम ‘मन्मथ’ है ही।

व्यवहार-दृष्टि से, इन सब पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा अन्तर्-गार्थ भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान करनी रहती हैं, कि संसार में संभल कर चलो, दर्प मत करो, काम के वेग से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, और इस के कारण उन को बड़े-बड़े दंड भी मिले हैं; इन्द्र के शरीर में हज़ार व्रण (उप-दंश, गर्माँ, के रोग के ऐसे) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग हो गया; ब्रह्मदेव के पहिले जो पाँच सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, जिस से चार ही रह गये; फिर तुम क्या चीज़ हो !। पर आध्यात्मिक आधिदैविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं। यथा अ-हल्या का अर्थ है— विना हल चली, विना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ बहुत पशु, गाय आगे वर्णन किया जाय। क्राफ्ट-एविड नामक शास्त्री का लिखा ग्रन्थ ‘सैकोपेथिया सेक्सुएलिस’, इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझा जाता रहा है। जर्मन भाषा से अंग्रेजी में इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष हुए, छपा। तब से अन्य कितने ही ग्रन्थ, इस विषय के, नई गवेषणाओं से उपोद्धत, छपे हैं।

वैल, पालने वाला मनुष्य; इन्द्र का अर्थ विद्युत्; चन्द्र का अर्थ जल; जब 'अहल्या' के पति 'गोतम' कहीं चले गये थे, अपनी पत्नी की फिक्र, भूमि की रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे, उस समय बिजली बादल के अनुचित (अतिमात्र) स्पर्श से खेती की भूमि पड़ती हो गई; फिर राम जी ऐसे महापुरुष के पाद-स्पर्श से, उस पर घूम फिर कर देवने से, (जैसा राजा और राज-पुरुषों का धर्म है, कि घूम फिर कर प्रजा का निरीक्षण और कष्ट-निवारण करते रहें), और उत्तम प्रबंध करने से, वह भूमि, जो पत्थर ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से जाग उठी, उर्वरा हो गई, जोती-बोई जाने लगी, उस के पुत्र 'शत-जानन्द' हुए। राम जी के 'कदमो की बरकत' से यह सब काम हुआ। "रमन्ते जनाः यस्मिन् स रामः"। तथा बृहस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-तारा के पुत्र बुध, पृथ्वी-वराह के पुत्र भौम आदि, ये सब खगोल में घूमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के आण्ड, गोले, ग्रह नक्षत्र आदि, हैं, जिन में, आपस में, करोड़ों वर्ष पहिले, (पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र से ऐसी सूचना मिलती है), परस्पर महा उत्पात हो कर, 'संग्रामे तार-कामये', तब वर्तमान सौर सम्प्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुई। तथा सरस्वती का अर्थ वाक् है; ब्रह्मा का अर्थ महत्त्व, बुद्धितत्व, वाग्मी है; रुद्र का अर्थ क्रोध है; वाक् का दुष्प्रयोग होने से, चारों ओर क्रोध फैलने से, वाग्मी की दुर्दशा होती है। कुमारिल ने, 'तंत्र-वार्त्तिक' नाम के अपने ग्रन्थ में, एक और अर्थ, इस 'ब्रह्मा-सरस्वती-रुद्र' के रूपक का किया है, यथा, सरस्वती का अर्थ उषा, ब्रह्मा का सूर्य। इत्यादि। इस के विस्तार का यहाँ अबसर नहीं, प्रसंगवशात् केवल सूचना फर दी।

दूसरा निर्वचन 'कंदर्प' का है, 'कं न दर्पयति', किस को दर्पयुक्त, दत्त, नहीं करता*। कंदर्प का और 'दर्पण', आईना, का साथ है। 'दर्पयति इति दर्पणः', जिस में स्त्री-पुरुष अपनी सूरत को देख कर सँवारते हैं, और 'दत्त' होते हैं। कवीर की गीत है, "मुखड़ा क्या देखै दर्पन में, तेरे दया धरम नहिं तन मे"।

* वा 'कं, ब्रह्माणं, बृहन्तं, महान्तं अपि, पुखं, दर्पयति'; वा 'यं कं अपि, सर्वं अपि जन्तुं, दर्पयति, उन्मादयति'।

मदन—एक नाम 'मदन' भी है ।

लुघात्तामो, जीर्णः, श्रवणरहितः, पुच्छविकलः,

शुनीम् अन्वेति श्वा; हतम् अपि निहंत्येव मदनः । (भर्तृहरि)

कुश, काण, खड्ग, बिना कान, बिना प्ल, भुत्वमरा, जराजीर्ण भी, कुत्ता, 'मदन' से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है । नाम बहुत यथार्थ है । 'मदयति इति मदनः', जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे । अभिमान, मान, दर्प, मद—यह सब पर्याय ही हैं । अच्छे आहार से बल, उस से बल-मद । अच्छी धन-सम्पत्ति से धन-मद । ऐसे ही विद्या-मद, जाति-मद, रूय-मद, ऐश्वर्य मद, अधिकार-मद, तपो-मद, आदि । प्रमाद, उन्माद, मादक, प्रमदः, प्रमदा, 'मैड' (पागल), सब नज़दीकी रिश्तादार हैं । अच्छी धन-सम्पत्ति से सुलभ अच्छे आहार से जनित बल का सार, स्त्री-वीर्य, पुरुष-वीर्य; उस से वीर्यमद, काममद, ऐश्वर्यमद । मद्य, मदिरा, मे भी यही धातु है । मद्य के सेवन से भी 'मद' उत्पन्न होता है । मद्य-मांस-मैथुन आदि का, घोर भयङ्कर वाममार्ग के पंच 'म'-कार मे, इसी हेतु से साथ देख पड़ता है । तामस हर्ष के सभी साधन हैं । मद का अर्थ 'हर्ष', 'उद्धतता', तथा 'वीर्य' भी है ।* दोनो का आशय 'मद्-भाव', 'अहं-भाव', की वृद्धि है । 'कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया', 'मेरे सदृश दूसरा कौन है' । फारसी मे भी शेरबिजाज आदमी की तस्वीर ऐसे ही लपजों से खींची है—“हम् चु मन् दीगरे नीस्न”, जो, “कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया” का तर्जुमा ही है । मद की अति वृद्धि से 'उन्माद' हो जाता है ।

ब्रह्मचर्य के गुण ।

'शुक्र' नाम ब्रह्म का भी है, वीर्य का भी । ब्रह्म का अर्थ अति बृहत्, अनन्त, परमात्मा भी; वेद अर्थात् अनन्त ज्ञान भी; तथा बृंहणशील, वर्धन सन्तानन शक्ति रखने वाला, वीर्य भी । इन तीनों की प्राप्ति, वृद्धि, सञ्चय, करने वाली चर्या का नाम ब्रह्म-चर्य है ।

* हाथी जब 'मस्त', 'मत्त', होता है, तब उस की कनपटियों से 'मद' बहता है; नीम का पेड़ जब बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब उस से 'मद' बहता है, जो दवा के काम मे आता है; इत्यादि ।

पाके रसस्तु द्विविधः प्रोक्तो हि अन्नरसात्मकः;
रससारमयो भागः शुक्रं ब्रह्म सनातनम् ।

स पर्यगात् शुक्रम् अकायमत्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्वं । (उप०)

अन्न के परिपाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन-ब्रह्म-रूप, ब्रह्मशक्तिमय, शुक्र है। आयुर्वेद का कहना है कि आहार से क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेदस्, अस्थि, मज्जा, बन कर, सातवाँ परिणाम वीर्य होता है। आठवाँ परिपाक, वीर्य का परिणाम, तरस्, ओजस्, सहस्, महस्, तेजस्, वर्चस् आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इन्द्रियों का, हृदय का, मन का, अहंभाव का, बुद्धि का, बल होता है। ब्रह्मचर्य की, विद्यार्थिता की, अवस्था में, शुक्र का, स्वप्नादि में, स्वलन हो जाय तो,

पुनर्माँतु इन्द्रियं, पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च,
पुनरभ्यो धिष्यया यथास्थां कल्पन्तामिहैव,

इस मन्त्र का, स्नानादि कर के, मंत्र के शब्दों के अर्थ की भावना के सहित, जप करने से, सब दोष दूर हो जाते हैं, और फिर बल का, वीर्य का, संचय हो जाता है। इसी मंत्र को बृहदारण्यक उपनिषत् में और विस्तार से कहा है,

तदभिमृशेद्, अनु वा मंत्रथेत, यन् मेऽद्य रेतः पृथिवीम् अस्कान्सीत्,
यद् ओषधीः अपि असरद्, यद् अपः, इदम् अहं तद् रेतः आददे, पुनर्माँ
पेतु इन्द्रियं, पुनस्तेजः, पुनर्भगः, पुनरभिः, धिष्ययाः यथास्थानं कल्पन्ताम् ।*

ऐसा ध्यान और जप करै कि, जो मेरा वीर्य गिर कर पृथिवी में, ओषधियों में, जल में, मिल गया, उस को मैं फिर अपने चित्त के बल से वापस लेता हूँ; मेरा इन्द्रिय-बल, मेरा तेजम्, मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण की गर्माँ, और मेरे सब अवयवों में रहने वाली शक्तियाँ, अपने अपने

* अरवलायन-गृह्य-सूत्र में पाठ यों है—पुनर्माँतु इन्द्रियं, पुनरायुः, पुनर्भगः; पुनर्द्रविणमैतु माँ, पुनर्ब्राह्मणमैतु माँ, स्वाहा। इमे ये धिष्ययासोऽभ्यो यथास्थानमिह कल्पन्तां, वैश्वानरो वावृधानोऽन्तर्यच्छतु मे मनो, हृद्यंतरं अतस्यैकेतुः, स्वाहा। (३.६.६.) अर्थ एक ही; शब्द बदलते हैं।

उचित स्थान पर वापस आ जावें। स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन में होने और रहने से वीर्य का अत्रोध और संचय अपने शरीर में होगा। 'इन्द्रियं' शब्द वेद के मंत्र में वीर्य का उपलक्षण है। क्योंकि, (स्त्री-पुरुष के वैवाहिक धार्मिक अनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र), वीर्यस्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का, प्राण का, 'क्षय' होता है; अंतःकरण बहिष्करण में, चित्त और देह में, शिथिलता आती है; तथा, वीर्य के संचय से सब इंद्रियों में, सब अवयवों में, शक्ति और ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद में निर्णय किया है,

त्रिस्थूयं शरीरं, आहारः निद्रा ब्रह्मचर्यं इति तिस्रः स्थूयाः ।

(सुश्रुत, चरक)

शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा, और ब्रह्मचर्य। 'ओजस्' शब्द के दूसरे अर्थ भी सुश्रुत, चरक, शाङ्गधर आदि ने कहे हैं; उन के विवरण का यहाँ प्रयोजन नहीं।

क्षयरोग

यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, तपे-दिक, 'कन्जमूशन', की बीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी है; इसी हेतु से एक नाम इस का 'राजयक्ष्मा' है। पर बहुत गरीबी से भी यह हो जाती है। वैद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण कहे हैं; पर विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कर्षण से; तीव्र मानस शोक, क्षोभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर्याप्त अन्न, जल, वायु, वस्त्र, प्रभृति के अभाव से; सर्दी गर्मी खा जाने से; प्रजागर से; मन्दाग्नि मन्द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम से धातु क्षीण होने लगे, पहिले रस, तब रक्त, तब मांस इत्यादि, अंत में शुक्र; तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैं। अति कामुकता, विषम कामुकता, या अन्य किसी कारण से, वीर्य के क्षय से आरम्भ हो कर रस के क्षय से जो अंत करता है, उस को प्रतिलोम क्षय कहते हैं।

हस्तमैथुनादि दोष और क्षय रोग ।

हस्तमैथुन दोष विद्यार्थियों में, पूर्व पश्चिम के सभी देशों में, आज काल बहुत फैला जान पड़ता है। इस के अतिमात्र आचरण से भी विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीर रोग तथा क्षयरोग, उत्पन्न होते हैं। पर यदि कभी कदाचित् कोई विद्यार्थी ना-समझी से यह भूल कर ले, तो उस को यह भय न होना चाहिये (न किसी दूसरे को उसे ऐसा भय दिलाना चाहिये) कि कोई अ-मार्जनीय अनाचार या अ-पूरणीय हानि, या अ-नि-स्तार्य दोष, या घोर पाप हो गया। पुनः शुद्ध रहने से यह कादाचित्क दोष मिट जाता है। वेद-मंत्र के जप और उस के अर्थ के भावन की विधि जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यहा भी है। यदि मंत्र के शब्द न भी कहै, उन के भाव ही का ध्यान करै, तो भी वही फल होगा; ध्यान और भावना ही मुख्य हैं, शब्द गौण हैं। वेदों में भी, बहुत स्थलों पर, शब्द बदल-बदल कर एक ही अर्थ कहा है।

प्रसंगवश, एक व्यावहारिक विषय की चर्चा यहा कर देना उचित जान पड़ता है। यद्यपि यह ठीक है कि,

तान् अकृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् न विचालयेत् (गीता),

सब बातों की चर्चा सब के सामने, बिना देश-काल-पात्र के, विवेक के, करना ठीक नहीं; और 'काम'-सम्बन्धी दोषों को छिपा जाने की ही चाल समाज में बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने में अधिक दोष और आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक और व्यापक हो रहा है। ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है,

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते । (गीता)

ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः । अज्ञानाद् बन्धः, ज्ञानान् मोक्षः ।

सज् ज्ञान के ऐसा, चित्त और देह को पवित्र शुद्ध करने वाला, दूसरा पदार्थ नहीं; अज्ञान से तरह तरह के बन्धनों में, भूलों में, मनुष्य पड़ जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से मुक्त होता है, भूलों से बचता है। बिना ऐसे ज्ञान के, शारीर अथवा मानस दोष से, आधि-व्याधि से, दुरा-चार अनाचार से, छुटकारा नहीं। इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज

को धुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है। हस्तमैयुन, तथा अन्य प्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, बालक-बालिकाओं का, परस्पर, अथवा युवा और तरुणों और प्रौढ़ों के द्वारा, घरों में, स्कूलों में, बहुत-बहुत सुनने में आता है*; अखबारों में भी चर्चा होती रहती है; यहां तक कि विहार

* यह भी इस स्थान पर लिख देना उचित है कि. पुरुषों द्वारा कन्या-दूषण तो होता ही है, जिस के लिये मनुस्मृति में, तथा प्रवर्तमान भारतीय (अंग्रेजी) दंड-विधान में, तीक्ष्ण दंड लिखे हैं: बालिकाओं का भी परस्पर दूषण, अगुलिप्रक्षेप आदि से, होता है; तथा, युवती और प्रौढ़ा स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता है; वैद्यक के एक ग्रन्थ में कहा है—निर्लज्जस्त्रीबलाद्भुव्रबालस्यऽचित्सकं भवेत्; “बाल-स्यऽक्षेपकं”, ऐसा भी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप प्रायः वैसा कहा जाता है, जैसा अंग्रेजी में ‘स्पाज्मस्’ या ‘कन्वल्शन्स्’ का कहा है, (भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृत्कम्प, घबराहट, अंग्ग उलटना, बेहोश हो जाना, आदि), जिस बालक से, किसी निर्लज्ज स्त्री ने, बलात्कार से भोग कर लिया है, उस को प्रायः ‘आचित्सक’ ‘आक्षेपक’ रोग हो जाता है। काम-शास्त्रीय विषयों के बड़े परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता और पंडित, अंग्रेजी विद्वान्, हावेलाक् एलिस, ने, अपने लिखे सात जिल्दों के बृहद् ग्रन्थ, “साइकालोजी आफ् सेक्स” में, प्रौढ़ा स्त्रियों द्वारा, बालकों के दूषण के अनेक उदाहरण दिये हैं। १९६४ वि. में, दैनिक समाचार पत्रों में, कलकत्ता हाइकोर्ट का एक फैसला छपा था, जिस में मालूम हुआ कि, एक तेरह चौदह वर्ष की युवती ने, काम के असह्य वेग में पड़ कर, एक छः वर्ष के बालक पर अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुँचायी; न्यायालय से उस युवती को कुछ दंड हुआ। बालक की दुर्दशा, और उस की सारी आयु भर, इस तीक्ष्ण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के, युवती पर क्रोध आता है; मानव-चित्त को प्रकृति ने कैसा दुर्बल, और काम के वेग को कैसा पूबल, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कर्म से कचहरी में प्रस्थापन और दंडन का, कैसा भारी आघात पहुँचा होगा; और, समग्र जीवन भर इस दाग को मिटाना उस के लिये असम्भव होगा;

और पंजाब की गवमेंटों ने, और उन के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों ने, सन् १९३४-'५'-६ में तहकीकत कराई और इस दुराचार के रोकने के लिये कुछ उपाय सोचा और आदेश जारी किया; पर आदेश के शब्द कुछ ऐसे गोलमोल थे कि विशेष कार्यसाधक नहीं हुए। 'यूथ्स वेल्फेयर असोसियेशन', अर्थात् 'युवा और बालकों की रक्षा के लिये समिति', भी पंजाब में बनी। महात्मा गांधी जी ने भी, सन् १९३५ में, लाहौर के सनातनधर्म कालेज के आचार्य (प्रिंसिपल) के पत्र के उत्तर में, इस विषय पर, देश को उपदेश दिया। इन सब तहकीकतों से विदित हुआ कि, स्थान-स्थान पर, स्वयं अध्यापकों ने ही अपने शिष्यों के साथ दुराचार किया। जिस को रद्द होना चाहिये वही भत्तक हो गया। इस सब समाज में मुंह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-वृत्ति का ग्रहण करना होगा; या भिक्षा-वृत्ति ग्रहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की 'बैरागी' आदि मंडलियों के कुपन्थ-सुपन्थ में अपना तन और मन डुबा देना होगा, या 'मिरिच' (मारिशस) देश के ऐसे टापुओं में जाना होगा, जहां बहुतेरी अभागिनियों को जाना पड़ता रहा है—यह सब विचार कर के, अपराधिनी युवती के ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी होती है; पर अन्त में यह मानना पड़ता है कि प्रख्यापन और दंडन न होने से, ये प्रच्छन्न पाप बढ़ते ही जायेंगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णयन से, चाहे एक व्यक्ति का जीवन खट्टा या ध्वस्त ही हो जाय, पर समाज को लाभ होगा, असह्य काम के वेग को रोकने की प्रवृत्ति अधिक होगी, समाज की हवा भी स्वच्छ होगी। यदि समाज में शुभ संस्कृत परिष्कृत भाव अधिक व्याप्त हों, तो ऐसे दंडित व्यक्ति से फिर कोई घृणा भी न करे, और उस का जीवन भी परिशुद्ध और निष्कलङ्क हो जाय। मनु की आज्ञा है,

एनस्विभिः अनिर्णिकैः नार्थं किंचित् सहाचरेत्;

कृतनिर्णयनांस्तांस्तु न जुगुप्सेत् किंचित् ।

एनस्वी, पातकी, अपराधी का जब तक निर्णयन, दंड से मार्जन, नहीं हुआ है, तब तक उस से कोई सम्बन्ध न करे; जब पाप का मार्जन, दंड से, हो जाय, तब उस से कोई जुगुप्सा न करे।

से इतना तो ज़रूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, और हवा बदलने की इच्छा और प्रयत्न शुरू हुए। माता, पिता, गुरु—इन तीन के नाम, वेद में, मनुस्मृति में, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं। यदि ये ही अपनी संतान की, अपने शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है ?

यस्यांके शिर आघाय, जनः स्वपिति निर्भयः,

स एव तत् शिरः छिद्यात्, तत्र कं परिदेवयेत् ? (म० भा०)

जिस की गोद में सिर रख कर सोवै, वही उस सिर को काट ले, तो किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय ? पर नहीं, इस का उपाय है, और किया जाना चाहिये, और किया जा सकता है, यदि गृहस्थ और राष्ट्रभूत्य एकमत और सन्नद्ध हो कर यत्न करें। मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय अधर्म्य कामक्रोधादि की इच्छाओं और चेष्टाओं से, विपाक्त हो रही है, वह सत्-शिक्षा, सद्-भाव, सत्-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदली जाय। जैसी नई पुस्त की शिक्षा होगी, वैसी भावी समाज की सम्भ्यता वा असम्भ्यता होगी; (२) पाठशाला, मद्रसा, स्कूल, कालिज आदि को सच्चा 'गुरुकुल' बनाया जाय; विवाहित और सन्तान वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक बनाये जायें; गुरु और गुरुपत्नी और उन के अपत्य और शिष्य साथ रहें, साथ उठें बैठें, पढ़ें पढ़ावें, चलें फिरें। अपने और दूसरों के अपत्यों को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुओं अध्यापकों अध्यापिकाओं के मन में शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होंगे, और सब की तुल्य रूप से देख-रेख रखेंगे और रक्षा करेंगे; दुष्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के मन में उदय होने न पावेंगे। इस के विरुद्ध, जवान, अनन्याहे, निस्सन्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अध्यापिका और अध्यापक होंगे, तो उन में दुष्ट भावों का उपजना बहुधा सहज होगा। अवान्तर उपाय यह है कि, जिस अध्यापक के सम्बन्ध में विशेष शंका और बदनामी उठै, वह बर्खास्त कर दिया जाय; अधिक और साक्षात् प्रमाण आदि की प्रतीक्षा न की जाय; जैसे ज्ञात्रितै फौजदारी में नेकचलनी के लिये मुचलका जमानत की आशा बदनामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है। और भी; प्रत्येक अध्यापक

और अभ्यापिका से, छुपी शपथ को उच्चस्वर से पढ़वा कर, उस पर हस्ताक्षर करा लिया जाय, कि हम अपने शरीर में, तथा 'क्लास' (class, वर्ग, दर्जे) के किसी बालक वा बालिका के शरीर में, किसी प्रकार का कामीय दुराचार वा अशुचिता न होने देंगे । तथा, स्कूल के प्रत्येक कमरे में प्रतिदिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह में एक बेर, थोड़ी देर के लिये, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर लटका दिया जाय, जिस में प्रत्येक बालक बालिका उसको पढ़ ले, कि, 'किसी बालक-बालिका को, अपने या दूसरे की, मलमूत्र की इन्द्रियों से खेलना कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं; लेकिन इन इन्द्रियों को साफ रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही सीख लेना चाहिये' । गृहस्थ जनता को, अपनी रक्षा के लिये, इस विषय में, जैसे अन्य विषयों में, बल्कि उस से बहुत अधिक, सजग, होशयार, सावधान, रहना चाहिये* । आख कान बंद कर लेना, 'हम तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते', ऐसी अनास्था अरुचि इस विषय के विचार करने में दिखाना, मुंह फेर लेना—यह भले आदमियों में बहुधा देख पड़ता है; पर, इस प्रकार से, बुरे आदमी अधिक घृष्ट होते हैं, उन के दुराचार समाज को अधिकाधिक भ्रष्ट और दुबल और निर्मर्याद करते हैं; छिपाने से रोग और बढ़ता ही है । इस लिये, ऐसे दुराचार को रोकने के सद् उपायों पर, सज्जनों में परस्पर, शांत और दूरदर्शनी बुद्धि से, विचार होना ही चाहिये ।

एक और विषय की चर्चा इसी स्थान पर करना प्रसंग-प्राप्त है । आज काल, अवस्था के परिवर्तन से; प्राचीन भारतीय शील, शक्ति, सज्-ज्ञान, स्वयंप्रज्ञता, स्वावलम्ब, स्वातंत्र्य, के हास से; पाश्चात्य शक्तियों और विचारों के आक्रमण से; पुरानी सभी व्यवस्थाओं मर्यादाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, क्षुद्र विचार, क्षुद्र आचरण, मूढ-ग्राह, धर्माभास, मिथ्या-धर्म, परतंत्रता, परावलम्ब, परप्रज्ञता, परानुकारिता, की वृद्धि से; इस भारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पार्श्वों, पहलुओं,

* 'दि सायंस आफ सोशल आर्गेनिजेशन' के पृष्ठ ६०६-६१७ में, अधिक विस्तार से इन बातों की चर्चा की है ।

अंगों में, उथल-पुथल, अधगोचर, समुद्र की लहरों के ऐसा हो रहा है । समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कर्त्तव्य, वार्ता-वाणिज्य-रोज़गार, राजनीति-राष्ट्रप्रबन्ध, शिक्षा-रक्षा-भक्षा, की व्यवस्था के; स्त्री-पुरुषके परस्पर कामिक व्यवहार के, विवाह-पद्धति के; भर्ता-भार्या, पिता-पुत्र, भर्ता-भृत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; सर्भों के नियमों में उलट-फेर हो रहा है । इस के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं, कुमार-कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों, तरुण-तरुणियों का, एक साथ उठ बैठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों में पढ़ना पढ़ाना भी शुरू हो गया है । उस के स्वाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे हैं; अवि-विवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, और ऐसे गर्भ के पातन का यत्न करना, सुना जाने लगा है । “कामः स्वभाववामः” । बिना अक्सर के भी काम उत्पन्न ले जाता है; अक्सर प्राप्त होने पर, तीक्ष्ण प्रलोभन होने पर, क्या नहीं हो सकता । “कं नहि मदयति मदनः” । अति तपस्वी, अपने शरीर को सुखा डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, स्त्रियों के कमलवत् सुललित मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक बहुतेरी होती रही हैं, साधारण स्त्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम पुष्टिकर अन्न (और मद्य मांस भी) खाने पीने वालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग भी इन्द्रिय निग्रह कर सकें, तो विंध्य पर्वत पौड़ कर सागर को पार कर ले ।

विश्वामित्र-पराशर-प्रभृतयः वात-म्बु पर्ण-शनाः;
तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः;
शाल्यन्नं दधिदुग्धगोघृतयुतं ये भुञ्जते मानवाः,
तेषाम् इन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत्, विंध्यस् तरेत् सागरं । (भर्तृहरि)

मनु की आज्ञा तीव्र है,

स्वभावः एव नारीणां नराणां (च) इह (परस्पर) दूषणम्;
अतो ऽर्थान् न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ।
मात्रा स्वस्वा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्;
बलीयान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति ॥

मानव प्रकृति का यह स्वभाव ही है कि, नर और नारी, सांनिध्य में, परस्पर, एक दूसरे के चित्त को लुब्ध करते हैं, एक दूसरे को दूषित करते हैं; इस लिये माता, बहिन, बेटी के साथ भी अकेले में न बैठे; इन्द्रियों की सेना बड़ी बलवान् है; विद्वान् को भी कुराह में ले जाती है* । इस अर्थ से, इस हेतु से, पढ़े-लिखे विपश्चित् विद्वान् पुरुषों पर विशेष कर ज़िम्मादारी है (क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने, विदुषी बनाने, की चाल कम हो गई है) कि वे स्त्रियों की रक्षा करें, और स्वयं प्रमाद न करें ।

‘परस्पर’, ‘एक दूसरे को’, यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः टीकाकार लोग, मनु के श्लोक का यह अर्थ लगाते हैं कि नारी ही नर को दूषित लुब्ध करती है; यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारी नर के, वैसे और

* इस श्लोक पर एक वृद्ध अंग्रेज ने मुझ से आश्चर्य प्रकट किया, कि भारतवर्ष के स्त्री-पुरुषों पर, यहाँ के धर्मव्यवस्थापकों, विधान-कारकों, को इतना अविश्वास था । उन से कहना पड़ा कि, प्लूटार्क के लिखे ‘ग्रीस और रोम के वीर पुरुषों के चरित्र’ में, तथा फ्रांस, इटली, ईजिप्ट, पेरू, आदि के इतिहास में, तथा एक मुगल बादशाह के सम्बन्ध में ऐसे पिता-पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; तथा आज-काल, इंग्लिस्तान के कानून में, ऐसे पापों के लिये विशेष दंड लिखा है, जिस से सिद्ध होता है, कि ऐसे जुर्म वहाँ होते हैं; कभी-कभी, सम्वाद-पत्रों में ऐसों का वृत्तान्त छपता भी है; मैं ने ‘दी सार्जन्स आफ् सोशल आर्गेनिजे-शन्’ के पृष्ठ ४६५-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं । इस देश में, अन-
 लोमें में ‘मा’ बहिन’ ‘बेटी’ की गाली ऊट मुंह से निकल
 निराधार नहीं हो सकता;
 तभी ऐसी

उतना नर भी नारी के, हृदय में क्षोभ और दोष उत्पन्न करते हैं। नर लेखक प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की धृष्टता, निर्लज्जता, घोर कुतन्त्रता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं; अपने पिता को, और सब से अधिक अपने को, नहीं। अशिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विकृत, असंस्कृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे में ही दोष देखें, अपने में नहीं; ऐसी स्त्रियाँ भी प्रायः जब आपस में बात करती हैं, तब नरों को ही दोषी बतलाती हैं।

दूसरे स्मृतिकार ने कहा है,

घृतकुम्भसमा नारी, तसांगारसमः पुमान्,

तस्मान् नरं च नारीं च नैकत्र स्थापयेद् बुधः।‡

अविवाहित स्त्री पुरुष को एकत्र रखना, मानो आग और ईंधन को साथ रखना है; ऐसी अवस्था में 'ब्रह्मचर्य' और सच्चरित्र निबहना प्रायः असम्भव सा है; और प्रायः स्त्री ही की हानि और दुर्दशा होती है।

अब स्त्रियों की शिक्षा की ओर देश का झुकाव बहुत हो रहा है, और ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर गृहस्थों को बहुत गम्भीर विचार करना आवश्यक है। जैसा गम्भीर विचार बालकों की रक्षा के लिये करने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया, उस से भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये।*

यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाय, या स्त्रियाँ पदों में रक्खी जायँ; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये, पदों की प्रथा हटाना ही चाहिये। कहने का मतलब ~~नहीं~~ कि स्त्री और पुरुष के प्राकृति

जीवन-संग्राम में, उन के विभिन्न कर्तव्यों को; और साथ ही उन के सह-धर्मित्व-सहधर्मिणीत्व को भी; ध्यान में खूब रख कर, शिक्षा रक्षा आदि का प्रबन्ध, विवेक से, मर्यादा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय। महाराष्ट्र, गुर्जर, द्राविड, आंध्र आदि प्रान्तों और समाजों में पर्दा की प्रथा नहीं है, पर स्त्रियों और पुरुषों के परस्पर दर्शन सम्भाषण आदि के विषय में बहुत मर्यादा बाँधी हुई है।

यत्रेच्छेद् विदुलां प्रीतिं, तत्र त्रीणि विवर्जयेत्,
विवादं, अर्थसम्बन्धं, परोक्षे दारदर्शनम् ।

जिस से स्नेह प्रीति, घनी मैत्री, चाहो, उस के साथ विवाद, बहस, हुजत, मत करो, रुपये पैसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक दूसरे की पत्नी से भेट मुलाकात मत करो। यह पुराना श्लोक है, जिस से स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार-दर्शन की प्रथा भारतवर्ष में सदा रही है, लेकिन पति की मौजूदगी-में ही, गैरहाजिरी में नहीं। तथा, 'अति सर्वत्र वर्जयेत्'; नहीं तो व्यक्ति के, कुल कुटुम्ब समाज के, जीवन में, घोर दोष और उपद्रव उत्पन्न होंगे।

काम-विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचार के सम्बन्ध में कुछ विचार।

पच्छिम में, 'काम' सम्बन्धी लेख, ग्रन्थ, 'शास्त्र', अब बहुत, किवा अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को 'सेक्स लिटरेचर', और शास्त्र को 'सेक्सुअल् सायेंस्', 'सायेंस् आफ लव्' भी कहते हैं। अंग्रेजी में, उस पदार्थ को, जिसे संस्कृत में (मैथुन्य) - 'काम' कहते हैं, प्रायः 'सेक्सुअल् लव्' कहते हैं। 'ईरॉस्', 'क्यूपिड्', आदि शब्द, इस के पर्याय होते हुए भी, विशेष अर्थों के द्योतक हैं। 'लव्' शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी कोशों में नहीं मिलती; बहुत सम्भव है कि 'लुभ्', 'लोभ', का ही रूपान्तर है। बिना विशेषण के, केवल 'लव्' शब्द का अर्थ प्रायः प्रेम, प्रीति, स्नेह, होता है। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, मित्र के स्नेह को भी, तथा पत्नी-पत्नी के स्नेह की भी, 'लव्' कहते हैं। पर स्त्री-पुरुष के,

विशेष मिथुनताकाम को, ‘सेक्सुअल्-लव्’ कहते हैं । जहाँ ऐकपात्निक पापिष्ठ बलात्कार नहीं है; एक ओर दर्प और क्रूरता, और दूसरी ओर भय और दीनता, नहीं है; जहाँ स्त्री-पुरुष को परस्पर ‘काम’ है; वहाँ शारीर ‘रति’ भी और मानस ‘प्रीति’ भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य द्वे भायें, रतिश्च, प्रीतिश्च;” तो भी साधारण बोल-चाल में, ‘काम’ शब्द से ‘रति’ की, ‘सुरत’ की, ‘मिथुनता’ की, ओर ही अधिक झुकाव माना जाता है । यहाँ एक बात और विचार करने की है; हिन्दी में ‘काम’ शब्द का एक अन्य अर्थ प्रचलित है; यह ‘काम’ शब्द, संस्कृत के ‘कर्म’ शब्द का प्राकृत अपभ्रंश वा रूपान्तर है, जैसे कार्य’ का ‘काज’, और उस का अर्थ ‘कर्म’ ही है; हिन्दी बोल-चाल में, दोनो शब्द ‘काम-काज’, एक साथ भी कह दिये जाते हैं; इस लिये, यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध हो ही जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निर्भ्रान्त असन्दिग्ध शब्द मैथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, और उस से अन्य पद, संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जैसे अंग्रेजी में ‘सेक्स-लव्’, ‘सेक्सुअल्’, ‘सेक्सुअली’, ‘सेक्सुएलिटी’, आदि । ‘सेक्स’ शब्द का आगम अंग्रेजी में कहाँ से हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं चलता; शब्द-कोशों में, प्रायः लैटिन भाषा का धातु, ‘सिकेरी’, काटना, इस का मूल बताया जाता है; यह ठीक जँचता नहीं; अजब नहीं जो संस्कृत ‘शक्’, ‘शक्ति’, से ही इस की उत्पत्ति हो; क्योंकि सृष्टि करने की पारमात्मिक ‘शक्ति’ और ‘काम’ एक ही पदार्थ है । पर, हाँ, जैसे परमात्मा और जीवात्मा में, तात्त्विक ऐक्य होते हुए भी, प्रातिभासिक भेद है, वैसे ही पारमात्मिक सांकल्पिक सूक्ष्म काम में और जैवात्मिक शारीर स्थूल काम में भी बड़ा भेद है । ❀

‘सेक्स’ शब्द का संस्कृत में ठीक अनुवाद स्यात् ‘लिङ्ग’ शब्द हो; दोनो शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा में, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना

❀ अरबी फ़ारसी में एक प्रसिद्ध शब्द ‘शख्स’ है, जिस का अर्थ है मानव-व्यक्ति; अजब नहीं जो, घूम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध ‘सेक्स’ से हो ।

करी जा सकती है; यथा, 'मेल-फीमेल-न्यूटर', तीन 'जेन्डर', अंग्रेजी व्याकरण ('ग्रामर') में, और वही तीन 'सेक्स', प्राणिशास्त्र ('बायॉलोजी') में, माने हैं; और संस्कृत में भी वही तीन, पुम्-स्त्री-नपुंसक 'लिङ्ग' कहे हैं; परन्तु, जैसे 'सेक्स' से 'सेक्सुअल्' आदि शब्द बनाये गये हैं, और उन का अर्थ 'काम-सम्बन्धी,' 'कामिक', आदि मान लिया गया है, वैसे 'लिङ्ग' शब्द से 'लैङ्गिक' आदि बना कर उन अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ, और अब करना बेटव और भ्रमकारक होगा; और भी, 'लिङ्ग' शब्द का प्रयोग दो विशेष अर्थों में अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष की जननेन्द्रिय के लिये, (स्त्री की नहीं), दूसरा सामान्यतः 'लक्षण', 'चिह्न', के लिये । 'लिङ्ग' शब्द की व्युत्पत्ति, (पुनः पुनः आविर्भूय, पुनः पुनः) 'लयं गच्छति इति', कही जाती है; परमात्मा का स्वभाव, उस की त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिविधा शक्ति, उस का 'लिङ्ग' है, व्यञ्जक चिह्न वा लक्षण है; और उस प्रकृति में उदय लय, आविर्भाव-तिरोभाव, व्युत्थान-निरोध, बढ़ना-घटना, फूलना-सूखना, विकसना सिमटना, फैलना-सकुचना, होता रहता है; एवं स्त्रीत्व पुरुषत्व का विशेष शारीर लक्षण, 'लक्ष्यते अनेन इति', उन का 'लिंग' है; पर, जैसा अभी कहा, इस अर्थ में, यह शब्द, पुरुष के सम्बन्ध में ही कहा जाता है । शिव के विषय में पुराणों में कहा है, "लिंगो, बेरे च, पूज्यते"; अनन्त सृष्टि की शक्ति के आधारभूत लिङ्ग के रूप में भी, और बेर अर्थात् मुख के रूप में भी, शिव की पूजा की जाती है; भारतवर्ष में लिङ्ग के रूप में ही अधिकतर पूजा देख पड़ती है: किसी तीर्थ स्थान में (यथा मथुरा के कुछ मन्दिरों में) 'पञ्च-ब्रह्म' अर्थात् 'पञ्च-मुख' मूर्ति के रूप में, जिन से पाँच महाभूतों की सूचना होती है, यह पूजा की जाती है । जिस स्त्री-योनि के आकार की वेदी के ऊपर बहुधा यह शिवलिङ्ग की मूर्ति मंदिरों में रक्की रहती है, उस को 'लिङ्ग' नहीं कहते, 'योनि' ही कहते हैं । सर्जन-शक्ति की दृष्टि से, यदि 'सेक्स' शब्द का आगम 'शक्', 'शक्ति,' रचना कर 'सकना', से हो, तो 'सेक्स' के लिये 'लिङ्ग' शब्द ठीक होता है; पर उक्त अन्य विचारों से यह भ्रम-कारक होगा । ऐसी ही आपत्ति, 'शक्ति' शब्द के सम्बन्ध में

है, यद्यपि ‘शक्ति उपासना’ का वाममार्गीय रूप घोर ‘कामोपासना’ ही है। इस लिये काम’ और ‘स्मर’ शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस में भी, ‘काम’, ‘कामीय’, ‘कामिक’, ‘कामिकता’, ‘कामुक’, ‘कामुकता’ आदि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि ‘काम-शास्त्र’ शब्द ऋषि-सम्मत है। धर्म-अथ-काम का त्रिवर्ग है। समय-समय पर ‘मैथुन्य’, ‘मिथुनीय’ ‘मैथुनीय’ ‘मिथुनीयता’ आदि से भी कार्य लिया जा सकता है।

काम के दो तीन सस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है। (पृ० १७८-१८६, १६२)। अमरकोष आदि में ये नाम दिये हैं,

मदनो, मन्मथो, मारः, पूद्युम्नो, मीनकेतनः,
कंदर्पो, दर्पको, ऽनङ्गः, कामः; पञ्चशरः, स्मरः,
शंबरारिर्, मनसिजः, कुसुमेषुर्, अनन्यजः,
पुष्पघन्वा, रतिपतिः, मकरध्वजः, आत्मभूः,
ब्रह्मसूः, विश्वकेतुश्च, वसन्तसखः इत्यपि,
लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, विश्वकसेनात्मजश्च सः।

प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभूः; अनन्यजः, ब्रह्मसूः, लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, स्मर आदि, आत्मात्मिक अर्थों से भरे हैं; आत्मा से, परमात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप ही, शक्ति है; दूरसे किमी से नहीं जन्मता; ‘आत्मा अन्यन्-न्, अनन्य’ है, इस ध्यान में ही ‘अन्यत्’ को पैदा करने वाला ‘अनन्य-भूः’ काम छिपा है; “कामस् तदग्रे समवर्त्तनाधि” (वेद); ब्रह्म से, परमात्मा से पदा हो कर, ब्रह्म को, वेद को, पैदा करता है; ‘काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः” (मनु); लक्ष्मी से, धन-दौलत से, अधिक बढ़ता है; और ‘शिव’ का, कल्याण का, द्रोही हो जाता है, कुमांगे में, पाप की ओर ले जाता है। प्रसक्त प्रयोजन के लिये, ‘स्मर’ शब्द अच्छा जान पड़ता है; इस की व्युत्पत्ति, भानु दीक्षित ने, अमरकोष की टीका में, “स्मरयति, उत्कठयति”, लिखी है। ठीक है; पर यों भी अर्थ लगा सकते हैं—ब्रह्म की, परमात्मा की, ‘स्मृति’ में, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, अवधारण में, समस्त संसार, सर्वथा-सर्वदा-सर्वत्र, भूत-भविष्य-वर्त्तमान,

सभी वर्तमान है; उस स्मृति, स्मरण, स्वप्न, संकल्पन, का ही नामान्तर 'काम-संकल्प' है* । "सोऽकामयत, बहु स्यां, प्रजायेय इति" (उप०) ।

इस निष्क्रम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक जगत् की क्रम-त्रय-मयी, त्रिकालवती, भूत-भवद्-भविष्य-क्रम-त्रय-मयी त्रिविक्रमी, 'माया'-मयी, उत्पत्ति-स्थिति-संहति देख पड़ती है ।

क्रमत्रय-समाश्रय-व्यतिकरेण, या सन्ततं
क्रम-त्रितय-लङ्घनं विदधती, विभाःयुच्चकैः,
क्रमैकवपुर् अक्रम-प्रकृतिर् एव या शोभते,
करोमि हृदि ताम् अहं भगवतीं परां संविदम् ।

(कारमीर-संस्कृत-सीरीज़ मे छपे 'ज्ञानगर्भ' नामक ग्रन्थ का श्लोक, शिवसूत्रविमर्शिनी नामक ग्रन्थ मे उद्धृत, पृष्ठ २१ पर)

परमात्मस्वरूपिणी, ब्रह्मप्रकृतिस्वरूपिणी, उस संविद् भगवती, चेतना देवी, का हृदय मे ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का प्रत्यक्ष शरीर तो त्रिकाल का क्रम है, किन्तु आभ्यन्तर-तात्त्विक स्वभाव जिस का 'अक्रम' 'क्रमाभाव', 'सकृत्प्रभात', 'एकरस', 'अखंड' है; जो क्रम-त्रय का आसरा ले कर, त्रिविक्रम के त्रिक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध प्रकार का व्यतिकर, मिश्रण, युग के भीतर युग, कल्प के बाहर कल्प, तथा व्यतिकर, विरोध, खंडन भी, करती है; और जो परमार्थतः सतत, सदा, तीनों क्रमों का उलङ्घन किये हुए, उन के पार, एक रूप से स्थित रहती है ।

परमार्थ तात्त्विक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्मर' का यह स्वरूप है ।

संसारार्थ व्यावहारिक दृष्टि से, संतान की उत्पत्ति करने वाला, इच्छा-

* प्रसिद्ध जर्मन 'क्लिंलासोफर', दार्शनिक, शोपेनहावर ने 'विल' और 'आइ-डीया'(वा'इमैजिनेशन')शब्दों से इस भाव का अनुवाद किया है; उपनिषदों के असमीचीन विकलांग अनुवादों के ही, जिन्हें फ़्रांसीसी सज्जन ऐड्केटिल् डु-पेरों ने लैटिन भाषा मे पहिले पहिल किया, पढ़ कर, शोपेनहावर उन का निंतान्त भ्रम और मुककण्ठ स्तोता हो गया था; यदि मूल बैदिक उरुस्वन उरुगाथ गुर्वथ शब्दों को पढ़ समझ सकता तो क्या कहना था ।

रूप काम-संकल्पऽात्मक भाव, 'कान्त-कान्ता-स्मरणेन उद्दीग्यते', क्लामित स्त्री वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये 'स्मर' कहाता है ।

ध्यायतो विषयान् (पुंसः संगस्तेषूपजायते,
संगात्)संजायते 'कामः', (कामात् क्रोधोऽभिजायते) । (गीता)

केचित् कर्म वदन्ति एनं, स्वभावम् इतरे जनाः,
एके कालं, परे दैवं, पुंसः 'कामम्' उताऽपरे ।

(भागवत, स्कं० ४, अ० ६)

ज्ञानं, मायां, प्रधानं च, प्रकृतिं, शक्तिं अपि अजां,
अविद्याम्, इतरे पादुर्वेदतत्त्वार्थचिंतकाः ।

(देवी भागवत, स्कं० ८, अ० ३२)

धर्ममूलो-ऽर्थः इत्युक्तः, कामो-ऽर्थफलम् उच्यते,
संकल्पमूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयाऽात्मकः ।

(महाभारत, शांति, अ० १२३)*

विषयों का ध्यान स्मरण करने से उन की और इच्छात्मक, कामना-रूप, 'काम' पैदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर 'काम' है; जगत् का पति, अनिर्देश्य, सर्वग, सर्वव्यापी, सर्वत्रगामी, सर्वभावन, सब हृदयो मे सोने जागने वाला, रुद्र-क्रोध का जनक भी और जेठा भाई भी, 'काम' है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैं, कोई दैव, कोई कर्म; काल, ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, अविद्या, सब इसी 'काम' के आकारो प्रकारो के नाम हैं; मानव जाति के लिये, धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल 'काम' है; सब का मूल 'संकल्प' है; संकल्पन, 'विषया' का होता है ।

'काम' की, 'स्मर' की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय । यदि केवल अधिभूत भाव से देखा वर्त्ता जाय, तो, इस के विपरीत, वैसी ही असीम इस की लुद्रता, पशुता, है । यदि अधिदेव भाव

* पूर्व पृ० १८१ मे इस विषय पर अपर (और) श्लोक भी दिये हैं ।

से, ज्ञान-विवेक विचार से, अध्यात्म अधिभूत का समन्वय कर के, इस का आराधन किया जाय, तो,

• धर्माऽनपेतः कामोऽस्मि भूतानां, भरतर्षभ ! (गीता)

ऐसे धर्म सम्मत काम की हो उचित शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि वह, धार्मिक गार्हस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक ऐहिक और आमुष्मिक दोनो सुखो का साधक है; तथा धर्म-रहित धर्म-विरुद्ध काम वैसा ही दोनो सुखों का बाधक और नरक का प्रापक है । छोटे-बड़े शिष्यों के वयस् की अपेक्षा से, प्रकार मे भेद होना भी आवश्यक है । यह प्रकार क्या है, इस पर बहुत विचार, अनुभवी वृद्धों को करना चाहिये ।❀

ऊपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चर्चा, बिना देश-काल-पात्र के विवेक के, करने मे बहुत दोष हैं । 'उभयतः पाशा-रज्जुः', 'खाय तो पछताय, न खाय तो पछताय' । यह कथा समस्त 'ससार'-पदार्थ ही की है । 'दुनिया भूठी है', 'माया का जंजाल है'—यह अन्त मे सभी को स्वभावतः कम-बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पारंगत को भी, और अनपढ़ को भी; 'संस्रण' का, जगत् के विस्तार का, प्राणियों के वंशानुवंश सन्तान का, भोग-विलास का, धर्म और अर्थ का, मूल हेतु काम ही है; सामान्यार्थ 'अविद्या', 'इच्छा', 'वासना', 'माया-शक्ति', के रूप मे भी, तथा विशेषार्थ, स्त्री-पुमान् की परस्पर मिथुनता, संग, साथ, सुरत, व्यवय, की इच्छा के अर्थ, और अधिक तीक्ष्ण रूप, मे भी । पहिले (पृष्ठ १८३ पर) कह आये हैं, कि वैदिक कर्मकाण्ड का भी प्रयोजक हेतु काम ही है; तथा इस के दोष भी स्पष्ट हैं; अति काम से अति सन्तान-वृद्धि, तथा काम की सेना, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर आदि, की अति वृद्धि, और तब परस्पर बड़े बड़े युद्ध और संहार ।

ऐसे ही, स्त्री-पुं-काम-सम्बन्धी शिक्षा, अल्प-वयस्को, कम-उमरों, को

❀ अपने मत की सूचना, इस अध्याय के अन्त मे, परिशिष्ट मे, की जायगी ।

देने में भी, न देने में भी, उभयतो दोष हैं । वयस्थो, युवा, युवतियों, विवाहोन्मुखों, के लिए तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही । छोटे लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध में संशय होता है । एक और यह आपत्ति है कि, इस विषय का सर्वथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी, युवा, युवती, बड़ी-बड़ी भूल-चूक में पड़ जाते हैं, क्रूर पापिष्ठो के शिकार बन जाते हैं, और सारी उमर शरीर में रोग, चित्त में विकार, हृदय में धँसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, घृष्ट, बेहया, कामुक हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही, अथान (अज्ञान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरों से इस विषय की चर्चा की जाती है, तो उन के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है; बालको की अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, और अपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; और इस रीति से भी वे अनाचार में पड़ जाते हैं ।

यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत लुण्ण-क्षोद हो रहा है, कि अल्पवयस्कों को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकार से, किस हद तक । संसार की द्वंद्वमयता के कारण, गुण-दोष, पुण्य-पाप, उजेल-अंधेरा, सब जगह परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर पैवस्त, हैं; वही वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था में लाभदायक, दूसरी में हानिकारक, होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जो सर्वथा शुद्ध केवल गुणमय हो, वा निरा केवल दोषमय; देश-काल-पात्र-अवस्था-सम्पत्काल-आपत्काल आदि देख कर, जिस प्रकार में गुण अधिक, दोष कम, जान पड़े, वही पकड़ना चाहिये ।

पात्र-कर्म-विशेषण, देश-कालौ अवेच्य च,
 स एव धर्मः, सोऽधर्मः; धर्मो हि आवस्थिकः स्मृतः ।
 अन्यो धर्मः समस्थस्य, विषमस्थस्य च-परः ।
 नहि कश्चिद् उपायोऽस्ति गुणवान् एव केवलं,
 न च दोषमयो वापि, तस्माद् ग्राह्यो गुणाधिकः ।
 (म० भा०, शांति)

भारतवर्ष की अवस्था की भी देखना चाहिये । होली पर, दो तीन दिन के लिए, सब मर्यादा छोड़ कर, अश्लील शब्द और गीत, गली-गली पुकारे और गाये जाते हैं । छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं । मा, बहिन, बेटी की गालियाँ, और जननेन्द्रिय सम्बन्धी अभद्र शब्द, अनपढ़ लोगों के मुँह से, और कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों के भी मुँह से, गलियों में, सड़कों पर, गाँवों और शहरों में, बच्चों, जवानों, प्रौढ़ों, बूढ़ों के मुँह से, अक्सर सुन पड़ते हैं । चिड़ियों की, मुर्गों की, तथा अन्य पशुओं की, कुत्तों, वानरों, गाय-बैल, बकरे-बकरी, गधा-गधी, की, मैथुन-क्रिया, गाँवों में, शहरों में, बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी को बहुधा देख पड़ती है । काशी ऐसे बड़े 'तीर्थ' स्थान में, मकानों और बागों की दीवारों पर, गज-गज भर लम्बे चौड़े हरफों में, 'नामर्दी की दवा' के इश्तिहार नज़र आते हैं । बच्चों को कुतूहल स्वाभाविक होता है, प्रश्न करते हैं, 'नया बच्चा कहाँ से आया?', 'ब्याह क्यों होता है?' 'बड़ी बहिन, ब्याह होने पर, दूसरे घर क्यों चली गई?', 'बड़े भाई का ब्याह हो कर नई स्त्री इस घर में आ कर क्यों रहने लगी', 'यह लोग अलग कोठरी में क्यों सोते हैं?', इत्यादि; उन के वृद्ध गुरुजन, विशेष कर माता-पिता, जिन के और सन्तान के बीच पराकाष्ठा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (—और माता और उस की सन्तान के बीच में प्रायः होता भी है, जिस ने नौ महीने तक बच्चे को अपने गर्भ के भीतर रक्खा है, और प्रसव के बाद भी, पाँच-पाँच सात-सात वर्ष तक, उसका एक-एक अंग धोया पोंछा है, उसको स्तन से दूध पिलाया है, उस से क्या दुराव बराव हो सकता है, कौन बात छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये ?—), जिन्हीं को उन का उत्तर, शिक्षा के रूप में, उत्तम रीति से, देना चाहिये, वे स्वयं शर्मते हैं, उचित उत्तर जानते नहीं, देते नहीं, बहाने कर देते हैं, भुलावा देने का, बहला देने का, यत्न करते हैं । बच्चे समझ जाते हैं कि झुठका दिया, दूसरे सयानो (सज्ञानो) से पूछते हैं, जो बहुधा अनुचित उत्तर देते हैं, कुचाल सिखा देते हैं, उन का चारित्र्य भ्रष्ट कर देते हैं ।*

* परिशिष्ट १ देखिये ।

‘कोक-शास्त्र’ आदि के नाम से ग्रन्थ, अब, आम तौर से छुप और विक रहे हैं, जो बहुतायत से खरीदे और पढ़े जाते हैं, और जिन में रति-क्रिया का ही वर्णन अधिक रहता है, धर्म्य-काम-विषयक संस्कृतीन सर्वाङ्गीण शिक्षा नहीं; साहित्य में भी स्त्रियों का ‘नख-सिख’ वर्णन और अनावृत लेख बहुत होता रहा है; ‘साइनेमा’ में नग्नप्राय स्त्रियों पुरुषों का प्रदर्शन, पश्चिमी देशों के अनुकरण से, बहुत होने लगा है। पचास साठ बरस पहिले, यूरोपीय विद्वान्, और अंग्रेजी पढ़े भारतीय, मध्यकालीन संस्कृत और हिन्दी काव्यों में ऐसे ‘नख-सिख’ वर्णन को बड़ी घृणा से देखते थे। पर, यूरोप अमेरिका में तो अब बिलकुल हवा बदली है; यहाँ तक कि कुछ वर्षों से, ‘न्यूडिज़्म’ (nudism) अर्थात् ‘नग्नता’ का एक नया पन्थ-सा चला है, जिस के अनुयायी स्त्री और पुरुष, ‘मादरजाद’, नवजात, बच्चे के ऐसे सर्वथा वस्त्र-रहित, एक दूसरे के साथ उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, खेलते, दौड़ते हैं; ‘प्रूडरी’, अति लज्जा, की आत्यंतिक कोटि से जो हटे, तो पशुवत् नग्नता की नितान्त निस्त्रपता, बेशर्मी, की दूसरी आत्यंतिक कोटि से जा सटे; भारत में भी, हरद्वार, मथुरा, आदि तीर्थ स्थानों में, स्त्रियों (पुरुष नहीं) सब वस्त्र उतार कर गंगा यमुना में नहाती देख पड़ती हैं; समाचार पत्रों में, एक ओर कामवर्धक, नग्नप्राय स्त्री पुरुष के, चित्र, और वृष्य, वाजीकरण, औषधों के इशितहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की चिकित्सा के विज्ञापन, बहुत छुपते रहते हैं, जिन औषधों के सेवन से दुराचार और रोग प्रायः बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अल्पवयस्कों का जीवन नष्ट-भ्रष्ट होता है, क्रूर लोभी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेबे भरती हैं। साथ ही, अजीर्ण, मंदाग्नि, जोफ-मेदा, की दवाओं के इशितहार बहुत रहते हैं; यूरोप अमेरिका के दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों में भी, इन्हीं दो से, उपस्थ और उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओं के, तरह तरह से, नाम और रूप बदल बदल कर, बहुतेरे विज्ञापन, इशितहार, ‘ऐडवर्टिज़-मेंट’, रहते हैं। निष्कर्ष यह कि, इन विज्ञापनों से भी पुनर्वार यही सिद्ध होता है कि, मनुष्यों की प्रायः नव्वे फी सदी बीमारियों, जिह्वा और उपस्थ के दुरुपयोग से ही होती हैं, और इन का दुरुपयोग बहुत हो रहा है।

यह दशा भारतवर्ष की है ।

पश्चिम के देशों की हालत का नमूना दिखाने के लिए, अमेरिका के 'कॉरेंट हिस्ट्री' नामक मासिक पत्र के, सन् १९३७ ई० के दिसम्बर महीने के अङ्क में छपे हुए, डाक्टर टोलनाइ के लेख से कुछ अंश का उद्धरण यहाँ पर किया जाता है ।

“यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में, (जिस की आबादी अब करीब बारह करोड़ के है), प्रायः सौ में दस व्यक्तियों (स्त्रियों, पुरुषों) को 'सिफिलिस' ('उपदंश', 'गर्मी'), और बीस फी सदी को 'गोनार्हिया' (सोजाक) का मर्ज है, यानी कुल आबादी में से प्रायः तीन करोड़ से अधिक ऐसे रोगी हैं । पाँच लाख नये रोगी हर साल होते हैं; अकेले 'न्यू-यार्क' महानगर में (जिस की आबादी करीब सत्तर लाख है) हर हफ्ते में एक हजार । पागलखानों में पन्द्रह फी सदी 'सिफिलिस'—जनित 'पारेसिस' (एक प्रकार के पक्षाघात, लकवा, फालिज) से पीड़ित हैं । अन्धों में पन्द्रह फी सदी, और दुर्बल-नेत्रों में चालीस फी सदी, का कारण भी 'सिफिलिस' है । जन्मान्ध बच्चों में साठ फी सदी की अन्धता का कारण 'गोनार्हिया' है । प्रायः दो लाख हर साल 'सिफिलिस' से मर जाते हैं । एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अट्टासी कुटुम्ब जाँचे, तो केवल आठ कुलों में 'सिफिलिस' नहीं पाया । कितने ही पुरुष नामदं और कितनी ही स्त्रियाँ बन्ध्या, इन रोगों के कारण हो जाती हैं । यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्मेंट का दस करोड़ 'डालर', अर्थात् तीस करोड़ रुपया (१ डालर = ३ रुपया) सालाना ऐसे रोगियों के इलाज पर खर्च होता है; इस के अलावा साढ़े सात करोड़ रुपया, इन रोगों से अपाहज हो गये रोगियों को बिन्दा रखने वाली शालाओं और संस्थाओं पर; तथा पचीस करोड़ रुपया सालाना इन मरजों में गिरिफ्तार हुए मजदूर, 'काम न करने के दिनों की मजदूरी के रूप में, खो देते हैं । जो डाक्टर इन मरजों का खास इलाज करते हैं, वे प्रायः घृणा की निगाह से समाज में देखे जाते हैं, (इस हेतु से कि, घृणा का रूप ला कर, रूप लाने वाला सब को यह जताना चाहता है कि, मैं इन सब गन्दी बातों से बिलकुल पाक व साफ

हैं)। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा करने के लिए एक मरीज़ से प्रायः पाँच सौ से साढ़े सात सौ डालर लेते हैं; जो अपने को 'स्पेशलिस्ट', विशेषज्ञ, सिद्धहस्त, कहते हैं, वे तो अमीरों का ही इलाज करते हैं, और पन्द्रह सौ से दो हजार तक डालर माँगते हैं। क़रीब डेढ़ अरब, यानी डेढ़ सौ करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट' दवा, जिनमें अधिकांश इन्हीं रोगों की होती है, हर साल बिक जाती है। बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों में मुफ्त सलाह देने की लालच पहिले देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के चंगुल में फँस गया तब, सैकड़ों रुपये ऐंठते हैं। साठ हजार 'प्राइवेट', निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और इन में प्रायः चार लाख रोगी प्रति वर्ष फँस कर अपना धन भी और रहा सहा स्वास्थ्य भी गँवाते हैं। डाक्टरों और नक़ली चिकित्सकों का गुट-सा बना हुआ है। इलाज के लिए बहुत सूद पर कर्ज़ दिला कर भी रोगी ठगे जाते हैं। माता-पिता के इन रोगों से रुग्ण होने से, पच्चीस हजार बच्चे प्रति वर्ष गर्भ में ही मर जाते हैं; सौ पीछे, दो बच्चों को जन्म से ही ये रोग रहते हैं; न्यूयार्क के स्कूलों में प्रति वर्ष प्रायः छः सौ लड़के इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण (छूत) के भय से, स्कूलों से अलग कर दिये जाते हैं। वेश्याओं द्वारा ये रोग बहुत फैलते हैं; यह कहना सम्भव नहीं कि न्यू-यार्क नगर में (जिस की आबादी, जैसा पहिले लिखा, क़रीब सत्तर लाख है) कितनी पर्य-स्त्री हैं, (एक लाख से अधिक का अनुमान ग्रन्थकार अन्वेषकों ने किया है; लन्दन, पेरिस, बर्लिन, वियेना, शिकागो, टोकियो, आदि महानगरों और 'राजधानियों' की, सब की ऐसी ही कथा है); सन् १९३४ में साढ़े तीन हजार ('कसब' से, शरीर बँचने से, जीविका करने वाली) 'कसत्री' स्त्रियों पर, उन के पेशे सम्बन्धी क़ानूनो के खिलाफ़ काम करने के लिए, मुकद्दमे चलाये गये; इन में से अस्सी फ़ी सदी को संक्रामक गुप्त रोग थे; किसी किसी ने एक एक दिन में बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था। 'चकला' ('चक्र', 'भैरवी चक्र', 'कसबखाना', अंग्रेज़ी में 'ब्राथेल') चलाने वालों का प्रायः खास-खास डाक्टरों से साक्षा-समभौता रहता है। बहुत महँझ

होने से, इलाज, पूरा-पूरा, बहुतेरे रोगी नहीं करा पाते । या डाक्टर बनने वाले भूटे ठगों के हाथ में पड़ कर अधिक क्लेश भोगते हैं । ऐसे रोगों के सम्बन्ध में शर्म करना और छिपाना लुकाना स्वाभाविक है, इसी से लुके छिपे डाक्टरों या मिथ्या डाक्टरों के हाथों में बहुधा रोगी पड़ जाते हैं । आरम्भ जैसे भी हुआ हो, पर अब यह दशा है कि, इन रोगों का संक्रमण, सौ पीछे पच्चीस तो वेश्याओं, परयस्त्रियों, कसबियों, के साथ संगम से होता है, पचास फी सदी विवाहों के द्वारा होता है, जिन में, अविवाहित अवस्था में दुराचार के कारण रुग्ण हुई स्त्री ने नीरोग पुरुष से, वा ऐसे ही रुग्ण पुरुष ने नीरोग स्त्री से, विवाह किया है; और बाकी पच्चीस फी सदी, विवाहित अवस्था में परदारगमन परपतिगमन से होता है ।”*

उस शुद्ध सच्चरित्र निर्दोष स्त्री, वा पुरुष, के चित्त को कैसा भारी

* यह उद्धरण, दिसम्बर १९३७ के, 'करेंट हिस्टरी' के; अंक से लिया गया । इसके सात वर्ष बाद, 'रीडर्स डाइजेस्ट' (न्यू-यार्क) के जनवरी १९४५ के अंक में, द्वितीय विश्व-युद्ध के अनुभवों के बाद, वेनी-रियल डिसीज़—फ़ार फ़्रॉम बीटन' शीर्षक लेख छपा है । निष्कर्ष उस का यही है कि, वैज्ञानिक डाक्टरों ने हज़ार-हज़ार जतन किये, नई-नई दवाएं निकालीं, जो रोगियों को निश्चयेन अच्छा कर भी देती हैं, तौ भी रोगियों की संख्या में कमी नहीं होती, गुह्य रोगों की चौतरफ़ा बाढ़ नहीं ही थमती, नित्य नये आदमी रोगी होते हैं, और पुराने अच्छे हुए रोगी भी फिर-फिर से उन्हीं रोगों से रोगी होते हैं, और कारण इसका यह है कि व्यभिचार दुराचार रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता है । निचोड़ तो वही पुरानी बात है, “कारणं चिकित्स्यं, न तु कार्यं”; रोग के कारण को दूर करो; जब तक कारण नहीं हटेगा, तब तक उसका कार्य-रूप रोग नहीं घटेगा । उक्त लेख का वैज्ञानिक लेखक अन्त में यही लिखता है कि जब तक समाज में, उत्तम शिक्षा के विविध प्रकारों से, सदाचार नहीं फैलाया जायगा, व्यभिचार दुराचार नहीं मिटाया जायगा, तब तक इन सर्वनाशक रोगों से छुटकारा नहीं होने का ।

आघात पहुँचेगा, जिस ने सरल सप्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, और फिर जाना कि ऐसी घोर क्रूर वञ्चना उस की की गई; कैसी मानभंग की, दैन्य की, क्रोध की, तरंगों उसके हृदय में उठेंगी, और उस के सारे जीवन को विकारमय, विषमय कर, देंगी। जिस समाज में ऐसा दुराचरण, वञ्चन, और तज्जनक व तज्जनित चित्तविकरण, और व अग्नि के ऐसा, बढ़ता फैलता जायगा, वह समाज क्यों न नरक में गिरैगा। हावेलाक एलिस ने अपने विशाल ग्रन्थ में, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वञ्चित स्त्री को इतना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को ऐसा शठ धूँत समझ लिया, कि छुब्वीस पुरुषों को लुभा बहँका कर उन के शरीर में गुह्य रोग का संक्रमण उस ने कर दिया। ऐसी ही वञ्चित पुरुषों की कथाएँ हैं। पाप की परम्परा, पाप का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का वंश, बढ़ाया जाय, और वंचितों के चित्त की दहकती आग का शमन, कर्म की गति, प्रारब्ध का दोष, क्षमा का असीम चित्तशोधक पापक्षालक प्रभाव, समझा कर, किया जाय।

‘आसुरी सम्पत्, शिष्टता, सम्यता’ की तस्वीर जो ऊपर ‘करेंट हिस्टरी’ के लेख में मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता में भी नहीं है। यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, जो अपने को शिष्टता, सम्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है। और बाह्य सामग्री, कल-कारखाने, धन दौलत, ऐश इश्रत, वायुयान, जलयान, स्थलयान, बाष्पयान, तैलयान, विद्युद्यान, तडिद् यन्त्र, शतभौम (सौ-मंजिले) भवन, आदि की दृष्टि से, है भी।

‘जननेन्द्रिय’ के इस दुरुपयोग के साथ ‘रसनेन्द्रिय’ की करतूत को भी याद रखना चाहिये। अकेले ब्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोड़ की, आबादी में, प्रायः साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की ‘शराब’ प्रति वर्ष उठ जाती है; ‘कबाब’ की भी इसी अनुपात से मात्रा है; करोड़ों पशु-पक्षियों की, मनुष्यों के आहारार्थ, प्रतिदिन हिंसा होती है; कुम्भकर्ण के रूपक

से, वाल्ट्मीकि जी ने, लङ्का की बस्ती का दैनंदिन मद्य-मांस का भोजन पान दिखाया है; आजकाल के पाश्चात्य नगरों की चर्चा के आगे, वह पसँगे में धूल है; ऐसे पापमय राजस आहार से, क्रूर काम-क्रोध के भाव बढ़ कर, मनुष्यों का परस्पर संहार, महायुद्धों में, होना अनिवार्य ही है। जज लिंड्से आदि अन्य लेखकों ने लिखा है कि युनाइटेड् स्टेट्स आफ् अमेरिका में प्रायः बीस लाख गर्भपात प्रति वर्ष कराये जाते हैं। यूरोप के सभी देशों की कम-बेश ऐसी ही दशा है। एक जर्मन लेखक, ऐवान ब्लाक, ने लिखा है कि जर्मनी में (जिस की आवादी, २०वीं शत, के आरंभ में ग्रन्थ लिखने के समय, प्रायः छः करोड़ थी), प्रति वर्ष प्रायः बीस लाख बच्चे 'कानीन' अर्थात् अविवाहिता 'कन्याओं' से, पैदा होते हैं। जर्मनी में 'मुटर-शुट्ज़ बु'ड्ज़', अविवाहिता माताओं के और उन के बच्चों के पालने के लिए संस्थाएँ, कायम हुई हैं। ब्रिटेन में भी 'आर्फ़न् होम्स', यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाह्य बच्चों को लोण छिपा कर छोड़ जाते हैं। एक दृष्टि से पुण्य-कार्य है, उचित है; दूसरी दृष्टि से, दुराचार व्यभिचार के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उस के दुष्फल से जो दण्डरूप क्लेश होता, उस के भय को, क्रूर दुराचारी व्यक्तियों के हृदय से मिटाता है, और सारे समाज पर, अथवा यों कहिये कि उस के दयालु सदाचारी अंश पर, जार-ज संतान के भरण पोषण के भार को फैलाता है; तथा, यतः अविवाहित, दुर्भाव से भावित, स्त्री-पुरुष से उत्पन्न संतान भी बहुधा दुष्प्रकृतिक होती है, ऐसे संतान की संख्या को, और दूषित प्रकृति की मात्रा को, समाज में बढ़ाता है; जैसे भारत में दान की महिमा गाते गाते, सारा देश भिखमंगों से भर गया, और बहुत आव-

ॐ 'दि सेक्सुअल् लाइफ़् ऑफ़् अवर टाइम' नाम के ग्रन्थ में। इस में विशेषकर जर्मनी की अवस्था का वर्णन है, और इस का अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में हुआ है। इसी बृहत्लेखक का ऐसा ही ग्रन्थ, इससे अधिक विशाल, ब्रिटेन के कामीय जीवन और कृतियों का वर्णन करता है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है, उस का अंग्रेज़ी अनुवाद छपने नहीं पाया था; इधर बीस-पच्चीस वर्ष के अन्दर छपा हो तो खबर नहीं।

शक हो गया कि, संतोष करने की, दान न माँगने की, और सुपात्र परिश्रमी सुकार्यकर्त्ता को ही दान कहिये, हक या मुआविजा या उज्रत कहिये, भृति वा अर्थ कहिये, देने की, महिमा सदा गाई और सुनाई जाय ।

यह बात देखने को है, कि रूस (रशिया) देश मे आज काल गर्भपात करा देने का, स्त्रियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय मे स्त्रियाँ अपने शरीर पर ईश्वर है*; जर्मनी मे आजकाल यही काम कानून से जुर्म बनाया गया है, और इस के लिए कड़ा दण्ड रक्खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, और उस के लिए अधिकाधिक संख्या मे मनुष्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि देशों मे, ऊपर से तो यह गर्भ-पातन-कर्म निषिद्ध है, पर, 'महाजन' (सर्वसाधारण, 'पब्लिक') का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रायः शिथिल हो गई है । दृष्टि-भेद से व्यवहार मे भेद होता है । भारतवर्ष मे, राजमहलों, रनवासों, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के मन्दिरों और समागम के स्थानों मे, दुराचार व्यभिचार और रोगसंचार बहुत सुनने मे आता है । एक ओर जानी हुई कलावंत नर्तकी और वारांगना, 'तायका', के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, म्युनिसिपल बोर्डों मे नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से बाहर कर दी जाय; दूसरी ओर, छिपा व्यभिचार और कला-विद्या से शून्य परयस्त्रियों का रोजगार

* इधर दस बारह वर्षों से, रूस मे हवा बहुत बदली है; द्वितीय आत्यन्तिक कोटि से लौट कर, दोला-न्याय से, पुनः मध्यमा वृत्ति की ओर विचार झुक रहा है; कौटुम्बिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों मे । अनुभव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, मिलती है । अब विवाह-विच्छेद सर्वथा मना तो नहीं, पर कम किया जा रहा है; विशेष कारणों पर ही स्वीकृति, राष्ट्र की ओर से, दी जाती है । ऐसे ही, गर्भ-पातन के लिए भी ।

गली-गली में बढ़ता सुन पड़ता है । वेश्यागामी पुरुषों के दंड की फिक्र नहीं होती । *

भारतवर्ष में, सन् १९३४ की गवर्मेंटी रिपोर्ट के अनुसार, समग्र अस्पतालों में चिकित्सित समस्त आतुरों की सम्पूर्ण संख्या प्रायः अस्सी लाख हुई, और उस में प्रायः आठ लाख रोगी गुप्त रोगों से व्याधित थे, अर्थात् दशमांश । निश्चयेन इस से बहुत अधिक ऐसे आतुरों ने, अस्पताल न जा कर, घर पर ही दवा करा ली होगी; तौ भी इन की सकल संख्या प्रायः तीस लाख से अधिक न होगी; अर्थात् संख्या में भी, और अनुपात में भी, अमेरिका के दशमांश से अधिक न होगी ।

भारत में उन्माद के रोगियों की भी संख्या यूरोप अमेरिका के मुकाबिले, प्रतिशत अनुपात में दशमांश से कम ही है । और भी; यूरोप अमेरिका में ये गुप्त रोग जैसे उग्र, विकट, प्राणघातक रूप में देख पड़ते हैं, वैसे भारत में नहीं; पर अब इन की भीषणता यहाँ भी बढ़ती जाती है; और दुराचार व्यभिचार भी बढ़ते ही सुन पड़ते हैं । कुछ वैद्यों डाक्टरों का कहना है, कि 'सिफिलिस,, 'उपदंश', भारत में पहिले नहीं था; पुर्तगालियों, फ़रासीसियों, के साथ यूरोप से आया; पहिले 'फ़िरंग' रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ़्रांस देश के वासी फ़रासीसी लोग 'फ़्रेंच' 'फ़्रांक' कहलाते थे । पर इस में सन्देह है; इन्द्र

* "यु० स्टे० अमेरिका में, प्रायः १२ कोटि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष प्रायः ३६५ कोटि डालर, बीमारदारी में खर्च होते हैं, अर्थात् ३० डालर (६० रुपये) प्रति मनुष्य, औसतन्"; Human Affairs, (1937) edited by Dr. Cattell, Cohen, & R. M. W. Travers; p, 124 in the paper on 'Medical Progress and Society' by Sir Henry Brackenbury. पाठक सज्जनो को याद रहे कि ऊपर जो लिखा है वह द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रलयंकर भूकम्प और मानव-समाज के अध-रोत्तरी-करण से पहिले का हाल है । इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या दशा होगी यह कहना इस समय (मई १९४५) में असम्भव है; पर यह निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहीं बदलेंगे ।

को, अहल्या के साथ प्रथम ही व्यभिचार के कारण, बिना 'छूत' से संक्रमण के, सहस्र ब्रह्म हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर (पृ० १६०) पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणों में लिखा है, कि 'अहल्या' को जब अपनी घोर वञ्चना विदित हुई, और अपने पति गौतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी', 'टेटेनस') हो गई, और वह बहुत वर्षों तक निस्संज्ञ पाषाणवत् पड़ी रही; (ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी लिखा है); राम जी के पैरों के शुद्ध ओजस्, 'मैमो-टिज़म', से होश में आई। तथा, इन्द्र के (इन्द्र शब्द 'राजा' के लिए भी शब्द-कोष में कहा है) अण्ड-कोष सड़ कर गिर गये; तब देव-वैद्य अश्विनीकुमार ने मेष के वृषण कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'मेष-वृषण' भी हो गया। जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्चात्य डाक्टरों ने, वानरों, तथा बकरों, भेड़ों, सागड़ों, के वृषणों के द्वारा आरम्भ किया है, उस की विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है। इस कथा का आधिदैविक अर्थ, स्यात् मेष-राशि और, 'वर्षति इति वृषणः', वर्षा से कुछ सम्बंध रखता हो। प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, दस पन्द्रह वर्ष तो यह चिकित्सा यूरोप में खूब चली; जीते पशुओं के, विशेष कर वानरों के, अंडकोष निकाल कर, उन के टुकड़े काट कर, रगण वा दुर्बल मनुष्यों की जाँघ में या पेट के नीचे के भाग में, चमड़ा चीर कर, उन टुकड़ों को जमा कर, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते हैं; स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के रजःकोष, 'ओवरी' के टुकड़ों को। पर अब उस में बड़े दोष नज़र आने लगे हैं; कुछ समय तक उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद और रोग हो जाता है; स्यात् चिकित्सा के बाद यदि संतति हो, तो उसमें वैसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए धीरे-धीरे उस का अनुष्ठान घटने लगा है। यही दशा प्रायः सभी उग्र 'पौष्टिक' कहलाने वाली अस्वाभाविक औषधों, और शुकुपान रजःपान*

* यह प्रकार भी, 'वाजी-करण' (और बड़वा-करण) के उपायों में,

आदि चिकित्सा के प्रकारों, की है ।

यत्तदग्रेऽमृतमिव परिणामे विशेषमम् । (गीता)

पाश्चात्य डाक्टरों का कहना है, जैसे डाक्टर टोलनाइ का, पूर्वोद्धृत लेख ही में, कि यदि समाज और शासकवर्ग एक मन हो कर यत्न करें, तो इन गुप्त रोगों की संक्रामकता रोक दी जा सकती है, और चिकित्सा भी बहुत सहज में और सस्ते में हो सकती है । पर आश्चर्य यह है कि कोई पाश्चात्य, वा अब पौरस्त्य भी, सज्जन महाशय यह नहीं कहते, कि सब एक दिल हो कर यह यत्न करें कि वह दुराचार व्यभिचार ही उठ जाय, नहीं तो कम ही होजाय, जिस के कारण यह रोग फैले और फैल रहे हैं । प्रायः इन लोगों ने मान रक्खा है कि दुराचार व्यभिचार को कम करना असम्भव है, तथा यह भी मान लिया है कि रोग न उत्पन्न होने पावे तो ये कर्म ‘दुराचार’-पद-वाच्य ही न रहें, निर्दोष हो जायें, या तो सदाचार की कोटि में ही आ जायें, नहीं तो स्वाभाविक आचरण मात्र कहलावें, जैसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, भूख लगने पर खा लेना, मच्छड़ काटने पर खुजला लेना, वैसे शहवत होने पर, किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री का सगम कर लेना ।

यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि मनुष्य और जगत् केवल आधिभौतिक, ‘मैटरियल,’ ‘फिज़िकल’ है, तथा मनस्-अहंकार-बुद्धि-रूप चित्त, ‘माइंड,’ की उत्पत्ति, ‘मैटर,’ ‘मात्रा’ जड़, से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुष्ट हैं, जैसा गीता में आसुरी प्रकृति वालों के वर्णन में कहा है,

अपरस्परसम्भूतं, किमन्यत्, कामहेतुकम् ।

द्रव्यों के, अकस्मात्, केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर मिल जाने से बन जाता है, अन्य कुछ हेतु नहीं ।

आयुर्वेद और कामशास्त्र के ग्रन्थों में लिखा है । बहुत वर्ष हुए, मैं ने अपने ज्येष्ठ भ्राता, दिवंगत श्री गोविन्ददास जी से सुना था, कि दक्षिण के एक राजा, (जिन दिनों मेरे भाई उस रियासत में भ्रमण कर रहे थे) इस मानव-शुक्र-पान के अस्यासी थे ।

पर बहुतेरों का इसके विरुद्ध, यह निश्चय है कि मनुष्य और जगत् ‘आध्यात्मिक’, ‘स्फिरिचुअल’, और ‘आधिदैविक’ ‘स्युपर-फिज़िकल’, भी हैं; ‘मैटर’ ‘मात्रा’; ‘दृश्य’, ‘जड़’ पदार्थ सत्र, ‘आत्मा’ ‘चेतन’ ‘चित्त’ ‘स्फिरिट’ का क्रीडनक, खिलौना, क्रीड़ाभूमि. विहारस्थल, ‘विनोद-स्थान’, लीला का उपकरण मात्र है; ‘मैटर’, ‘मात्र’ ‘मात्रा’ शब्द की व्युत्पत्ति ही है कि ‘माति, खंडशः क्रमशः प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्रा’; ‘मीयते, अनुमीयते, प्रमीयते, आविष्क्रियते, आत्मशक्तिः अनेन, इति मात्रा’; जिस के द्वारा ब्रह्म की शक्ति की, दैवी प्रकृति की, परिमिति, नाप, प्रादुर्भाव हो, जो अनंत अखण्ड, एकरस पदार्थ को, अपनी सान्ता, खंडता, बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का अनन्त मिथ्या यत्न सदा करता रहे, वह ‘मात्र’; ‘मात्रा’, इस मात्रा का आधार, इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविर्भाव-तिरोभाव का, आधाता विधाता, इसकी सृष्टि-स्थिति-लय का हेतु, चेतन है; न कि चेतन का हेतु ‘मात्रा’, जड़; चित् के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर, ध्यान, व्युत्थान, जागरण करने से, यह ‘जड़’, ‘देह’, उत्पन्न होता है; उस के निद्रण, शयन, निरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है । और अब पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर ‘सायंटिस्ट’ वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं, कि ‘मैटर’-मात्रा-जड़ के ऊपर प्रभु, हाकिम, अधिष्ठाता ‘माइंड’, ‘इंटेलिजेन्स’, ‘स्फिरिट’, मनस् मानस, बुद्धि, आत्मा है ।* जिन का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे रोगों का मूल मानस विकार है, और चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं, औषधियों इनजेक्शनो वा अन्य उपायों से इन रोगों का प्रत्यन्त प्रादुर्भाव रोक भी जाय, पर सर्वथा न रुकेगा, और दुराचार व्यभिचार का घोर दुष्फल किसी न किसी रूप में, समाज को भोगना ही पड़ेगा । पर खेद, का घोर चिन्ता और महाभय का, विषय है, कि पूर्वोक्त ‘मैटीरियलिस्ट’

* सन् १९३४ ई० में, फ्रांसिस मेसन ने ‘दि ग्रेट डिज़ाइन’ नाम की पुस्तक प्रकाश की, जिस में विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों के पन्द्रह यशस्वी वैज्ञानिकों के लेख छपे हैं, जो, सब यह बात मुक्रकंठ ही से कहते हैं ।

'देहवाद' का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ता जाता है; जिस का परिणाम, चार्वाकीय उच्छृङ्खलता और समाजोद्ध्वंस होता है।

यदि यह मान भी लें कि, अब यह रोग किसी स्त्री या पुरुष को, बिना दूसरे की साक्षात् या पारस्परिक छूत के, नहीं होते, तो भी प्रश्न रही जाता है कि आदि में आरम्भ कैसे हुआ। पुराणों में आख्यायिका कही है; ब्रह्मा ने देखा कि प्राणी इतने पैदा होते हैं, और मरते नहीं, कि पृथ्वीतल इन से ठस जायगा; क्या खायेंगे, कैसे हाथ पैर फैला चला सकेंगे ? ध्यान कर के मृत्यु देव को उत्पन्न किया; आज्ञा की कि इन प्राणियों को मारो; मृत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के भय से, तथा अपयश के त्रास से, कांपने लगे; बोले कि यह कार्य मुझ से न हो सकेगा; ब्रह्मा को इतना क्रोध हुआ कि आँखों से आँसू गिरने लगे; एक एक बूंद में एक एक रोग का विष, 'टाक्सिन' कहिये, कीटाणु, 'माइक्रोब', 'बैसिलस', 'विरस', ❀ कहिये, बीज, 'सीड', 'जर्म', कहिये, उत्पन्न हो गया; ब्रह्मा ने अपने को संहार कर, चित्त को शान्त कर, मृत्यु को पुनः आज्ञा दी; 'इन रोग-बीजों की सहायता से, जो कार्य तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, उस को करो; बदनामी इन की होगी, पाप भी तुम को नहीं लगैगा; यदि अब भी आना-कानी करोगे तो तुम को भारी दण्ड दूँगा'; मृत्यु को मानना पड़ा। ऐसे ही उत्कट क्षोभ, तीव्र संवेग, के अन्य अवसरों पर, ब्रह्मदेव के शरीर से स्वेद निकला, 'यक्षाणि' 'फैगोसाइट', और 'रक्षांसि' 'बैसिलस' बन गये; ❀ बाल गिर गया, 'अहयः', विविध प्रकार के 'सर्पक' हिंसक जीव, सूक्ष्माकार व स्थूलाकार, अणु रूप वा अजगर रूप, हो गये। जिन मनुष्यों के चित्त में राजस तामस भाव और देह में 'रक्षांसि' अधिक, वे 'राक्षस'।

इन सब रूपकों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, कि वैयक्तिक और सामूहिक चित्त में जब घोर विकार पैदा होता है, तो शरीर में, उस के प्रतिरूप, रोग-बीज, कीटाणु, विष, उत्पन्न होते हैं। योग-वासिष्ठ

❀ Toxin, microbe, bacillus, virus, seed, germ.

* Phagocyte, bacillus.

मे, कर्कटी की कथा मे, विशूचिका-रोग के, 'सूची', सूई, के नोके के ऐसे, कीटाणु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, मार्कण्डेय पुराण मे 'दुःसह-यक्ष्मा', 'क्षय रोग', के कीट, की। पुरुष और प्रकृति का, 'माइएड' और 'मैटर' का, स्थूल रूप मे अथवा सूक्ष्म रूप से, सर्वदा अविच्छेद्य सम्बन्ध है; एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक की अवस्था बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही है, 'आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि'; मानसी व्यथा को आधि, शारीर रोग को व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूल कारण, जब सारे दृश्य जगत् का, बुद्धि-तत्त्व, महत्त्व, ब्रह्मा, 'यूनिवर्सल-माइएड' 'इटेलेक्टस्-मंडी'† 'अकलि-कुल', 'रूहि-कुल', है, तो सुतरा नितरा, अवश्यमेव, शारीर रोगो का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार व्यभिचार बलात्कार आदि मे, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनो प्राणियों के चित्तो मे पैदा होते हैं एक ओर दर्प, क्रौर्य, द्रोह, हिंसा, चौर्य, ईर्ष्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-त्रास और घोर दैन्य दुःख के; इत्यादि । इन मानस विकारो से ही साक्षात् शारीर-विकार उत्पन्न हो सकते हैं, और निश्चयेन होते हैं । तीव्र क्रोध को दवा देने से, दो तीन घण्टे के भीतर, सारा शरीर बिलकुल पीला हो गया, पाडुरोग, यर्कान, 'जाडिस'* से रुग्ण हो गया-ऐसा पाश्चात्य डाक्टरों ने, अपनी आखो देखा लिखा है; यकृत का कार्य तत्काल बिगड़ गया; 'टाक्सिन्स्' पैदा हो गये; 'सीक्रीशन्स्', उत्तम रसों, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्स्', दुष्ट रस, किट्ट, शरीर मे बनने लगे;* इत्यादि । अहल्या और इन्द्र की कथा की भी यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बार ही, दुराचार से महारोग उपन्न हो गया । अथ च, माता पिता की मानस वृत्तियों का, और उनके शरीरो के दबे छिपे रोगो का, जो दवा के बल से, चाहे उभरने से रोक भी दिये गये हो, संतति के चित्त और शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ता ही है । आगे कहा जायगा कि कैसे दोषों से कैसी संतति होती है ।

† Universal Mind, (Anima-) Intellectus (-corpus) Mundi.

* Jaundice. * Toxins, secretions; excretions.

‘अविद्या’, ‘मा-या’, ‘जो नहीं है उस को मान लेना कि है’, यह मूर्खता, बेवकूफी, भूल, प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए जीवात्मा की ‘प्रकृति’ ही है; बहिर्मुख मनुष्य का स्वभाव ही है । उस अविद्या का मुख्य रूप तो यह है, कि अपरिमित अनादि अनन्त निष्क्रिय परमात्मा, अपने-को, परिमित सादि सान्त सक्रिय मूठी भर हाड़ मांस का शरीर, मान लेता है । इस महा भ्रम के अवान्तर रूप अनन्त हैं; उन सब में भ्रान्ति का एक भाव यह अनुस्यूत है, कि आदमी समझता है कि अपने कर्मों से पैदा हुए क्लेशों का उपाय, प्रतिरोधन, निवारण, मार्जन, में नये कर्मों से ऐसा कर लूँगा, कि उन क्लेशों की सर्वथा निवृत्ति उच्छ्रित हो जायगी, नये क्लेश न उत्पन्न होंगे, और मैं सुख ही सुख लूटता रहूँगा । भारी धोखा है । परमात्मा की प्रकृति में ‘अविद्या’ की प्रतियोगिनी, रोग की दवा, ‘विद्या’ भी लगी है; इस द्वन्द्व के कारण, सारे ससार में यह नियम अटल है कि बिना दाम दिये आराम नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक उसी प्रकार का दुःख; मुफ्त में कोई चीज़ नहीं; तीव्र सुख चाहो तो तीव्र दुःख के लिए तयार रहो; सत्कुलीन सदाचारीण मीठे सुख से ‘सन्तोष’ हो, तो हल्के ही दुःख भी पाओगे; यदि, ‘चोरी का गुड़ मीठा’, स्टोलन् जॉयज़् आर स्वीट’, दुराचार व्यभिचार का तीक्ष्ण सुख चाहोगे, तो वैसे ही तीक्ष्ण दुःख भी, कभी न कभी, भोगना ही पड़ेगा ।

श्रांतः, समासजन् स्कन्धे, शिरसा भारम् उद्वहन्,

न शर्म लभते, तद्वत् कर्मभिः कर्ममार्जनम् ।

सुखस्यानंतरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्;

चक्रवत् परिवर्त्तते सुख-दुःखे निरन्तरम् । (भागवत)

यत्तदग्रे ऽमृतमिव, परिणामे विषोपमम्:

यत्तदग्रे विषमिव परिणामे ऽमृतोपमम् । (गीता)

बोझ को सिर पर ढोते-ढोते थका आदमी, उस को कन्धे पर रखता है, पर आराम तो नहीं पाता; नये कामों की होशियारी चतुराई से पुराने कामों के दुष्फलों का वञ्चन, बँचा जाना, होने का नहीं; दुःख के भोग से ही दुष्कर्म कटते मिटते हैं । सुख के बाद दुःख,

दुःख के बाद सुख, रथ के पहिये की पुट्टियों ऐसा यह चक्र सदा चलता रहता है, इसी का नाम ससार-चक्र है; पहिले जो बात ज़हर सी कड़वी जान पडती है, पीछे फल उस का अमृत सा मीठा होता है; जो पहिले मीठी, वह पीछे कड़वी हो जाती है । सुख तो हो, दुःख तो न हो—ऐसा कोई उपाय नहीं । ज्यो-ज्यो सुख बढ़ता है, त्यो-त्यो दुःख भी । यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उदाम, महा-समृद्धिमान्, महा-शौर्यवान्, महा-क्रौर्यवान्, अति उत्कृष्ट भी, और अति निकृष्ट भी, जीवन, रावण की लड्डा के जीवन के सदृश, प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

मानवविकार-जनित आधियाँ और शारीर-विकार जनित व्याधियाँ

दो दृष्टियां, बहिर्मुख और अंतर्मुख

प्रकृत मे विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से (१८५० ई० से पीछे) मनुष्य के आधि-भौतिक (शारीरिक, जिस्मानी, 'फिजिकल') अंग (अंश, पद, पहलू, 'आस्पेक्ट') पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मनसिक, चैत्तिक, अंतःकरण-रूप, रूहानी, 'मेटल', 'स्पिरिचुअल') अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते गये हैं । इस अति बहिर्मुख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह कि, जैसे भारत मे, धर्माधिकारी कठ-पंडित और कठ-मुल्ला, वैसे ही यूरोप मे, कठ-पादरी, धर्म-मज्जहब-रिलिजन' को रोजगार बना कर, साधारण जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या धर्माभासो और मूढ़ग्राहों में फँसाकर, अपनी कामीय लोभीय उर्पीय क्रोधीय मत्सरिय वासनाओं का घोर तर्पण परिपूरण करने लगे; १६ वीं शती के आरम्भ मे, मार्टिनलूथर प्रभृति कुछ बुद्धिमान् दीर्घदर्शी सहृदय समाज-हितैषी तथा निर्भय निस्स्वार्थ विद्वानो ने खुला विरोध आरम्भ किया; (जैसे भारत मे, १४-१५-१६ वीं शती ई० मे, कबीर, नानक, प्रभृति सन्तों ने, तथा १७ वीं १८ वीं शतियो मे राजा राममोहन राय, श्री देवेन्द्रनाथ महर्षि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, अति मूर्त्तिपूजा को तथा अरब देश मे भी काल-प्रवाह से विकृत इस्लाम धर्म के

संस्करण-इस्लाह के लिए अब्दुल वहाब नामक प्रतापी सर्दार ने और अब्दुल पुनः साम्प्रत काल में, उन के वंशज शाह इब्नि-सऊद ने, कब्र-(एड्रक)-पूजा आदि को हटाने का यत्न, किया है); जनता का अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों में, राजाओं में, 'महाजन' जनता के दिलों में, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त में, नये पक्ष की, धर्म के सुधार के लिए, प्रायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों की संस्थाओं का सर्वथा उच्छेद तो नहीं हुआ, पर उन के दुराचार कम हो गये, उन्होंने ने स्वयं अपनी दुष्ट वासनाओं का नियन्त्रण शुरू किया. उन के अनुयायियों की भी आँखें खुल गईं, बुद्धि जागी, अन्ध-श्रद्धा कम हुई; और चारों ओर, महाजन में, स्थूलेन्द्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर प्रतिष्ठित विज्ञान (बहिर्मुख 'सायंस') की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी। किन्तु, दैवी-मूल-प्रकृति देवी, संसार के सभी विभागों में, मनुष्य के चित्त में भी, सदा दोलाधिरूढ़, झुल्लुए पर सवार, रहती हैं; एक पेड़ इधर, तो एक पेड़ उधर; "प्रकृतिः उभय-कोटि-स्पर्शिनी, पुरुषः मध्यस्थः"; एक आत्यन्तिक कोटि ('एक्स्ट्रीम') से दूसरी, और दूसरी से फिर एक की, ओर, झूलती ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनो कोटियों को घेरे हुए, अपने भीतर रखते हुए, प्रकृति देवी को, दोनो कोटियों से खींच कर, मध्य में, रखने का यत्न निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के पार कूद कर, दूसरी कोटि से दूट कर, सर्वथा विनष्ट हो जाने नहीं देता। सुख और दुःख, राग और त्याग, दोनो को, विद्याऽविद्याऽत्मक मूल काम-संकल्प की एक रस्सी के दोनो छोरों पर, हटे हुए भी, सटे हुए भी, बांधे रहता है।

इन के फल

इस पारमात्मिक नियम के अनुसार, अति बहिर्मुख प्रवृत्ति से, और विकास-वादी ('इवोल्युशन-वादी') वैज्ञानिकों के प्राणि-संघर्ष-विषयक कच्चे अधूरे सिद्धांत के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के महाजन में, तथा उन के अधीन वा अधीन-प्राय पूर्वीय दक्षिणीय देशों की जनता में भी, इन्द्रिय-लौल्य, जिह्वा-उपस्थ-परायणता, राग-द्वेष-विकार, की अत्यन्त वृद्धि हुई; बड़े युद्ध होने लगे; जिस शरीर के सुख के लिए यह सब महा आयास

प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की, सब प्रकार की, अति समृद्ध सामग्री, दुर्बलों को दना कर, चूस कर, एकत्र की गई, वही आनन्द नष्ट होने लगा; और धर्माभासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल हुआ, उस से भी दारुणतर दुष्फल, सर्व-धर्म-विरोधी, धर्म-मात्र-विरोधी, सार-धर्म-तिरस्कारी अति बहिर्मुख. विज्ञान के प्रसार से हुआ; क्योंकि विज्ञान के अद्भुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने, परस्पर शोषण-मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे।

यह घोर अनर्थ देख कर, अब पुनः, वर्तमान २० वीं शती ई० के आरम्भ से, स्वयं बढ़े-बढ़े यशस्वी, अग्रगण्य, वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति, सभी माश्रात्य सभ्यतममन्य देशों में, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तर्मुखता, चित्त के शास्त्र, और व्यापक तात्त्विक मार्मिक सार-धर्म वा धर्म-सार की ओर, दो मार्गों से, फिरी है। इस का संकेत, पृ० २२२ पर, एक टिप्पणी में कर दिया गया है। ये वृद्ध, बहुश्रुत, बहुदर्शी, बहु-अनुभवी, विचारशील वैज्ञानिक, पहिचानने और कहने लगे हैं, कि मात्रा (‘मैटर’) का निर्माता कल्पयिता भी, उस में प्रविष्ट भी, उस से अपृथक् भी, उस से विविक्त विवेचनीय भी, परमात्मा, आत्मा (‘स्फिरिट’, रूह, रूहुल्-रूह, आत्मना आत्मा, जीवात्मनां परमात्मा) भी, कोई वस्तु है; और शरीर के ऊपर आत्म-बुद्धि-मनस् की प्रभुता को भी वे मानने लगे हैं।

अन्तर्मुखता की ओर वैज्ञानिकों का पुनः पलटना

(१) वैज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी की पहिली धारा प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१९१८ ई०) के बाद अधिक पुष्ट हुई; अब प्रवर्तमान द्वितीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियाँ को देख कर, और उस को रोकने का महायत्न करने पर भी, उस के आरम्भ हो ही जाने से, यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है; जिस का सफल, यदि जगदात्मा की मर्जी हुई तो, इस विश्वयुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; कामीय-वासनाओं का नियन्त्रण नियमन करने का उपाय, सब से पहिले खोजा और पाया जायगा, और विश्वव्यापिनी मानव-समाज की विश्वव्यापिनी व्यवस्था (‘वर्ल्ड फ्रेडरेशन, वर्ल्ड-आर्डर’) की जायगी। जिह्वा और उपस्थ

सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिले; इस लिए, कि प्रायः सब ही प्रकार की वासना, मनुष्यों से परस्पर वैर बढ़ाने वाली, उद्धत हर्ष, मद, मत्सर, क्रोध की विविध विकृतियाँ, इसी की अति-वृद्धि से उत्पन्न होती हैं ।

कामे जिते जितं सर्वं, जितं सर्वं जिते रसे ।

उपस्थीय काम का रस जीत ले, जिह्वा का रस जीत ले, उन पर काबू कर ले, उन को अपने वश मे लावै, उन के वश मे न रहे—तो सब कुछ जीत लिया ।

स्वार्थी परार्थी वासनाओं का 'नियमन' ही; सर्वथा उच्छेद नहीं ।

'वासनाओं' का 'नियमन'—यह शब्द याद रहें; काम, क्रोध, लोभ, मोह (भय), मद, मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का सर्वथा मूलोच्छेद तो, उन की प्रतिद्वंद्विनी, उपरति-विरति, शम-शाति, तितिदान-त्याग, धैर्य, कर्षणा, मैत्री आदि वासनाओं के भी उच्छेद, अथवा प्रस्वाप, के साथ ही, प्रलयावस्था मे ही हो सकता है; (प्रस्वाप, क्योंकि आत्यन्तिक विनाश और अभाव तो, अव्यय अविनाशी परमात्मा के स्वभाव मे अन्तर्गत द्वन्द्व का, कभी हो ही नहीं सकता), जाग्रद् अवस्था मे, सत्-शिक्षा और सद्-धर्म-कानून के जरिये (द्वारा), नियमन, नियन्त्रण, सीमित-करण, समयो (शक्तों) से परिच्छेदन, ही, संभव, उचित, आवश्यक है ।

बिना निदान जाने चिकित्सा करने का दुष्फल

स्वार्थ और परार्थ दोनो प्रकार की वासनाओं को काबू मे लाना; अंदाज से ही, परिमित मात्रा मे ही, उन का आस्वादन करना; उन के ऊपर सद्बुद्धि का अधिकार स्थिर करना—यही सब सदाचार का मूल है । इस को न पहिचान कर, इस के विपरीत, पच्छिम मे, कच्चे वैज्ञानिक यह यत्न करते रहे हैं, कि जिह्वा-उपस्थ-सम्बन्धी, इंद्रिय-लौल्य-प्रेरिणी, अधम-स्व-वर्धिनी, अशुभ स्वार्थी वासनाएं यथेष्ट तृप्त की जायें, पर दुष्फल न हो; चूटनी-अंचार चख लेने, मास-मत्स्य खा लेने, शर्बत-शराब पी लेने, के ऐसा, दुराचार-व्यभिचार यथेष्ट होता रहे, पर अविवाहिताओं को गर्भ न रह जाय; उपदश (आतशक, 'फिरंग' रोग* 'गर्मी'), मूत्रकृच्छ्र

* किन्हीं विद्वान् वैद्यों का मत है कि 'उपदश' रोग दूसरा ही है,

(सूजाक), आदि रौद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ यदि रह जाय तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायज़, अधर्म्य, विवाह-बाह्य बच्चा हो ही जाय और स्त्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, रात में गिर्जा-घर के द्वार पर, या सड़क पर, या अनाथालय के पास, छोड़ आवें, तो उस का पालन पोषण किया जाय—इत्यादि । पर इस का फल यही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कन्या-दूषणों, बालक-दूषणों, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं के संग मैथुन, की वृद्धि ही होती गई; दुष्फल भी नहीं रुक सके; उग्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फैलते ही गये; बस्ती, अर्थात् मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुई; सामाजिक तिरस्कार बहिष्कार के भय और लजा से, तथा परस्पर ईर्ष्या मत्सर क्रोध आदि से, आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हत्याएं बहुत बढ़ीं; और अंततः, अति काम के साथ अति लोभ और अति मान के मिल जाने से, विश्वव्यापी रौद्र युद्ध पुनः-पुनः हो रहा है । पाश्चात्य डाक्टरों ने स्वयं लिखा है कि यूरोप अमेरिका में स्यात् ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग में होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा वंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छूत से सर्वथा मुक्त और शुद्ध हो । पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धमन्यता जिस की चर्चा प्राचीन आर्य आयुर्वेद के ग्रन्थों में की है; और 'आतशक' (जो हकीमी, तिब्बी, नाम इस का है, क्योंकि 'आतश', आग, के ऐसी जलन पैदा करता है) 'फ्रेंच', 'फ्रेंक', यूरोपीयनों के ही साथ भारत में आया, इस से 'फिरंग'-रोग कहलाया । इस की चर्चा और चिकित्सा भावमिश्र के ग्रंथ 'भाव-प्रकाश' में, प्रथम प्रथम, संस्कृत चिकित्सा-शास्त्र में मिलती है; जो ग्रन्थ प्रायः कान्यकुब्ज देश में, १६ वीं शती ई० में, लिखा गया । महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन, पौरस्थ-पाश्चात्य-उभय-चिकित्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित और बहुत अनुभवी चिकित्सक, ने, अपने रचे 'प्रत्यक्ष-शारीर' नाम के ग्रन्थ के उपोद्घात में, हेतुपूर्वक, यही निर्णय किया है । यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप से, १५ वीं शती के अन्त में, पोपुंगीज आये, उन के बाद फ्रेंच और डच और अंग्रेज ।

और अहंकार का रस चखने के लिए, यह न समझ बैठे कि भारत जनता में ऐसे पाप नहीं हैं; भारत की, तथा अन्य पूर्वीय देशों की भी, स्यात् कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, वित्तवालों और उच्च-मन्य जातियों में; पर ठीक पता नहीं चलता; क्योंकि पच्छिम में तो इन विषयों पर वैज्ञानिकों ने स्पष्ट लिखना छापना, कुछ काल से, आरंभ कर रक्खा है, और उन देशों की गवमेंटों ने भी 'कमीशन' 'कमेटी' आदि, समय समय पर, बनाई है, इस लिए कि इस विषय का गवेषण किया जाय, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के उपाय किये जायं, और उपयुक्त कानून बनाये जाय ।

यु. स्टे. अमेरिका के पत्रों में, द्वितीय विष्वयुद्ध के आरंभ हो जाने के बाद से, पुनः-पुनः लेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि, वैज्ञानिक चिकित्सक विद्वान्, जितने ही तीक्ष्ण अचूक अमोघ शीघ्र-फल-दायी उपायों का उपज्ञ (उपज, ईजाद) करते हैं, यहा तक कि उपदंश को दस दिन में निर्मूल निःशेष करने का दावा (प्रतिश्रव) करते हैं, उतना ही अधिक निर्भोक दुराचार, सैनिकों में तथा साधारण जनता में, बढ़ता जाता है, और अधिकाधिक सख्या में, तथा पुनः-पुनः, लोग रुग्ण होते हैं; और, अभागिनी, अबला, भूखी, वा चंचल-स्वभाव की, योषिताओं के जीवत् (जिन्दा) मास की बिक्री (विक्रय) का दारुण रोजगार व्यापार करने वाले, निर्दय नृशंस चाडाल, तरह-तरह के छलों से कानून का वंचन कर के, पण्य-स्त्रियों को, सेनाओं के एक शिविर (कम्पू, कैम्प, पड़ाव) से दूसरे तक, मोटर लारियों में लाद-लाद कर, भगते पहुँचाते रहते हैं । *

*उपर, मूल में उक्त बातें, न्यूयार्क-नगर से प्रकाशित, 'दी रीडर्स-डाइजेस्ट' नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १९४२ ई० तक के अंकों के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तिकाओं के, आधार पर लिखी गई हैं; कुछ और बातें इस नोट में लिख देता हूँ ।

“मरज बढ़ता गया ज्यो-ज्यो दवा की”

‘सिकिलिस’-जनक कीट को मारने के लिए, सूई-द्वारा ‘इन्जेक्शन’ से, ‘मलेरिया’-जनक कीट का प्रवेश, ‘सिकिलिस’ के रोगी के शरीर में

करते हैं; 'विषस्य विषं औषधं'; जैसे, पुराणों में कथा है, बाणासुर ने जब कृष्ण की सेना के नाश के लिए, 'माहेश्वर-ज्वर' का, अस्त्र द्वारा ('अस्यते' इति 'अस्त्रं', जो दूर से फेंका जाय) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उस के शमन और संहार के लिये 'वैष्णव-ज्वर' का प्रयोग किया। पश्चिम देश के राष्ट्रों के विश्व-युद्धों में विविध प्रकार की प्राणहारक 'गैसों' का (वायव्य-अस्त्रों का), तथा उग्र-रोग के जनक कीटाणुओं का (ज्वर-अस्त्रों का), तथा आग लगा देने वाले बमों का (आग्नेय-अस्त्रों का), प्रयोग हुआ और हो रहा है। पीने के पानी के कूओं, तालाबों, झरनों में जहरीली वस्तु डाल देना; जंगलों, वाटिकाओं, खड़े खेतों को काट डालना; इमारतों कारखानों को ढहा देना; कि शत्रु के सैनिक उस पानी को पी कर मरें, और इन द्रव्यों से लाभ न उठा सकें ('स्काच्'ड अर्थ' रणनीति)—यह सब उपाय-अपाय भी पश्चिम में काम में लाये जाने लगे हैं; इन में से बहुतों के संकेत, भारत के पुराने ग्रन्थों में, सन्धि-विग्रह आदि षड्विध रणनीति के अध्यायों में, मिलते हैं; चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में विशेष रूप से।

बंबई के मैरवी-चक्र

प्रायः पच्चीस वर्ष हुए होंगे, बम्बई (ब्रिटिश) गवर्नमेंट को मालूम हुआ कि शहर में, कुछ महापातकी दुष्ट हिन्दू भी और विशेष कर पठान, ऐसी अबला अभागिनियों को, जिन्हें पेट पालने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, 'चकलों' ('ब्राथेल', 'मैरवी-चक्रों') में रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, 'प्रोस्टिट्यूशन') का रोज़-गार कराते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशुओं से एक-एक को, एक-एक दिन में, संग करना पड़ता है; (जैसे, अमेरिका, ब्रिटेन, आदि महान् राष्ट्रों के महान् नगरों में, तीस-तीस और चालीस-चालीस तक से); और थोड़े ही दिनों में ये स्त्रियाँ भी पशु-प्राय हो जाती हैं; जिस दिन आमदनी कम होती है, चकला चलाने वाले, उन दुःखिनियों की रौद्र यम-यातना करते हैं, यहां तक कि पुरुष का मूत्र जबर्दस्ती पिलाते हैं, मार पीट कर हाथ पैर की हड्डियों को तोड़ तक डालते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, ऐसा कि मर-मर जाती हैं; रोगों से भी बहुत मरती हैं। यह सब मालूम होने पर,

बम्बई गवर्नमेंट को यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय को रोकने के लिए, नया क़ानून बना कर, पुलिस क' विशेष अधिकार दिया जाय। दस्तर के मुताबिक, इस के बारे में, भारत के सब प्रान्तों के कुछ-कुछ आदमियों से राय पूछी गई।

जनता का भृत्य, या जनता का स्वामी ?

मुझ से भी पूछा। पाश्चात्य देशों में भी, जो इस प्रकार के व्यवसाय, ‘सेक्स स्लेव ट्राफ़िक’ के नाम से, होते हैं, उन का, मैं ने, उत्तर में हवाला दिया। यह बतलाया कि यद्यपि पाश्चात्य देशों में भी, जनता (महाजन, ‘पब्लिक’, प्रजा) में भी और ‘जनता-भृत्य’ (‘महाजन-भृत्य’, ‘पब्लिक-सर्वेन्ट’, ‘सार्वजनिक-भृत्य’, राज-भृत्य, राष्ट्र-भृत्य) में भी, नेकनीयती की कमी है, परन्तु भारत में तो बहुत ही कमी है, और इस के सिवा यह महा आपत्ति है, कि यहां, ‘पब्लिक-सर्वेन्ट’ अपने को ‘जनता का भृत्य’ (खादिम) नहीं, प्रत्युत ‘पब्लिक-मास्टर’ ‘जनता का स्वामी’ (हाकिम) समझता है। पश्चिम में, प्रत्येक राष्ट्र के भीतर, दोनों का, ‘पब्लिक-सर्वेन्ट’ और ‘पब्लिक’ का, लक्ष्य प्रायः एक होता है, अर्थात् सार्वजनिक सुख-समृद्धि; उस के विपरीत, यहां भारत में दोनों के लक्ष्य, परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, अर्थात् राष्ट्र-भृत्यों का समुदाय तो, एकदल ऐसा संग्रहित, अपने दल का भला चाहता है, नित्य-नित्य अपनी शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाधिक दबाये रखना चाहता, और रखता, है; और प्रजा, हजारों ‘जात’, ‘पंथ’, ‘धर्म’, ‘क्रिकों’ में विभक्त हो कर, अपना-अपना पृथक्-पृथक् चुद्र अल्पकालिक स्वार्थ ही साधना चाहती है; जिस का फल यह है कि, क़ानूनो द्वारा पुलिस को जो भी अधिकार इस्तिहार दिया जाता है, उस का दुरुपयोग ही होता है; ‘काम’ के सगे भाइयों का, लोभ क्रोध आदि का, उत्प्रेरक होता है; उत्कोच (रिश्वत, घूस) और प्रजा-पीडन की भी, तथा दुष्ट-कर्मों और व्यवसायों की भी, वृद्धि ही होती है; अन्त में, मैं ने यह सूचना की, कि वर्त्तमान दंड-विधान (ताजोरात-इ-हिन्द, ‘इंडियन-पीनल-कोड’) में जो अपराध (जुर्म, ‘क्राइम’) गिनाये गये हैं, और उन की सजा के लिए जो

अधिकार राष्ट्र-भृत्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक-नीयती से किया जाय, तो भैरवी-चक्र का यह रोजगार सहज में (सरलता से) बंद कर दिया जा सकता है; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस को विशेष अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है, कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष और व्यवसाय की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े ।

राजभृत्यों की वृद्धि और दुष्टता, प्रजा का हास

पुलिस के, मजिस्ट्रेटों के, सभी विभागों (सीगों) के सभी गवर्मेन्टी नौकरों के, इख्तियार बढ़ाते रहना, प्रजा के हकों को घटाते रहना—यही लक्ष्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मेन्टों, 'ब्राह्मण-क्षत्रियों' का चिरकाल से हो रहा है; भारत में तो अत्यंत ही । कलियुग का यह एक प्रधान लक्षण है; कारण भी है, कार्य भी है । अनयोऽन्य अनुग्रह करते हुए अनर्थों की परम्परा यों ही बढ़ती जाती है; एक दिन, अपने असह्य बोझ से आप टूट पड़ती है, नष्ट होती है । तब पुनः, 'सत्य' के 'युग' (जमाना, 'पीरियड', 'ईपोक', 'एज') को अवसर मिलता है; शासक और शासित में परस्पर स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहायन, समर्थन, प्रकृति-स्वभाव-गुण-कर्म के अनुसार सब मनुष्यों का समाज में व्यवस्थापन, होता है । आज काल जो विष भरी हवा सारे संसार में बह रही है, उस के कारणों और कार्यों में एक मुख्य यह है, कि 'धर्मानपेत काम', और 'कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्वों' का, तथा सत्काम और दुष्ट-काम के रूपों, लक्षणों, परिणामों, सुफल-दुष्फलों का, यथातथ्य ज्ञान नहीं है, और यदि है तो भी विद्यामद, ऐश्वर्यमद, धनमद से मत्तों में, शासन के अधिकारों और बलों को पाये हुआँ में, अतः अधिकार और बल का दुष्ट पापिष्ठ प्रयोग करने का अधिकाधिक अवसर पाते हुआँ में, धर्म्य 'काम' से विरक्ति, अधर्म्य 'काम' में आसक्ति, अधिकाधिक देख पड़ रही है । "चोरी का गुड मीठा", ("स्टोलन् जॉयन् आर स्वीट्"), इस लिए, अधिकारी जन, स्वयं चोरी के गुड के रसास्वादन के लालची हो कर, अपराधियों (मुजरिमों) के साथ सहानुभूति भीतर से, और दंड देने में दया का दिखाव ऊपर से,

करने लगे हैं; पच्छिम के देशों में इस की शिःभयत, बीच-बीच, समाचार पत्रों में देख पडती है । भारतवर्ष का भी एक नमूना देखिये, पर यह भी खूब याद रखिये कि जब जनता पापी है, तभी शासक पापिष्ठ है ।

काशी के दैनिक ‘आज’ के सौर ६ फाल्गुन, १९६८, वि० २१-२-१९४२ के अंक में, नीचे लिखे आशय की सम्पादकीय टिप्पणी छपी है—

एक अत्यन्त खेद जनक मामिला

“काशी के एक खेदजनक मामिले की श्रौर हम स्थानीय अधिकारियों का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं । गोपी नामक चार वर्ष के बालक पर एक सत्रह वर्ष के युवक द्वारा अस्वाभाविक अत्याचार, (अगस्त, १९४१ ई०, में) किया गया । विचारक मजिस्ट्रेट की राय में अपराध सिद्ध हो गया । सिविल सर्जन की राय में लडके को उस अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पडा है । अपराधी के घर के लोगो की आर्थिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय में अच्छी है । लडके की मा के कथनानुसार, जब उस ने अपराधी के बाप और चाचा को उस के अपराध में सूचित किया, तो उन्हों ने उसे ही मार डालने की धमकी दी । इतनी बातें विचारक मजिस्ट्रेट अलाउद्दीन साहब के फैसले में ही मालूम होती है । इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी और कम-सिन (अल्प-वयस्क) समझ कर केवल दो वर्ष सचचरित्र रहने का मुचलका, वह भी केवल दो सौ रुपये का, ले कर छोड दिया । लडके की मा को, जो बहुत ही गरीब है, और जो यदि श्री राजकृष्ण बांतू उस की सहायता न करते तो अदालत तक पहुंच भी न सकती, कुछ भी हर्जाना नहीं दिलाया । क्या यह न्याय है ? क्या प्रथम अपराधी के सम्बन्ध का कानून ऐसे ही दुश्चरित्रों के लिए बनाया गया है ? बेंत लगाने की धारा का उपयोग यदि ऐसे मामिले में न किया जाय तो वह है किस काम के लिये ? हाल में ही हाई कोर्ट ने एक लडकी की हत्या करने के अपराध में एक स्त्री की सजा, केवल उसे स्त्री समझ कर कम सजा देने के कारण एक जज की निन्दा कर के, तीन साल से बढ़ा कर दस साल कर दी है । मतलब यह कि ऐसे मामिलों में स्त्री, कम उम्र, प्रथम अपराध, आदि

बातों का विचार करना उचित नहीं है। हम अधिकारियों का ध्यान इन बातों की ओर दिला कर साग्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक ले जाने का कष्ट स्वीकार करें।”

बाद में श्री राजकृष्ण से दर्शाया करने पर मालूम हुआ कि, निहायत गरीब मजदूरिन के चार वर्ष के नादान बच्चे गोपी (कसरवानी बनिया) पर, २४ अगस्त १९४१ ई० को, काशी नाम के सत्रह वर्ष के (सोनार) युवा ने यह अतिक्रूर दारुण अपराध किया; हाल मालूम होने पर श्री राजकृष्ण ने पुलिस से रिपोर्ट २६ अगस्त को की; पुलिस ने जब मुजरिम की तलाश की तब वह फरार होगया; गोपी कुछ दिन अस्पताल में रहा; रोज-रोज की रोटी कमाने की फिक्र के सबब से, नौकरी छोड़ कर मा अस्पताल में बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; वहां से बच्चे को अपनी कोठरी में उठा लाई; राजकृष्ण जी की प्रार्थना पर दूसरे डाक्टर देखते रहे; गोपी के गुदा स्थान में भारी जख्म हो गया, सड़ गया, मल विसर्ग में बहुत कष्ट होता था, सारे खून में उस का जहर फैला, आंखें करीब-करीब अन्धी हो गईं। भागे हुए मुजरिम काशी का माल मत्ता जब अदालत के हुक्म से कुर्क हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया। इन कारणों से, तथा अन्य कारणों से, देरियां, कुछ पुलिस थाने में, कुछ कचहरी में होती रहीं; उन की वजह से, जुर्म की तारीख से करीब चार महीने बाद, मुकदमा अदालत में पेश हुआ; १२, फरवरी १९४२ को मजिस्ट्रेट ने फैसला किया, जिस की कैफियत 'आज' पत्र से ले कर ऊपर लिखी गई। श्री राजकृष्ण ने, जिला मजिस्ट्रेट से, जाबिते से दर्खास्त भी किया, कि सजा बढ़ाने के लिए मुकद्दमा हाईकोर्ट में भेजा जाय; पर इसी बीच, मुजरिम काशी ने सेशन जज के यहां मुचल्के के खिलाफ अपील की, और जज ने (शायद फैसले में कोई कानूनी नुक्स पा कर) मजिस्ट्रेट की तजवीज और फैसले को रद्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया उसने यह महापाप किया ही न हो।

और नमूने देखिये। इस मामिले के कुछ पहिले, बनारस में ही, एक तीस वर्ष के जवान (क्षत्रिय) ने, एक तीन वर्ष की नादान मासूम

दूध-मुही बच्ची पर बलात्कार (जिना बिल् जन्न) किया, घोर व्रण, किसी किसी तरह, टांका वगैरा दे कर, डाक्टरों ने अच्छा किया, बच्ची की जान बच गई; मगर इस राक्षस मुजरिम को सिर्फ पांच वर्ष की कैद हुई, जब शायद दायमुल हव्स (हमेशा के लिए काला पानी) की सजा होनी चाहती थी ।

इन दोनो मामिलों के कुछ ही दिन बाद, एक साठ वर्ष के (ब्राह्मण) नर-पशु ने, एक नौ-दस वर्ष की बालिका पर बलात्कार किया, और केवल तीन वर्ष कारावास का दण्ड पाया । इस मामिले को, रिश्वत वगैरा दे ले कर, दबा देने को भी कोशिश की गई । पर बात जाहिर हो गई, और पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनों के लिए मुअ्तल भी हुआ, जो भी गैर-मामूली बात है ।

ता० ५ जून १९४४ ई० के 'लीडर' इलाहबाद अखबार मे शाहजहांपुर जिले की तीन खबरें, घोर अपराधों की छपी हैं; (१) जैतीपुर थाने के एक गांव से एक पुरुष ने, साढ़े चार महीने (वर्ष भी नहीं, महीने) की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की लड़की थी; मरी बच्ची की लाश के साथ, पास के एक खंडहर मे, मुजरिम पकड़ा गया; गांव वालों के सामने उस ने अपना जुर्म कबूल किया । (२) थाना ईसानगर के एक गांव मे, अजीमुल्ला ने अपनी जोरू हलीमन की तत्काल पैदा हुई बच्ची को मार डाला, क्यों कि हलीमन का और हलीमन की मा के दूसरे पति का नाजायज सम्बन्ध था; अजीमुल्ला गिरफ्तार किया गया है; (३) थाना गोला के एक गांव मे, महमूद ने नौ बरस की लड़की बन्नो को छुरे से मार डाला, और बन्नो की मा पर भी हमला किया, क्योंकि वह इस का ब्याह बन्नो से नहीं करती थी; बाद मे खुद डिप्टी कमिश्नर के सामने हाजिर हो गया और गिरफ्तार हुआ । यह एक दिन की एक जिले की, खबरें हैं; न जाने कितने ऐसे दारुण अपराध सारे देश मे प्रतिदिन होते हैं; उत्तम समाज-व्यवस्था से, सत्-शिक्षा के प्रचार से, संशुभक संन्यासी स्वयंसेवकों के बड़े परिश्रम से ही, ये पाप रुक सकते हैं; और जब तक ये रुकते नहीं, तब तक देश की अधोगति भी रुकती नहीं ।

देश की वर्तमान दशा में, सिवा इस के क्या किया जा सकता है, कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदात्मा अन्तरात्मा से, अपनी आत्मा से प्रार्थना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की सहायता करने वाले, और घोर अपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर के समाज के, आचार के शोधन की चिन्ता करने वाले, (जैसी उक्त मामले में श्री राजकृष्ण वान्तू ने की), अधिक संख्या में उत्पन्न हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित बुद्धि के स्थान में, विवेकिनी बुद्धि मिले; और समग्र जनता का ध्यान ऐसी घटनाओं की ओर, और उन को रोकने के कर्तव्य धर्म की ओर, पुनः-पुनः दिलाया जाय, और अधिकारियों की कर्तव्य-विमुखता का उद्घाटन किया जाय, और इस कर्तव्य के लिए, नगर-नगर में सर्वजनित हृदय वाले सज्जन, समितियां बनावें ।

अदंड्यान् दंडयन् राजा, दंड्यांश् च एव अपि अदंडयन्,

अयशो महद् आप्नोति, नरकं चा अधिगच्छति । (मनु)

(पापानि पापिनां, यस्माद्, अस्य राज्ये तु, भूरिशः
विवर्धन्ते: विनश्यन्ति शिष्टाः; राष्ट्रं च नश्यति ।)

जो राजा दण्डनीय को दण्ड न दे, और अदंडनीय को दंड दे, वह अपने को और अपने सारे राज्य को नरक में गिराता है; क्योंकि पापी और पाप उस के राज्य में बढ़ते हैं, सदाचारी घटते हैं, और थोड़े ही दिनों में, सारी समाज-व्यवस्था बिगड़ जाने से राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ।

भारत में राजकर्मचारियों तथा साधारण प्रजाजनो की दशा कुछ अपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा । सन् १८६० से १८६८ ई० तक, मैं ब्रिटिश-भारत गवर्नमेंट का, संयुक्त प्रान्त में, नौकर रहा; इस के बाद मैं ने इस्तीफा दे दिया; १८६६ से १९१४ तक सेटल हिन्दू कालिज, बनारस, का अवैतनिक मंत्री (सेक्रेटरी) रहा; उस संस्था के और उस की शाखा प्रशाखा, लडकों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल, रणवीर संस्कृत पाठशाला, छात्रावास (बोर्डिंग हाउस) आदि के आरम्भण, वर्धन, पोषण आदि में, और इस कार्य के लिए 'ब्रिटिश' भारत और 'भारतीय' भारत (देशी रियासतों) में, पुण्य-श्लोक श्री एनी

बिसेट के, तथा अन्य बन्धुओं और मित्रों के, साथ, परिश्रमण और परिश्रमण करता रहा; इस के पश्चात्, १६१५ से काशी विश्वविद्यालय का, और १६२१ से श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के दान से आरम्भ किये और महात्मा गांधी के हाथ से खोले हुए काशी विद्यापीठ का, कुछ वर्षों तक सेवक, अध्यक्ष, और बाद में तटस्थ शुभचिन्तक आज तक रहा हूँ। १६२३ से १६२५ तक, काशी के म्युनिसिपल बोर्ड का 'चेयरमैन' रहा, और लड़के लड़कियों के म्युनिसिपल स्कूलों को देखता सुनता रहा। डेप्युटी मजिस्ट्रेट की हैसियत से, ताजीरात हिन्द (भारतीय दंड-विधान, इंडियन पीनल कोड) में लिखित बहुत प्रकार के अपराधों की तहकीकात मुझ को, करनी पड़ी। इस लिए मुझे मालूम है कि सरकारी नौकरो में भी, तथा प्रजा-जनो में भी, शासकों और शासित दोनों में, एवं अध्यापकों और अध्यापिकाओं दोनों में, जबराना भी शुकुराना भी, रिश्वत लेना देना, तथा बलात्कार से भी, डरा धमका के भी, प्रलोभन आश्वासन विश्वासन कर के, फुसला कर के, धोखा दे कर के, प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर के भी, उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार और घोर अपराध भी होते रहते हैं। इन में से अधिकांश, विविध हेतुओं से, 'छोपो, तोपो गोपो,' हो जाते हैं तो और भीतर भीतर, समाज के चित्तों और शरीरों में जहर फैलाते रहते हैं; अल्पांश, अदालतों में, ('अदल', न्याय, का स्थान, 'न्यायालय' का नाम तो है, न्याय का काम कम) कचहरियों में, पहुंचते हैं, और अखबारों में चर्चा पाते हैं; उस अल्पांश में से भी कुछ ही मामिलों में अपराध सिद्ध होता है, और 'न्यायपति' 'न्यायाधीश', 'मुजब्बिज', 'हाकिम', 'मजिस्ट्रेट', 'जज' की निजी प्रकृति और रुचि और आचार-विचार के अनुसार अपराधी दंड पाता है। यह, भारत देश, भारतीय समाज, की, इस युग (जमाने) में, दुर्-अवस्था अ-व्यवस्था है।

पाश्चात्य देशों की दशा

यूरोप अमेरिका के, उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी जीवन ('सेक्सुअल लाइफ') की दशा का हाल पहिले कुछ लिखा जा चुका है। जैसे अपने निजी अनुभव की चर्चा ऊपर किया, वैसे एक मित्र के निजी अनुभव को

जो उन को वहां हुआ, (मैं स्वयं भारत से बाहर नहीं घूम सका हूँ), यहां लिख देता हूँ । “अखिलं विदुषां अनाबिलं, सुहृदा च स्वहृदा च पश्यतां” (नैषध), कुछ अपनी आंख, अपने हृदय, मे, कुछ आस मित्रों की आंख और हृदय से, देख कर दुनिया का हाल जाना जाता है । ये मित्र, भारत के गिने चुने, ‘हाइ कोर्टों’ के ऊंचे पहुंचे हुए, उन ‘ऐडवोकेटों’ में एक हैं जिन की सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये तक की कही जाती है; उमर भी इन की मुक्त से आठ-दस वर्ष ही कम हैं; नाम कहने का काम नहीं । पिता और ज्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत यात्रा को गये; फ्रांस देश की राजधानी महा-नगरी ‘पैरिस’ में, तथा ब्रिटेन देश की राजधानी महत्तर-नगरी ‘लन्दन’ में, थिएटर-सिनेमा का तमाशा देख कर रात में बाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ़ कपड़े पहिने एक स्त्री ने एक ओर से पिता की एक बांह दूसरी स्त्री ने दूसरी ओर से पुत्र की एक बांह, धीरे से खींच कर कान में फुसकी क्रिया, ‘मेरे साथ चलिये, रात रहिये’; जान छुड़ा कर भागे । कुल-वधू के वेश में वेश्याएँ विचरती हैं; पर्दे की प्रथा न होने से, ‘कुल-स्त्रियों से भी व्यभिचार बेपर्दे होता है; भारत में, पर्दे की आड़ में होता है । वात्स्यायन काम-सूत्र में राजाओं के और उन के रनिवासों अवरोधों के व्यभिचारों का वर्णन किया है । पंजाबी श्री कन्हैयालाल गौबा की दो पुस्तकें, दस पंद्रह वर्ष हुए, छपीं, ‘अंकल सैम (शैम)’ और ‘दि पैथालोजी आफ़ प्रिंसेज़’ नाम की । ‘अंकल सैम’, यु. स्टे. अमेरिका-निवासी का, हास्य और स्नेह मिश्रित उप-नाम हो रहा है, जैसे ब्रिटेन-निवासी का, ‘टामी पेटर्किंस’, और फ्रांस-निवासी का, ‘जै हू बॉन-हॉम’; ‘शैम’ का अर्थ है, दार्मिक । मिस्र मेयो नाम की एक यू० स्टे० अमेरिकन स्त्री ने ‘मदर इंडिया’ नाम की एक पुस्तिका, इन दो पुस्तकों के पहिले छापी थी; केवल-दोषज्ञ-पण्डिता, दोष-ग्राहिणी, दूषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की बुराईया दिखाते हुए, (यह भी कहा जाता है कि भारत जनता की स्वराज्य के लिए अयोग्यता दिखाने को, किन्हीं दूसरों की प्रेरणा सहायता से, ‘प्रचारार्थ’ ‘प्रोबै गैडा’ के लिए), उसने यह पुस्तक छापी । उस के उत्तर में

‘अंकल शौम’ पुस्तक छपी; इस में यु. स्टे. अ. की जनता का दोषोद्घाटन वैसा ही वा उस में भी अधिक किया गया है। दूसरी पुस्तक में भारत के राजा महाराजों नवाबों के दुराचारों, भ्रष्टाचारों, घोर अत्याचारों, प्रजा की यातनाओं का रूप अंशतः दिखाया है। प्रायः पचास वर्ष हुए होंगे, एक ‘महाराजा’ ने ‘दि डायरी आफ ए महाराजा’ नाम की पुस्तक अंग्रेजी में स्वयं लिख कर, किसी पश्चात्ताप के वश, छापी थी; उस में स्पष्ट लिखा था कि, ‘घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महाराजों ने न किया हो वा न करते हों’। इंदौर, अलवर, नाभा आदि के राजा महाराजा, इधर बीस पच्चीस वर्ष के भीतर, गद्दियों से उतारे गये; उन के निकाले जाने के कारण सब को मालूम हैं, खुले हुए हैं; नाभा के राजा का, और उस समय के पटियाला के महाराजा का, परस्पर घोर संघर्ष, स्त्रियों के विषय में, हुआ था; पटियाला पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रकट कोप किन्हीं कारणों से नहीं किया; अंग्रेजी गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गई, उस में, अपनी ओर से पैरवी करने के लिए, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े चढ़े बैरिस्टर को, कितने ही लाख रुपये ‘मिहनताना’ दे कर, पटियाला ने बुलाया था; पटियाला की थैली, नाभा की थैली से दस बीस गुणित अधिक बड़ी कही जाती है। ‘मांटैग्यू चेम्सफ़ोर्ड’ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ‘अदालती न्याय’ की तरफ़ का पल्ला वहीं भारी पड़ता है जिस में थैली अधिक भारी हो। ‘जस्टिस इज़ आन दि साइड आफ़ दि लांगेस्ट पर्स’ पर एक प्रजा-स्नेही सज्जन श्री चुडार ने, अंग्रेजी में, एक बड़ा ग्रन्थ का ग्रन्थ, सबूत सहित, चित्र सहित, छाप दिया; और पटियाला के घोर अपराध सिद्ध किये; इत्यादि। सब देश सब काल में यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा। कहाँ तक कहाँ ज़िन्ना जाय; जैसा ऊपर कहा गया, जहाँ कहीं भी ऊपर की अच्छी चमकती ख़चा छीली जाय, वहीं, भीतर से, बीभत्स रक्त, मांस, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, ख़चा का सौंदर्य लावण्य भी एक वस्तु है ही; उस को भी नहीं भूल सकते। यदि दोष हैं, तो गुण भी हैं; ‘खाय तो पड़ताय न खाय तो पड़ताय’; तो ‘कम खाय और गम खाय, तब देश में माना जाय।’

इस सब का आशय यह नहीं है कि, जिन दोषों का, मिस भेयो ने,

या उन के ऐसे अन्य भारत-द्रोहियों ने, वर्णन किया है, वे भारत में सर्वथा हैं ही नहीं। अत्युत्, बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्वयं दोष यह है कि वे दोष ही देखते हैं, गुण नहीं। भारतीयों को उन की बातों की सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष हम में वस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये।^१

अपराधों के दंडों की चार मुख्य राशियाँ—‘चातुर्द्वयम्’

दंड के विषय में भगवान् मनु की आज्ञा, उसी सर्व-व्यापक सर्व-संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक सर्व-मर्यादक अध्यात्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मणा चातुर्वर्ण्य और वयसा चातुराश्रम्य प्रतिष्ठित है, दंडों के भी, सत्त्व-रजस्-तमस और अव्यक्त गुणों के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है। (अति तामस) अधम पशु-प्रकृति और पाशव वोर साहसों अपराधों के लिए, विविध प्रकार के शारीर दंड, छेदन, भेदन, कत्तन, ताडन आदि। लोभी (तामस) प्रकृति और अपराधों के लिये, धन दंड (जुर्माने)। उद्धत (राजस) के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनों, तथा कारावास में बन्धन, स-परिश्रम, (रिगास् इम्प्रिज़न्मेंट, कैदि-बा-मशक़त), दासता आदि। (कुछ सात्विक) मृदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक भूल से, सहसा क्रोध सहसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप और प्रख्यायन करता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, और प्रायश्चित्त करने को तयार हो; उस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्रह, इक्कीस दिन का उपवास, चाद्रायण, कृच्छ्र-सांतपन आदि, सूचित वा विहित, और उचित हैं। ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को और चित्त को बहुत

१ इस पैरा में जो असाधारण अंग्रेजी शब्द आये हैं, उन का अंग्रेजी लिपि में रूप यह है—Advocate; Uncle S(h) am; The Pathology of Princes; Tommy Atkins; Jacques Bonhomme; Propaganda; The Diary of a Maharaja; ‘Justice is on the side of the longest purse.’

संताप पहुंचाते हैं, तथा भविष्य के लिए सदाचार में निश्चित और शुद्ध भी बनाते हैं ।

‘तृतीया प्रकृति’

ऊपर कहा कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भी, आश्वासन-विश्वासन प्रलोभन दे कर भी, अनाचार होते हैं; स्त्री-पुरुष के बीच भी; पुरुष-पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी । यदि स्त्री-पुरुष दोनों वयःप्राप्त वयस्थ हैं, अविवाहित हैं, और परस्पर, जान बूझ कर, प्रीति से आगे चल कर ‘रति’ ‘सुरत’ भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश में, भारत में भी, ‘कानून’ से, उन में से किसी का दंड नहीं होता; सामाजिक बहिष्कार ‘जात-बाहर’ आदि की कथा न्यारी; यह तो, जहां जैसी आचार-सम्बन्धी हवा बंधी हो, फैली हो, वैसा होता है । पुरुष-पुरुष मैथुन, वा पशु के साथ (वियोनि) स्त्री वा पुरुष के मैथुन, का दंड, (तथा बलात्कार का) कानून, अक्सर देशों में अब तक विहित है । परन्तु पुरुष-पुरुष में, यदि प्रेमपूर्वक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग (स्पर्श मात्र वा हस्त-मैथुन आदि) अपितु (अ-योनि) अंतरंग मैथुन भी हो (गुदा, मुख, आदि से), तब परिचय में तो यही हवा अधिकाधिक बह रही है कि शासक शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उपेक्षा ही की जाय, दंड न किया जाय । वैज्ञानिक दृष्टि से यह जांचा गया, और माना जा रहा है, कि ऐसी एक ‘होमो-सेक्सुअल’ ‘इंटीमिडियेट सेक्स’ प्रकृति ही होती है; और जब दैवी महाप्रकृति ने उन का भी रूप धारण किया है, तो उन को भी अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन-निर्वाह करने देना चाहिये; इस शर्त से कि किन्हीं दूसरों को, जो साधारण प्रकृति के हों, हठेन इस ‘अप्राकृतिक’ प्रकार (ऐब-नार्मल, असाधारण-प्रकृति) की ओर खींचा न जाय । पश्चात् देशों में, ‘ट्रैम्प्स’, ‘होबोज’, ‘ऐपल’, गृह हीन व्रात्यों (नटों, कंजरो) के ऐसे भ्रमने वालों में भी, तथा शिष्ट सभ्य का रूप रखनेवालों में भी, तथा, ‘मंक्स्’ ‘नन्स्’ ‘स्टुडेन्ट्स्’ में भी तथा क्रौंजी सिपाहियों में भी, ऐसे असाधारण प्रकृति वाले जीव कुछ

(१) Homo sexual; intermediate sex

होते हैं।^१ वेश-धारियों, बैरागी-उदासियों, 'साधु-मंडलियों', विद्यार्थियों, शिष्ट सभ्य सयाने जीवों में, भारत में भी ऐसे अक्सर होते हैं। पूर्व पश्चिम दोनों में, इन वर्गों में, केवल असाधारण-प्रकृति वाले थोड़े, तो पापिष्ठ प्रकृति वाले बहुतेरे होते हैं। काम-सूत्र के एक अधिकरण में 'तृतीया प्रकृति' की चर्चा की है, तथा 'औपरिष्टक' मुख मैथुन और गुदा मैथुन की; संस्कृत में, पुरुषवत् स्त्री को 'पोदा', और स्त्रीवत् पुरुष को 'भ्रुकुंल' कहते हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही अब लिखा जा सकता है; इन सब विषयों पर प्राचीन काल में, संस्कृत में, विस्तीर्ण ग्रन्थ थे; इस की सूचना वात्स्यायन के उपलब्ध काम-सूत्र में किया है; पर अब वे गुप्त लुप्त हो रहे हैं।

जिन मित्र सज्जन के, पैरिस और लंदन की अभागिनी रूपाजीवाओं के व्यवहार के, अनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात में, यह भी सुना—मुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रामपुर नगर में वे किसी काम से गये; एक ऊँचे अफसर के यहाँ टिके; एक मुकद्दमे की पेशी और कार्रवाई देखी; 'माल' की 'चोरी' का मामिला था; मालूम हुआ कि 'माल' का मानी—एक पुरुष का रक्खा हुआ, 'विवाहिता स्त्री' के ऐसा, एक 'माशुक', और 'चोर' का अर्थ यह कि उस को कोई दूसरा आदमी बहका कर 'निकाल' ले गया था; रामपुर रियासत में, यह 'रखना' जुर्म नहीं था, बहका कर निकाल भागना जुर्म था; जैसे अंग्रेजी भारत में विवाहित स्त्री को। यह घटना प्रायः पच्चीस तीस वर्ष पहिले की है। इस के बाद, रामपुर में दंडविधान कुछ बदला गया या नहीं, यह दयोष्यत और मालूम काने का अवसर मुझे नहीं हुआ। मामसेन ने, ईसा-पूर्व साठे सात सौ वर्ष का, रोम का, जो इतिहास लिखा है, उस से स्पष्ट विदित होता है कि, रोम में, कई बार ऐसे ज़माने हुए जब वहाँ बिल्कुल रामपुर की सी हालत रही। 'सिपाही युद्ध' १८५७-८ ई० के बाद, अवध में, कर्नल करी, कमिशनर रहे; फौजदारी मुकदमों का फैसला भी करते रहे; अंग्रेजी गवर्नमेंट के बनाये 'इंडियन पीनल कोड' के अनु-

(१) Tramps: hobo-es; apache, monks; nuns; students.

सार ; इस इंड-विधान पर एक शरह भी उन्होंने छपवाई; उस मे ऐसे अपराधों की बहुतायत की चर्चा की है; नवाबी मे, यह कर्म, अपराध नहीं समझे जाते थे। 'पोनल कोड' (इंड-विधान) मे इस को 'अन्-नैचुरल्-आफेंस', 'जुर्म खिलाफ वजा फित्री', 'अप्राकृतिक अपराध', कहा है। एक 'माशूक' के लिए, दो 'आशिकों' मे, लाठी छुरे चलने और कतल तक हो जाने के मामिले, अंग्रेजी, अमलदारी की फौजदारी अदालतों मे, कभी-कभी आते ही रहते हैं; मुझे, मैनपुरी जिले मे, १८६४-२ ई० मे, कुछ ऐसों की तह-कीकात, मजिस्ट्रेटी हैसियत से कर के, मुलजिम्नों को जज की कचहरी मे भेजना पडा था। 'बाइबल' (यहूदी 'तौरेत') मे लिखा है कि, बहुत प्राचीन समय मे 'सोडोम' नाम का नगर, इस कुकर्म की बहुतायत के कारण, दैवी कोप से ध्वस्त हो गया, सब जीव पाषाण हो गये (अर्थात् मरण-मूर्च्छा या लकवा पक्षाघात से मर गये; जैसे पुराण की कथा मे, गौतम के शाप से उन की पत्नी 'अहल्या' व्यभिचारिणी 'पत्थर' हो गई) अंग्रेजी के शब्द 'सोडोमी' (गुदा-मैथुन) का मूल, यही बाइबल की कथा है। इस्लामी विश्वास मे, पुण्यात्मा मुस्लिमो को 'बहिरत' मे 'गुलाम' 'गिलमा' मिलते हैं, (जैसे हिंदुओं को 'स्वर्ग' मे अप्सरा); ग्रीस देश मे, अति विख्यात साक्रेटीज, प्लेटो, अरिस्टाटल आदि के 'उज्ज्वल उदय काल' मे, ईसा-पूर्व पांचवी और चौथी सदियों मे, यह पुरुष-पुरुष रति-प्रीति बहुत थी। बाद मे, इस प्रकार का, 'प्लेटानिक लव' (संस्कृत 'लुभ्') नाम ही हो गया। रोम मे 'बैकानेलिया', 'सैटर्नेलिया' आदि उत्सवों मे, (जैसा भारत मे 'होली' पर, और ईसाइयों मे जनता के कुछ अंशों मे 'क्रिस्मस' के अवसर पर, वा साम्प्रत इटली मे 'कार्निवल' पर, तथा मुस्लिमो के कुछ दलों मे, गुप्तरीति से, बंधे दिन रात मे, एवं यहूदियों मे भी, तथा ईसाइयों मे, 'ब्लैक मैजिक' 'ब्लैक मास' आदि कर्म-कांड करने वाले दल, जो तांत्रिक वाममार्ग के अनुकारी ही हैं), सब मर्यादा फेंक कर, मनमाने, जिह्वा-उपस्थ-सम्बन्धी अनाचार दुराचार करते रहे हैं ; ७६ ई० मे, इटली देश के दो नगर, हर्न्युलेनियम् और पांम्पीआइ, समुद्र के तीर पर बसे हुए, पास के ज्वालामुखी पर्वत वेस्युवियस् के विस्फोट से ध्वस्त

हो गये; उद्गीर्ण राख के ढेर में दब गये; नगरों के स्थान पर टीले ही देख पड़ते थे; १८ वीं सदी ई० के आरम्भ में अचानक, किसी हेतु से, एक स्थान पर खोदने से, गृहों की छतें देख पड़ी; तब से बहुत खुदाई की गई है, और बहुत सी बहु-मूल्य वस्तुएं मिली हैं, और 'भ्युज़ियम' बना कर रखी गई हैं; जैसे भारत में इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, सारनाथ, नालन्दा, तक्षशिला, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि में, तथा काश्मीर और तिब्बत के उत्तर, गोबी नामक मरुभूमि और तुर्किस्तान के बालू के टीलों में, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों में, जहां-जहां खंडहरों का पता चला है। इटली के वे दोनो उद्यान-नगर, रोमनिवासी अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; अब, उन में, राख के हटाने पर, कई 'मंदिरों' में नग्न स्त्री-पुरुष की मूर्तियां, बहुत सुन्दर और अखंडित, 'कामीय' चेष्टाओं में व्यावृत, मिली हैं, जो वर्तमान नेपल्स नगर के एक 'भ्युज़ियम' (अजायब घर, 'आश्चर्य'-गृह) में सुरक्षित हैं। भारत में भी, जगन्नाथपुरी, सिंहाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजौर, रामेश्वर आदि के मंदिरों में, तथा काशी के 'नैपाली खपरा' नाम से प्रसिद्ध मंदिर में भी, ऐसी मूर्तियां, दीवारों पर खुदी हुई आज तक हैं; ऐसी अश्लील मूर्तियों के बनाने का हेतु पढ़ने पर, पुजारी लोग, तरह-तरह की बातें बनाते और बताते हैं। यह तो प्रायः प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर के बहुत निकट, वाममार्गियों का मंदिर है, और मुख्य मंदिर में भी देवदासियों का नृत्य होता है, इत्यादि। इस सब से विदित होता है कि सभी देशों और सभी कालों में, 'प्राकृतिक' स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ (वर्तमान युग में ठीक ही 'अप्राकृतिक' कहलाती) 'तृतीया प्रकृति' कम-बेश होती रही है। वानरों में प्रत्यक्ष देख पड़ती है।

भारत के अधःपात का एक प्रधान कारण

अपने ही किये जिन महापातकों के हेतु से भारत-जनता, भारत-धर्म; भारत-देश, का ऐसा अधःपात हुआ, और अधिकाधिक होता जा रहा है, उन में यह दारुण व्यवसाय, अबला-यातना का, तथा अन्य प्रकारों से भी बहुतेरा अपमान और पीड़न, स्त्रियों का, एक प्रधान महा-

पातक है, जिस के कारण यह देश नितान्त पराधीन, परायों की बृतियों के तले, पडा हुआ है; छटपटाता है, पर कुछ भी कर नहीं सकता; अत्यन्त विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना 'स्व'-भाव, नहीं शोधता; प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्थ, दूसरों को ही बुरा कहता है, सब दुःखों के लिए दोष देता है, और अपने को सर्वथा भला और गुणमय मानता बखानता है।

राजन्, सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि ;
 आत्मनो बिरुवमात्राणि पश्यन् अपि न पश्यसि ।
 यत्र नार्थस् तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ;
 यत्र एतास् तु न पूज्यन्ते, सर्वास् तत्रश्च फलाः क्रियाः ।
 शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत् कुलं ;
 यत्र एतास् तु न शोचन्ति, वर्धते तद् हि सर्वदा ।
 जामयो यानि गेहानि शपति, अ-प्रतिपूजिताः ,
 तानि कृया-हतानि इव विनश्यति समन्ततः ।
 तस्माद् एताः सदा पूज्याः, भूषणा आच्छादना-शनैः,
 भूतिकामैर् नरैर् नित्यं, सत्कारेषु उत्सवेषु च ।
 संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथा एव च ,
 यस्मिन् एव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै भ्रुवं ।

ससों से छोटे छिद्र दूसरों के देखते हो; बेल से बड़े छिद्र अपने नहीं देखते हो। जिस कुल, परिवार, वंश, समाज में, स्त्रियों का अनानुभव अपमान किया जाय, स्त्रियों को पीडा दी जाय, जिस को वे रोती विलपती सिसकती स्त्रियां शापें, वह कृया (कोसना, 'कस', मानस-अस्त्र) से, विद्युत् बिजली से, मारे हुए के ऐसा, सद्यः नष्ट हो जाता है। जिस कुल में स्त्रियों का, भूषण, आच्छादन, भोजन से, प्रीति-पूर्वक सत्कार होता है, वही कुल फूलता फलता है; जिस गृह में भर्ता से भार्या और भार्या से भर्ता प्रसन्न है, संतुष्ट है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीं स्वर्ग है।

घोर हानिकारक 'थोथे नारे, अर्थ विसारे'

अंग्रेजी में कहावत है, 'दि एग्पटी वेसल साउन्ड्ज़ मच', 'the

empty vessel sounds much'; 'रीता बड़ा, शब्द बड़ा' 'भारी ढोल, निरा पोल'; 'लक्रज कसीर, मानी सगीर'; 'सूरत फ़जील, सीरत ज़लील' ।

बिना 'स्व'-कीय 'स्व'-भाव शुद्ध किये, 'स्व-राज' 'स्व-राज' का थोथा शोर करना, अर्थशून्य व्यर्थ अपार्थ अनर्थ 'नारे' (घोष, आक्रन्द, पुकार) लगाना चिल्लाना, नितान्त मूर्खता है, और अधिक पराधीनता और दुःखो का हेतु है । जब 'स्व-राज्य' के 'स्व' का ठीक अर्थ जनता जान लेगी, कि चुद्र-'स्व-अर्थ'-(-स्वार्थ-)-कामी नहीं, राजस-तामस-कामडात्मक अधम-'स्व'-वाले नहीं, पर-अर्थ-कामी सर्वजनीन-हित-कामी, सात्त्विक-कामात्मक निस्स्वार्थी परार्थी उत्तम-'स्व'-वाले, लोक-हितैषी, विद्वान्, अनुभवी, परिपक्व वयस् और बुद्धि के, समाज के सब अंगों के अच्छे और जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते हुए, और सच्चे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सु व्यवस्था करने का उपाय भली-भांति सोचे विचारे और जाने हुए, मनुष्यों का राज्य ही सच्चा 'स्व'-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के साधने का उपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-धर्म-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है । जब ऐसा होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य' शब्द का घोषण करना सार्थ होगा; और कृतार्थ भी होगा; अन्यथा नहीं । विवेक-पूर्वक, अल्प-स्व-अर्थी स्वार्थी 'काम' का नियमन, सीमित-करण—यह, इस सन्-मार्ग का पहिला पद (कदम) है । यदि सब लोग अपने दोष और पराये गुण अधिक देखें, अथवा, कम से कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण भी और दोष भी देखें, तो सब कलह शांत हो जाय, सत्ययुग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय । अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब लोग देख रहे हैं, इसी से कलह का उद्रेक और कलि का साम्राज्य हो रहा है । अंग्रेज, जर्मन को; जर्मन अंग्रेज को; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जर्मन को; जर्मन, रूसी को; अंग्रेज, रूसी को; रूसी अंग्रेज को; हिन्दू, मुसलमान को; मुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को बुरा समझता है और पुकारता बलकारता है; अपने को सर्वथा अच्छा ही जानता है । जगत

मे शांति, अहिंसा, और सत्य का राज्य, सत्ययुग, कैसे हो ? यदि, मारामारी करने के एवज, सब लोग मिल कर शाहस्तगी से सलाह करें, अपने-अपने काम-क्रोध को दबावें, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणों को भी देखें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, और उन को मुनासिब हद तक पूरा करने में मदद दें, तो ये सब ऋग्वेद आसानी से निपट जायें । वही पुरानी बात, “आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः” । पर बनता नहीं, प्रत्येक देश में, काम, क्रोध, लोभ, गर्व, परस्पर भय, और ईर्ष्या की आंधी में ही, शासक समूह अपने-अपने अनुयायी, मन्त्र-संमोहित, जड़ी-भूत, भेड़-बकरी के ऐसे, प्रजा-समुदाय के साथ, उड़ता रहता है ।
(जिस ‘नोट’ का आरम्भ पृ० २३१ पर हुआ, वह यहाँ समाप्त हुआ)

ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा

सन् १९४२ में, ब्रिटेन के स्वास्थ्य-विभाग के एक बहुत ऊंचे अधिकारी ने, जनता को सावधान करने के लिए, अपने विभाग के कार्य की कठिनता के उल्लेख की आड़ में, यह चेतावनी दी कि ब्रिटेन में, और विशेषतः लंदन महानगर में, एक नया संकट बढ़ गया है; अविवाहिता युवतियों में ‘वेनोरियल डिजीज’, गुह्येन्द्रिय-सम्बन्धी रोग, की बहुत वृद्धि हो गई है; क्योंकि वे, युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए अमेरिका से आये हुए सैनिकों के साथ, निश्चक हो कर ‘अतिथि-सत्कार’ के भाव से, उन का मन प्रसन्न रखने के लिए, स्वच्छन्द विचरती हैं और सिनेमा गृहों में तथा अन्य मन-बहलाव के स्थानों में घूमती फिरती हैं । अमेरिका से आये हुए सैनिकों पर, ध्वनि से, दोष मढ़ा गया; पर ब्रिटेन को स्त्रियों के चित्त की दशा का भी प्रदर्शन उसी ध्वनि से होता है । स्वयं ब्रिटेन के सैनिक, जो युद्धकाल में, अपने देश में तथा अन्य देशों में ऐसी ही कर्तूत करते रहे हैं, उस का भी इन्हीं प्रकारों का वर्णन, स्वयं अंग्रेजी ग्रंथों में मिलता है; तथा भारतीय और अन्य-देशीय सैनिकों का भी युद्धकाल में सदा से यही हाल रहा है; ‘वीर्यमद’ का तांडव, हत्या, स्त्रियों पर बलात्कार, लूट, ध्वंसन, सभी प्रकारों से, साथ ही साथ, होता है । योगभाष्य में, “वितर्क बाधने प्रतिपन्न-भावन” (सूत्र २-३३) पर, वितर्कों

का रूप लिखा है—'वैरी को मार डालूंगा, इस कार्य के लिए भूठ भी बोलूंगा, इस का धन दौलत सब लूट लूंगा, इस की स्त्रियों से व्यवाय (मैथुन) करूंगा, इस के माल-मता का मालिक बन जाऊंगा'। शहरों और ग्रामों में पद-पद पर देख सुन पड़ता है कि अभद्र मनुष्य आपस में क्रोध से लड़ते हैं, तो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन बेटी की और अ-योनि-मैथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रिया भी जब लड़ती है, तब एक दूसरे को अश्लील शब्दों में, तरह-तरह के व्यभिचार के और वि-योनि मैथुन के दोष भी लगाती जाती हैं।

'उपस्थाय' काम के विकारों का; उन से उत्पन्न अति विचित्र, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक क्रियाओं का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; हत्याओं, विट-वृत्तियों, वेश्या-वृत्तियों, पुरुष-पुरुष मैथुनों, स्त्री-स्त्री मैथुनों, मनुष्य-पशु मैथुनों का;^१ राजाओं-रानियों, मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, के व्यभिचारों

१ ऊपर पृ० २३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहै कि इन सब धर्म विरुद्ध दुष्कर्मों की, अ-योनि मैथुन (मुख में वा गुदा स्थान में), वि योनि मैथुन (नर-मादा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्रेजी में 'होमो-सेक्सुएलिटी'), अर्थात् समान लिंग स्त्री-स्त्री के, पुरुष पुरुष के, मैथुन), आदि की चर्चा काम-शास्त्र में की है; और स्मृतियों में इन के लिए, अपराधों के अनुरूप, छोटे-बड़े प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं। जो लोग इस की ओर थोड़ा भी ध्यान देंगे, उन को तुरत पता लग जायगा कि ऐसे अनाचार कितने फैले हुए हैं, और बहुतेरे सयानों प्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, यद्यपि जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो स्वयं भले हैं, वे शर्मा-शर्मी से, 'लोक-लाज' से; जो स्वयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते रहते हैं, और मन में भले आदमियों का क्रूर अपहास भी करते हैं, और पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैं। भारतीय तथा अन्य देशीय सेनाओं के अफसर और डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियों में, जो अपने कलत्र-पुत्र आदि से, वा सब प्रकार की स्त्रियों से, स्वकीया, परकीया, वा वेश्याओं से, अलग पड़ गए हैं, इस प्रकार के अयोनि वियोनि मैथुन बहुत होते हैं। यही हाल, बड़े-बड़े यंत्रालयों कारखानों कर्मान्तों का है,

का; उन के कामीय दोषों के कारण चक्रकों पेटकों (गुट्टे, 'कोटरी', coterie) के बनने का; जिन की चर्चा प्रायः साधारण 'भद्र' इतिहास लिखने वाले या तो अज्ञान-वश, या अश्लीलता के अपयश के भय से, अपने लिखे इतिहासों में नहीं करते; पर जिन के कारण, देश-देश के इतिहास की गति में बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये हैं, और हो रहे हैं, और जिन का ठीक-ठीक हाल जाने बिना, इतिहास की गति के पलटे समाप्त में नहीं आते; इन सब का गवेषण, इस विषय के पाश्चात्य गवेषकों ने बड़े परिश्रम से किया है, और बड़े-बड़े बृहत्काय, पाँच-पाँच, सात-सात, दस-दस, जिल्दों के आकर ग्रंथों में वर्णन लिखा है। ऐसा करने के कारण, शुरू में, ऐसे लेखकों को बहुत कठिनाइयाँ और दुर्दशाएँ, सामाजिक निन्दा और तिरस्क्रिया, जहाँ पुरुष ही पुरुष, वा स्त्री ही स्त्री, एकत्र होती हैं। यही हाल, अयोनि मैथुन का, स्कूलों कालिजों में और वहाँ के अध्यापकों में है; इस की चर्चा, पड्डिले, पृ० २०६-२१२ पर, कुछ की जा चुकी है। यह सब दोष पूरब के भी, पच्छिम के भी, सभी देशों में, धीरे धीरे रूप से सदा रहे हैं और बढ़ते जाते हैं। मानव-सभ्यता, 'समा' की व्यवस्था, सामाजिक वा सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, ('सिविलिजेशन', 'सोशल स्ट्रक्चर', 'वे आफ कलेक्टिव और सोशल लाइफ' Civilisation, Social structure, Way of collective or Social life), का रूप और प्रकार ज्यों-ज्यों बदलता है, त्यों-त्यों उस के प्रभाव से, वैयक्तिक और कौटुम्बिक जीवन और 'अप्रकट-जीवन' ('प्राइवेट लाइफ' private life) का रूप और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता है।

गुरुकुलों की प्रथा, और विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य की महिमा, और आश्रम-व्यवस्था, जिस काल और देश में व्याप्त थी, उस में इस प्रकार के अनाचार-दुराचार का संभव कम था। आजकाल, बालक-बालिकाओं, युवा-युवतियों, के सह-अध्ययन की चाल, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उस से अविवाहित मैथुन, गर्भाधान, गर्भपातन, रोग-भोग, आत्म-हानन, सहोद (गर्भेण-सह, दूसरे के वीर्य से गर्भ में आये जीव के साथ, स्त्री का) विवहन, (अन्य से गर्भ रह जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर)

भी खेलनी पड़ी; और कचहरियों से दण्ड भी सहना पड़ा; पर अंत मे, जनता ने, तब पीछे 'जज्जो' प्राड्विवाको ने भी, पहिचाना, कि इन को दंड नहीं, आदर देना चाहिये; मनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की नीवी उन्हो ने पुनः डाली है, भारतवर्ष के लुप्तप्राय प्राचीन विशाल काम-शास्त्रीय वाङ्मय का (जिस के कुछ ही बृहत्काय ग्रंथों का नाम वात्स्यायन के उपलभ्यमान अति स्वल्प 'कामसूत्र' के आरम्भ मे लिया गया है) पुनः नये रूप मे उज्जीवन किया है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया है, अंधेरे मे प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा ऐसी दुर्दशा होती रही है; पति-बंधन, आदि, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन को आधि-व्याधि-मय और नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, और सामूहिक धोर-चित्त-विकार उत्पन्न कर के तीव्र कलहों और महायुद्धों के कारण हो रहे हैं।

देश-देश मे, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कभी वेरयाएँ रखने की, कभी व्याहुता (विवाहिता) स्त्रियाँ रखने की, तरह-तरह की आजमाइशें कीं; पर एक दुष्फल कुछ रूका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीक्ष्ण, उत्पन्न हो गये।

ऊपर, 'अप्राकृतिक', 'अस्वाभाविक' ('ऐब-नार्मल' abnormal) आदि शब्द लिखे गए हैं। व्यापक 'सार्विक' 'सामूहिक' दृष्टि से तो महा-प्रकृति, पारमात्मिक मूल-दैवी-प्रकृति, के बाहर कुछ हो ही नहीं सकती; पर देश-काल से अवच्छिन्न, परिमित, आपेक्षिक, ('रेलेटिव', relative) खंड-ग्राहिणी व्यावहारिक दृष्टि से, 'प्राकृतिक', स्वाभाविक' ('नार्मल' normal) का अर्थ इतना ही है, कि उस देश और काल मे, वह जीवन प्रकार, वह रहन-सहन, आचार-विचार, आहार-विहार, बोल-चाल, दुआ-सलाम, स्त्री-धुरष के परस्पर व्यवहार की मेढ-मर्यादा, अधिकतर समाज मे प्रचलित और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्दा वा शंका की दृष्टि से अधिकतर देखा जाता है, वह 'अप्राकृतिक' कहलाता है।

'उपस्थ' शब्द पुरुष के लिंग, शिरन, मेढ, मेहन, शेफ, का भी वाचक है, तथा स्त्री के लिंग, योनि, भग, वराङ्ग, मदन-मंदिर, का भी; 'योनि' भी दोनो का; पर रूढ़ि यही है, कि 'लिंग' पुरुष-चिह्न के लिए, 'योनि' स्त्री-लक्षण के लिए, कहा जाता है।

राजस-तामस जन्तु जिस हाथ से रोटी पाते हैं, उसी हाथ को काटते हैं।
“सतत-दुर्गत. सज्जनः ।”

अब इस विषय पर, पश्चिम में, हजारों छोटे और मोटे ग्रन्थ निकल चुके हैं और निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभी राष्ट्रों में, एक एक, दो दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित मासिक पत्र भी छपते रहते हैं; जैसे अन्य शास्त्रों के। पर मनुष्य की प्रकृति की द्वंद्वमयता के हेतु से, नये ज्ञान-विज्ञान का घोर दुरुपयोग भी बढ़ता जाता है। इन पाश्चात्य ग्रन्थों में, जो अति ‘काम’ वा विषम ‘काम’ से प्रेरित पापों का वर्णन मिलता है, उस को पढ़ कर, हृदय दहल जाता है; यह पृथ्वी नहीं, साक्षात् नरक है, यही जान पड़ने लगता है; ऊपर का कोमल चमड़ा जरा सा छीलो, तो नीचे मल ही मल देख पड़ता है; स्त्री और पुरुष, परस्पर, जितना सताते हैं, उस से अधिक यातना यमराज की दंडधानी में भी नहीं हो सकती है; आपात-रमणीय, देखने मात्र को ऊपर से चिकना, स्निग्ध, भीतर नितान्त मलमय, चित्त भी, शरीर भी, धारण करना नहीं अच्छा; छोड़ देना ही अच्छा— ऐसे वैराग्य के उत्कट भाव, मृदु-वेदी सुकुमार चित्त के जीव के भीतर उत्पन्न होते हैं। परन्तु,

महामाया-प्रभावेण, संसार-स्थिति-कारिणा,
संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया की पूर्वार्धरूप अविद्या देवी के प्रताप से; अथ च परार्धरूप विद्या देवी की आज्ञा से, कि

अनासक्रः फले नित्यं, कृत्यं कर्म समाचर,

(परेषां सेवनार्थीय, ऋणोद्धाराय चात्मनः), (गी०),

फल की इच्छा आशा में मन अटक़ाये बिना, कर्तव्य कर्म करो; दूसरों की सेवा सहायता विविध प्रकारों से कर के अपने देव-ऋषि-पितृ-ऋणों को चुकाओ, तथा दूसरों का अपराध रूपी दुष्कर्म कर के इस जन्म और पूर्व जन्म में काटे-ओढ़े ऋणों का, दूसरों के लिए दुःख उठा कर, मानो दंड भोग कर, निर्यातन निर्मोचन करो; तथा वेदान्त के इस सिद्धांत को याद कर के, कि सृष्टि में पुण्य और पाप की मात्राएँ, अंततो गत्वा, कांटा-तौल तुल्य हैं; पुनः कार्य में लगना पड़ता है। अन्न से खाद, और खाद से अन्न, पैदा होते ही रहते हैं। ‘संसार-चक्र’ का अर्थ ही यही है।

यु० स्टे० अमेरिका में, शारीरशास्त्र, प्राणिशास्त्र, सचेतनशास्त्र (‘बायोलोजी’ ‘फिजियोलोजी’) के एक अग्रग्रन्थ विज्ञाता और नये नये अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस कैरेल का देहावसान, ७१ वर्ष का उम्र में, नवम्बर, १९४४ में हुआ। आप ने ‘नोबेल’ पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी अर्हणा की उपाधिया, पाई। सन् १९३५ में इन का एक ग्रन्थ, ‘मैन—दि अननोन’ (Man—the Unknown, ‘पुरुष—अज्ञात’), छपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुई, तीन सौ पृष्ठ की, इस पुस्तक की पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सभ्यतम मनुष्य अन्य बहुत विषयों को जानता है, पर ‘अपने’ को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, ‘आपणें’ (‘आत्मान’) को आप ‘अज्ञात’ है, और ‘माडर्न सिविल-जेशन’ (‘नूतन पाश्चात्य शालीनता सभ्यता’), अधि-आत्म से अति विरक्ति, और अधि-भूत में अति आसक्ति अनुरक्ति, के हेतु, सारहीन, निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्ध कूप में गिरने जा रही है; तथा इस आसन्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन (सर्वथा उत्सादन नहीं) किया जाय; और अधि-आत्म की प्रसृत उच्छिन्नप्राय रुचि पुनः जगाई जाय। सो उन का, तथा सब देशों के सभी विचारशील, विवेकी, दूरदर्शी, शांतिप्रिय, अध्यात्म और अधिभूत का यथोचित समन्वय चाहने वाले सज्जनों का, यह भय सत्य हा ही गया; और १-९-१९३९ को, यूरोप में, प्रजाविनाशी विश्व-युद्ध शुरू हो ही गया। प्रायः छः वर्ष तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीव्रता और उग्रता, बढ़ती ही गई। मई, १९४५ में, जर्मनी ने, सितम्बर, १९४५ में, जापान ने, हार माना। यू० स्टे० अमेरिका के अपार धन और अद्वितीय विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शौर्य और बहुत बढ़ा हुआ भी विज्ञान, धन और रण-सामग्री की कमी से, निष्फल हो गया। कई कोटि ‘डालर’ के व्यय से, कई वर्ष के नितान्त छिपाए हुए परिश्रम से, यू० स्टे० अ० के वैज्ञानिकों ने ‘ऐटम-बम’ (atom bomb) तैयार

किए। ८ अगस्त, १९४५, को जापान के हिरोशिमा नगर पर, और ९ अगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक एटम-बम गिराया गया। ढाई-ढाई तीन-तीन लाख आदमियों की बस्ती सहित, दोनो नगर मानो धूल हो कर हवा में उड़ गए। उनका कुछ निशान भी नहीं बचा जापान के सम्राट और शासकों ने देखा कि अब भी लड़ते रहना तो सारी जापानी जाति को मिटा देना है। देखिये, अब विजेताओं के हाथ जापान जाति और देश की क्या दशा होती है। अत्यन्त अभिजात्य-मद (race-pride) ने ही जर्मनी का भी और जापान का भी नाश किया।

अपने भीतरी कलहों से छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण इस अभागे भारतवर्ष में तो अन्धस्वार्थ, अन्धकलह, पराकाष्ठा के दम्भ, दैन्य, छल-कपट, मिथ्यावादिता, दगाबाजी, परस्पर नितान्त अविश्वास, शंका, भय, चापलूसी, चर्ब-जवानो, चाटुकारिता, का राज्य हो रहा है। और न सच्चा शौर्य है, न सच्चा धर्म, न धन, न विज्ञान-कौशल। पर, जैसे वृद्ध शरीर में, अनुभव से पक्व बुद्धि और प्राण की अर्वाशिष्ट सूक्ष्म ज्योति भी, जरा (बुढ़ापा) देवी की सहचरी व्याधियों की मडली के साथ-साथ अन्त तक कुछ न कुछ बनी रहती है, वैसे ही आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूक्ष्म स्वल्प प्रभा आभा अब भी जहा-तहा भारत में बच रही है। ऐसे भारतवर्ष में, बीस पच्चीस वर्ष से, यह भविष्य वाणी फैल रही है कि, घोर कष्टों के अनन्तर, सम्वत् २००० की समाप्ति (अप्रैल १९४४ ई०) के बाद, अस्ती वर्ष का एक बहुत छोटा सत्ययुग के ऐसा अवातर युग होगा। सम्वत् २००० वि० बात गया; अभी तक सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदात्मा की अनन्त 'काम' शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण में सारी हवा बदल सकती है। अस्तु; अनादि अनन्त काल और आकाश में जो कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब ही 'कामस्य विक्रीडितं', 'अकामस्य, सर्वकामस्य, महाकामस्य, निष्कामस्य, मूलकामाधिपतेः, सर्वकामातीतस्य, देश-काल-क्रिया-रहितस्य, अक्रियस्य, सर्वक्रियस्य, अविद्या-विद्या-मयस्य, सर्व-द्वंद्व-गर्भस्य, सर्व-द्वंद्व-नातीतस्य, लीला-कैवल्य-धारिणः, भगवतो जग-

दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायित्तम्' ।

महाभारत में पांडव-कौरवीय प्रजानाशक घोर 'महा-युद्ध' ('ग्रेट वार'), के कारणों में (यमराज को अग्नीमाडव्य ऋषि के शाप, और पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्म, के) रूपक से भी, और स्पष्ट शब्दों में भी, दो मुख्य कारण कहे हैं ।

आपूर्यंत मही कृत्स्ना प्राणिभिर् बहुभिः भृशं;

असुराः जज्ञिरे राज्ञां चोत्रेषु, (बहवः तथा) ।

कुछ वर्षों तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रजा को सुख मिला; मैथुनीय काम की और मनुष्य संख्या की अति वृद्धि हुई; परस्पर संघर्ष, जीवन संग्राम, घोर कलह, का बीज, अंखुए निकाल कर, बाहर आया और बढ़ने लगा । दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाओं के घरों में असुरों, दैत्य-राक्षस जीवों, ने जन्म लिया; अति वीर्य-मद, लोभ, क्रोध, मत्सर आदि के 'गुलाम', और प्रजा के 'राजा' । संसार में दुःख भर गया; महाभारत युद्ध हुआ । मात्स्य-न्याय चला; जैसे मछलियां, एक एक बेर में लाखों अण्डे देती हैं, फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यों का हुआ । वही हाल आज समग्र मानव-जगत् का हो रहा है ।

काहे दुःख संसार छयौं रे, काहे दुःख संसार छयौं ?

काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर कौ जब राज चलयौ,

तब ही जग में दुःख छयौं ।'

प्रेम प्रीत मुसक्यान विनोद रु हंसिबो स्वप्न भयौ ।

हाहाकार, परस्पर नाशन, चहुं दिसि होइ रझौ ।

ऊपर कहा कि द्वितीय विश्व-युद्ध अधिकाधिक फैलता और जगत्-प्रमाथी होता गया; यहा तक कि जल, स्थल, अनिल में सर्वत्र व्याप्त हो गया; कोई महा द्वीप या लघु द्वीप इम से बचा नहीं; साक्षात् रक्तपात और मास-कर्दम से; वा परम्परया, रण की सामग्री एकत्र करने के हेतु किये गये शोषण मोषण से । पुराणों के देवासुर संग्रामों को भी इसने मात कर दिया; चारों ओर रुधिर की नदियां बही; कोटियों मनुष्यों की शक्ति का, घोर अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण,

स्थल-यान, जल-यान, अन्त-जल-चर-यान, वायु-यान, गोला, बारूद, 'बम', 'टैंक', सौ सौ फुट तक लम्बी और बारह बारह हजार मन तक भारी तोपों, को बनाने में; और दूसरी ओर बिगाड़ने, तोड़ने, फोड़ने, समुद्र और नदियों में डुबाने में। बड़ी बड़ी नगरियां, राजधानियां, बम-वर्षा अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उजाड़ी, और खंडहल और राख के ढेर बनाई, गईं; जहां जहां पेट्रोल, तेल, बारूद, वा 'गेस' के विशाल संचयों (गोदामों, 'गो-डाउन', खजाना, गंज) में बमों से आग लगाई गई, वहां वहां हजारों गज ऊंची आग की लपटें और कोसों ऊंचे धूएं के बादल उठते रहे; और बिजली की तड़क और गरज को अति क्रुद्ध बना देने वाले धड़ाके, विस्फोट, होते रहे; दस दस, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस, और तीस तीस करोड़ रुपयों की, वा इससे भी अधिक, लागत के 'सैकड़ों

१ जापानी जल सेना के एक अफसर, किनोआकी मासुको ने, जापान में, अपनी भाषा में, १९४० ई० में एक ग्रन्थ छपवाया; उस का अनुवाद, अंग्रेजी में 'हाउ जापान प्लान्स टु विन्' ('How Japan Plans to Win'), नाम से, एक जापान विद्रोही कोरिया-देशी पुरुष, किल्लु-हान ने यू० स्टे० अमेरिका में १९४२ में छपाया; उस के पृष्ठ ४२ पर छपा है कि ४५००० (पैंतालीस हजार) टन् (बारह लाख मन) के जंगी जहाज का मूल्य सौ मिलियन (दस करोड़) डालर (बीस मिलियन पाँड वा तीस करोड़ रुपया), और पैंतीस हजार टन् के युद्ध-वहित्र का सात करोड़ रुपया होता है। सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि पर, जापानियों ने, १९४१ के अन्त और १९४२ के आरम्भ में कब्जा कर लिया; १९४२ के अन्त में कलकत्ता पर बम-वर्षा की; और तब से भारत की पूर्वी सीमा पर, (आसाम बर्मा के बीच में) उनकी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेनाओं में सतत युद्ध होता रहा। १४ अप्रैल १९४४ को बम्बई के जहाजी बन्दरगाह में, अमेरिका से आए हुए, फौजी सामग्री, बहुत सा सोना, बारूद, बम गोला, आदि से भरे हुए, एक भारी जहाज में भीतर भीतर आग लग गई, भारी विस्फोट हुआ, अग्नि के गोले शहर पर फैल-फैल कर गिरे; मीलों तक मकान टूट गए; हजारों

मुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से 'टापींडो' अस्त्र की मार से, और वायुमण्डल के भीतर से 'बम' अस्त्र के प्रहार से, आध-आध घन्टे में, हजारों मुसाफिरी, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्त्रादि सामग्रियों समेत डुबा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारों; लाखों मनुष्य, (न केवल युद्ध के पेशे वाले फौजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छोड़वा कर, मजबूरन (अगत्या, बेवसी, विवशता से, सेना में भरती किये गये, और दो तीन महीने में आरम्भिक फौजी 'कवायद' सिखा कर युद्ध में भोक्त दिये गये। ये तो मृत्यु के मुख में 'सशस्त्र' बन कर गये ही; इन के अलावा गांवों और शहरों में बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए पुरुष, घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रिया, स्कूलों में पढ़ते खेलते लड़की लड़के भी, इन शहरों और गांवों पर की गई बमवर्षा, अग्निवर्षा, गोली-वर्षा, से लाखों की संख्या में हताहत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, मारी बाक्री उम्र के लिए, अन्धे, लंगड़े, लूले, बहिरे, हस्तहीन, पादहीन, नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कल के तांडव में, पचासों कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति का, साक्षात् वा परम्परया, दारुण दुर्व्यय दुष्प्रयोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य आदि के व्यापारों में, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्तुओं के उत्पादक कार्यों में, जो लगे हैं, उन के उत्पादित द्रव्यों का भी, अन्न वस्त्र, फल-मेवा, गुड़-चीनी, घी-तेल, लकड़ी कोयला, धातुओं के बर्तनों का, खनिज पदार्थों का, ऊन चमड़े का, औषध का, सभी का, गवर्मेन्टों की आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के बड़वानल में होम-हवन, सभी देशों में होता रहा है। इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर अभाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्काल, अकाल होता रहा; दूसरी ओर, शासक शक्तिया, गवर्नेमेंटें, सोना-चादी-तांबा आदि धातुओं के सिक्कों को, व्यवसाय व्यापार में सहायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और शहर का नुकसान मिला कर, प्रायः पांच सौ कोटि रूपयों के तुल्य सम्पत्ति का ध्वंस हुआ; स्यात् कुछ अत्युक्ति हो।

बाजार से खींच कर, युद्ध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों में लगाती रही; तीसरी ओर, इन सिक्कों के स्थान पर 'करेंसी नोटों' के कागजी घोड़े, गवर्नमेंट ने अपने छापाखानों में यथेष्ट छाप छाप कर चौतरफा दौड़ाया; चौथी ओर, सब प्रकार के कर, 'टेक्स', दिन दूने रात चौगुने करती रही हैं; पांचवीं ओर, गवर्नमेंट तो, इस शंका और भय (सेन्स आफ इनसिक्यूरिटी, sense of insecurity) से कि भविष्य में युद्धोपयोगी किसी वस्तु की कमी न हो जाय, सब प्रकार के अन्न वस्त्र-खनिज-तेल आदि द्रव्यों के लाखों करोड़ों मनो के विशाल संचय ('होर्डिङ्ग', hoarding), अपने ही निर्णीत दामो पर खरीद खरीद कर, स्थान स्थान पर, जमा करती रही, (आटा व अन्य खाद्य पदार्थों को, वर्षा आदि में खराब हो जाने पर, 'मुफ्त मोल' बेच भी देती रही है); पर, उसी शंका और भय से भीत साधारण प्रजा-जनो और दूकानदारों को, अपने निजी ही अन्न आदि का संचय कर के घरों दूकानों में रख लेने ('होर्डिङ्ग') के लिए, तथा रेज़रगी-पैसे का रोज़गार ('मनी-चेंजर्स बिज़िनेस', money-changer's business) करने वालों की भी, छोटे छोटे संचयों के लिए भी, नये नये विधान बना कर, कठिन कठिन कारावास और जुर्माने के दंड देती रही है; और 'राशनिङ्ग' (rationing 'सम-भक्त', प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए इतने ही नियत निर्धारित हिसाब से, अन्न, वस्त्र, तेल आदि को एक बेर में खरीद सके, 'प्रयाम'), तथा 'प्राइस-कंट्रोल' (price-control, मूल्यनियमन), और 'ट्रांसपोर्ट-कंट्रोल' (transport-control, एक स्थान से दूसरे स्थान को, अपने ही कुटुम्ब के उपयोग के वास्ते भी, वा तिजारती क्रय-विक्रय खरीद-फरोख्त के वास्ते भी, लाने ले जाने के नियमन-नियंत्रण वा सर्वथा निषेध) के, नित्य बदलते नियम, प्रजा के चित्त में तीव्र उद्वेग, परीशानी, और कि-कर्त्तव्य-विमूढ़ता पैदा करने वाले, निकालती ही है।' ऐसी अवस्था में, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ?

१ याद रहे कि इन सब प्रकारों की कार्रवाइयां, प्रजा के शोषण पीडन की, और राजाओं, नवाबों, शासकों के स्वार्थ-साधन और स्वेच्छा-पूरण की, जब से इतिहास का पता चलता है तब से, पुरब के भी, पच्छिम के

देश का साधारण दैनंदिन जीवन नितरा उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त और त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों भी, देशों में सदा होती रही हैं; कभी कम, कभी ज्यादा; पर उन के नाम और रूप बदलते रहे हैं। प्रजा-जनो, शासितों, में भी, परस्पर शोषण मोषण का, विविध रूपों से यत्न सदा होता रहा है; कभी थोड़ा, कभी बहुत। यदि पिछले जमानो के मुकाबिले (अपेक्षा से) अब कुछ भेद है, तो शायद (स्यात्) इतना ही, कि अब 'कायदे-कानून से जायज', 'ला-फुल-नेस' (lawfulness), 'विधिपूर्वक-अनुमति', की ऊपरी दम्भात्मक शिष्टता (तहजीब) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राजा नवाब बादशाह महाराजा लोग, पूरब में, और 'राबर् बैरन्स' (robber barons), 'लुटेरे शासक', आदि पच्छिम में, खुले अधखुले रूप से दस्यु-मोषक होते थे; पूरब में अब भी हैं; 'नागाओं', 'उदासियों', 'बैरागियों', विविध-वेश-धारियों, के झुंड के झुंड, सेना के ऐमे, राजाश्रय पा कर, स्वयं जीवन-निर्वाह कर, दूसरे राजाओं के देशों में लूट पाट कर के, अपने राजाओं का कोष बढ़ाते थे, और हैं। पच्छिम में, कोटिपतियों के 'फाइके' 'कॉर्नरिङ्ग्', 'स्पेक्युलेटिङ्ग्' (cornering, speculating), के रोजगार का भी मर्म वही है जो 'होर्डिङ्ग्' (hoarding), का। 'ईति' के छः प्रकार, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, टिड्डियों, पतंगों चिड़ियों के झुंड, के साथ, 'प्रत्यासन्न,' अति पास रहते या यात्रा करते हुए, छटे, 'राजा' भी (जैसे 'दौरा' करते हुए 'हाकिम' लोग) गिने गये हैं। भर्तृहरि ने भी "वित्ते नृपालाद् भयं" कहा है, 'जिस के पास कुछ धन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा में, डर उत्पन्न हुआ। नरों के जो 'पालक' वे ही भय-दायक 'घालक', जो 'रत्तक' वे ही 'भक्तक' ! और भी पुराना श्लोक है,

नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके;

जनपदहितकारी द्विष्यते पार्थिवेन;

जो (प्रजा-द्रोही) राजा के मन की करता है, उस से प्रजा द्वेष करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्मन

को दूसरे प्रकार का घोरतर कष्ट, पृथ्वीमात्र में, युद्ध की समाप्ति के बाद भी, भर रहा है; यह सब, सभी राष्ट्रों के शासकों के भी, और सामान्य प्रजा के भी, काम-क्रोध-लोभ-मोह-(भय)-मद-मत्सर के अति-आस्वा-दन से जनित महापातकों और कुनीतियों का फल है । जो अति तीव्र सुख की लालच करते हैं, उन को अति तीव्रतर दुःख भोगना पड़ता है ।

यत् तद् अग्रे विषं हव, परिणामे ऽमृतोपमं;

यत् तद् अग्रे ऽमृतं हव, परिणामे विषोपमं,

धर्माविरुद्ध कामो ऽस्मि; सेवेन कामं अनुद्धतः । (गीता, म० भा०)

जो आगे ज़हर जान पड़ता है, वह पछे आवि-हयात होता है; जो पहिले अमृत मालूम होता है, वह पीछे विष हो जाता है । इस लिये, यदि दुःख में कमी चाहे, तो कम सुख में संतोष करो; जितना 'काम'-सुख, धर्म के, क़ानून के, अनुकूल हो, उतना ही भोगो; बहुत उद्धत हो कर, मद-माते (मद-मत्त, बद-मस्त) हो कर, अति हर्षित हो कर, दुराचार समझता है । जब काम-क्रोध-लोभ का नियमन, सच्चे धर्म से नहीं क्रिया जाता, तब ऐसे ही उपद्रव उत्पन्न होते हैं; वर्तमान विश्व-युद्ध के कारण ऐसे ही हैं । आपस में, दुर्बल को सबल प्रजा खा लेती है; दौनो को, अधिक प्रबल राजा, बलात् भी, 'टेक्स' के बहाने भी, खा लेता है; छोटे राजा को बड़ा राजा, सम्राट्, 'डिक्टेटर', खा जाने का यत्न करता है । मृत्यु-देव सब ही को खाते रहते हैं ।

हिरण्याक्ष, बाणासुर, रावण, बचे न क़ाल बली ते;

हम-हम करि धन-धाम संवारे, अन्त चले उठि रीते ।

यह सब काम ही की लीला है ।

त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मनः,

कामः, क्रोधः, तथा लोभः, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् ।

धर्माविरुद्धो भूतानां कामोऽस्मि प्रीतिवर्धनः । (गीता)

काम-क्रोध-लोभ, यह तीन नरक के द्वार हैं; इन को काबू में, अपने वश में, रक्खो; इन के वश मत हो जाओ; धर्म से अविरुद्ध जो और जितना 'काम' है, वह तो प्रीति को बढ़ाता है ।

व्यभिचार बलात्कार द्वारा 'कं-दर्प' के दर्प की गुलामी मत करो ।

कोटियों नहीं, अरबों नहीं, अब खरबों रूपयों से सम्मित, कोटियों कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, सामरिक और वैनाशिक कार्यों में हुआ और अब भी हो रहा है; उस के कारण, ब्रिटेन और यू. स्टे. अमेरिका ऐसे महा धनाढ्य, रावण और कुबेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों की भी साधारण जनता को, तथा लखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतियों (ज़मींदारों) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के 'नीवाक' 'प्रथम' से उठानी पड़ी, और अब भी पड़ रही है ।^१ पश्चिम के अखबारों में छपी सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है । नितान पादा-क्रान्त, पराधीन, परमुखावलोक्य, परस्पर कलहायमान, आभ्यन्तर भेदों से छिन्न-भिन्न, अभाग्ये भारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से वर्धमान सभी आवश्यक्य द्रव्यों की नितान तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युध्यमान राष्ट्रों के शासकों को 'विजय' (विक्टरी, 'Victory') ही चाहिये; शांति और प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं ! अहो माया-विडम्बना !

पश्चिम के ही विद्वानों ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-वीत, दुर्वीत, पौरुष शक्ति और महा परिश्रम की, (जिस में, कौजी सामग्री बनाने वाले कारखानों के काम में विवश जोत दी गई पचासो लाख स्त्रियों का प्राण-परिश्रम भी शामिल है), तुलना, रूपों में की जाय, तो सब युध्यमान राष्ट्रों का खर्च जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सौ करोड़ रूपयों के बराबर होता रहा है ।^२ पृथ्वी-तल पर, इस समय, प्रायः साठ (६०)

१ 'न अस्ति, न अस्ति, लभ्यं वा, देयं वा, अन्नादि, इति न-कार-मयं निकारऽऽत्मं वाक्यं यदा सर्वत्र श्रूयते, तदा 'नीवाकः' (स्केयर्सिटी', 'क्रैमिन' scarcity, dear-th, dear-ness, famine, महर्घता, दुष्प्राप्यता, अलभ्यता); 'अन्नादि-वितरणस्य संकोचनं, प्रकृष्टं यमनं, नियमनं, नियंत्रणं, 'प्रथमः', ('कंट्रोल', control) ।

२ यू. स्टे. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्च १९४३ ई० को, सरकारी खबर छपी गई कि अकेले यू. स्टे. अमेरिका का

पृथक्-पृथक्, 'स्वतन्त्र' कहलाने वाले, तथा स्वतंत्रों के अधीन, राष्ट्र हैं। उन में से इकतीस (३१) एक पक्ष में रहे हैं, और चार (४) दूसरे पक्ष में; प्रथम पक्ष में प्रधान राष्ट्र चार (४), ब्रिटेन, युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, रूस, चीन; बचे सत्ताईस (२७), इन चार के सहायक, वा उपनिवेश, वा अधीन (जैसे भारत) है, वा शत्रु-विजित (जैसे फ्रांस, हालंड, बेल्जियम, नारवे, ग्रीस आदि महा-राष्ट्र वा मध्यम श्रेणी के राष्ट्र) हो गये थे। इन के प्रति-पक्ष में प्रधान राष्ट्र तीन (३), जर्मनी, इटली, जापान; तथा इन के सहायक छोटे राष्ट्र कई रहे। यह सब प्राण और शक्ति रूपी धन, यदि सत्-प्रज्ञान, सद्-धर्म, सद्-बुद्धि, सद्भाव, सदाचार के अनुसार, मानव जीवन के उपयोगी पदार्थों के बनाने में, मनुष्य के उचित और धर्म्य सुख की साधने वाली, आवश्यकीय, निकामीय, विलासीय वस्तुओं के उत्पादन में, लगाया जाय, तो समस्त पृथ्वीतल हरा भरा रमणीयतम उद्यान, बाग, हो जाय; सुन्दर घरों से भर जाय; चारों ओर प्रसन्नमुख, प्रियवादी, हंसते, खेलते, परस्पर प्रीतिमय सौजन्यमय स्त्री पुरुष बालक देख पड़ें; किम्बहुना, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आवै।

यह सब वर्तमान इतिहास, 'कामाध्यात्म' के सम्बन्ध में क्यों कहा ? इस हेतु से कि, (जैसे पृ० १६३-४, २५६, प्रभृति पर सूचित किया है), परमात्मा के अंतर्गत, मूल-प्रकृति दैवी-प्रकृति रूपिणी अविद्या-अस्मिता का रूपान्तर नामान्तर परिणाम जो काम-संकल्प है, उसी का कार्य समग्र विश्व है। इसी 'काम' के धर्म्य और सार्विक रूप से चारों ओर सुख, प्रीति, सहायता, उपकारिता फैलती है। इसी के अधर्म्य और राजस-तामस-भावों से, कामान्धता, क्रोधान्धता, लोभान्धता, मोहान्धता, (भयान्धता, मिथ्यास्नेहान्धता, किंकर्तव्य-प्रतिदिन का खर्च, युद्ध की सामग्री की तैयारी पर (? व युद्ध पर) करीब २८ करोड़ डालर, अर्थात्, प्रायः ८४ (चौरासी) करोड़ रुपये के तुल्य, हो रहा है।

विमूढता), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्हीं मुख्य प्रकारों के, वा अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, और कलि का साम्राज्य पृथिवी मात्र को ग्रस लेता है; जैसा आजकाल प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है।

पृ० २०८ पर गीता का जो श्लोक उठाया है, उस में 'जायते' के तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं। किसी विषय का ध्यान, संकल्पन, स्मरण करने से, उस में संग 'उप-जायते' उपजता है; संग से काम 'सं-जायते', समन्तात्, उस विषय के 'चारो ओर', मन के 'आगे' रक्खे हुए सम्-अग्र विषय से, 'स'-जाता है; काम से क्रोध 'अभि-जायते' काम के 'अभितः' आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर, बाधक जान पड़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

सारा संसार, योग दर्शन के दो सूत्रों की व्याख्या है—“अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिविज्ञानाः पञ्च क्लेशाः; अविद्या क्षेत्रं उत्तरेषा” (अ० २, सू० ३-४)। पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एक अर्ध भाग का नाम 'अविद्या' है, दूसरे अर्ध का नाम 'विद्या' है; 'महामाया' में दोनो अन्तर्गत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, द्वेष है; अन्य सभी सैकड़ो भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद और शाखा, प्रशाखा, पल्लव, वृन्त, पुष्प, फल रूप कार्य हैं; अविद्या मूल, और 'अस्मिता' स्कंध, हैं। इन का वर्णन, पूर्वगत 'रस-मीमांसा' नामक अध्याय में कुछ किया गया है। समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिता से उपजे हुए इन्हीं दो राग-द्वेष के स्वार्थी-परार्थी अनन्त प्रकार, आकार, विकार, संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता में 'काम' शब्द तेनीस बार आया है।

इन हेतुओं से 'काम' के आध्यात्मिक तत्त्व का जानना, मानव जीवन के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक है। यदि बाल्य और यौवन में

इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किंवा असम्भव, है, तो वयस्थों, प्रौढ़ों, और वृद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी सन्तति को, अगली पुश्त को, समय समय पर, उचित शिक्षा देते रहें, और विविध प्रकारों के अवःपात से बचावें ।

“गह्र सो गह्रै, अब राखु रही को”

एवं, जो युवा-युवती स्वयं भूत-भवद्-भविष्य, (पीछे-सामने-आगे, बीते-होते-आते, गुञ्जतः-मौजूद्-आइन्दः, पुराभव-तदात्व-आयति), को कुछ समझने सोचने विचारने की उमर को पहुँच चुके हैं; उन को चाहिए कि निःसंकोच हो कर, अपने हितैषी विद्वान् विशेषज्ञ अनुभवियों से साक्षात् पूछ कर, वा ऐसों के लिखे उत्तम ग्रंथों को पढ़ कर, उपकारी ज्ञान पा कर; अपनी और अपनी भावी संतति की रक्षा करें, दुराचार से बचें बचावें, और धर्म्य और समान-शील विवाह कर के, पवित्र गार्हस्थ्य जीवन बितावें (‘वि-इत’, ‘वीत’ ‘व्यय’ करें) । यदि, दुर्भाग्य से, भूल हो ही जाय, तो उन्हीं वृद्ध विद्वान् अनुभवियों के, तथा अच्छे सच्चे वैज्ञानिक चिकित्सकों के, बताए हुए, भूल के दुष्फलों के प्रतिकार के उपायों को काम में लावें; पुनः वैसी भूल में न पड़ने का, पातक प्रलोभनों से सदा लड़ते रहने का, दृढ़ निश्चय करें; चित्त को बुराई से भलाई की ओर, अधः से ऊर्ध्व की ओर, पलटें; स्वभाव को बदलें, दुष्ट से शिष्ट बनै; ‘सवेरे का भटका शाम को घर लौटा, तो भूला नहीं कहाया ।’

अपि चेत् सुदुराचारः भजते मां अनन्यभाक्,

साधुर् एव सः मन्तव्यः; सम्यग् व्यवसितो हि सः । (गी०)

बहुत पतित दुराचारी भी यदि सच्चा पश्चात्ताप, पछुतावा,, करै; (‘अहं’-पद-वाच्य परमात्मा पुरुषोत्तम को) ‘अन्-अन्य’ होकर (‘अन्य’ सब को निषेध कर; मन से छोड़ कर), भजै, (‘मै’, परमात्मा से ‘अन्य’,

१—‘वयस्थ’ शब्द का संस्कृत में वही अर्थ है जो अंग्रेजी में ‘मेजर’ (major), ‘अटेन्ड टु दि एज आफ् मैजोरिटी’ (attained to the age of majority), का; ‘वयःप्राप्त’, ‘व्यवहाररत्नम्’, ‘व्यवहारं प्राप्ताः’, आदि का भी अर्थ यही होता है ।

भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई 'अन्य' भिन्न पदार्थ ही नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, 'मैं' ही है, ऐसी भावना सदा हृदय में करै), तो उस को 'साधु' ही, भला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; क्यों कि अब उस ने सम्यक्, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है; सब जीवों में 'अपने' को, 'आत्मा' को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही 'आत्मवद्' व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है ।

यदि कभी कदाचित्, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान् बलवान् मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुप्त रोग लग जाय, और अच्छे सच्चे वैद्य हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर औषध ले, तो निस्सन्देह जल्द ही अच्छा हो सकता है । मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा, परामर्श के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परहेज की, वर्जनीय वस्तुओं और क्रियाओं के वर्जन की, और शुद्ध आहार की, सलाह पर चलने से ही रफ्तार-रफ्तार अच्छे हो गए । कुछ मेरे जाने हुए अच्छे वैद्यों, डाक्टरों के नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्होंने ने, परामर्श में शर्मा-शर्मा से, बहुत देर कर दी, मर्ज को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां ही प्रकृति देवों का ऋण चुका कर परलोक को चले गए । आयुर्वेदिक औषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत महर्ष, महंगे, भी नहीं होते । हां, अमीरों के अमीरी वैद्यों की कथा न्यारी ।

“कपटी लोकन तें बचियै”

'सच्चे वैद्य डाक्टर हकीम' इस लिए कहा कि एक और बुभुक्षा देवी, दूसरी ओर उन की बहिन गर्धा-तृष्णा-लालच देवी, के फेर में पड़ कर, शरणार्थियों को भी, कुटिल प्रकारों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों में, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक देते हैं; कि ये दीन हो कर सदा हमारे अधीन बने रहें, दवा कराते रहें, धन देते रहें । ऐसे कपटी चिकित्सकों की गुटबंदियों और चालबाजियों की पोल, समय समय पर, यु. स्टे. अमेरिका के पत्र (जैसे 'रीडर्स

डाइजेस्ट') खोलते रहे हैं; सुश्रुत, चरक, आदि मे भी ऐसे मिथ्या-वैद्यों का वर्णन किया है; पर जनता पुनः पुनः उस चेतावनी को भूलती और उन के फेर मे पड़ती रहती है। इस लिए, यदि रोग से बचना है तो सुलाने और झुलाने वाले, वैद्यों हकीमों डाक्टरों का रूप धरे, ठगों से,, जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या जमींदारी ही बना लेना चाहते हैं, पहिले बचना चाहिए। मेरी जानकारी मे ऐसे कई 'अमीर', 'नवाब', 'राजा', 'लखपति' युवा और मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहा नित्य कोई न कोई चिकित्सक बैठे हा रहते थे, और उन की नाड़ी थामे और थर्मामीटर लगाये ही रहते थे, या पच्छिम के नये तरीकों से उन के शरीर के निस्स्यन्दों की, कफ, मूत्र, विषडा, रुधिर आदि की, परीक्षा करते कराते ही रहते थे। दूसरों को भय और आशा, चुटकी और बढ़ावा, साथ ही साथ, दे दिला कर, अपना स्वार्थ साधने वालों के उदाहरण, केवल उन्ही लोगों मे नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैं, अपितु सभी तरह के राजगारियों मे देख पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तंत्र मंत्र भाड़ फूंक वाला मे, धर्मशास्त्रियों, कर्म-कांडियों, 'औलिया-फकीरों', वेश-धारी साधु संन्यासी महन्तों, वकीलों, दूकानदारों, राजमंत्रियों, शासनाधिकारियों, बंक वालों, कुर्मादजावियों (सूदखारो), कम्पनियों, विज्ञापन (एडवर्टिज्मेंट) छुपाने वालों, सभी मे ही मिलते हैं, स्वयं परमात्मा की प्रकृति के नियम मे द्वंद्व-मयी 'ड्युअल-पालिसी' (dual policy), द्वैध-नीति, सुख दुख दोनो के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण मनुष्य के लिए यह विवेक करना, कि कौन रोजगारी कपटी है और कौन उचित मात्रा मे ही स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति यथासम्भव ऐसा विवेक करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्वार्थ की पूर्ति के लिए, आवश्यक है।

रोग-शेष से सावधान रहो

यह कहना कठिन है, किसी भी उग्र रोग के विषय मे, विशेष कर उपस्थीय दुश्चरित्र से जनित रोग के, कि जाहिरा बिल्कुल अच्छा हो जाने पर भी, शरीर मे कोई भी विकार का 'शेष' नहीं रह जाता, और बाद की

संतति पर कोई असर नहीं डालता । मसल मशहूर है कि जवानी की चोट बुढ़ापे में ठंडी हवा लगने पर फिर दर्द करने लगती है । पहिले कह आये हैं, और सब को प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव नये प्राणी का, 'स्मर', ('स्मरण' से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 'काम', ही मूल है; इसलिए, इस के गुण का भी, दोष का भी, प्रभाव, बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणो और आयुर्वेद और धर्म के ग्रन्थों के कर्म-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदित होता है, कि इन रोग-शेषों के कारण, पुरत-दर-पुरत, परुष्-परुष् (पुर्खा-पुर्खा) की शृङ्खला में, चर्म, नख, दन्त, आदि के विविध रोग देख पड़ते हैं । 'बाइबुल' में भी कहा है कि 'पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पौत्रों पर पड़ता है'; उस का आशय, कुलों में ऐसी रोग की परम्पराओं से, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है । इस हेतु से, जैसा रोग वैसा ही उस का प्रतिरोधी भेषज होना उचित है; 'दुःस्मरण', दूषित ध्यान, अधःपातक राजस तामस भावों की भावना, की चिकित्सा, 'सु-स्मरण', पूत पवित्र सार्विक ऊर्ध्वउच्चायक भावों का धारणा-ध्यान-समाधान, मानस प्रायश्-चित्त, चित्त की तपस्या । इस चिकित्सा और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वस्थता, लोक-हितैषिता, मनःस्थैर्य, और तदनुकूल आहार-विहारदि शारीर चर्या, दूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकती है, और सुधारती ही है । पहिले कह आये (पृ० १६०, २००) कि बड़े बड़े ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान कर, पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्चित्त से, और पहिले से भी कठिनतर तपस्या करने से, उस भूल का मूर्जन वे कर डालते हैं; और इस से उन का महत्त्व और गौरव बढ़ता ही है, घटता नहीं । यह भी विचारने की बात है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (सज्ञान) होना है; कभी भूल न करना, यह तो बच्चों का अयाना-पन (अज्ञानता, अन-जान-पन) है । महाभारत में अर्जुनांडव्य ऋषि और यमराज की कथा के रूपक से यह कहा है, कि पांच वर्ष तक के बच्चे का कोई कर्म न पुण्य ही है न पाप ही, और ऐसे कर्म के लिए दंड देने को, यमराज

को भी, मना किया गया है।^१ 'खाय तो पछताय, न खाय तो पछताय'— तो खाय के पछताय, ज्ञानवान् ज्ञानी हो जाय; अविद्या का, प्रवृत्ति मार्ग का, उचित मात्रा में अनुभव कर के, विद्या का, निवृत्ति मार्ग का अनुभव करै, और दिन दिन 'कम कम खाय' और कम कम पछताय; अन्त में सर्वथा निरीह निःस्वार्थ हो कर शरीर को भी और संसार को भी छोड़ कर, परम धाम को चलाजाय; "स शान्तिं आप्नोति, न काम-कामी," "ध्यानात् शान्तिर् अनन्तरं" (गी०) ।

बुद्धि-पूर्वक कुराह में पैर मत रक्खो

भूलने वाले के मन में, दुष्फल के कड़ुए अनुभव के कारण, पश्चात्ताप के साथ नम्रता और विनय उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य भूलने भटकने वालों के लिए अनुकम्पा, सहाय-बुद्धि, सद्-उपदेश-शक्ति, संचित होती है; एवं भूल भी सच्चरित्र और ज्ञान का साधन हो जाती है; यदि प्रकृत्या चित्त कुछ कोमल हो। यदि कठोर हो, तो फिर-फिर ठोकर खा कर, "अनेक-जन्म-संसिद्धः, ततो याति परां गतिं", अन्त में चेतैगा। अविद्या में से झूठे उतराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकल कर ही तो विद्या की दृढ़ भूमि पर पैर धरैगा। "सैकड़ों टांकी खा कर, ढोंके से महा-देव बनते हैं"। इसलिए, एक बार वा अनेक बार भी भूल कर के, किसी को भी, कभी भी, सर्वथा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के बाद, पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बांधना चाहिए कि फिर ऐसा न होने पावे। याद रहै कि इन वाक्यों का उद्देश्य, उन्हीं लोगों को सान्त्वना, दाढ़स, देने का है, जो अविद्या की विक्षेप-शक्ति से प्रेरित हो कर अबुद्धि-पूर्वक कुराह में पड़ गए हैं; इन का आशय यह कदापि नहीं है, कि बुद्धिपूर्वक भी, कोई, इस 'आगे अमृत पीछे विष' का आस्वादन करे।

१ इस का यह अर्थ नहीं कि अनजान बच्चा अपथ्य वस्तु खा ले तो बीमार न पड़ेगा, तीव्र विष पी ले तो मरेगा नहीं, आंगं झू ले तो जलैगा नहीं; बल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पूर्वक 'दुष्कर्म' का बुद्धि-पूर्वक 'दंड', और अबुद्धिपूर्वक 'भूल' का अबुद्धिपूर्वक 'दुष्फल', होता है।

निश्चिन्त बेफिक्र मत हो जाओ

दृढ़ निश्चय कर के भी सर्वथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनों से सजग और डरते ही रहना; 'विरक्तमन्यानां भवति विनिपातः प्रतिपदं'; इस अभिमान के फेर में जो पड़ जाते हैं, कि हम तो पक्के अटल विरक्त हो गए, वे पद-पद पर चूकते, लड़खड़ाते, गटों में गिरते रहते हैं। पहिले कहा है, कि ऋषियों, मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम' ने हमला किया, और सत्य से उन को हिला-डुला चला कर कुमार्ग पर फेंक ही दिया। पुराणों के अन्य रूपक में कहा है कि शिव पर भी 'काम' ने चढ़ाई किया; और शिव भी केवल अपनी शान्तता शिवता से ही उस को परास्त न कर सके; तब उन्होंने 'काम' के सगे छोटे भाई क्रोध को ("कामात् क्रोधो अभि-जायते") अपनी तरफ फोड़ लिया, और उस से सहायता ले कर, दुनियावी भावों की ओर से तीव्र क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से प्रज्वलित तृतीय चक्षु, प्रज्ञान चक्षु, को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; "वितर्क-बाधने प्रतिपक्ष-भावनं" (योग-सूत्र २.३३)। परन्तु इस पर भी काम निःशेष नहीं मरा, बीज रूप बना ही रहा; 'अनङ्ग' हो गया; शिव को उमा-पार्वती (उ-मा, मा-या, संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्वती, पर्व-मयी, शरीर की नीवी, तैतीस गुरिया, तैतीस 'देवता', वाली मेरु-दंडिका, नाडी-त्रय-मयी त्रिगुण-मयी अविद्या) के साथ धर्म्य विवाह में, उस ने बांध ही दिया। जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया।

जब निवृत्ति-मार्गियों का यह हाल है, तब प्रवृत्ति-मार्गी मनुष्य यदि सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वेश-धारी बारीक प्रलोभनों के फंदे में जरूर ही फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, ('इतना ज़रा सा चख लेने में बड़बड़मी अजीर्ण का क्या डर हो सकता है'), नीचे नीचे अधिकाधिक गहरी खड़ी श्रेणियों (श्रेणी, श्रेणी, निःश्रेणी, नसेनी, स्तर, अंग्रेजी 'सीरीज', 'स्टेयर्स', फारसी 'सतर', सतह) पर खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त में, भीषणतम नरक में मुंह के बल गिरता है। साधारणतः, प्रवृत्ति-मार्गी की आन्तःकरणिक मानसिक त्प्राकृतिक प्रवृत्ति यही होती है, कि "लाभा लोभः प्रवर्धते"। निश्चित न

रहने के लिए मनु की यहां तक आज्ञा है कि—

न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति;

हविषा कृष्णवर्मा इव, भूयः एव अभिवर्धते । (मनु)

लाभ से लोभ और बढ़ता है; धी से आग ज्यादा: तेज बलती है; उपभोग से 'काम' अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिलै उतना ही थोड़ा^१ ।

यत् पृथिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्यं, पशवः, स्त्रियः,

तत् सर्वं न-अलं एकस्य; इति मत्वा शमं ब्रजेत् । (म० भा०)

पृथिवी भर मे जो कुछ अन्न-धन, गो-धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, और सुन्दर स्त्रियां हैं, वह सब ही यदि एक मनुष्य को मिल जाय, तो भी उस को संतोष नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन मे बैठा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि शांत हो जाय, अत्यन्त लोभ, लालच, तृष्णा, हिंस, तमन्ना, 'ग्रीड' (greed), गर्भा, को छोड़ दे । हां, 'अति' करने से, अति भोजन आदि से, पाचन आदि की शक्तियां थक जाती हैं, अरुचि ग्लानि हो जाती है, कुछ काल के लिए वैराग्य भी होने लगता है; परन्तु यदि पूर्वापरदर्शिनी विवेकिनी बुद्धि, पंडा, नहीं जागी है, और उस वैराग्य का संतत पालन पोषण उपोद्बलन नहीं करती है, तो पुनः पुनः हिंस ही जोर पकड़ेगी; इसी लिए तो पाचकों और पौष्टिकों के इतने अधिक विज्ञापन और इतनी अधिक बिक्री, उग लोग कर ही लेते हैं ।

निश्चिन्त न रहने के लिए, मनु की यहां तक आज्ञा है कि,

मात्रा स्वस्वा दुहित्रा वा, न विविक्तऽासनो भवेत्;

बलीयान् इन्द्रिय-ग्रामः, विद्वांसं अपि कर्षति । (मनु०)

माता, बहिन, बेटी के भी साथ, पुत्र, भाई, पिता भी, अकेले न बैठें; इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान् है; विद्वान्, गुण-दोष को

१ अंगरेजी मे भी कहावतें हैं, "दि मोर वी हैव, दि मोर वी वांट," "दि एपिट्टाइट्स् डू प्रो विथ ह्याट दे फ्रीड अपान्", 'the more we have, the more we want', 'the appetites do grow with what they feed upon'; इत्यादि ।

पहिचानने वाले जानकार, की भी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और उस को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ कुचाल मे डाल देता है। साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर अचरज (आश्चर्य) करते हैं; पर जिन्होंने ने भारत के इतिहास-पुराणों को, और पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिहासों को, ध्यान से पढ़ा है; तथा पूर्व पश्चिम की अदालतों मे पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराओं ('सेक्शन्स' sections) के मुकद्दमों का पता रखते हैं, जिन-धाराओं मे इस प्रकार के ('इनसेस्ट' incest के) अपराधों की सजा नियत किया है; तथा अपने आंख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण

१ पृ० २०१ के फुट-नोट को देखिये। (Letourneou's Evolution of Marriage) लिट्टनों के 'इवोल्युशन आफ मैरिज' नामक ग्न्थ मे, विवाह के सम्बन्ध मे, बहुत देशों और जातियों की रिवाजों का वर्णन किया है। यथा, "अमेरिका के आदिम निवासियों की एक जाति, बिल्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; अरबों मे एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अंधेरे मे मैथुन करते हैं, और उस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई आदि का कुछ भी विवेक नहीं करते; प्राचीन पार्थिया-पर्शिया (फारस) मे, माता और पुत्र का विवाह धार्मिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम निवासी चिप्पेवे, कादियाक आदि जातियों मे, मा, बहिन, बेटी के साथ मैथुन जायज है; कारिबी जाति मे स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक ही पुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों मे, पंद्रहवीं शती ई०के अन्त तक यह रिवाज रही कि किसी प्रजा का विवाह होने पर, नव-विवाहिता वधू, पहिली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ बितावै; इत्यादि। भारत की कई देसी रियासतों में भी, ऐसा कहत है।

भारत मे, वाम मार्गी 'करौलों' मे, तथा 'वज्रयानी' बौद्धों मे, उसी चाल की प्रथा है, जैसी 'यजीदी' अरबों की। बहुत वर्ष हुए मै ने एक मुसलमान मित्र से सुना था कि भारत मे भी कुछ मुस्लिम सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनमे, खास खास थोहारों पर, वैसी ही रस्म रिवाज पूरी की जाती

यहाँ मे, छोटे तथा यौवनोन्मुख लड़के लड़कियों मे, नासमझी और अज्ञान से, कैसे शोचनीय घोर अनाचार हो जाते हैं—उन का हाल जानते और विचारते हैं; वे मनुष्य, मनु जी के इस दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी उपदेश का महत्त्व गुरुत्व समझेंगे।' हजारों विधवा स्त्रियां, वा अनन्याही युवतियां, प्रायः 'ऊंच जातों' की, अपने घर वालों के ही दुष्कर्म से गर्भवती हो कर, उन्हीं हृदयहीन, क्रूर, नृशंस पुरुष-वृकों पुरुष-व्याघ्रों के पंजों से ज्ञतविच्छत हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और या तो कूप नदी मे कूद कर डूब मरती हैं, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, या रोती सिसकती हुई, 'रंगरूट' ('रेक्रूट') कुली भरती करने वालों के हाथ अपने को बेच कर 'मिरिच' ('मारिशस') या 'फ़ीजी' टापू आदि को चली जाती हैं ।

सावधान: सदा सुखी

इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो लोक अपनी संतति और अपने समाज का शरीर और बौद्ध उत्कर्ष चाहते हैं, वे सदा सावधान और 'धर्म-भीरु', अधर्म से डरते, रहें; समय समय पर अपने को, अपने कटुमित्रों को, और सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; विशेष कर यह उपदेश कि, किसी से भूल हो जाय, तो उस के मार्जन शोधन का उचित उपाय करें; हल्की भूल का हल्का मार्जन 'प्रायश्चित्त' है, जैसी यज्ञीदियों मे । इस सब 'इतिहास' से यही शिक्षा इद होती है जो मनु ने दी है; अपने चित्त और इन्द्रियों से सदा सावधान रहना चाहिए; इस मूढ़ता को कभी मन मे न आने देना चाहिए कि हम ने तो कामदेव को जीत लिया है । प्रजा-जन की नव-विवाहिता पहिले राजा को अर्पण की जावै, इस 'मध्य-काल, के कानून को यूरोप में Jus primae nocte कहते थे ।

१. मार्च १६४४ मे मुझे एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पद्वे लिखे युवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रतिष्ठित कुल की सोलह सत्रह वर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से संदेह होने पर, युवा ने पत्नी से पछा, तब उस ने आंसू बहा कर कबूला कि उस के सगे बड़े भाई ने ही विवाह से प्रायः एक वर्ष पहिले, उस को अष्ट किया ।

(चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि) से; भारी रोगजनक भूलों का अच्छे वैद्य, डाक्टरों की शरण ले कर; पुनः वैसी भूल से बहुत परहेज करें और इस घोरतर भूल में न पड़ें कि ऐसी गलतियों का शोधन सरलता से हो सकता है । अक्सर देखा जाता है कि चोर सजा से बच गया तो फिर चोरी करता है । मंदाग्नि (ज्ञोक्र-मेदा) का मरीज, 'पाचक' खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बद-परहेजी करता है; अति-अशन, अधि-अशन, विषम-अशन करता है; और अधिक बीमार पड़ता है । अति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अति अधिक खाना; अधि-अशन, पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं लगी, तौ भी जिह्वा-लौल्य से पुनः खा लेना; विषम-अशन, जो पदार्थ 'सम' नहीं हैं, विषम हैं, बे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेद से मना है, उन को एक साथ खा लेना । व्यभिचारी, जिनाकार, वेश्यागामी, विषमाचारी मनुष्य, मरज की बला में मुब्तला हो कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है; फिर पौष्टिक, वाजीकरण (aphrodisiac), औषध खाता है, 'मेषवृषण' बनता है; फिर वैसे ही दुष्कृत करता है; खुद ज्यादा बीमार पड़ता है, और चारों तरफ 'वेवा' (संचारी संक्रामक रोग, 'महामारी', जैसे हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, 'शीतला' वा मसूरिका, विशुचिका, आदि, वैसे उपस्थीय आतशक, सूजाक, कुष्ठ आदि) फैला कर मर जाता है ।'

१. पृ० २१३-२२१, २२६-२३२, में इस के घोर उदाहरण दिये हैं । पृ० २३४ पर 'मेष-वृषण' शब्द के अर्थ की सूचना की गई है; उसी रूपक के दूसरे अर्थ की सूचना पृ० १६०-१६१ पर की है; 'तन्त्र-वार्त्तिक' नाम के प्रसिद्ध मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थ के रचयिता कुमारिल भट्ट ने एक और अर्थ लगाया है, कि इन्द्र की हज़ार आंखें, इन्द्र अर्थात् राजा की सभा के हज़ार अर्थात् बहु-संख्यक सभासदों की सूचक हैं । पृ० २२० पर, जिस 'सर्जिकल-आपरेशन', surgical operation, शल्य-शालाक्य-कर्म, की चर्चा की है, अर्थात् जीवद् वानर-वानरी के (तथा मेष-मेषी, बकरा-बकरा, उच्चा-गौ आदि के भी) वीर्यकोष-

११ वैज्ञानिकों की अंतर्मखता की दूसरी धारा

ऐसे हेतुओं से पश्चिम देश के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की चित्त-नदी, जो अधि-भूत से उलट कर, (सर्वथा नहीं, प्रत्युत उस की अत्यन्तता, 'एक्सट्रीमिज़्म', extremism, से ही), अधि-आत्म की तरफ घूमी है, उस धुमाव की एक धारा की सूचना, प्रसंग-प्राप्त विविध विचारों की लपेट में, पृ० २२६ पर आरम्भ कर के, यहाँ तक की गई ।

(२) अब दूसरी धारा की सूचना कर देना चाहिए । १६ वीं शती ई० के अंत और २० वीं के आदि में, यूरोप में, विशेष कर जर्मनी आस्ट्रिया में, कुछ वैज्ञानिक चिकित्सकों ने, विशेष प्रकार के 'नर्वस डिजीजेज़' (nervous diseases), के निदान का पता लगाने के लिए, शरीर की विकृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विकृतियों की जाँच, विविध उपायों से, शुरू किया । 'नर्वस् डिजीजेज़' में 'न्यूरोसिस', 'साइकोसिस', 'साइको-न्यूरोसिस', 'न्यूरो-साइकोसिस', (neurosis, psychosis, psycho-neurosis, neuro-psychosis), आदि शामिल किये जाते हैं । अभी तक इन शब्दों के ठीक अर्थ और प्रयोग के प्रकार निश्चित नहीं हो पाये हैं । पर इतना साधारण रूप से निश्चित है कि इन सब में, एक ओर मानस विकार, और दूसरी ओर, ज्ञान-इच्छा-क्रिया का धारक और वाहक जो नाड़ी-व्यूह है उस का विकार, परस्पर सम्बद्ध रहते हैं । यदि नाड़ी व्यूह का विकार अधिक है, तो रोग रजःकोष ('टेस्टिकल', 'ओवरी', testicle, ovary) के टुकड़े काट कर मानव पुरुष-स्त्री की जाँघ, या उस के पास, उदर के निचले भाग पेड़ू में, ऊपरी चर्म काट कर, उस के भीतर सी देना—इस चिकित्सा का आविष्कार, और प्रचार, यूरोप में, वर्तमान २० वीं शती ई० के आरम्भ में, बोरोनाक्र नामक जर्मन वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; किन्तु, जैसा पहिले लिख चुके, इस प्रकार की चिकित्सा की महिमा अब लुप्तप्राय हो रही है । ऐसे ही, अन्य बहुतेरे नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों में, पहिले गुण ही गुण स्रूते हैं; पीछे भारी दोष देख पड़ते हैं ।

को 'न्यूरोसिस' वा 'न्यूरो-साइकोसिस' नाम देते हैं; यदि मानस विकार प्रबल है, तो 'साइकोसिस' वा 'साइको-न्यूरोसिस' ।

चित्त के विकारों की सूक्ष्मेक्षिका करने वाले इन (यूरोप में) आदिम परीक्षकों ने, कुछ अतित्वेरा, उज्ज्वलत, से, यह मान लिया कि, सभी मानस रोगों की जड़ में, उपस्थीय कामीय वासनाओं का किसी न किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मूल कारण के रूप में, रहता है । धीरे-धीरे, इस अति-व्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेषकों ने किया ।

दोनों धाराओं के प्रस्थान में भेद है; मार्गों और उपायों में भी फर्क है; कुछ अभ्युपगमो (माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपोथेसिस', 'थियोरी', hypothesis, theory, 'अक्रीदः') में भी वैदश्य वैमत्य जान पड़ता है । परन्तु लक्ष्य के, मकसद के, एक ही, अर्थात् रोग का निर्मूलन और स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनों धारा आगे बढ़ती हैं, और अपनी-अपनी भूल-भटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे के पास आ रही हैं । आशा होती है कि एक दिन, सर्व-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म-निष्ठा, विस्मृत-प्राया, ब्रह्मविद्या की सरस्वती की सच्ची भलक पा कर, एक दूसरे से मिल कर, जगत्कल्याणकारिणी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम से वर्धित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायंगी ।

('सर्व सर्वेण सम्बद्ध', 'पंडिताः समदर्शिनः',

समानं नियमं, च एकं विधिं, जगति, सर्वदा,

सर्वत्र, आवर्त्तमानं, ये पश्यन्ति, एते हि पंडिताः);

प्रयोजनेषु ये सक्राः न विशेषेषु, भारत !,

तान् अहं पंडितान् मन्ये, विशेषास्तु प्रसंगिनः । (म० भा०)

प्रकृति के सभी विभाग परस्पर सम्बद्ध हैं; अतः, जो विद्वान्, संसार में, सभी चक्र के सब देशों और कालों में, एक ही ब्रह्मात्मक महा-नियम महाविधि को आवर्त्तमान प्रवर्त्तमान, चक्कर खाते, देखते पहिचानते हैं, वे ही समदर्शी पंडित हैं । जो मनीषी, मुख्य प्रयोजनों पर, लक्ष्यों साध्यों पर, अधिक ध्यान देते हैं, विशेष-विशेष, छोटी-छोटी, बातों पर कम, वे ही पंडित हैं; विशेष तो बदलते रहते हैं, प्रयोजन स्थिर रहते हैं ।

इस के निदर्शन (नमूना, उदाहरण) के लिए, विचार-जगत् के एक और प्रवाह-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है ।

व्यक्ति-वाद से 'समक्ति'-(समाज)-वाद की ओर

राग-द्वेष काम-क्रोध के भी जेठे भाई 'लोभ' नाम के रोग की, (जिस के उद्रेक और प्रकोप को 'इंडिविज्युअलिस्ट कैपिटलिज़्म', (Individualist Capitalism) पूँजीवाद', 'थैलीशाही', कहते हैं, उस की) चिकित्सा के लिए, ('सोशललिज़्म' Socialism), 'समाजवाद', रूपी औषध की परीक्षा, तरह तरह से अनुपानो और प्रकारों में रद्दोबदल कर के, पिछले सौ वर्षों में (अर्थात्, स्थूल गणना से, १६ वीं शती ई० के मध्य से) पाश्चात्य देशों में होती रही है । इस बीच में, तीव्र रोग और वीर्यवद् औषध के परस्पर भयंकर संघर्ष सम्मर्द से, विश्व-युद्ध-रूपी जगद्विस्फवकारी घोर ज्वर दूसरी बार मानव-संसार पर चढ़ रहा है । इस का निदान, विशेष काम-क्रोध-लोभ आदि सब का पितामह, एषणात्रय-आत्मक 'काम'-सामान्य है—यह पूर्व ग्रन्थ में बहुधा कहा गया है । अब इस सब घोर संघर्ष संग्राम के फल के रूप में, इस निष्कर्ष निश्च्योत (निचोड़) के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोवियट रूस में, मध्यमावृत्ति-अनुसारिणी, ज्ञानी-शस्त्री-धनी-श्रमी-चतुर्वर्णा-(वर्ग-व्यूह)-समन्वायिनी, (वि-अक्ति) 'व्यक्ति'-(सम्-अक्ति)-'समक्ति'-सम्मेलनी,* सर्व-वाद-

* 'वि' उपसर्ग से, जिस का एक अर्थ 'विशेष' है, और 'अब्ज्-अनक्ति', धातु से, जिस का अर्थ 'अंजन' करना, 'अँजना', 'रंगना' है, वि-अक्ति, व्यक्ति, बना है; इस का मूल अर्थ है, अ-व्यक्त परमात्मा का एक विशेष व्यंजन, व्यक्तिकरण, आविष्करण; अब व्यक्ति शब्द, एक मनुष्य, 'इंडिविज्युअल' Individual, पुरुष वा स्त्री, के अर्थ में बहुत प्रयुक्त होने लगा है । इस के प्रतियोगी, प्रतिद्वंद्वी, 'समाज'-वाचक, 'सोशल' (social) के अर्थ के सूचक, शब्द की भी आवश्यकता है; जैसे वि-ग्रह का सं-ग्रह, वि-भिन्न का सं-भिन्न, वि-हित का सं-हित, वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वैसे ही वि अक्ति का द्वंद्वी सम्-अक्ति बना लेने से, बहुविध प्रयोग द्वारा, नये (प्रायः पश्चिम से हथर आये हुए) भावों

सम्वादिनी, चतुर्विध-जीविका-कर्म-आत्मक-चतुर्वर्णता की नीति और रीति की ओर, उस औषध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है। तथा, ऐसे नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनरुज्जीवित, रूस देश और सोवियेट समाज की आचरणात्मक आचार्यता का मुँह से न मानते, पर मन से तो मानते ही, सभी अन्य देशों पर, उस आचार्यता के प्रभाव की छाप अधिकाधिक छुपती जाती है।

अधि-भूत से अधि-आत्म गुरुतर

प्र-कृत मे (अर्थात् इस प्र-करण मे, इस प्रसंग मे) यह दर्शनीय और विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा के सम्बन्ध मे पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से (सन् १८५० ई० के पीछे, साधारणतः), मनुष्य के आधिभौतिक, शारीरिक (जिस्मानी, 'फिज़िकल', Physical) अंग (अंश, पक्ष, पहलू, 'आस्पेक्ट', aspect) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, मानसिक, चैतिक, अन्तःकरणिक (रूहानी, 'मेटल', 'स्पिरिचुअल', mental, spiritual) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। प्रायः पचास वर्ष हुए, फ्राइड नाम के चिकित्सा-शास्त्री ('मेडिकल-सायंटिस्ट', medical scientist) ने, सन् १९०० ई० के आस पास, 'साइको-ऐनालिसिस', psycho-analysis, नाम के, पच्छिम मे नूतन समझे जाने वाले, शास्त्र का प्रवर्तन किया। तब से, रोगों मे मानस दोषों और विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व होता है, इस ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिन बढ़ता जाता है। ग्रीक भाषा मे 'साइकी', psyche, शब्द का अर्थ, जोवात्मा, चित्त, अन्तःकरण, रूह, 'सोल्', soul, होता है, और 'एनालाइ-आइन्' ana-ly-ein, का, टीला करना, सुलभाना, जैसे ग्रन्थि (गांठ) का; 'साइको-ऐना-लिसिस' शब्द का अर्थ, तन्नामक शास्त्र के प्रयोजन और साधनीय कार्य का बोधक है। चित्त की अन्तर्लौन प्रसुप्तवत् के प्रकट करने में सुविधा होगी। 'समाज' शब्द, 'सं' साथ, 'अज्ज' 'अजति', चलना, से बना है।

अव्यक्त दुर्ज्ञेय अवस्थाओं का, गांठों का, गूढ़ गुप्त हृदय-ग्रन्थियों और काम-जटाओं का, चित्त-वृत्ति-संकरों भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस्-तत्त्वों चित्तावयवों का, अन्वेषण, प्रत्यभिज्ञान, और विश्लथन, विश्लेषण, विवेचन, विघटन, वि-शकलन, पृथक्करण, और उन दबी दबाई ग्रन्थियों की उत्पत्ति के गुप्त कारणों का निश्चयन, निर्णयन, यह इस शास्त्र का कार्य है ।

फ्राइड् की कृति की त्रुटि

‘सैको-ऐनालिसिस’ के विषय में, प्राचीन संस्कृत दर्शन शास्त्र की दृष्टि से लिखने का प्रयत्न दूसरे ग्रन्थ में मैं ने किया है* । फ्राइड् और उन के अनुयायियों ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानों और गूढ़ मानस वृत्तियों का, विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेषण और सूक्ष्म अध्ययन किया । उस का निर्विवाद-प्राय सार भूत निष्कर्ष इतना ही है, कि सब या अधिकांश मानस रोगों का नहीं, तौ भी जिन ऐसे रोगों के कारण सुतरां-निश्चय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता, उन में से बड़ी संख्या का, वा अधिकांश का, निदान कारण, किसी-न-किसी प्रकार की कामीय वासना, मैथुनीय तृष्णा, रतीच्छा, का किसी प्रकार का, व्याघात, प्रतिबन्ध, निरोध होता है । फ्राइड् को, तथा उन के शिष्यों को, आरम्भ में, यह विश्वास हा गया कि ‘सैकोसिस’ ‘न्यूरोसिस’ ‘साइको-न्यूरोसिस’ आदि रोग, (अपस्मार उन्माद आदि के बहुविध मानस विकार, ज्ञान-क्रिया-वाहिनी नाड़ियों के विकारों से कार्यतया वा कारणतया संबद्ध), सभी, केवल कामीय तृष्णाओं की अ-पूर्ति व्या-हति से होते हैं । धीरे धीरे उन्होंने ने पहिचाना, कि क्रोधीय वासनाओं के व्याघात से भी तीव्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं; और क्रोध, स्त्री-पुरुष-मैथुन्य ‘काम’ के ही भङ्ग से नहीं होता; किसी प्रकार के ‘काम’ के, इच्छा के, अर्थ-काम, धन-काम, आदर-संमान-काम, स्वच्छन्द-भ्रमण-विचरण-आदि-काम, वा अन्य किसी भी प्रकार से स्व-शक्ति-प्रदर्शन-प्रवर्तन के ‘काम’ के (मोक्ष-इच्छा के भी), भंग से भी पैदा होता है; तीव्र भय से भी ऐसे

* “दर्शन का प्रयोजन” के अध्याय ३ में ।

रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्टरों को तब हुआ जब उन्होंने ने प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१८ ई.) के अस्पतालों में काम किया; पर याद रहे कि, भय भी क्रोध के प्रकारों की एक राशि में पड़ता है, और प्राण-एषणा, प्राण-काम, पर आपत्ति आने से उपजता है; यह तो, फ्राइड ने अपनी अन्तिम पुस्तकों में संकोच करते, सकुचाते, उकस-पुकस करते, कबूला भी है; पर यह कह कर अपनी टेक का रक्षा करने का यत्न भी किया है, कि 'काम' शब्द से मतलब उन का केवल मैथुन्य काम से नहीं, अपितु सब प्रकार के काम से है; (यह विवृत अर्थ अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है); पर उन के, तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों और ग्रन्थों से, उन के इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; और उन लेखों ग्रन्थों से पाठक जगत् के चित्त पर यही अंकन, 'इम्प्रेशन', Impression, छाप, प्रभाव, हुआ, और होता है, कि उन का आशय, प्राथमिक लेखों में, मैथुन्य 'काम' से ही था ।

फ्राइड, यहूदी, और हिटलर

सन् १९३१ ई० से, जब से जर्मनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार हुआ और हिटलर-शाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी ('ज्यू', Jew) जाति के लोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आई। हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी मुसीबतें जर्मनी पर आईं, वह सब यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेटकों (चाल-बाज़ियों, अमलासाज़ियों, 'इन्ट्रीगज़', 'क्लीक्स्', कोटरीज़्, intrigues, cliques, coteries) के कारण आईं; इन रोज़गारियों ने, सभी मुख्य धनाढ्य देशों में, यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जेको-स्लोवाकिया, यु. स्टे. अमेरिका आदि में युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारखाने

१. पूर्वगत 'रस-मीमांसा' अध्याय के पृ० १३०-१३४ आदि पर इस विषय का विवरण किया है; 'दि सायंस आफ़ दि ईमोशंस' में विस्तार से; थोड़े में यह कि, जब दुःख देने वाले शत्रु पर 'क्रोध' होता है, पर साथ ही उस की अधिक बलवत्ता और अपनी अशक्तता का ज्ञान होता है, तब 'क्रोध' का रूपान्तर 'भय' हो जाता है ।

जारी किये, और सभी देशों के हाथ तुल्य रूप से सौदा बेचा; तथा ऐश-आराम, भोग-विलास, मद्य-मास, शराब-कबाब, अश्लील सिनेमा थियेटर, अश्लील क्रोक-शास्त्रीय ग्रन्थों, के प्रचार से, काम-शास्त्र-संबंधी दुष्ट-भाव और असज्ज-ज्ञान को जनता में फैलाया, जिस से उन में दुराचार व्यभिचार बहुत बढ़ा, और मानव-संसार की आध्यात्मिक हवा काम-क्रोध-लोभ-मत्सर-कलह से भर गई; तथा, भीतर-भीतर राष्ट्र-नायकों को और जनता को, भूठी 'प्रोपेगंडा', भूठे प्रचारों, से एक दूसरे के विरुद्ध, भड़काया; जिस से पहिला विश्वयुद्ध भी हुआ, जिस में जर्मनी मारा गया। हिटलर ने यदि 'यहूदी जाति' न कह कर, 'भिन्न जातियों और देशों के थोड़े से धनकुबेरों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गुट' कहा होता, तो यह घोषणा अक्षरशः सत्य होती। वकील लोग, आपस में मेल रखते हैं, मगर मुवक्किलों को भड़का कर लड़वा देते हैं, और कचहरी में मुकद्दमा दायर कर, उन को चूसते हैं। जब हिटलर ने अपने अधिकार की पहुँच के भीतर, यहूदियों का उत्पोजन और विनाशन आरम्भ किया, तब फ्राइड, जो जाल्वा यहूदी था, और आस्ट्रियावासी जर्मन था, अपने देश से भाग कर ब्रिटेन में आ बसा; ऐसे ही और भी बहुतेरे बड़े नामी, प्रोफेसर ऐनस्टैन आदि, यु० स्टे० अमेरिका आदि देशों में छितरा गये, जहाँ हिटलर की पहुँच न थी, और साधारण व दरिद्र कोटि के बहुतेरे यहूदी, रूस देश के सोवियेट राष्ट्र की अंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक में जा बसे, या 'लीग आफ् नेशंस', League of Nations, की अनुमति से ब्रिटेन के द्वारा बसाई हुई, (और अरबों से लड़ाई जाती हुई, यथा भारत में हिन्दू और मुसल्मान एक दूसरे से), फिलिस्तीन-जरूसलेम की यहूदी-रिपब्लिक को भाग गये।

सन् १९४० ई० में, लंदन नगर में फ्राइड का शरीर छूटा। पर अंत तक उन्होंने यह नहीं पहिचाना कि मानस एषणा, वासना, कामना, सब, तीन राशियों के भीतर पड़ती हैं, और प्रत्येक के साथ राग और द्वेष की मुख्य और अवांतर वृत्तियाँ बँधी हैं; जिन की चर्चा इस कामध्यात्म अध्याय के आरम्भ में (पृ० १६४-१७३) की गई है; और जिन में से किसी के भी उत्कट हो कर खंडित होने से मानस और शारीर रोग उत्पन्न होते हैं।

फ्राइड के विचार का तथ्य अंश

जैसा ऊपर कहा, फ्राइड के विचार में तथ्य अंश इतना ही है; सब नहीं, कुछ मानस और शारीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्माद, दुःस्वप्न, मूढ़ग्राह, और उस प्रकार की (चक्के, ईंट, पत्थर के टुकड़े, मल-मूत्र, आदि फेंकने की) चेष्टाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की बाधा के कारण समझी जाती हैं, और जो बाल्य और यौवन की वयः-सन्धि के काल में, किशोर-अवस्था ('ऐडोलेसेन्स', Adolescence) में, लड़कियों (को विशेष कर) तथा लड़कों को सताती हैं—यह सब मैथुनीय काम-वासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरावस्था में अंकुरित होती हुई ऐसी वासनाओं को स्वयं न समझ सकने से, और भयभीत और भ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं; तथा, सयानो (स-ज्ञानों, प्रौढ़ों, 'ऐडल्ट्स', adults) की दर्प-पूर्ण कामीय चेष्टाओं को देख कर, बालक-बालिकाओं वा किशोर-किशोरियों के हृदय में साध्वस (हृदस), उद्वेग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं ।

इस विषय का समग्र तथ्य

सम्पूर्ण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान में नहीं आया, वह यह है कि, न केवल उपस्थीय काम के, अपितु, जीव के भीतर बैठे सर्व-वासनामय सर्व-इच्छा-मय मूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्विक्त प्रचण्ड विकार के, विशेष काम-क्रोध-लोभ-(मोह)-भय-मद-मत्सर आदि के उद्वेग से, ऐसी विकृतियाँ और अस्वाभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण जन के समझ में नहीं आतीं, और उन को हैरान-परीशान, चिताग्रस्त, खिन्न और किर्तव्य-विमूढ़ कर देती हैं । जिन विचारशील सज्जनों को स्वयं अपने यौवनारम्भ में ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका है, और जो उन को सर्वथा भूले नहीं है, वे इन चेष्टाओं के हेतु को समझते हैं, और मानस विकारों से विकृतों को पुनः स्वस्थ करने में सहायता दे सकते हैं । प्रायः सभी चिकित्सक लोग ऐसे विकारों का कामीय वासनाओं से सम्बन्ध जानते हैं, और स्थूल रीति से तो साधारण जन भी इस को पहिचानते हैं । अपठित ग्राम-स्त्रियाँ, इस सम्बन्ध को, प्रायः अव्यक्त बुद्धि ('प्रातिभ'

बुद्धि, ‘इन्ट्युइशन’ Intuition) से ही जानती हैं; यौवनोन्मुख किशोर किशोरियों की असाधारण नवीन चेष्टाओं को देख कर भट्ट समझ जाती हैं, और, (अनावृत ग्रामीण शब्दों में), कहती हैं कि अब ये वैवाहिक (मैथुन) क्रिया के योग्य हैं और उस को चाहते हैं। “प्राप्ते तु षांडशे वर्षे पुत्रं मित्रवद् आचरेद्”; जब बेटा सोलह वर्ष का हो जाय, तब उस के साथ बराबरो के मित्र के ऐसा व्यवहार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध श्लोक का भी संकेत यही है कि, जैसा स्थूल रीति से सभी जनता जानती है, सोलह वर्ष के बाद किशोर को युवा समझना चाहिए।

यदि सम्पूर्ण तथ्य को संस्कृत शब्दों में एकत्र कहना हो तो कुछ मध्यकालीन और अर्वाचीन कवियों के तथा प्राचीन ऋषियों के वाक्यों का सकलन करना चाहिये; यथा,

कृशः, काणः, खञ्जः, श्रवण-विकलः, पुच्छ-रहितः,
व्रणी, पूय-विलम्बः, कृमि-कुल-शतैर् आबृत-तनुः,
क्षुधा-क्षामो, जीर्णः, पिठरक-कपाल-अर्पित-गलः,

शुर्ना अन्वेति श्वा; हतं अपि निहंति एव मदनः। (भर्तृ हरि)

सुखा, भूखा, बूढ़ा, लगड़ा, लूला, बिना कान, बिना पूँछ, घायल, सड़ा, कीड़ों से भरा, हांडी के टुकड़े को गले में पहिने हुआ भी कुत्ता, कुत्ती के पीछे दौड़ता है; उन्-मत्त पागल करने वाला ‘मदन’, मरे को भी मारता है।

स्त्री-सुद्रां रूप-केतनस्य परमां, सर्वार्थ-सम्पत्-करिं,

ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियः, स्वर्गादि-लाभ-इच्छया,

ते तेन एव निहत्य निर्दयतरं, नग्नीकृताः, मुंडिताः

केचित् पंचशिखीकृताश् च, जटिलाः, कापालिकाश्

चापरे। (भर्तृ हरि)

स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के लिये स्त्री, संसार-सर्वस्व भी है, सब सुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर, स्वर्ग आदि के लोभ से, जो स्त्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार पड़ती है, और तरह तरह से विरूप कुरूप बना दिये जाते हैं; कोई, भिन्न

भिन्नुणी नग्न फिरते हैं, कोई मुँडे हो जाते हैं, कोई पांच शिखा कर लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं और भस्म लपेटते हैं; कोई 'अघोरी' हो जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ में लिये फिरते हैं, विश्वा तक खा लेते हैं; कोई इन्द्रिय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफटे 'अलख'-जगाने वाले हो जाते हैं; तरह तरह के 'बैरागी', 'फकीर', कथड़ी गुदड़ी 'सूफ' कम्बल ओढ़ने वाले 'सूफी' आदि, विविध पंथों के विविध वेशधारी हो जाते हैं; कोई जंगल बियावान में चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, और कंद मूल फल पर गुज़र करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों में भीख मागते फिरते हैं; इत्यादि ।

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यद् आसीत्,

सुतो बंधुम् असति निरविन्दन्, हृदा प्रतीष्य, कवथो मनीषिणः । (वेद)

इसका अर्थ, पृ० १८१ पर लिखा गया है ।

मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयोः (उपनिषत्),

(बन्धाय कामऽविष्टं हि, निष्कामं मुक्तये तथा) ।

बन्ध और मोक्ष का कारण मन ही है; 'काम' से भरा, बंध का; 'काम' से छूटा, मोक्ष का । हिन्दी कहावत है, 'शहर का मारा जंगल; जंगल का मारा शहर'; अर्थात्, अविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाद अविद्या; सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि; जागने से थका सोवै, सोने से थका जागै; 'एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा' (भर्तृ हरि), मनुष्य को एक भार्या चाहिये, या तो सुन्दरी हो, या फिर पर्वत की कंदरा दरी ही हो । गीता में 'काम' शब्द तैंतीस बेर आया है ।

सञ्ची वर्णाश्रम-व्यवस्था से सर्व-समन्वय

पृ० १८० के आगे, कई पृष्ठों में, काम-सामान्य और काम-विशेष की चर्चा की जा चुकी है, तथा इच्छा के दो त्रिकों, लोक-चित्त-दार- (सुत)-एषणा और आहार-धन-रति-इच्छा, की भी; जिन्हें के सम्बन्ध में काम क्रोध आदि के बहुविध द्रन्दमय चित्तविकारों की उत्पत्ति होती है । प्रसंग-वशा, 'साइको-ऐनालिसिस' के वर्णन के साथ, यहां, दूसरे शब्दों में, वह आशय दुहरा दिया गया; क्योंकि, आज काल, जहां जहां आधुनिक

पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान आदि का सम्पर्क है, वहां वहां फ्राइड (और उन के अनुयायी और संशोधक, युंग, ऐडलर, आदि) के 'साइको-ऐनेलिसिस'-वाद की, और मार्क्स (और उन के अनुयायी और संशोधक, एंजेल्स, लेनिन, ट्राट्स्की, स्टैलिन, आदि) के 'काम्युनिज़्म-सोशलिज़्म' वाद Communism-Socialism, की चर्चा, और उन में श्रद्धा, किंवा अन्ध-श्रद्धा, अपरीक्ष्य-विश्वासिता, भेंड़ी-भसान, मेषी-प्रपातवत् गतानु-गतिकता, बहुत देख पड़ती है। यहां इतना कह देना चाहिये कि, जैसे लेनिन स्टैलिन आदि को, व्यावहारिक (अमली, 'प्रैक्टिकल', Practical) अनुभव के बाद, मार्क्स के मत (नय, अभ्युपगम, 'थियरी' Theory, खयाल) में शोधन परिवर्तन (तर्मां, 'कर्रैक्शन' Corection) करना पड़ा है, वैसे ही, युंग, ऐडलर आदि को, फ्राइड के विचार का परिष्कार करना पड़ा है; और दोनों प्रतिसंस्करणों से दोनों ही के विचार और व्यवहार, वैदिक दर्शन के आध्यात्मिक सिद्धांतों के पाम, (यद्यपि अभी तक 'अ-प्रति-अभि-ज्ञात', बिना 'पहिचाने', रूप से), अधिकाधिक आ रहे हैं; और आशा होती है कि दोनों, निकट भविष्य में, उन्हीं वैदिक सिद्धान्तों के व्यावहारिक-प्रयोग-('प्रैक्टिकल् ऐप्लिकेशन' Practical application)-रूपी वर्ण-आश्रम-धर्म-ज्ञात्मक समाज-व्यवस्था में, संग्रथित, सम्मन्वित, परिणत हो जायेंगे।^१

१ सन् १९३४ ई० के अन्त में, मैं ने, 'एन्शेंट वर्सस माडर्न सायंटिफिक सोशलिज़्म', Ancient versus Modern Scientific Socialism, नाम का, अंग्रेजी में लिखा, ग्रन्थ छपवाया। इस में यह दिखाने का यत्न किया कि आज काल, चालीस पचास वर्ष से वा सौ वर्ष से, पच्छिम के देशों में, जो पूंजीवाद और तत्सहायभूत साम्राज्यवाद, शस्त्रवाद, आदि चल रहे हैं, उन का, और उन के प्रतियोगी समाजवाद-साम्यवाद का, किन् अंशों में सादृश्य है और किन् अंशों में वैदृश्य; तथा इस नवीन समाजवाद का और भारतीय प्राचीन समाजवाद का कितना सादृश्य वैदृश्य है। ऐसे ही, "थियोसोफिस्ट" नाम के मार्सिक पत्र में (जो आड्यार, मद्रास से निकलता है), सन् १९३७ के अंकों में,

साधारण रीति से, 'आधयो मानसीव्यथाः' और 'व्याधयो देहिकी-व्यथाः', ऐसा व्यवहार हो रहा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धांत है कि 'आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि;' एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद को, तथा साख्य-योग-वेदात को, इसी सूत्र का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त विधियों से चित्त का प्रसादन, परिमार्जन, विशोधन, परिष्करण, स्वस्थानन, आधि-शमन; आयुर्वेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौच-ऽचार से, विशेष रोगों के लिए विशेष औषध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, व्याधि-शमन; आधि-व्याधि के शमन से सत्व (प्राण-और बुद्धि) की शुद्धि, परमात्मस्मृति का लाभ, सब हृदय-ग्रन्थियों का वि-प्र-मोक्ष (विशिष्ट प्रकृष्ट मोचन), परम-शातिरूप स्थित-प्रज्ञता-रूप निरतिशय-आनन्द की प्राप्ति (छादोग्य उप०) ।

आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वैज्ञानिक उदाहरण

व्याधियों के उत्पादन में आधियों के प्रभुत्व को पाश्चात्य वैज्ञानिक कितना मानने लगे हैं, इस के उदाहरण के अर्थ, "दि रीडर्स डाइजेस्ट" (न्यू-यार्क, यु. स्टे. ग्र.) के अक्टूबर, १९४२ ई० के अंक से कुछ संक्षिप्त उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं; इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मस्तिष्क तथा "दर्शन का प्रयोजन" नाम के हिन्दी ग्रन्थ में, सन् १९४० ई० के अन्त में, 'साइको-ऐनालिसिस' की समीक्षा परीक्षा की। इसी समीक्षा का उपबृंहण कर के, 'एनशेंट साइको-सिंथेसिस वर्सस माडर्न साइको-ऐनालिसिस' Ancient Psycho Synthesis versus Modern Psycho-Analysis (अर्थात् 'प्राचीन चित्त-संगठन, संश्लेषण, संघातीकरण, व्यूहन, सम्बन्धन, समरूपण, संग्रंथन, एकीकरण, और नवीन चित्तविघटन, विश्लेषण, विश्लथन, विशकलन, अनेकीकरण, का परस्पर सम्प्रधारण, मुक़ाबिला, मीमांसन, संतोलन, सं-परि-अप-ईक्षा') नाम के ग्रन्थ का आरंभ किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद ऐकपाक्षिक अर्ध सत्य है, और प्राचीन, सर्वांगीण, सर्वसंग्राहक, सम्पूर्ण सत्य है; पर यह ग्रन्थ अधूरा पड़ा है; अंतरात्मा की इच्छा हुई, और आयुःशेष बुद्धि-शेष पर्याप्त हुआ, तो पूरा होगा ।

और नाड़ी-‘नर्व’ (nerve)-व्यूह की आधि-व्याधियाँ, अपि-तु सब प्रकार के शरीर रोग, तीव्र मानस क्षोभ से पैदा हो सकते हैं। ठीक ही है; वात-पित्त-कफ, रजस्-सत्व-तमस्, (क्रिया-ज्ञान-इच्छा), सभी सदा साथ रहते हैं; नितान्त पृथक् नही किये जा सकते हैं; हां, एक समय मे एक अधिक व्यक्त और बलवान्, दूसरे दो ऋम; ऐसा घटाव बढ़ाव ही उन मे होता रहता है; एक के विकार का असर भी दूसरो पर पड़ता हो है; ‘वैशेष्यात् तु तद्वादः तद्वादः’; विशेष मुख्य लक्षण की प्रबलता से, वैशेष्य से, वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते हैं; अन्यथा, सभी रोगों मे, तीनों के विकार कम बेश देख पड़ते हैं।

“पन्द्रह सौ रोगियों की परीक्षा, न्यू-यार्क महानगर के एक अस्पताल मे, की गई; आधे से ज्यादा के रोग का कारण मानस क्षोभ साबित (सिद्ध) हुआ। नौकरी छूट जाने से, आर्थिक चिंता से, दूसरे के पेट के दर्द का हाल सुनने से, मचली और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सौ पाच रोगियों के पेट मे निनावें, मानस क्षोभो से, अधिक चिंता, रोजगार मे नुकसान, पति-पत्नी के गृह-कलह आदि से; हो गये, तीव्र क्रोध के ऊपरी दमन और भीतरी जलन से तत्काल ‘हाइ ब्लड प्रेशर’ (रुधिर-वाहिनी शिराओं मे विकार, रुधिर-चाप-वृद्धि) हो गया; ‘डायबीटिस’ (बहुमूत्र के विविध प्रकार, इन्सु-मेड, मधु-मेह, उदकमेह, आदि), यक्ष्मा, दन्तरोग, हृदय के रूप आगति के विकार, आदि, विविध रोग, विविध क्षोभो के कारण, विशेष कर गत विश्व-युद्ध मे अप्रकाशित भय के तीक्ष्ण वेग से, और घर वापस जाने की घोर उत्कण्ठा से, उत्पन्न हुए। इन अन्वेषणों का यहां तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगतिशील चिकित्सक अब यह कहने लगे हैं—‘किस प्रकार का रोग है, यह जानना कम आवश्यक है, किस प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक आवश्यक है’।^१ भारत के, तथा

1. “Mental conditions can upset normal physical functions, weaken our resistance to infection, even actually cause physical change in vital organs;.... nausea, stomach pains,....stomach cancer,....stomach ulcer,mucous colitis,.....high blood pressure,.... tuberculosis,....diabetes,....arthritis, tooth decay,....

पश्चिम के, चिकित्सकों को यह विदित है कि कभी-कभी ‘जानडिस’ (Jaundice, पांडुरोग, कामला, यर्कान, जिस में यकृत की विकृति से पित्त सारे शरीर में फैल जाता है, और शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता है), उग्र क्रोध के ऊपरी विरोध और भीतरी विरोध से, एक वा दो धरटे से भी कम में हो जाता है।

काम विषयक शिक्षा^१

बिना सत्य ज्ञान के दुःख से मोक्ष नहीं

प्रकृत प्रकरण का आरम्भ पृ० २०३ पर, ‘काम विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचार के सम्बन्ध में कुछ विचार’, इस शीर्षक से हुआ है। तात्कालिक साक्षात् उद्देश्य इस प्रकरण का वह जान पड़ेगा जिस की चर्चा पृ० २०६-२१२ पर की गई है। किंतु व्यापक और गुह्यतर उद्देश्य, इस समस्त ‘कामाध्यात्म’ नामक अध्याय का, यह है, कि काम-शास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्वों का ज्ञान जनता में फैले; विशेष कर गृहस्थों में, heart trouble....(are caused. because) most of us bury distressing problems in a secret crypt of our minds.” (This is what the psycho-analyst calls ‘repression’). “It is more important to know what sort of patient has a disease, than what sort of disease a patient has”, *Reader’s Digest* for Oct. 1942, pp. 49-51; New York. U. S. A.).

१. पुनः कुछ निजी निवेदन—

‘श्रेयांसि बहु-विघ्नानि’, अच्छे काम में बहुत विघ्न होते हैं; १४ मई, १९४३, शाम को मैं कुर्सी से उठने लगा, मूर्च्छित हो गया; सामने रखी दूसरी कुर्सी पर गिरा; नाक से प्रायः दो सेर खून, अठारह घंटे में, निकल गया, ऐसा डाक्टरों ने अनुमान किया; कठिनता से खून बंद हुआ, प्रायः पन्द्रह दिन में जब फिर शरीर में कुछ प्राण-संचार हुआ, तब बिखरे छितरे प्रसुप्तवद् विचारों को एकत्र कर के, चारपाई में ही बैठ बैठ कर, ग्रन्थ के कार्य का पुनः आरंभ किया। ऐसी अवस्था में क्या कार्य और

जिन के ऊपर नई पुस्त की रत्ना शिक्ता भिक्ता (वा भक्ता) की जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वयस्, स्वभाव, अवस्था आदि के अनुसार, उन को, भूलों और दुराचारों से बचाने के लिए, उचित हित उपदेश करें। इस लिये, इन आध्यात्मिक तत्त्वों के ज्ञान के अन्तर्गत, तथा उन से सम्बद्ध, बहुत सी बातों और विचारों का संग्रह यहां तक कर दिया गया। पद्म प्रतिपद्म दोनो पर विचार कर के, इस युग (जमाने) के लिये निष्कर्ष यही है, जैसा पृ० १६५ पर गीता के श्लोक से कहा गया, कि सत्य ज्ञान के प्रचार से ही 'हवा' पवित्र होती है, जनता का हृदय शुद्ध होता है, सारे समाज का भाव और विचार सात्विक होता है, और तदनुसार, आचार भी शुद्ध और सात्विक होता है; ऐसे समाज की नई पुस्त की उचित रत्ना शिक्ता भिक्ता, अनायासेन आप से आप होती रहती है।

इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है। कचहरियों में रोज़ देख पड़ता है कि एक ही मामले में, दोनो पद्म की ओर से, आख देखे गवाह परस्पर नितान्त विरोधी साक्षी देते हैं; तब अति दूर भूत काल में, 'इदं इत्थं एव', ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस', यह निश्चय से कहना कठिन है; तो भी न्यायालय में न्यायाधीश प्राड्वि-चाक् निर्णय करता ही है, और उस का निर्णय अक्सर ठीक भी होता ही है। यह देखते हुए, उपलभ्यमान स्मृति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थों के सहारे से; तथा उन स्मृतियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार आजकाल भी 'हिन्दू' समाज में चल रहा है, चाहे अस्त-व्यस्त रूप ही में, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल में, कैसा हो सकेगा, यह अन्तरात्मा को ही विदित है ! पर जब तक साँस (श्वास) तब तक आस (आशा); "कर्मणि एव अधिकारस् ते, मा फलेषु कदाचन"। पाठक सज्जन इस ग्रंथ के सब दोषों को क्षमा करेंगे; यदि कोई अंश इसका उन्हे उपयोगी उपादेय जान पड़े, तो उस का ग्रहण और प्रचार करें; जो दोषयुक्त अनुपयुक्त हेय जान पड़े, उस का त्याग और वर्जन अवश्य करें; यह प्रार्थना है।

भारत में, अब से अधिक सात्त्विक भाव फैला था, और उस के अनुसार नई पुरत को शिक्षा मिलती रही ।

ब्रह्मचर्य के विषय में प्राचीन काल की शिक्षा

आश्रमों के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वर्णन में, ब्रह्म-चर्य शब्द प्रतिपद आता है; अवश्य ही इस का अर्थ विद्यार्थी को समझाया जाता था; वेद और उपनिषद् के वाक्य, पृ० १६३ पर लिखे गये हैं; मनु की आज्ञा है,

एकः शयीत सर्वत्र, न रेतः स्क्रन्दयेत् क्वचित्;

कामाद् हि स्क्रन्दयन् रेतः, हिनस्ति व्रतं आत्मनः ;

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रं, अकामतः,

स्नात्वा, अर्कम् अर्चयित्वा, त्रिः 'पुनर् मां' इति ऋचं जपेत् । (म०)

कड़ी चौकी या भूमि पर, ब्रह्मचारी अकेला ही सोवै; एक विछौने में, दूसरे के साथ नहीं ; जान बूझ कर कहीं कभी वीर्य न गिरावै; यदि बुद्धि-पूर्वक गिरावैगा, तो उस के ब्रह्मचर्य व्रत की हिमा होगी, वह भ्रष्ट हो जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आवैगी; परन्तु, यदि सपने में, निद्रा में, आप से आप, बिना जाने बूझ, बिना इच्छा किये, बिना हस्तमैथुन आदि की चेष्टा किये, वीर्य गिर जाय, तो नहा कर, सूर्य को नमस्कार कर, 'पुनर्मां' इस वैदिक ऋचा को तीन बेर जपे; ऋचा के अर्थ की भावना करता हुआ; 'तज्जपः तद्अर्थभावनः,' (योगसूत्र); बिना 'अर्थ' की भावना का जप, 'वि-अर्थ' है, व्यर्थ है; सात्त्विक भावना-रूप भावनात्मक जप से चित्त शुद्ध होता है; यह सब बात, माता पिता, व आचार्य, वत्सल और दयालु भाव से, स्नेहमय शब्दों में, पुत्र को, शिष्य को, समझा देते थे, और इस सम्बन्ध में उस को जो शंका और प्रश्न उठते थे, उन का उसी रीति से समाधान कर देते थे । शुक्र, रेतः, वीर्य क्या वस्तु है; क्यों और कैसे गिरता है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्या लाभ है, जिस लाभ के लिए उस की रक्षा, उस का शरीर में संचय, करना उचित है; यह सब बातें बतलाना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यो ज्यो विद्यार्थी, किशोर अवस्था से यौवन की ओर बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों उस, का

कामशास्त्र की साधारण और अधिक आवश्यक बातों का, ज्ञान अनायास बढ़ता जाता था। सारे समाज में ब्रह्मचर्य के महिमा का ज्ञान फैला रहने से, ब्रह्मचारी की रक्षा स्वतःप्राप्त होगी। पृ० १६८ पर और भी श्लोक उद्धृत किये हैं; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये।

यदि वृद्ध जन, हितैषी, नेकनीरती से भी, अच्छे आशय से भी, सद्-उद्देश्य से भी, अंतरात्मा की प्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दे, और तौ भी नई पुस्त के चित्त में दोष ही उत्पन्न हो, तो कहने और सुनने वाले के भाग्य ही का दोष जानना मानना चाहिये; और क्या कहा जाय ?

मातृजंघा हि वस्सस्य स्तम्भीभवति दोहने । (रघुवंश)

बल्लवे के दुर्भाग्य से, गाय दूहने के समय, बल्लवे को बाधने के लिये, उस की माता गाय का ही पैर, स्तम्भ का, खम्भे का, काम देता है।

अल्पवयस्को को, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में, जिन की चर्चा पृ० २११ पर की है, क्या बतलाया जाय; इस विषय पर, पुनः, इस अध्याय के 'परिशिष्ट' में, कुछ लिखने का यत्न किया जायगा।

ब्रह्मचर्य के गुण *

पृ० १६४ पर, इसी शीर्षक का अधिकरण ('सेक्शन', 'टापिक', sec. topic), शरीर के तीन स्थूणो खंभों की, तथा ओजस् की, चर्चा से समाप्त किया गया। अव-रोह-मार्ग से, (अव-रोहण, 'नीचे उतरना', सर्जन, सं-चरण, प्र-वर्तन से), अनन्त ब्रह्म परमात्मा का ही प्रति-बिम्ब, व्यक्तोक्त, वि-वर्तित, उलटा किया, स्थूल रूप, 'शुक्र' (ब्रह्म सनातन) है; आ-

* इस 'कामाध्यात्म' अध्याय के आरंभ (पृ० १६४) में बतलाया है कि पहिले लिखे एक छोटे निबन्ध का यह अध्याय उपबृंहण है; उस निबन्ध का प्रायः पंचम अंश इस के पृष्ठ १६२ तक में समाप्त हुआ; उस पृष्ठ पर, 'ब्रह्मचर्य के गुण', इस शीर्षक से, एक अधिकरण आरंभ हुआ; तत्पश्चात्, प्रसंगवश, अन्य बहुत बातों की चर्चा की गई; उन सम्बद्ध बातों की परिक्रमा कर, अब धूम कर, विचार पुनः 'ब्रह्मचर्य के गुण' की ओर आ गया; स्मरण के सौकर्य के लिये, इस अधिकरण का शीर्षक पुनः वही दिया जाता है।

रोह-क्रम से, (प्रति-संचरण, प्र-लयन, नि-वर्त्तन, प्रति सर्जन-से), 'शुक्र'-शक्ति को उलटा फेरने से, नीचे उतारने के बदले ऊपर चढाने से, बहिर्मुख के स्थान पर अंतर्मुख करने से, जोव, पुनः सूक्ष्म सूक्ष्मतर भावों का अनुभव करता हुआ, अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के भाव को प्राप्त करता है। योग की विधियों के अभ्यास से निरोध कर के, यदि वीर्य-धातु आत्मलीन किया जाय, तो सिद्धियों में परिणत होता है; ऐसी, योग के ग्रन्थों की सूचना है; वह शक्ति बाहरी कार्यों में व्यय न हो कर, भीतर फिरती है, शरीर और मस्तिष्क के सुप्तप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों का, दिव्य इंद्रियों का, उद्बोधन संचालन करती है; स्थूल संतान के स्थान पर सूक्ष्म शरीर का ('जिस्मिलतीफ' का) निर्माण करती है, जिस से 'खे-चर' सिद्धि होती है। 'खे', चित्ताकाश में, विचरण की शक्ति; मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य और विविध शास्त्रों के ग्रन्थों का निर्माण होता है, इसी 'खे-चर' शक्ति का एक साधारण रूप है। प्राणिसृष्टि में जितना ही नीचे जाइये, उतनी ही उदर-शिशन-परायणता अधिक देख पड़ती है; आहरण (आहार) और प्रजनन, इन्हीं दो कार्यों में जन्तुओं की शक्ति दिन गत, लगी रहती है, बुद्धि का विकास नहीं होता; मनुष्य सृष्टि में आ कर, जितनी ही भोजन-सन्तानन-कार्यों की रोक होती है, उतनी ही बौद्ध-कार्यों की वृद्धि। ब्रह्म आनन्द का विवर्त्त काम-आनन्द है; "तद् ऐक्षत बहु स्याम्" "तत् सृष्ट्वा तद् एव अनु-प्राविशत्", "तद् यथा प्रियया भार्यया संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद नऽऽभ्यन्तरं", इत्यादि वाक्यों से, उपनिषदों ने, जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, और स्त्री-पुरुष के समाश्लेषण का भी, वर्णन किया है; पर यह न भूलना चाहिये कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य उत्-तम है, मोक्ष है, शुद्ध अमृत है, एक-रस निश्चल निक्लिष्य अमरत्व है; स्त्री-पुरुष-संगम अधस्-तम अधम है, बंध है, विषाक्त अमृतऽभास हैं, बहु-सुरस-कुरस-पूर्णा चंचल क्रियामय आगम-आपायित्व जनन-मरणत्व है। कामशास्त्र में मैथुन को अष्टांग कहा है,

स्मरणं, कीर्त्तनं, केलिः, प्रेक्ष्य, गुह्य-भाषणं,
संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रियानिष्पत्तिर् एव च ।

इस के विपरीत, योग भी अष्टांग है, “यम-नियम-आसन-प्राणऽायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयः” । इस विषय का विस्तार, मैंने “मानव-धर्म-सारः” नाम के संस्कृत-पद्य-ग्रन्थ में किया है ।

बहुकाम के दोष

स्त्री-वीर्य (जिस का नाम रजस् है, पर जो रजस्वला के बहिर्दृश्यमान ‘रुधिर’ से भिन्न है), जिस को अंग्रेजी में ‘ओवम्’ ovum कहते हैं, और पुरुषवीर्य, ‘स्पर्म’ sperm, आहारादि का सार, और अहंता-ममता काम का विशेष आधार, हैं । इस का शरीर में अधिक संचय, और सद्-बुद्धि की मात्रा कम, होने से, ऐश्वर्यमद का प्रधान आविष्कार यह होता है कि सम्पन्न पुरुष बहुत स्त्रियों को व्याह लेते हैं, अथवा घर में डाल लेते हैं । तथा स्त्रियाँ, जिन देशों में ऐसी प्रथा है, बहुत पुरुषों को व्याहती या रखेल कर लेती हैं, अथवा गुप्त जार बना लेती हैं * । पूर्व और पश्चिम देशों के प्राचीन अर्वाचीन पुराण-इतिहास में, जो राजा-महाराजा-सम्राटों, शहनशाह-पादशाह-सुलतानों, किङ्-कैसर-एम्पररों की कथा मिलती हैं, उन से मालूम होता है कि एक एक ‘अवरोध’ (‘हरम’) में कई कई हजार स्त्रियाँ तक समय-समय पर भरते भरते जमा हो जाती थीं । कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों प्रसिद्ध हैं । उन के बहुत पुराने पूर्वज राजा राजि की एक लाख लिखी हैं । यह सब पौराणिक अत्युक्ति हो सकती है, पर सर्वथा नहीं । ईरान के इतिहास में सैकड़ों और हजारों स्त्रियों के हरम मिलते हैं । रोम के किसी किसी सम्राट् के भी सैकड़ों थे । ईसा से हजार वर्ष पूर्व, यहूदियों के सब से प्रतापी प्रसिद्ध बुद्धिमान् विद्वान् (‘दि-वाइज’, the wise) किन्तु इस विषय में अन्य राजों के ऐसे ही दुर्बुद्धि, हजरत सुलेमान की सात सौ बीबियाँ लिखी हैं । ईसवी पंद्रहवीं शताब्दि

* वात्स्यायन ने ऐसे कुछ देशों की चर्चा की है । अंग्रेजी में वेस्टर-मार्क का ‘हिस्टरी आफ् हा मन मैरेज’, तीन बड़ी जिल्दों में, (पुनर्लिखित पंचम संस्करण, १६२१ ई०), विवाह के प्रकारों पर आकर ग्रंथ है ।

मे दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य में, एक राजा के अवरोध में बारह हजार स्त्रियों का रहना लिखा है; मोलहवी शताब्दि में, अति धनसंचय, अति भोगविलास, अति मांस-मद्य-साहार, अति गर्व के कारण, यह साम्राज्य, राष्ट्र के सु-प्रबंध की बुद्धि और नीति में, तथा शूरता से प्रजारक्षण की शक्ति में, शिथिल हो गया। इस की समृद्धि, यूरोप के अभ्यागतों के वर्णन से, महाभारत-हरिवंश आदि में लिखित, युधिष्ठिर की मयनिर्मित सभा और कृष्ण की सुधर्मा सभा की समृद्धि से भी अधिक आश्चर्य-कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाओं के मिल कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की स्मृति भी भारतवर्ष से भूल सी गई थी। अब इतिहास के गवेषकों ने अपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सब से पहिले, और सब से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने किया; १६०० ई० में उन का ग्रन्थ छपा, जिस का नाम ही उन्होंने 'एक विस्मृत साम्राज्य', A Forgotten Empire, रखा। उन के बाद भारतीय गवेषकों ने भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सौ वर्ष में यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा, और, अति 'काम' के कारण ही, समूल नष्ट हो गया। मद्रास सूबा के बिलारी जिला में, हम्पी नामक स्थान में, इस के विशाल खंडहर पड़े हैं।

यह सोलहवीं शती ईसवी की बात है। ई० सन् १८५७ के सिपाही संग्राम के पीछे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ, कलकते के पास मटियाबुर्ज को, साल सौ बेगम गईं; ऐसी किंवदन्ती, पचास साठ वर्ष पहिले, थी। ई० सन् १६०६ में मुझे काशी के 'सेंट्रल हिंदू कालिज' के लिये दान माँगने को, हैदराबाद (दक्खिन) जाने का अवसर हुआ। वहाँ दो-मंजिले मकानों का एक बड़ा भारी आहाता, किले के ऐसा, शहर के भीतर देख पड़ा; लोगों ने कहा कि इस में भूतपूर्व निजाम के बयालीस सौ 'महल' थे। लखनऊ में खुसौ बाग के बारे में यही कहा जाता है, कि वाजिद अली शाह के 'महलों' का आहाता था, और उस की बावलियों में 'चीरहरण लीला' की जाती थी; इत्यादि। परिणाम जो हुआ, ~~परिणाम~~

है। कुछ वर्ष हुए, काशी के 'आज' अखबार में, कुँवर मदन सिंह नाम के एक देशभक्त उच्चवंशीय राजपुत्र ने, राजपूताने की एक रियासत के दुराचारों का हाल कई लेखों में छपवाया, और वहाँ के राजा के 'अवरोध' की दशा का भी वर्णन किया।

'अवरोध' शब्द 'रुध' धातु से बना है, जिस का अर्थ 'रूँधना', घेर कर रोकना, जैसे कारावास को दीवारों से, अथवा भेड़ बकरियों के झुंड को कांटे भंखाड़ के वा बाँस के घेरे से। अवरोधों से क्या विपत्तियाँ राजा पर पड़ती हैं, तथा राजा के कुल पर, और उस प्रजा पर जिस के दुर्भाग्य और दुष्कर्म से उस को ऐसे राजा मिलते हैं—यह, व्यास वाल्मीकि महर्षि ऐसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इन्होंने कार्य-कारण संबंध को देखने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से देख कर, वैयक्तिक तथा सामूहिक मानव जीवन को, राग-द्वेष, काम-क्रोध, और इन के अवान्तर भावों की ही, अनन्त माया-क्रीड़ा का प्रवाह पहिचाना और कहा है। कृष्ण के पुत्र साम्ब को कैसे अपनी विमाताओं के साथ व्यभिचार करने से कुछ रोग हो गया, और कैसे तपस्या से अच्छा हुआ, यह कथा भविष्य पुराण में कही है। तथा कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद उन के अवरोध की क्या दुर्दशा हुई, यह भी प्रसिद्ध है। सब स्त्रियों और बच्चे हुए बालकों को ले कर, अर्जुन, द्वारका से मथुरा को जा रहे थे; रास्ते में आभीरों ने छुपा मारा, स्त्रियों को उठा ले गये; व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सी स्त्रियाँ, आभीरों के साथ, राजी खुशी चली गईं; अर्जुन, कृष्ण के वियोग से ऐसे दुःखित विमूढ़ हो रहे थे कि कुछ रक्षा नहीं कर सके। प्रत्येक अवरोध की प्रायः ऐसी ही दशा होती रही है। आस-पास के तत्कालीन लोग जानते हैं, पर इतिहासकार प्रायः नहीं लिखते *। क्षत्रियों में कितनी ही स्त्रियाँ, राजा के

* छः सात वर्ष के भीतर की बात है, भारत में, एक पहाड़ी रियासत के राजा मरे; लडका गद्दी पर बैठा; उस ने बाप के 'अवरोध' को महलों से एकदम निकाल बाहर किया; सारी सड़क इन स्त्रियों से दूर तक भर गई; जीयो या मरो, क्या तुम्हारे अन्न वस्त्र का उपाय होगा, इस से कुछ मतलब नहीं। यह कथा एक मित्र ने मुझ से कही जिस ने स्वयं इस दृश्य को देखा।

मरने पर, या राष्ट्र-विप्लव होने पर, एक साथ 'सर्ती' स्वयं होती थीं, या ज़बर्दस्ती आग में डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर क्रूरताओं का फल, सारे समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण, विशेष रूप से दिखाना चाहिये। अन्यथा, इस विषय में अज्ञान और स्मृति-भ्रंश होने से, बुद्धि-नाश और व्यभिचार, देश में, समाज में, बढ़ता है, और अन्त में समाज को डुबाता है। काम-शास्त्र के ग्रन्थकारों को भी ये बातें ध्यान में रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के अधः-पात में सहायक न हों।

वात्स्यायन ने काम-सूत्र में ऐसे अन्तःपुरों के व्यभिचारों की कुछ चर्चा की है। पर उन के वर्णन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था बहुत अधिक भयङ्कर और बीभत्स रही, और है। इस विषय की विशेष पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है।*

कामीय ईर्ष्या से, न जाने कितनी स्त्रियों, कितने पुरुषों, की हत्या राजमहलों में की गई है; ज़हर से, फाँसी से, छुरे तलवार से, बन्दूक-पिस्तौल से, ज़िन्दा गाड़ देने और दीवार में चुनवा देने से, अन्तःपुर की खिड़कियों के नीचे मग़रों से भरे तालाबों में फेंक देने से, इत्यादि। कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणों से बदल गये हैं; असली हकदार मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गद्दी पर बैठा दिये गये; इतिहासों की सूक्ष्मेक्षिका से ऐसी बातों का पता चलता है। एक राजा, अवध-प्रांत के, जिन को मरे प्रायः तीस वर्ष हुए होंगे, कहा करते थे कि 'बारी' (खिदमतगार) का लड़का राजा, और राजा का लड़का 'बारी' होता है। दैनिक समाचार पत्रों में, मैथुनीय ईर्ष्या के कारण की गई हत्याओं के मुकद्दमों की चर्चा अक्सर होती रहती है।

इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पर्य यह है कि, कामशास्त्र के अध्येता को चेतावनी की कमी न हो, कि आहारेच्छा, परिग्रहेच्छा और

* श्री कन्हैयालाल गौबा की 'दि पैथोलोजी आफ़ इण्डियन प्रिंसेज' में वर्तमान रियासतों का हाल, और 'अङ्कल शैम' में अमेरिका का, थोड़े में बहुत कुछ दिखाया है।

कामेच्छा के सुप्रयोग से सर्वस सुख, और दुरुपयोग से दुःखसर्वस्व, मनुष्य को मिलता है। दुष्ट-काम के कारण रावण का महावश नष्ट हुआ और सोने की लका जली; अत्याहार, अति लोभ, अति बलमद, अति शौर्यमद, अति ईर्ष्या से, भीम-दुर्योधन की, अर्जुन-कर्ण की, परस्पर प्रतिस्पर्धा से, महाभारत का युद्ध हुआ। अति परिग्रह-लोभ से, अति धन-मद से, तथा समाज-व्यापी इन्द्रिय-लोल्य, भोग-लोलुपता, विषय-मग्नता से, कलह बढ़ कर, १९१४-१८ ई० में, महायूरोप का महा-समर हुआ, जो महाभारत के युद्ध से दस गुना दारुण, रोग-संचारक, प्रजा-विनाशक, सम्पत्ति-क्षय-कारक हुआ; और अब पुनः, १९३६-१९४६ में, उस से भी अधिक घोर द्वितीय विश्व-युद्ध हुआ, जिस के अगार-शेष, अभी भी, 'इडोनीसिया' में, फिलिस्तीन में, चीन में, (१९४६ में) जल रहे हैं। महाभारतीय सम्राम में अठारह अक्षौहिणी अर्थात् कोई चालीस लाख आदमी कटे; और यूरोपीय प्रथम विश्व-युद्ध में (युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के विशेषज्ञों की गणना से) एक करोड़ तीस लाख मरे; इतने ही सारे जीवन के लिये लँगड़े, लूले, अंधे, काने, तरह तरह से अपाहज हो गये; और इस के पाच गुने छः गुने भूख और बीमारियों से मरे। सब देशों के चिकित्सकों में यह प्रसिद्ध है कि, नब्बे फी सदी रोग, जिह्वा और उपस्थ के अतिलौल्य से और दुरुपयोग से होते हैं, और दस फी सदी बाहरी कारणों से।*

* १९१४-१८ के विश्वयुद्ध में, सवा चार वर्षों में, यूरोप में एक कोटि तीस लक्ष कटे; १९१८ के अंत और १९१९ के आदि में, सवा चार महीनों में, भारत में, सरकारी गणना से, साठ लाख, और वस्तुतः सवा करोड़, आदमी, 'वार-फीवर', 'इनफ्लुएंजा', 'न्युमोनिक प्लेग', (war fever, influenza, pneumonic, plague) से मर गये; मुख्य कारण यही था कि भारत से, जीवन की आवश्यकीय वस्तु, अन्न वस्त्र आदि सब, यूरोपीय युद्ध के लिये, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खींच ली, और यहां भूख और शीत के निवारण के लिये नहीं बची। द्वितीय विश्व-युद्ध में, पहिले की अपेक्षा से, सैनिक कम मरे, निःशस्त्र नागरिक अधिक मरे;

उचित 'काम'-सेवन की उपयुक्तता ।

यहा यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मार्ग पर, तीनों इच्छाओं की, उचित मात्रा मे, उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है । अ-समय अत्यन्त निरोध से भी दोष उठते हैं, जैसे अत्यन्त व्युत्थान से । पर इतना जरूर है कि, अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः व्यक्ति ही पर पड़ती है; और अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये अति व्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पड़ता है । अ-समय अति निरोध से विविध ब्रामारिषाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा,

शुक्राश्मरी च महतां जायते शुक्रधारणात् । (वाग्भट्ट)

वीर्य की 'पथरी', शुक्रमेह, क्लीबता, शरीर की अतिस्थूलता, आदि, शुक्र के अति निरोध से कभी कभी हो जाते हैं ।

हाँ, यदि सच्चा वैराग्य हो कर, मन मे काम-वासना उठे ही नहीं, या बहुत कम उठे, तब रोग का भय नहीं है । प्रतिपद, जीवन के सभी व्यवहारो मे,

आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिं, अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

बीच का रास्ता पकड़ो, अति से सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र, दूर रहो । सब को, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के अपने विषयरूपी आहार की, उचित मात्रा मे, जरूरत है; आंख को सुन्दर रूप-रंग, कान को मधुर शब्द, नाक को सुगन्ध, इत्यादि । वैसे ही, युवा और प्रौढ़ अवस्था मे, स्त्री-पुरुष को हित, मित, धार्मिक, वैवाहिक, रति-प्रीति रूपी परस्पर आप्यायन तर्पण की भी आवश्यकता है । ऐसे आहार के बिना चित्त मे और शरीर मे क्रुशता, दुर्बलता, आधि-व्याधि, उत्पन्न होती है । उचित ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद, विवाह और गार्हस्थ्य, साधारण स्त्री-पुरुष को हवाई जहाजों से, विमानों से, बम के गोलों के गिराने से; और अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ । भारत मे, भूख और बीमारियों से, जिन कारणों से पहिले विश्व-युद्ध मे, उन्ही से इस मे भी, कम से कम तीस, अधिक से अधिक पचास लाख तक मनुष्य मरे । इस विषय मे पहिले भी, पृ० २५४-२६४ पर लिखा जा चुका है ।

करना ही चाहिये । यह उत्सर्ग है, नियम है । हा, अपवाद, कभी कदाचित्, सभी उत्सर्गों के होते हैं । लाख, दो लाख, या दस लाख में एक स्त्री या पुरुष ऐसा होगा, जो नैष्ठिक आत्यन्तिक आमरण शुद्ध ब्रह्मचर्य के योग्य, अपनी प्रकृति से, हों । ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सच्चे ऋषित्व का और योगसिद्धियों का सम्भव होता है । ऐसे ही कारणों से मनु ने कहा है कि पूरा ब्रह्मचर्य छत्तीस वर्ष का होता है, जिस से 'ब्रह्म' का पूर्ण अनुभव और संचय, समग्र 'वेद' का, 'ज्ञान-सर्वस्व' का, पूर्ण धारण, हो जाय; जो इस को साध सके वही जीव, सच्चा, तपस्या और विद्या से सम्पन्न, 'ब्राह्मण' होगा; पर यह बहुत कम लोगों के लिये सम्भव है, इस लिये अक्सर लोगों को, 'तदर्धिक,' अठारह वर्ष में ही, तथा बहुतों को, 'पादिक वा', नौ वर्ष में ही, अथवा, सर्वसम्प्राहक शब्दों में, 'ग्रहणातिक्रमेव वा', जो विद्या जिस को विशेष रूप से अभीष्ट हो उस का ग्रहण हो जाने तक ही, ब्रह्मचर्य निवाहना चाहिये ।

काम-जनित उन्मादादि ।

कामवासना के दुष्प्रयोग से परम्परया बहुतो को हानि पहुँचती है, भयंकर संचारी सक्लामक रोग, उपदश*, फिरंग रोग (गर्मी), आदि, शारीर व्याधियाँ समाज में फैलती हैं; संतति निर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, पागल, पशुवत्, होती हैं; और मानस व्याधियाँ, उन्माद आदि, भी, प्रायः काम-दोष से होती हैं, जिन से चरों और दुःख का प्रसर्पण विषवत् होता है, और नयी पुष्ट अघिकाधिक भ्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पशु-प्रकृतिक, होती जाती हैं ।

अध्यात्मशास्त्र में षड्रिपु, अन्तरारि, के नाम से, प्रायः छः चित्त-विकार कहे हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह (भय), मद, मत्सर । इतर

* उपदंश के विषय में वैद्यों में कुछ मतभेद है; कोई कहते हैं कि यह आतशक, गर्मी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय है कि 'फिरंग'-रोग, यूरोपीय 'फ्रांक, फ्रेंच' लोगों के ही साथ भारत में आया, और उपदंश, जिस की चर्चा पुराने ग्रन्थों में है, वह दूसरा ही रोग है ।

पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं । कामसामान्य की सन्तति ये निश्चयेन हैं ।

संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते,
क्रोधाद् भवति संमोहः, संमोहात् स्मृतिविभ्रमः,
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति । (गीता)

सग से काम, काम के विघात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पर्दा, मोह, उस से (क्रोध के वरा हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्या अनिष्ट फल होता है, इस) स्मृति का विभ्रम, उस से बुद्धि-भ्रंश, उस से सर्वस्व-नाश ; यह अनुचित अति 'काम' के फलों की अनर्थ-परम्परा है । पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है । कचहरियों में देखो तो मामले मुकद्दमे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 'काम'-विशेष के हेतु, देख पड़ते हैं । अस्पतालों में 'काम'-विशेष से उत्पन्न रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैं । 'ल्युनाटिक-असैलम', 'मेण्टल-हास्पिटल', (lunatic asylum, mental hospital), उन्माद-चिकित्सालयों, में, प्रायः 'काम'-विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी होते हैं ।

पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्माद के प्रकारों की कई मुख्य जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं । प्राचीन अध्यात्म दृष्टि से छः प्रधान जातियाँ होंनी चाहिये, उक्त छः क्षोभों की 'अति' से । पाश्चात्य गवेषक इन के पास पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्होंने ने अब तक इस की खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें । इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है* । यहाँ थोड़े में इन छः राशियों की सूचना उचित है; (१) कामोन्माद (पश्चिम के डाक्टर इसे 'एरोटो-मेनिया' कहते हैं); (२) क्रोधोन्माद ('होमिसाइडल-मेनिया'; यदि 'साइडो-मेनिया' नाम रखते तो अच्छा होता); (३) लोभोन्माद

* 'दि सायंस आफ दि इमोशनस्', 'दि सायंस आफ सोशल आर्गे-निज़ेशन', 'दि सायंस आफ दि सेल्फ' में, तथा 'साइको-पेनालिसिस्' विषयक मेरे अन्य लेखों में ।

('क्लेप्टो-मेनिया'); (४) मोहोन्माद, वा भयोन्माद, (इस के लिये अंग्रेजी मे अभी कोई शब्द तजवीज़ नहीं हुआ है, यद्यपि, प्रायः बीस प्रकार के भयों के नाम, भय के कारणों के नामों के साथ 'फोबिया' शब्द जोड़ कर बना लिये गये हैं; यथा, बन्द कोठरी से भय 'क्लास्ट्रो-फोबिया'; खुले मैदान से भय, 'आगोरा-फोबिया', आदि; यह सब मानस बीमारियां हैं; सब प्रकारों के भयोन्मादों के लिये संग्राहक नाम, अंग्रेजी मे, 'फोबो-मेनिया' अच्छा होगा); (५) मदोन्माद ('मेगालो-मेनिया'); (६) मत्सरोन्माद, (इस के लिये भी कोई अंग्रेजी शब्द ठीक नहीं हुआ है, 'ज़ीलो-मेनिया' प्रायः अच्छा होगा) † । अन्य सब प्रकार, इन्हीं छः के अवान्तर भेद संभके जा सकते हैं । 'मेनिः, मेनयः', शब्द, तीक्ष्ण चित्त-विकार और उत्कट इच्छा के अर्थ मे, ऐतरेय ब्राह्मण मे आया है । पाश्चात्य उन्माद-शास्त्रियों का विचार है कि प्रायः सभी उन्मादों की जड़ मे मैथुन्य काम-विकार ही है । यह ठीक नहीं । ऐसे काम से असम्बद्ध, अति लोभ, भय, क्रोध, मद आदि भी कितनों के मूल-कारण होते हैं । किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश उन्माद का हेतु मैथुनीय काम-विकार है, चाहे 'काम' की अति मात्रा, चाहे वग्राहति, चाहे काम-सम्बन्धी साध्वस, ईर्ष्या, असन्तोष, भय, क्रोध आदि । *

संसारसुखसर्वस्वे, योषा-पुं-रागसम्भवे,

खंडिताः दुर्भंगाः यांति विविधां वै विरक्तताम् ।

काम-प्रेम-राग के विषय मे जिन स्त्री-पुरुषों की आकांक्षा खंडित हो

† Erotomania, cido-mania, klepto-mania, phobo-mania, megalo-mania, zelo-mania; Fere's *Pathology of the Emotions* मे विविध भयोन्मादों का विस्तृत वर्णन है ।

* ग्रीक भाषा के 'मेनिया' शब्द का अर्थ 'उन्माद' है; तथा 'ईरोस' का, 'काम'; 'क्लिप्टीन' का, चोरी; 'फोबास' का, भय; 'मेगास' का, बड़ा, बढ़पन, (अपने को बड़ा जानना, अहंकार, अभिमान); 'जीलोस' का, प्रति-स्पर्धा; लैटिन भाषा के 'साइडेरी' शब्द का, हत्या करना ।

जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्वेग, असूया, निराशा, विराग, उन्माद, मूर्छा, देहशोष, कामञ्जर, मरण तक होते हैं; इन की चर्चा पृ० २८३-२८४ पर की गई है। पौराणिक रूपक में, काम-क्रोध-अहंकार के देवता भव-हर-रुद्र के गण, प्रमथ-भूत-यक्ष-रक्षः पिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; पृथ्वी पर इन्ही गणों के प्रति-रूपक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी 'विगक्तो' को समझना चाहिये। इस विषय पर, इधर चालीस पचास वर्ष में, जर्मन जातीय आचार्य, ब्रूअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युग, ऐडलर, आदि ने, बहुत गवेषणा कर के बहुत ग्रन्थ लिखे; इन में, स्वप्नो के वर्णन से, मनुष्य के मन के भीतर दबे छिपे, वा उन की स्मृति की, दुःख-कारकता के कारण, दबा छिपा दिये गये और भूल से गये, निरुद्ध, अव्यक्ती-भूत, काम-विकागो की, 'हृदय-ग्रन्थियो', 'काम-जटाओं', का पता लगाने का, (पच्छिम में सर्वथा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सैक-ऐनालिसिस' के नाम से, खडा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है। (पृ० २०८-२८२) इस उप-शास्त्र को, भर्तृहरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ही, एक दृष्टि से, मान सकते हैं। यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है। अभी इस के सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद-ग्रस्त हैं। पर, पूर्वोक्त वेदान्त-शास्त्र, योग-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर कर लिये जायँ, तो काम-शास्त्र में, सामान्य रीति से, इन की मूल बातों का समावेश करना बहुत लाभदायक होगा।

कामशास्त्र; तीन अंग

जब मानव-जीवन के अर्थ भाग, प्रवृत्ति मार्ग, का प्रधान पुरुषार्थ 'काम' है; और उस के पाने की राह, ऐसी सुख दुःख, आशा-भय, सम्पत्ति-आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कटकित है; तो यथा-सम्भव फूलों के विकासन के भी, और काँटों के निष्कासन के भी, उपाय

✽ "दश तु कामस्य स्थानानि; चतुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकल्पोत्पत्तिः, निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लज्जाप्रणाशः, उन्मादः, मूर्छा, मरणं, इति तेषां लिङ्गानि" । (काम-सूत्र, ५-१-४,५)

सिखाना, मनुष्य को परम आवश्यक है। इन दोनों उपायों के सिखलाने वाले शास्त्र का ही नाम कामशास्त्र होना उचित है।

शास्ति यत्साधनोपायं पुरुषार्थस्य निर्मलम्,
तथा एव बाधनाऽपायं, तत्शास्त्रम् इति कथ्यते।

किसी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, या मोक्ष, के साधन के उत्तम निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा बाधन के अपायों को, रोकने, दूर करने, वाले प्रकारों को, बतावै, शासन करै—यही शास्त्र की शास्त्रता है। जो ऐसा करै वही ठीक-ठीक शास्त्र कहला सकता है।

इस लक्षण को ध्यान में रख कर कामशास्त्र का सर्वाङ्गीण ग्रन्थ तैयार किया जाय तो उस में प्रायः ये अंग होने चाहिये—

१—ज्ञानांग, २—रसांग (इच्छा-भक्ति-स्थानीय), ३—क्रियाङ्ग वा कर्माङ्ग।

ज्ञानांग

अध्यात्म-स्थान

(१) अध्यात्म-स्थान। (१) पारमात्मिक, पारमार्थिक, दृष्टि से, स्त्री-पुं-भेद, काम, रति-प्रीति, सौंदर्य, यौवन, और रजो-वीर्य, के तात्त्विक स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्या हैं और क्यों हैं। (इस के दिग्दर्शन मात्र का यत्किंचित् यत्न ऊपर किया गया है, और 'दि सायंस आफ पीस' तथा 'दि सायंस ऑफ, इमोशनस' में कुछ अधिक किया है)। अंग्रेजी शब्दों में इस अंश को 'दि फिलॉसोफी, आर् मेटाफिज़िक, आफ सेक्स' (the Philosophy or Metaphysic of Sex) कहा जायगा। इस का संकलन, प्रायः वेदान्त-शास्त्र के बल से ही करना होगा। पाश्चात्य ज्ञान से इस में सहायता कम मिलेगी। (२) जैवात्मिक, व्यावहारिक, दृष्टि से, काम के आकार, प्रकार, विकास, आविष्कारों का वर्णन आवश्यक है। इस पर संस्कृत के साहित्य-शास्त्र में, तथा पश्चिम के 'दि सैकालोजी ऐण्ड पैथोलोजी आफ सेक्स' the Psycho-logy and Pathology of Sex, के अब विशाल साहित्य में,

बहुत सामग्री है। अंग्रेजी में इस अंश को 'दि सैकालोजी आफ सेक्स' कहते हैं।†

शारीर स्थान

(ख) शारीर स्थान। (१) स्त्री-पुरुष के प्रजनन इंद्रियों का, उन के सूक्ष्म अवयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निस्स्यन्दों, 'सीकी-शन्म,' secretions, का, गर्भाधान और संतान-उत्पत्ति में उपयोगों का, वर्णन होना चाहिये*। (२) तथा इन के रोगों का, रोगों के कारणों का रोगों से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्, नित्य-शौच के प्रकारों, का। (३) इस सम्बन्ध में, ओषधि वनस्पति-वृक्ष-गुच्छ-गुल्म-तृण-प्रतान-वल्ली रूप स्थावरों के, तथा विविध जगम जतुओं के, प्रजनन के प्रकारों का,

† Havelock Ellis, *The Psychology of Sex*, 7 vols; Iwan Block, *The Sexual Life of Our Time (Germany)* 1 vol., (*Britain*) 2 vols.; Krafft-Ebing, *Psychopathia Sexualis*; etc

* इस विषय पर, हिन्दी में, वैज्ञानिक रीति से लिखे, अब ग्रंथ मिलने लगे हैं; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने में एक आया, डाक्टर ए० ए० खां का लिखा 'जन्मनिरोध' (१९४० ई०, भागवत पुस्तकालय, बनारस)। यद्यपि नाम 'जन्म-निरोध' है, पर पुरुष और स्त्री की प्रजनन इंद्रियों का वर्णन, तीन अध्यायों में, चित्र सहित, अच्छा किया है; जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से किया है। इस के बाद, हाल में, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा का ग्रन्थ, "हमारे शरीर की रचना" (दो जिल्द, १९३८-१९४४ ई०) देखा; इस की दूसरी जिल्द के अन्त में, स्त्री पुरुष की प्रजनन इंद्रियों का अच्छा और प्रामाणिक वर्णन किया है; तथा गर्भाधान, गर्भ में शिशु की अवस्था, और प्रसव, का भी। वास्त्यायन के काम सूत्र का हिन्दी में अनुवाद, श्री विजयबहादुर सिंह ने किया है (महाशक्ति प्रेस, बनारस); उसी के लिये, भूमिका के रूप में "कामाध्यात्म" का प्रथम लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर जी ने अनुवाद अच्छा किया है, पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान से भी, अनुवाद

वर्णन प्रसक्त है। तीन प्रकार मुख्य हैं; *पहला प्रकार, अलिग-अमैथुन, कांड-प्ररोही, है; कितने ही पौधे ऐसे हैं जिन की एक टहनी काट कर ज़मीन में गाड़ देने से, जड़ पकड़ लेती है; तथा जल में रहने वाले कई चाल के अणु कीट भी ऐसे होते हैं जो फून कर फटते और दो टुकड़े हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र कीटाणु हो जाता है, और फिर फूलता है, फटता है, परम्परया। (२) सृष्टि का दूसरा प्रकार, उभयलिग-अंतमैथुन, बीजप्ररोही, है, जैसा अधिकांश ओषधि-वृक्षादिकों का; इन के फूलों के बीच में जो सूत्र या जीरे निकले रहते हैं, उन में से कुछ पुरुष-लिग और कुछ स्त्री-लिग होते हैं; दोनों के मुख-भाग को सूक्ष्मेक्षिका से देखने से, उनमें भेद प्रत्यन्त जान पड़ता है; पुरुष सूत्रों के मुख पर से पराग भङ्ग कर, अथवा विविध प्रकार के फनगों (पतंगों) मधुमक्खियों आदि के द्वारा, स्त्री-सूत्रों की नाली में प्रविष्ट हो कर, बीज बनता है। पाशव और मानव पुरुष शरीरों में, अव्यक्त रूप से स्त्री चिन्ह, और स्त्री शरीरों में पुरुष चिन्ह, सभी को होते हैं; और किसी अति प्राचीन युगांतर में उन की उभय-लिगता, अर्धनारीश्वरता, का प्रामाणिक अनुमान कराते हैं। इन सब बातों का, मंत्रों में, पर विशद रूप से, वर्णन होना चाहिये।

* अमैथुनः प्रजाः पूर्वं; न व्यवर्धन्त ताः; ततः

† मिथुनं ससर्ज भगवान्; बहुरूपाः ततोऽभवन्। (वायुपुराण, पूर्वार्ध, अ० ८ व ५७)। पुराणों में कहा है कि आदिकाल में अमैथुन सृष्टि होती थी; उन में विचित्रता नहीं हुई; तब ब्रह्मा ने मिथुनता उत्पन्न किया, समैथुन सृष्टि बहुरूप हुई।

का, स्थले स्थले, उपवृद्धि किया है, और दुराचारों व्यभिचारों के विरुद्ध चेतावनी भी दी है; इन्होंने प्रजनन इंद्रियों का वर्णन भी किया है, जो वाल्म्यायन ने सर्वथा छोड़ दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विजय बहादुर जी ने नहीं किया, पर मिलाने से विदित होता है, कि डाक्टर त्रिलोकीनाथ के ग्रन्थ से ही बहुधा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक जगह, "समीरणी, चांद्रमसी, गौरी", इन तीन नाइियों की चर्चा की है; कहीं से इन का हाल मिला, सो नहीं लिखा; अभी थोड़े दिन हुए, "पंचसायक" नाम का

(३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, भिन्न-लिंग समैथुन है, जेसा इम युग मे, अधिकाश क्रीट, पतंग, दरा, मच्छिका, सरीसृप, मत्स्य, पशु, पक्षियों मे, और मानवों मे है। इन के संयोग के और गर्भाधान के प्रकारों का वर्णन होना चाहिये। इस विषय मे पाश्चात्य आचार्यों ने भारी परिश्रम से बड़ी गवेषणा की है, और बड़े रोचक और शिक्षक ज्ञान एकत्र किये हैं। किन्हीं किन्हीं प्राणि-जातियों मे, जैसे विशेष प्रकार की मकड़ियों मे, नारी, गर्भाधान के बाद, नर को मार डालती है और खा जाती है; किन्हीं मे स्त्री-वीर्य पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर पुरुष-वीर्य छिड़क देता है; किन्हीं मे, यथा मधुमच्छिका और दीमकों मे, एक ही 'रानी' होती है, और वही गर्भ-धारण करती और हजारों बच्चे देती है, जिन मे से दम बीस ही, विशेष प्रकार का पदार्थ तिला कर, नर बनाये जाते हैं, बाकी नपुंसक और महापरिश्रमी, मधु आदि का सञ्चय करने वाले, शहद का छाता और दीमक की बच्ची (ब्रमी, वल्मीक) बनाने वाले, होते हैं; इत्यादि। यह बात याद रखने की है कि, नर और बानर से नीचे दर्जे के प्राणियों मे मैथुन-काम, बँधे ऋतुओं मे, और गर्भाधान के लिये, ही होता है। तीसो दिन, चारहो महीने, रति के अर्थ, नहीं होता, जैसा सौभाग्य-दौर्भाग्य से मानवों मे होता है। पुराणो मे शिक्षाप्रद वृत्रासुर के वध और वर्षा के आरंभ के रूपक से बताया है कि क्यों और कैसे ग्रन्थ मेरे देखने मे आया; इस के "नाडी-ज्ञान-समुद्देश-प्रकरण" मे इन नाडियों की चर्चा की है, और कहा है कि, स्त्री-योनि की समीरणी नाम की नाडी मे पुरुषवीर्य पड़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी मे कन्या जन्मती है, गौरी मे बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों मे ऐसी तीन स्त्री-नाडियों की कुछ चर्चा नहीं है; तथा उस ग्रन्थ मे, इन चार पांच श्लोकों के सिवा वास्त्यायन की बातों से अन्य, कुछ भी नहीं है। 'रति रहस्य', 'अनग-रंग', 'नागर-सर्वस्व' आदि अन्य ग्रन्थ भी, जिन से विजय बहादुर जी ने जहां तहां उद्धरण किये हैं, वास्त्यायन के कुछ अशों के प्रायः अनुवाद मात्र हैं।

‘नित्यकामवराः स्त्रियः’ (और ‘पुरुषाः’) हो गये; ‘नित्यकाम’ होते हुए भी, स्त्रियों को तो प्रत्यक्ष ही ‘ऋतु’ होते हैं; पाश्चात्य सूक्ष्म ‘सायंटिफिक’, scientific, शास्त्रीय, गवेषणा से विदित हुआ है कि पुरुषों को भी ‘सैक्रिक पीरियाडिसिटी’, cyclic periodicity, ‘चक्रवत् वीर्याधिक्य-काल’ होता है; यथा, वसन्तोत्सव (होली, ‘कार्निवल’) सभी देशों में मनाये जाते हैं, यद्यपि उन के प्रकार सात्त्विक-भाव वा राजस-भाव से भेदित होते हैं; कहीं अधिक ललित और आवृत वचनों, नृत्यों, और चेष्टाओं से हँसी उठोली की जाती है, कहीं अधिक अश्लील, अश्लील, अभद्र, अनावृत गीतों, आवाजों, और मुद्राओं से। इन बातों का वर्णन भी होना चाहिये। इस अंश का, प्रायः पाश्चात्य ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है। अति प्राचीन अतीत युगों में, मानव-जाति में भी अमैथुन और अंतमैथुन सृष्टि होती थी, इस का सूचन पुराणों में, तथा कुछ अधिक स्पष्ट वर्णन अंग्रेजी के ‘दि सीक्रेट डाक्ट्रिन’ नामक ग्रन्थ में मिलता है*। इस सब अंश का अंग्रेजी नाम ‘दि फिसियोलोजी आफ् सेक्स’, the Physiology of Sex, है।

(ग) विवाह के प्रकारों का वर्णन ; मुख्यतः तीन। (१) सात्त्विक प्रकृति के योग्य ; मनुस्मृति के शब्दों में, ब्राह्म-दैव-आर्ष-प्रजापत्य ; इन सब का प्रधान और समान अंश यह है कि, वृद्धों की सलाह के साथ-साथ, वर-वधू की भी परस्पर अनुकूलता हो। (२) राजस-प्रकृति के अनुरूप, यथा (२-क) गांधर्व, अर्थात् स्त्री-पुरुष का परस्पर स्वयम्बरण, और (२-ख) राजस, अर्थात् स्त्री का बलात् अपहरण, और (२-ग) आसुर, अर्थात् स्त्री के माता-पिता को धन दे कर उस का मोल लेना; आसुर को रजस-तमस्-मिश्रित भी कहा है†। (३) तामस, यथा पैशाच, अर्थात् सोती

* H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*, 6 vols. (Adyar edition).

भारत में तो अब इस द्वितीय प्रकार का एक नया चौथा भेद बहुत प्रबल होता जाता है, अर्थात् वर के माता-पिता को धन दे कर, वर को

हुई या प्रमत्त (अनजान, अबोध, प्रमादवाली, बेफिक्र, खेलती, बालिका कन्या, या नशे से गाफिल) स्त्री पर बलात्कार। पौराणिक रूपक में उमा-महेश्वर, पार्वती-परमेश्वर, गौरी-शंकर का जोड़ा सात्त्विक, भव भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस। वात्स्यायन ने गांधर्व विवाह को सब से अच्छा कहा है, (जैसी पाश्चात्य शिक्षितों की भी राय है); परन्तु, सात्त्विक राजस तामस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से वात्स्यायन का मत, भगवान् मनु की सर्वसंग्राहक दृष्टि से, ऐकपाक्षिक और न्यून है।

इन सद् विवाहों और असद् विवाहों के गुण-दोष, सन्तति के ऊपर प्रभाव, आदि की, थोड़े में, किन्तु पर्याप्त सूचना, मनुस्मृति और महाभारत में की है;

अनिदितैः स्त्रीविवाहैः अनिद्या भवति प्रजा,
निदितैर्निन्दिता नृणां, तस्मान् निद्यान् विवर्जयेत् ।
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्षु एव, अनुपूर्वशः,
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः जायन्ते, शिष्टसमताः,
रूपसत्त्वगुणोपेताः, धनवन्तो, यशस्विनः,
पर्याप्तभोगाः, धर्मिष्ठाः; जीवन्ति च शत समाः ।
इतरेषु अवशिष्टेषु, नृशंसा अनृतवादिनः
जायन्ते, दुर्विवाहेषु, ब्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः । (मनु)
अविज्ञातासु च स्त्रीषु, क्रीबासु, स्वैरिणीषु च,
परभार्यासु, कन्यासु नाऽऽचरेन् मैथुनं नरः ;
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्,
अपुमांसो, ऽङ्गहीनारच, स्थूलजिह्वाः, विचेतसः ;

खरीदना। इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या अल्प-वित्त माता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुह मागा धन नहीं दे सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है। ऐसे इतिवृत्तों के समाचार, बीच बीच में, अखबारों में छपते रहते हैं।

एते चान्ये च जायंते, यदा राजा प्रमाद्यति,
तस्माद् राज्ञा विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते ।

(म० भा०, शांति, अ० ६०)

भगवान् मनु के, तथा भीष्म पितामह के, ये श्लोक, कामशास्त्र के मस्नक पर सदा लिखे रहने चाहियें, और अध्येता को सब से पहिले कंठ कर लेने चाहियें; तभी उस का अध्ययन, इस शास्त्र का, निर्दोष और गुण-मय होगा; अन्यथा, विपरीत होगा। सात्त्विक विवाहों से, और स्त्री-पुरुष के संयोग के समय सात्त्विक भावों के, प्रेममय भावों के, आधिक्य से, सात्त्विक सन्तति होती है; राजस से राजस; तामस से तामस। व्यभिचार से, कन्यादूषण से, घोर अप्राकृतिक पश्चादि के ऐसे संयोग से, नपुंसक, पशु-रूपी, अथवा हीनांग, स्थूल जीभ वाले, 'बौरहे', 'राक्षस' रूपी, भयङ्कर आकृति के, जीव पैदा होते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों में इस विषय पर विस्तार किया है। राजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यभिचार आदि पाप, प्रजा में फैलते हैं; इस लिये राजा को सावधानी से इन्हें रोकना चाहिये; अपने में भी, और दूसरों में भी; "यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत् तद् एव इतरो जनः" जैसा बड़ा करता है, उसी की नकल छोटा करता है; राजा पापी है, तो प्रजा पापी होगी; राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी सदाचारी।

पौराणिक रूपक में, 'कामस्य द्वे भार्ये, रतिश्च प्रीतिश्च', कामदेव की दो पत्नी, रति और प्रीति। शरीर-प्रधान और अभिमान-प्रधान भाव 'रति' है; चित्त-प्रधान और प्रेम-प्रधान भाव 'प्रीति' है। प्रेम के पर्याय शब्द, अनुराग, स्नेह, प्रियता, हार्द, भक्ति, दया आदि हैं। भक्ति शब्द, केवल इष्टदेव के ही सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं है। 'भजमानं भजस्व मां', ऐसी उक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, काव्यों में मिलती है। तथा, 'दयिता', यह विशेषण प्रिय और सुकुमार भार्या का, प्रसिद्ध है। उत्तम दाम्पत्य वह है जिस में पति-पत्नी, भर्ता-भार्या, (इन शब्दों के यौगिक अर्थ विचारने और हृदय में रखने योग्य हैं), एक दूसरे के लिये ऐसा

१. 'पाति इति पतिः', कुल की रक्षा करता है; 'पाति, बालकान् इति पतिनी = पत्नी', बालकों की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है।

कह सकै जैसा दशरथ ने कौशल्या के लिये कहा, कि ‘वह देवी, दासी, सखी, भगिनी, भार्या, माता, सभी के ऐसा मेरा परिचार करती है’,

यदा यदा हि कौसल्या दासीवत् च सखी इव च,
भार्यावद्, भगिनीवच् च, मातृवत् च उपतिष्ठते ।

(वा० गमा०, अयो०, सर्ग १२)

शकुन्तला ने दुष्यन्त से,

सखायः प्रवि विक्तेषु भवति एताः । प्रयवदाः,
पितरो धर्मकार्येषु, भवति आर्त्तस्य मातरः;
अर्धं भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा,
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य, यः सभार्यः स बन्धुमान्,
भार्यावन्तः क्रियावन्तः, सभार्याः गृहमेधिनः,
यः सदारः सः विश्वास्यः, तस्माद् दाराः परा गतिः;
तस्माद् भार्या पतिः पश्येत् पुत्रवत् पुत्रमातरं;
अंतरात्मा एव सर्वस्य पुत्रो नाम उच्यते सदा ।

(म० भा०, आदि० अ०, ८६)

योगवासिष्ठ मे, चूडालोपाख्यान मे, कहा है,

मोहाद् अनादिगहनाद्, अनन्तगहनाद् अपि,
पतितं, व्यवसायिन्यस्, तारयति कुलस्त्रियः;
शास्त्रार्थ-गुरु-मंत्रादि तथा न उत्तारणक्षमं,
यथा एताः कुलशालिन्यः भर्तृणां कुलयोषितः;
सखा, आता, सुहृन्, मित्रं, गुरुर्, भृत्यो, धनं, सुखं,
शास्त्रं, आयतनं, दासः, सर्वं भर्तुः कुलाङ्गनाः;
सर्वदा सर्वयत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः,
लोकद्वयसुखं सर्वं सम्यग् यासु प्रतिष्ठितं । (यो० वा०) ।

‘भरति, इति भर्ता’, भरण पोषण करता है; ‘अत्रियते इति भार्या’, जिसका-
भरण पोषण किया जाय; ‘भृत्य’ का भी अर्थ यही है, ‘भरण पोषण के
योग्य’ नौकर ।

अनादि अनन्त गहन अविद्या मोह के मारे, पाप में, नरक में, गिरे, पति को, व्यवसायवती हिम्मतवर कुलस्त्री ही उबारती है। शास्त्र की बातें, गुरु, मंत्र आदि, पतित झूठे हुए के उत्तारण में वैसी समर्थ नहीं होते जैसी कुलीन भार्या। भर्ता के लिये कुलीन भार्या तो सखा भी, भ्राता भी, नितान्त सहृदय मित्र भी, गुरु, भृत्य, धन, सुख, शास्त्र, शरणगृह, दास, सभी हैं। कुलाङ्गनाओं का सब प्रकार से, बहुत यत्न से आदर करना चाहिये, क्योंकि इहलोक परलोक दोनों का सर्वस सुख इन्हीं पर प्रतिष्ठित आश्रित है।

एक स्मृतिकार ऋषि ने कहा है,

व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्,
तथा पतिव्रता नारी भर्तारं अनुगामिनी,
अपि पातकिनं घोरं नरके पतितं पति;
तथा भर्तारं आसाद्य स्वर्गं लोके महीयते।

जैसे सँपेरा साँप को बिल में से बाहर अपने बल से खींच लाता है, वैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को नरक में से बाहर खींच लाती है, और स्वर्ग में उस को लेजा कर, उस के साथ, स्वर्गवासियों से आदर पाती है।

अज ने, इन्दुमती के लिये विलाप करते हुए कहा,

गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः,

प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । (रघुवंश, अ० ८)

सीता ने राम का वर्णन करते हुए, अनसूया से,

किं पुनः यो गुणश्लाघ्यः, सानुक्रोशः, जितेन्द्रियः

स्थिरानुरागः, धर्मात्मा, मातृवत्, पितृवत्, प्रियः ;

शकुन्तला ने दुष्यन्त को समझाया,

एकांत में मीठी बात करने वाली सखी, धर्म कार्यों में पिता, दुःख में माता, पति के लिये पत्नी सब कुछ होती है; पुरुष का आधा शरीर पत्नी है; श्रेष्ठतम मित्र है, धर्म-अर्थ-काम के त्रिवर्ग का मूल है; जिस को भार्या है उसी को सच्चा बन्धु है, वही क्रियावान् है, वही, अपने अपने कुल के, अपने समाज के, हित के लिये व्यवसाय-आत्मक कर्म करता है,

बेकार नहीं बैठा रहता, वही गृहस्थी रूप शाश्वत मेध, यज्ञ, करता रहता है वही विश्वासपात्र होता है। पिता की अंतरात्मा ही, पुत्र के रूप में, पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि पुत्र की माता को अपनी ही माता जानै। अज के लिये इदुमती, गृहिणी भी, सचिव, सखी, कलाओं में शिष्य भी, थी। सीता के लिये राम, सर्वगुण-सपन्न, परम दयालु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धर्मात्मा, माता और पिता के ऐसे प्रिय थे।

अद्वैत सुखदुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्,
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्मिन् न हायौ रसः,
कालेन आवरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं,
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य, कथं अपि एकं हि तत् प्राप्यते ।

(उत्तररामचरित)

वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थाओं में, एक को सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एक सा होता है; थके मादे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के रस को बुढ़ापा कम नहीं करता है; बल्कि युवावस्था की लज्जा हट जाने से जो और अधिक परिपक्व हो जाता है—वह प्रेम, वह स्नेह का सार, भले दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिलता है। यौवन (जवानी) में, 'रति' का भी अंश व्यक्त होने से, परस्पर 'आवरण' (पर्दा, त्रया, हिजाब) रहता है; वृद्धावस्था में, यदि शुरू से ही रति के साथ सात्त्विक 'प्रीति' भी प्रबल रही, तो प्रीति ही प्रीति रह जाती है, जिस में कोई पर्दा नहीं।

इन उत्तम सात्त्विक परिष्कृत भावों को भूल कर, स्वार्थप्रधान और अभद्रप्राय शब्दों में उन का आभास, राजस स्वभाव के पुरुष यो कहते हैं,

कार्ये दासी, रतौ वेश्या, भोजने जननीसमा,
विपत्तौ बुद्धिदात्री च, सा भार्या सर्वदुर्लभा ।

गृहकार्य के लिये दासी, मैथुन में वेश्या सी निस्त्रप, विपत्ति में अच्छी सलाह देने वाली—ऐसी भार्या बहुत दुर्लभ होती है।

इस का प्रतिरूप और पूरक द्वितीय अर्ध नहीं सुनने में आता; यदि यह भी कहा जाय तो आभास में सद्-अंश अधिक हो जाय; यथा,

कार्ये दासो, रतौ जारो, पोषणे जनको यथा,

विपत्तौ रक्षिता चैव, स भर्ता सर्वदुर्लभः ।

कार्य के लिए गुलाम, रति-प्रसंग में जार (यार, उपपति, विट), विपत्ति में रक्षा करने वाला—ऐसा भर्ता बहुत दुर्लभ होता है ।

‘पुरुष’ की ‘प्रकृति’ होती है; पुरुष प्रकृतिमान् है । शिव, शक्तिमान् है; शिवा, शक्ति है । पुरुष धर्मी है; प्रकृति उस का धर्म, उस का स्वभाव, है । इस लिए पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, एक ही हैं । तौ भी दो के ऐसे जान पड़ते हैं । यही आदि माया का मूल है । पारमार्थिक एकत्व में इसी द्वित्व के कारण, उस का अनुकरण करके, स्त्री-पुरुषात्मक द्वित्व की उत्पत्ति होती है ।^१

स आत्मानं द्वेषाऽपातयत्, ततः पतिश्च पत्नी च अभवताम् ।

तस्माद् इदं अर्धवृगलमिव । आपयतो वै तौ ऽन्योऽन्यस्य

कामान् सर्वान् । (उप०)

एतावान् एव पुरुषः, यज् जायाऽत्मा प्रजा इति ह;

विप्राः प्राहुः तथा च एतद्, यो भर्ता सा स्मृता ऽहना । (मनु)

परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरा पत्नी; इसी से, अकेला पुरुष, अकेली स्त्री, अधूरे से होते हैं; पति-पत्नी-संतान, यह तीन मिल कर सम्पूर्ण पुरुष बनता है; ऋषियों ने कहा है कि जो भर्ता है, वही अंगना है; पति और पत्नी में भेद नहीं ।

यह आदि-मिथुन, मूल-जोड़ी, एक दूसरे के लिए संसार-सर्वस्व है, इन्द्रिय-गोचर-सर्वस्व हैं, एक दूसरे के सभी ‘कामो,’ इच्छाओं, को पूरा करते हैं । इसी मूल-द्वन्द्व-दाम्पत्य-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्नी भाव, भर्ता-भार्या भाव, पिता-पुत्री भाव, माता-पुत्र भाव, भ्राता-स्वसा भाव, सखा-

१ दुर्गासप्तशती में चिद्रूपिणी, चेतना-रूपिणी, अर्थात् चैतन्य-परमात्मा-रूपिणी, देवी के ही रूपान्तर, बुधा, वृषा, निद्रा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, स्मृति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, शान्ति आदि को कहा है ।

सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव, स्वामी-दामी और स्वामिनी-दास भाव, गृही-गृहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हैं; सभी इस आदि-द्रव्य-भाव में समाहृत हैं। ऐसे ही, आदर्श मानव-दम्पती के बीच भी इन सब उत्तम भावों की चरितार्थता होनी चाहिए। अनार्य, अभद्र, भदेस, अश्लील, अश्रोल, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या के भाव होते हैं। वे भी, पुरुष प्रकृति के रजस्-तमस् के अधम अश के उद्गार हैं। मन में अधिक रखने की बात यह है कि, आर्यदम्पती को, 'पति-पत्नी', 'स्त्री-पुरुष', भाव का जो अश शरीर-रति-प्रधान है, उस को (सर्वथा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः) गौण रखना चाहिए, और अन्य सब भाव जो चित्त-प्रीति-प्रधान हैं, उन को मुख्य रखना चाहिए। तभी कौटुम्बिक सासारिक गार्हस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; अन्यथा नहीं। रति-प्रीति, शक्ति-भक्ति, दोनों ही चाहिए, पर रति-आत्मक शक्ति कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक।

त्वं हि सर्वशरीरी आत्मा, श्रीः शरीरेन्द्रियाऽश्रया,
नामरूपे भगवती, प्रत्ययस् त्वं अपाश्रयः।

(भागवत, ६-१६-१३)

परमात्मा शिवः प्रोक्तः, शिवा माया इति कथ्यते,
पुरुषः परमेशानः, प्रकृतिः परमेश्वरी,
मन्ता स एव विश्वात्मा, मन्तव्यं तु महेश्वरी,
आकाशः शंकरो देवः, पृथिवी शंकरप्रिया,
समुद्रो भगवान् ईशो, वेला शैलेन्द्रकन्यका,
वृक्षो वृषध्वजो देवो, लता विश्वेश्वरप्रिया,
शब्दजालम् अशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा,
अर्थस्य रूपं अखिलं धत्ते मुग्धेदुशेखरः;
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिर् उदाहृता,
सा सा विश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो (शर्वो) महेश्वरः।

(शिव पु०, वायु सं०, उ०, अ० ५)।

परमात्मा पति है, दृश्य जगत् पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है, शरीर पत्नी है; मंता, ज्ञाता, ध्याता पति है, मतव्य, ध्येय, ज्ञेय पत्नी है; आकाश पति है, पृथ्वी पत्नी; समुद्र पति है, वेलातट पत्नी; वृक्ष पति है, लता पत्नी; अर्थ पति है, शब्द पत्नी; द्रव्य पति है, गुण पत्नी; जिस पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदार्थ, महेश्वर, पति, है, और वह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी, है। ऐसे ऊँचे भाव, शिष्ट आर्य दम्पती को सदा अपने मन में धारण करना चाहिए।

पचास पचपन वर्ष हुए होंगे, युवावस्था में, मैंने अपनी गृहिणी से एक गीत सुना; बहुत आदर, बहुत भक्ति, बहुत नमस्कार से अपने हृदय में रख लिया; उसी आदर और भक्ति से, नयी पुरत के वधू-वरों के सात्विक आनंद के लिये, आज, वृद्धावस्था में, उस को यहाँ लिखता हूँ। उक्त पौराणिक आर्ष श्लोकों के ही भावों का अनुवाद, सीधों सदी हृदयंगम बोली में है; यदि भावों में उतनी गुरुता गंभीरता नहीं है, तो मिठास उन से अधिक है।

तूँ होयो दियना, हम होबै बाती; तूँ होयो कागद, हम होबै पांती,
तूँ होयो जंगल, हम होबै मोरा; तूँ होयो चंदा, हमहु चकोरा;
तूँ होयो हिम-गिरि, हम होबै गंगा; जनम जनम नहिं बिलुरै संग।

पत्नी के गीत की तो इतनी ही कड़ियां याद पड़ती हैं, पर भाव ऐसा प्रिय है कि पुराण के श्लोकों का आशय, हिन्दी के शब्दों में, चाहे छूटे-फूटे ही, अदल-बदल कर, कहने को मन चाहता है।

तूँ होयो गागर, हम होबै पानी; हम होबै प्रेमी, तूँ होयो ज्ञानी;
हम होबै चंदन, तुमहु भुअंगा; तूँ होयो सागर, हमहु तरंगा;
तूँ होयो पक्षिनि, हम होबै नीरा; तूँ होयो सोना हम होबै हीरा;
तूँ होयो सरिता, हम होबै तीरा; तूँ होयो गंध, (अ) रु हमहुं समीरा;
हम होबै ध्वजदंड, तुमहु पताका; तूँ होयो बादर (वारिद), हमहु बलाका;
हम होबै वनिका, तुमहु कुरंगा; तूँ होयो दीपक, हमहु पतंगा;
तूँ होयो सूत्र, (अ) रु हम होबै टीका; हम होबै पन्था, तूँ रथ-स्त्रीका;
हम होबै प्रानी, तूँ होयो स्वाँसा; तूँ होयो तारा, हमहु अकासा;

तू होयो यात्री, हम होबै नावा; हम होबै शब्द, (अ) रु तू होयो भावा ;
तू होयो हिरदय, हम होबै पीरा; तू होयो चेतन, हमहुं शरीरा ।

विवाह के वैदिक मंत्रों के उदार उत्कृष्ट सात्त्विक भावो को देखिए;
ॐ, सं-अन्नजंतु विश्वेदेवाः, सं आपो हृदयानि (हृदयेऽपि) नौ,
सं मातरिश्वा, सं धाता, सं उ देष्टी दधातु नौ ।

अमो (प्राणो) ऽहं अस्मि, सा (वाणी) त्वं; धीर् अहं, पृथिवी त्वं;
साम अहं, ऋक् त्वं; तौ, एहि, विवहावहै, सह रेतो दधावहै;
प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान् (पुत्री) विन्दावहै बहून् (शुभौ);
ते (तौ) सन्तु जरदष्टयः (ष्टी); संप्रियौ, रोचिष्णु, सुमनस्यमानौ ।

पश्येम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं,

प्रब्रवाम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, भवेम शरदः शतं,

मोदेम शरदः शतं, भूषेम शरदः शतं, रोहेम शरदः शतं,

अदीनाः स्यान् शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात् ।

मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तं अतु चित्तं ते अस्तु,

मम वाचं एकमनाः जुषस्व, प्रजापतिस् त्वा नियुनक्तु मह्यं ।

गभूणामि ते सौभगत्वाय हस्तं, मया पत्या जरदष्टिर् यथासः,

भगो अर्यमा सविता पुरंधिर् मह्यं त्वाऽदुर् गार्हपत्याय देवाः ।

ॐ सह नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वि नौ

अधीतं अस्तु, मा विद्विषावहै, ॐ ।

सब देवता हम दोनो का प्रेम बढ़ावें; सब पवित्र जल हमारे हृदयों को मिलावें; शुद्ध पवन, और बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव, पावन प्रेरणा और उत्तम उपदेश हमारी अंतरात्मा को दे । मैं प्राण (श्वास) हूँ, तुम वाणी हौ; मैं आकाश हूँ, तुम पृथिवी हौ; मैं साम हूँ, तुम ऋक् हौ; आओ, हम दोनों विवाह करै, रेतस् (रजो-वीर्य) एकत्र करै, प्रजा उत्पन्न करै, एक जोड़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो भी, और वे भी, मनुष्य की परम आयु पावें, वृद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर रोचिष्णु, परस्पर सुमनाः; सौ वर्ष, अक्षीण इंद्रियों से देखें, सुनै, बोलें, जीयै, आभूषण धारण करै, आनन्द करै, अदीन रहै; सौ वर्ष से भी

अधिक; हम दोनो एक दूसरे के ब्रती हो, पत्नीव्रत और पतिव्रता हों, परस्पर चित्त मे चित्त मिलावै, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनै, प्रजापति देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ बाध दे। सौभाग्य के लिये हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता कर के दोनो परम आयु पावै। सविता, सूर्य देव ने, अपने भग, अर्यमा, पूषा आदि द्वादश महीनो के द्वादश आदित्य-रूपों से, तथा महादेवी शक्ति देवी पुरंधि ने, जो इस शरीर रूपी पुर का आधान, निर्माण, और धारण करतो हैं, इन सब ने हम दोनो को उत्तम गार्हस्थ्य के लिये, और प्रजातन्तु का उच्छेद न होने के लिये, सात्विक विवाह के बन्धन मे बाँधा है।

ये मन्त्र अब भी वैदिक विधि से किये जाते विवाहो मे, पाणिग्रहण के समय पढे जाते हैं; तथा अन्य पौराणिक श्लोक भी, जिन से पति पत्नी, एक दूसरे से, बहुत अच्छी-अच्छी प्रतिज्ञाएँ करते हैं (जो आगे लिखे जायेंगे)। पर, इनके अर्थ की ओर वर-वधू का ध्यान नही दिलाया जाता।

प्राचीन युगों मे, जब बस्ती कम थी, तब 'पुत्रान्', बहुत से पुत्री-पुत्रों की कामना करना उचित था; अब इस कलियुग मे, जब बस्ती इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी माता उस का पालन पोषण धारण नहीं कर सकती, उस का भार नही सह सकती, तब व्याकरण के "रक्षा-ऊहा-आगम-लघु-अमन्देहाः", नियम के अनुसार, 'पुत्रान्' के स्थान पर 'पुत्रौ' पढ़ना, और (पत्नी च पुत्रश्च पुत्रौ) एक बेटी और एक बेटा की आकांक्षा करना उचित और पर्याप्त है; तथा 'बहून्' के स्थान पर 'शुभौ'। "सप्रियौ, रोचिष्णू, सुमनस्यमानौ", यह 'पुत्रौ' के भी, और 'पति-पत्नी' के भी विशेषण हो सकते हैं।

विवाह शब्द के पर्याय संस्कृत मे ये हैं—उद्वाह, पाणि-ग्रहण, परिणय उप-यम, उप-याम। 'विशेष' रीति से, विशिष्ट 'उत्कृष्ट' प्रकार से, एक दूसरे का 'वहन' करना, संग साथ निवाहना, निर्वाह करना; परस्पर हाथ पकड़ कर सहारा देना; 'परितः', सब अवस्थाओं मे, 'प्र-णय' से, प्रीति से, परामर्श से, एक दूसरे का 'नयन' करना; एक दूसरे का, प्रेम प्रीति से, यमन नियमन भी करना, परस्पर ग्रहण आस्वादन करना, एक दूसरे

को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहार करना; यह इन पर्यायों के अर्थ हैं। ऐसे अर्थपूर्ण पर्यायों से विवाह की हिमा का द्योतन होता है।

पच्छिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानो का संग्रह करने वाले, स्वावलम्बी, नये शास्त्रा उपशास्त्रों के प्रवर्तक, स्फुरद्बुद्धिमान्, गवेषकों ने, जैसा अन्य विषयों में, वैसा इस में भी, पृथ्वीतल के सभी देशों, और सभ्य, असभ्य, और अर्धसभ्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े बड़े ग्रन्थों में उन का वर्णन विस्तार से किया है। कही एक जाति की सब स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अर्थात् स्वच्छन्द मैथुन, जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, (अंग्रेजी में इस को 'एक्सो-गेमी' exogamy, कहते हैं); कहीं एक जाति के भीतर की सब स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी जाति वालों से नहीं ('एण्डो-गेमी', endogamy); कहीं एक पुरुष का बहुत स्त्रियों से, ('पाली-जैनी', polygyny); कहीं एक स्त्री का बहुत पुरुषों से, ('पाली-ऐण्ट्री', polyandry); कहीं अन्य स्त्रियों और पुरुषों के साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, (एक्सपेरियेन्स्ड मैरिज', experienced marriage); कहीं विवाह करने के बाद स्वच्छन्दता; कही गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष और गर्भिणी स्त्री का विवाह; कहीं अज्ञमाइशी विवाह, अर्थात् कुछ काल तक सहवास के बाद, यदि मन मिला तो, पक्का ब्याह, नहीं तो पार्थक्य, ('ट्रायल', 'कम्पैनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मैरिज', trial, companionate, or experimental marriage); कहीं जाति ('ट्रैब', tribe) के मुखिया, प्रधान नायक, राजा ('चीफ', chief) या पुरोहित ('मेडिसन-मैन', 'प्रीस्', 'मैजिशन' medicine man, priest, magician) के द्वारा कन्या को 'दत्तयोनि' और 'पवित्र' करा के किसी अन्य से विवाह; कहीं विवाह हो जाने के पश्चात्, 'प्रथम रात्रि' में, उस एक रात्रि के लिये, ('जुस प्राइमी नोक्टी' jus primae nocte) नववधू का, राजा, पुरोहित, सम्प्रदायगुरु, को समर्पण*; इत्यादि।

* १८७०-७१ ई० के आस पास, बम्बई में एक मुकद्दमा हुआ;

भारतवर्ष की हजारों जातियों में खोज करने से, स्यात्, सभी न हों तो बहुतेरे प्रकार मिल जायेंगे। यथा शिमला के पास, सापी नाम के एक स्थान में प्रतिवर्ष मेला लगता है, वहा एक पहाड़ी जाति के जो पति-पत्नी हाइकोर्ट की तजवीज, ‘हिस्टरी आफ दि सेक्ट आफ दि महाराजाज़्’, (History of the Sect of the Maharajahs) के नाम से एक जिल्द में, किसी ने छपवाया; हाइ कोर्ट ने लिखा कि “वल्लभ सम्प्रदाय के गुरु लोग, ‘गोस्वामी’, ‘महाराज’ कहे जाते हैं; उस सम्प्रदाय में यह रीति है कि भक्त-शिष्य लोग, नव-वधू को, पहिली रात के लिए, सम्प्रदाय-गुरु को समर्पण करते हैं; बम्बई में इस सम्प्रदाय का जो मन्दिर था, उस के गुरु ‘महाराज’, ‘गोशाई’ जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गई; उस वधू को भीषण ‘श्रातशक’ (शैकर, ‘Chancre’, शब्द का प्रयोग जजों ने किया, जिस के स्थान पर अब सिफिलिस Syphilis, का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होने लगा है) हो गया; सम्बन्धियों ने, कचहरी में, गुरु जी पर मुकद्दमा चला दिया।” स्यात्, नये पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से, महा तामस अंध-भक्ति को, इस भीषण दुष्फल ने, महाक्रोध में परिणत कर दिया। अदालत से ‘गोशाई’ महाराज को दंड मिला। सारे देश में चर्चा हुई; गुरु लोग भी और भक्त लोग भी शर्माए और डरे, और यह दुराचार कुछ कम हुआ, और छिपाया जाने लगा।

इसी वल्लभ कुल का जो प्रधान मंदिर, श्रीनाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध, उदयपुर राजपूताना के राज्य में है, उस के गुरु ने एक वेश्या को, खुली रीति से, रख लिया, और, अनुयायियों में शोर गुल होने पर, उस से एक प्रकार का विवाह भी कर लिया; अन्ततः अधिक आन्दोलन होने पर, गुरु जी गद्दी से अलग हुए, और उन के पुत्र उस पर बिठाये गये। यह मामला इधर दस पंद्रह वर्ष के अंदर अंदर हुआ, और अखबारों में इस की बहुत चर्चा रही। गुरु-‘जी-महाराज गोस्वामी’ जी का नाम दामोदरलाल और उन की वेश्या का नाम हंसा छपा था।

बम्बई के मुकदमे के सिलसिले में यह भी विदित हुआ, कि देश

परस्पर असन्तुष्ट होते हैं, वे आपस में पति-पत्नियों का विनिमय, बदलौ-वल कर लेते हैं; इत्यादि ।

मनुस्मृति में पुनर्भू, सहोद, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों की सूचना होती है । महाभारत, आदि पर्व, अ० १२८, में अधिक स्पष्ट लिखा है,

अनावृताः किल पुरा, स्त्रियः आसन्, वरानने !,
कामचारविहारिण्यः, स्वतंत्राश्च, चारुहासिनि !,

मे, भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचलित है, कि यदि आतशक सूजाक का रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को लग जाता है और वह उस से बूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से भी, बल्लभीय गुरु के घोर पाप के ऐसा पाप, देश में अक्सर होता है; ऐसा पापकारक विश्वास पच्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य सुपरीक्षित विज्ञान के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य अनुभव यह है कि नीरोग कन्या को तो रोग हो जाता है, पर रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है । ऐसे मिथ्या विश्वासों के प्रसार में एक हेतु यह भी है, कि यह मिथ्या विश्वास (न केवल भारत में, अपि तु सभी देशों में) फैल गया है कि स्त्री भोग्य है, परिग्रह (‘प्रापटी’, Property, मिल्क) है, और पुरुष भोक्ता, परिग्रही, स्वामी । सांख्य योग-वेदांत की तथ्य-दृष्टि के विवर्त्तन भ्रंशन से यह मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और फैली, जैसे अन्य सब माया का ऽपंच और जंजाल—इस पर विस्तार करने का यहां अवसर नहीं; विचारशील पाठक स्वयं विस्तार कर लेंगे । इस मिथ्या-भाव का खंडन, मनु के एक श्लोक के एक पाद से, ‘यो भर्ता सा स्मृताऽङ्गना’, हो जाता है, दोनों परस्पर सर्वस्व हैं, भोग्य भी हैं, भोक्ता भी हैं । ऐसे ही विवर्त्तन भ्रंशन से प्रत्येक ‘धर्म’, वैदिक, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर ‘वाम-मार्ग’ उत्पन्न हो गये हैं; पूछने पर ‘वाम-शाक्त’ लोग, पंच ‘मकार’ आदि का ‘रहस्य’ अर्थ बड़े आडम्बर और आटोप से बताते हैं; बौद्धों का ‘वज्रयान’ यही ‘वाम-मार्ग’ है; “गुह्य-समाज तत्र” नामक ग्रन्थ (१६३१ ई०,

तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्, सुभगे !, पतीन्,
 नाधर्मोऽभूद्, वरारोहे !; स हि धर्मः पुराऽभवत्;
 तम् अद्यापि विधीयते तिर्यग्योनिगताः प्रजाः ;
 उत्तरेषु च, रम्भोरु ! कुरुषु अद्यापि पूज्यते,
 अस्मिन् तु लोके न चिरात्, मर्यादा इयं, शुचिस्मिते !,
 उद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्वेतकेतुना ।

‘प्राचीन काल में स्त्रियां अनावृत (बिना रोक-टोक छेँक के), कामचार से विहारिणी, स्वतंत्र, होती थीं, जैसे तिर्यग्योनि पशुओं की, तथा जैसे ‘उत्तरकुरु’ जाति के मनुष्यों में अब तक; यही उस काल में धर्म माना जाता था । बहुत काल नहीं बीता है जब से यह एक-पति-व्रत विवाह की मर्यादा, उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापित की’, जब उन्होंने ने देखा कि उन की माता का एक दूसरे ऋषि, अपने लिए पुत्र उत्पादन करने के हेतु, ले कर जाने लगे; इत्यादि । आज काल पच्छिम में, ‘स्वच्छंदचार’, ‘फ्री-लव्’, ‘कम्पानियनेट मैरेज’, free love, companionate marriage, आदि की प्रथा जोर कर रही है, और इस विषय पर ग्रन्थ बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखबारों में बहस होती रहती है ।

सर्वाङ्ग कामशास्त्र में इन सब प्रकारों की, थोड़े में, चर्चा, तथा प्रत्येक के गुण-दोष का दिग्दर्शन, होना चाहिये ।

निष्कर्ष यही निकलता है कि लाखों वर्ष की आयु में, मानवजाति ने स्त्री-पुरुष-संग के सब प्रकार आज्ञा डाले, पर अंत में सब से उत्तम सात्त्विक प्रकार, अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख का, यही पाया है कि गायकवाड़ ओरियेंटल् सीरीज) में इस का वर्णन, और ‘रहस्य’ अर्थों के प्रतिपादन का महा दार्भिक यत्न, किया है; पर जिस अर्थ को तुम ‘रहस्य’ बताते हो, और नितरां घृणाजनक शब्दों में लिखते और छिपा हुआ बताते हो, वह सात्त्विक अर्थ तो सब उत्तम धर्म-ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है, फिर तुम को इतने आडम्बर आटोप से उस को ‘रहस्य’ बताने का क्या प्रयोजन ? यह तो केवल दग्ध, छल, कपट, धूर्तता और शठता है ।

ब्रह्मचर्य अवस्था में अविप्लुत अदूषित युवा, और वैसी ही अविप्लुत अदूषित युवती कन्या, का विवाह, उन की समान-व्यसन-शीलता का यथा-शक्य निर्णय, वृद्धों के परामर्श से, तथा परस्पर युवा-युवती की रुचि और प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; और तब सारी जिनदगी एक दूसरे के साथ वफादारी, प्रेमव्रत, अव्यभिचार, से निबाही जाय ।

अन्योऽन्यस्य अव्यभिचारो भवेद् आमरणातिकः—

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्री-पुंसयोः परः;

तथा निख्यं यतेयातां स्त्री-पुंसौ तु कृतक्रियौ,

यथा न अभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम् । (मनु)

स्त्री पुरुष, पति-पत्नी, के धर्म कर्म का सार इतना ही है, कि सदा ऐसा जतन करते रहें, कि एक दूसरे से चित्त कभी न फटै, न हटै, कभी तीसरे पर न सटै, कभी व्यवभिचार न करें । पृ० २६३ पर, टिप्पणी में, वेस्टरमार्क के ग्रंथ की चर्चा की है; जज लिंड्से की 'दि रिवोल्ट आफ माडर्न यूथ' (१९२७ ई०) और 'कम्पानियोनेट मैरेज' (१९२८ ई०) नामक पुस्तकों में, पश्चिम देशों की वर्तमान कामिक और अति-कामुक अवस्था का थोड़े में बहुत पूरा वर्णन, तथा गुण-दोष-दर्शन (पर कम सन्तापकारी) किया है । इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्रेज़ी में, इन ग्रन्थों के बाद छुपे हैं; बहुत थोड़े से जो मेरे देखने में आये, उन में से दो विशेष उल्लेख्य जान पड़े, 'सेक्स इन सिविलजेशन' (१९२६ ई०) और 'दि सेक्स लाइफ आफ दि अन्-मैरिड् ऐडल्ट' (१९३५ ई०); पहिले ग्रन्थ में बत्तीस, और दूसरे में ग्यारह, विशेषज्ञों के लेख छुपे हैं; इन में स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी; विविध शास्त्रों और जातियों के ये शास्त्री हैं, अन्तःकरण-शास्त्र, साइकालोजी, (Psychology) के विविध अंगों के ये विशेष अध्येता

१ Judge Lindsay's 'The Revolt of Modern Youth' and 'Companionate Marriage.' 'Sex in Civilisation, a Symposium,' edited by Calverton and Schmalhausen; 'The Sex Life of the Unmarried Adult, a Symposium,' edited by Dr. Ira Wile.

और वेत्ता हैं; इन में से कई, चिकित्सक, वा वकील, वा समाजशास्त्री, वा 'साइकोऐनालिस्ट' भी हैं। प्रायः सभी लेख जूंची काष्ठा के हैं; एक दो अपरिपक्व बुद्धियों के लेखों को छोड़ कर, प्रायः सभी ज्ञान-वर्धक, विचार-कारक, हैं। इन तेतालीस लेखकों में से दो या तीन को छोड़ कर, सब के अनुभव, विविध अध्ययन, विविध-विषय-परीक्षण, का निष्कर्ष यही है कि, उत्तम पद्म वही है जो मनु ने कहा है; पर, साथ ही, जब इस 'कलियुग' में उस का अविकल पालन प्रायः असम्भव हो रहा है, सौ में अस्सी पचासी लड़के लड़कियों, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, का ब्रह्मचर्य अविलुप्त नहीं रहता, विशेष कर पश्चिम में, जहाँ युवा-युवतियों के सह-अध्ययन की रीति फैल गई है—जब यह अवस्था है, तब, इन विशेषज्ञों की सलाह यह है कि, समानशरीलव्यसनता को यथासम्भव निश्चय कर के विवाह करें, और जीती भूलो को भुला कर, आगे के लिए, परस्पर अव्यभिचार, परस्पर पतिव्रत-पत्नीव्रत, का दृढ़ निश्चय कर के, सदाचार से जीवन निर्वाह करें, और सन्तान को यथासम्भव उन भूलों से बचावें।

सन १९३६ ई० में, डाक्टर हैना स्टोन और उन के पति डाक्टर एब्रहम स्टोन ने, "ए मैरेज मनुअल" (Dr. Hannah Stone and Dr. Abraham Stone, "A Marriage Manual") नाम का ३२२ पृष्ठ का ग्रन्थ छपवाया। प्रश्न-उत्तर के रूप में, यह पुस्तक लिखी गई है; लिखने वाले पति-पत्नी, दोनों, बहुत अनुभवी, इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् और चिकित्सक हैं। एक युवा और एक युवती, जो परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनों डाक्टरों से प्रश्न करते हैं। ३६६ प्रश्न किये। उन के उत्तर दिये गये। कामशास्त्रीय और विवाहसम्बन्धी बहुतेरे विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। कहने का ढंग रोचक, बुद्धि-द्वोधक, निष्पक्षपात, शांत, विरुद्ध मतों के बीच का सम्वादी रास्ता दिखाता हुआ, है। इस ग्रंथ में ये वाक्य हैं—

"In spite of our changing values, it seems to me that a lasting union of one man with one woman is the most ideal form of human sex

relationship; an ideal marriage is one that meets most adequately the essential objects of the marital union (a) companionship, (b) sexual intimacy, (c) the establishment of a family.” इसका अर्थ यह है— ‘जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कौन वस्तु स्पृहणीय हैं, क्या पुरुषार्थ अभीष्ट होने चाहिए—इस विषय के विचारों में, आधुनिक मानव जगत् में, बहुत परिवर्तन हो रहा है। उस सब को देखते हुए भी, हम को यही समझ पड़ता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक वैवाहिक सम्बन्ध ही उत्तम, उत्कृष्टतम, आदर्शतम विवाह ही वैसा है जिस से तीन अभीष्टों की प्राप्ति हो, (१) सुख दुःख में समवेदिता, तुल्यता, मंग-साथ, सहचार, सख्य, मैत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पर्श में असंकोच, (३) संतति का उत्पादन पालन, कुल का प्रतिष्ठापन।’

सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, बहुत-सी खोज और छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हज़ारों स्त्रियों पुरुषों के कामीय सम्बन्धों के अनुभवों और फलों के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये दोनों चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन ‘आर्य कुल के अपने गृह’ को वापस आये हैं। ‘सवेरे का भूला-भटका शाम को घर आया तो भूला नहीं कहाया।’ विचारशील पाठक सद्यः पहिचान लेंगे कि ये तीन वैवाहिक अभीष्ट वे ही हैं जिन की सूचना, सस्कृत में पुराणों ने की है—प्रीतिः, रतिः संततिश्च, काम-भार्या-त्रयं स्मृत”। प्रीति, मित्रता, सुख दुःख में ऐक्य, सहचार; रति, कामीय अन्तरङ्गता, घनिष्ठता, पारस्परिक शरीर-संमिश्रण, विश्रम्भ, संकोच का अभावः उत्तम संतान का प्रजनन, पालन-पोषण, एक ‘कुल’ का संस्थापन।

डाक्टर एक्सनर की “दि सेक्सुअल साइड आफ़ मेरेज” (Dr. M. J. Exner’s “The Sexual Side of Marriage.”) १९३२ ई० में छपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसरा है, पर गवेषण इस में भी बहुत किया है; और निष्कर्ष इस का भी वही है जो उस का है। हज़ारों विवाहित और अविवाहित स्त्री पुरुषों के कामीय

अनुभवों की जाँच कर के यही स्थिर किया कि है (१) मानस प्रीति (२) विवाह के भीतर सुशिक्षित शरीर-मिश्रण, (३) उत्तम अपत्य, मे ही जीवन का आनन्द है ।

श्री जेनी ली, १९२६ ई० मे ब्रिटिश पार्लमेंट की सदस्य हुई; अमेरिका, यूरोप, रूस मे बहुत घूमी, रूस मे प्रथम बार १९३० ई० मे गई, तब से और भी कई बार 'गई'; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेक्रेटेरियट (दफ्तर) मे इन को एक जगह भी दी गई थी, परन्तु समाचार-पत्रों मे लेख छुपाने का स्वातन्त्र्य रहे, इस लिए उस पद को त्याग दिया । १९४१ ई० के अगस्त मे पुस्तिका छपाई, "अवर ऐलाइ रशिया", Our Ally Russia; चौंसठ पृष्ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ अध्यायों मे, सोवियट शासन और रूसी सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के सभी मुख्य अंगों की सार सार बातें लिख दी हैं; लिखने के प्रकार से, पाठक के चित्त पर यह प्रभाव पड़ता है कि निष्पन्न सत्य लिखा है । पुस्तिका के पृ० २४ पर लिखा है, "हाल मे, विवाह और तलाक के कानून कड़े कर दिए गए हैं, स्त्री और पुरुष का शाश्वतिक संग साथ, और अपने और अपनी सन्तान के लिए परस्पर-संबद्ध दृढ़-मूल (कौटुम्बिक) जीवन का साधन और निर्वाहण—इस समय रूस देश मे यही भावना धारणा बलवती है" । अर्थात्, विविध प्रकारों की परीक्षा और अनुभव कर के, रूसी जनता और शासक भी मनु के सिद्धांत के पास पहुंचे हैं ।

(ब)विवाह सुखमय कैसे हो, इस के साधनों का वर्णन। कामशास्त्र का ठीक नाम तो 'सांसारिक-सुखशास्त्र', वा 'दाम्पत्य-शास्त्र', वा 'गार्हस्थ्य-शास्त्र' होना चाहिए । इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानाग मे, स्त्री और पुरुष के आदर्श शरीरों का वर्णन, चित्रों के साथ, होना चाहिए ।

अर्थस्य मूलं निष्कृतिः, क्षमा च; कामस्य रूपं च, वयो, वपुश्च;
धर्मस्य यागादि, दया, दमश्च; मोक्षस्य चैव उपरमः क्रियाभ्यः ।

काम का मूल, यौवन, रूप-प्रभृति, और दृढ़ शरीर है; अर्थ का, नीचा निकृष्ट व्यवहार और बर्दाश्त, नम्रता; धर्म का, यज्ञ याग आदि, इष्ट आपूर्त्त आदि, के द्वारा परार्थ कार्य, दया, और इन्द्रिय-दमन; मोक्ष

का, सब क्रियाओं से उपरम, निवृत्ति। कामशास्त्र की दृष्टि से, कामसूत्र में, इन चार में से प्रथम तीन पुरुषार्थों को नमस्कार किया है, और उन का लक्षण संक्षेप में, किया है, वह पृ० १८५-१८६ पर ऊपर लिखा गया। मोक्ष का तो केवल नाममात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र में अनधिकृत। अनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षात् सम्बन्ध तो नहीं है, किन्तु परम्परया है। अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक और अभ्युदय के अन्तर्गत तीन पुरुषार्थों को, और दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को, परस्पर बाँधे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की सर्वथा उपेक्षा करने से, “आत्मवत् सर्वभूतेषु” को भुला देने से, न धर्म ही, न अर्थ ही, न काम ही, सुख अधिक (और दुःख कम) के रूप से सध सकता है; ‘काम’ का जो गुरुतर पक्ष वा अंश ‘प्रीति’ है, वह नहीं पनपैगी। गार्हस्थ्य में, पापों से ही ‘वैराग्य’ होना उचित है, पुण्यात्मक सासारिक व्यवहारों से नहीं; पर ऐसे ‘साराग्य’ को भी धर्म बनाये रहने के लिए, उत्तम अध्यात्म भाव का कुछ न कुछ ध्यान, मन में बना रहना, उपयुक्त ही, किंवा एक सीमा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, अक्षरारम्भ के पहिले संध्या वन्दन सिखाने की विधि है; अभ्युदयाभिलाषी युवा को, मोक्षोन्मुख शांत सद्बुद्धों के दर्शन दूजन से, अति अभिमान, अति काम, अति लोभ आदि नहीं होने पाता, और सभी सांसारिक कार्यों में सहायता और अच्छे उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए वात्स्यायन अन्तिम पुरुषार्थ की सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहता था।

कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं, पिता श्रुतं,

बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नम् इतरे जनाः (लोकोक्ति)।

कुलं च, शीलं च, सनाथतां च, विद्यां च, वित्तं च, वपुर्, वयश्च,
एतान् गुणान् सप्त विचिन्त्य, देया कन्या बुधैः; शेष अचितनीयं।

(व्यास-स्मृति)

अव्यंगांगीं, सौम्यनाम्नीं, हंसवारणगामिनीम्,

तनुलोमकेशदशनां; मृद्व गीम्, उद्वहेत् स्त्रियम् (मनु)

युवा और कन्या दोनों का कुल, शील, विद्या, वित्त, वपु (शरीर

की सुन्दरता और स्वस्थता), वयस्, अच्छा नाम, अच्छी चाल, आदि का विचार कर के विवाह स्थिर करना चाहिये ।

रूप—यौवन की प्राप्ति के बाद, 'काम' का उद्बोधक, सब से पहिले, सुन्दर 'रूप' है । प्रायः अनार्ष अर्वाचीन संस्कृत-साहित्य मे, तथा हिन्दा-साहित्य मे, स्त्री का ही नख-सिख-वर्णन देख पड़ता है; वह भी अतिरंजित, यहाँ तक कि मिथ्या और भदेस । पुरुष-शरीर की शोभा का वर्णन बहुत कम मिलता है । इस का फल यह हुआ है कि, पुरुष के मुख और अन्य अंग के सुन्दर होने की कोई जरूरत नहीं, पुरुष भोक्ता, और स्त्री भोग्य है, भोग्य ही को सरस होना चाहिये—ऐसा दुर-भाव फैल रहा है । फलतः सुन्दर पुरुष-मुख कम देख पड़ते हैं; तथा, क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम से, जब पिता सुन्दर न होंगे तो केवल माता के सुन्दर भी होने से कन्या सर्वथा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये स्त्रियों का सौन्दर्य भी विरल हो रहा है, और समस्त जाति रूपहीन होती जाती है । पश्चिमीय देशों मे कभी कभी 'स्कल्पटर', sculptor, प्रतिमाकार, रूपकार, मूर्ति-उत्कीरक, तथा 'पेण्टर', painter, चित्रकार लोगों मे बहुत रोचक बहस उठती रहती है; इस प्रश्न पर, कि स्त्री-रूप निसर्गतः अधिक सुन्दर और स्थायी है, कि पुरुष-रूप । सिद्धान्त यह है कि पुरुष को स्त्री-रूप और स्त्री को पुरुष रूप अधिक सुन्दर प्रकृत्या जान पड़ता है । इस का आध्यात्मिक कारण खोजना हो तो, काम के पारमार्थिक अध्यात्मतत्त्व से सम्बद्ध, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आध्यात्मिक तत्त्व जानना होगा ।

सौन्दर्य क्या है, इस पर, पूर्व मे भी, पश्चिम मे भी, बहुत विचार किया गया है ; आध्यात्मिक निष्कर्ष यही है,

यद् यस्य रोचते, तस्मै, तद् एव ननु सुन्दरं;

जो रूप जिस को रुचै, उस के लिये वह और वही सुन्दर है ।

पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य—यह भाव असम्भ्य, अनार्य, असत्य है । यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही हो, तो कहना चाहिये कि स्त्री-पुरुष दोनो परस्पर भोक्ता और भोग्य हैं । आर्ष ग्रन्थों मे यह नहीं देख पड़ता । यदि सीता की शोभा का वर्णन है तो राम की शोभा का

उस से अधिक है* । कृष्ण के रूप की महिमा तो पुगण इतिहास में
* महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन तो
किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अङ्ग की भी आदर्श-प्रवीर-पुरुषोचित
शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है । पर सीता देवी के स्त्री-शरीर का
वर्णन कैसे करें ?

अहो महर्षेः कारुण्यं, अहो वासदयालुता,

अहो बोधनकौशल्यं, अहो शिक्षाप्रवीणता !

परन्तु महर्षि की कृपा का, वासुदेव, बोधन कौशल्य, शिक्षा-
प्रावीण्य का, क्या कहा जाय ! सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही ।
इन्द्रजित् ने राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया है;
दोनों भाई मूर्च्छित, निश्चेष्ट, प्राणरहित से, पृथ्वी पर पड़े हैं; रावण की
आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखाने के लिये, राक्षस
लाते हैं ; देख कर, सीता देवी, विह्वल रोती है; “जो जो लक्षण दैवज्ञो ने
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर में ये लक्षण हों, उस को वैधव्य कभी
नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर में वर्तमान हैं; फिर कैसे यह
वैधव्य ?” और सीता देवी अपने शरीर के लक्षणों का वर्णन करती है
(युद्धकांड, सर्ग ४८) । इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के
समय में, स्वयं देवी के मुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, कि किसी
के चित्त में काम-विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी
ही होना पड़ता है । यह महर्षि का कारुण्य, वासुदेव-उपदेश-प्रावीण्य है ।
जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ, उस के शरीर को
निर्विकार भाव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर,
चित्त का संस्कार ही पाता है, विकार नहीं ।

यथा बालो हि सौन्दर्यं मातुः स्नान्त्याः निरीक्षते,
संस्कारं एव चऽप्राप्ति, विकारं न प्रयाति च,
विषादस्या महादुःखैः सीतादेव्या हि वर्णनं
कृतं यत् स्वशरीरस्य, पठित्वा, सज्जनस् तु, तत्,
शुभं संप्राप्नुयाञ्च ज्ञानं, तथा भावं च सात्विक ।

बहुत ही प्रसिद्ध है। “विभ्रद् वपुः सकलसुन्दरसन्निधानं”, “त्रिसुवनकमनं तमालवर्णं”, “नेत्रोत्सवं विदधतं नगरांगनानां”; कृष्ण के शरीर में मानो संसार के सब सुन्दर-तम पदार्थ एकत्र हुए थे; वह ऐसा था जिस को स्त्री-पुरुष आंख फाड़ फाड़ कर देखें, जिस के देखने से आंख थकें नहीं, अघायँ नहीं। पुराणों में कथा है, स्वर्ग में बहस चली, सब से सुन्दर कौन है; उर्वशी, मेनका, रम्भा आदि अप्सराओं की पंचायत बना कर, नारद ऋषि को मध्यस्थ, प्राङ्गिवाक्, सरपंच, नियत कर, सब लोकों में धूम कर निर्णय करने को, इन्द्र ने नियुक्त किया; राजा पुरूरवा को, स्नान के समय, अनङ्गवृतांग, नग्न, देख कर, पंचायत ने निश्चय किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; फिर उर्वशी उन पर, और वे उर्वशी पर, इतने मुग्ध हुए कि विवाह हुआ और चन्द्रवंश बढ़ा। स्नान के समय जांच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लावण्य पर, स्वेद आदि धुल कर, और भी ‘आब’, ‘पानी’, की चमक, आ जातो है। यह हुई पौराणिक कथा। इतिहास में विख्यात सिकन्दर की भी, स्नान के समय, उस के योद्धा देखने को जमा हो जाया करते थे; उस का शरीर ऐसा ही सुन्दर और बलवान् था। उस की शोभा पर भी, और युद्धनेतृत्व के कौशल पर भी, मुग्ध हो कर, योद्धा उस के लिए अपने प्राण का बलिदान किया करते, और उस की विजयश्री को नित्य बढ़ाते रहते थे; अंत में, पंजाब देश के राजा पौरव से युद्ध कर के, सिकन्दर का और उस के रणोन्नत भटों की युद्धश्रद्धा क्षीण हुई; कामसूत्र, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र आदि ग्रन्थरत्नों के कर्ता, वात्स्यायन-चाणक्य महामंत्री, के बुद्धिबल से समुन्नत, चंद्रगुप्त की साम्राज्य-शक्ति की कीर्ति सुन कर, वे और भी हिम्मत हारे, और अपने देश की ओर वापस चले*। राजा पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्दर से

*—ग्रीक जाति के इतिहास-लेखकों ने तो यही दिखाने का यत्न किया है कि ‘पौरस’ (पौरव) हारा और संधि का इच्छुक हुआ; पर इस के बाद सिकन्दर ने विजय-यात्रा समाप्त क्यों कर दी, और पीछे क्यों लौटा? इस का कोई पर्याप्त हेतु नहीं बताया। नई गवेषणाओं से अधिकाधिक सिद्ध होता जाता है कि, सिकन्दर ही हारा, बहुत घायल हुआ, उस की

भी किन्हीं अंशों में बढ़ी चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊंचे थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र (महाउत) के, स्वयं उस को चलाते दौड़ाते हुए, (जैसे महाभारत में राजा भगदत्त), युद्ध करते थे ; ग्रीक लेखक प्लूटार्क कहता है कि पौरव, हाथी पर सवार नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार जान पड़ते थे, गजराज और नरराज के शरीरों की उंचाई की निष्पत्ति (अनुपात, 'निस्वत', 'प्रोपोर्शन', Proportion) से भी, और राजा के हस्ति-संचालन-कौशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानो अश्व पर अश्वारोही आरूढ़ है; दवे शब्दों में सिकन्दर की हार भी प्लूटार्क कबूलता ही है। पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्पत्ति की खान है। खेद है कि महाभारत-ग्रन्थ के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संग्राहक, बहुश्रुतता-संपादक, सर्वशास्त्रसार, सर्वकान्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिवृत्तों से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इतिहासों के लिखने का स्रोत ही इस अभाग्य देश में बंद हो गया। कामशास्त्र का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलौकिक, अति विशिष्ट, धर्मावतारों और अधर्मावतारों, की उत्पत्ति में, कोई विशेष आविष्कार, किसी विशेष काम-विकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणों में, रामादि और रावणादि, कृष्णादि और कंसादि, पांडवादि और कौरवादि, तथा उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सूचित किया जाता है। आधुनिक पाश्चात्य पौरस्त्य लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर इस से, अध्वेता के कार्य-कारण-संबंध-ज्ञान में त्रुटि रह जाती है।

अच्छे अर्वाचीन कवियों ने भी, कभी-कभी, पुरुष-नायकों का भी कुछ वर्णन कर दिया है ; यथा रघु का कालिदास ने,

युवा युगन्यायतबाहुर् अंसलः कपाटवत्ताः परिणद्धकंधरः,

वपुःप्रकर्षाद् अजयद् गुरुं रघुस्, तथापि नीचैर् विनयाद् अदृश्यत् ।

सेना भागी, और उस ने राजा पौरव से सन्धि की प्रार्थना की, और लौटने की अनुमति पाई।

वृषभों पर रखे जाने वाले युग (जूआ) के ऐसे मोटे और लम्बे बाहु, भारी कन्धे, दुर्ग के फाटक के ऐसा विशाल और दृढ़ वक्षःस्थल, मांसपेशियों से नद्ध ग्रीवा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने पिता दिलीप से भी बढ़ गये; किन्तु विनय से मानो दबे हुए ही रहते थे।

तथा श्रीहर्ष ने, नल का, दूसरे प्रकार से,

अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा, क तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे,

तदास्यदास्येऽपि गलौऽधिकारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वरः। (नैषधं)

राजा नल ने जब यौवन में प्रवेश किया, तब उन के पैरों ने कमलों का तिरस्कार किया; उन के हाथों की सुन्दरता की छाया भी, अच्छे से अच्छे पल्लवों ने नहीं पाया; पूर्णिमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के मुख की शोभा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी।

एक अन्य नाटककार ने बहुत ललित शब्दों में, राम और सीता के परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय में, विवाह से पहिले के, कहे हैं,

यौवनोद्गमनितांतशङ्किताः, शीलशौर्यबलकांतिलोभिताः,

संकुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः।

उत्तरङ्गय, तरङ्गलोचने ! लोचने कमलगर्वमोचने,

अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवीचिडम्बरगभीरम् अम्बरम्।

यौवन के आरम्भ के कारण नितान्त सकुचाते; पर राम जी के शील-शौर्य, बल, कांति से लुभाते भी, सीतादेवी के नयन चंचल हो रहे हैं; (यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यान में दोनों की भेंट के समय की बात है); राम जी सीतादेवी से कहते हैं :

आप के लोचन, जल की तरङ्गों के ऐसे चंचल हो रहे हैं, सो इन को स्थिर कीजिये, कि मैं इनकी शोभा मन भर के देख सकूँ; अभी तो मानो स्वच्छ श्वेत आकाश में कलिन्दनन्दिनी यमुना की तरङ्गें दिखा रही हैं।

तथा मृच्छकटिक नाटक के नायक का वर्णन है,

धोषोन्नतं मुखम्, अपाङ्गविलासिनेत्रं, नैतद् विभाजनम् अकारणदूषणानां;

नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु, नैवऽऽकृतिः सुलदृशं विजहाति वृत्तम्।

ऊंची नाक, विशाल नेत्र, जिस की आकृति में हों, वह पुरुष दोष लगाने योग्य, दुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, वृषभ, और मनुष्यों का वृत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार आकृति-वालों का स्वभाव और चरित्र भी प्रायः उदार ही होता है ।

हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास जी ने भी प्रायः आर्ष भावों का प्रदर्शन किया है, यद्यपि कहीं कहीं, भक्ति की अति कर दी है ।

आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री के, बालक-बालिका, कुमार-कुमारी, युवा-युवती, प्रौढ़-प्रौढ़ा, वृद्ध-वृद्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर में रहने चाहियें, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन में वे रूप ऐसे बस जायं कि उन की सन्तान वैसी ही होने लगै । राम और सीता, कृष्ण और रुक्मिणी, बलराम और रेवती, वसिष्ठ और अरुंधती, नल और दमयन्ती, सत्यवान् और सावित्री, बुद्ध और यशोधरा की, बाल्यादि सब अवस्थाओं की तस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर में पूजा बड़ी उपकारक हो, यदि ये तस्वीर और प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों । मूर्तिपूजा की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरितार्थता, तभी है जब इष्टदेव की मूर्ति और भाव सुन्दर और सात्विक हों, और, 'यो यच्छुद्धः स एव सः' के नियम से, उपासक और उस की संतान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति के बल से, वैसे ही सुन्दर और सात्विक हो जायं । 'जिस की जिस पर श्रद्धा होती है, उस का रूप वैसा ही हो जाता है' । खेद है कि मूर्तियां प्रायः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं । ग्रीस देश में, दो सहस्र वर्ष पहिले, सौन्दर्य की उपासना बहुत हुई, और उस समय वहां स्त्री-पुरुष बहुत सुन्दर होते थे । उस समय की जो बची-खुची सङ्गमर्मर की टूटी-फूटी भी प्रतिमा, खंडहलों में दबी-दबाई मिली हैं, उन को, और उन के फोटो चित्रों और प्रतिकृतियों को भी देखते आंख नहीं थकती । हिमालय पर्वत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों में अब भी ऐसी जातियां हैं, जिन के विषय में, स्वयं अंग्रेजों ने, अपना जात्यभिमान भुला कर, मुक्तकंठ लिखा है, कि इन से अधिक सुन्दर स्त्री-पुरुष अन्यत्र कहीं नहीं हैं ।^१

१—वात्स्यायन ने, इस प्रकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुन्द-

वपुः— वपुष्मत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात् बल और दृढ़ता, भी काम-सुख के लिए आवश्यक है; केवल सुन्दर-रूढ़ पर्याप्त नहीं; यदि बहुत नाजुक, सुकुमार-रोगी है, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ? इस लिए, कामशास्त्र में, उपयुक्त आहार तथा व्यायाम की भी चर्चा होनी चाहिये । रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुह्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से, तीन-तीन भेद लिख दिये हैं. यथा,

शशो, वृषो, अश्वः, इति नायक-विशेषाः ;

नायिका पुनः मृगी, बद्धवा, हस्तिनी, चेति ;

(साम्प्रयोगिक अधि०, २ अ०) ।

पीछे के लेखकों ने चार भेद किये हैं,

शशो, मृगो, वृषो, वाजी, पुरुषास्तु चतुर्विधाः ;

पद्मिनी, चित्रिणी चैव, शङ्खिनी, हस्तिनी, स्त्रियः ।

शशी, मृगी, गौ, बद्धवा, कहना था ; पर ऐसा नहीं किया । इस प्रकार के भेद, मैथुन में शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं ; सर्वथा उपेक्षणीय तो नहीं है ; क्योंकि समान-शील-व्यसनता में शरीर-समता भी अन्तर्गत है ; किन्तु, शरीर के अन्य, और अ-गुह्य, अवयवों के सौन्दर्य का, और उत्तम चारित्र्य के गुणों का, अधिक वर्णन होना चाहिये, क्योंकि पहिले परिदृश्यमान साक्षात् आकर्षक तो ये हैं । वाल्मीकि रामायण में, कई स्थानों में, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने योग्य हैं ; 'न्यग्रोधपरिमंडलः' और 'श्यामा' विशेषण दिये हैं; इन दो शब्दों के ठीक अर्थ आज काल प्रायः भूले हुए हैं; पुराणों के वाक्यों के आधार पर यहां लिखे जाते हैं ।

प्रसारितभुजस्य इह, यस्य बाहुद्वयान्तरं

उच्छ्रायेण सम, सः स्यान् न्यग्रोधपरिमंडलः ;

महाधनुर्धराश् चैव, त्रेतायां, चक्रवर्तिनः

सर्वलक्षणसम्पन्नाः, न्यग्रोधपरिमंडलाः ;

न्यग्रो-रोधौ तु स्मृतौ बाहु, व्यामो न्यग्रोधः उच्यते ;

व्यामनुल्योच्छ्रयो यस्यअस्ति अधः ऊर्ध्वं च देहिनः ,

ऊपर कहा कि शरीर-सम्पत्, वपुष्मत्ता, अब भी पंजाब में बहुत है। अफ़ग़ानिस्तान में भी है; याद रहै कि मुहम्मद और इस्लाम धर्म के जन्म के पहिले, उस देश का नाम 'गांधार था, (अब 'कंदहार' है), और वहां

सम-उच्छ्रय-परीणाहो, न्यग्रोधपरिमंडलः ।

स्तनौ सुकठिनौ यस्याः, नितम्बे च विशालता,

मध्ये क्षीणा भवेद् या, सा न्यग्रोधपरिमंडला ।

शीते सुखोष्णसर्वाङ्गा, ग्रीष्मे तु सुखशीतला,

तप्तकांचनवर्णाभा, सा स्त्री श्यामा इति कथ्यते ;

अप्रसूतांगनायाः च श्यामा (सोमलतौषधौ...) ।

(अग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोष, शब्दकल्पद्रुम आदि)

जिस पुरुष की छाती-पीठ अर्थात् धड़ की, और उँचाई की, नाप बराबर हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडल'; ऐसे, त्रेतायुग में महाधनुर्धर चक्रवर्ती होते थे ; बाहु को न्यग्रोध कहते हैं; (न्यक्, नीचे, रह, बढ़ना, लटकना, जैसे वट के बरोह; वटवृक्ष को भी न्यग्रोध कहते हैं); फैलाई हुई बांह का जो परिमाण, वही सिर से पैर तक का, जिस का हो, तथा छाती का घेरा और उँचाई भी बराबर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल । जिस स्त्री के स्तन कठिन, नितम्ब विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडला'; जिस का शरीर शीत काल में उष्ण, और ग्रीष्म काल में ठंडा हो, और जिस का रंग तपाये सोने के ऐसा हो, वह 'श्यामा' । यहां श्यामा का अर्थ सांवली, काली, नहीं ; रामायण में सीता का वर्ण गौर लिखा है । जिस स्त्री को प्रसव नहीं हुआ है, उस को भी श्यामा कहते हैं ।

सभी अंग पुष्ट और सुन्दर होने चाहियें ; तौ भी स्त्री शरीर में स्तनो की, और पुरुष शरीर में बाहुओं की, शोभा पर, साहित्य में अधिक ध्यान दिया है । क्यों ? अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हेतु यह जान पड़ता है, कि मनुष्यों के चित्त में, अव्यक्त रूप से यह भाव बैठा हुआ है कि, अच्छे स्तनो से बालकों का पालन, और अच्छे बाहुओं से कुटुम्ब और समाज का रक्षण, अच्छा हो सकता है ; काव्यों में, 'पीनपयोधरा' और 'महाबाहु' 'महाभुज' शब्द, इस हेतु से, बहुधा स्त्री-पुरुष के विशेषण लिखे गये हैं ।

के वाशिदे सब 'हिन्दू' और बौद्ध थे; बुद्ध, चंद्रगुप्त, सिकंदर, अशोक, आदि के समय में, तन्हाशिला का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था; पाणिनि, पतंजलि, आदि का जन्म इसी प्रान्त में हुआ; अस्तु। सिख-मंडली में कहा जाता है कि महाराज रणजीत सिंह जब हाथी पर निकलते थे, तब सर्दार हरिसिंह नडवा, उन के हाथी के पुष्टे पर एक हाथ रखे हुए साथ-साथ बात करते चलते थे, जैसे किसी घुड़सवार के साथ उस का आत्मीय, उस के घोड़े के पुष्टे पर हाथ रखे बात करता चलै; ऐसे विशालकाय थे। इन्ही हरिसिंह और मेलाराम ने अफगानिस्तान और काबुल फतह किया; हरिसिंह ने उसी युद्ध में अपना शरीर छोड़ा। एक पंजाबी सज्जन से मैंने सुना कि अब तक अफगानी लड़ाकू जातियों की स्त्रियां, अपने शोर करते बच्चों को यह कह कर चुपाती हैं कि "हरिसिंह आया, नडवा आया"। ऐसा विशाल शरीर होना असम्भव नहीं, और किंवदन्ती को अत्युक्ति और मिथ्या हठात् नहीं समझ बैठना चाहिए; साढ़े छः फुट के सिख और अफगानी मैंने कई देखे हैं। ७ जनवरी १९३० ई० के 'पायोनियर' नाम के दैनिक में, (जो उस समय इलाहाबाद से निकलता था), एक चित्र छपा है; इस में जे० जी० टार्वर नाम का अतिकाय पुरुष, एक हाथी के पुष्टे पर हाथ रखे और अपनी दाहिनी कुर्छि में एक साधारण पुरुष को दबाये, दिखाया है। टार्वर का उच्छ्राय (उँचाई, क्रद) आठ फुट चार इंच लिखी है; और शरीर की तौल एक हजार 'पाउंड', अर्थात् साढ़े बारह मन। 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में 'जायन्ट्स' (Encyclopedia Britannica, article 'Giants') पर लेख है, और दैनिक पत्रों में समय-समय, ऐसों के हाल छुपते रहते हैं। गिबन ने, अपने लिखे "रोम-साम्राज्य के इतिहास" में, मैक्सिमिन नाम के एम्परर का सुप्रमाणित हाल लिखा है, कि आठ फुट से अधिक ऊँचा था, उसी अनुपात से मोटा, अति बलवान्, दिन में बीस सेर मांस और तीस सेर मदिरा खा-पी लेता था; दूसरा वृकोदर भीम ही था। भारतवर्ष को ऐसे बलशाली भीम, अर्जुन, पौरवों की आवश्यकता है। जैसे सूखे भूखे, मर्कट-आकृति, मर्कट-प्रकृति के, जीव देश में भर रहे हैं, वे भारत का उद्धार नहीं कर सकते।

वयस्—तीसरे; उच्युक्त वयस् भी कामोपभोग का आवश्यक अंग है। इस सम्बन्ध में, किस वयस् में विवाह होना चाहिये, इस का भी विचार कामशास्त्र में होना आवश्यक है।

मुक्ताफलस्य छायायास् तरलत्वं इव अन्तरा
दृश्यते यद्युवांगेषु, तल् लावण्यम् इह उच्यते ।

मोती के 'आव', पानी, के ऐसी, लवण, नमक, के डले के ऐसी, तरल चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावण्य, लुनाई, नमकीनी, सलोना-पन कहते हैं। (स-लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है)। यह पूर्वोक्त (पृ० १६७) शुक्रकला का फल है। लावण्य और तारुण्य का साथ है। आयुर्वेद, सुश्रुत आदि में,

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन संगता,

इत्यदि से, बीस और सोलह वर्ष का वयस्, पुरुष और स्त्री के विवाह (संगम) के लिये उचित है, ऐसी सूचना की है। इस से कम तो किसी प्रकार होना ही नहीं चाहिए। इतने वर्ष तक अविप्लुत-ब्रह्मचर्य से रहने से शरीर में लावण्य तारुण्य की यथा-कथंचित् कांति और दीप्ति आ जाती है। पुराणों में, स्वर्ग और नन्दन-वन के आदर्शों के वर्णन में, ऐसा रूपक बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों और स्त्रियों का, पच्चीस और सोलह वर्ष का स्थिर यौवन रहता है। मनुस्मृति की प्रचलित लिखी छुपी प्रतियों में पाठ यों देख पड़ता है,

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत् कन्यां हृद्यां द्वादशवर्षिकीं;
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा, धर्मे सीदति सत्वरः ।

'तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की कन्या से, अथवा, यदि ब्रह्मचर्य धर्म के अवसाद के भय से त्वरा हो तो, चौबीस वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की स्त्री से विवाह करे'। निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियां तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्री की स्पष्ट ही विज्ञान-विरुद्ध हैं। बारह वर्ष की अनभिव्यक्तगं बालिका से तीस वर्ष के प्रौढ़ पुरुष का, अथवा आठ वर्ष की अबोध बच्ची से चौबीस वर्ष के तरुण का, संयोग तो घोर बाल-हत्या और महापातक है।

मैं एक ऐसे कुटुम्ब का हाल स्वयं जानता हूँ जहाँ (१६२० के आसपास) कोई पैंतास वर्ष हुए होंगे, एक हृष्ट-पुष्ट व्यायाम-शील (और प्रायः सदा-चारी भी) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाह, पहिली पत्नी के किसी रोग से मर जाने पर, एक ठीक आठ वर्ष की बच्ची से कर दिया गया । उस अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग में ही अत्यन्त पीड़ा हो कर, गर्भ भी रह गया; गर्भ की वृद्धि से अति व्याकुल, वह बच्ची अपने साथ खेलने वाली बालिकाओं से कहती फिरती थी, 'अभी हमें ऐसा नहीं होना चाहिये था', 'अभी हमें ऐसा नहीं होना चाहिये था' ; सत्तर्वें मास असमय प्रसव-वेदना उठी ; भयंकर यातना के साथ मृत बालक हुआ ; उस को, वह बालिका, अपनी स्तनहीन दुग्धहीन छाती पर दोनों हाथों से चपका कर, परलोक को चली गई, परमेश्वर से पूछने को, 'आप ने ऐसा क्यों किया', 'आप ने ऐसा क्यों किया', 'मनुष्यों की ऐसी तामस बुद्धि क्यों बनाई' ।

अवश्य ही मनु के श्लोक का पाठ भ्रष्ट हो गया है; स्यात् कारण यह होगा कि विदेशियों के आक्रमणों से, अथवा स्वदेशी राजों के ही दुराचार, परस्पर कलह, युद्ध, लूट पाट से, और उन की और उन के सैनिकों की,

पुरीं अवस्कन्द, लुनीहि नन्दनं, मुषाण रत्नानि, हर-मर-ङ्गनाः (माष),

'नगर पर धावा करो, उस में घुस जाओ, बाग बागीचों को नोच खसोट डालो, सब रत्न और अच्छी चीजें लूट लो, और स्त्रियों को उठा लाओ'— इस पाशव रीति से भीत हो कर, 'शास्त्री' लोगों ने, कन्याओं की रक्षा के लिये ही, उन के ब्याह की उमर कम कर दी, और पर्दों की प्रथा भी चला दी, कि विवाहित हो जाने से स्यात् कम हरी लूटी जाय; फिर, सामान्य जनता की साम्यबुद्धि ने पुरुषों की भी ब्याह की उमर तदनुसार घटा ही दी, यद्यपि 'शास्त्रियों' को तीस और बारह, तथा चौबीस और आठ, की असमंजसता नहीं सूझी । बीच-बीच में रुपये वाले बूढ़े, बालाओं से जो ब्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये। अब जन-मत इस के बहुत विरुद्ध हो रहा है । यदि 'विवाह' का अर्थ 'वाग्दान', सगाई, समझा जाय, तो कम उमर में सगाई कर देने में दोष नहीं, बल्कि गुण है ; बाल्य और केशोर अवस्था का, कुमार-कुमारी का, स्नेह अधिक

सात्विक 'प्रीति'-मय पवित्र होता है। 'द्विरागमन , गौना,की चाल भी,इन्ही हेतुओं से चल पड़ी; वही असली 'विवाह' है; उस से, 'प्रीति' के साथ 'रति' भी मिलती है।

प्रबलतम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है;सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं; वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है। आयुर्वेदशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। ऐसे आयुर्वेद शास्त्र से विरुद्ध, मानव-धर्म-शास्त्र कभी नहीं हो सकता; अन्यथा, अ-शास्त्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत शुद्ध पाठ, मनुस्मृति के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता है,

त्रिंशद्वर्षोऽद्वहेत् कन्यां हृद्यां द्वि-दश-वार्षिकीम् ।

अष्टवर्षोऽष्टिवर्षां वा, धर्मो सीदति सत्वरः ।

'तीस वर्ष का पुरुष, हृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की स्त्री से; अथवा चौबीस वर्ष का पुरुष, 'अष्टि' अर्थात् सोलह वर्ष की स्त्री से, विवाह करै। इस विषय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं अंकों को उचित मानने लगा है। इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं; शरीर और बुद्धि दोनो पुष्ट परिपक्व हो जायेंगे। मनु के कहे हुए, मध्यम श्रेणी के, अर्थात् अठारह वर्ष के, ब्रह्मचर्य का, और उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पादन, कुमार कर लेगा; तथा कुमारी भी भविष्य में अपने कर्तव्य के साधक और उचित, गृह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, कला, विद्या, आदि का संचय कर लेगी; एक दूसरे को देख कर समान-शील-व्यसनता और परस्पर रुचि का भी दोनो यथासंभव निश्चय कर ले सकेंगे।^१

१ (निर्णयसागरीय) डल्हणकृतटीकोपेत सुश्रुत, शारीर-स्थान, अ० १० में कहा है, "अथाऽस्मै पंचविंशतिवर्षाय षोडशवर्षां पत्नीं आबहेत्, पित्र्य-धर्म-अर्थ-काम-प्रजाः प्राप्स्यति, इति ।

ऊनषोडशवर्षायां अप्राप्तः पंचविंशतिं,

यदि आघत्ते पुमान् गर्भं, कुत्तिस्थः सः विपद्यते,

जातो वा न चिरं जीवेत्, जीवेद् वा दुर्बलैर्निद्रयः ;

तस्माद् अत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् । (सुश्रुत)

बाला इति गीयते नारी यावद् वर्षाणि षोडश । (भावप्रकाश)

एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पूर्वोक्त इस कथन से हो चुकी है, कि ब्रह्मचर्य से शरीर में प्राणसंचय और बलसंचय होता है। देखा जाता है कि जिस उमर में प्राणी वीर्य-विसर्जन और संतानन आरम्भ करते हैं, उस की चौगुनी उमर की आयु होती है। कुत्ते बिल्ली दूसरे वर्ष बच्चे देने लगते हैं, सात आठ दस वर्ष में मर जाते हैं; गाय बैल तीसरे चौथे वर्ष में, और बारह चौदह सोलह तक

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्ण(पच ?)विंशेन संगता,
शुद्धे गर्भाशये, मार्गो, रक्ते, शुक्रे, अनिले, हृदि,
वीर्यवन्तं सुत सूते; ततो न्यूनाब्दयोः पुनः
रोगी अल्पायुर् अधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा।

(वाग्भट, शारीर० अ० १)

श्री यादव शर्मा आचार्य द्वारा संशोधित सम्पादित सुश्रुत के उक्त संस्करण (१६३८ ई०) के पृष्ठ ३६२ पर, ऊपर उद्धृत श्लोकों के नीचे टिप्पणी में लिखा है—“षोडशवर्षा इति तालपत्रपुस्तके पठ्यते; द्वादशवर्षा इति इतरेषु हस्तलिखितपुस्तकेषु। ‘... वृद्धवाग्भटे तु, ‘पुमान् एकविंशतिवर्षः कन्यां द्वादशवर्षदेशीयां उद्वहेत्; तस्यां षोडशवर्षायां पचविंशतिवर्षः पुत्रार्थं यतेत; तदा हि तौ प्राप्तवीर्यौ वीर्यान्वितं अपत्यं जनयतः’, इति पठ्यते”। अर्थात् ‘तालपत्र की प्रति में सोलह वर्ष की स्त्री, अन्य हस्तलिखित पुस्तकों में बारह वर्ष की लिखा है। वृद्ध वाग्भट में लिखा है कि २१ वर्ष का पुमान्, १२ वर्ष की स्त्री से विवाह तो चाहे कर ले, पर संगम, ४ वर्ष बाद, जब २५ और १६ वर्ष के हों, तब करें।’

श्री राजेश्वरदत्त मिश्र शास्त्री आयुर्वेदाचार्य के रचे “स्वस्थ-वृत्त-समुच्चयः” (१६३० ई०) नामक ग्रन्थ के पृ० ८२ पर ‘गर्भाधानकालः शीर्षक के नीचे, यह श्लोक भी, अन्य श्लोकों के साथ, लिखा है,

पंचविंशे ततो वर्षे पुमान्, नारी तु षोडशे,

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्।

‘षोडश’ और ‘द्वादश’ के पाठभेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद किया जाता है; उस सब का परीक्षण करने के लिये, न यहां अवसर है, न कोई

जीते हैं ; घोड़े पांचवें वर्ष और बीस वर्ष ; सिंह व्याघ्र आदि दस बारह वर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तव पाठा', और दो सौ ढाई सौ वर्ष तक जीता है । यह अनुगम प्रायः जरायुजों पर ही लागू है; अंडजो पर नहीं; यथा कल्लुए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चा देना शुरू करते हैं, तौ भी बहुत वर्षों तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण रीति से, 'शतायुर्वै पुरुषः' है ; पच्चीस वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य निबहै तो यह प्रायः सधै । अक्सर लोग कहा करते हैं कि निवहना (निर्वहण) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज में सच्चा ज्ञान, सच्चे भाव, ब्रह्मचर्य के आदर की बुद्धि, कुमारो कुमारियों की आचारभ्रंश से रक्षा करने की बुद्धि, एक बेर चारों ओर फैल जाय, तो यह बात नितांत सहज हो जाय । पति पत्नी के वयस् में चार पांच से आठ नौ वर्ष तक का अन्तर तो होना ही चाहिये ; पुरुष का वयस् अधिक; इस से बहुत ज्यादा अन्तर, शास्त्र और विज्ञान के विरुद्ध है , तथा आध्यात्मिक और उपयोगी प्रयोजन ही । पाठक सज्जन स्वयं ही, पक्ष-प्रतिपक्ष के गुण-दोष को विचार कर के, निर्णय कर लें, कि कौन अधिक युक्तियुक्त है; मेरा तो विश्वास यही होता है कि धर्माभास के फेर में पड़ कर, वा विदेशियों के आक्रमणों के कारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकर्तव्य-विमूढ़, हो कर, 'धर्माधिकारियों' ने 'षोडश' के स्थान पर 'द्वादश' लिखना-लिखाना आरंभ कर दिया । जो कुछ हो; युग का, जमाने का, प्रभाव आप निर्णय कर रहा है; लिखित-पठित कुलों में, स्वयं द्विजम्मन्य, द्विजब्रुव. घरों में, विविध कारणों से, विवाह का वयस् बढ़ता ही जा रहा है । यदि इस विषय के बहु-विध अति विचित्र आचारों, रीतिरिवाजों का, जो भारत में पूर्वकाल में प्रचलित थे और अब हैं, वर्णन किया जाय, तो बड़ी पुस्तक हो जाय । एक श्लोक, जो वाल्मीकि जी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस प्रसंग में लिखना उचित है ;

मम भर्ता महातेजाः, वयसा पचविंशकः,

अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ।

सामाजिक दृष्टि से भी ।

“भावप्रकाश” नामक वैद्यकग्रन्थ मे दो श्लोक कहे हैं,
 सद्योमांसं, नवं चान्नं, बाला स्त्री, क्षीरभोजनं,
 घृतं, उष्णोदके स्नानं, सद्यः प्राणकराणि षट् ;
 पूतिमांसं, स्त्रियो वृद्धाः, बालार्कः, तरुणं दधि,
 प्रभाते मैथुनं, निद्रा, सद्यः प्राणहराणि षट् ।

(कुछ पाठ भेद भी किया जाता है) ; आशय यह है—ताजा मांस, नया अन्न, (वा धारोष्ण दूध), बाला स्त्री, दूध (सहित, वा स्निग्ध, स्नेह-युक्त, घी-तेल-आदि ‘चिकने’ पदार्थ सहित, भोजन), घी, उष्ण जल से स्नान, ये छः तत्काल प्राण बढ़ाते हैं । पुराना सड़ा मांस, वृद्धा स्त्री, बाल (अर्थात् कुमार) आश्विन कार्तिक की घाम, अहोरात्र से कम का कच्चा दही, सवेरे का मैथुन भी और निद्रा भी, ये छः तत्काल प्राण घटाते हैं । “वृद्धस्य तरुणां विषं”, “बालायाः जरठो विषं”, “बाला तु प्राणदा प्रोक्ता, तरुणां प्राण हरिणी”, “सद्यः प्राणहरा वृद्धा”, आदि अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते हैं । स्वार्थी दुर्बुद्ध पुरुष इन का दुरुपयोग कर के वृद्धावस्था मे प्राणवान् बनने की तृष्णा से बाला स्त्री (सोलह वर्ष से कम) से विवाह करते हैं ; जो चतुर विशेषज्ञ नहीं हैं, उन पर तो उलटा ही असर होता है, अधिक प्राणक्षय होता है, और जल्दी ही मर जाते हैं ; जो चतुर हैं, वे पौष्टिक रसौषधों का सेवन करते हैं, जिस से बाला स्त्रियां हा मर जाती हैं, और वे पुनः पुनः विवाह करते जाते हैं। काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वैद्य के बारे मे, जिन को परलोक गये बहुत वर्ष नहीं हुए, कहा जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष की उमर तक मे, छः वा सात विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एक के मरने के बाद दूसरी से किया ; स्वयं कोई उग्र पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस से उन के शरीर मे इतनी और इस प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती थी कि वे स्त्रियां उस के प्रभाव से ही जल्दी मर जाती थीं, इत्यादि ।

यहां, यह भी स्मरण रखने की बात है कि, जैसे अधिक वयस् का पुरुष, बाला स्त्री के प्राण का शोषण करता है, वैसे ही अधिक वयस् की पत्नी,

या व्यभिचार या बाल-पति के प्राण का शोषण करती है। कुमार-कुमारी का सात्विक प्रेम, युवा युवती की रजो-मिश्रित सात्विक रति-प्रीति, वृद्ध और वृद्धा का पुनः सात्विक प्रेम, और दोनों का, संतान के लिए, सात्विक दयामय स्नेह, वात्सल्य—यह सब परस्पर प्राणपोषक और आयुर्वर्धक हैं।

सात्विक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य, द्वितीय में नियमित मैथुन और एक पति-पत्नी-व्रत, तृतीय चतुर्थ में पुनः ब्रह्मचर्य; इस सदाचार से मनुष्य, स्त्री भी पुरुष भी, दीर्घजीवी और स्वस्थ हो सकते हैं। याद रहे कि स्त्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी परिश्रम और प्राण पर खींच का है; गर्भावस्था में मैथुन प्रायः वर्जनीय ही कहा है। दुनिया जानती है कि गर्भधारण और प्रसूति से स्त्री का यौवन क्षीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकारः”, ढली उमर में काम-विकार, काम-चेष्टा, का अपहास ही होता है। साथ ही एक और वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता में कम है, कि वृद्धावस्था के मुख की शोभा, यौवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उचित सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमंत्रण, संचयन, किया जाय; हां, वह शोभा, सात्विक शांति की शोभा है; यौवन और बाल्य की कान्ति, राजस चापल्य चांचल्य की है। सफ़ेद (श्वेत) बाल, प्रशान्त मुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र, स्वच्छ देह आदि का, वार्धक्य में अनुभव यदि इष्ट हो, तो गार्हस्थ्य और मैथुन को उचित समय से समाप्त कर देना चाहिये। स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गार्हस्थ्य (मैथुन) काल की, बांध दी है, अर्थात् पचास वर्ष की उमर के आस पास मासिक रजो-दर्शन का बन्द हो जाना; समझदार सदाचार सुचरित्र पुरुष को भी तदनुसार ‘गार्हस्थ्य’ समाप्त कर देना चाहिये। सात्विक काम सब पुण्यों का मूल है, जैसे राजस तामस काम सब पापों का।

उत्तम-संतान—संतान, विवाह के सुख का बड़ा और आवश्यक साधन है, जो पति और पत्नी के प्रेम को परस्पर दृढ़ करता है। अर्थानगो नित्यम्, अरोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड् भागधेयस्य सुखानि, राजन् ! (म.भा.वि.)

रथाङ्गनाम्नोर् इव, भावबन्धनं, बभूव यत् प्रेम परस्परऽश्रयम् ,
विभक्तं अपि एकसुतेन, तत्, तयोः, परस्परस्य उपरि पर्यचीयत ।
त अङ्कं आरोप्य, शरीरयोगजैः सुखैर् निषिचन्तं इव अमृतं त्वचि,
उपान्तसम्मीलितलोचनो नृपः चिरात् सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ। (रघु०)

अपि बालांगनासगाद्, अपि, साधो !, सुधारसात् ,

राज्यादपि सुखायैव, पुत्रस्नेहो, महामते ! (योगवासिष्ठ, प्र० १, अ० ८)

‘शरीर नीरोग हो, अन्न वस्त्र के लिये अर्थ (आय, आमदनी) की कमी न हो, भार्या प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा बोलने वाली भी हो, (अर्थात् दो-तरफ़ा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर लड्डू हो और दूसरा तो मुंह फेरे रहै), सन्तान अनुकूल मनोहर गुणवान् हो, तथा इहलोक परलोक की, और चारो पुरुषार्थों की, साधने वाली विद्या हो—ये छः बातें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। कुछ लोग इस धोखे में पड़े हैं कि सन्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा; संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत और दृढ़ हो जाता है; बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली और दूसरे से पिता की अंगुली पकड़ कर गँठजोड़ा ताज़ा कर देता है; उस का स्नेह रेशमी मखमली डोरी का काम करता है, दोनो को एक दूसरे से बांध देता है; रस्सी, दो पदार्थों में, आधी आधी बंटी हुई भी, दोनो को एक दूसरे से कस देती है ! यूरोप में और उस से भी अधिक, यु० स्टे० अमेरिका में, पति-पत्नी, पहिले तो बड़े लाव-चाव से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों में एक दूसरे से अति तृप्त हो कर उद्विग्न होने लगते हैं, और विवाह विच्छेद करने वाली कचहरियों (डाईवोर्स कोर्ट्स, Divorce Courts) में दौड़े जाते हैं; पर जिन के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैं तो तभी जब परस्पर बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं, और बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं। ‘दिलीप ने अपने बालक रघु को गोद में लिया; उस के स्पर्श से मानो सारे शरीर में अमृत भीन गया’। दशरथ से राम को, यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों के निवारण के लिए, विश्वाभिन्न मागने आये; दशरथ देना नहीं चाहते थे; कहा कि, ‘नवविवाहिता अतिप्रिया अति सुन्दर अंगवाली

अंगना के स्पर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अमृत के स्वाद से भी अति मीठा, राज्य और ऐश्वर्य के सब भोग विलासों से भी अधिक प्यारा, अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें। बहुत समझाने पर जाने दिया। प्राचीन आर्ष श्रुति स्मृति के और अर्वाचीन काव्यों के सात्त्विक भाव कुछ और देखिये; ये भाव विज्ञान-समर्थित भी हैं। माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं,

ॐ अङ्गाद् अङ्गाद् ऋभवसि, हृदयाद् अधि जायसे,
आत्मा वै पुत्रनामाऽसि, वर्धस्व शरदां शतं, ॐ ।

'हे पुत्र ! मेरे अंग अंग के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उत्पन्न हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सौ वर्ष तक तू जीवे !'

पतिर् भार्यां संप्रविश्य, गर्भो भूत्वा हि जायते;

जायायास् तद् हि जायात्व, यद् अस्यां जायते पुनः । (मनु) ।

शिशोर् आलिंगनं तस्माच् चंदनाद् अधिक भवेत् ;

न वाससां, न रामाणां, न अपां, स्पर्शस् तथाऽवधः ,

शिशुनाऽलिंग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्, यथा सुखः ;

ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठः, गौर्वरिष्ठा चतुष्पदां ,

गुरू गरीयसां श्रेष्ठः, पुत्रः स्पर्शवतां वरः ;

पुत्रस्पर्शात् प्रियतरः स्पर्शो लोके न विद्यते । (म० भा० शकुन्तलोपा०)

आलच्य-दन्त-मुकुलान् अनिमित्तहासैर् ,

अव्यक्त-वर्ण-रमणीय-वचः-प्रवृत्तीन् ,

अंकशाश्रय-प्रणयिनस् तनयान् वहन्तो,

धन्यास् तद् अंगरजसा मलिनी-भवन्ति । (कालिदास, शकुन्तला)

अंतःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः, स्नेहसंश्रयात् ,

आनंदग्रंथिर् एकोऽयं अपत्यं अभिधीयते ।

अंगाद् अंगाच् च्युतः इव निजो देहजः सत्त्वसारः,

प्रादुर्भूय स्थितः इव बहिष् चेतनाधातुर् एव,

सांद्रानंद-क्षुभित-हृदय-प्रस्रवेण इव सृष्टः

गात्ररलेषे यद् अमृतरसस्रोतसा सिंचति इव । (भ०, उ० रा० चरित) ।

‘पति ही भार्या मे प्रवेश कर के गर्भ बनता है, और पुनः पुत्र रूप से जायमान होता है; इसी से पत्नी जाया कहलाती है’ । ‘चन्दन के लेप से भी अधिक प्यारा, शिशु का आलिगन होता है; कोमल वस्त्रों का, स्त्री के कोमल अंगों का, ग्रीष्म मे शीत जल का, स्पर्श वैसा सुखद नहीं’ । ‘सद्ब्राह्मण जैसे द्विपाद मनुष्यों मे, चतुष्पादों मे गौ, आदरणीयों मे गुरु, जैसे श्रेष्ठ होते हैं, वैसे सुखद स्पर्श वालों मे पुत्र श्रेष्ठ है; पुत्र स्पर्श से प्रियतर स्पर्श कोई नहीं ।’ ‘निष्कारण हँसी से दतुली दिखलाते हुए, तोतली बोली बोलते हुए, गोद मे बैठने के प्रेमी बच्चों की धूल से घूसर अगो से जिन के शरीर और वस्त्र घूसर होते हैं, वे जन धन्य हैं’ । ‘दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-ग्रन्थि ही का नाम पुत्र है; अंग-अंग से बाहर आया देह का सत्त्वसार, मानो चेतना-धातु ही बाहर आया, यही पुत्र है, जो घने आनन्द से चुम्ब माता पिता के हृदयों का रस बाहर निकल कर, अपने स्पर्श से पुनः अमृत द्रव के ऐसा आनन्द उन को लौटा देता है’ ।

इस प्रस्तुत विषय से अतिप्रसक्त दो अवान्तर विषयों का उल्लेख यहां आवश्यक है । सन्तान-उत्कर्ष, और सन्तान-निरोध ।

सन्तानोत्कर्ष—पश्चिम के वैज्ञानिक शास्त्रियों ने, इधर पचास-साठ वर्ष से, क्रमिक सृष्टि-विकास-वाद (‘इवोल्युशन’ evolution) के विकास के साथ-साथ, इस विषय पर, कि अत्य सुरूप, शक्तिशाली, वपुष्मान्, कैसे हों, और समाज मे सौंदर्य कैसे फैले, बहुत विचार किया है, और ग्रंथ लिखे हैं ; एक नया उपशास्त्र बन रहा है, जिस का नाम ‘यूजेनिक्स eu-genics’ (ग्रीक ‘यु’, संस्कृत ‘उत्’, उत्तम ; लैटिन ‘जेनिट्म्’, सं० ‘जन्’, प्रजनन) रक्खा गया है । पर इन विद्वान् शास्त्रियों का ध्यान प्रायः शारीर गुणों की ही ओर रहा है ।

पशुओं मे, चुन चुन कर, उत्तम रूपवान् वृषभ और रूपवती तथा बहुदुग्धवती गाय के, उत्तम रूप बल वेग वाले अश्व-अश्विनी के, एवं श्वा-शुनी के, कुक्कुट-कुक्कुटी के, तथा अन्य पालतू पशुओं के, जोड़ों का संयोग करने से, संतति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यह उन्होंने प्रत्यक्ष

सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्होंने ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, भेड़-बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियां भी तैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छुकड़े खींचने वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, आदि, (जिन का उपयोग अब मोटरों के कारण कम होता जाता है), उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते, चौकी-दारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बर्फान में यात्रियों को बचाने वाले कुत्ते, खिलौने कुत्ते, आदि। ऐसे ही, फूलों, फलों, गेहूँ चावल आदि धान्यों, में, चुने हुए पुमान्-केशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-केशर के भीतर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परिमाण बढ़ाया गया है; तथा नयी नयी किस्में, उपजातियां, तैयार की गयी हैं। यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन वैज्ञानिकों की धारणा यह होती रही है, कि सुन्दर बलवान् स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकत्र करने से संतति सुन्दर होनी चाहिये। 'नय' (सिद्धांत, शास्त्र, 'उसूल', नीति, 'थियरी') तो यह ठीक है, पर इस के 'चार' (प्रयोग, व्यवहार, 'अमल', रीति, 'प्राैक्टिस') में कठिनाई है। पहिली बात यह है कि, मानव योनि में पहुंच कर, जीव में अंतःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकारऽत्मक चित्त, अहंता-ममता, स्व-च्छन्दता, अपनी-अपनी अलग राह चलने और मनमाना करने की इच्छा, एक ओर, और, दूसरी ओर, लोक-संग्रह-युक्त 'समाज' (समं अजन्ति जनाः यस्मिन्) में दूसरों के साथ रहने और चलने की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर 'कामः स्वभाव-वामः' देख पड़ता है; दूसरी ओर 'धर्मानपेतः कामोऽस्मि भूतानां, भरतर्षभ !', मनमाना वाम-स्वभाव वाला होते हुए भी काम, धर्म और अर्थ के साथ बंध गया है; सभ्य कहलाने वाले सब देशों में, इस समय, विवाह के सम्बन्ध में, कानून-कायदे, मर्यादा, धर्म, बंध रहे हैं। तथा, जिस को एक स्त्री या पुरुष सुन्दर कमनीय जानै मानै, उस को दूसरे कभी कभी ऐसा नहीं समझते। फ़ारसी में कहावत है, "लैला रा ब चश्मि मजनुं बायद दीद", लैला पर मजनु आशिक, आसक्त, था; लैला उस से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजनु शोक से मरणासन्न हुआ;

देश के बादशाह ने दोनो को बुलवाया; देखा लैला मे कोई विशेष रूप नहीं; मजनु से पूछा, क्यों ऐसा मरा जाता है; तो उस ने कहा, 'लैला को मजनु की आख से देखना चाहिये' । गाय बैल का तो, अपने वैज्ञानिक प्रतिमानो के अनुसार 'विवाह' करने मे प्रभुत्व, पश्चिम देश के शास्त्रियों को है, पर मनुष्यों का नहीं । पूर्व देश मे, यदि वृद्धों को ऐसा प्रभुत्व है, तो प्रायः उसी अवस्था मे जब वधू-वर वयःप्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्था मे उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शास्त्रानुसार परीक्षा की शर्तें पूरी नहीं हो सकती; तथा, यदि वयः-प्राप्त, परिपक्व-बुद्धि, हो जायं तो वह प्रभुत्व नही हो सकता । इस कारण से, तथा मर्यादा के कारण से, मानवों मे वैज्ञानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट सयोग-वियोग नहीं कराया जा सकता । दूसरी बात देखने की यह है कि, मानव प्रकृति को ध्यान मे रख कर, न केवल शरीर के सौन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, किंतु चित्त के सौन्दर्य की भी । वैवाहिक सुख और संतानोत्कर्ष, दोनो, के लिये आवश्यक है कि, 'समान-शील-व्यसनेषु सख्यम्', 'विशिष्टायाः विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत्', इन न्यायों के अनुसार, वृद्धों के परामर्श, और युवा-युवती की अन्योन्य के प्रति अनुकूलता, दोनो, को मिला कर, सब प्रकार का 'वर्ण', (जिस से व्यक्ति के स्वभाव और तदुचित जीविका का 'वर्णन', व्यञ्जन, होता हो), जिन का 'समान' हो, शरीर भी और मानस भी जिन का सुन्दर हो और मिलता हो, उन का परस्पर विवाह किया जाय । शील, व्यसन, जीविका, आदि के सच्चे 'वर्ण' और 'गुण' के निर्णय मे, अध्यात्म-शास्त्र से प्रभासित ज्योतिष-शास्त्र से सहायता मिल सकती है । ऐसा होने से विवाह सुखमय होंगे, और सन्तानोत्कर्ष भी होगा । इस विषय पर मै ने, "मानव-धर्म-सार" नामक संस्कृत ग्रन्थ मे विस्तार करने का यत्न किया है ।

ऐसा हो सकना और होना, देश मे, समाज मे, अनुकूल हवा बांधने, शिक्षा फैलाने, सद्भाव जगाने, की बात है । ऊपर (पृ० ३०८-३०९) उद्धृत मनु महाभारत आदि के श्लोकों मे जैसी सूचना की है, यदि राजा उत्तम हो, प्रजाभक्त प्रजाहितचिन्तक हो, स्वयं सदाचार हो और सत्

शिक्षा का प्रचार करावै, और प्रजा उस से सर्वथा प्रसन्न हो और राज-भक्त राजानुयायिनी हो, अर्थात् दोनो परस्पर अनुव्रत हों, तो यह बात सहज मे हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त और प्रजा राज-भक्त होने से दोनो अवश्य धर्म-भक्त होंगे। तथा दोनों यदि धर्मभक्त है तभी दोनों परस्पर-भक्त भी होंगे। आज काल के भारतवर्ष के सामाजिक-जीवन मे देख पड़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता के दोषों की नकल अधिकाधिक होती जाती है और गुणो की कम। विषय-लोलुपता, विलास-प्रियता, आर्थिक लोभ-द्रोह-स्वर्द्धा-अभिमान, धनार्जन के अधार्मिक प्रकार, जूआ-चोरी के रोजगार, 'फाइका', कम्पनी आदि के नाम से धोखा देने वाले मिथ्या विज्ञापन, अफीम-शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा थियेटर, कहानां, कविता, चित्र आदि मे अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और लेख, जिन मे अष्टांग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग भी बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उन को कुराह मे लगानेवाली, रोग बढ़ानेवाली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शास्त्र' की पुस्तकों और 'पौष्टिक' औषधियों के इश्तहार— इन ही की चारों ओर भरमार देख पड़ती है। ऐसी दशा मे, इन वर्धमान अज्ञान-जन्य दुर्भाव दुर्बुद्धि रूप रोगों का उपाय यही है, कि सद्ज्ञान का उपदेश करने वाले सद्-ग्रन्थों का, और उन मे 'धर्म से अनपेत,' धर्मयुक्त, अर्थपरिष्कृत, ललित कलाओं से परिमार्जित, काम के सद्-ग्रन्थों का, अधिकाधिक प्रचार किया जाय।

सन्तान-निरोध—जहां एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहां पचीस-तीस वर्ष से संतान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से कर रहे हैं। इस खोज के प्रेरक, कई कारण, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, हो रहे हैं। मनुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; भोजन आच्छादन की पर्याप्त नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर अन्न और पीठ भर कपड़ा उपजाने लायक उर्वरा भूमि की मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों और पूंजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनो से, जीवन-संग्राम, परस्पर

आर्थिक द्रोह, बहुत बढ़ गया है; यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध में, तथा घोरतर द्वितीय विश्व-युद्ध में, यह आर्थिक लोभ और तज्जनिता स्पर्धा और द्रोह, प्रधान कारण हुए। सभ्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई है; आये दिन एक नया यंत्र ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक होशियार आदमी दस, बीस, पचास, सौ तक मज़दूरों का काम अकेला कर लेता है; और वे मज़दूर बेकार हो जाते हैं; इस से बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जाती है। एक और, धनिकों में स्वार्थीघटा और भोगलोलुपता भी बहुत बढ़ गई है, जिस से अपने ही तन पर, सुख भोग पर, इंद्रिय तर्पण पर, सब धन व्यय कर लेना चाहते हैं, और अपत्न्यों तक को इस में विघ्नकारक मानते हैं; जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दुश्चरित्र राजा अग्निवर्ण के विषय में लिखा है,

इंद्रियार्थपरिशून्यं अक्षमः सोढुम् एकं अपि स क्षणांतरम् ,

अंतर एव बिहरन् दिवानिशं, न व्यपैक्षत समस्तसुकाः प्रजाः। (रघु० अ० १६)

‘इंद्रियों के विषयों के बिना एक क्षण भी नहीं सह सकता था, हर वक्त सुख में ‘सिगार’, या बीड़ी या पान, या तम्बाकू, या इलायची या सुपारी, या शराब, या ‘कॉकटेल,’ या मिठाई, या ‘चॉकोलेट’, कुछ न कुछ पड़ा ही रहना चाहिये, या गाना, या बाजा, या ‘रेडियो’ सुनते ही रहना चाहिये; दिन रात हज़रत अग्निवर्ण महलों के अन्दर ही पड़े रहते थे; रय्यत को कौन पूछता है’। दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त वालों में यह समझ भी बढ़ रही है, कि अपत्य तभी और उतने ही होना चाहियें, जब और जितने अच्छी तरह से पाले, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सकें। उन्मत्त, ‘अचेतसः’ अर्थात् बोरहे, बावले, ‘वैधेय’ (‘इम्बेसील’, ‘इडियट’, ‘मोरन’, imbecile, idiot, moron) आत्म-घाती, तथा पाप-रोमी, गर्मी, सुज़ाक, कुष्ठ आदि संक्रामक (‘इन्फेक्शस’, infectious.) और सान्त्वानिक (आनुवंशिक, हेरेडिटरी, hereditary) रोग वाले मनुष्यों की प्रतिशत संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका में बढ़ती जाती है। इन सब कारणों से, पहिले छिपे छिपे, अब इधर अधिकाधिक अ-गुप्त, खुली प्रवृत्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपज्ञात किये जायं, जिन से वर्तमान स्त्री-

पुरुषों के रति-सुख में बाधा भी न हो, और उक्त आपत्तियाँ भी बढ़ने न पावें। पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम में विवाह की 'धार्मिक' संस्कारता, (सैक्रेमेन्टल क्वालिटी, sacramental quality) उपयोगिता, औचित्य, पर से नागर-वर्ग की आस्था हटती जाती है, और स्वच्छंद, अनियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फ्री लव, free love)की ओर बढ़ती जाती है; यह आस्था-परिवर्तन और संतान-निरोधोपाय, अन्य कारणों की भी उपस्थिति से, और भी लाजिम-मलजूम, परस्परानुग्रही, हो रहे हैं।

निरोध के उपाय आयुर्वेद में भी कुछ कहे गये हैं। अब पश्चिम में नये, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं। यहाँ पर पहिले यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि संतान-निरोध के दो पहलू, प्रकार, सूरतें, हैं, (१) गर्भ का आधान ही न हो; (२) यदि हो गया, तो ठहरने और जीने न पावें। पहिले प्रकार के उपायों का चार राशियों में विभाजन हो सकता है। (१) भक्ष्य-पेय औषध; (२) लेप्य औषध; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र-कर्म से चिकित्सन; (४) जननेन्द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण। एक पाँचवाँ प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्, संगम होने पर, वीर्यपात से पहिले ही पुरुषेन्द्रिय को बाहर हटा लेना; पर यह क्रिया ऐसी अनिश्चेय है, काबू में अक्सर नहीं ही रह सकती, और इसकी सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना चाहिये। दूसरा प्रकार गर्भ का स्राव करा देने का है।

पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के प्रथम तीन उपाय, सैंकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व देशों में भी, पश्चिम में भी, लोग, छिपा कर, काम में लाते रहे हैं; पर ये सब बहुत भयावह, बहुदोषयुक्त, रोगकारक, बहुधा प्राणघातक, हैं; और दूसरा प्रकार, जानबूझ कर गर्भस्राव करना कराना, धर्म-विरुद्ध, कानून के खिलाफ, अदालत में दंडनीय, भी है। गर्भस्राव के विषय में, पश्चिम में, जनमत अब बहुत बदल गया है; अतः कानून भी अमल में ढीले होते, या रूपतः बदलते, जाते हैं; नये रूस में तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्टरों की सलाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भस्राव करा देना जायज़ है; बिना विशेष कारण, और बिना ख्यात डाक्टरों की मंजूरी के, दंडनीय है। अन्य देशों में

भी धीरे-धीरे इस का अनुकरण, प्रकट वा अप्रकट रूप से, होता जाता है। ऐसा होते हुए भी, एक प्रामाणिक लेखक ने पुस्तक में लिखा है कि, केवल युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका में, प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक गर्भलाव किये जाते हैं।

प्रथम प्रकार का चतुर्थ उपाय, खर के बने हुए बाह्य उपकरणों का, जिन से पुरुष की जननेन्द्रिय और स्त्री के गर्भाशय (कमल) का मुख वेष्टित हो जाय, कम दोषयुक्त समझा जा रहा है। इस की चर्चा 'कांटासेप्टिवज़' (Contraceptives) के नाम से, अखबारों में बहुधा होती रहती है, तथा दूकानदारों के इशितहार भी समाचार-पत्रों में अब अक्सर देख पड़ते हैं। इस विषय पर से समाज ने प्रायः लज्जा का आवरण हटा लिया है, और कानून में भी इस की दंडनीयता नहीं कही जाती। खुली तरह से विकती हुई अप्रेजी पुस्तकों में, अन्य उपायों के साथ इस की तुलना समीक्षा कर के, इस की प्रशंसा की जा रही है। यूरोप में तो बहुत प्रचार इस का है ही; यहां तक कि कई देशों में, शासक वर्ग की ओर से, प्रकाश रूप से, अस्पतालों में प्रबन्ध कर दिया गया है, कि डाक्टर और डाक्टरनी. इन उपकरणों के उपयोग करने के विषय में आवश्यक शिक्षा, विवाहित स्त्री-पुरुषों को दें। भारतवर्ष में भी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का प्रयोग बहुत होने लगा है, और अब यहां की गवर्मेंट में भी, ब्रिटेन की सरकार-का अनुकरण करने का विचार हो रहा है। ऐसी अवस्था में, कामशास्त्र के ग्रन्थ में इस के गुण-दोष पर विचार करना न्याय-प्राप्त है।

विचार का निष्कर्ष यह समझ पड़ता है कि, यदि वियाह की परिधि के भीतर, पति-पत्नी ही, मर्यादित नियमित रूप से, इस चतुर्थ उपाय का प्रयोग करें, तो धर्म से विरुद्ध न होगा, दोष कम और गुण अधिक देख पड़ेंगे। सर्वथा गुणमय तो कोई प्रकार हो सकता ही नहीं।

सर्वदारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवडावृताः । (गीता)

नाख्यंतं गुणवत् किंचित्, नाख्यंतं दोषवत् तथा । (म० भा०)

देश-काल-अवस्था को देख कर, जिस आरम्भ में दोष कम, गुण

अधिक, देख पड़ै, वही करना चाहिए; क्योंकि बिना कर्मरम्भ के भां संसार-यात्रा असम्भव है,

न कर्मणां अनारम्भात् नैःकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । (गीता)

निरपत्यता मे भी दोष है, वह्णपत्यता मे भी बहुत दोष है । ऊपर कही आपत्तियां, वर्तमान मानव जगत् मे प्रत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य उन से पीड़ित हैं । काष्ठवत् ब्रह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानव शरीर के लिये असम्भव है । ऐसी दशा मे, इस युग मे, 'रवर' का उपाय, आध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-पत्नी के बीच, कथंचित् उपादेय है । दोष इस के, पाश्चात्य ग्रन्थों से विदित होते हैं, यथा—निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक सम्पूर्णता मे विघ्न हो जाने से स्त्री-पुरुष को शारीर और मानस तृप्ति नहीं होती, असन्तोष रह जाता है; पौराणिक कथा मे, भव-पार्वती के 'विघ्नितेच्छ', असम्पूर्ण 'रत', के पश्चात्, पार्वती के क्रोध, और केवल भव-वीर्य से कार्तिकेय के जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है । गर्भाधान का और संक्रामक रोगों का भय क्रम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवतियों मे, विशेष कर उन स्थानो मे जहां लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज मे पढ़ते हैं, मैथुन बहुत होने लगा है; तथा विवाहितों मे व्यभिचार । अक्सर, समाचार पत्रों मे, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छपती है, कि वैवाहिक स्त्री-पुरुष का धर्म-भाव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुप्त हुआ जाता है, और स्त्रियों के पहिरावे मे भी लज्जा नहीं रह गयी है; दूसरी तरफ, स्वाच्छंद्य-विश्वासी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है, कि वैवाहिक आमरण बलात्कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से विवाह के थोड़े ही दिन पीछे उद्विग्न हो जाते हैं, और अमेरिका के बड़े नगरों मे तो यहां तक दशा पहुंची है कि, यदि वर्ष मे सौ वैवाहिक गंठ-जोड़ा होता है तो पचास अन्योऽन्य त्याग, गंठ-तोड़ा, 'डैवोर्स' divorce विवाह-विच्छेद होता है । यह सब उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम के बड़े नगरों मे ही देख पड़ती है, जहां जीवन के प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे हैं; देहात मे ऐसा नहीं है; वहां विवाह और परस्पर निर्वाह की श्रद्धा अभी भी

पूर्ववत् कुछ बनी है; यद्यपि नगर और ग्राम के परस्पर वर्धमान सम्पर्क के कारण अब ग्रामो की हवा भी बदलती जाती है ।

पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की भयङ्कर तस्वीर, इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों में जो खबरें निकलती रहती हैं उन से, आंखों के सामने आती है । इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-दृष्टि से महा दुःखावह जान पड़ता है । मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिष्कार हैं, वे, बिना मर्यादित 'अंहता' ('इंडिविजुएलिटी' Individuality) के, अर्थात् अंतःकरण-रूप अहंकार-बुद्धि-मनस् के, उपोद्बलन संवर्धन विकासन के; बिना नियंत्रित परिग्रहात्मक, स्वत्वात्मक, अर्थ-सम्पत्ति, 'ममता' ('प्रापर्टी' Property) के; बिना नियमित एक-स्त्री एक-पुरुष के विवाह ('मोनो-गेमस मैरेज' mono-gamous-marriage) के; बिना इन के, वे परिष्कार ऊंची कोटि को नहीं पहुंच सकते । मैथुन-स्वाच्छंद्य-वाद का और परिग्रह-विषयक साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पड़ता है । पर यही पशुओं में देख पड़ता है । इस और जाना, मनुष्यों के लिये मानो प्रतिसंचर करना है, ऊंचे से नीचे गिरना है । हां, अतिपरिग्रह, बहुविवाह, अत्यहंकार आदि के अति वैषम्य में भी वैसे ही अति भयंकर दोष हैं, जैसे अति साम्य में । इस लिये बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये । जांच कर, समान-शील-व्यसनो का विवाह हो, उस के बाद श्रद्धा से एक-दूसरे का आमरण निर्वाह करें, नाता तोड़ने की, तलाक की, नौबत न आवै, तथा अति परिग्रह का भी लोभ न हो, तभी विवाह में और गार्हस्थ्य में सुख मिल सकता है ।

कुछ लोग, आत्यन्तिक अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह पर जोर देते हैं; उन की भ्रान्ति इतने से ही प्रत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे स्वयं आत्यंतिक अहिंसा वा अपरिग्रह का आचरण करें, तो उन का शरीर एक क्षण भी जी न सके । अर्थात् आत्मशास्त्र से सर्वथा सिद्ध है, कि जीवन के पूर्वार्ध के दो आश्रमों में, 'बुभुक्ष्वा' की षण्णात्रय की, 'स्वार्थ'-त्रिक की, त्रिमूर्ति का नियंत्रित उपासन, परमात्मा की प्रकृति की, ब्रह्म के स्वभाव की, अतः जीवात्मा के स्वभाव की, 'ह्यमन नेचर, ह्यमन साइकालोजी,

human nature, human psychology,' की, अनुलङ्घनीय आज्ञा है; तथा, उत्तरार्ध के दो आश्रमों में, 'युयुक्षा' 'मुमुक्षा' के 'परार्थ' का वर्धमान उपासन । यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; अथ किं, हो ही न सकती । परमात्मा ने स्वयं मूलप्रकृति-दैवीप्रकृति-रूपिणी देवी 'अविद्या' (मूर्खता, बेवकूफी !) से विवाह किया; "अनित्य अशुचि-दुःख-अनात्मसु नित्य-शुचि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविद्या" (योगसूत्र), अपने नित्य-शुचि-सुखमय आत्मता को जान बूझ कर भुला दिया, और अनित्य-अशुचि-दुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा ने खुदी बीबी को अपने सर पर चढ़ा लिया । जब सृष्टि के आरम्भ की यह दशा है, तो हाड मांस के मनुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी, आत्यंतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पुकार करना, अपने को और दूसरों को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-अवस्था में, विशेष कारणों से, हिंसा-असत्य-स्तेय-(चौर्य)-व्यभिचार-परिग्रहलोभ की आत्यंतिक वृद्धि को रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी विरोधी, अहिंसा आदि भावों की आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तक अवस्था न सुधरे, उचित और न्याय्य, नीतियुक्त, कर्तव्य हो सकती है ।

पाश्चात्य देशों में, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो महीने, ही बाद, वधू-वर एक-दूसरे से ऊब(उद्विग्न हो)जाते हैं, और तलाक की कचहरी में दौड़े जाते हैं । उस में विशेष हेतु यह है कि 'हनी मून' honey-moon, ('मधु-चंद्र' विवाह के बाद का एक पखवारा, जैसे भारत में 'सौभाग्य रजनी', 'सोहाग रात') की प्रथा के अनुसार, स्त्री-पुरुष दस पन्द्रह दिन, एक दूसरेके साथ निरन्तर रहते हैं, सन्तान निरोधक उपायों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अनवरत संभोग से सब इन्द्रियों को अति-तृप्त, और वीर्यादि रसों के अति-व्यय से नितान्त म्लान-ग्लान, कर डालते हैं । सुस्वादु, सुमधुर, भोज्य पदार्थों के भी अति-भोजन से वमन होने लगता है ।

यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की भी मनोवृत्ति तत्काल बदल जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने लगती है,

चित्त, स्वार्थी से परार्थी हो जाता है । सब संसार ही दूसरा और नया हो जाता है; परस्पर स्नेह, दया, रक्षाभाव बढ़ता है । इस लिए, परिमित संख्या में, अपत्य नितान्त आवश्यक है । बिना विवाह के गर्भाधान होने पर, प्रायः यही देखा जाता है, इस देश में भी और अन्य देशों में भी, कि पुरुष, हृदय-हीन शठता और क्रूरता से, स्त्री का परित्याग कर देता है, और स्त्री को, या तो मरण में शरण लेना पड़ता है, या वेश्या आदि वृत्ति में ।

इस सम्बन्ध में, इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर विचारणीय है कि, वर्तमान युग में, प्रकृति देवता ने, रजो-वीर्य-विस्तृष्टि-रूप, अपत्य-सृष्टि-रूप, 'आनन्द-सार' को उन्हीं इन्द्रियोंसे क्यों बांध दिया है जिन से मूत्र-पुरीष के उत्सृष्टि के 'घृणा-सार' को भी बांधा है । पुराण और वेदान्त का निर्णय है कि 'मोक्षस्तु मानत्रे देहे', मनुष्य देह में ही पहुँच कर जीव को मोक्ष हो सकता है; क्योंकि इसी योनि में उस को यह बुद्धि होती है कि, 'मैं बँधा हूँ, कैसे छूटूँ' । अन्य शरीरों में इस प्रकार का विवेक और वैराग्य नहीं होता । पशु योनियों में तमो-बाहुल्य से विवेकिनी बुद्धि नहीं: देव-योनियों में सूक्ष्म दिव्य इन्द्रियों का सुख इतना तीव्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा का, उस से 'मुमुक्षा' का, संभव ही नहीं । इस विवेक वैराग्य का सम्भव तभी होता है जब तीव्रतर द्वन्द्व का, सुख-दुःख का, आनन्द-घृणा का, साथ ही अनुभव हो; इस के साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मनुज देह में निज-(आत्म)-बोधोपयोगिनी प्रत्यक्चेतना के, प्रत्यग्दृष्टि के, समर्थ, बुद्धि भी रक्खी है, और मूत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है; कि जीव, अति-आनन्द से पलटा खा कर, तृतीय चतुर्थ आश्रम में, अति-घृणा, संसार से अति-वैराग्य, की पराकाष्ठा को पहुँच जाय । योग भाष्य में, वैराग्य की दो काष्ठा कही हैं, आरम्भ में 'अपर' और अंत में 'पर'; 'पर वैराग्य' और 'परम-प्रज्ञान' 'मोक्ष', एक ही पदार्थ के दो पक्ष वा नाम हैं । (योगसूत्रभाष्य, १, १६) ।

इस सम्बन्ध में, भर्तृहरि के प्रसिद्ध श्लोक की याद करा देना उचित है,

स्तनौ मांसगन्धी वनवघटवत् श्लिष्यति मुहुः,
 मुखं लाला-क्लिन्नं पिबति चषकं सऽसवं इव,
 अमेध्यज्जेदऽद्दे पथि च रमते स्पर्शरसिकः,
 अहो मोहान्धानां किं इव रमणीयं न भवति ।

मांस की लोथ जो स्तन है, उस को सोने के घटों के ऐसा समझता है और गले लगाता है; थूक से, लार से, भरे मुख को, आसव, शर्वत और शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने मार्ग के स्पर्श से आनन्द मानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या नहीं रमणीय है !

यह हुई स्त्री शरीर की निन्दा और धृणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति के लिये, स्त्री-दृष्टि से पुरुष देह की भी वैसी ही निन्द्यता और घृण्यता है, जिस को कहना भर्तृहरि भूल गये,

मांसास्थिपंजरं इयं मनुतेऽतिकान्तं,
 आनन्दधाम गणयति अपि मूत्रकाङ्गं,
 बीभत्समांसपरिघर्षणं अपि उपास्ते,
 लालां सुधां इव च, संमदमोहमत्ता ।

हाइ मांस के ठंडर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समझती है, मूत्र के स्रोत को आनन्द का स्रोत मानती है; मांस के टुकड़ों के परिघर्षण की उपासना करती है; मोह की मारी स्त्री बेचारी, लार और थूक को अमृत मानती है ।

संसार की द्वन्द्वता, अमृत-विष-ता, अन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हेय-ता, प्रतिपद प्रत्यक्ष है । चित्त जब एक ओर अधिक भुक्तता है, इन्द्रियों के विषयों में सुख मानता है; तब प्रवृत्ति, स-रागता, होती है । जब दूसरी ओर भुक्तता है, और उन विषयों में दुःख मानने लगता है, तब वि-रागता और निवृत्ति ।

उक्त प्रश्न के इस उत्तर से समझ में आवेगा, कि क्यों काम का परि-पाक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा-रूप हो जायगा । यह माया की द्वंद्व-निर्माण-शक्ति का, जगत् के द्वन्द्वात्मक

स्वभाव का, फल है। पुष्य-पाप मिले हुए हैं। जीव, या एक और या दूसरो और, चलता ही रहता है। यदि फल बहुत कच्चा हूय तोड़ कर रख दिया जाय, तो खट्टा कसैला कड़वा हो कर, कठवायगा और सड़ जायगा; यदि सूर्य की कल्याणमय किरणों से यथासमय पक जाने पावेगा, तो खाने पर सुस्वाद और तुष्टि-पुष्टि-कारक होगा। ऐसे ही दैह्य रति, कामिक शारीर लोभ, 'कार्नाल पैशन', carnal passion, यदि मातृत्व पितृत्व के वात्सल्य मे, 'स्फिरिचुअल् ऐफ़ेक्शन', spiritual affection, मे, परणित न होने पाया, बलात् रोका गया, तो विष हो जायगा, विषय-तृष्णा-पूर्ण ब्रह्म-राक्षस ब्रह्म-पिशाच, अर्थात् ज्ञान-पूर्वक बुद्धि-पूर्वक पापा-चारी, हो जायगा; चारो ओर जार-वेश्या, अप्सरा-गन्धर्व, यक्ष-यक्षिणी, राक्षस-राक्षसी, पिशाच-पिशाची के भाव को फैला कर समाज को दाख्य उन्माद मे डालेगा और नष्ट-भ्रष्ट करेगा।

यूरोप के महायुद्ध मे, भीतर-भीतर, यह एक प्रधान कारण हुआ है। जो ही अग्नि, नियम के, शास्त्र-सायंस के, अनुसार, प्रयोग करने से खाना पकाती है, जाड़- (जाड्य, जड़ता) दूर करती है, एजिन मे रह कर लाखों यानियों और लाखों मन माल असबाब को दूर दूर के देशों मे पहुंचाती है, वही अग्नि, दुष्टता या मूर्खता से, प्रयोग करने से, नगर के नगर जला डालती है, लाखों मनुष्यों के प्राण ले लेती है, करोड़ों की जायदाद भस्म कर देती है। कामाग्नि का यही हाल है।

मनु ने कहा है,

यस्मिन् ऋषां संनयति, येन चऽनन्थम् अरनुते,

स एव धर्मजः पुत्रः; कर्मजान् हतरान् विदुः।

'ज्येष्ठ पुत्र, जो माता-पिता को देव-ऋषि-पितृ-ऋषण से छुड़ाता है, जिस के द्वारा माता पिता अमरता पा सकते हैं, वही धर्म-ज पुत्र है; पीछे के पुत्र कामज हैं।' इस श्लोक से, आदि प्रजापति, नितान्त प्रजावत्सल, "वात्सल्ये मनुवन्नृणां" (भाग०), अपने वंश की वृद्धि चाहते हुए भी, बहु-प्रजत्व का दोष देखते हुए, सूचना मात्र कर देते हैं, कि अपत्य होना भी आवश्यक है, पर बहुत अपत्य होना अच्छा नहीं, "विस्तरं तु न

कारयेत्” । इस कल्याण-कारक धार्मिक उपदेश को मन में रख, विवाहित दम्पती को चाहिये कि संतान अवश्य उत्पन्न करें, पर पांच सात वर्ष में एक । बीच में यदि शुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं बन सके तो, अगत्या, गर्भाधान-निरोध के अल्पतम दोष वाले चतुर्थ उपाय को काम में लाना अनुचित नहीं कहा जा सकता । यों एवं, उन के शरीर और चित्तके स्वस्थ रहने की आशा है, और अपत्य-पालन भी यथावत् हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से परस्पर स्नेह भी बढ़ेगा, अपत्य के हित-चिन्तन में दिन बीतेगे, कामाग्नि कम सतावेगी, उस का परिणामन, स्नेह और प्रीति में निरन्तर होता रहेगा ।

सौशील्य—सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य-सुख का सौशील्य है । शील के तीन अंग इस सम्बन्ध में कहे जा सकते हैं ।

(१) पहिला अङ्ग यह कि, पति-पत्नी अपने अपने अलग अलग 'स्वार्थ' सुख का ध्यान कम करें, और 'एक दूसरे के अर्थ' का, सुख का, ध्यान अधिक करें । यह तो महाभारत (शांतिपर्व) में कहे, शील के मौलिक मार्मिक लक्षण का ही अनुवाद मात्र है—'जो अपने लिये न चाहो, सो दूसरे के लिये भी मत चाहो; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये भी चाहो; जिस कर्म से दूसरो का हित बिगड़ता हो वह मत करो; जिस कर्म को करते स्वयं अपने मन में लज्जा, त्रास, शर्म आती हो वह मत करो; जिस कर्म के करने से भले आदमी, सभा में एकत्र हो कर, प्रशंसा करें, वह करो । थोड़े में शील का तत्त्व यही है' ।

संचेपतस्तु शीलस्य तत्त्वं श्लघु, नरेश्वर !;

यद् अन्येषां हितं न स्याद्, आत्मनः कर्म, पूरुषः,

अपन्नपेत वा येन, न तत्कुर्यात् कथंचन;

तत् तु कर्म तथा कुर्याद् येन श्लाघ्येत संसदि ।

(म० भा० शांति० अ० १२४)

(२) दूसरा अङ्ग, दाम्पत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण ही है । वह यह है कि, एक दूसरे से सर्वथा निर्लज्ज न हो जाय; एक दूसरे की ओर, विनय, आदर, कुछ लज्जा, का भाव सदा बनाये रहै; प्रीति अधिक और रति कम करें । स्वयं वात्सायन ने भी, कामसूत्र में, यह सलाह दी है ।

परस्पर-अनुकूल्येन तद् एवं लज्जमानयोः,
संवत्सरशतेन-पि, प्रीतिः न परिहीयते ।

भर्तृ हरि ने भी कहा है,

एतत्कामफलं लोके यद् द्वयोः एकचित्तता;
अन्यचित्तकृते कामे, शवयोः इव सङ्गमः ।

‘सदा एक दूसरे के अनुकूल होते हुए भी, जो पति-पत्नी एक दूसरे से कुछ लजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर प्रीति सौ वर्ष में भी कम नहीं होती। दोनों का चित्त एक होना चाहिये; यही हस संसार-काम का उत्तम फल है। बिना चित्त एक हुए, कामना दूसरे की, शरीर दूसरे का, ऐसे शरीरों का मिश्रण तो मुर्दों का मिश्रण है।’

प्रीति की नवता, ताजगी, तभी बनी रहेगी, जब ‘रति’की ‘अति’न की जायगी। अन्यथा, नी-रस, बासी, फीकी, अथच कु-रस शोषही होजायगी।

युवा पाठक सज्जन ! वृद्धावस्था में, अगली पुस्त के लिये, वात्सल्य-मोह अधिक हो जाता है; ‘वृद्धस्तावच् चिंतामग्नः’; यह चिंता वृद्धों को सदा सताती रहती है कि बच्चे अच्छे रहें, इन को क्लेश न हो। इस वात्सल्य-मोह से प्रेरित हो कर, तुम लोगों की भलाई की उत्कट कामना से, फिर-फिर यह कहता हूँ, कि पश्चिम देशों की इस वर्धमान भयानक भूल में मत पड़ना, यह मत समझना कि स्त्रो-पुरुष के शरीरों का संयोग केवल, क्षणिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जैसे स्वच्छंद रचि के अनुसार खट्टा-मीठा खा लेना, गंध सूंघ लेना, रंग देख लेना। यह मत समझना, कि इस संयोग से, धर्म का, मर्यादा का, कानून-कायदे का, कुछ संबंध न होना चाहिये। ऐसा समझना भारी भूल है। साधारण इंद्रिय-सुख भी, खाना पीना भी, बड़े व्यापक धर्म का, प्राकृतिक भी मानुषिक भी कायदे-कानून का, विषय है; यहाँ तक कि ‘आहार-शुद्धौ सत्वशुद्धिः... ध्रुवा स्मृतिः... मोक्षः’ (छाँदो० उप०); योगाभ्यास और मोक्ष की सीढ़ी का पहिला भो और अंतिम भी बंडा, जिह्वा-शिशन का जय, उदर-उपस्थ का मर्यादित निग्रह, ही है; आहार में भूल करने से प्राण का नाश तक हो सकता है, और बहुधा हो जाता ही है। सत्त्विक आहार से

सात्विक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि । वैसे ही, या उस से बहुत अधिक, स्त्री-पुरुष के संयोग के विषय में भूल होने से तो, महा-समाज के महा-प्राण का सामूहिक नाश हो सकता और होता है । लंका के, और राक्षस और वानर वंशों के, महासंहार का निदर्शन देखा ही है । स्त्री-पुरुष संयोग भी क्रायदे-क्रान्त का नितरां विषय है; स्वाच्छंद्य का नहीं । इस क्रिया को 'क्षणिक' मत समझो; इस 'क्षण' में अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल, भरा हुआ है; अनंत ब्रह्मशक्ति का कार्य, और अनंत संतान-परम्परा का कारण, स्त्री-पुरुष का वीर्य है । ऐसा वीर्य जिस 'क्षणिक' क्रिया से सम्बद्ध हो, वह, साधारण चाखने, सूंघने, थूकने, छीकने, खांसने की-सी क्रिया नहीं है; जीव का समग्र अंतःकरण इस से सम्बद्ध है । पश्चिम के देशों में, बुद्धिमान् विद्वान् भी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय में दुर्विद्वान्, दुर्बुद्धिमान्, अदूरदर्शी, अनध्यात्मवित् लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख में परस्पर ईर्ष्या-द्वेष न करना चाहिए । ये लोग मानव प्रकृति के अध्यात्म-तत्त्व की ओर आँख बंद किये हैं, और, "न हि अनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलम् उपाश्रुते" (मनु), समाज को गढे में गिरा रहे हैं । यदि नया जगत् और अपूर्व स्वभाव के जीव, ये लोग बना सकेंगे, तब उन का विचार स्यात् ठीक हो सकेगा; अन्यथा, मानव-स्वभाव से, जगत् की द्वन्द्वात्मक प्रकृति से, निसर्ग से, यह सिद्ध है कि, बिना मर्यादा बाँधे, बिना धर्म का व्यवस्था किये, बिना स्वाच्छंद्य की परिधि और सीमा घेरे, दूषितकाम से क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष, आदि अवश्य उत्पन्न हो कर, समाज में घोर उपद्रव खड़ा करेंगे; और अर्धसभ्य, असभ्य, जातियों की, और फिर पशुओं की अवस्था की, और, वापस ले जायेंगे ।^१

१-पच्छिम में हवा बंदल रही है, इस का उदाहरण देखिये । मई, १९४४, के 'रीडर्स डाइजेस्ट', (The Reader's Digest, New York, U.S.A.) में, ग्लाडिस डेनी शुल्ट्ज (Gladys Denny Schultz) नाम की महिला का एक लेख छपा है । उस का शीर्षक यह है—'बया तुम्हारी बेटी समझती है कि किसी पुरुष पर उस को प्रेमासक्ति हो गई है ?' (Does your daughter think she is in love ?) । इस में

(३) सौशील्य का तीसरा अंग, दूसरे अंग का सम्पूर्ण और साधन है। परस्पर शरीर के भोग में अति न होने पावे, सब रति-शक्ति थोड़े ही दिनों उस ने माताओं को सलाह दी है, कि अपने पुत्र वा पुत्री को किस प्रकार का परामर्श, कामीय वासना के विषय में देना चाहिये। संक्षेप से, उस का आशय यह है—“जवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय में, फौज में भर्त्ता हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं; फिर लौटेंगे, या नहीं ? कौन जानता है ? किन्हीं स्त्रियों से उन को, उन से किन्हीं स्त्रियों को, स्नेह प्रीति है; विदा होने के पहिले, एक बार, मन भर के मिल भेंट लें; बस, ‘पेटिङ्ग’, petting, स्पर्शन, आश्लेषण, चुम्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन की अंतिम क्रिया भी निष्पन्न हो जाती है, लजाते खिसियाते एक दूसरे से विदा होते हैं। यदि कन्या को गर्भ रह गया, तो उस के लिए तरह तरह की महा मुसीबत; प्रायः गर्भस्त्राव कराना पड़ता है; पुरुष तो अक्सर भूल ही जाते हैं। [जैसे चुद्र-प्रकृतिक कामुक दुष्यन्त, अपनी क्षणिक वासना को तुल कर के, सीधी सादी शकुन्तला को भूल गया]। इन हेतुओं से, लड़कियों को ‘पेटिङ्ग’ से, पुरुषों के ‘लाइ प्यार’ से, बहुत डरते बचते रहना चाहिये। सच्चा प्रेम, युवा और कुमारी को, जिन का शाल व्यसन मिलता हो, परस्पर, अवश्य करना चाहिये; पर सच्चे प्रेम में तो रतिवासना कम, प्रीतिवासना ही अधिक रहती है; एक दूसरे के लिये आदर की भावना, एक दूसरे की शुद्धता, पुण्यता, ‘वर्च’, virtue, को अखण्डित बनाये रहने की इच्छा अधिक रहती है। जो कुमारी अपने शरीर को, सहज में, पुरुष के वश हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरस्कार, वह पुरुष ही, करने लगता है, और, अवसर रहते भी, उस से विवाह नहीं करता; समझता है कि ‘यह तो बहुत सस्ती है’। जहां परस्पर आदर नहीं, वहां परस्पर प्रीति स्थायी नहीं, परस्पर विश्वास नहीं, क्लृप्तता की मान-मर्यादा का गौरव नहीं।”

इतना और कहा जा सकता है कि कौमार्य, ‘वर्जिनिटी’, virginity, का हरण करने वाला पहिला प्रसंग, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, सदा के लिये, अस्त्र या बुरा असर, प्रभाव, संस्कार वा विकार, डाल देता है,

मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय एक दूसरे का रस समाप्त न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहै—यही तीसरा अङ्ग है ।

तदेव रूपं रमणीयतायाः, ज्ञये ज्ञये यत् नवतां विश्रुते । (माव)

जगति मिथुने चक्रौ एव स्मरऽगमपारगौ,

नवम् इव मिथः सम्भुञ्जाते विद्युज्य वियुज्य यौ;

सततम् अमृताद् एवऽाहाराद् यद् आपद् अरोचकम्,

तद् अमृतभुजां भर्ता शम्भुर् विषं बुभुजे विभुः । (नैषध)

‘चकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मरऽगम, के पार पहुँचे हैं, उस के मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या में बिल्लुङ्-बिल्लुङ् कर, सवेरे, एक दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं । नित्य-नित्य अमृत पीते पीते ऊब कर, शिव जी ने हालाहल, मनफेर के लिये, पी लिया । रमणीयता का मर्म यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय ।’

परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दूर कर दिया जाय कि पुरुष स्वामी और स्त्री दासी; पुरुष मालिक और स्त्री मिल्कीयत जायदाद, पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-परिग्रह; पुरुष इष्टदेव, स्त्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नीच । दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, स्यात् सहस्रों, वर्ष से, भारतवर्ष में, तथा अन्य देशों में भी, यह भाव फैला हुआ था और है । अब यह पाश्चात्य देशों में इस तेज़ी से बदल रहा है, कि दूसरी आत्यन्तिक कोटि तक उस के बहक जाने का भय उत्पन्न हो रहा चाहे वह बुरा दाग़ हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का ‘इन्फेक्शन’, infection, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुस्ती का । यदि वैवाहिक प्रीति पूर्वक कौमार-हरण है, तब तो सुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग चढ़ेगा. आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा । अन्यथा, शरीर में भी कोई विकार, और चित्त पर भी दाग़, स्मृति में कांटा, लग जायगा । ‘यन् नवे भाजने लग्नः, संस्कारो नअन्यथा भवेत् ।’ पर हां, भूल चूक के बाद भी, दूसरे स्त्री पुरुष से भी प्रीति हो, विवाह हो, परस्पर विश्वास हो, और पुरानी भूल का प्रख्यापन और पश्चात्ताप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम, पुराने विकार को भी दबा मिटा सकता है ।

है। स्यात् इस का ही रूपक, तन्त्र के ग्रन्थों में, यह किया है, कि शिव तो शव के ऐसे पृथ्वी पर पड़े हैं, और नग्नप्राय, खड्गधारिणी, मुंडहस्ता काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी हैं। यह दोनों आत्यन्तिक भाव, आर्ष काल में नहीं थे; अथवा यों कहना चाहिये कि, उपलभ्य आर्ष ग्रंथों के सात्त्विक अंशों में नहीं देख पड़ते हैं। सत्य और आर्य भाव, जो, अनुमानतः, आर्ष काल में था, उस को फिर से हृदय में धारण करना और फैलाना चाहिये; अर्थात्, यदि पति स्वामी तो पत्नी स्वामिनी, पति देव तो पत्नी देवी, नर आर्य तो नारी आर्या। देवों और महापुरुषों के नामोच्चारण में, अधिक आदरार्थ, देवा का नाम पहिले और देव का पीछे अब भी लिया जाता है, यथा लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश्वर, सीता-राम। उस भाव का उत्तम सूचक रूपक तो, शिव-पार्वती की अर्ध-नारीश्वरता है। भागवत में कहा है, कि स्त्री और पुरुष परस्पर, तुल्य रूप से, भोग्य, और बंधन में डालनेवाली माया के रूप, हैं। महा-भारत में, पुरुषसार, अत्युदार, प्रवीर, आजीवन अच्युत ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह ने कहा है कि, व्यभिचार जब हाता है तब “नर एव-ऽपराध्यति”; पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन बातों को ध्यान में रख कर, जहाँ जहाँ, अच्छे ग्रन्थों में भी, ऐकपात्निक नारी की निन्दा या भोग्यता के सूचक शब्द हैं, वहाँ पाठ को शोध देना चाहिये। यथा, उदाहरणार्थ, भर्तृहरि के श्लोक,

शम्भु-स्वयम्भु-हरयो (हरिणोत्तमानां) ऽपि च, तस्त्रियश्च,
येनाऽक्रियन्त सतत (गृहकर्मदासाः) गृहदासदास्यः,

वाचाम् अगोचरचरित्रपवित्रिताय,

तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय ।

द्रष्टव्येषु किमुत्तमं, (सृगदशां) जगति, हे !, प्रेमप्रसन्नं मुखं;

घ्रातव्येषु अपि किं, तद्ऽस्यपवनः; श्रव्येषु किं, तद्वचः;

किं स्वाद्येषु, तद्ऽश्रोष्ठपल्लवरसः; स्पर्शेषु किं, तत्तनुः;

ध्येयं किं, नवयौवनं, सहृदयैः, (च सततं) सर्वत्र तद्विभ्रमः ।

दम्पत्योः परस्परमिति ।

विरक्ति और निवृत्ति की अवस्था में, दोनों प्रकार के शरीरों की समान बीभत्सता भी, पृ० ३५६ पर कही जा चुकी है ।

वैवाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अंत में, पुनरपि यह कहना चाहिये कि, संसार के और मनुष्य के द्वंद्वात्मक स्वभाव से उत्पन्न, यदि दैववशात् कभी पति-पत्नी के बीच में सौमनस्य के ठिकाने वैमनस्य, किसी हेतु से, आ जाय, तो अपने अपने चित्त के लाभ के शमन के लिए, परस्पर पाणिग्रहण के समय का, विचित्र वैदिक मंत्रों से का हुई (पृ० ३१४-३१६) प्रतिज्ञा को याद करना चाहिये, और यह ध्यान में लाना चाहिये कि केवल अपनी ही रुचि में नहीं, किंतु माता-पिता ने, साक्षात् देवताओं ने, मां, यह सम्बन्ध जोड़ा है, और दानों का एक दूसरे के साथ बाँधा है; और उन का अन्याय होगा, उन के वास्तव्य का पाड़ा हागा, यदि यह वैमनस्य और अमर्ष बढ़ा, और परस्पर सम्मर्श, सहिष्णुता, निराह, सौमनस्य, लोभाल्य, न स्थिर किया गया ।’

१—परन्तु, “मुण्डे मुण्डे मतिर् भिन्ना”, “भिन्नहृत् हि लोक ”। कुछ तबियतदार लोगों का कहना है कि ‘वह स्त्री पुरुष कैसे, जिन को कभी क्रोध नहीं आया, जो कभी आपस में लड़ें नहीं ? वह तो मिट्टी के पुतले हैं ! दूध पीते बच्चे भाँझैला जाते हैं, खुशामद चाहते हैं, और उनको मनाना ही पड़ता है ! जिस ने सारी उमर ऊख का पतला रस ही चूसा, कभी खट्टा तोता नमकान कड़ुआ कसैला चखला हो नहां, उस को चीम का स्वाद और जे-दगो का रस क्या मालूम ? और काध आवै और दबाता हो रहै, तो बीमार हो हो जाय ! इसलिये, जान-दार, जावन वाले मिया-बीवी कभी कभी आपस में लड़ भा लेते हैं, एक दूसरे पर क्रोध निकाल देते हैं, और फिर खूब मेल कर लेते हैं !’ जरूर, यह भी एक पक्ष है ! समन्वय यों होता है, कि जिन पति-पत्नी की प्रकृति में, रजस्-मत् की मात्रा किंचित् बहुत नई, अधिक हो, उन के लिये यह प्रकार का ठीक है । सात्त्विक प्रकृति के लिये मूल में कहा प्रकार उचित है । देखिये रीडर्स डाइजेस्ट, मई, १९४४, Have a good marital quarrel’ ‘फायित्वेषु मरिच-अवचूर्णना’ !

देवदत्तां पतिर्भायां बिन्दते, न (केवलं) इच्छयाऽऽत्मनः;

तां सार्ध्वीं बिभृयात् नित्यं, देवानां प्रियमञ्चाचरन् । (मनु० ६, ६४)

आर्य जीवन मे, आर्य सभ्यता शिष्टता मे, 'काम' नामक पुरुषार्थ का, 'अर्थ' और 'धर्म' नामक पुरुषार्थों से अमेघ सम्बन्ध है ; अतः, - 'सौशील्य' के साथ, विधवा-विवाह और विधुर-((विभार्यक)-विवाह पर भी विचार होना उचित है । आज काल, जिस 'व्यक्ति-वाद', 'वैयक्तिकता', 'व्यक्ति-स्वाधीनता', प्रातिस्विकता, प्रात्येकिकता, ('इंडिविजुअलिज़्म', 'इंडिविज्युएलिटी', 'फ्रीडम आफ दि इंडिविजुअल', individualism, individuality, freedom of the individual) की लहर बह रही है. उस पर आरूढ़ व्यक्तियों की दृष्टि से, प्रत्येक स्त्री पुरुष के स्वच्छंद आहार विहार के हक मे, अधिकार मे, कोई बाधा होना उचित नहीं है । इस दृष्टि से, ऐसे विवाहों का कोई नियमन नियंत्रण नहीं होना चाहिये; बल्कि 'फ्री-लव', 'free-love', स्वच्छंद-'मुक्त'-अनवरुद्ध-'काम' का (यथा 'वाम-मार्गियों' मे) पोषण होना चाहिये । परन्तु, प्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सर्वथा 'स्व-तंत्र' नहीं है; केवल अपने बल से ही नहीं जीता; समाज के बल से भी जीता है; इस से, समाज का, देव-ऋषि पितृ-ऋण-रूप त्रिविध ऋण में, ऋणी है; इस लिये, यह प्रश्न केवल वैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं देखा जा सकता; सामाजिक सामूहिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक है । स्त्री-पुरुष सम्बन्ध और तज्जनित संतान, यह समाज का बीज है, मूल है; जड़ है । अतः, दोनो पक्षों पर विचार करने से यह निष्कर्ष होता है, कि विधवा और विधुर का विवाह न होना, वा कम होना, अच्छा है; विशेष कर ऐसे स्त्री वा पुरुष का, जिस को पहले विवाह से संतान मौजूद है । इस से, मनुष्य-संख्या की अतिवृद्धि रुकैगी; और विधवा और विभार्यक को, परार्थी सामाजिक कार्यों मे शक्ति लगाने का सुअवसर मिलेगा: ऐसों को समझना चाहिये, कि भाग्य ने वानप्रस्थता हम को दे दी, चाहे प्राकृतिक समय से पहिले ही । सब को सब सुख ही सुख मिलै—यह न कभी हुआ और न होगा; एक सुख के साथ, एक दुःख, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही है । कुछ

लोगों को, परार्थ के लिये, त्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है । सांसारिक विषय, किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, और तब उस को हम दुःख मानेंगे: तो यदि, हम ही, अपनी आशा से, उन को हटा दें, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है, बहुत शांति का आनन्द मिलेगा ।

अवश्यं यातारः, चिरतरं उषित्वाऽपि, विषयाः:

वियोगे को भेदः, त्यजति न मनो यत् स्वयं अमून् ।

व्रजन्तः स्वातंत्र्याद्, अतुलपरितापाय मनसः;

स्वयं त्यक्ताः हि एते, शमसुखं अनन्तं विदधति । (भर्तृ०)

‘मनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक न एक दिन सब विषय उस को छोड़ कर चले ही जायगे । तब फिर, हे मन!, तू स्वयं ही इन को, उचित समय पर, क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार के वियोगों में कुछ भेद है ? हां, बड़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुद्ध, तुझे छोड़ कर वे चले गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनंत परिताप भोगेगा; यदि तू स्वयं, अपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे, तब तू सदा ही हँसता ही रहेगा, और अनन्त शांतिसुख पावैगा ।’

अपनी ही बुद्धि से, स्व वशता से, अपनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन करना, और यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, आपत् के रूप में संपत् दिया है, अनुग्रह किया है, परार्थ में लग कर पाप-क्षय और पुण्य-संचय का अवसर दिया है—यह उन व्यक्तियों के लिये भी, और उन के समाज के लिये भी, अच्छा है; पृ०८६-६० पर परीक्षित और नारद की कथा देखिये । समाज उनका आदर करेगा और वे समाज का भला करेंगे: इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है ।

परन्तु, यदि इतना काब् (वशिता) अपनी तबियत पर नहीं ही हो, यदि इतना सत्त्व अपनी प्रकृति में न हो, रजस्-तमस् कुञ्ज अधिक हो, तो प्रायः समवयस्क विभार्यक और विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना कथंचिद् अनुसंतव्य है । उन की निन्दा न की जाय, पर उतना आदर भी नहीं जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर ‘वनस्थों’ का ।

(ङ) गर्भस्थान—कामशास्त्र के ज्ञानांग में गर्भाशय का, गर्भसाधान से

प्रसव तक की गर्भ और गर्भिणी की परिवर्तमान दशाओं का: गर्भरक्षण के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री का; तथा सूतिकागृहचर्या का; स्थूल रूप से, सर्वसाधारणोपयोगी, वर्णन रहना चाहिये। पुराणो मे रूपक कहा है, और हिन्दूजनता मे विश्वास फैला हुआ है, कि गर्भ मे, जीव, पिछले जन्मो मे अनुभव की हुई, अपनी चौरासी लाख योनियों की याद करता है, जिन को पार कर के मनुष्य-योनि मे आया है; और परमात्मा से अपराध-क्षमापन और प्रार्थना करता है, कि 'अब फिर पाप न करूंगा, इस आवागमन से; इस गर्भरूप कारागृह से, हथकड़ी-वेड़ी बंधन से, नरक से, छुड़ाइये; मुक्ति दीजिये'। पाश्चात्य विज्ञान ने अद्भुत परिश्रम से यह सिद्ध किया है, कि सचमुच मानवभ्रूण, चतुर्विध भूतग्राम के, (जिन मे सब, लाखों की संख्या मे, अवान्तर योनियाँ अन्तर्गत, विभक्त, राशी-कृत, हैं), मुख्य मुख्य लाक्षणिक ('टिपिकल') रूपों की, नौ-दस महीने मे उद्धरणी कर जाता है। पहिले (पृ० १६५) लिख चुके हैं कि, जन्म के पीछे भी, दो तीन वर्ष मे यह उद्धरणी करता है। उस से भी अधिक सूक्ष्म और सविशेष रीति से, गर्भाशय के भीतर उद्धरणी करता है। कुछ सप्ताहों तक बुद्बुद् कलल के रूप मे, जैसे उद्भिज्ज भ्रूण (embryo) का, फिर मछली के भ्रूण का, फिर सरी-सृप के, फिर पशु के, फिर वानर के, फिर स्वलक्षण नर के भ्रूण का, आकार धारण करता है। यह एक निदर्शन मात्र है, कि कैसे वेदों पुराणो के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, अंशों की व्याख्या, बिना पाश्चात्य विज्ञान की सहायता के, अब ठीक ठीक हो नहीं सकती। इस देश से वह आवश्यक ज्ञान लुप्त हो गया है। एवं पाश्चात्य ज्ञान को भी बद्धमूल और (मनुष्य-घातक, मनुष्य-अपकारक, नहीं) मनुष्य उपकारक, मनुष्य-पालक, होने के लिये, अभी भी यत्-किंचित् उपलभ्यमान्, भारतवर्ष के प्राचीन अध्यात्मज्ञान, की, नितान्त आवश्यकता है। स्यात् इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्तरात्मा, ने, दोनो का, भारतभूमि मे, सम्मेलन किया है। पर मानवप्रकृति के दोष से, यदि एक ओर कुछ लाभ इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत हानि भी होती देख पड़ती है; दोनो जातियाँ, एक दूसरे के दोषों का अधिक,

गुणों का कम, ग्रहण करती हैं । परन्तु,

“यत्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोऽत्र दोषो”

यत्नेऽभवद्, भृशम् इदं तु विचारणीयम्;

निश्चित्य तच्च च्, यतितव्यम् अहो पुनश्च,

यावद् भवेन् न खलु तोषकरी इष्टसिद्धिः ।

ऐसी कहावत है कि, 'यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि नहीं हुई, तो (उस का) क्या दोष?': पर नहीं; कहावत का अर्थ यो लगाना चाहिये कि, 'क्या दोष, यत्न में, हुआ, जिस के कारण सिद्धि नहीं हुई'— इस को विचार कर के, और निश्चय कर के, उस दोष को दूर कर के, पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इष्ट की सिद्धि न हो ।

इस सम्बन्ध में विविध जन्तुओं के भ्रूणों के परिवर्तन की कथा, कथा-सरित्सागर और अलिफलैला से बहुत अधिक मनोहर हैं । कई कीट पतंग ऐसे हैं जो परभृत (कोकिल) से परभृतता में कहीं अधिक बढ़े हुए हैं । एक प्रकार की बिलनी को एक षष्ठ कर्मेन्द्रिय होती है, नालीदार पोली सुई के रूप में, ('ओवी-पोजिटर', ovi-positor), जिस से वह दूसरे, अपने से बड़े, कीट के चर्ममांस में छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना अंडा रख देती है, और अंडा फूटने पर, भ्रूण, आस पास के उसी चर्ममांसदि को खा कर पुष्ट होता है, फिर निकल कर उड़ जाता है । एक चाल की टिड्डी होती है, ('सेवन्टीन-इयर लोकस्ट', seventeen-year locust), जिस के भ्रूण सत्रह वर्ष तक पृथ्वी के बिलों में, गुफाओं में, पड़े रहते हैं, फिर एक दिन अनगिनत करोड़ों की तादाद में निकल कर उड़ने फिरते हैं, और थोड़े ही दिनों में हरियाली का भारी आहार संहार कर के, और नये अंडे दे के, नष्ट हो जाते हैं । एक ऐसा कीट है जिस का भ्रूण, घास पात के साथ, बकरी आदि के पेट में हो कर, उस की आंत में परिपुष्ट होता है, और तब पुरीष के साथ निकल कर अपना स्वतन्त्र अल्पकालिक जीवन बिताता है । एक प्रकार का मेढक दक्षिण अमेरिका में होता है, जो मण्डूकी से निकले भ्रूणों को अपनी पीठ पर, अपने मुख के लसदार रस से, चपका कर, इधर उधर घूमता रहता है,

जब तक वे पुष्ट और स्वतन्त्र हो कर अलग न हो जायें। कोई कीट पतंग ऐसे होते हैं जिन में केवल स्त्रालिंग होता है, और उन्हीं से बच्चे होते हैं ('पार्थेनो-जेनेसिस', partheno-genesis); किन्हीं पशुओं को, यथा कुत्ती, शूकरी, आदि को, छः छः, आठ आठ, स्तन होते हैं, और एक एक प्रसव में इतने इतने बच्चे भाँ होते हैं। इस सब के कारण भी खोजे गये हैं। विविध प्रकार की मञ्जुलियों, दंश, मशक, मच्छिकाओं, के गर्भाशयों और भ्रूणों और जन्म के बाद के रूप-परिवर्तनों की कथा नितान्त रोचक है। आर्ष उपनिषदों तक में 'मधुकर-राजानं उत्पतंतं अनु उत्पतन्ति, निविशंतं अनु निविशन्ति, मधुमच्छिकाः', लिखा है। संभव है कि यह पंक्ति सत्य हो। योगभाष्यकार (व्यास-नामक) ने, इसी मूल की नकल करते हुए, अपने योग-सिद्धि-विषयक प्रमातृत्व, प्रामाणिकत्व, को शंका में डाल दिया है। आर्षाचीन शारीरक-भाष्यकार शंकराचार्य आदि ने भी इसी पंक्ति की यदि नकल की तो क्या आश्चर्य है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, सूक्ष्मेन्द्रक यंत्र ('मैक्रास्कोप', microscope) के अखंड्य बलवत्तम प्रत्यक्ष प्रमाण से, सिद्ध किया है कि, यहाँ 'मधुकर-राजानं' नहीं, 'मधुकर-राज्ञी' कहना चाहिये। दूसरी बड़ी भूल जो सैकड़ों वर्ष की परम्परा से, वेदान्त-विषयक संस्कृत ग्रन्थों में, चला आ रही है, वह 'भृंगी-कीट-न्याय' की है। शंकर आदि ने लिख दिया है कि, जब भृंगी कीड़े को पकड़ कर, मिट्टी के खोंते में रख कर, खोंते का मुँह मिट्टी से बन्द कर देती है, तब वह कीट, भृंगी का ध्यान करते करते तन्मय और तद्रूप हो जाता है, और फिर खोंते को फोड़ कर उड़ जाता है; और, ऐसे ही, जीवात्मा को, भक्ति ध्यान के बल, परमात्मरूप हो जाना चाहिये। यहाँ उपमेय तो शुद्ध है, पर उपमान अशुद्ध है। कीड़ा, भृंगी नहीं बन जाता; बल्कि, भृंगी के अंडे पहिले से उस खोंते में दिये रहते हैं, और अंडों को फोड़ कर, निकल कर, उस के भ्रूण, उस कीड़े के शव को खा कर, पर (पंख) निकाल कर, खोंता तोड़ कर, उड़ जाते हैं। पाश्चात्य ग्रन्थों में ऐसा पढ़ कर, मैं स्वयं इस का प्रत्यक्ष अनुभव किया। एक बड़ी, चमकते हुए हरे रंग की, बिलनी की, एक लम्बा, रँगने वाला, कीड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पड़ी;

उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खोंते तक मैं पहुँचा। जब खोंते में उस कीड़े को ठूस कर बिलनी उड़ गई, तब छुरी से खोंते को, सम्हाल कर, मैं ने काटा, और उस में चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, बिना सूदमेक्षक यंत्र के भी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे। शुद्ध उपमान यह है कि, कुछ प्रकार के कीड़े ('कैटर-पिलर') रेंगते रेंगते, किसी पेड़ के पत्ते पर पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं। आकार परिवर्तन कर के, चांदी ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण के, हो जाते हैं, और, कुछ दिनों के बाद, अंडा फोड़ कर, उस में से तितली के रूप में उड़ जाते हैं। इस को भी मैं ने स्वयं, कई दिनों तक, ताक और अनुसंधान में रह कर, देखा है। अंग्रेजी में इन तीन अवस्थाओं को 'कैटर-पिलर—क्राइसेलिस—बटरफ्लाई', caterpillar chrysalis butterfly, कहते हैं। ऐसे ही तीन रूप-परिवर्तन मच्छड़ के होते हैं, जिन को 'लार्वा—प्यूपा—मास्किटो', larva-pupa-mosquito, कहते हैं। मच्छड़ के अंडे पानी पर दिये जाते हैं, और तेल की फांफो जैसे, भुण्ड में, तैरते रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, और बीमारी फैलाते हैं।

ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी और वैद्यक-सम्बन्धी साहित्य में भरा है। उस के बल से, पुराणों की कितनी ही अद्भुत बातें समझ में आने लगती हैं और श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन पर पहिले बुद्धि नहीं जमती थी। यथा, याज्ञिक चरु के भोजन से गर्भाधान; उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से, आंख से, नाक से, मुँह से, बांह से, जांघ से, माथे से, चैतन्याधिष्ठित अहंतात्मक जीवविष्ट, अपने शरीर के एक खंड का, अपने शरीर से विसर्जन; या (जैसा महाभारत में, उपरिचर-वसु की, और व्यास की माता सत्यवती के मछली के उदर से जन्म की, कथा में) पुरुषवीर्य को, बिना साक्षात् स्त्री से संयोग के, दूर भेज कर गर्भाधान, इत्यादि। पश्चिम में परीक्षा द्वारा सिद्ध किया गया है कि मनुष्यों में भी, और पशुओं में भी, नरवीर्य, कृत्रिम पिचकारी द्वारा, नारीगर्भाशय में पहुँचा देने से भी, गर्भाधान हो जाता है; इत्यादि। रूस देश में, पशुओं की

नस्ल को उत्कृष्ट करने के लिए, यह अंतिम प्रकार अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं के वीर्य, दूर दूर तक, उत्तम नारी-पशुओं के लिये भेजे जाते हैं ।

सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकांड-तांडव, स्वच्छन्द-नृत्य, को, विनय, भक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, और स्त्री-पुं-संयोग, तथा गर्भाधान, गर्भरक्षा, आदि को, केवल कामदृष्टि से नहीं, अपि तु धर्मदृष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, ज्ञान को प्रजा में बढ़ाने फैलाने का प्रयोजन है । यों तो, विधेयैः क्रीडन्थो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः; अनन्त प्रकार की लीला क्रीड़ा के लिये, असंख्य प्रकार के उपकरणों, साधनों, विधेयों की निरन्तर नित्य नई रचना करने वाली, सर्वप्रभु परमात्मा की शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब किस को संभव है ?

(च) पारदारिक, और (छ) वैशिक—

“रोगो, रोगहेतुः, रोगहानं, रोगहानोपायः, इति चतुर्व्यूहं चिकित्सा-शास्त्रं;” रोग, रोग का हेतु, रोग से मुक्ति, रोग से छूटने का उपाय— चिकित्सा शास्त्र के ये चार अङ्ग हैं; इन चारों का सविशेष सविस्तर ज्ञान तो चिकित्सक वैद्य आयुर्वेदाचार्य को होना आवश्यक है; पर सभी स्व-स्थ जनों को, अपने को और अपने आश्रितों को रोगों से बचाने के लिये, इन चार का सामान्य ज्ञान होना उपयुक्त है । एवं, यामिकों (पुलिस), सैनिकों, को, शस्त्र-अस्त्र चालन की तरकीबों का, और बदमाशों, चोरों, लुटेरों, दस्युओं, विविध प्रकार के पापियों और अपराधियों की चालों का, विशेष ज्ञान आवश्यक है; पर सभी साधु (‘साह’) गृहस्थों को, अपने और आश्रितों के जान माल की रक्षा करने के लिये, उन तरकीबों और चालों का सामान्य ज्ञान उपयुक्त है । ऐसे ही, सद्गृहस्थों को, अपने दारा-अपत्यों की रक्षा के लिये, दुराचारी, व्यभिचारी, समाजध्वंसकारी पारदारिकों और वेश्या-विटों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान अपेक्षित है । इस विषय के ज्ञान का भी, पाश्चात्यों ने, नयी खोज से, ‘सैकालोजी आफ़ सेक्स’, ‘हिस्टरी आफ़ प्रास्टिट्यूशन’, ‘सैकोपेथिया सेक्सुएलिस’, ‘पैथालोजी आफ़

सेक्स', 'लाइफ आफ अवर टाइम',^१ आदि नाम के, महाभारत सदृश बृहदाकार, अथवा उस से भा बड़े, बहुतेरे ग्रंथों मे महासग्रह किया है। वात्स्यायन ने जो इस विषय मे लिखा है उस की चर्चा आगे की जायगी।

यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि, पारदारिक, पारपुरुषिक, व्यभिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियो की ही निन्दा करने की अति क्षुद्र, अति दुष्ट, अति अनार्य, प्रथा, इस देश मे प्रचलित है, तथा पश्चिम के देशों मे भी कुछ काल पहिले तक थी। इस का हेतु केवल इतना हो है, कि प्रायः पुरुषों के हाथ मे लेखनी रही है, और वे पुरुष, इस विषय मे, प्रायः क्षुद्र-बुद्धि रहे। प्रत्यक्षसिद्ध है कि अकेले स्त्री व्यभिचार नहीं कर सकती; जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एक स्त्री और एक पुरुष, दो मिल कर, व्यभिचार करेंगे। भष्म के उदार वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध मे, अन्यत्र की जा चुकी है।

एवं स्त्री नऽपराध्नोति, नर एवऽपराध्यति ।

व्युच्चरंश्च महादोषं, नर एवऽपराध्यति;

नऽपराधोऽस्ति नारीणां, नर एवऽपराध्यति;

सर्वकायेऽपराध्यत्वात्, नऽपराध्यति चाऽङ्गना ।

(शांति पर्व, अ० २७२)

‘पुरुष ही अपराध करता है, स्त्री नहीं; पुरुष ही घोर महा दुष्ट व्यभिचार करता है; स्त्रियों तो सदा अपराध्य हैं, अपराधक नहीं; उन के ऊपर पुरुष अपराध करते हैं; पुरुष हा अपराधक हैं ।’

शारीरक-भाष्य के कर्त्ता शङ्कराचार्य ने, अपनी माता को भूल कर, (‘मोहमुद्गर’ नाम की) ‘प्रश्नोत्तरी’ मे लिख दिया, “द्वारं कि एकं नरकस्य ? नारी !” ; इस का अर्थ क्या लगाया जाय, कि उन की माता ने, उन के ऐसे ‘क्षुद्रः नरः नर-कः’ को जन्म दिया ? भागवत के स्कं० ३,

1—Psychology of Sex; History of Prostitution; Psychopathia Sexualis; Pathology of Sex; Life of Our Time; etc.

अ० ३१ मे, अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए, कपिल महर्षि ने, दोनो पक्ष निष्पक्षता से कहे हैं; नर के लिये नारी, तो नारी के लिये नर, तुल्य रूप से, परमात्मकृत माया के बन्धन हैं;

यां मन्यते पतिं मोहात् मन्मायां ऋषभायतीं,
स्त्रीध्वं स्त्रीसंगतः प्राप्तो, वित्तऽपत्यगृहप्रदां,
तां आत्मनो विजानीयात्, पति अपत्य-गृहाऽत्मकं,
दैवोपसादितं मृत्युं, मृगयोः गायनं यथा ।

‘स्त्री का ध्यान करते करते, स्त्रीत्व को प्राप्त(जीव),पति का रूप धरे हुए मेरी माया को, घर-धन-संतान देने वाला सुखदायक पति समझती है; यह नहीं समझती कि यह तो मेरी मृत्यु का, महा दुःख का, कारण है, जैसे व्याध, बहेलिया, मधुर संगीत से हरिण को लुभा कर, मार डालता है’ । उक्त ‘प्रश्नोत्तरी’ मे यह पंक्ति बढ़ा देनी चाहिये,

द्वारं द्वितीयं खलु तस्य ना, वै ।

(‘नृ’ शब्द का, प्रथमा मे, एक वचन ‘ना’ होता है, जिसका अर्थ ‘नरः’ है) । इस ‘प्रश्नोत्तरी’ मे बहुत सो बातें अच्छी-अच्छी भी लिखी हैं; पर स्त्री के सम्बन्ध मे कई बार ऐकगान्तिक अनुचित शब्द आये हैं, यथा—
“संमोहति एव सुरा इव का ? स्त्री”; “किमत्र हेयं ? कनकं च, कान्ता”;
“विज्ञात् महाविज्ञतमोऽस्ति को वा ? नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः”;
“ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वैः ? योषिन्मनो, यत् चरितं तदीयं”;
“विश्वासपात्रं न किमस्ति ? नारी”; “त्याज्यं सुखं कि ? स्त्रियमेव सम्यक्”;
“किं तद् विषं भाति सुधौपमं ? स्त्री”; इत्यादि । पर एक बार, यह सब लिखते-लिखते, शंकर को अपनी माता की याद आ ही गई; तब यह भी लिख दिया—“माता इव का या सुखदा ? सुविद्या ।” वराह मिहिर ने, ‘बृहत्संहिता’ के ‘स्त्री प्रशंसा’ नामक ७४ वें अध्याय मे लिखा है,

येऽपि अंगनानां प्रवदंति दोषान्, वैराग्यभागैश्च, गुणान् विहाय,
ते दुर्जनाः, मे मनसो वितर्कः; सद्भाववाक्यानि न तानि तेषां ।
प्रत्र त सत्यं, कतरोऽङ्गनानां दोषोऽस्ति यो नऽाचरितो मनुष्यैः ?
धाष्ट्यैश्च पुंभिः प्रमदाः निरस्ताः; गुणाधिकाः ताः; मनुनाऽत्र च उक्त्वा,

सोमस्तासां अदात् शौचं, गंधर्वाः शिचितां गिरं,
 अग्निश्च सर्वभक्षित्वं, तस्मान्निष्क समाः (निःकल्मषाः)स्त्रियः;
 ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः, गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः,
 अजऽश्वाः मुखतो मेध्याः, स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः;
 स्त्रियः पवित्रं अतुलं, नैताः दुष्यन्ति कर्हिचित्,
 मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकर्षति;
 जामयो यानि गेहानि शपन्ति अप्रतिपूजिताः,
 तानि, कृत्या-हतानि इव, विनश्यति समन्ततः ।^१

‘जो पुरुष, वैराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणों को भूल, दोष ही दोष बताते हैं, वे दुर्जन हैं; स्त्रियों का कौन सा दोष है जो पुरुषों में नहीं है ? यह तो पुरुषों की डिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं;

१—माधवकृत ‘शंकर-दिग्-विजय’ नाम के ग्रन्थ में, शङ्कर और मंडन मिश्र के ‘शास्त्रार्थ’, वा ‘विवाद’, का वर्णन किया है। अभद्र शब्दों में एक दूसरे को गालियां दी। तौ भी, मंडन की ही बातें अधिक जंचती हैं; मनु के अनुसार हैं। शंकर की उक्तियां बहुत कच्ची हैं, मनु के चातुराश्रव्य धर्म के सर्वथा विरुद्ध हैं। और जो आचरण शङ्कर ने स्वयं किया; मंडन मिश्र की भार्या शारदा से सत्रह दिन ‘शास्त्रार्थ’, विवाद, जल्प, वितंडा किया; उस के बाद, अमरु राजा के काय में प्रवेश कर के उन की रानियों के साथ मैथुन किया; पीछे, ‘मंत्रों से बांधकर’, शारदा को ले जा कर, शारदा-मठ में ‘स्थापित’ किया; (इन कथाओं का जो भी अर्थ लगाया जाय, उन के भक्त अनुयायियों ने तो इस को भी योग-विभूति योग-सिद्धि का ही रूप दे दिया है !); इस सब से, शंकर की उक्तियों की स्वतो-व्याहतता, तथा ‘मनसि अन्यद्, वचसि अन्यत्, कर्मणि अन्यत्’, का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कश्मीर के शारदापीठ में, शङ्कर ने, ‘सरस्वती देवी’ के अभियोग पर, कि ‘तुम दुराचारी व्यभिचारी हो’, जो उचार दिया, वह भी उन वाक्यों के सर्वथा विपरीत है जो उन्होंने मंडन मिश्र से कहा। मंडन के आगे शंकर ने जब स्त्रियों की और गार्हस्थ्य की निन्दा की, तब मंडन ने कहा,

हर तरह से स्त्रियां पुरुषों से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कहा है, “चंद्रमा ने स्त्रियों को शुचिता दी, गंधवों ने मीठी बोली, अग्नि ने सब पदार्थों को

स्थितोऽसि योषितां गर्भे, ताभिरेव विवर्धितः;

अहो ! कृतघ्नता, मूर्ख !, कथं ताः एव निन्दसि ।

‘स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, स्त्रियों ने तुम को पाला पोसा है, उन्हीं की निन्दा करते हो ! कैसी मूर्खता, कैसी कृतघ्नता है !’ यही बात, बहुत पहिले, वराह मिहिर ने कही थी । शङ्कर ने जो अभद्र, अश्लील, ‘वितंडा-निग्रहस्थान-छल-जाति-हेत्वाभास’ आदि से पूर्ण उत्तर दिया, उस को भी, माधव का ही लिखा हुआ, देखिये—

यासां स्तन्यं त्वया पीतं, यासां जातोऽसि योनितः,

तासु, मूर्खतम ! स्त्रीषु पशुवद् रमसे कथं ?

यह भी कोई उत्तर हुआ ? मंडन ने शङ्कर से यह नहीं कहा था कि ‘तुम अपनी माता से ही विवाह कर लो !’ । मंडन से जो उत्तर, माधव ने, दिल-वाया है, वह दृढ़ नहीं है; कैसे होता ? माधव तो शङ्कर के भक्त थे । स्यात् ठीक होता यदि यह उत्तर दिया जाता,

न अहं वदामि यद्, विद्वन् !; उद्वह स्वां तु मातरं;

भार्यायाश्च, जनन्याश्च, विवेकं कर्तुं अर्हसि ।

अन्यथाऽऽलिंग्यते कांता, अन्यथाऽऽश्लिष्यते सुता ।

न अरंश्यत भवन्मात्रा सार्धं यदि भवत्पिता,

न उदपत्स्यत वै, जातु, भवान् एवं कुशाग्रधीः !

‘पत्नी के साथ पति के वेद-विहित रमण की भी निन्दा करते हो, तो ज़रा विचारिये, यदि आप के पिता ने आप की माता के साथ रमण न किया होता, तो आप ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष कैसे पैदा होते !’ शङ्कर ने अच्छे भी ग्रन्थ लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कापालिक, वज्रयानिक, वाम-तांत्रिक, आदिकों का दमन करा के, ‘जीविका-कर्मणा वर्णाः’ के अनु-सार, वर्णाश्रम व्यवस्था का, भ्रष्ट अवस्था से, जीर्णोद्धार भी किया; यह सब कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्ध-भक्त लोग, श्रद्धा-जड़ हो कर, अपने ‘दृष्ट देव’ के दोषों को भी गुण कहने लगते हैं, तब उन को रोकना

शुद्ध करने की शक्ति; इस लिए स्त्रिया (निष्क के) सोने के ऐसी निष्कल्मष हैं। सच्चे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेधावर्धक) होते हैं, (प्रणाम से प्रसन्न होकर, द्विज, उत्तम सद्जान देते हैं); गाय का पिछला भाग (दूध देने से) मेध्य है; बकरे और घोड़े का मुख भाग शुद्ध है; सती स्त्री सर्वांग मेध्य हैं। स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो (चंद्रमा के प्रभाव से) प्रति मास के आर्तव से वह धुल जाता है; जिस घर को पीडित स्त्रिया शाप देती हैं, वह मानो बिजलो का मारा, तुरन्त नष्ट हो जाता है। (इन चार अनुष्टुप् श्लोको मे से अन्तिम तो प्रचलित मनुस्मृति मे मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति मे रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; अत्रि स्मृति मे, कुछ पाठ भेद से, अब भी मिलते हैं)। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत लिखते हैं,

जाया वा, जनयित्री वा, सभवः स्त्रीकृतो नृणां;
हे कृतधनाः !, तयोर्निंदां कुर्वतां वः कुतः सुखं ?
दम्पत्योः व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः;
नराः न तं श्रवेच्छन्ते; तेन अत्र वरं अगनाः;
अहो धाष्टर्यं असाधूनां, निन्दतां अनघाः स्त्रियः,
मुष्यतां इव चौराणां, 'तिष्ठ चौर' इति जल्पतां ।

‘पत्नी रूप से, माता रूप से, स्त्री से हो पुरुषों का जन्म होता है; स्त्री की निन्दा जो पुरुष करते हैं, उन को कही सुख नहीं मिल सकता। सत् शास्त्र से सिद्ध है, और प्रत्यक्ष है, कि वभिचार मे स्त्री और पुरुष, दोनों आवश्यक होता है; अन्यथा, यशस्वी आदमी के दोष दिखाने मे, किसी भले आदमी को सुख नहीं हो सकता।

सभा वा न प्रवेष्टव्या, वक्रव्यं वा समंजसं;

अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी। (मनु)

‘सभा मे जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप रह जाय, वा जान-बूझ कर अनुचित उत्तर दे, तो वह किल्बिषी होता है।’ अन्धश्रद्धा फैलाने देने से जनता की दबी हानि है।

ही तुल्य रूप से दोषी होते हैं; पुरुष अपना दोष तो देखते नहीं; स्त्रियों को हाँ दोष लगाते हैं; अहो धृष्टता इन की ! जैसे चोरी कर के भागता हुआ चोर पुकारता है, 'पकड़ो चोर !, भागा चोर !' ।

मनुजी ने, ऊँचे-उदात्त शब्दों से, सती स्त्रियों की प्रशंसा की है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः,
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः ।
पितृभिर्भ्रातृभिश्च एताः पतिभिर्देवैस्तथा,
पूज्याः भूषयितव्याश्च, बहु कल्याणं ह्यप्सुभिः ।
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाऽर्हाः गृहदीप्तयः;
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।
संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च,
यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवं ।

‘जहाँ नारियों का आदर है, जहाँ देवता रमते हैं; जहाँ नहीं, वहाँ सब क्रिया, सब यत्न, सुख के लिये, निष्फल होते हैं। पिता, भाई, पति, देवर, सब को इन की पूजा करना चाहिये, भूषण आच्छादन देना चाहिये; तभी सब कल्याण उन को मिलेंगे। गृह की दीप्ति, प्रकाश, रौशनी, चमक, शोभा, स्त्रियों से ही है; स्त्री में और श्री में कोई भेद नहीं; प्रजा का पैदा होना और पलना, सब तीनों ऋणों का शोधन, सब सुख, इन्हीं से है; जिस कुल में भार्या-भर्ता परस्पर संतुष्ट हैं, वहाँ ही स्वर्ग है।’

देवख स्मृति, अत्रि संहिता, अत्रि स्मृति, बृहस्पति, वसिष्ठ, बौधायन, पराशर (माधव) आदि स्मृतियों में, बलात्कार से दूषित स्त्रियों की शुद्धि के लिये, सरल प्रायश्चित्त लिखे हैं।

संस्कृत भाषा, इस अंश में, अब्र अ-संस्कृत ही है, कि उस में ‘कुलटा’ और ‘पुंश्चली’ ऐसे शब्द हैं, और ‘कुलटः’ और ‘स्त्रीचलः’ नहीं हैं; होने चाहिये। १६१५ ई० में, मैं वृन्दावन गया था; एक विशेष सम्प्रदाय वाले वृद्धप्राय कृष्णभक्त ‘गोशार्ई’ जी ने, राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा उठाई; मैं ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति-ग्रन्थों के चूड़ामणि-भूत ग्रन्थरत्न श्रीमद्विष्णु भागवत में नहीं आता है, राधा-

कृष्ण का जप गान क्यों होता है ? रक्मिणी ने क्या पाप किया है जो रक्मिणी-कृष्ण का ध्यान मान नहीं होता ? उन्होंने ने कहा कि, प्रेम की परा काष्ठा जैसी पर-पुरुष से होती है वैसी स्वकीय से नहीं; मैं ने पूछा, तो फिर रक्मिणी के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं करते हो ? इस पर वे सज्जन, कानो पर हाथ रख कर, 'हरे' हरे' कहते हुए, चले गये । मद्रास प्रान्त मे तो प्रायः विष्णु की, वा लक्ष्मी-नारायण, की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और रक्मिणी की पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष पर-स्त्री आदि भाव, अधार्मिक और निन्द्य हैं । क्यों ऐसे अधार्मिक सम्बन्ध से प्रेम की 'परा काष्ठा' का आभास जान पड़ता है, क्यों वह मिथ्या और दोष-युक्त है, यह अन्यत्र ('दि सायंस आफ् दि इमोशन्स' The Science of the Emotions मे) कहा गया है । इसी यात्रा मे, एक अन्य 'गोस्वामी' जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान् थे; मैं ने उन से भी वही प्रश्न किया । शुक ने, राजा परीक्षित को जो उत्तर दिया था, वही उन्होंने ने मुझ को सुनाया,

ईश्वराणां वचः सत्यं, तथैव आचरितं क्वचित् ;

तेजीयसां न दोषाय, बह्नेः सर्वभुजो यथा ।

तुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है,

समरथ को नहीं दोस, गुसाईं !,

रवि पावक सुर सरि की नाईं ।

'बड़े तेज वाले ईश्वर लोगों की आज्ञा, उपदेश, आदेश, सच्चा होता है, मानने योग्य होता है; उन का सब आचरण अनुकरणीय नहीं होता ।'

मैं ने गोस्वामी जी से कहा था कि, परीक्षित ने शंका की, कि रास-लीला मे कृष्ण ने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया, सो यह तो पाप किया; धर्म के संस्थापन के लिए अवतार लिया और स्वयं अधर्म किया,

स कथं धर्मसेतूनां कर्ता, गोसा, अभिरक्षिता,

जुगुप्सितं वै कृतवान्, परदाराभिमर्शनं ?

परीक्षित ने निश्चयेन इस सब रासलीला आदि को अधर्म माना; और शुक ने जो उत्तर दिया, उस से स्वयं शुक को ही संतोष नहीं था, यह स्पष्ट जान पड़ता है; परीक्षित को कैसे होता ? ठीक उत्तर इस का पद्मपुराण मे विष्णु के मुख से ही कहलाया है,

ईश्वरैः अपि भोक्त्रव्य कृतं कर्म शुभाशुभं ;

(आभीराः मत्स्त्रियो जह्नुः, यथाऽआभीरीः अदूषयं ;

शापाः अपि अवतारेषु प्रायशः सति कारण) ।

ईश्वरों को भी अपने शुभ-अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उन की सोलह हजार स्त्रियों को आभीर उठा ले गये; इत्यादि । गोस्वामी जी यह सब सुन कर अप्रसन्न हुए, पर विचारने भी लगे । याद रखने की बात है, कि अवतारों का, अन्य कारणों के साथ साथ, एक कारण शाप भी अक्सर होता है । इसी यात्रा मे, एक वृद्ध चौबे जी ने, मुझे बहुत रोचक और शिक्षाप्रद इतिवृत्त सुनाया । अग्नेजा अमलदारी जमने के पहिले, आगरा, मथुरा, वृन्दावन आदि प्रान्त मे, भरतपुर के जाट राजा का अधिकार रहा; राजा के पास शिकायत गई, कि वृन्दावन के एक ‘गोस्वामी’ जी चीरहरण लीला के बहुत शौकीन हैं, और भक्तों की बहू बेटियों को भ्रष्ट करते हैं । राजा स्वयं वृन्दावन आये; गोस्वामी जी को बुलाया; पूछा; उत्तर मिला ‘हम तो कृष्ण-स्वरूप हैं; हम को इस का अधिकार है’ । ‘तो फिर गोवर्धन लीला भी कीजिये’ । आनाकानी करने लगे, ‘इस समय आवश्यक अन्य कार्य है, फिर आऊँगा’ । सिपाहियों को आज्ञा हुई, ‘इन से गोवर्धन लीला अभी कराओ ।’ एक लकड़ी से बाँध कर, हाथ उठवा कर, गोस्वामी जी खड़े कर दिये गये, और पचीस मन की चट्टान उन के ऊपर चढ़ाई गई । इहलोक की सब लीला यहीं विस्तार कर गोस्वामी जी परलोक चले गये । बहुत वर्षों तक उस प्रान्त मे चीरहरण लीला बंद रही ।

वेश्याओं के विषय मे भी ऐसी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रसृत है; वेश्या ही को गाली दी जाती है । वेश्या की निन्दा करना तो ठीक ही है, पर विदों की निन्दा भी, और उस से अधिक, करनी चाहिये । पुरुष यदि

वेश्याओं की खोज न करें, तो महाकुत्सित समाजभयकारी यह रोज़गार पैदा ही क्यों हो ? यदि यह ठीक है कि,

वेश्या नाम महावह्निः, रूप-इन्धन-समऽचिता,
कामिभिर् यत्र दूयन्ते, यौवनानि धनानि च;

तो यह और भी ठीक है कि,

विटाः नाम वकाः घोराः, ये बालाः हरिणीर् इव,
दन्तैर्विदार्य रुदतीर्, भक्षयन्ति सहस्रशः ।

भर्तृहरि ने दोनो का समुच्चय किया है,

कः सुम्बति कुलपुरुषः वेश्याऽघरपत्नवं, मनोज्ञम् अपि,
चार-भट-चौर-चेटक-नट-विट-निष्ठीवन-शरावम् ?

‘रूप के ईंधन से घघकती ज्वाला का नाम वेश्या है; कामुक अपना धन और यौवन उस में स्वाहा करते हैं । विट हुँडार भेड़िये हैं, जो हरनी के ऐसी बालाओं को फाड़ कर खा जाते हैं । गोइन्द्रे, चोर, सिपाही, खिदमतगार, नट, विट आदि की पीकदानी के ऐसे, वेश्या के मुख को, कौन भला आदमी चूम सकता है ?’ जो पुरुष स्वयं दुष्ट भ्रष्ट हैं, वे ही इन के पास जाते हैं । संचारी रोगों का भय ऊपर से ।

कैसे कैसे व्याघ्र-निष्ठुर उपायों से फुसला कर, बहँका कर, लुभा कर, झूठे इशितहारों विज्ञापनो द्वारा, नौकरी की आशा झूठी दिला कर, अबोध लड़कियाँ फँसाई जाती हैं; और तन-मन नष्ट कर के ‘चकलों’ की वेश्या वृत्ति की दहकती आग में भोंक दी जाती हैं; इस का रोमाञ्चकारी, दृक्कम्पकारी, वृत्तान्त, पश्चिम तथा पूर्व देशों के ‘ह्वाइट स्लेव ट्राफिक’, White Slave Traffic, के ग्रन्थों से, तथा विविध गवर्मेन्टों, और ‘लीग ऑफ़ नेशन्स’, League of Nations, की रिपोर्टों से जान पड़ता है । बम्बई के एक ऐसे ‘चकले’ की यमयातनाओं का हाल, लिखा जा चुका है (पृ० २३२-२३४) । जो हिंस्र पशु, दूसरे जीवों को मार कर खा जाते हैं, वे इन ‘चकला’ चलाने वालों के मुकाबिले दया की मूर्ति हैं । इस का वर्णन भी कामशास्त्र के सर्वाङ्ग ग्रन्थ में होना चाहिये; जिससे सदगृहस्थ को ऐसे कर्मों से भारी घृणा हो, और वह सावधान रहे

कि स्यात् उस के नगर में भी कोई ऐसा भयङ्कर कारखाना चल रहा हो। हे भाई ! जो वेश्याओं की ओर मन उठाते हो ! जरा इस को जानो कि वेश्या कैसे बनती हैं; और फिर इस तस्वीर को अपनी भीतरी आँखों के सामने लाओ, कि आप ही की बहिन-बेटी को कोई मनुष्य-रूपी अजगर, अपने फंदों में लपेट कर, निगल जाने का यत्न कर रहा है।

स्वर्ग और नरक के बीच का पर्दा बहुत ही पतला है; प्रायः जितना ही बड़ा नगर होता है, उतने ही अधिक, ऐसे घोर, दारुण, 'भैरवी-चक्र' (चक्रले) वहाँ होते हैं। कोमल हृदय में शूल गाड़ने वाले, इस सच्चे जीते दारुण करुणाजनक नाटक की ओर, जिस ने एक बार ध्यान किया, करुणा रस के नाटक आदि की बनावटी कल्पना देखने की इच्छा उस की मर जाती है; 'मन-ब्रह्माव' के लिए इन को देखना, यह उस की समझ से बाहर हो जाता है। अन्य रसों के नाटक चाहे ठीक हों, पर करुण रस का 'नाटक' करना, यह तो जगन्माता जगन्नाता करुणा देवी को बनावटी नटी और वेश्या बना डालना है। करुणा-शक्ति को सदा सच्चे दुःख के, सचमुच दूर करने में, लगाना चाहिये; झूठे दृश्य देख कर 'करुणा' का 'स्वाद' लेना, और उस 'रसास्वादन' पर साहित्यिक नाज़-नखरे करना, यह चित्त का घोर दूषण, तामसीकरण, मल से लेपन है।

पुराणों में रूपक है, कि ब्रह्मदेव को एक समय क्रोध हुआ, और उन की आँखों से क्रोधाश्रु और शरीर से क्रोधस्वेद निकला, और ये अश्रु के और स्वेद के बिन्दु, एक एक, महा व्याधि हो गये; अब पाश्चात्य विज्ञान ने प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, कि क्रोध, शोक, ईर्ष्या आदि दुष्ट पीड़ाकर भावों से, विविध प्रकार के रोगकारी 'विष', 'टॉक्सिन्स', toxins, शरीर में पैदा हो जाते हैं। व्याभिचारिक-काम-सम्बन्धी त्रिविध दुष्ट त्तोमों से अवश्य यही होता है; यहाँ तक कि बिना संक्रमण के भी, स्वतः, व्यभिचार से पूर्व नीरोग भी, स्त्री-पुरुष के शरीरों में, 'सिफिलिस', 'गोना-रिया', गर्मी, सूजाक, आदि के विष-कीट उत्पन्न हो जाते हैं। पुराणों में कथा है, अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सहस्र त्रण हो गये; इस रूपक से यह बात सूचित की गई है। इस लिए सब चतुर्वर्ण, चतुरा-

श्रम, के अन्तर्गत सभी स्त्री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि प्रजापति भगवान् मनु ने यह चेतावनी दी है,

नहि ईदृश अनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते,

यादृश पुरुषस्य इह परदारोपसेवनम् । (मनु)

पारदारिक या पारपुरुषिक या वैशिक (वेश्या सम्बन्धी) व्यभिचार, जैसा प्राण-क्षय-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वैसा अन्य कोई कार्य नहीं । (वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी बना कर, जो जीविका कमावै वह वेश्या) ।

मृगया, अन्नः, दिवा स्वप्नः, परिवादः, स्त्रियः, मदः,

तौर्यत्रिकम्, वृथाऽट्वा च, कामजो दशको गणः ।

पैशुन्यं, साहसं, द्रोहः; ईर्ष्या, असूया, अर्थदूषणं,

वाग्-दंड-जं च पारुष्यं, क्रोधजोऽपि गुणोऽष्टकः ।

द्वयोरु अपि एतयोः मूलं, यं सर्वे कवयो विदुः,

त यत्नेन जयेत् लोभं; तज्जौ एतौ उभौ गणौ ।

(मनु, ७-४७, ४८, ४९)

‘अति ‘काम’ से दस दोष उत्पन्न होते हैं, मृगया, द्यूत, दिन में भी सोना, दूसरों का परिवाद (मिथ्या भी बुराई करना), व्यभिचार, मद्य, नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना । दूसरों के मर्म का उद्घाटन, साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरों के गुणों की बात न सहना), असूया (दूसरों के गुणों में भी दोष दिखाना), दूसरों के धन का अपहरण, वाक्-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उत्पन्न होते हैं । अर्ष कवियों ने, अति लोभ को इन दोनों का मूल बताया है, विशेष कर राजा और शासनाधिकारी के लिये; जो लोभ को जाँतैगा, वह प्रायः इन दोनों को भी जाँतैगा’ । यह मनु ने, विशेष कर राज-धर्म की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण में कहा; सामान्य धर्म की दृष्टि से, काम-सामान्य ही सब विकारों का मूल है । आज-काल, ‘सिनेमा’ और ‘थियेटर’, व्यभिचार के शिक्का-गृह हो रहे हैं । अति ‘काम’ से, ‘काम’ का निग्रह न कर सकने से, मरण हो जाता है; वास्त्यायन ने कामसूत्र में लिखा है,

दश तु कामस्थानानि । चतुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकल्पोत्पतिः, निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लज्जाप्रणाशः, उन्मादः, मूर्छा, मरणं, इति तेषां लिंगानि (पारदारिक अधिकरण. अ० १) ।

‘काम के दस स्थान (दर्जे, काष्ठा) हैं; आँख मिलना, मन लगना, संकल्प (निश्चित इच्छा) होना, निद्रा-भंग, शरीर सुखना, अन्य किसी व्यवहार में मन न लगना, लज्जा का नाश, उन्माद, मूर्छा, मरण ।’

पारदारिक व्यभिचार के सम्बन्ध में यह चेतावनी विशेष लागू है, पर सब ही अनियंत्रित ‘काम’ इस के धेरे के भीतर आता है ।

इतना लिख कर, कामशास्त्र के ज्ञानांग की रूप रेखा के उत्कीर्ण को समाप्त करता हूँ ।

अत्र रसाङ्ग का उल्लेख किया जाता है ।

रसाङ्ग

२—रसाङ्ग में,

(क) वधू-वर के परस्पर आश्वासन विश्वासन, अनुरंजन, प्रणय-वर्धन, अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों और प्रकारों का वर्णन होना चाहिये । इस विषय में भारतवर्ष को, पाश्चात्य ज्ञान से, कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है । स्यात् पश्चिम को ही पूर्व से कुछ मिल सकता है । एकचारिणी पतिव्रता पत्नी की चर्या का जो कुछ वर्णन कामसूत्र में किया है, वह सब उत्तम और प्रायः निर्दोष है । उस के सदृश, और उसी मात्रा में, एकचारी पत्नी-व्रत पति की चर्या का वर्णन नहीं है; होना चाहिये । बहुभार्यक गृहस्थों के विषय में जो कामसूत्र में लिखा है वह, सात्त्विक दृष्टि से, निन्दनीय ही है; और क्या, एक प्रकार का व्यभिचार ही है । बहुविवाह के दोष पहिले कहे जा चुके हैं । आदि काव्य रामायण में ही ये दोष चित्रित हैं; दशरथ के बहुविवाह के दोषों से ही राम जी को आपत्तियाँ भेलनी पड़ीं; उन का अनुभव कर के ही राम जी ने एकपत्नीव्रत का धारण किया । इन के दोषों के सम्बन्ध में यहाँ अधिक लिखने का प्रयोजन नहीं ।

मैथुन के अष्टाङ्ग, पृ० २६३ पर सूचित किये; स्मरण, कीर्तन, केलि,

प्रेक्षण, छिगी बातचीत, सङ्कल्प, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के आठ अवातर अङ्ग, काम-सूत्र में कहे हैं—“आलिंगन-सुम्बन-नखच्छेद्य-दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-औपरिष्टकानां अष्टानां अष्टधा विकल्प-भेदाद् अष्टौ अष्टकाः चतुःषष्टिः इति बाभ्रवायाः;” (२-२-५); इन आठ में भी एक एक के आठ आठ भेद कर के, काम शास्त्र की एक और विशेष चौ-सट्टो होती है, जो पहिले कही चतुःषष्टि कला वा विद्या से भिन्न है। इन में अधिकांश राजस-तामस अनार्य हैं; उन का और न जाना ही अच्छा है। उदाहरणार्थ, ‘सीत्कृत’ में अंतर्गत ‘प्रहरण’ के सब प्रकार महा बाभ्रव हैं; तथा, नखकर्म, दन्तकर्म, औपरिष्टक, मुख-मैथुन, प्रायः सभी; ‘संवेशन’ के अंतर्गत चित्ररत में पशुओं की ‘लीलात्रां’ और चेष्टाओं और आसनो का अनुकरण (-वृष, कुक्कुर, हरिण, मेढा, बकरा, गर्दभ, बिडाल, व्याघ्र, हस्ती, शूकर, घोटक, इत्यादि का उदाहरण, काम-सूत्र में दिया है; यूथशः मैथुन भां कहा है—) महा घृणाऽऽस्पद है; ऐसे मैथुन से जो सन्तान होगी, वह भी प्रायः तत्तत् पशुवत् होगी। घोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन ग्रन्थकारों में गिना है, स्यात् अपने पिता माता की ‘घोटक लीला’ के मैथुन से ही जन्मे होंगे। वात्स्यायन के बड़े दोषों में एक प्रधान दोष यह है, कि ऐसी बीभत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिङ् के शब्दों का प्रयोग किया है, यथा, “यत्र-यत्र योगोऽपूर्वः तत् तद् उपलक्षयेत्,” “रज्येयुः,” “अनुतिष्ठेयुः,” “अपूर्व योगो का अनुभव करें,” “परस्पर रंजन करें,” -इन प्रकारों का अनुष्ठान करें; इति प्रभृति। अ-योनि मैथुन (गुदा-मैथुन, मुख-मैथुन), वि-योनि मैथुन (पशुओं के साथ मैथुन), तृतीया-प्रकृति-मैथुन, यूथ-मैथुन, आदि की जो चर्चा वात्स्यायन ने की है, उस के सम्बन्ध में भी यहाँ घोर अपराध किया है; चाहिये था कि इन का तीव्र निन्दायुक्त वर्जन करते, पाठकों को मना करते, कि इन घृण्य क्रियाओं को मत करना; अन्यथा, मूत्रपान और विष्टाभोजन भी ‘अपूर्व योगों’ के अनुभव के लिये करने की सलाह देते; जैसा ‘अवोरी पंथ’ के महापति जीव करते ही हैं। जैसे मैथुन के अष्टाङ्ग के सर्वथा विपरीत, प्रकार में भी और फल में

भी, योग के आठ अङ्ग हैं; वैसे ही, योग के 'आसन' नामक अङ्ग के अर्थात्तर भेद, ८४, जिन में अधिकांश पशुओं के अनुकरण हैं, प्रकार और फल में विपरीत और भिन्न हैं; मैथुन के आसनो में दो की, स्त्रा और पुरुष का आवश्यकता है; योग के आसनो में, एकाकिता की; एक का फल है पशुभाव का पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों की तुष्टि । मैथुन के अष्टांग और योग के अष्टांग के नीचे में, नवधा भक्ति के, नवांग, नौ अंग पड़ते हैं; श्रद्धा, कीर्ति, (बिन्द्योः) स्मरण, पाद-सेवनम्, अर्चनं, वंदनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदन ।

श्रवण को स्मरण के अंतर्गत समझें तो भक्ति भी अष्टाङ्ग हो जाती है; ऐसी ही सात्त्विक भक्ति (प्रीति, अनुगम, प्रियता, हार्द) का अशा, सात्त्विक पति-पत्नी की मिथुनता में, जोड़े में, अधिक होना चाहिये ।

अष्टांग मैथुन के सम्बन्ध में, कामसूत्र में भी, अष्टम अंग के कुछ अर्थात्तर भेदों के विषय में कहा है, कि यह अनार्थ हैं; विगीत निन्दित हैं; प्रमाणिक ग्रन्थ में इस विषय पर कुछ विस्तार होना चाहिये; यह बताना चाहिये कि ये-ये प्रयोग सात्त्विक हैं, ये राजस, ये तामस ।

कामचेशा मनी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि से;

तमसो लक्षण कामः; रजसस्तु अर्थः उच्यते;

मदस्य लक्षण धमः, श्रैष्ठ्यं एषां यथोत्तरम् ।

सत्त्वं ज्ञानं, तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्;

एतद् व्याप्तिमद् एतेषां सर्वभूतश्रितं वपुः । (मनु)

इन शब्दों के अर्थ का, और तीनों गुणों के तात्त्विक स्वरूप का, तथा नित्य अनुभव में आते हुये आकारों का, विवेचन, विस्तार से, अत्यन्त किया गया है^१; यहा इतना कहना पर्याप्त है, कि तीनों में विद्वांश और प्रसादांश दोनो हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से भला या बुरा नहीं है; तीनों का एक दूसरे से सदा अभेद्य सम्बन्ध और परस्पर आश्रय है । सुप्रयोग से प्रसादांश, दुष्प्रयोग से किद्वांश, देख पड़ता है । शिव-शिवा तमःप्रधान, विष्णु-सरस्वती सत्त्वप्रधान, ब्रह्मा-लक्ष्मी

१—'दि मायंम आफ पीम', The Science of Peace, में ।

रजःप्रधान देवता हैं। शिव-शिवा अर्ध-नारीश्वर, विष्णु लक्ष्मी भिन्न लिंग, और गिरा-द्रुहिण निर्लिंग, विवाहित जोड़े, (“गिरामादृद्वीं द्रुहिण-गृहिणीम् आमविदो”), कैसे हुए, इस की कथा, तथा रूपको के रहस्यार्थ का सूचन, देवी-भागवत में है। एव, काम यद्यपि तामस है, तौ भा इस में, अवान्तर भेद से, सात्विक काम, राजस काम, तामस काम होते हैं। साहित्य-शास्त्र में नायक नायिका के जो स्वभाव-भेद कहे हैं, वे इस स्थान पर भी उपयुक्त हैं। धीर, उदात्त, ललित, मधुर, गम्भोर, उदार आदि सात्विक गुणों से विभूषित जो नायक-नायिका पति-पत्नी हैं, उन के प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर में, ‘चुम्बन’, ‘आलिंगन’ आदि, तदनुकूल होंगे। जो प्रचण्ड, दृप्त, उद्धत, राजस हैं, उन के ‘दन्त-नख-आदि’ कर्म राजस होंगे। जो मायावी, शठ, ग्राम्य, अनार्य, तामस हैं, उन के ‘प्रह-रण ‘त्रौपरिष्टक’ आदि तामस। ‘जैसे भाव, स्त्री-पुरुष के चित्त में, काम-क्रीडा के समय में, रहेंगे, वे ही अपत्य के चित्त में प्रधान हो जायेंगे;

शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद् दोषः उत्कटः,
प्रकृतिः जायते तेन, (अपत्यस्य; अनुगमो हि अयं)।

(सुश्रुत, शारीरस्थान)।

गीता में कहा है,

यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजति अंति कनेवरं,
तं तं एव एति, कौतैय, सदा तद्भावभावितः।

‘अंतकाल में, शरीर को छोड़ कर, इस लोक से परलोक को जाने के समय, जो भाव जीव के चित्त में, अधिक रहता है, वही, दूसरे जन्म में, उस का प्रधान भाव होता है। तथा, जिस भाव का, नित्य नित्य, सच्चे हृदय से, आवाहन और अभ्यास किया है, वही भाव प्रायः अंत समय प्रबल होगा। एवं, संयोग के समय पति-पत्नी का भाव जैसा होता है, उसी भाव को रखने वाला जीव, उस गर्भाधान में, परलोक से इस लोक में आता है। तथा, वह जीव भी, कर्मवश, उन संयुज्यमान स्त्री-पुरुष के चित्त में, अपने चित्त-बल से, अव्यक्त रूप से, अपने अनुरूप भाव को प्रबल करने का यत्न करता है। यह सब आध्यात्मिक, आधि-

दैविक, शास्त्र के रहस्यप्राय सिद्धान्त हैं ।

शुक्र और शोणित के संयोग के, अर्थात् गर्भाधान के, समय, पैत्तिक, वातिक, वा श्लैष्मिक, अर्थात् सात्विक, राजस, वा तामस, जो भाव स्त्री-पुरुष में बनवान् हों, जन्हीं के अनुरूप गर्भ की प्रकृति होगी; इस हेतु से, बहुत प्रकार की मानव प्रकृतियों का वर्णन, सुश्रुत, आदि चरक, में किया है । ज्योतिष के जातक ग्रन्थों में भी यही अर्थ दूसरे संकेतों से दिखाया है, अर्थात् गर्भाधान के मुहूर्त्त में जो ग्रह चलवान् होंगे, उन के अनुसार, संतान का स्वभाव, वर्ण, आदि होगा । बृहदारण्यक उपनिषद् में भी कहा है कि, प्रसंग के समय जैसी वासना स्त्री-पुरुष की हो वैसी संतति होगी; पुत्राणो मे यही अर्थ, ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रकट किया है ।

हे वर-वधू !, यदि अच्छे जीव को अपने कुल में बुलाना चाहते हो, और कुल का उत्कर्ष करना चाहते हो, तो सात्विक भाव से ही, ऊंची उदार प्रेम-प्रीति से ही, परस्पर स्पर्श करो; नीच, भेदस, पशुवत्, अश्लील, अश्लील, 'होली' के राजस-तामस भावों से नहीं । संस्कृत में दो धातु हैं, भज और जम्; इन का बाह्य रूप भी एक दूसरे के विपरीत है, और आंतर अर्थ भी; भजन, भक्ति, का अर्थ प्रसिद्ध है । जमन का अर्थ, पशुवत् मैथुन-कर्म ।

पाश्चात्य देशों में, विविध दंष्ट्रों के प्रत्येक अवयव का अनुभव, अत्यन्त ('एक्स्ट्रीम', extreme) हो रहा है; एक ओर यह पुकार हा रही है, कि आवादी बहुत बढ़ती जाती है, संतान का निरोध करो; दूसरी ओर, यह भय दिखाया जा रहा है कि संतान का अति निरोध, विशेष कर शिष्ट शिष्ट दलों में, हो रहा है; जिस से वार्षिक संख्या, प्रसवों की, सभ्य राष्ट्रों में, प्रतिवर्ष, गतवर्ष की अपेक्षा से, कम होती जाती है; और यदि हास; इसी अनुपात से, होता रहा, तो कुछ दर्शकों विशतिकों में, नहीं तो कुछ शतक्यों में, राष्ट्र, मनुष्य से शून्य हो जायगे । दोनों आत्यंतिक कोटियों के मध्य का कृत्य, निष्कर्षभूत, वहां है जो पहिले कहा; एक जोड़ा दम्पती को एक जोड़ा उत्तम सन्तान हो । पाश्चात्य ग्रन्थों और दैनिक आदि पत्र-पत्रिकाओं के लेखों में, 'वान्टेड चिल्ड्रेन',

wanted children अभिलषिता सन्ति. और 'अन-वान्टेड चिल्ड्रेन्', unwanted children अन्-अभिलषित सर्वाति, का विवेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। भारत में जल्दी ब्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मोत—यही नियम मा हो रहा है।

जब (१८८८-१९१४ ई) काशी के मेन्ट्रल हिन्दू कालिज का मैं अचै-तनि-सेक्रेटरी था, अकबर लॉग, अपने लड़कों को ले कर, मेरे पास आते थे और कहते थे, 'यह लड़का आप ही का है, इस को खिलाने-पिलाने पढ़ाने-लिखाने-रोजगार लगाने का प्रबंध कर दीजिये, आप ही इस के पिता हैं,' मैं दुःख से उन से पूछता था, 'माई! पैदा करने के लिए आप पिता, और पालने पोसने के लिए मैं पिता, यह कैसी बात करते हो?; उत्तर मिलता था, 'यह तो ईश्वर के देन हैं, विवश हो कर मैं प्रत्युत्तर देता, 'यदि दम्पती को, संतान, ईश्वर के देन है, तो उन की रक्षा-शिक्षा भरण-पोषण का कृत्यधर्म भी उभी दम्पती को ईश्वर का देन है।' अभाग्ये भारत में, धर्माभासों के प्रचारकों के दम्भ से, अपना ब्रह्म, दूसरे के सिर लाद देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है। प्राचीन काल में, इम मिथ्या धर्म, तामस भाव, के विरगीत, मत्त धर्म, सारिक भाव, का प्रचार बहुत था। पुण्य इतिहास में सैरुडो उपाख्यान हैं, जिन में कग है, कि इन दम्पती ने, ऐसी ऐसी भारी तपस्या की, इम वामिते (वारं) नि हमे ऐसी ऐसी उत्तम संतान हो, और अपने इष्ट देवता-रूप-धारी जगदात्मा अन्तरात्मा से वैसी अभिलषित संतति का वर माया;

उपवासैः, तपस्याभिः, विविधैश्च व्रतैरपि,

लभन्ते मातरो गर्भान्, मासांश्च दश विभ्रति। (म०भा०, शां०)

'बहुत व्रत, उपवास, तपस्या, मान-मनौती कर के, स्त्रियाँ गर्भ प्राप्त करती हैं और दस महीने तक, अपने शरीर के मातर ह, उस का धारण पोषण करती हैं'। तथा, अन्य उपाख्यानो में यह दिखाया है कि, राजस तामस भावों से जब मैथुन हुआ, तब अन्भिलषित दैत्य, राक्षस, आदि उत्पन्न हुए। बृहदारण्यक उपनिषद् में, मनुस्मृत में, गर्भाधान-संस्कार की पद्धति में, वर-वधू को स्वष्ट शिक्षा दी है कि, इम प्रकार के

सांख्यिक भावों और उत्कृष्ट सन्तान की प्रार्थनाओं के साथ, संगम करना चाहिये; तथा यह भी, कि पुं-संतान के लिये ऐसा उपाय, स्त्री-सन्तान के वासिते ऐसा, ब्राह्मण-प्रकृति वा क्षत्रिय-प्रकृति वा वैश्य-प्रकृति की संतति के लिए ऐसा, उपाय, भोजन आदि, करना चाहिये ।

मैथन के अष्टांग, पृ० २६३ पर कहे; तथा क्रिया-निष्पत्ति के (जिस को संप्रयोग, सुरत, रत, इत्यादि भा कहते हैं), उस के अवातर अंग अभी ऊपर (पृ० ३८५) कहे । इस के विपरीत, योग के अष्टांग, 'यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयः' भों, पृ० २६३ पर, कहे । योग समाध क अवातर भेद, चार संज्ञात, और दो असम्प्रज्ञात (सत्रोज और निर्वीज वा कवलर) कहे जाते हैं । इन दोनों के बीच में, जमन (एत, रत) के विपरीत, भजन, भक्ति, सात्विक प्रीति, के आठ अंग अर्भों, पृ० ३८५ पर कहे । पाठक सज्जन इन अष्टकों के अंगों के सामानाधिकरण्य ('कारेसगॉडेस', correspondence) और सादृश्य वैदृश्य पर विचार करें ।

एक अन्य बात को अंग भों, इस सम्बन्ध में, ध्यान दिलाना उचित है । वधू-वर को, चित्त मिलने से पहिले, शरीर मिलाने की अति त्वरा नहीं करना चाहिये । कुमारियों को 'हिस्टीरिया', hysteria योषाऽपस्मार; कुमारों को 'एपिलेप्सी', epilepsy पुरुषऽपस्मार; तथा अन्य प्रकार के रोग, heart-disease 'हृद्रोग'; 'न्यूरैस्थीनिया', neurasthenia, दिमाग की कमजोरी, नाडी-दोर्बल्य, 'स्पर्मेटोर्हिया' spermatorrhea, शुक्रमेह; ल्यूकार्हिया, leucorrhoea, योनि-द्रव-स्राव; कन्वल्शन्स', convulsions, आक्षेपकं; आदि, अतित्वरा-कृत, वा बलात्कार-जनित, साध्वस से, हो जाया करते हैं । पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, स्त्रियों द्वारा कुमारदूषण, यों भी महापातक होते हुए, इस कारण से और भी घोर हां जाते हैं । वात्सायन ने भी इस विषय में चेतावनी की है, और पवित्र प्रार्चन वैदिक विधि का हवाला दिया है, कि नव-विवाहित वधू-वर तीन रात्रि तक ब्रह्मचर्य न छोड़ें, परस्पर मन ही मिलावें, फिर तन मिलावें ।

वात्स्यायन कामसूत्र(अधिकरण ५, प्रकरण २५)में लिखा है, “कुमुम-सधर्माणो हि योषितः (कन्याः, नवविवाहिताः), सुकुमारोपकमाः ;... प्रसभं उपक्रम्यमाणाः सम्प्रयोगद्वेषिणो भवति; (अतः) न प्रसह्य किञ्चिद् आचरेत्’ । ‘स्त्रियाँ की प्रकृति, फूलों-सी कोमल होती है; यदि पति हठ और बल से मैथुन में अतिवृत्त करे, तो, यदि रोग नहीं तो, बधू के चित्त में, सदा के लिये, मैथुन क्रिया की ओर घृणा और द्वेष हो जाता है ।

(ख)तृतीया प्रकृति—इस की चर्चा स्यात् ज्ञानाग में होना चाहिये था । अथवा, अष्टाग मैथुन से इस का सम्बन्ध है, इसलिये रसाग में भी होना अनुचित नहीं । यों तो सब विषयो का सब से सम्बन्ध है । तृतीया प्रकृति की चर्चा पृ० २४३-२४४ पर की जा चुकी है ।

‘तृतीया प्रकृति’ शब्द का प्रयोग वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया है, और एक अध्याय में इस विषय पर बीभत्स ‘त्रौपरिष्टक’ मैथुन के सम्बन्ध में लिखा है । शब्द का अन्वयार्थ तो यही है कि, स्त्री-प्रकृति पुरुष-प्रकृति दोनों से भिन्न और अन्य, तीसरी प्रकृति; अंग्रेजी लेखको ने भी ‘थर्ड सेक्स’ third sex, ‘इंटरमीडियेट सेक्स. intermediate sex, शब्दों का प्रयोग किया है । इस के कई अवांतर प्रकार कहे जा सकते हैं । एक तो, जो न स्त्री और न पुरुष, अर्थात् जिस में विशेषक व्यावर्त्तक स्त्री चिह्न या पुरुष चिह्न व्यक्त न हो, मूत्र स्थान का छिद्र मात्र हो । इसी के लिए नपुंसक शब्द ठीक होगा । दूसरा अवांतर भेद, पुरुष स्वभाव वाली स्त्री, ‘पोटा’ जिस में स्त्री का मुख्य चिह्न तो स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि पूर्ण रूप से विकसित न हो, और कुछ पुरुष चिह्न, जैसे श्मश्रु रेखा कूर्च-रेखा आदि देख पड़े । तीसरा भेद, स्त्री स्वभाव वाला पुरुष, भ्रुकुंस, जिस में पुरुष का मुख्य चिह्न स्पष्ट हो, पर श्मश्रु कूर्च आदि का प्रायः अभाव हो, हाडियाँ पतली, पेशियाँ कोमल, स्वर स्त्रीवत्, इत्यादि हो । चौथा भेद, ऐसे भी पुरुष देखे गये हैं, जिन में लिंग भी है और भग (छिद्र) भी; तथा पांचवां भेद; ऐसी स्त्री भी, जिन में भग-छिद्र भी है, और लिंग भी; (सभी स्त्रियों को भग के मुख के ऊपरी भाग-छिन, में, एक लम्बी पतली मांस की गाठ सी होती है; अंग्रेजी में इसे

‘क्लिटोरिस clitoris, कहते हैं; हिन्दी में, ‘हमारे शरीर की रचना’ नामक ग्रन्थ में, डा० त्रिलोकीनाथ वर्मा ने, इस को ‘भगनासा वा भगाङ्कुर’ का नाम दिया है; कामोद्भग से, इस रुधिर भरता है, और यह फूलती है, जैसे पुरुष का शिरः; किसी-किसी स्त्री में यह भग-नास बहुत बड़ी और लम्बी होती है, यहां तक कि भग के मुख के बाहर लटकती है, (पुरुष-लिंग सी); एनी स्त्रियो को लिंगिनी कहा है। शारीर विज्ञान के पाश्चात्य विशेषज्ञो ने लिखा है कि, पूर्ण रूप से विकसित स्त्री और पुरुष शरीरों में, सिर से पैर तक प्रत्येक अंश में भेद देख पड़ता है। यदि एक ‘दक्षिण’ है तो दूसरी ‘वाम’। स्त्री का नाम ‘वामा’ अर्थपूर्णा है। पृथ्वी पर, जाव सृष्टि के आदि काल के युगों में, अलिंग और उभय-लिंग सृष्टियों की चर्चा पृ० ३०५-३०७ पर की गई है। यह भी कहा गया है कि मानव जाति में, स्त्री में पुरुष के, पुरुष में स्त्री के, चिह्न भी, अव्यक्त रूप से, अभी भी पड़े हैं। ये उभयलिंग सृष्टि के स्मारक हैं। और क्या, प्रत्येक व्यक्तित्व शरीर के भी, दक्षिण और वाम अर्ध में कुछ न कुछ असमानता रहती ही है। स्यात् ही कोई स्त्री या कोई पुरुष हो, जिस के चेहरे के दाहिने और बायें अर्ध, ठीक-ठीक एक-दूसरे के बिम्ब प्रतिबिम्ब हों। यह सब प्रकृति के हृदय में बसी हुई द्रढ़ता का कार्य है, जो अव्यक्ति, अर्ध-व्यक्ति से, सृष्टि में नये नये भेद पैदा करती हैं। तृतीया प्रकृति, और उस के अर्थांतर भेदों में भी यही कारण है।

समय समय पर, वार्ता-पत्रों में, विशेष कर पाश्चात्य आयुर्वेद के ‘मेगज़ीनो’, ‘जर्नलो’, साप्ताहिक मासिक पत्रों में, ख़बर देख पड़ती है कि, अमुक देश में, अमुक स्त्री को, यौवनप्रवेश के समय, पुरुष-चिह्न विकसित होने लगे, तथा अमुक पुरुष को स्त्री चिह्न; तथा तिर्यग्योनियों में, जो पहिले कुक्कुट था वह कुक्कुटी हो गई; या कुक्कुटी, कुक्कुट हो गया; इत्यादि। पुराणों की डला-सुद्युम्न, ऋत्तरजा, शिखंडी आदि के लिंग-परिवर्तनों की कथा, इस प्रसंग में स्मरणीय है। पुंसवन संस्कार का भी आधिदैविक-

१-वात्स्यायन-काम-सूत्र की टीका में, जो अर्थ इस शब्द का किया है, वह ठीक नहीं है।

आधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारां और तथ्यों को सहायता से, समझ में आ सकता है।

पश्चिम में इस विषय पर भी, बड़ी खाज कर क, बड़ा माहित्य बन गया है। और ऐसी प्रकृति के लोगों के ‘स्नेह-काम’ आदि का संग्राहक नाम ‘होमो-सेक्सुएलिटा’, homo-sexuality, रख दिया गया है; जैसे भिन्न-लिंग जनों के ‘स्न-काम’ आदि का नाम ‘हेटरो-सेक्सुएलिटा’, hetero-sexuality, रखा है। ‘हेटरो’ ग्रीक शब्द है, यह तथा अंग्रेजी ‘अदर’, other, संस्कृत ‘इतर’ के रूपांतर है। एव, ‘दोनों’, ‘सम’, ‘same, सम, समान, क। होमो-सेक्सुएलिटा’ का ठाक अन्तरार्थ तो ‘सम, स्त्र-स्त्र. का, पुरुष-पुरुष का, ‘स्नेह काम’ है। पर तृतीया प्रकृति क समा अवातर भेदों का संग्राहक हा रहा है।

जमन भषा में, पुरुष-‘होमो-सेक्सुअल’ को ‘अर्निन्ड’, urning, और स्त्रा-‘होम-सेक्सुअल’ को ‘अर्निन्ड’ urninde, कहत हैं।

प्रायः सभ्य कहलाने वाले सभी देशों में, इधर बहुत वर्षों में, ‘होमो-सेक्सुएलिटा’ के प्रकार, लज्ज.स्पद, घृणास्पद, निन्दनाय समझे जाते हैं। इन के अन्तिम, आभ्यन्तर, प्रकार, (गुदा में लिंग प्रवेशन) दंडनीय भी समझे जाते हैं, और अक्सर देशों के दरब-विधानों (‘पीनल काड’, penal code) में दंड्य हैं। गवेषकों के लेखों से जान पड़ता है कि, ‘समान लिंगों’ के रखने में, ‘सम्प्रयोग’ के अष्टाङ्ग में से जो बाह्य अंग या उपचार हैं, प्रायः उन्हीं से लोग सतोष कर लेते हैं; अन्तिम अंग की नौबत कम आती है। कचहरियों में मुकद्दमें भी कम होते हैं, यद्यपि इस क अन्य कारण भी हैं, जिन का जिक्र पहिले किया गया है। (पृ० २३५-२४१)

‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’, ‘महाजनो येन गतः स पन्थाः’, जिस माग पर ‘महाजन’, जनता का भूयसीय, महान् अंश, अधिकतम भाग, चल, वही धर्म मार्ग हो जाता है। जिस को वह निंद्य मान, वही अधर्म हो जाता है।

१—“न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनप्रेवेशो विद्यते, महाजनेन हि चरितं एषां दृश्यते, अनुविधीयते च”—इस (५-५-३) सूत्र से स्पष्ट है कि वास्त्यायन ने भी ‘महाजन’ शब्द से जनसमूह समझा है। अर्थ,

जनता के, 'महाजन' के, हृदय का प्रवर्णा करने वाली, 'वासना वासुदेवध्व', वाचितं स रुजं जगत्", वासुदेव की, जगद्वासी व्यापक अन्तर्गत्मा की, वासना होती है। वह जिस को चाहे अरम, जिस को चाहे धर्म बना सकता है, और बना देता है। विवाहो के विविध प्रकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है। (पृ० ३०७-३२५) अपने-अपने देश काल में वे धार्मिक रहे हैं, अन्य देश काल में अधार्मिक। इस समय, तृतीय प्रकृत के कामिक व्यापार, सभ्य देशों में, 'अप्रकृतिक' ('अनैचुरल आफेन्स' unnatural offence) ममके जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों में, इस विषय में भी, लोकमत में परिवर्तन हो रहा है; जैसा विवाह और स्वच्छन्दता के, संताननिरोध के, परिग्रह और साम्यवाद आदि के, विषयों में। पहिल समझा जाता था कि तृतीय प्रकृति के मानव बहुत कम होते हैं; अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि, यथा एक ही देश, जर्मनी, में, (तीस चात्सास वर्ष पहिले) प्रायः सात करोड़ की आबादी में, प्रायः बास लाख इस प्रकृति के थे; तथा अन्य देशों में भी कुछ ऐसे ही अनुपातों से हैं; और, लोग कहने लगे हैं कि, आखिर ये भी प्रकृति देवता की संतान हैं; इन का स्वभाव ऐसा ही निसर्ग से है; तो ये लोग अपनी वासना के, अपना विशेष प्रकृति के, अनुसार, अपना जीवन क्यों न चिताने पावें? ब.च-बीच में, इस विषय पर कानून में परिवर्तन कराने का चर्चा भी उठती रहता है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युवती, पर कोई बलात्कार करे, या उस को साध्वस पहुँचाव, वा प्रलोभन कर के उस का दूषण करे, या व्यभिचार या अपहरण करे, तो अवश्य उस का सूत्रका, यह है, कि राजाओं और महामंत्रियों को पारदारिक व्यभिचार के लिये, पराये घरों में प्रवेश नहीं कराना चाहिये; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, इन के चरितों को देखता रहता है, उन का अनुकरण करता है।'

१—१८६५ ई० में, लंडन नगर में, आस्कर वाइल्ड नाम के एक प्रसिद्ध कवि और आख्यायिका लेखक को, ऐसे ही 'अनैचुरल आफेन्स' के जुर्म के लिये, दो वर्ष कारावास का दंड मिला; उस मुकदमे में और भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे।

उग्र दण्ड दिया जाय। कुछ लोग तो, मानव-संख्या-वृद्धि के निरोध का, इस प्रकार के कामीय संख्य को, एक उपाय बताने लगे हैं। दूसरी ओर, लोग कहते हैं कि, यह सब बात समाज को भ्रष्ट करने वाली हैं; यदि कानून का भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया गया, तो, सचारी रोग के ऐसी, यह दूषित प्रथा फेलेगी: इत्यादि। प्राचीन काल में, ग्रीस, ईरान, आदि देशों में, तथा यूरोप की 'अर्ध सभ्य' जातियों में, मध्य काल में मुसलमानी राज्यों में, यह प्रथा, कानून से, निर्दोष समझी जाती थी और खुला था। तथा अब भी कुछ नववाची रियासतों में ऐसा है; यहाँ तक सुनने में आता है कि, किन्हीं नववाची रियासतों में पुरुष-पुरुष का 'ववाह' भी, काजी के सामने, किया जा सकता है। पर निष्कर्ष यह जान पड़ता है कि, सब प्रकार का बलात्कार, धोखा देना, प्रलोभन करना, उग्र दण्ड से दण्डनीय है; तथा, साधारण रीति से, 'महाजन' का दृष्टि में, 'हामोसेक्सुएलिटी' निन्दनीय है, पर दंडनीय नहीं। किन्तु स्कूलों, मद्रसों, पाठशालाओं में, अबोध मुकुमार बालकों की, दुष्ट अध्यापकों तथा सयाने छात्रों में, रक्षा का प्रबंध होना आवश्यक है: पृ० १६५-२०३, २३५-२४१, पर, इस की चर्चा की गई है; सोलह वर्ष से कम वयस् बालक के साथ अप्राकृतिक अपराध, जिस सयाने पुरुष पर कचहरो में साबित हो, उसको उग्र दंड देना आवश्यक है।

रसाङ्ग की रूप रेखा को यहाँ समाप्त कर, क्रियाङ्ग का विचार करना चाहिये।

क्रियाङ्ग

क्रियाङ्ग में—

(क) गृह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, और बहु वित्त के गार्हस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये।

(ख) एवं चतुःषष्टि कलाओं का, और उन की सामग्री का भी। देश के सर्वाङ्गीण शील के हास के हेतु से, ब्रह्म और क्षत्र; ज्ञान और साहस, सरस्वती और दुर्गा, भारत से, हट ईंग; अतः, 'काम' की माता लक्ष्मी, और उन की चौसठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देविया भी हट गईं,

अब तो, एक होली के दिन, 'चौसठ्ठी' देवी की मूर्ति पर फूल पत्ता पानी फेंकना, पैसा चढ़ाना, भांग पीना, अश्लील भेदस बकना—यही 'चतुः षष्टि' कलाओं की पूजा के स्थान में रह गया है; काशी में तो यही देख पड़ता है। यदि गीत वाद्य-कला की कुछ चर्चा है, तो प्रायः नितांत निरक्षर लोगों के हाथ में है, जो यह नहीं जानते यहिचानते, कि उत्तम संगीत के लिए न केवल उत्तम स्वर, अर्थात् उत्तम शब्द, उत्तम रसमय अर्थ, ('हस्त', 'क्रिया') उत्तम हाव, उत्तम भाव, सभी आवश्यक हैं। इधर बहुत वर्षों से, कुलपुत्रियों कुलवधुओं को गाना-बजाना सिखाना, दोष समझा जाता रहा है। पुराण कथा में सुनते हुए भी, नहीं सुना जाता रहा है, कि सरस्वती देवता और नारद ऋषि वीणा में प्रवीण हैं; कृष्णावतार वंशी में, स्वयं शिव तांडव में। महाभारत में कथा है कि गंगा देवी, मनोहर हाव, लास्य, नृत्य गीत से, अपने पति शातनु महाराज का प्रीत का नित्य वर्धन करती थीं; तथा अर्जुन ने, बृहन्नडा के प्रच्छन्न रूप में, विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य, गीत, सिखाया, और पीछे अपने पुत्र अभिमन्यु से व्याहा। भारत के दक्षिण प्रान्तों में, तथा पूर्व प्रांत बंग में, भाग्यवशात् इस विषय में अभी भी बुद्धि मलिन नहीं है। वहाँ कौटुम्बिक जन, यथाशक्ति, गीत वाद्य सीखते हैं, और एक दूसरे का मन, घर के भीतर ही बहलाते हैं। वेश्या के पीछे दौड़ने में एक विशेष हेतु यह होता है, कि घर के भीतर ही पुरुषों को, ये सब, ललितकलाओं से जन्य, सुख नहीं मिलते। पर न मिलने का दोष उन्हीं का है, कि वे अपने बालक बालिकाओं को, विशेष कर बालिकाओं को, इस विषय की शिक्षा देने का प्रबंध नहीं करते।

चतुःषष्टि कलाओं की पांच मुख्य राशियां, पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनुसार, करना उचित होगा; जो बच जायँ उन का गौण राशियां, उप-योगिता के अनुसार। इन में तीन राशि प्रधान होंगी; १—सुस्वादु और हितकारक भोजन बनाने की; २—“सूत्र-वान-सूचा-कर्म, ... कार्पासस्य कर्त्तनं, वानं, च” (कामसूत्र, १-३-१६; ४-१-३३), अच्छा सूत काटने, कपड़ा बीनने और सीनेकी; ३—ऐसी कटुक आदि की क्रीड़ाओं की, जिन से व्यायाम का काम निकलै। यहा आयुर्वेद का आदेश, 'अर्ध-प्राणो व्यायच्छेत्,' याद

रखना उचित है, अर्थात् 'कला' में आधा शक्ति लगावै, अपने को सर्वथा न थका डाले, सब शक्ति का व्यय न कर दे। इस रीति से, इन तीन प्रधान कनाराशियों की शिक्षा पा कर, गृह-पत्नी, गृह की (१) अन्नपूर्णा (२) वसुंधरा, (३) प्राणपूर्णा, सभी, जैसा चाहिये वैसी होंगी। गृहपतियों के लिये भी, कला कौशल कुछ न कुछ सीखना इष्ट तो अवश्य है; पर प्रकृति के भेद से, तथा कर्तव्य के भेद से, स्त्रियों के हिस्से में घर के भातर के कृत्य और कला, और पुरुषों के हिस्से में घर से बाहर के जाविका-सावक और बल-साध्य कृत्य, पड़े हैं। जब रागजारी कार्यों से थका गृहपति घर में आवै, तो गृहकर्म से थकी गृहपति और बच्चा और अन्य कुटुम्बी जनो क साथ बैठ कर, पत्नी क कला कौशल से, और सब के परस्पर प्रेममय वार्तालाप से, सब को आनन्द आवै, और सब की थकावट दूर हो जाय—यही उत्तम गार्हस्थ्य का फल है।

(ग) औपनिषदिक अधिकरण—इस में, असाधारण अवस्थाओं के लिये, उद्योगी उपकरणों और दवाओं का वर्णन होना चाहिये।

क्रिशाग के समा विषया में भारतवर्ष क पास सामग्री अच्छी है; परन्तु जाणोद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य ज्ञान से, अपनी सामग्री को अधिक सम्पन्न करने के लिये, नये आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए, यदि कुछ लेवे, तो पश्चिम के देशों को कुछ दे भी सकता है।

पुण्ड्र की कई कथा इस प्रसंग में लिखने योग्य हैं। च्यवन ऋषि को, अश्विनी कुमार ने, जलाशय में स्नान करा के, और औषध खिला के, वृद्ध से पुनः तरुण बना दिया, आज तक एक विशेष प्रसिद्ध औषध-योग का नाम 'च्यवन-प्राश' ही है। ययाति ने अपने बेटे पुरु से वार्धक्य और यौवन का विनिमय कर लिया। अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सङ्ग ब्रह्म हो गये, और उन के दोनों अंडकोष सङ्ग कर गिर गये; ऋषि के प्रसाद से ब्रह्म अच्छे हृद्ये, और जो दाग रहे वे नेत्राकार हो गये, तथा देववैद्य अश्विनाकुमारों ने मेघ के वृषण उन को लगा दिये, जिस से वे 'मेघ-वृषणः' कहलाने लगे। द्रौपदी के पांच

विवाह हुए, प्रत्येक बार प्रत्येक पति में प्रसंग के बाद, पुनः कन्या हो गई। तथा कुंती, सूर्य से कर्ण को जन्म देने के बाद, पुनः कन्या हो गई। ‘कन्या’ शब्द का निर्वचन, आत काल, ‘कन्यते, कन्यते, इति,’ किया जाता है, (भानु दीक्षित की अमर कोष) का ‘रामाश्रमो टीका’); पर इस अर्थ में, पुराण की कथा सार्थ नहीं होता। विचारने की बात है, कि ‘अक्षत-योनि कन्या की योनि के, अर्थात् गर्भाशय को जाने वाले मार्ग, भग, के मुख पर, एक झिल्ली का पर्दा रहता है जो उत माग का बंद किये रहता है; कभी बहुत पतला होता है, कभी इतना मोटा कि ‘आपरोशन, (शस्त्र कम) में चीर देना पड़ता है किन्ती भी नहीं भो-हता, जब रहता है, तब पहिले प्रसंग में ‘क्षत’ होता है, ‘पर्दा फट जाता है; अब, कुछ लोचक, जो इन विषयों पर हिन्दा में लिखते हैं, इस झिल्ली को ‘कुमारी-छद्म’, ‘भगच्छद्म’, करने लगे हैं, अंग्रेजी नाम ‘हाइमेन’ (‘भेडन-हेड’, भी) है। अंग्रेजी शरीर शास्त्र (ऐनाटोमी) के ग्रन्थों में लिखा है कि, इसके न रटने से, यह सिद्ध नहीं जानना चाहिये, कि स्त्री ‘क्षतयोनि’ है, अक्सर, शुद्ध कुमारियों को भी यह झिल्ली नहीं रहती। विचारने की बात है कि, ‘कनी’ या ‘कनि’ शब्द का, प्राचीन काल में इस ‘कुमारी-छद्म’ के अर्थ में प्रयोग होता था, या नहीं। यदि होता था, तो पुराण की आख्यायिका सार्थ हो जाती है; कोई विशेष उपाय उस काल में विशेषज्ञों को विदित रहा होगा, जिम में फटी झिल्ला पुनः पूर्ववत् हो जाती हो; लैटिन भाषा में, ‘कनि’ शब्द का अर्थ कुछ भगच्छद्म-सा ही जान पड़ता है।

इसी सम्बन्ध में, ‘कर्ग-वेध’ शब्द का अर्थ भी विचारणीय है। आज काल, इसका अर्थ प्रसिद्ध ही है, दोनों कानों की लहरों में मृद्म छिद्र बना देना, कुण्डल आदि पहिनने के लिये, आभूषणार्थ; विचारना यह है कि, भारत में भी, किसी पुराकाल में, इसका अर्थ ‘सर्कमिशन’ था, या नहीं। अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ वह है जिसको मुसलमान

१- Surgical operation; hymen; maidenhead; anatomy. २. Cunni. ३. Circumcision.

‘खतना’ कहते हैं; यहूदियों और मुसलमानों में, हर एक लड़के का यह संस्कार (रस्म, सुन्नत) किया जाता है; अर्थात् ‘प्रीप्यूस,’ ‘फोरस्किन,’ ‘लिंग-मणि-च्छेद,’ का अगला टोंका काट दिया जाता है; ‘धार्मिक,’ ‘अदृष्ट,’ पुरख भी, इस में मानते हैं, और ऐहिक ‘दृष्ट’ लाभ यह मानते हैं, कि स्त्री-प्रसंग में, इससे अधिक सौकर्य भी, और मैथुन की चिरस्थायिता भी, होती है। याद रहे कि, कई ‘अर्ध-सभ्य’ जातियों में, तथा ‘हिंदुओं’ की भी कुछ जातियों में, (विशेष कर दक्षिण प्रान्तों में), कुमारियों के मग-च्छेद का भी पाटन, (फाड़ना) संस्कारवत्, पत्थर वा धातु के बने इन्द्रियदाकार ‘शिव-लिंग’ पर ‘अर्पण’ कर के, बलेन ‘बैठा’ कर के, कर देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जेवत् और बलिष्ठ ‘गुरु’ को अर्पण कर के, उम के द्वारा करा देते हैं; अथवा अंगुलि-प्रक्षेप से ही; विवाह के अनन्तर मैथुन की सुकरता के लिये। अन्तर बालकों का लिंग-च्छेद इतना कसा रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता; मा और धाय, तेल डाल कर, धीरे धीरे, सरकाने का अभ्यास करा देती है; इस से भी वही प्रयोजन, अंशतः, सिद्ध होता है जो ‘खतने’ से। खतने की रस्म, बहुत देशों, बहुत जातियों, में फैली थी और है; ईसाइयों ने छोड़ दिया है। यह सब देख कर, मन में यह शका उठती है कि, क्या पूर्व काल में, भारत में ‘कर्ण’ शब्द का अर्थ ‘लिंग-च्छेद’ भी, और ‘कर्ण वेध’ का अर्थ उसका ‘छेदन,’ तो नहीं था ?; जेने स्यात् ग्रीक और लैटिन भाषाओं में, जो संस्कृत भाषा के परिवार में निकट से अंतर्गत हैं ‘कनी’ या ‘कनि,’ शब्द का अर्थ, किसी समय में, ‘कुमारीच्छेद’ ही था; यह विशेषज्ञों के लिये अन्वेषण योग्य है। लिंग-मणि-च्छेद के विषय में विचारणीय है कि, वात्स्यायन-काम-सूत्र (अधिकरण ७, प्रकरण ६२) में लिखा है, “दक्षिणात्यानां लिंगस्य, कर्णधोर इव, व्यधनं, बालस्य; युवा तु, शस्त्रेण छेदयित्वा, यावद् धिरस्य आगमन, तावद् उदके तिष्ठेत्”; इत्यादि। दक्षिणात्य लोग-बालक का जैसे कर्ण-वेध करते हैं, वैसे लिंग-व्याध भी; युवा तो, अधिक मांस को स्वयं काट कर, तब तक पानी में बैठा रहे

जब तक रुधिर बन्द न हो जाय'। सूत्र का अर्थ यह नहीं है, कि, जैसे कान का लहर मे, वैसे आर पार नो कीली सुई या तार से छेद कर दिया जाय; मणि या दंडिका का निर्देश न करने से ही यह सिद्ध हाता है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है: न किसी जाति मे ऐसा क्रिया हांती है, (सिवा कछु 'अलख-पंथी' आदि 'साधुओं' मे); जो लिंग मे लोहे का कड़ा डाले रहने का ढोंग करते हैं । सूत्र का आशय है कि, जैसे बाल्यावस्था मे, कर्णवेध किया जाता है, क्योंकि उस समय क्लेश कम होता है, वसे ही लिंगमणिच्छद का व्यधन भी बाल्यावस्था मे कर देना चाहिये; अनवधान से रह जाय, और बाद मे बीमारी हो, या, विवाहानन्तर, मैथुन मे विघ्न हो, तब युवावस्था मे भी किया जाय । रुधिर का आगमन, लहू का आना अर्थात् बहना, रोकने के लिये, पानी में बैठाने के बदले, अब तो दूसरे उपायों का, औषधों के लेगों का, प्रयोग करते हैं । किसी किसी बच्चे के मणि-च्छद का मुख इतना छोटा रहता है, और सम्पूर्ण छद इतना कसा रहता है, कि मूत्र निकलना कठिन हो जाता है; तब, शस्त्रकर्म के सिवा दूसरा चारा नहीं । जिन बालकों का मणिच्छद इतना छोटा नहीं है, पर कुछ कसा है, उन को भी, याद माता वा धाय लागवाई करें, तो भातर भीतर सफेद सफेद मैल जमा हो जाती है, और छद मे शाय (सूजन, 'साज') हो जाता है; (अंग्रेजा में इस रोग को 'फाइमोसिस', कहते हैं ।' यह शोथ तो, अरसर घरेलू दवाओं (यथा घिसी सुपारी के लेप) से ही अच्छा हां जाता है; अधिक विगड़ जाने पर शस्त्रकर्म की शरण लेना पड़ता है । स्त्रियों का मूत्र-छिद्र, भग छिद्र से भिन्न होता है; इस लिये, किसी बालिका का भग-छद बहुत मोटा और निश्च्छिद्र भी हो, तो भी, बाल्यावस्था मे मूत्र का अवरोध नहीं करता; हां, रजो-रुधिर की प्रवृत्ति को, यौवना रम्भ मे, रोकता है, जिस से रोग उत्पन्न होते हैं, उस समय शस्त्रकर्म की आवश्यकता होती है ; एवं, विवाहानन्तर, मैथुन मे रुकावट होने से भी । इन सब विषयों पर, विविध जातियों के विविध आचारों का, पार्श्चात्य

2. Phimosiis.

वे ज्ञानिकों ने बहुत अत्रेण और वर्णन किया है। इत्यादि ।

आज कान, पश्चिम में, शरीर के सभी अत्रों को मानान्यतः पुष्टि के लिये, और विशेषतः क्षीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादनके लिये, 'इलेक्ट्रिक बाथ', electric-bath, देते हैं। चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने,

१ 'वैद्यरत्न' कविराज श्री प्रतापसिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो विशेषज्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शरीर-शास्त्र का भी, मेडिकल कालेज में, अंग्रेजी ग्रन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य आदि शस्त्र कर्म का प्रयोगशाला में, पर्याप्त अध्ययन किया है; १८-१९ वर्ष से काशी विश्व-विद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय व औषधशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हाल में दो वर्ष का अवकाश ले कर आप नयी दिल्ली में रहते थे; वहां एक आर्य औषध भंडार और बृहत् आयुर्वेद पाठशाला को चला देने के लिये। उन से, मैं ने, 'कन्या', 'कर्ण-वेध', आदि के विषय में पत्र-व्यवहार किया। उनके उत्तरों में से उक्त अंश नीचे देता हूँ।

'मैं आप के विचारों में प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान इस विषय में ऐसा है, कि कुन्ती और द्रौपदी राज-महिषी थीं; राजाओं के यहां, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को कन्यावत् बनाने के लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि स्तन और जननेन्द्रिय में शैथिल्य न आने पावे, और पति-पत्नी को पूर्ववत् सुख मिलता रहें। इस के लिये अनेक औषधोपचार, आज दिन भी व्यवहार में आ रहे हैं।'

(पाश्चात्य प्रवृत्ति-चिकित्सा में, 'आर्गाट', ergct, नामक औषधि आदि का प्रयोग होता है; तथा शराब में अल्प काल के लिये स्त्रियों के जवन को रखने का; योनि-संकोचन के लिये; पर गृहस्थ को, बिना विशेषज्ञ डाक्टर या 'मिड-वाइफ' mid-wife, के परामर्श के, ऐसे किसी प्रकार का, अपते मन में, प्रयोग नहीं करना चाहिये)।

"कुन्ती आदि का पुनः कन्या हो जाना, इसी रूप से संभव है। अन्यथा, कुमारीवृद्ध का, एक बार फट जाने पर, शरीर-शास्त्र की दृष्टि से, फिर जुड़ जाना संभव नहीं। छेदन के बाद, वृद्ध का मांस, भाग्येष्ट

रहस्य औषध भी कुछ सीखे हैं; पर अभी वैसे 'रस' नहीं बना सकते। नये नये, 'योहिम्बिन', yohimbin, 'कोकेन', cocaine, आदि का, अमेरिका देश की प्राचीन जातियों से सीख कर, कामोद्दीपन, वीर्य-स्तम्भन, 'इम्साक', आदि के लिये, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अति 'काम' के वेग के शामक द्रव्यों का। उत्तेजक द्रव्य 'आफ्रोसिडीसियाक', aphrodisiac, शामक, 'ऐन-आफ्रोसिडीसियाक' anaphrodisiac, कहलाते हैं। डाक्टर चोरोनाफ़ के प्रकार की चर्चा की जा चुकी है, (पृ० २२०-२२१ २७४-२७५)। अब, पश्चिम में, और उपाय भी निकाले गये।

के भीतरी भाग में संकुचित हो जाता है; वहां से, पुनः प्रसारित हो कर जुड़ना सम्भव नहीं। अदृ-लिंग पुरुषों की, कन्या-स्त्रियों के भगच्छद के छेदन का विधान, प्राचीन रस-शास्त्रों में है। इस क्रिया के लिये जो यंत्र बनाते हैं उसे 'जलौका' कहते हैं; और पारद के संस्कार में इस का उल्लेख है। इस के निर्माण में, पारद, स्वर्ण, नाग ('लेड', सीसा), व अनेक वन-स्पतियों की भावना और पुट के विधान हैं। "बाल्ये च अष्टांगुला योज्या, यौवने च दशांगुलां, द्वादशैव प्रगल्भानां, जलौका त्रिविधा मता", इस की दीर्घत्व-सूचक मात्रा भी लिखी है।

"पुरुषों में लिङ्गच्छद का छेदन जैसा वास्त्यायन ने लिखा है, बैसा हिन्दुओं में प्रचलित इधर नहीं है; किन्तु चतुर माताएं, बालक के लिंगच्छद को, तैलादि लगा कर, जलधारा से मृदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़ाने का यत्न सर्वत्र करती हैं। इस छद को चढ़ता उतरता रखना, आनन्द की दृष्टि से आवश्यक है। मुसलमानों में, इस के अग्रभाग को काट कर पृथक् कर देने से, लिङ्ग-मणि का स्पर्श-ज्ञान, रखे वस्त्रादि के स्पर्श से, न्यून हो जाता है, इस लिये उन में बालिका-मैथुन और बाल-गुद-मैथुन प्रचलित है। मैं ने, अनेक रोगियों को, इस छद को, दिन में कई बार ऊपर चढ़ा कर रखने का अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र वीर्यपात का कष्ट दूर हो गया, और स्तम्भन अधिक होने लगा, तथा उन की स्त्रियों को भी अधिक आनन्द आने लगा। मेरा खयाल है कि, सुशिक्षितों में, शौच के उद्देश्य से भी, मूत्रोत्सर्ग के पश्चात् जो लिंग-प्रक्षालन प्रचलित है, वह भी इस में हितकारक है।

यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीला है। पर साधारण सद्-गृहस्थ का सौभाग्य इसी में है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही उस को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि पूर्व पाप-कर्म से कोई खंडितता उस के जीवन में आ ही जाय, तो सिर झुका कर उस को सह ले, 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' के नियम को हृदय में रख कर संतोष कर ले। 'संतोषाद् अनुत्तमसुखलाभः', यह योगसूत्र है। इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे।

“गोरखपुर के जिले में, अनेक रोगी मैं ने देखे हैं, जिन का मणिच्छद सदा ऊपर चढा ही रहता था। अनेक बालकों की भी यही दशा देखी। अन्वेषण किया तो पता लगा कि, बहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय में, इस को प्रारम्भिक अवस्था ही में चढा देती हैं; जिस से सहजावस्था में उन का लिंगाग्रभाग सुदृढ़ हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन की आवश्यकता नहीं रहती। इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू परिवारों में उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो।”

इस पत्र के पाने पर, मैं ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याफ़्त किया, कि भगच्छद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और इतनी और विविध लम्बाइयों की 'जलौका' की आवश्यकता क्यों, जब पाश्चात्य प्रकार में तो एक अच्छे इस्पात (कृष्णायस, 'स्टील') की, छोटी ही, तीक्ष्ण त्रिका से यह शस्त्रकर्म ('आपरेशन') कर दिया जाता है ? इस के उत्तर में उन्होंने ने लिखा कि “मझे प्रश्न पर विचार करना पड़ा। अनेक रस-ग्रन्थों के पर्यालोचन से इस निर्याय पर पहुंचा हूं कि, 'जलौका' यंत्र, केवल भगच्छद का छेदन ही नहीं करता है. किन्तु स्त्री को विषय-सुख का अनुभव भी कराता है। इस के स्पर्श से योनि में उत्तेजना पैदा होती है, और गर्भाशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का प्रदान करता है। संभवतः, भग-मागों के भिन्न परिमाणों के अनुसार, इस की दीर्घता की मात्रा भिन्न करनी पड़ी हो। पुरुष लिंग को भी सुदृढ़ बनाने के लिये 'वलय' बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने में यहां प्रचलित थी, जिस के भी श्लोक मिलते हैं।”

यह नहीं, बल्कि यह कि कामिक सुख की हिंस हवस के मारे, असाध्यप्राय अवस्थाओं को दूर करने का व्यर्थप्राय महा-आयास न करै। तथा यह बात सब के याद रखने की है, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि सब से उत्तम वृष्य, वाजीकरण, सुभगं-करण, पति-पत्नी का परस्पर स्नेह है।

वाजीकरणं अग्रयं तु व्यूढा (विवाहिता) स्त्री या प्रहर्षिणी।
 इष्टा हि एकैकशोऽपि अर्थाः परं प्रीतिकराः स्मृताः,
 किं पुनः स्त्रीशरीरे ये संवातेन प्रतिष्ठिताः ?
 स्त्री-आश्रयो हि इन्द्रियार्थो यः सः प्रीतिजननोऽधिकं;
 स्त्रीषु प्रीतिः विशेषेण, स्त्रीषु अपत्यं प्रतिष्ठितं,
 धर्मार्थं स्त्रीषु, लक्ष्मीश्च, स्त्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः।
 सुरूपा, यौवनस्था या, लक्ष्मीः या विभूषिता,
 या वश्या, शिचिता या च, सा स्त्री वृष्यतमा मता।
 वयो-रूप-वचो-हादैः, या यस्य परमाऽङ्गना
 प्रविशति आशु हृदयं; दैवाद् वा, कर्मणोऽपि वा,
 हृदय-उत्सव-रूपा या; या समान-मनःशया;
 समान-सत्त्वा; या वश्या; या यस्य प्रीयते; प्रियैः
 या पाशभूता, सर्वेषां इंद्रियाणां परैः गुणैः;
 यया वियुक्तो, निस्त्रीकं, अरतिः, मन्यते जगत्;
 यस्याः ऋते शरीरं ना (नरः) धत्ते शून्यं इव इंद्रियैः;
 शोक-उद्वेग-अरति-भयैः यां दृष्ट्वा नाभिभूयते;
 याति, यां प्राप्य, विश्रम्भं; दृष्ट्वा हुष्यति अतीव यां;
 अपूर्वां इव यां वेत्ति नित्यं, हर्षातिवेगतः;
 दृष्ट्वा स्पृष्ट्वापि बहुशो यां, तृप्तिं नावगच्छति;
 सा स्त्री वृष्यतमा तस्य; (स्व स्व-रुचि-अनुसारतः;
 लोको भिन्नरुचिः यस्मात्); नानाभावाः हि मानवाः।
 अतुल्यगोत्रां वृष्यां च, प्रहृष्टां, निरुपद्रवां,
 शुद्धस्नातां व्रजेत् पत्नीं, अपत्यार्थी, निरुग्रामयः।

‘एक एक इंद्रिय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर में, सभी विषय एकत्र हैं, क्यों न परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीति, रति, संतति, धर्म, अर्थ, लक्ष्मी, सभी, एक दूसरे से प्राप्य हैं। पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती, शुभ लक्ष्णों से सम्पन्न, वश्य, शिक्षित है, वही वृष्य-तमा है; जो हृदय में घुस जाय, हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सत्त्व में और मनःशय अर्थात् ‘काम’ में समान हो, अत्यन्त प्रीति करै, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो पाशों से, फंदों से, बांध ले; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त जगत् को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित जानता है; जिस को देख कर वह शोक-उद्वेग-अरति-भय देने वाले पदार्थों से लड़ने का उत्साह (हिम्मत) बांधता है, धैर्य, विश्रंभ, अपनी शक्ति पर भरोसा, करता है; जिस को नित्य अपूर्व, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिस का दर्शन स्पर्शन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, वृष्यतमा, सब पदार्थों से बढ़ कर ‘वृष्या’, ‘वाजीकरणी’, है। ऐसे ही गुण वाला पति अपनी पत्नी के लिये ‘काम’ का उद्दीपक (‘धेन्व्य-तम’, ‘वाजिनी-करण-तम’) है।’ याद रहै कि प्रकृतियां भिन्न होती हैं; जो वस्तु, जो गुण, जो रूप-रंग, जो हाव-भाव, आहार-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को

१ ‘वष’ की व्युत्पत्ति ‘वृष्’ घातु से है; ‘वर्षति’ जो वर्षा करै, बरसै। साण्ड वीर्य की वर्षा करता है, इस लिये उस को भी, रुढ़ि से, वृष कहते हैं। ‘वाज’ का अर्थ पंख भी, और वीर्य भी; वीर्यवान् बोड़े को, जो पंख वाले पत्नी ऐसा शीघ्र दौड़े, उस को वाजी कहते हैं। ऐसी ही थोड़ी को वाजिनी। और बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को धेनु। जो औषध पुरुष को वीर्यवान् बना दे, उस को वृष्य, वाजीकरण, शुक्रल, आदि नाम से कहते हैं। स्त्री के ‘काम’ की उत्तेजक, उस के ‘रजस्’, वा ‘शोणित’, के वर्धक औषध के लिये कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है; ‘सुभग-करण’ शब्द का अर्थ तो, प्रायः, प्रसव आदि के पीछे भग-संकोचक औषध होता है; पर अधिक विस्तृत अर्थ में भी उस का प्रयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि, भग’ शब्द के कई अर्थ हैं, वीर्य, यशस्, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि।

अप्रिय हो सकता है; “यद् यस्य रोचते, तस्मै, तद् एव अस्ति इह सुन्दर”;
जो जिस को रुचै, वही उस के लिये सुन्दर । जिन को सात्विक उत्तम अपत्य
की इच्छा हो, वह दम्पती परस्पर प्रसंग तत्र करै, जब पत्नी, मासिक श्रुतु से
शुद्ध हो कर स्नान कर चुकी हो, दोनो निरामय नीरोग हों, परस्पर वृष्य और
प्रसन्न हो । वृष, वर्षणो, से वृष शब्द बना है, साधारण अर्थ, साण्ड है;
और भी अनेक अर्थ हैं; वृष, वीर्य की वर्षा करता है, वर्षा से जीव-जन्तु
बहुत उपजते हैं, इसी से वीर्य बढ़ाने वाले पदार्थ को ‘वृष्य’ कहते हैं । ‘वाज’
शब्द के बहुत अर्थ हैं, अन्न, जल, घृत, उस से उत्पन्न बल, वीर्य, वेग,
अर्थात् स्फूर्ति, वेग-साधक पद्म पंख, धन, यज्ञ, आदि; कामशास्त्र के लिये,
वाज का मुख्य अर्थ बल और वीर्य है; जो पदार्थ, बल वीर्य बढ़ावे, वह वाजी-
करण । वाजी का अर्थ घोड़ा भी हो गया है; बल-वीर्य-वेग-वान् होता है;
राजस दृष्टि से, जो पदार्थ, मनुष्य को घोड़े के ऐसा बना दे, वह
वाजीकरण; सात्विक दृष्टि से, जो पदार्थ, शुद्ध शरीर में, ‘यज्ञ’ के, परोप-
कारी कर्म के, उपयोगी बल-वीर्य-बुद्धि-स्फूर्ति की वृद्धि करे । इस स्थान
पर याद रखने की बात है कि, द्वंद्वमय प्रकृति का अखंडनीय अनुरल्लंघनीय
नियम है कि, प्रत्येक सुख के साथ एक प्रतियोगी दुःख, और प्रत्येक
दुःख के साथ एक सुख भी, अवश्य बंधा रहता है । जो पुरुष, वृषता
और वाजिता का लाभ और सुख, वृष्य और वाजीकरण योगों द्वारा
चाहेंगे, उन को तत्प्रतिरूप वैसी ही कोई हानि और दुःख भी सहना ही
पड़ेगा, और उसी मात्रा में मनुष्यता के सुख से वंचित होंगे; तथा जिस
समाज में पुरुष साण्ड और घोड़ा बनना चाहेंगे, उस में स्त्रियां भी वृष-
स्यन्ती (वृष, बली-वर्द, बर्दा, बर्धा चाहने वाली, बर्दाने वाली) गौ, साड़-नी,
बड़वा (घोड़ी), और हस्तिनी (हथनी) अवश्य बनेगी, और पशुता और
व्यभिचार की वृद्धि, तथा आर्य मनुष्यता और सदाचार का हास अवश्य होगा
‘धेन्व्य-तम’, ‘वाजिनी-करण’, ‘धेनू-करण’, आदि शब्द काम में लाये जा
सकते हैं । ऐसे औषधों का प्रयोग तभी करना चाहिये, जब किसी रोग आदि
के कारण शरीर क्षीण हो रहा हो । अन्यथा, जैसा ऊपर कहा, पति-पत्नी
का परस्पर घना प्रेम ही सब से बढ़ कर पुष्टि करने वाला है ।

इतने से सर्वांगीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनुसार, समाप्त होती है ।

पर याद रहै कि, “सर्वे सर्वेण सम्बद्ध”, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का ग्रन्थ लिखने के लिये, अत्रान्तर विषयों का विवेचन, पृथक्करण, राशीकरण, पूर्वापर-समावेशन, सन्दर्भण, अपनी दृष्टि और सुविधा और उद्देश्य के अनुसार, ग्रन्थकर्ता करता है । इस ग्रन्थ में (अर्थात् ‘कामाध्यात्म’ नामक अध्याय में), कामशास्त्र के नीवी-भूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है ।

वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये ।

वात्स्यायनकृत कामसूत्र

कामशास्त्र का इतिहास

काम-सूत्र के प्रथमाध्याय में, वात्स्यायन ने स्वयं काम-शास्त्र का इतिहास, बहुत संक्षेप से, लिखा है । ‘प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्था के लिए, धर्म-अर्थ-काम तीनों पुष्पायों के साधन के उपाय, एक लाख अध्यायों में कहा । उस के धर्म-विषयक अंश को मनु ने अलग कहा; अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; महादेव के अनुचर नन्दी ने एक सहस्र अध्यायों में काम-सूत्र कहा; पाँच सौ अध्यायों में, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने, उसी का संक्षेप किया । पंचाल देश के वासी, बाभ्रव्य ने, एक सौ पचास अध्यायों में, औद्दालक के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया, और सात अधि-करणों में उसे बाँटा, (१) साधारण, (२) साम्प्रयोगिक, (३) कन्या-

१ हरद्वार-दिल्ली प्रान्त, महाभारत काल में, पंचाल कहलाता था; उत्तर भाग, उत्तर पंचाल; दक्षिण भाग (जिस के राजा, उक्र काल में, द्रुपद थे) दक्षिण पंचाल ।

२ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतंजलि का भी एक नाम गोनर्दीय है, क्योंकि पंजाब के उत्तर-पच्छिम में गोनर्दीय प्रान्त में उन का जन्म हुआ; पर यह निश्चित नहीं, कि दो गोनर्दीय हैं, या एक ही ।

सम्प्रयुक्तक, (४) भार्याधिकारिक, (५) पारदारिक, (६) वैशिक, (७) औपनिषदिक । पाटलिपुत्र (पटना) की वेश्याओं के अनुरोध से, दत्तक ने, वैशिक अधिकरण को अलग कहा; चारायण ने साधारण को; सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक; घोटकमुख ने कन्या-सम्प्रयुक्तक; गोनर्दीय ने भार्याधिकारिक; गोणिकापुत्र ने पारदारिक; कुचुमार ने औपनिषदिक (उपनिषद्, रहस्य-विद्या, औषधों, तांत्रिक मांत्रिक प्रयोगों, के विषय में) । बाभ्रव्य के ग्रन्थ की विशालता और दुरध्येयता, तथा उक्त अन्य सात ग्रन्थों की पृथक् पृथक् एक-देशिता और अपर्याप्तता, के कारण, इन सब का सम्पूर्ण अर्थ, वात्स्यायन ने अपने रचे कामसूत्र में, बहुत संक्षेप से, एकत्र कर दिया । इस में, उक्त ७ अधिकरण (मुख्य विषय) और ६४ प्रकरण (उन के अवान्तर विभाग और विषय) हैं, और ये ३६ अध्यायों में बांटे हैं; सम्पूर्ण ग्रन्थ की संख्या १२५० श्लोक है, (अर्थात् ३२-३२ अक्षरों के अनुष्टुप् छन्द के १२५० श्लोकों के परिमाण के तुल्य है) ।

वात्स्यायन ने अपने सूत्रों में, बाभ्रव्य और उन के पीछे के सात ग्रन्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होता है कि ये ग्रन्थ वात्स्यायन को उपलब्ध थे, और उस समय में इन का प्रचार था, पर अब नहीं मिलते ।

काम-सूत्र का हिन्दी अनुवाद

इस काम-सूत्र के अनुवाद, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं में, छुपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, धोरे-धोरे, प्रकट रूप से हुए । हिन्दी अनुवाद भी अब मिलता है, (जिस की चर्चा प्र० ३०४-३०६ पर की गई है), इस लिये, उस के आशय को यहां दुहराने का प्रयोजन नहीं; यथासंभव, संक्षेप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, गुण दोषों की समीक्षा परीक्षा कर देना प्रसंगोचित होगा । अनुवादक ने सूत्रों को ७ मंजरी (अधिकरण-स्थानीय) और ४२ परागों (अध्याय-स्थानीय) में बांटा है; पहिली ६ मंजरियों और उन के परागों में, मूल के क्रम से ही सूत्र रक्खे हैं; पर सातवीं में औपनिषदिक अधिकरण के

सूत्रक्रम में कुछ व्यत्यास (उलट पलट) किया है, कुछ सूत्र छोड़ दिये हैं, तथा कुछ अन्य वृष्य और वाजीकरण के योग (नुसखे, उपाय), आयुर्वेद के ग्रन्थों से ले कर, रख दिये हैं, और मूल के अ० १ सू० १३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा और विवाह आदि के विषय में हैं, और वृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) छठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के अन्त में रख दिया है; यह उचित ही किया है। वेश्याओं के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र और टीका में आई है; कौटलीय अर्थशास्त्र में भी है; मनु आदि स्मृतियों में भी, पुनर्भू पत्नी और पौनर्भव, सहोदृ, आदि बहुविध पुत्रों के सम्बन्ध में। अनुवाद, आर्धाकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, मूल (और जयमंगला टीका का आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चर्य नहीं। मूल में (और टीका में, मूलोक्त से अन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; लिखने की शैली बहुत कृसी (सूत्रों की संक्षिप्तता तो प्रसिद्ध ही है, टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की परम्परा उच्छिन्न; खोजने पूछने से भी अर्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता। मुझे तो पाश्चात्य पुस्तकों में मिली बातों से, और उन के जीवत् ज्ञान से, ऐसे संदिग्ध स्थलों पर कई बर प्रकाश मिला। कम उमर में अनुवादक (श्री विजय बहादुर जी) ने, जितना इस 'लोपित गोपित' विषय पर परिश्रम किया, और, दुष्ट-कामीय आचार के विरुद्ध चैतावनी लिख कर, वात्स्यायन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े दोष के मार्जन का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है। वात्स्यायन ने भी, ऐसे घृण्य (घृणा-योग्य) प्रकारों से आवर्जन (चैतावनी, खबरदारी, मना, बरजना) की सूचना की है; पर १२५० श्लोको में, मुश्किल से १०-१२ श्लोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोभन के पश्चात् एक माशा वर्जन। मैं ने काम-सूत्र और 'कामकुञ्ज' की (जो अनुवाद ग्रन्थ का नाम रक्खा गया है) निजी प्रतियों के पत्रों के मर्म (हाशियों) पर बहुत सी टिप्पणियाँ उक्त बातों पर लिखी हैं; पर उन सब की चर्चा यहाँ असम्भव है, पचासों पृष्ठ और बढ़ जायँगे, जिस का अवसर नहीं।

स्त्री-सौन्दर्य तत्त्व पर, अनुवादक ने, अन्य ग्रन्थों से ले कर कुछ लिखा है; स्त्री शरीर के “चार भाग उज्ज्वल वर्ण;” “चार कृष्ण;” “चार रक्त;” “चार भाग गोल” “चार लम्बे;” “चार मोटे” “चार विशाल”, होने चाहियें, (‘काम-कुंज’, पृ० ४३५); किस ग्रन्थ से उद्धरण किया, यह नहीं लिखा; इस विषय पर मूल-सूत्र वा टीका में मुझे कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सौन्दर्य-तत्त्व पर, न मूल में, न टीका में, न ‘कामकुंज’ ही में, कुछ लिखा है; दोनों पर लिखना आवश्यक था; वाल्मीकि ने राम जी का भी और सीता देवी का भी ‘आपाद-तल-चूडान्त’, नख-सिख (पैर के नखों से सिर की शिखा तक, वर्णन किया है। अशोक-वनिका में हनुमान् सीता देवी के पास गये, कहा ‘मैं राम जी का दूत हूँ; सीता ने पूछा ‘कैसे जानै ? राम जी के रूप का वर्णन करो’; हनुमान् ने कहा ‘बहुत अच्छा—त्रि-स्थिरः, त्रि-प्रलम्बश्च, त्रि-समः, त्रिषु चोन्नतः, त्रि-ताम्रः, त्रिषु च स्निग्धो, गम्भीरः त्रिषु नित्यशः, विपुलांसौ, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, शुभाननः। इत्यादि (सुन्दर कांड, अ० ३५) तथा सीता देवी के शरीर का वर्णन, युद्धकांड, सर्ग ४८, में किया है। भारतीय अर्वाचीनो ने, पुरुष की ही दृष्टि से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, परिग्रही है, स्त्री केवल गुलाम है, भोग्य है, द्रव्य है—यही भाव दिन दिन बढ़ते गये; इसी से उन में यह महा दोष आ गया। प्राचीनो ने स्त्री को भी स्वामिनी, तुल्याधिकारिणी, सह-धर्म-चारिणी जाना माना। ढाई हजार वर्ष हो गये, ग्रीस देश में आरंभ कर के आज तक, यूरोप में, स्त्री और पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्दर चित्र, तथा सुन्दर मूर्तियां, प्रतिमाएं, बनाई जाती रही हैं।

काम-सूत्र के गुण-दोष

वात्स्यायन के काम सूत्र में बहुत गुण हैं, बड़े भारी दोष भी हैं; जैसा पृ० ४०८ पर सूचित किया। पर-दार-गमन और वेश्या-गमन के सम्बन्ध में, वात्स्यायन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है—यथा ‘(सुराम्) पाययेयुः अनुपिबेयुः,’ ‘पर-परिग्रहान् अभ्युपगच्छेत्,’ ‘दूत्या साधयेत्’ ‘विद्वेषं ग्राहयेत्,’ ‘वर्णयेत्,’ ‘दर्शयेत्,’ ‘श्रावयेत्,’ ‘योजयेत्,’ ‘विसृजेत्,’ ‘प्रेष

येत्', 'प्रवेशयेत्', 'कुर्यात्', 'आह्वयेत्', 'संसृज्येत', 'आचरेत्', 'बुध्येत', 'यतेत्', 'प्रणिदध्यात्', 'त्रिट-पुरो-गा प्रीतिं योजयेत्', 'आनयेत्', 'रंजयेत्', 'सारद्रव्याणि हस्ते कुर्वीत', 'असारं अपवाहयेत्', 'निष्पीडितार्थं उत्सृजेत्', 'निष्कासयेत्', 'परित्यजेत्', इत्यादि । अर्थात् 'वेश्याओं के साथ शराब पीये पिलावै, दूसरो की पत्नियो (परिग्रहों) से प्रसंग करै, दूती (कुट्टनी) के द्वारा साधे, द्वेष (कलह) करा दे, ऐसा ऐसा काम अंपना मतलब साधने के लिये करै, विटो (वेश्याओं के दलालो, कुट्टनो) के द्वारा प्रीति के संदेश भेजै, वेश्या इस प्रकार से धनवान् मूर्ख को अपने बश मे करै, उस के सब सार धन को स्वयं हथिया ले (अपने हस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्पीडित हो जाय, निचुड़ जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल दे,' इत्यादि' । वात्स्यायन के ये शब्द विधि-वाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं कि ऐसा करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जैसे अन्धे को कूप का रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ और कूप मे गिरो; अ-योनि मैथुन, वि-योनि-मैथुन, यृथ-मैथुन, ('गोष्ठो-परिग्रह') आदि के सम्बन्ध मे भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहे हैं । उचित प्रकार कहने का यह था और है कि, 'एवं दुष्टाः, असाधवः, अनार्याः, अदूरदर्शिनः, महापातकिनः, नरकगामिनः, कुर्वति', 'इस इस रीति से दुबुद्धि असाधु अनार्य अदूरदर्शी दुष्ट, महापापी, घृण्य, स्वयं नरक मे गिरने वाले और दूसरो को गिराने वाले, स्त्री और पुरुष करते हैं; भले आदमी को ऐसा से सदा सावधान रहना चाहिये' । बहुभार्यक बहु- (पत्नी)-चारी के वृत्त के सम्बन्ध मे भी, वात्स्यायन के सूत्र मे कुछ ऐसा दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योंकि, उस समय मे, ऐसा बहु-विवाह, समाज मे, सद्-आचार के विरुद्ध नहीं समझा जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग मे भी, अति पातक, और वेश्या-गमन भी अनुचित, अधर्म, निन्दनीय, मुख से तो कहा ही जाता था ।

काम-सूत्र के उक्त घोर दोष का कारण प्रायः यही होगा कि वात्स्यायन, महा

१ काशी की वेश्याओं से पूछ कर, वेश्या शास्त्र का ग्रन्थ, 'कुट्टनी-मर्त', काश्मीर की वेश्याओं क लिये, आठ नौ सौ वर्ष हुए, लिखा गया ।

साम्राज्य के महाबुद्धिमान् महापंडित महामंत्री होते हुए, महाकुटिल भी थे, और उन के भाव और विचार और कृतियाँ, बहुत अंशों में साम्प्रत-कालिक (माडर्न, modern) पाश्चात्य राष्ट्रनायकों की सी थीं। इस विषय में इतिहास-विशेषज्ञों में मतभेद है, कि अर्थ-शास्त्र नामक अद्भुत ग्रन्थ के रचयिता 'कौटिल्य-चाणक्य', और काम-सूत्र के 'वास्त्यायन', एक ही थे या नहीं^१। श्री श्याम शास्त्री ने, जिन्होंने लुप्त 'अर्थ-शास्त्र' का पहिले पता लगाया, मुद्रण कराया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अपने उपोद्धात में, इस विषय को, विस्तृत विचार कर के, प्रायः संशयित ही छोड़ दिया; किंतु प्रथा यही है कि अर्थशास्त्र-कार, कामसूत्र-कार, पंचतंत्र-कार, चाणक्यनीति-कार, और गौतमीय न्यायसूत्र के (वास्त्यायन-नामक) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। कलियुग-व्यास कहलाने वाले हेमचंद्र-आचार्य जैन ने, १२ वीं शती ई० में, अपने कोष, "हेम", में, उन के आठ नाम लिखे हैं,

वास्त्यायनः, मल्लनागः, कौटिल्यश्च, चणकात्मजः,

द्रामिलः, पञ्चलस्वामी, विष्णुगुप्तोऽङ्गलश्च सः।

वास्त्यायन के नाम से 'काम-सूत्र' (और न्याय-भाष्य), कौटिल्य-चाणक्य के नाम से 'अर्थ-शास्त्र', विष्णुगुप्त के नाम से 'पंच-तन्त्र' ग्रन्थ विख्यात हैं; अन्य नामों से लिखे ग्रन्थों का, वा नामों के कारणों का, पता मुझे नहीं है। 'दश-कुमार-चरित' में दंडी कवि ने, विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम के एक ही व्यक्ति के बनाये 'अर्थशास्त्र' से उद्धरण

१ विभिन्न शास्त्रों पर एक ही विद्वान् उत्तम ग्रन्थ लिखे, यह असंभव नहीं; हां, ऐसे विशिष्ट बुद्धिमान् विरल होते हैं; आजकाल भी यूरोप में ऐसे बहुशास्त्री अग्रगण्य ग्रन्थकार विद्यमान हैं। तथा यह भी याद रखने की बात है कि, वास्त्यायन-चाणक्य के नाम से जो ग्रंथ कहे जाते हैं, वे, प्रायः, प्राक्तन सामग्री के संग्रह रूप, वा संचेप रूप, हैं, वा आशयानुवाद हैं; यद्यपि ऐसे कार्य को भी उत्तम प्रकार से करने के लिये विशिष्ट मेधा चाहिये। तथा यह भी याद रहे कि विशाल साम्राज्य के प्रधान मंत्री को अच्छे योग्य सहायकों की कमी नहीं।

किया है, और एक धूर्त के मुख से उस का अपहास कराया है ।

‘अर्थ-शास्त्र’ की ‘कुटिल’ नीति प्रसिद्ध है । मैं ने अपने ज्येष्ठ भ्राता, श्री गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के विषय में बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द ‘कौटिल्य’ है, क्योंकि विष्णुगुप्त-चाणक्य के पूर्वज का नाम ‘कुटिल’ था; पर उन की कुटिल-नीति के कारण ‘कौटिल्य’ के स्थान पर ‘कौटिल्य’ को, सहस्र मुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वैशिक, प्रभृति विषयों में जो कुटिल नीति कामसूत्र में मिलती है, वैसी ही राजनीतिक व्यवहारों के लिये अर्थशास्त्र में भी है । पंडित-मंडली में ऐसा प्रायोवाद है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही ‘अर्थशास्त्र’ का पठन पाठन और व्यवहरण, (व्यवहार में प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में लाना), उच्छिन्न हो गया । उस के पीछे के अन्य ग्रन्थों में कहीं कहीं छोटे-मोटे उद्धरणों से उस की स्मृति बनी रही है । परन्तु वह प्रतीति, दृढ़मूल नहीं जान पड़ती; क्योंकि समाज के जीवन में धार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक व्यवहारों में कुटिलता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छठवीं शती ई० के पश्चात्, कामीय दुश्चरित्र, आभिजात्य-मद, जाति-विद्वेष, धर्माभास, छल,

१ श्री गोविन्ददास जी के प्रोस्साहन से, और उन्हीं की दी हुई काम-सूत्र और जयमंगला टीका की प्रतियों से, (जिन प्रतियों को उन्होंने ने दक्षिण देश में पाया था), काशी में, प्रथम बार, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ में, इस लुप्तप्राय प्राचीन ग्रन्थ का सकलांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण के लिये उन्होंने ने और बहुत सी सामग्री एकत्र की थी, एतद्विषयक पाश्चात्य साहित्य की भी, और, प्रतिवर्ष के अपने भारत देशाटन में, भारतीय ग्रन्थों की, तथा वर्त्तमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों की भी; पर श्वास रोग से बहुत पीड़ित रहने, और ६० वर्ष की उमर में शरीर छूट जाने, से, द्वितीय संस्करण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी । भारत के कितने ही छापाखानों में छपे, विविध शास्त्रों के पचासों संस्कृत ग्रन्थों की भूमिकाओं में, सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, कृतज्ञता प्रकाश किया है ।

कपट, द्वैधीभाव, विश्वासघात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत में बढ़ते ही गये। अन्य कारण जो कुछ हो, मुख्य कारण, 'अर्थ-शास्त्र' की नीतियों के अन्-अनुष्ठान का, और ग्रन्थ के उच्छेद का, यह जान पड़ता है कि, जिस प्रकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, और जिस के बीच, वह लिखा गया, वह प्रकार ही, काल के प्रवाह से, अर्थात् कालकृत इतिवृत्तों से, विदेशी आक्रमणों से, स्वदेशी शील-भ्रंश से, बदल गया; न वह साम्राज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने कृष्ण के मुख से कहा है, "ज्ञानानि अल्पी-भविष्यन्ति, दिवं याते पितामहे", 'जब पितामह भीष्म परलोक को चले जायेंगे, तब पृथ्वी पर ज्ञान अल्प हो जायेंगे, इन के ऐसा कोई 'वेद-पार-ग' न रह जायगा'; सो, भीष्म के बाद, दार्ई हजार वर्ष तक, शास्त्र-बल, शस्त्र-बल, धन-बल, श्रम-बलों का, सब का, हास ही होता रहा; फिर बौद्धकाल में, वैदिक और बौद्ध दोनों साहित्यों और ज्ञानों ने, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परस्परस्पर्धा से, प्रायः एक हजार वर्ष तक, अपना जीर्णोद्धार किया; और उस के पीछे, पुनः सब प्रकार का हास ही होता गया, समाज का रूप भी अधिकाधिक विकृत हो गया।

काम-सूत्र में एक और दोष है, जो उस में आदि से अन्त तक भरा है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य में यह व्याप्त है; इस दोष की चर्चा कई बेर पहिले की गई है; अर्थात्, स्त्री भोग्य और पुरुष भोक्ता, स्त्री परिग्रह (मिलकीयत) और पुरुष परिग्रही (मालिक), यह मिथ्या भाव रूपी दोष; यह दोष कामसूत्र में आद्योपान्त भरा है, इस से, सूत्रों का अच्छा अंश भी क्लुषित हो रहा है।

गुण भी इस में बहुत हैं; 'सूचनात्, सूचीवद् विषयग्रन्थनात् च, सूत्र', जो विषयों का सूचन करै, और जैसे सूई कपड़ों का, वैसे उन का पर-पर ग्रन्थन करै, उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सूत्र; इस लक्षण को यह ग्रन्थ चरितार्थ करता है। बहुत स्वल्प शब्दों में बहुत बातें कह दी हैं। 'सैकालोजी आफ़ सेक्स', Psychology of Sex, का सार इस में सब आ गया है। पाश्चात्य ग्रन्थ, उदाहरणों और टीकाओं का काम देंगे, कामिक मानस वृत्तियों और शारीर चेष्टाओं के सम्बन्ध में। अष्टाङ्ग मैथुन

और एकचारिणीवृत्त के सम्बन्ध में इस के गुण की (तथा त्रुटियों की भी) चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के वृत्त का भी, तथा बहु-(पति)-चारिणी 'पत्नी' का भी, हाल लिखना चाहता था। देहरादून, कमाऊं, गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों में, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक साथ विवाह, कहीं कहीं, हो जाता है, जैसा द्रौपदी का पांडवों से; तिब्बत में, तथा सीलोन आदि देशों में भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो ग्रन्थ संस्कृत में कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण करते हैं; कोई नई बात नहीं लिखते। अनुमान होता है कि भारत का शास्त्रीय हास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया। बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त और शशाकगुप्त के समय तक, हजार बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्नति और समृद्धि का था; पर किन्हीं पहलुओं (पत्नों, अंशों) में, हास का भी; बुद्ध से दो सौ वर्ष पीछे चन्द्रगुप्त और चाणक्य हुए; स्यात् वैसा साम्राज्य, उस समय, पृथ्वीतल पर अन्य किसी देश में नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ('एम्पायर' empire), प्रतापी भी, इस के समकालीन, पृथ्वी पर कई थे, चीन में, ईरान में, ग्रीस में, और रोम में। चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय में साम्राज्य ने और भी विस्तार पाया और उन्नति किया। पाणिनि आदि, विष्णुगुप्त-चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नहीं होंगे; इन के सम्बन्ध में रोचक कहानियाँ (कथानक) 'कथा-सरित्-सागर' नामक बृहत् काव्य के आरम्भ में कहीं हैं। पंच-तन्त्र में विष्णुगुप्त ने लिखा है,

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर् अहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः,

मीमांसाकृतं उन्ममाथ सहसा हन्ती मुनिं जैमिनिं,

छंदोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिगलं;

हिंसाणां हि तमोविमूढमनसां कोऽर्थः तिरश्चां गुणैः ।

‘व्याकरण-सूत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मीमांसा-सूत्र-कार जैमिनि को हाथी ने, छंदः-सूत्र-कार पिगल को मगर ने मार डाला; हिंस्र पशुओं को गुणों से क्या मतलब?। इस से जान पड़ता है कि पंचतन्त्रकार से बहुत पुरानी बात यह सब न होगी। कामसूत्र से ग्रंथकार की बहुश्रुतता

प्रतिपद जान पड़ती है ; रेल, तार, छापा आदि न होते हुए भी, भारत के विभिन्न प्रांतों के विशेष विशेष कामीय वृत्त और आचार व्यवहार लिखे हैं ; यथा, 'प्रहसन' के दुष्ट प्रकारों से चोल देश के राजा ने चित्रसेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; शा(सा?) तवाहन शातकर्षि ने भी महादेवी मलयवती को यों मार ही डाला ; पाण्ड्यराज के सेनापति नरदेव ने एक नटी को कानी कर दिया ; गूर्जरात (गुजरात) देश में, कोट्ट के राजा आभीर ने, जब श्रेष्ठी (सेठ) वसुमित्र के घर में, उस की भार्या के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब राजा के छोटे भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक रजक (धोबी) के द्वारा, आभीर को, वहीं, वसुमित्र के घर में, मरवा डाला ; काशिराज जयत्सेन, जब अपने अश्वध्वज के घर में, उस की भार्या से व्यभिचार के लिये, घुसा, तब अश्वध्वज ने स्वयं उसे वहीं मार दिया ; इत्यादि । लाट देश (मालव से पश्चिम), आन्ध्र, मध्यदेश, वाह्लीक, अवन्ती, मालव, आभीर देश (कुरुक्षेत्र आदि), पंचनद, सिन्धु, अपरान्त (पश्चिम समुद्र के पास), स्त्री राज्य (दक्षिण में, पश्चिम समुद्र के तीर), कोशल, महाराष्ट्र, पाटलिपुत्र, द्रविड देश, कोंकण से पूर्व वनवास देश, गौड़ देश, अहिच्छत्रा, साकेत, शौरसेन देश (कोशाम्बी के दक्षिण), वत्सगुल्म-देश, विदर्भ, हिमवद् देश, अग, वंग, कलिग, आदि में इस इस प्रकार के मैथुनीय व्यवहार होते हैं—ऐसे वृत्तों से वात्स्यायन की बहुश्रुतता और विविध-देश-वार्त्ता-संग्राहकता सिद्ध होती है । आधुनिक पाश्चात्यों में ये गुण परा काष्ठा को पहुँचे हैं । जो वैज्ञानिक साधन इन्होंने अपने बुद्धिबल से उपलब्ध किये हैं, वे वात्स्यायन को स्वप्न में भी प्राप्य नहीं थे; इन के बल से, इन पाश्चात्यों ने, समग्र पृथ्वीतल को, भूगर्भ को, समुद्र के उदर को, वायु मंडल को भी, छान डाला है ; अब नये भारतीय भी उन का अनुकरण करने लगे हैं । ऐसे उपकरणां के अभाव में भी चाणक्य-वात्स्यायन आदि ने जो किया, वह बहुत किया ।

कामसूत्र में, आज काल के यूरोप-अमेरिका की सी ऐतिहासिक बुद्धि, समीक्षा-दृष्टि, गवेषणा-रुचि, और वैज्ञानिक तर्कशीलता और वास्तविकता

(वस्तुस्थिति की जाच) दिखाई देती है ; इन्हीं हेतुओं से वह युग, शास्त्रोत्कर्ष का युग भी था ; इधर, सैकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी शास्त्र के विषय में, नहीं देख पड़ती (स्यात्, कुछ अल्प मात्रा में, वैद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर ही 'पंडित' लोग धन्यम्न्य रहते हैं, 'शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र' की रट चारों ओर सस्कृतज्ञों में होती है; नये उपज्ञान की सहायता से शास्त्र-संस्कार, शास्त्र-सशोधन, नूतन-शास्त्र-प्रवर्तन का यत्न नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्कर्ष के स्थान में अपकर्ष । पाश्चात्य देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तर्कशक्ति, नवीन प्रश्नोत्तर-रुचि, नवीन गवेषणा-सामर्थ्य, का नवीन मस्स्यावतार, इस देश में जगदात्मा ने भेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अधिक बलवान्, और दोष-ग्रहण और तिरस्कार और द्वेष का भाव कम, हो, तो पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में, पुनरपि 'वेदों' का, ज्ञानों का, शास्त्रों का, शांतिस्थापक, प्रीतिकारक, समृद्धिवर्धक उद्धार और विकास होगा । अस्तु । एव अस्तु ।

काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान् अंश, सब गृहस्थों को पढ़ना जानना उचित है ; प्रनिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान् अंश के सहित समग्र ग्रन्थ, प्रौढ़ों के ही पढ़ने योग्य है । सब अश इस के, सब छोटी बड़ी उमर वाले के पढ़ने के योग्य नहीं हैं; कोमल चित्त वाले अल्प-वयस्को को इस से साध्वस और अति क्षोभ हो सकता है ।

समाज के सब अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशास्त्र पर एक श्रेणी, छोटे बड़े ग्रन्थों की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देश में, समाजहितैषियों ने, तयार किया है । १८६७ ई० में पादरी सिल्वेनस स्टाल (Rev. Sylvanus Stall) ने, एक श्रेणी, 'सेक्स ऐण्ड सेल्फ़; सीरीज़' के नाम से छापी; उस में (१) 'बालक को क्या जानना चाहिये', (२) 'बालिका को क्या', (३) 'युवा को क्या', (४) 'युवती को क्या', (५) 'विवाहित को क्या', (६) 'विवाहिता को क्या', (७) 'वृद्ध को क्या', (८) वृद्धा को क्या जानना चाहिये', ऐसी आठ पुस्तकें हैं; बहुत अच्छे लेख हैं; पादरी 'सद्ब्राह्मण' थे; शुद्ध लोकोपकार के हेतु, उस समय की दृष्टि से बहुत सामाजिक निन्दा की जोखिम उठा कर, उन्हो ने यह उत्तम कार्य किया ।

भारत समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पाश्चात्य नवीनतम ज्ञान से उपोद्बलित, बनाना चाहिये । पादरी श्री स्टाल के ग्रन्थ (अत्र, १९४६ ई० से) चालीस पचास वर्ष पहिले लिखे गये, पर वे आज भी नये हैं, और बहुत उपयोगी हैं । इधर हाल मे, दस पन्द्रह वर्ष के भीतर, जननेद्रियों की बनावट, उन के अवयवों के रूप, कार्य, निस्स्यन्द आदि के, तथा गर्भाधान-निरोध आदि के प्रकारों के, विषय मे नये ज्ञान और उप-ज्ञान, नये आविष्कार, बहुत हुए हैं, और इन विषयों पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं । सर्व-साधारण के उपयोग की बातें, डाक्टर मेरी स्टोप्स (Dr. Marie Stopes) के ग्रन्थों मे अच्छी नीयत से लिखी गई हैं, यद्यपि उन का भाव उतना ऊंचा सालिक नहीं है जैसा पादरी स्टाल का ।^१ पृ० २११-२१२ पर लिख आये हैं कि बच्चे, अक्सर, माता, पिता, अन्य गुरुजनो, वा अधिक उमर वालों से पूछते हैं, 'नया बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया,' (जोड़ा-लगते हुए पशुओं पक्षियों को देख कर) 'यह क्या कर रहे हैं,' इत्यादि; वृद्ध लोग प्रायः हँस कर टाल देते हैं, या बहकाने वाले मिथ्या-प्राय उत्तर दे देते हैं, या (अति अनुचित) धमका देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने को मना कर देते हैं; अपनी बाल्यावस्था के ऐसे ही कुतूहल को, और उचित उत्तर न पाने से जो चित्त मे अशांति हुई, और इस का अपने अनुभव मे जो फल हुआ था, उस सब को, दुर्भाग्य से, भूल जाते हैं; फल प्रायः यही हुआ और होता है, कि बच्चे दूसरे सयानों से पूछते हैं, जो उन के हितचित्तक नहीं, जो निर्लज्ज हैं, अथ च जो अपनी कामिक वासनाओं को इन अभागे भोले बच्चों पर ही निकालते हैं, उन को दुष्ट उपदेश देते हैं, दिखा कर समझाने के बहाने ऐसे पाप तक भी कर डालते हैं जिन से उन बच्चों के शरीर और चित्त सदा के लिये दूषित और रोगी हो जाते हैं, और सारा जीवन विष से सिक्त हो जाता है । ऐसे घोर दुष्फलों का प्रतिपादन, 'सैको-ऐनालिसिस,' psycho-analysis, नामक उपशास्त्र के पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने बहुत और अच्छा किया है ।

^१ पृ० ३२२-३२४ पर अन्य ग्रन्थों की चर्चा की गई है; उन मे, डाक्टर स्टोन और डाक्टर एक्स्टर के ग्रन्थ बहुत अच्छे और अधिक उपयोगी हैं ।

चेतावनी

ऊपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रलोभन और अधःपतन की सामग्री ब्रह्म, और उन से बचाने वाली चेतावनी के शब्दों की मात्रा, नहीं के बराबर, पाठक के सामने रखी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रत्ती। जो चेतावनी उन्होंने ग्रन्थ के अन्त में रखी है, वह आदि में रखना उचित था। धर्म-अर्थ-काम को वात्स्यायन ने प्रथम सूत्र में नमस्कार कर के, आगे धर्म और अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का तो सारे ग्रन्थ ही में अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चौथे मूत्र में नाम मात्र लिख के, और यह कह के कि, उस की विता वृद्धावस्था में करनी चाहिये, उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया। चारो पुरुषार्थों का, साक्षात् वा परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान में रख कर, मोक्षशास्त्र के अन्तर्गत 'अध्यात्म'-शास्त्र का प्रकाश, प्रतिपद, कामशास्त्र पर डालते रहना उचित है; इसी का यत्न यहां 'कामाध्यात्म' में किया गया है। जो थोड़ी सी चेतावनी वात्स्यायन ने की है, उस का संग्रह यहां कर देता हूँ।

औपरिष्टक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्जन, विशेष कर के राजा, मंत्री, वा अन्य विद्वान्, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया करती है, वह ऐसे निकृष्ट काम न करे करावै,

न शास्त्रं अस्ति इति एतावत् प्रयोगे कारणं भवेत् ;

शास्त्रार्थान् व्यापिनो विद्यात्, प्रयोगांस तु एकदेशिकान् ;

रसवीर्यविपाकादि, श्वमांसस्य अपि, वैद्यके

कीर्तिताः; इति तत् किं स्याद् भक्षणीयं विचक्षणैः ?

संति एव पुरुषाः केचित्, संति देशास् तथाविधाः,

संति कालाश्च, येषु एते योगाः न स्युर् निरर्थकाः ।

'शास्त्र की पोथी में बात लिखी है, इतने ही से उस का प्रयोग नहीं कर डालना चाहिये; शास्त्र में अनुगमात्मक व्यापक बातें प्रायः लिखी जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था में किया जाता है; जो एक रोगी के लिये चर्या लिखी है, वह सब प्रकार के सब रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को;

कुत्ते के मांस के भी रस, वीर्य, विपाक आदि का वैद्यक में वर्णन किया है, इसलिये क्या उस को खा ही लेना चाहिये ? किसी विशेष व्यक्ति के लिये, विशेष देश काल में, वे उपयोगी हो सकते हैं ।' प्रहृणन आदि, "कष्टं अनार्यवृत्तं अनार्यैः", अनार्यों के आचरण, तिरस्कार के योग्य, हैं ।

बहुभार्यता के सम्बन्ध में,

वरं वश्यो दरिद्रोऽपि निगुणोऽपि आत्मधारणः;

गुरुर्युक्तोऽपि न तु एवं बहु-साधारणः पतिः ।

'वही पति अच्छा है जो अपनी अकेली पत्नी से प्रीति करता है, जो उस का वश्य है, जिस की वह पत्नी वश्य है, चाहे वह पति दरिद्र भी हो, चाहे निगुण भी हो, केवल अपने कुटुम्ब मात्र का किसी तरह से पालन कर लेता हो । वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियां हों, चाहे उम में कई गुण भी हों, और वह धनाढ्य भी हो ।'

पारदारिक के विषय में,

एभ्यः एव च कारणेभ्यः स्वदारान् रक्षयेत् ।

संदश्य शास्त्रतो योगान्, पारदारिक-लक्षितान्,

न याति छलनां कश्चित् स्वदारान् प्रति शास्त्रतः ।

पाक्षिकत्वात् प्रयोगाणां, अपांयानां च दर्शनात्,

धर्मार्थयोश् च वैलोग्यात्, नऽाचरेत् पारदारिकं ;

तद् एतद् दारगुप्स्यर्थं आरब्धं, श्रेयसे नृणां ;

प्रजानां दूषणाय एव न विज्ञेयो हि अयं विधिः ।

न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनप्रवेशो विद्यते ;

महाजनेन हि चरितं एषां दृश्यते, अनुविधीयते च ।

न तु एव पर-भवनं ईश्वरः प्रविशेत् ।

न तु एव एतान् प्रयुंजीत राजा, लोकहिते रतः ;

निगृहीतारिषड्वर्गः तथा विजयते महीं ।

'पारदारिक व्यभिचारियों के छुलों को जान कर, उन से सज्जन अपनी पत्नी की रक्षा करै; व्यभिचार के महा दोषों को पहिचान कर, और उस के अपायों, अनर्थ की परम्पराओं, को देख कर, धर्म और अर्थ दोनों

का उन से नाश जान कर, स्वयं सज्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को और दूसरो को बचाता ही रहे ; काम-सूत्र में, पारदारिक मनुष्यों, तथा वेश्याओं, कुट्टनियों, विटों, के, कपटों, ठगने के प्रकारों, और अति नीच, अति कमीने, आचरणों, का वर्णन किया है; इसी लिये किया है कि, भले आदमों, इन को जान कर, सावधान रहें, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा अन्य कुटुम्बी जन और बन्धु बान्धव की, रक्षा कर सकें।^१ यह सब इस लिये नहीं वर्णन किया है कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक में गिराया जाय । विशेष कर के राजा और राजमंत्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियों को ऐसे दुराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, सब प्रजा, इन के आचरित को देखती है, और उस का अनु-विधान, अनुकरण, करती है । जो राजा अपना भला और प्रजा का भला चाहता है, वह काम क्रोध आदि अपने अभ्यंतर ह्यः रिपुओं को अपने वश में लाता है; और तब सब जनता उस के वश में स्वयं आ जाती है ।^१

अन्त में वात्स्यायन ने लिखा है,

बाभ्रवीयांश् च शास्त्रार्थान् आगमस्य विमृश्य च,
वात्स्यायनश् चकार इदं कामसूत्रं यथाविधि ;
पूर्वशास्त्राणि संदृश्य, प्रयोगान् अनुसृत्य च,
कामसूत्रं इदं यत्नात् संचेपेण निवेदितं ।
धर्मं, अर्थं च, कामं च, प्रस्थयं, लोकं एव च,
पश्यति एतस्य तत्त्वज्ञो, न च रागात् प्रवर्तते ।
अधिकारवशाद् उक्ताः ये चित्राः रागवर्धनाः,
तदनन्तरं अत्र एव ते यत्नाद् विनिवर्तिताः ।

१ दूसरों की दाराओं के पीछे पड़ कर, वा वेश्याओं के फंदों में फंस कर, मनुष्य जो मुसीबतें भुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोड़ा भी आँख घुमाने से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालूम हो जाती है; पर, मनुष्यों में, विचारशीलता की अभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः पुनः याद दिलाता पढ़ता है । अन्न के एक तालुकदार राजा,

तद् एतद् ब्रह्मचर्येण, परेण च समाधिना,
 विहितं लोकयान्त्रार्थं; न रागार्थोऽस्य संविधिः ।
 रक्षन् धर्मार्थकामानां स्थितिं स्वां, लोकवर्तिनीं,
 अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञो भवति एव जितेन्द्रियः;
 तद् एतत् कुशलो विद्वान्, धर्मार्थो अवलोकयन्,
 नातिरागऽत्मकः कामी प्रयुञ्जानः प्रसिद्ध्यति ।

‘ब्राह्मवीय शास्त्र को पढ़ कर, और उस का अच्छी तरह विमर्श कर के, तथा पूर्व में लिखे अन्य शास्त्र-ग्रन्थों को देख कर, और लोक में प्रवर्तमान प्रयोगों आचरणों का भी पता लगा कर, उन का अनुसरण सन्, १६४२ ई० में चौदह वर्ष की कैद की सजा भुगत रहे थे; उन की राजमाता, विधवा, को भी वही कारावास दंड हुआ था । क्यों ? दोनों ने मिल कर, राजा ने अपनी रानी, राजमाता ने अपनी पतोहू, की हत्या का यत्न किया; उस पर पिस्तौल से गोली चलवाई, उस के एक बांह में गोली लगी, जान बच गई । क्यों यह हत्या का यत्न किया ? राजा एक अन्य स्त्री पर आसक्त थे; वह, विवाह के द्वारा इन को वश किये बिना, इन के साथ नहीं रहना चाहती थी, न सपत्नी को ही बर्दाश्त कर सकती थी; इस लिये, राजा ने, पहिली पत्नी को मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहा था; और माता ने, इस ‘शुभ कार्य’ में, उन का साथ दिया; अपनी पुत्रवधू से अन्यथा भी अप्रसन्न थीं; हिन्दू घरों में, सास पतोहू में अनबन हुआ ही करती है; अंग्रेजी घरों में तो दोनों एक साथ रहती ही नहीं । यह भी लिख देना चाहिये कि, मुकद्दमे के दौरान में, राजा की ओर से, रानी के ऊपर भी दुश्चरित्र का आक्षेप किया गया था । दूसरे उदाहरण देखिये; बहुत वर्ष नहीं हुए, काशी के दो सम्पन्न घरों के दो युवा लडकों ने, आत्महत्या कर ली; एक ने फांसी लगा कर, एक ने विष खा कर । क्यों ? उन के पिताओं पर दो वेश्याओं का ऐसा जादू चढ़ गया था, कि उन वेश्याओं को अपने घर में ला कर, अपने पत्नियों के सिर पर बिठा दिया था । लडकों से माताओं की दुर्दशा, और अपनी तिरस्कृति, सही न गई ।

अनु-एषण अनु-संधान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र कहा । इस के तत्त्व को समझ लेता है, वह धर्म-अर्थ-काम को, लोक मे प्रत्यय (प्रतीति, विश्वास्यता) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण को तत्त्वतः जान जाता है, और फिर कभी अति-राग से अन्ध नहीं होता । अधिकार-प्राप्त, प्रसंग-प्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगो प्रकारो का यहा वर्णन किया, उन का विनिवर्त्तन, आवर्जन, अवधीरण, भी, अनन्तर ही यहा कर दिया है । यह सब ग्रन्थ, ब्रह्मचर्य का पालन कर के समाधिपूर्वक, एकाग्र चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख और कम दुःख के साथ, सरलता से निबहै; ऐसे ही ब्रह्मचर्य और समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए; तभी अध्ययन सुफल होगा । राग बढ़ाने के लिये यहा विधान नहीं किया है । धर्म और अर्थ (और मोक्ष) को जो सदा ध्यान से रखता है, काम से अन्धा नहीं होजाता, उचित मात्रा मे, जितेन्द्रिय हो कर शास्त्र के तत्त्व को समझ कर, धर्मानुकूल प्रकारो से ही, सात्त्विक काम का सेवन करता है, वह धर्म-अर्थ-काम तीनों की सिद्धि प्राप्त करता है' । इति ।

समापन

सर्वांगीण कामशास्त्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्चयेन उम मे बहुत संशोधन परिष्करण की आवश्यकता है । पाठक को, उस से, केवल स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशास्त्र मे क्या बातें होनी चाहिए । कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता को ध्यान दिलाता हूँ, कि बहुविध आपत्तियों से नई पुस्त को बचाने के लिये, ऐसे कामशास्त्रीय, लघु, मध्य, बृहद् ग्रन्थो की श्रेणी, आर्ष, वत्सल, लोकोपकारक भाव से लिखी हुई, समाज को अत्यंत अपेक्षित है, जिन ग्रन्थो को माता, पिता, अध्यापक, वा अन्य गुरुजन, अपने बच्चो, पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों, नत्ता-नप्त्रियों, शिष्य-शिष्याओं, युवक-युवतियों, वर-वधुओं

के हाथ मे, यथासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विश्वास के साथ दे सकें कि, इन के पाठ से उन का भला ही होगा ।

ॐ

(परमात्म-स्वभावोऽयं, काम-संकल्पना-मयः,
‘अहम्-एतत्’ प्रवृत्त्यै यत्; ‘एतत्-न’ च निवृत्तये ।)
संकल्पाभिरुचिः कामः सनातनतमोऽभवत् ;
सनातनो हि संकल्पः काम इति अभिधीयते ।
जगत्पतिर्, अनिर्देश्यः, सर्वगः, सर्वभावनः,
हृच्छयः सर्वभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद् अपि प्रभुः;

(म० भा०, अनु०, अ० १३१) ।

कामः सर्वमयः पुंसां स्व-संकल्प-समुद्भवः;
कामात् सर्वे प्रवृत्तंते, लीयंते, वृद्धिं आगताः;

(शिव पु०, धर्म सं०, अ० ८) ।

केचित् कर्म वदंति एन, स्वभावं अपरे जनाः,
एके कालं, परे दैवं, पुंसः कामं उत अपरे;
एष भूतानि, भूतात्मा, भूतेशो, भूतभावनः,
स्वशक्त्या मायया युक्तः, सृजति, अति च, पाति च;

(भाग०, स्कं ४, अ० ११) ।

(कामाय मायाबीजाय, सर्वसंसारकारिणे,
परमात्मस्वरूपाय, दैवीप्रकृतये नमः ।)
ज्ञानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा,
बलाद् आकृष्य मोहाय, महामाया प्रयच्छति ।
दैवी हि एषा गुणमयी साऽऽत्ममाया दुरत्यया,
प्रपद्यंते ये आत्मानं एव, ते संतरेन्ति तां ।
सर्वः तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु,
सर्वः सद्बुद्धिं आप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु ।

ॐ

काम-अध्यात्म—परिशिष्ट १

बच्चों की शिक्षा ।

दादा जी और पौत्र-पौत्रियों की प्रश्नोत्तरी ।

पौ० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं ?

दा० बच्चा, जैसे पेड़ में फल लगते हैं, वैसे माता के पेट के भीतर नये बच्चे होते हैं ।

१ देहात में, कामीय बातों पर आवरण (पर्दा) कम रक्खा जाता है । स्त्री-पुरुष, अनावृत (खुले) शब्दों में, जनन-इन्द्रियों का नाम लेते हैं, और उन की बातें करते हैं । गाय-बैल, भैंस-भैसे, बकरी-बकरे, भेड़-भेड़े, गध्नी-गधे, मुर्गी-मुर्गे आदि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं भी जोड़ा लगते हैं; और पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की-लड़के, बिना रोक-टोक देखते हैं; ऐसों को, इस विषय पर, सयानो से पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती; पर उन को भी, शिक्षा और चेतावनी की आवश्यकता है, जिस में वे, कच्ची उमर में, विवाह से पहिले, आपस में, खेल की ही बुद्धि से, इन पशुओं की नकल करने की चेष्टा न करें और भ्रष्ट न हो जावें । जो लड़की-लड़के ऐसे घरों और अवस्थाओं में पलते हैं, विशेष कर नगरों में, जहाँ इन बातों पर कुछ न कुछ पर्दा डाला जाता है, उन के लिये स्यात् यह प्रश्नोत्तरी कुछ उपयोगी हो सकती है, (पृ० २११-२१२, ४१७, ४२२, ४२३ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई है) । नगरों के ऐसे लड़की-लड़कों को, उस विषय में, उत्कट कुतूहल होता है; यदि माता-पिता, जिन का ही यह विशेष रूप से कर्तव्य है, उस कुतूहल को, उचित शिक्षा दे कर, शांत न करें, तो वे दूसरे सयानो से पूछते हैं; ये सयाने अक्सर दुष्ट उत्तर देते हैं, दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी गुह्य इन्द्रिय का स्पर्श कराते हैं, और यहाँ तक पापिष्ठ आचरण करते हैं कि उन के साथ अंगुलिच्छेपण, गुदामैथुन, कन्यादूषण तक कर डालते हैं । **सम्भ** से एक प्रतिष्ठित कुल के मित्र ने कहा कि उन के लड़के को उस के

पौ० पिता के पेट में भी होते हैं ?

दा० नहीं ।

मामा ने ही इस तरह से दूषित किया; और इस घोर दुराचार का ऐसा असर हुआ कि लड़के की प्रकृति में शाश्वतिक विकार आ गया; युवा हो कर, विवाह कर के, गवर्मेंट की ऊँची नौकरी पा कर के भी, भीतर-भीतर ऐसा विचित्र सा लुब्ध रहता था कि एक दिन उस ने, बिना किसी व्यक्त कारण के, आत्मघात कर लिया । दूसरे मित्र ने कहा कि उन की रिश्तादार एक कन्या को, उस की बड़ी बहिन के पति ने, उस बहिन को ही साध कर, कुटनी बना कर, कन्या को भ्रष्ट किया, जब वह कन्या, बहिन के घर में, कुछ दिनों रही थी । ब्रिटेन में, विवाहिता स्त्रियों की अविवाहिता बहिनो का, उन के पतियों द्वारा, अंशान दूषण अधिक होने के कारण, वहाँ एक कानून भी बनाया गया, इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिये । ऐसे हेतुओं से, नादान कुतूहली बालक बालिकाओं को, उन के पूछने बिना ही, उचित समय से, उचित शिक्षा दे देना चाहिये । यह चेतावनी तो सब को, क्या ग्राम क्या नगर के, सब बालक बालिकाओं को, दे देना चाहिए, कि वे विवाह से पहिले, जननेन्द्रियों से खेलें नहीं, और इन के विषय में हँसी-उट्टा कभी न करें, इन के बारे में बातें भी, माता पिता के, या, जब ये न हों, तो जो कोई उन को पालता हो उस के, सिवा, दूसरों से न करें ।

यह प्रश्नोत्तरी, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र है; अपनी अपनी देश काल की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सज्जन इस में घटाव-बढ़ाव कर लेंगे ।

भीतरी विचित्रता का एक उदाहरण और लिखता हूँ; प्रायः ६० वर्ष हुए, युक्रप्रान्त के एक पूर्वी जिले के एक बड़े जमींदार रईस, जिन का काशी में एक ब्राग था, यहाँ आ कर अक्सर रहा करते थे; उन की पत्नी व्यक्ति-चारिणी ख्यातप्राय थी; रईस के चित्त में इतना बल नहीं कि उस को घर से निकाल दें; यह भी मन में भय रहा होगा कि, यदि ऐसा करें, तो जो बदनामी अभी छिप कर होती है, वह खुल कर होने लगेगी; इस आभ्यंतर द्वंद्व से अकेले में बहुत ही विषण्ण, मगमूम, गम से, बिषाद से भरे रहा

पौ० क्यों ?

दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है। देखो, तुम्हारे चारों ओर अनन्त अचरज फैले हैं; भूमि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, करते थे; स्वात् स्वयं नपुंसक थे; पर, जब मित्र लोग आ बैठते थे, तो सब से अधिक जोर से हँसी ठट्टा करने, कहकहा लगाने, का यत्न करते; भीतरी दुःख को छिपाने के लिये। जल्दी ही मर गये। व्यभिचारिणी स्त्री ने भी स्यात् बारह-चौदह बेर गर्भ-साव कराया, और जल्दी ही मर गई। उन जमींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसी सात्त्विक बुद्धि नहीं थी, कि व्यभिचारिणी को अन्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त 'पिंशन' दे कर, (जैसी सूचना स्मृतियों में की है), अलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई अच्छे सार्वजनिक काम में तन, मन, धन से लग जाते। पच्छिम में, प्रायः अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का गार्हस्थ्य-जीवन, किसी भी कारण से बिगड़ गया है, ऐसे सार्वजनिक कार्यों में अपने को लीन कर देते रहे हैं। भारत की जनता के लिये, श्री एनी बिसेंट का उज्वल उदाहरण ताजा है; पति के अतिमात्र 'हाकिमाना', 'मालिकाना', स्वामीवत्, प्रभुवत्, बर्ताव से उद्विग्न हो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर में, अदालती 'जुडिशल सेपरेशन' की विधि से, न्यायाधिकारी की अनुमति से, पति से अलग हो गई। 'डाइ-वोर्स', विवाह-विच्छेद, सम्बन्ध का सर्वथा तोड़ देना, नहीं चाहा, न हुआ। इस के बाद, ब्रिटेन में, दरिद्रों के, विशेष कर मजदूरी करने वाली स्त्रियों के, कष्टों को कम करने के उपायों में कई वर्ष लगी रहीं। फिर, थियोसाफिकल सोसायटी ('ब्रह्मविद्या सभा') में आ कर, मानव जगत् में, 'विश्व-धर्म' 'ब्रह्म-धर्म', 'आत्म-विद्या-धर्म' के प्रचार के कार्यों में, ५० वर्ष तक पृथ्वी के सब देशों में अनवरत प्रव्रजन करती रहीं; १८६३ ई० में भारत आई; काशी में 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज' और 'हिन्दू गर्ल स्कूल' की स्थापना किया; जब काशी आती तब, प्रायः जाड़े के दिनों में, महीनो तक 'शांति कुंज' नामक स्थान में रहा करती; १९३३ ई० में, ८६ वर्ष की उमर में, आचार (मद्रास) में शरीर छोड़ा; उन की इच्छा के अनुसार, 'फूल' (राख और अस्थि-शेष) काशी में, गंग।

बादल, बिजली, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहस्रों प्रकार के पेड़, पौधे, लता, लाखों प्रकार के जीव जन्तु, पशु, पक्षी, कछुए, मछली, साँप, कीड़े, मकोड़े, आदि। इन सब को परमात्मा ने सिरजा है, और सब के लिये मे, मैंने प्रवाह किया। भारत मे, ऐसे लोग, जिन की गिरस्ती बिगड़ी, प्रायः किसी भक्ति या वैराग्य पंथ मे चले जाते रहे; २००० वर्ष पहिले उज्जयिनी के महाराज भक्त हरि की कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का हाल जान कर संसार की निस्सारता सहसा उन के मन मे व्यापी; चरणाद्रि मे, गंगा के तट पर, शेष आमु व्यतीत किया; राज्य, छोटे भाई विक्रम को सौंप दिया। विक्रम ने, चरणाद्रि (चरनार, चुनार) का प्रसिद्ध दुर्ग बनवाया। भक्त हरि ने, संन्यास की अवस्था मे, 'शतक-त्रय' (नीति-शृङ्गार-वैराग्य) लिखा, जो आज तक परम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्हीं ने, व्याकरण का एक बड़ा भारी, सवा लाख श्लोक का, ग्रन्थ, 'हरिकारिका', भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, 'वाक्य-पदीय' ही, अब मिलता है। ऐसी ही कथा, अब से प्रायः ३५० वर्ष पहिले के महात्मा तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है; वर्षा की अंधेरी रात मे, पौड़ कर गंगा को पार कर के, श्वशुरालय मे अपनी पत्नी से मिलने को पहुंचे; सती, स्नेहवती, पर शर्माई, पत्नी ने उन की लानत मलामत की; कहा, 'मेरे थोथे हाड़ मास से जितनी प्रीति आप करते हो, उतनी राम जी पर करते, तो क्या न पाते'; हृदय को ऐसा धक्का लगा, मन ऐसा पलटा, कि समस्त संसार से बिलकुल हटा, और राम और सीता के अनुपम रूप मे जा सटा; जिस का बहुत मीठा फल यह हुआ, कि 'रामायण', तथा अन्य भक्तिमय काव्य, लिखे गये; कहीं कहीं अति-भक्तिमय। भक्त हरि का वैराग्य, ज्ञानप्रधान था; तुलसीदास का, भक्तिप्रधान; कारणो मे भेद होने से; भक्त हरि को, दुश्चरित्रा पत्नी से और समस्त संसार से तीव्र वैराग्य हो गया था; तुलसीदास को, सती पत्नी से वैराग्य नहीं हुआ, न संसार से ही, अपि तु अपनी ही निर्लज्जता और सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन पर ग्लानि हुई; स्त्री-पुरुष के शुद्ध स्नेह का स्वाद, सीता-राम के रूप मे लेते रहे। कबीर का, नानक का भी, वैराग्य, ज्ञानप्रधान था।

नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बँधे समय पर, बँधे स्थान में, वे अपना अपना काम करते हैं ।

पौ० दादा जी, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप ने उन को देखा है ?

दा० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है, जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं । चमड़े की आँख से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा है, जैसे वायु । आँख बन्द कर के, मन को चारो ओर से बटोर कर के, ध्यान करने से, 'मैं हूँ', 'मैं हूँ', ऐसा आत्मा, मन को मिलता है; उसी महाशक्ति को, भारत में परमात्मा, परमेश्वर, भगवान् आदि नामों से कहते हैं; दूसरे देशों में दूसरे नामों से पुकारते हैं ।

पौ० तो उसी एक परमात्मा ने सब कुछ बनाया है ?

दा० हाँ, वह सब के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश । सब

बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय में, बहुत वर्ष हुए, मैंने स्वयं, दो बूढ़े, 'पिशन' पाये, ऊँचे दर्जे के गवर्मेंटी नौकरो को, एक जल्से में, एक दूसरे के साथ हँसी करते हुए, पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए, आँखें मटका कर यह कहते सुना, कि 'दाग लगा दिया', 'जूठा कर दिया'; तथा बहुत वर्ष नहीं हुए, एक 'मिडल स्कूल' के 'मास्टर' को, कई मास्टरो के बीच, यह कहते सुना कि 'सैकड़ों लडकों को (ऐसा ऐसा कर के) छोड़ दिया'; स्कूल के एहाते की दीवार के पास ये लोग खडे थे, मैं बगल की सड़क से दहलता हुआ जा रहा था । और भी ऐसे मौके आये । ऐसी बातें सुन कर मेरे मन में बहुत उद्वेग होता था; यही भाव उठता था कि ऐसे वानर-प्रकृति के पशुओं को तो, विष्टा के कुड में कुछ देर के लिये डाल देना, उचित दंड होगा । किसी भी अधिकार के, वा अध्यापकी के, स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के मन से ऐसे पापिष्ठ भाव अरे हों, एक क्षण भी न रहने देना चाहिये । मनु ने, ऐसे घोर अपराधियों के लिये, इंद्रिय का काट डालना, वा जलती हुई लोहे की प्रतिमा (सूर्मों) से बांध कर मार डालना, दंड लिखा है ।

काल, सब देश, सब वस्तु में वह व्याप्त है, वायु में भी वह भरा है; जहाँ वायु की गति नहीं है, वहाँ भी वह है ।

पौ० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है ?

दा० जरूर है; जब तुम्हारा शरीर अच्छा हो, कोई बीमारी न हो, चित्त स्वस्थ हो, उस समय, आँख बन्द कर के ध्यान करो, तो तुम को अपने भीतर हल्की अच्छी रौशनी, प्रकाश, सा, जान पड़ेगा, और 'मैं हूँ', 'मैं हूँ', ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा होश भी जान पड़ेगा; वह, परमात्मा का ही आभास है ।

पौ० अच्छा, तो परमात्मा ने जीव जन्तुओं, पेड़ पौधों, के लिये क्या नियम बनाये हैं ?

दा० इन के लिये, परमात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये पैदा होते हैं, कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं । यों ही, पीढ़ी पर पीढ़ी, प्रत्येक जाति के पेड़ पौधों, जीव जन्तुओं, की जाति बनी रहती है । नई पीढ़ी पैदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई प्रकार के नियम बना दिये हैं । कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि, उन की एक टहनी काट कर पृथ्वी में गाड़ दी जाय, तो वह जड़ पकड़ लेती है, और उस से नया पौधा तयार हो जाता है । बहुतेरे पेड़ पौधों में फूल लगते हैं; फूल के बीच में दो चाल के छोटे छोटे सूत होते हैं; एक के माथे पर धूल ऐसा 'पराग' होता है, दूसरों के माथों पर बारीक छेद; पराग, भड़ कर, छिद्रों में जाता है, और सूत्र की नाली में से नीचे उतर कर, एक बारीक थैली में ठहर जाता है; उस थैली में एक विशेष प्रकार का मीठा मधुर मधु (शहद) होता है; उस से मिल कर, धीरे धीरे, रूप बदलता हुआ, बीज बन जाता है, जब फूल सूखता है, तब बीज, धरती, (धरित्री, सर्व-धारिणी) पृथ्वी पर, गिर कर धँस जाता है, और वर्षा ऋतु में जड़ निकाल कर, क्रमशः अपने मा-बाप पेड़ पौधे के रूप का बन जाता है । यह दो प्रकार, टहनी से, और पराग-मधु से, नयी 'पुश्ट' का पैदा होना, 'अ-चर', अर्थात् 'स्थावर', चेतना का है । अ-चर, स्थावर, वे जीव हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, यद्यपि 'जीव',

अर्थात् व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन में भी है ही ।

पौ० दादा जी, क्या चलते फिरते जीवों की नई पुष्ट के पैदा होने का प्रकार दूसरा है ?

दा० हाँ, बच्चा । 'चर' जीवों में, जिन को 'जंगम' भी कहते हैं, स्त्री और पुरुष, मा और बाप, को, भगवान् ने अलग कर दिया है । स्त्री के शरीर में, पेट के भीतर, एक थैली में, 'मधु-रस' बनता है, जिस को 'रजस्' 'रज' कहते हैं; यह थैली (पुट, आशय) पेट के भीतर की दूसरी थैलियों से भिन्न है, और पुरुष के शरीर में नहीं होती; अन्य थैलियाँ, जैसी स्त्री की, वैसी ही पुरुष की भी होती हैं । एक में खाया पीया अन्न-जल पहिले जाता है, फिर उस में रस बनता है, फिर उस में से निकल कर, क्रम से, रुधिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरीर में चारों ओर घूमता है, और नीचे को उतरता जाता है; अन्त में, उस का खराब अंश, मल मूत्र के रूप में, दूसरी थैलियों नालियों, अँवों (अंत्र) में जमा हो कर, बाहर निकल जाता है । पुरुष के शरीर में, अंडकोष के दोनों अंडों, गोलियों, में, एक प्रकार का 'पराग' बनता है, जिस को 'वीर्य' वा 'शुक्र' कहते हैं; गाँव के लोग, इस 'वीर्य' को बीज ही कहते हैं, (फारसी में 'नुतफा', उर्दू में 'मनी' भी) । जब स्त्री और पुरुष का, बड़े होने पर, ब्याह होता है, और दोनों एक साथ सोते हैं, तब पुरुष के शरीर में से, मूत्रेन्द्रिय द्वारा, निकल कर, वीर्य, स्त्री के शरीर में, स्त्री की मूत्रेन्द्रिय के द्वारा, थैली में जाता है, उस थैली को 'गर्भाशय', वा 'कमल' वा 'पद्म' भी कहते हैं, वहाँ प्रायः नौ महीने तक, माता के पेट के भीतर रहता है और बढ़ता है, फिर उसी मूत्रेन्द्रिय द्वारा बाहर आता है, और 'नया बच्चा' कहलाता है ।

(यहाँ, गौग और गौरैया का उदाहरण दिया जा सकता है, जो भारत में हर घर में रहती हैं, यथा), गौरा और गौरैया जब जोड़ा लगते हैं, तब गौरा के मूत्रेन्द्रिय में से वीर्य निकल कर गौरैया के मूत्रेन्द्रिय द्वारा उस के गर्भाशय में जाता है; वहाँ, कुछ दिनों में अंडा बनता है; फिर बाहर निकलता है; गौरैया उस पर बैठ बैठ कर, उस को 'सेती'

(सेवती, सेवा करती) है, अर्थात् अपने शरीर की गर्मी उस को पहुँचाती है; फिर वह अंडा, कुछ दिनों बाद, फूटता है, उस के भीतर बच्चे के बढ जाने के कारण; तब उस में से 'गदेला' निकलता है, और पाँच सात दिनों में ही, कुछ कुछ उड़ने लगता है ।

पौ० दादा जी, गौरा के अंड-कोष तो देख नहीं पड़ते हैं ?

दा० नहीं, बच्चा; सभी चिड़ियों के. तथा सभी अंडा देने वाली जाति, जैसे कल्लुआ, छिपकिली, मगर, बड़ियाल, सॉप आदि, के नरों के, अंडकोष, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोड़ा लगने के समय, केवल दंडिका, रुधिर से भर जाने के कारण बाहर निकल आती है, और उस से, उन उन जातियों की स्त्री जन्तुओं के मूत्रेन्द्रिय के भीतर, वीर्य का निषेचन हो जाता है ।

पौ० तो मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ ?

दा० निश्चय ही । तुम्हारे शरीर का आधा भाग, अति सूक्ष्म 'वीर्य' रूप में, तुम्हारे पिता के शरीर के भीतर बना, और आधा, अति सूक्ष्म 'रजस्' के रूप में माता के भीतर; फिर पिता का भाग, माता के उदर में गया, नौ महीने तक तुम्हारी माता ने तरह तरह के क्लेश सह कर, तुम को अपने पेट के भीतर पाला पोसा बढ़ाया; फिर, बड़ा भारी कष्ट सह कर, छोटे मूत्रद्वार को फैला कर, तुम को बाहर लाई; और उस के बाद भी, अपने रुधिर को, स्तनों में, दूध बना कर, तुम को एक बरस, या दो तीन बरस तक भी, पिलाया और बलवान किया ।

पौ० दादा जी, माता के पेट में से मेरे बाहर आने के समय, माता को कष्ट क्यों हुआ ?

दा० बच्चा, नौ महीने पहिले, जब तुम ने माता के उदर में प्रवेश किया, तब तुम इतने छोटे, सूई की नोक से भी छोटे, थे, कि आँख से देख नहीं पड़ते थे; नौ महीने में इतने बढ गये, कि कई सेर के हो गये; इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यों महीने बीतते थे, त्यों त्यों क्लेश अधिक होता रहा, और तुम्हारे बाहर आने के समय तो बहुत ही हुआ । कितनी ही स्त्रियाँ तो इस प्रसूति की घोर वेदना से मर ही जाती हैं; पर

जिन स्त्रियों का जीवन शुद्ध और शरीर बलवान् होता है, उन को कष्ट कम होता है, तुम्हारे बाहर आने के बाद, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बड़े स्नेह, से, और विशेष कर तुम्हारी बीमारियों में, और दात निकलने के समय में, माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने खाने पीने सोने की फिक्र छोड़ कर, दौड़ धूप कर, वैद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा गर्मी पशु पत्नी कीड़े मकोड़ों से तुम्हारी रक्षा की। जिस दया से और असीम अथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों का भला करता है, उस दया और शक्ति का एक अणु प्रतिबिम्ब, उस ने सब माता-पिताओं के हृदय में, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है, जिसी के बल से वे उन का पालन पोषण करते हैं: न केवल मनुष्य माता-पिता के हृदयों में, बल्कि पशु पक्षियों के भी; यहाँ तक कि जो हिंस्र पशु, दूसरे अहिंस्र पशुओं को मार कर खा जाते हैं, जैसे सिंह, व्याघ्र, तेंदुआ, हुँडार, साँप, मगर, आदि, वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वैसी ही रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी। इस लिये तुम, सब से पहिले, इस सर्वशक्तिमान् परमात्मा परमेश्वर भगवान् की पूजा और प्रार्थना अपने हृदय के भीतर करो; हृदय के भीतर: क्योंकि बाहर की आँखों से वह देखा नहीं जाता; और उस की प्रार्थना कर लेने के बाद, अपने माता पिता का, विशेष कर अपनी माता का, आदर, नमस्कार, और स्नेह करो, सबेरे उठ कर प्रतिदिन उन की वंदना करो। जो लड़की लड़के अपनी माता, अपने पिता, का स्नेह सदा मन में रखने हैं, वे सैकड़ों आपत्तियों से, दुष्टों लुच्चों के लुल कपटों, प्रलोभनों बहँकानों, दुष्कर्मों से, बचते हैं; ऐसे लुच्चे उन के पास जल्दी नहीं आते, बल्कि इन से डरते हैं; सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति के धार्मिक भाव में ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही तेज, है।

पौ० दादा जी, क्या सब जीव जन्तु अपनी मा के पेट के भीतर नौ महीने रहते हैं ?

दा० नहीं, बच्चा। इस बारे में, जीवों में बहुत फर्क होता है। चूहा अपनी मा के पेट के भीतर बीस दिन ही रहता है, खरगोश (खरहा)

एक महीना, मनुष्य और गौ नौ महीना, घोड़ा ग्यारह महीना, हाथी बीस महीना ! जब तुम बड़े हो जाओगे, और अच्छी तरह पढ़ लिख लोगे, तब इस विषय पर लिखी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकोगे, जिन में ऐसी बातों का विस्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार दूसरे हैं, पतियों के दूसरे, रेंगने वाले जंतुओं के दूसरे, पेड़ पौधों के दूसरे।

पौ० दादा जी, बहिन और भाई का ब्याह एक दूसरे से अपने घर के भीतर ही क्यों नहीं होता ?

दा० परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आज्ञा दे रखी है कि ऐसा ब्याह नहीं होना चाहिये। पहिले तो, भाई बहिन को एक दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा ब्याह किया जाय, तो सन्तान या तो नहीं होती, या कुरूप, दुर्बल, रोगी होती है; पशुओं में भी देखा गया है कि यदि एक ही मा-बाप की सन्तान में 'ब्याह' हुआ, तो उन की सन्तान कम अच्छी होती है; सब मनुष्यों में, सारी पृथ्वी पर, भाई-बहिन, तथा अन्य बहुत पास के बान्धवों का (एक 'घोत्र' वालों का) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, और मना किया जाता है।

पौ० ब्याह ऐसे गाजे-बाजे धूम-धाम से क्यों होता है ?

दा० जिस में सब लोग जान जायँ कि इस युवा और इस युवती का परस्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई इन से विवाह करने की इच्छा न करे; ये दोनों एक साथ एक घर में परमात्मा के बनाये नियम के अनुसार धर्म से रहेंगे, गृहस्थी के कामों में एक दूसरे की सहायता करेंगे, प्रेम प्रीति से सन्तान उत्पन्न करेंगे; और वही सन्तान इन के धन को पानेगी; यह पुरुष दूसरी स्त्री का स्पर्श नहीं करेगा, और यह स्त्री दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारे माता-पिता का ऐसे ही विवाह हुआ, और उन्होंने ने तुम को प्रेम-प्रीति से उत्पन्न किया, और गर्भ के भीतर और बाहर पाला पोसा।

पौ० दादा जी, बिना ब्याह किये, स्त्री पुरुष एक साथ रहें तो क्या दोष ?

दा० ऐसो की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकती नहीं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, यदि सतान हुई, तो उस की बड़ी दुर्दशा होती है, उस की फिर कोई नहीं करता, स्त्री दूसरे पुरुष के, और पुरुष दूसरी स्त्री के, साथ, बिना ब्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरा के घर वालो से बहुत लड़ाई होती है, और मरने मारने की नौबत आती है। सब गृहस्थी और सब समाज का प्रबन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड जाय, यदि स्त्री और पुरुष नित्य नये मन-माने सग साथ किया करे, खेती-बारी, घर-द्वार, धन-दौलत, राज-काज, पढाई-लिखाई, सब अस्त-व्यस्त हो जाय; क्या कि नये बच्चा की देख-भाल, रक्षा, शिक्षा, वा भक्षा (भिक्षा, खिलाना पिलाना) काई न करे।

पौ० दादा जी, पशुआ मे ता इस चाल का ब्याह नहीं होता ?

दा० बच्चा, पशु तो पशु ही हैं। मनुष्य मे और पशु मे तो भेद होता है न ? पशुआं के बच्चे, पैदा होते ही, या एक दो दिन या अठवारे (सप्ताह) पखवारे (शुक्ल पक्ष-कृष्ण-पक्ष) मे चलने फिरने, चुगने चरने, लगते हैं; तुम तो कई महीने तक पीठ के बल पडे ही रहते थे, अपने से करवट भी नहीं ले सकते थे, महीनों बाद, उलट जाने, और पेट के बल जरा-जरा रोगने, लगे थे। मनुष्य का बच्चा, दखियों, पदरियों, बीसियों बरस तक, मा बाप के सहारे से ही जीता है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरहा, को, चार-चार, छुः-छुः, आठ-आठ, और शूकरो को चौदह-चौदह तक, पिल्ले एक साथ होते हैं; उन को दूध पिलाने के लिये, इन पशु-स्त्रियों को, परमेश्वर ने छुः छुः आठ आठ स्तन भो दिये हैं; मनुष्य-स्त्री को दो ही। पशुआं के पिल्ला के मा-बाप बहुत थोड़े दिना तक उन की फिर कर के निश्चिन्त हो जाते हैं, और उन को छोड़ देते हैं, तुम तो अब कई बरस के हो गये, पर तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी चिन्ता अब भी दिन-रात करते हैं, और अभी पद्रह बीस बरस तक और करते रहेंगे। मनुष्य-माता का, प्रायः एक बेर मे एक ही बच्चा होता है, कभी कदाचित्, दो; और भी कम, तीन; और भी कम, चार, एक साथ होते हैं। थोड़े दिन हुए, अमेरिका मे, कैनाडा नाम के देश

मे, एक स्त्री को पाच बच्चियाँ एक साथ हुईं; सो बड़ा अचरज माना गया; अन्य सब देशों के अखबारों में उस का हाल छपा, और, एक-एक दो-दो महीने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो बरस तक छपती रही; यह दिखाने को कि सब जीवित और पुष्ट हैं; क्यों कि जोड़ुआँ (युग्म) बच्चे भी दुर्गल होते हैं, और बहुधा मर जाते हैं, फिर पाँच का जीते रहना और पुष्ट होना तो, उन के एक साथ पैदा होने से भी, बहुत अधिक आश्चर्य की बात है। उन की माता को, वहाँ की सरकार की ओर से विशेष पारितोषिक, इनाम, भी दिया गया। यदि मनुष्य माता को, कुत्ती, बिल्ली, शूकरी के इतने, बहुत बहुत बच्चे एक साथ, हर बेर, होने लगें, तो तीस-बीस बरस तक सब कैसे पाले जा सकें ? कुत्ता, बिल्ली आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के बच्चों को तो, जैसे भेड़-बकरी के बच्चों को, मासाहारी मनुष्य ही खा जाते हैं। और भी देखो, भगवान् ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जैसी पशु को नहीं दी। मनुष्य तरह-तरह के कपड़े बनाते और पहनते हैं, बड़े-बड़े भवन, नगर, सड़क, गाड़ी, विविध प्रकार की कलाओं के कारखाने, बनाते और काम में लाते हैं; पशु तो नहीं। परमात्मा ने मनुष्यों के उत्तम जीवन के लिये अलग नियम बना कर उन के हृदय में बैठा दिये हैं; पशुओं के जीवन के नियम अलग हैं। परमेश्वर के बनाये नियमों का जो स्त्री-पुरुष उल्लंघन करते हैं, उन को इस लोक में, और मरने के बाद परलोक में, धार कष्ट भोगना पड़ता है।

पौ० दादा जी, कुछ लड़के लड़की अपनी मल-मूत्र की इन्द्रियों के साथ खेलते हैं, यह ठीक है या नहीं ?

दा० यह ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। हाँ, नहाने धोने के समय, सावधानी से, जैसे और अंगों का, वसी उन की, स्वच्छता सफाई कर लेना चाहिये, कि कहीं भी मेल ज़रा भी न रह जाय। पर इन के साथ खेलना, इन को गुदगुदाना, बहुत बुरा है; इस से रोग हो जाते हैं, शरीर और बुद्धि दोनों दुर्बल और क्षीण हो जाते हैं, तेज घट जाता है। उचित

समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये । नया बच्चा, केवल दूध ही पी सकता है, यदि उस को पहले ही अन्न खिला दिया जाय, तो, अपच हो कर, मर जाय; जब बड़ा हो जाता है, तब सेरों अन्न पचा लेता है । चार-गँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोझ रख दिया जाय, तो वह दब कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर, कई मन का भी बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचाल से, उचित व्यायाम से, उस ने अपना शरीर पुष्ट और बलवान् किया है । जिन लड़कों का मल-मूत्र की इन्द्रियों से खेल करते देखो, उन को मना करो; तुम्हारी उमर के, लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाहै, उन को डाँट दो, 'खबरदार, ऐसा मन करो', और कहो कि 'मैं अपने माता-पिता से तुम्हारा हाल कहूँगा, और तुम्हारे माता-पिता से कहलाऊँगा' । स्वयं अपना मन और तन शुद्ध रखो, और अपने आचरण, उदाहरण, उपदेश से, अपने चारों ओर की हवा को, घर में, पड़ोस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र बनाओ । विद्यार्थी की ब्रह्मचारी अवस्था में, शरीर को शुद्ध आहार और उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अच्छी बातों के सीखने से, बलिष्ठ बनाओ; आजकाल बुरी-बुरी किताबें, जिन में भदेस बातों की चर्चा, और नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत लुपने लगी है, इन किताबों को पढ़ने से लड़के-लड़कियों, युवा-युवतियों, का मन मैला होता है, और उन के शरीर पर भी खराब असर पड़ता है; इन को न पढ़ना चाहिये ।

पौ० दादा जी, बिना पढ़े कैसे जान पड़े कि किताब अच्छी है या खराब ?

दा० बच्चा, अपने माता-पिता से पृच्छ लेना चाहिये कि यह किताब अच्छी है, पढ़ने योग्य है, या नहीं । ऐसी कोई बात मत करो जिस को अपने माता-पिता से छिपाना चाहो, जिस को उन के सामने न कर सको, जिस से तुम्हारे मन में आप शंका और लज्जा होती हो । इस एक नियम को यदि सदा याद रखोगे, तो तुम से कभी कोई भूल, कोई बुरा काम, न होगा । सर्वोपरि, यह सदा याद रखो, कि यदि माता-पिता से, वा अन्य किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिपा भी लोभे, तो सर्वव्यापी

भगवान्, परमेश्वर, परमात्मा से तो कभी भी छिपा नहीं सकोगे, वह वो सब के भीतर सदा बैठा है, तुम्हारे हृदय के भीतर भी, और सब कुछ सर्वदा देखता जानता रहता है, और कभी न कभी, देर मे या जल्दी ही, अच्छे कार्यों के लिए इनाम, और खराब के लिये दण्ड, देता है ।

पौ० दादा जी, यदि और कोई बात पूछने को जी चाहेगा, तो आप से पूछने आऊँगा, न ?

दा० जरूर ! बच्चा, तुम तो जानते ही हो, कि मैं तुम को बहुत प्यार करता हूँ, जो जो पूछोगे, वह तुम को बताने का जतन करूँगा, यदि मुझे मालूम हो, और तुम्हारे समझने लायक हो । जब विद्यार्थी अवस्था समाप्त कर के, गृहस्थी मे पैर रखने के लिए विवाह करोगे, तब तुम्हारी अवस्था दूसरी होगी, और उस के लिये अधिक ज्ञान और विशेष नियमों की आवश्यकता होगी; उन को तुम अभी समझ न सकोगे; उचित समय पर वे सब तुम को विदित हो जायगे, वृद्धों के बतलाने से, और इन सब विषयों पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे ज्ञानी आदमियों ने जनता मे सच्चा ज्ञान फेलाने के लिये, लिखा है, और जो अब मिलने लगी हैं; अभी से उन को जानने की इच्छा मत करो; जैसा पहिले कहा, छोटा बच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी अन्न नहीं ।

प्यारे बच्चे ! इन बातों को ध्यान मे रक्खो । इस प्रकार से तुम अपना, अपने घर वालों का, और पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से तुम्हारा सग साथ, संसार के काम काज मे, हो, उन का, कल्याण करोगे ।

परमात्मा तुम को और मनुष्य मात्र को सद्बुद्धि दे, और सब का कल्याण करै, बूढे दादा के हृदय मे सतत यही प्रार्थना रहती है ।

काम-अध्यात्म—परिशिष्ट २

नव-विवाहित वर-वधू के लिये दो शब्द

प्यारे वर-वधू ! १८८४ ई० मे, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; मेरे बड़े सौभाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-धर्म-चारिणी, स्वभाव की नितान्त सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे, दे रही हैं; अब उन की आयु ७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वर्ष के विवाहित जीवन और गार्हस्थ्य मे, बच्चों, और उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, ब्याहने, रोज-गार मे लगाने, उन की बीमारियो, प्रसूतियों, आदि मे फिक्र करने, के सुखों और दुःखों का जो अनुभव हुआ, उस के भरोसे, मैं ने, यह 'कामाध्यात्म', तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है। यदि इस से तुमको कुछ भी सहायता मिलै तो अरना सौभाग्य समझूँगा। यहाँ लिखी बातों के सिवा बहुतेरी बातें, अच्छे प्रामाणिक चुने हुए पाश्चात्य और अब भारत मे भी लिखे जाते हुए ग्रन्थो को, स्वयं पढ़ कर, तुम जान सकते हो। यदि ध्यान से पढ़ागे तो तुम्हे अवश्य जान पड़ेगा कि, सार्विक काम और राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाध्यात्म' मे जोर दे कर किया है, वह विवेक प्रायः अन्य ग्रन्थों मे नहीं किया जा रहा है; यद्यपि यह विवेक सच्चे कामशास्त्र का प्राण ही है, हृदय ही है।

वर-वधू ! एक दूसरे पर दिल खोल कर रीझो ! परस्पर स्नेह-प्रीति करो ! विवाह से पहिले यदि कोई भूल हुई है, तो उस को भूल जाओ ; फिर ऐसी भूल न होगी, और अपने बच्चों को ऐसी भूलो से बचावैगे — यहाँ दृढ़ निश्चय मन मे रक्खो। एक दूसरे का मन सदा लिये रहो; 'अति परिचयाद् अबज्ञा' परस्पर, एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो;

१ अति परिचय, हर वक्त, बहुत अधिक, संग साथ रहने से मन ऊब जाता है, गुणो की जगह एक दूसरे के दोष देख पढ़ने लगते हैं, एक दूसरे की अबज्ञा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिलियारिटी ब्रीड्स कान्-टेम्प्ट', familiarity breeds contempt.

दूसरे की आँख से अपने को देखो, अपनी ही आँख से उस को नहीं; उस की आवश्यकताओं और उचित इच्छाओं का सदा ध्यान रखो, अपनी ही का नहा। सह-धर्म-चारिता शब्द का अर्थ मन में अच्छी तरह बैठा लो। अत्र, जब विवाह हो गया है, एक दूसरे की कमियों, न्यूनताओं, त्रुटियों, को मत देखो; खूबियों को, गुणों को, ही अधिक देखो, और समय-समय पर उन की सराहना करो; इस से गुण बढ़ेंगे, और न्यूनताएँ दूर हो जायगी। गार्हस्थ्य से कुछ स्वार्थ सुख तो मिलना ही चाहिये, पर कर्त्तव्य-पालन और परार्थ सुख कुछ अधिक होना चाहिये। परस्पर मीठे शब्दों का मीठे स्वर से प्रयोग करो, कटु शब्द और रूखे स्वर का नहीं। घर के आर्य-व्यय पर, प्रत्येक वर्ष के 'बजेट' (अनुष्ठान-पत्र, अनुमानपत्र) पर, दोनो मिल कर, विचार और निर्णय करो। समान-शील-व्यसन के, और तज्जन्य-सुख के, वर्धन के लिये, कोई अच्छी 'कला' का, जिस में दोनो का मन लगता हो, बहलता हो, एक साथ परिशीलन करो; यथा-सम्भव प्रतिदिन, इस कार्य के लिये, कुछ थोड़ा समय नियत कर लो; अच्छे भजनो वा गीतों का गाना, घरेलू उपकरणों को ही सज कर रखना, अच्छी पुस्तक उच्च स्वर से पढ़ना, जिस से पति और पत्नी, तथा सन्तति और अन्य बन्धु बाधव मित्र भी जो उपस्थित हों, सुनै—यह प्रायः अल्पचित्त गृहस्थों को भी साध्य है। अपनी अपनी 'कर्त्तव्य' सम्बन्धी (जीविका-कर्म और गृह-कर्म की) 'चिन्ताओं', तकलीफों, भ्रंशों, को बातों को प्रायः अपने ही तक रखो, स्वयं ही सम्हालो भेलो, दूसरे को (पति पत्नी को और पत्नी पति को, सुना कर, उस के चित्त का बोझ और भारी मत करो; हाँ, जब विशेष परामर्श वा सहायता की आवश्यकता हो, तब तो कहना ही चाहिये। कर्जा कभी मत काढ़ना; कम खाना, कम पहिनना, पर ऋण नहीं लेना; यदि सम्भव हो तो आमदनी में से कुछ, कितना भी छोटा, अंश, अड़े अड़े समय के लिये बचा रखना। जैसा जीविका-कर्म, जैसी गृहस्थी, तुम्हारे भाग्य ने दिया है, उसी से संतोष करना, चाहे यथेष्ट न हो, रोज उस की बुराई मत करते रहना; नहीं तो जिन्दगी और भी खट्टी हो जायगी; हाँ, उन्नति के लिये यत्न तो, सौम्य, शांत, दृढ़ व्यव-

सायवान् मन से, करते ही रहना चाहिये । यह सदा याद रखना कि 'जिह्वा और उपस्थ', ये दोनो, मनुष्य के परम मित्र भी हैं, और परम शत्रु भी; सद् उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्तान उतने ही उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोजगार में लगा सके । दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक शास्त्र, व्यायाम-शास्त्र के अच्छे चुने ग्रन्थो का परिशीलन करना; अपने शरीर को और वस्त्र को स्वच्छ रखना, जिसमें सह-धर्म-चार-चारिणी को उस से कुछ चि न हो; मुख की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, और दाँतो को सदा साफ रखना; भोजन के पहिले भी और पीछे भी साफ कर लेना; उन में भोजन का लेप लगा रह जाने से, मझार्यध और दुर्गन्ध उत्पन्न होते हैं; कभी-कभी तो इतनी तीव्र दुर्गन्ध, कि ऐसे मनुष्य के पास बैठना असभव हो जाता है, और स्वयं उस मनुष्य के मगुर सड़ जाते हैं, उन में मवाद, पूय (पीब), भर जाता है, पेट में जाता है, तोव्र रोग उत्पन्न करता है ।' पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हो, तो रति भी, प्राति भी बहुत विघ्नित हो जायगी; एक दूसरे का चुम्बन, तथा बच्चो का मुख चूमना, यह तो पहिली सात्त्विक कामीय चेष्टा है; मेरा निज का अनुभव यह है कि जब तक दाँत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या मोसरी, या बबूल की दाँतन (दतवन, दन्त-काष्ठ) से सवेरे दाँत साफ करता था; कभी कभी शुद्ध लकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले का 'मजन' भी, लेता था । अब, जब दाँत कमजोर हो गये, और दारुण काल के और शासको के प्रभाव से, तथा आन्नादी के अति बढ़ाव से, दंतकाष्ठ मिलना भी कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस बारह वर्षों से, पच्छिम के बने 'ब्रश' का प्रयोग करता हूँ, शुद्ध पानी के साथ; इस का प्रयोग दिन में जब चाहे तब सहज में हो सकता है । बहुत से विलायती 'मजनों' का इश्तहार बहुत रहता है; ये सब दुर्गुण हा करते हैं, 'ब्रश' में लगे रह जाते हैं, और उसी में सूक्ष्म कीड़िया पैदा कर देते हैं, जिन से दाँतो में, सफाई की

१ अंग्रेजी में इस रोग को 'पायोर्हीया', pyorrhoea, कहते हैं; ग्रीक भाषा के 'पायीन', पूय, और 'रहीन', बहना, से बना है ।

जगह और भी सडायध उत्पन्न होती हैं; अन्न, 'सिथेटिक' (synthetic) सूत्रो (कड़े बालों के ऐमे सूत्रों) के 'ब्ररा' बनने लगे हैं, जैसे 'नाइलोन' nylon, जो दृढ़ भी हैं और 'पवित्र' भी, और बहुत दिनों तक काम देते हैं ।

स्त्रियों को अपना शरीर भी और हृदय भी दृढ़ बनाना चाहिए; जैसा समय आया है, इस मे, स्र्ना का नाम 'अबला' न रह जाना चाहिए, 'स-बला' होना चाहिए; दुष्ट मनुष्यों से अत्तरत्ता की शक्ति उन मे होनी चाहिए । समाचार पत्रों मे कभी-कभी पढ़ने मे अब्र आने लगा है कि इस इस स्थान पर, कुमारी ने वा विवाहिता ने, छेड़ने वा आक्रमण करने वाले मनुष्य को इस इस प्रकार से खूब पीटा; बिना इस के, इस समय मे गति नही । युक्तप्रान्त के एक उत्तरी जिले के अच्छे कुटुम्ब की एक बेटी ने मुझ से कहा कि एक दिन, अपने घर के लोगों के साथ, नहर के किनारे टरल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सडक पर, एक लम्बी जाट स्त्री, सिर पर घास का भारी बोझ रक्खे, जा रही थी; सामने से तीन गोरे फौजी आये; एक ने उस स्त्री से छेड़-छाड़ की; स्त्री ने सिर का बोझ नीचे गिरा दिया, बाये हाथ से उस गोरे फौजी का हाथ पकड़ लिया, दाहिने से उसके मुँह पर जोर का थपड़ लगाया; 'फिर ऐसा करेगा ?' कह कर उस का हाथ छोड़ दिया; गोरा फौजी अपने हाथ से अपना गाल मलता हुआ, 'वेरी स्ट्रॉड लेडी, वेरी स्ट्रॉड लेडी', 'बड़ी जबरदस्त औरत) कहता हुआ भागा । अब तो भारतवर्ष को ऐसी स्त्रियों की अधिकाधिक संख्या मे आवश्यकता है । किंतु, इस से यह अर्थ नहीं निकालना, कि भारत की स्त्रियाँ सब सर्वदा चंडिका बनी रहें; आदश स्त्री, आत्तरत्ता और अपत्यरत्ता के लिये तो सिंह-बाहना दुर्गा-देवी, और अपने कुटुम्ब के लिये गौरी-अन्नपूर्णा गृहलक्ष्मी, और बच्चों के लिये तो दूध बहाती गौ-माता ही होती है ।

ॐ सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेण अतिरिच्यते ॐ

ॐ मातृ ! वन्दे ॐ

ॐ मेधाऽसि देवि विदित-ऽखिल-शास्त्र-सारा,
 दुर्गाऽसि दुर्ग-भव-सागर-नौर् असगा,
 श्रीः कैटभ-ऽरि-हृदय-एक कृत-ऽधिवासा,
 गौरी त्वं एव शशि मौलि-कृत-प्रतिष्ठा ।
 ते सम्मताः जनपदेषु, धनानि तेषां,
 तेषां यशांसि, न च सीदति बंधुवर्गः,
 धन्याः ते एव, निभृतऽऽत्मज-भृत्य-दाराः,
 येषां सदाऽभ्युदयदा भवती प्रसन्ना । ॐ

ॐ

काम-महिमा

हिर्दय मे वह राग पुरानी, निर्दय, जग के जागि रही—
 प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाह सनातन दाह(डाह)गही,
 शिव-मति हू, जेहि हालाहल बल, अमृतमयी, मद-मत्त भयी,
 स्नेह-राग अह द्रोह-आग की ज्योति-धूम तें छाइ गयी ।
 ज्ञान-विराग-नेत्र तीसर तें, कोमल काम जराइ दियौ,
 स्मर के वश मे, पर फिरि परि कै, उम-हिं देह मे धारि लियौ ।
 शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छांड़ि उन्माद गही,
 प्रकृति-पुरुष की अनंत वासना घटै बढै, पर मिटै नहीं ।
 वाम-काम जरि मरि जोयत पुनि, रति अह प्रीतिहिं ब्याहि लियौ,
 हूँ अनङ्ग, छायाँ अँग-अङ्गन, देह तज्यो, जग व्यापि गयौ ।
 क्रोध, लोभ, मद, मोह, असूया, की सब सेना संग लयी,
 ऋतु बौरनि, उन्माद, मूरछा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी,
 शिव-मति हू विचिस करी जिन, अरु विमोह मे डारि दयी,
 माया-मोहिनि के पाछे, सब लाज तजे, कहुं भाजि गयी,
 आपु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छबी नयी ।
 सृष्टहा, ग्लानि, उत्कंठ निराशा, गयी, नयी आसक्ति भयी,
 क्रोध, खेद, असहिष्णु असूया, दया, भक्ति, सब देह छयी,

हिर्दय में वह ध्वनी पुरातन, संतत, सब के गूंजि रही,
 शिव-मति, जेहि विष-धारण कारण, शांति छांड़ि कै भ्रांति गही ।
 प्रेम-पियास, दुरास, हतासा, सुधा-सिंधु विष-कूप ढही,
 हर्ष-विषाद अथाह अपार तरंगन में लहराह बही,
 चित्त समुद्र झकोर हलोरनि, शांति देवि अब डूबि चही ।
 तेरी माया, तू ही वारै, तो हूँ कौ भरमाह रही !
 शिव मति जेहि माया की मारी, भयी महा अज्ञानमयी,
 विष पीये जेहिं, अति अकुलानी, दया त्यागि अति घोर भयी;
 सती चेतना हूँ, शरीर तजि, जा बस, दूजी देह लयी ।
 विष्णुदेव हूँ की, जेहि लोभन, विशद बुद्धि अति मलिन भयी,
 लोक जनक, जग-सिर्जनहार कि (की) नारिरूप पर जाइ गिरी,
 वृन्दा बिरह-विकल, वृन्दावन उपवन में अति भूलि फिरी,
 पर की सती, अब्रूत, बूढ़ कै, तुलसी करि, उर-मौलि धरी ।
 हिर्दय में वह राग पुरानी, निर्दय, जग के, जागि रही,
 पुरुष-प्रकृति, योषा-पुमान, की चाह निरन्तर, दाह गही ।

(समुद्र-मथन में, पहिले, हालाहल विष निकला; उस को शिव ने अपने कंठ में रख लिया; तब देव और असुर जो सके, और समुद्र में से अमृत और रत्न भी और वारुणी सुरा भी निकाल पाये । जब चेतन-पुरुष परमात्मा, जड़ प्रकृति को अपनाता है, तभी दैवी और आसुरा प्रकृतियां, भव-सागर के सुख-दुःखों, पुण्य-पापों, का संभव होता है । यही 'अपनाना', आदि-काम, मूल-वासना, जगत् की निर्मात्री है । शिव ने (ज्ञान-वैराग्य रूपी) तृतीय नेत्र से काम को जला दिया, और फिर 'अनग' हो कर 'काम' जीवा, रति-प्रीति से ब्यह किया, और शिव ने उमा को अर्धांगिनी बनाया—यह सब कथा प्रसिद्ध है । उ-मा = या-मा = मा-या, जो 'नहीं' (थी, और) है, (थी); वही मूल प्रकृति जिस को परम पुरुष ने, 'अहम्-एतत्-न' के अखंड एकाकार अनवरत ध्यान से अपनाया है, अपने में रक्खा है । ("ऋतु बौरनि" फल के पेड़ों में 'बौर' लगने का, 'बैवर' आने का, 'बौराने' का, मस्त, प्राणल, होने का भी, ऋतु, वसत,

जो कामदेव का परम मित्र है। समुद्र-मंथन के बाद, विष्णु ने, शिव के अभ्यर्थन से, जिस 'मोहिनी' रूप से असुरों को बहकाया था, उस को फिर धारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दौड़ते फिरे—यह पौराणिक रूपक है। जालन्धर दैत्य को वर-दान मिला था कि जब तक उस की पत्नी वृन्दा का पतिव्रत सतीत्व भ्रष्ट न होगा, तब तक जालन्धर की मृत्यु न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप धर कर वृन्दा से व्यभिचार किया, तब जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को भी पाप का फल भोगना पड़ा; वृन्दा, परम पवित्र, उत्तम, औषध रूप तुलसी बन गयी, जिस को विष्णु आज तक सिर पर रखते हैं—यह पौराणिक रूपक है; पतिव्रत्य और सतीत्व भी, बाह्य रूपों में ही अँटकाया जायगा, अध्यात्म-तत्त्व को नहीं पहिचानेगा, तो कभी न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्भाव भी निरर्थक नहीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेनेगा, सद्गति पावेगा, और जगत् का कल्याण करेगा।

मत्सर-महिमा

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता मे नित बुद्धि सनी,
सर्बस सुख-सम्पदा बनेहू, बर्बस अस अनबनी बनी,
थोथी लाज, अकाज-असूया-भय, तें खाई अनी कनी,
पर ईरखा (ईष्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने प्राण हनी।

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

बसि अथाह जल भीतर हू, नहिं सलिल बूंद मुख एक गनी,
प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह ठनी,
प्रेम पियासा जगत उदासा, जदपि प्रेम तें सृष्टि बनी,
प्रीति चहक-अरु रीति न जानत, करत द्रोह सहि परि घनी ।

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

सज्जन-बलिदान

यौवन की शोभा गलै, तरुणाई मुरझाय;
 सुन्दर मुख ते अक्षरहु सुन्दर ही न सुनाय;
 भरो सरोवर, पर कमल कली खिली न लखाय;
 शशि की सुषमा हू, भये दिन, फीकी परि जाय;
 प्रभु पालै परिजन नहीं, धन पर अतिहिं लुभाय;
 नृप कौ आंगन, दुर्जनन ते ही नित्य भराय;
 सज्जन संतत दुःख ही पावत इहां दिखाय;
 भरथरि के हिय सात यह कांटा सदा सलाय ।

प्रेम-महिमा

प्रेम उठायौ प्रान की बीना अपने हाथ,
 सब तारन कौ साधि कै कनकार्यौ इक साथ,
 स्वार्थ के जो तार पर परी अंगुरी जाय,
 डरपत कांपत भाजतो टूट्यौ गयौ लुकाय ।
 (अंग्रेज़ कवि टेनिसन के एक पद्य का अनुवाद)

स्वार्थत्याग-महिमा

ईसा जौ सहस बार जनम 'बिथलहम' मे
 लेवै, पर तिरे हिय मांहि नाहिं जनमै,
 तेरे घर नेक हू खुशाली नाहिं होवै, अरु
 सूनो चित ही तू नित इतै उतै भरमै;
 'गोलगुथा' की सलीब पर तू मज आशा लाउ,
 वा तै तौ तिहारो काज नेक हू न सरि है,
 अपने हिय को बनाउ सूली, वा पै चढ़ाउ
 आपा कौ, तब ही तू सब ही दुख तरिहै ।
 (जर्मन परमार्थ-भक्त, ईसाई, वेदान्ती-सूफी-मिस्टिक कवि, शेफ्लर
 की, ईसा-मसीह के स्वार्थ-त्याग-मय जीवन पर एक पद्य का अनुवाद ।

‘बिथ्लहम’, ईसा का जन्म-ग्राम; ‘गोलगुथा’, उस बध्य-स्थान का नाम, जहाँ ईसा सूली चढ़े) ।

परम-पुरुषार्थ का लाभ

नहीं ओट वा द्वार पर, सदा प्रकासत चंद,
हे हिय !, तू निज स्वार्थ के अंधियारे मे बंद;
नामन कौ ही भेद है, तुम हम सब हैं एक,
जलधिन अरु बुद्बुदन मे एक हि जल की टेक;
हिया, भक्ति की ज्वाल मे, जस जस जरतो जाय,
अत अचरज !, वा मांस ते उतनो रस निसराय;
यदि वह है सर्वज्ञ, तौ हम उपजावत ज्ञान,
है पोथिन ते अधिक यह हिय ही ज्ञान-निधान;
स्वारथ कौ त्याग्यौ नहीं, परमारथ कस पाउ ?
उमिरि टरी, बिरधा भये, सपनहि देखत जाउ !
तोहि बाहर जे खोजते, नहि पावन की ताब,
तुही पिकन मधु बोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाब;
बिन तेरी करुणा, दया. तोहि पावै अस कौन ?
बढ़े बढे भटकत फिरें, मै तौ बपुरा मौन ।
(स्वारथ जो हिय त्याग किय, परदा दियौ हटाय,
वा मे तू सूरज सदश सदा प्रकाश दिखाय ।)

(करी नाम के परमात्म-भक्त सूफी कवि की एक उर्दू कविता का अनुवाद)

(करी के मूल उर्दू शब्द)

न कोइ पर्दा है उस के दर पर, न रूयि-रौशन नकाब मे है,
तू आप अपनी झुदी से, ऐ दिल ! हिजाब मे है, हिजाब मे है;
फ़क़त तफ़ावत है नाम ही का, दर अरुल सब एक ही हैं, यारो !
जो आबि साक़ी कि मौज मे है, उसी का जल्बा हवाब मे है;
हो अपना दिल जिस क़दर बरिश्ता, उसी क़दर ज़ायका हो पैदा,

जले ये जितना, है लुप्त उतना, अजब मज़ा इस कबाब मे है;
 जो इल्मो हिकमत का वो है दाना, तो इल्मो हिकमत के हम हैं मज़िद
 है अपने सीने मे उस से जायद, जो बात वायज़ किताब मे है;
 खुदी को छोड़ा न तू ने अब तक, खुदा को पावेगा कह तू क्यों कर ?
 जवानी गुज़री, बढ़ापा आया, अभी तक, ऐ दिल ! तु ख्वाब मे है;
 तु ही है मत्लूबि जुम्ला तालिब, तु ही हैं मक्सूदि जुम्ला आलम,
 तुम्ही से नगमा है बुलबुलों मे, तुम्ही से खुशबू गुलाब मे है;
 बग़ैर तेरी मदद के तुरू तक जो कोई पहुँचै ये ताब क्या है,
 बड़े बड़ों का गुजर नहीं है, करीं भला किस हिसाब मे है !
 (फारसी मे निगुंणोपासक को अह्लि-ज़ात, और सगुण-भक्त को
 अह्लि-सिफ़ात कहते हैं ।)

भक्ति-महिमा

(निगुंण-प्रेमी सूफ़ी सिराज (सूर्य) की एक गजल)

खबरे तहयुरि हुस्न सुन, न जुनूँ रहा, न परी रही,
 न तो तू रहा, न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही;
 शहे बे-खुदी ने अता किया मुझे जब खिबासि बरहनगी,
 न खिरद की बखियागरी रही, न जुनूँ की पर्दा दरी रही;
 वो जो अक्लो होशो हवास थे, तेरी यक निगह ने उडा दिये,
 व शराबि सद्कह आरजू खुमे दिल मे थी सो भरी रही;
 चली सिन्त-गैब से यक हवा, कि चमन गुरुर का जल गया,
 वले शमअ खाना जला के सब, गुले सुख साही बनी रही;
 वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दसें नुस्खइ इश्क का,
 कि किताब अक्ल की ताक पर जो धरी सो यूँ ही धरी रही;
 तेरे जोशो हैरति हुस्न का असर इस कदर से यहां हुआ,
 न तो आइने मे जिलौ रही, न परी मे जल्वा-गरी रही;

किया खाक आतशि झरक ने, दिले बे नवाये सिराज को,
न हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रही।

(सगुण-निर्गुण भक्त नजीर की एक नज्म)

जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवागी है,
कहीं सब्जी है, हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है;
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, औ आस उसी की भारी है,
वस आपहि वह भंडारी है, औ आप हि वह दातारी है;
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्त अमीरी है, बाबा !
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलगिरी है, बाबा !

: ५ :

विवाह और वर्ण ।

चतुःपुरुषार्थसाधक वर्णश्रम धर्म मे अंतर्वर्ण-

(‘अ-स-वर्ण’)-विवाह का स्थान ।

बिगड़ी प्रथा के शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता ।

(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे, अन्तर्वर्ण’ वा ‘अ-स-वर्ण’ विवाह सम्बन्धी विधान का उपन्यास, १९३५ ई० मे, मै ने किया । उस की ओर, भारत जनता का, समग्र देश मे, ध्यान आकर्षित करने के लिये, सात अंग्रेजी लेखों की एक लेखमाला, सब प्रान्तों के मुख्य मुख्य दैनिक पत्रों मे प्रकाश कराई और उस का हिन्दी मे आशयानुवाद, काशी के ‘आज’ पत्र मे, १९३६ ई० मे, छपा । उसी का, पुनर्दृष्ट, शोधित, कहीं सक्षिप्त कहीं उपबृंहित, रूप, यह अध्याय है । इसी आशय का व्याख्यान, मै ने, दो दिन, ता० २८ जनवरी, १९३७, और ४ फरवरी, १९३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे किया; परन्तु कार्यसिद्धि वहाँ नहीं हुई; उपन्यस्त विधान को कानून का रूप नहीं मिला ।)

उपन्यस्त विधान

२६ सितम्बर १९३५ को, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) मे, हिन्दू अन्तर्वर्ण-विवाह-सम्बन्धी एक विधान का प्रस्ताव मै ने किया; १७ अप्रैल सन् १९३६ को सभा मे निश्चय किया गया कि, १५ जुलाई तक उस पर लोकमत संग्रह करने के लिये, वह प्रकाशित किया जाय । प्रस्तावित विधान के अंग्रेजी शब्दों का आशय यह है—

“यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, जिन की आगे चर्चा की जायगी, हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न लोकोक्त वर्णों मे परस्पर विवाह, कानूनी (धर्मसंगत, स-मयाद, अनिघ, वैध, जायज, प्रामाणिक, ‘लाफुल’, ‘वैलिड’, सत्) समझा जाय; इस लिये निम्नलिखित विधान बनाया जाता है ।

१—इस विधान का नाम 'दि हिन्दू मेरेज वैलिडिटी ऐक्ट' (हिन्दू-विवाह-मर्यादन-विधान) होगा।

२—हिन्दुओं का कोई भी विवाह, केवल इस कारण से गैर-कानूनी न समझा जायगा, कि विवाहित स्त्री और पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के कानून का अर्थ इस के विपरीत लगाया गया हो।”

यह विधान अक्षरशः वही है जो सन् १९१८ में श्री विठ्ठलभाई पटेल ने सभा में पेश किया था, पर जिस पर वोट लेने की नौबत नहीं आयी।

शान्ति के साथ विचार का आवश्यकता

इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सावधानी से विचार करना, और इस के पक्ष और विपक्ष को सब बातों पर ध्यान करना, उचित है; बिना रोष आवेश के, बिना क्रुद्धता के, सौमनस्य से, शान्ति से, बहस करें, और जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दें।

परस्पर का वैमनस्य उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्दू समाज और भारतीय जनता की भलाई और उन्नति का चाहने वाला है।

अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दू समाज के किउने ही प्रभावशाली ऋण इस विधान को नापसन्द करते हैं। इन्हें हम समान पूर्वक, बिना किसी प्रकार के लेशमात्र भी अन्याय की सूचना के, 'अपरिवर्तनी' 'अर्थोडाक्स' 'वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठीक मानता है और उस में परिवर्तन नहीं चाहता है', कह सकते हैं। उन की इस इच्छा का पूरी तरह सत्कार करता हूँ कि वे अपना जीवन अपने अभ्यस्त प्रकार से बिता सकें, अर्थात् जिस प्रकार से वे अब तक रहते आये हैं उसी प्रकार से रहते जायें; और उन के सामाजिक प्रबंध और कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न होने पावे। उन की इस आकांक्षा में, इस विधान से किसी प्रकार का विघ्न न होगा।

आरम्भ में ही, ऐसे सब लोगों को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं, सानुनय विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं चाहता, प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ। प्रायः ४० वर्षों से, परमात्मा की दी

हुई अल्प बुद्धि के अनुसार, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की सेवा करने का यत्न किया है, और साथ ही इस बात का भी यत्न करता रहा हूँ, कि इस देश में बसने वाले अन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं का सौमनस्य बढ़े। यदि मैंने भूल की हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अपकार किया हो, या फिर करूँ, तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोष से नहीं हुआ है और न होगा, बल्कि समझ और विचार के दोष से हुआ है और आगे हो सकता है।

‘बिल’ (प्रस्तावित कानून) के विरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी मान लेंगे, कि श्री विठ्ठलभाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा करने की सच्ची अभिलाषा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वैसा ही है, तो इस विधान पर सार्वजनिक चर्चा और बहस, कटुता से रहित होगी, और सत् परामर्श तथा गुणदोषसमाप्ता के सच्चे भाव से प्रेरित होगी, जो ही सच्चे लाकोपकारी कार्यों के साधन का एकमात्र उपाय है।

जैसा गीता में कहा है,

प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते,

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर् अस्य उपजायते।

जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्न, शान्त होता है, तब बुद्धि सुस्थिर हो जाती है, उस में से चञ्चलता हट जाती है, और तभी वह उन सत्त्यों, तथ्यों, उपार्यों को निश्चित रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के सब दुःख दूर होते हैं।

इस भूमिका के बाद, जिन का यह उद्देश्य है कि शान्ति का वातावरण बँध जाय, अपनी दलालों को पेश करता हूँ।

हिन्दूधर्म की विशेषता

यद्यपि मेरा यह निश्चित मत है कि मूल वर्णधर्म में, अर्थात् शास्त्रों द्वारा विहित जीविका-कर्म के अनुसार, समाज को चार वर्णों में विभक्त किया जाय और यह आवश्यक नहीं था, (जैसा आगे दिखलाऊँगा), कि वर्ण अथवा उपवर्ण के भीतर ही विवाह सीमित रहे; तथापि यह मानने को तैयार हूँ कि सम्भव है कि इस रीति से, जिस की कड़ाई को यह विधान कम करना

चाहता है, पूर्व काल में कुछ लाभ हुआ हो, जब देश की परिस्थिति दूसरी थी। यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि इस प्रकार का, वर्ण-नाम के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा सर्वदा स्वभावतः हानिकर ही था और है। परन्तु यह कहने का अवश्य साहस करता हूँ, कि किसी चीज की भी 'अति' करना खराब है। सुप्रसिद्ध संस्कृत कहावत है, "आश्रयेन् मध्यमा वृत्ति, अति सर्वत्र वर्जयेत्।" बुद्धदेव ने अपने मार्ग का नाम ही 'मध्यम-परिपाटी' रखा। पैगम्बर मुहम्मद की भी एक हदीस है, 'खैर-उल-उमूरे औसातोहा', वे ही सब काम अच्छे होते हैं जो बीच का रास्ता पकड़ते हैं।

साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून और रिवाज को देश, काल, और स्थिति के अनुसार, बदलते रहना चाहिये। मनुष्य की कोई कार्यप्रणाला ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ ही हो, और जिस का परिणाम सब अच्छा ही हो। अत एव, जब किसी विशेष आचार के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामों को दवाने लगते हैं, तो दूसरे आचार-धर्म बनाने पड़ते हैं। ये नये कानून, इसी तरह से, आगे चल कर, देश-काल अवस्था के परिवर्तन से, हानिकर होने लगते हैं, और उन्हें फिर बदलना पड़ता है। कोई अपरिवर्तनीयता, कही भी, किसी कानून में नहीं है। इस लिये आचारों में भेद चारों ओर हम देखते हैं।

देश-काल-निमित्तानाम् भेदैर् धर्मो विभिद्यते;
 नहि सर्वहितः कश्चिद् आचारः सम्प्रवर्तते;
 तस्माद् अन्यः प्रभवति, सोऽपरम् बाधते पुनः,
 आचाराणां अनैकाग्र्यम् तस्मात् सर्वत्र लक्ष्यते।

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २६६, ३१४)

इस प्रकार से हिन्दू धर्मशास्त्रों में धर्मव्यवस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिया है, और उस में देश-काल-प्रवस्था के अनुसार परिवर्तन, और विरोधी भावों के समन्वय, समझौते, आदि की पूरी गुंजाइश रखी है। मानव-संसार की सब से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्मृति है; उस में स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म, कानून, अर्थात् अधिकार और कर्तव्य को

परम्पर बांधने वाले नियम, मनुष्य जाति की अवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं; सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग, मे, मनुष्यों के धर्म दूसरे दूसरे होते हैं ।

अन्ये कृतयुगे धर्माः, त्रेतायाम्, द्वापरेऽपरे,

अन्ये कलियुगे, नृणाम्, युग-हासऽनुरूपतः

(मनु०, १, ८५)

‘नाम्ना’ सवर्ण-विवाह के नियम को कड़ाई से पालन करने से, दूसरी स्थिति मे, चाहे कुछ ही फायदा हुआ हो, अब तो, हिन्दू समाज मे इस की ‘अति’ हो गयी है, और इस से बहुत हानि हो रही है । बहुत से लोगों का निश्चय मत हो रहा है. और ये लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार से अविवेकी, जल्दबाज, अथवा अपरिपक्व बुद्धि वाले, नहीं कहे जा सकते ।

दिवंगत पण्डित मोतीलाल नेहरू, देशचन्द्र चित्तरंजन दास, और जोवत् महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, आदि जैसे बड़े-बड़े देशभक्त और नेता—जिन की उदार बुद्धि, और आत्मत्याग, मे किसी को सन्देह नहीं हो सकता, और जिन्हो ने भारतीयो के उद्धार के लिये, और साथ ही साथ, हिन्दू धर्म मे तत्वनः जो सत्य-प्रिय-हित-कर बातें हैं, उन की रक्षा के लिये, इतना कार्य किया है—सब की यही राय है कि इस प्रकार से सख्ती के साथ ‘नाम मात्र के सवर्ण विवाह’ का प्रकार उचित नहीं है; और उन्होंने ये मत ही नहीं प्रकाश किया, बल्कि, जैसा कि सच्चे नेताओं के लिये योग्य है, इस विचार के अनुसार आचार भी किया, और बड़े अच्छे उदाहरण देश के सामने उपस्थित किये । ‘नागरिकों की अन्य श्रेणियों मे भी ऐसे विवाह समय-समय पर होते आ रहे हैं, और अब अधिकाधिक संख्या मे होने लगे हैं । अतः इस विधान को उन सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होने की आशा हो सकती है, जो यह मानते हैं कि सत्य सिद्धान्त का अनुसरण भी और कुशल भी सदा इसी मे है कि मध्यमा वृत्ति का अवलम्बन किया जाय, और ‘अति’ का आश्रय लेने मे भूल तथा भय सदा रहता है ।

‘अति’, ज्यादाती, सौ बुराईयो की एक बुराई है, और (नाममात्र) सवर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल में, निश्चय ही, इस दोष से दूषित है। अच्छी प्रथाये भी अति की ओर जा कर दूषित हो जाती हैं। तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी व्यवस्थाओं की सृष्टि करा के, अपने नियमों का पालन कराता है। जीवन के सभी विभागों में इतिहास की यही शिक्षा मालूम होती है।

अन्याय और अपराध करने वाले को रोकने के लिये, किसी प्रकार के शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसी कानून और व्यवस्था का, किसी नियम कायदे का, और शासन करने और दण्ड देने के किसी अधिकार का, होना, आवश्यक है। परन्तु ‘नोकशाही’, यानी जनता के हर विभाग पर अहंकारों की निरंकुश और मनमानी हुकूमत, आज्ञा आदेश निकालने, कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का ‘अति’ अधिक प्रयोग, ‘दण्डतन्त्रता’, बहुत ही अनिष्टकर है; विरोध, विद्रोह, विप्लव, उस के अनिवार्य परिणाम हैं।

इसी तरह, कुछ निजी रूपया पैसा, कुछ निजी सम्पत्ति, कुछ निजी जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग और दरजे में कुछ अन्तर, जो औचित्य की सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनियम की सुविधा के लिये, क्रयविक्रय की सुकरता के लिये, तथा जीवन को रोचक बनाने के लिये, उपयोगी है, अनिवार्य है। पर ‘पूँजीवाद’ और ‘थैलीशाही’ और चल अचल सम्पत्ति पर ‘इजारों’, ‘ठेको’ की (एकसत्ताकृता, ‘मोनोपोली’, mono-poly, की) ‘अति’, ‘घनिकतन्त्रता’, अति हानिकारक है, और व्यापक असन्तोष तथा विप्लव की सृष्टि करता है।

इसी तरह, देश की रक्षा के उद्देश्य से खड़ी की गई सेना, और जुटाये गये हरबा हथियार, अस्त्र शस्त्र, उचित सीमा का ‘अति’ क्रमण करने पर उद्वेगकारी ‘लाठीशाही’ और विध्वंसकारी ‘सैनिकतन्त्र’ का रूप प्राप्त कर लेते हैं, और सदा मार-काट मची रहने का कारण होते हैं।

इसी तरह, चित्त को शांति देने के लिये ऋषियों की खोज से निश्चित की हुई पारलौकिक विद्या भी, ‘अति’ का आश्रय लेने पर, ‘पोथीशाही’

‘पुरोहित-राज्य’ का, और लोकविनाशक पुरोहिती स्वार्थ के लाघन का, ‘पादरी-तंत्रता का, रूप ग्रहण करती है, मूढ़ग्राहों, धर्माभासों और ठगाइयों को बढ़ाती है, और साम्प्रदायिक दङ्गों, धर्म के नाम पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों, ‘जेहादी’ लड़ाइयों, और अन्त में उग्र दण्ड-साधित सुधारों का कारण बनती है ।’

हिन्दू रूढ़ियाँ, और सामाजिक जीवन के नियम, ‘अति’ की ओर, बहुत चले गये हैं । जिन लक्ष्यों के लिये उन की सृष्टि हुई थी, ठीक उन के उलटे परिणाम वे उत्पन्न कर रहे हैं । आरम्भ में, उन की सृष्टि, समाज व्यवस्था की एक सम्पूर्ण योजना के अंग के रूप में, हुई थी । काम और दाम का न्यायोचित बँटवारा कर के, जीविका के उपार्जन में होने वाली अव्यवस्थिति और उच्छ्वन्वल प्रतिस्पर्धा की बुराइयों को घटाना ; समाज के सब अंगों को परस्पर बाध कर, एक सम्पूर्ण शरीर की रचना करना, जिस के सब भाग एक दूसरे पर आश्रित हों; ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिस में समान-शील-व्यसन के खो पुरुषों में, जहाँ तक संभव हो, सुखमय और सफल विवाह-सम्बंध होने में सुविधा हो ; ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिस के द्वारा कुटुम्बों के, और कुटुम्बों के द्वारा सारे समाज के, हित और सुख की वृद्धि हो सके—यह उस समाज-व्यवस्था का विशद और उदार उद्देश्य था ।

कुटुम्ब और समाज

इस देश के पुराने विचार में, कुटुम्ब को ही मानव समाज का आधार और आरंभिक ‘अणु’ (‘यूनिट’, Unit) मानते हैं ।

१ इन चार ‘अतियों’ के अन्य नाम—ब्राह्मण राज्य, क्षत्रिय राज्य, वैश्य राज्य, शूद्र राज्य ; समतावस्था का नाम मानव राज्य । अंग्रेजी में, ‘थियो-क्रैटिज्म’ ; (‘ब्यूरोक्रैटिज्म’ और) ‘मिलिटैरिज्म’, ‘कैपिटैलिज्म’, ‘प्रोलिटेरियनिज्म’, तथा ‘होमो-क्रैटिज्म’ (वा एरिस्टो-डेमो-क्रैटिज्म) । Theocratism, (Bureaucratism and) Militarism, Capitalism (or Plutocratism), proletarianism, और Homocratism (Aristodemocratism) । हिन्दी-संस्कृत में, तथा अंग्रेजी में, और भी कई पर्याय-चतुष्क बनाये जा सकते हैं, जो मेरे अन्य ग्रन्थों में लिखे हैं ।

एतावान् एव पुरुषः यज्ञं जाया आत्मा प्रजा इति ह । (मनु, ६, ४५)

अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, स्त्री, और सन्तति, तीनों मिल कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है ।

आज काल की प्रवृत्ति, 'व्यक्ति' को समाज का आधार और आरंभक 'यूनिट' मानने की ओर है । एक हृद पर व्यक्तिवाद और दूसरी हृद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का आदर्श है । कुटुम्बवाद एक कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है । जब समाज रूपी जजीर को बनाने वालों कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, और माता, पिता, तथा सन्तति, सदा के लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते हैं, तब मातृपितृसम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, (अर्थात् माता के पिता माता, पिता के पिता माता, फिर इन चार में से प्रत्येक के पिता-माता, फिर उन आठ के सोलह, इत्यादि का), स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सम्पूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, परस्पर सम्बद्ध, संयुक्त, दिखाई देता है; और उस का आधार, परस्पर का सहयोग हो जाता है । इस प्रकार से सभी लोग एक ही शरीर और एक ही आत्मा के अंग वास्तव में हो जाते हैं ।

रोटी-बेटी का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और यौन-सम्बन्ध, ये ही प्राण-सम्बन्ध हैं । पर, जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता है, तब, जिस समुदाय में वह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध मन-माना और प्रतिस्पर्धा-मूलक हो जाता है ; और इस कारण से, वह समाज मजबूत होने के बदले और कमजोर हो जाता है । यही कारण है जो आज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, बीच, इतना उग्र द्वेष-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु-मण्डल व्याप्त हो रहा है । न केवल राष्ट्र-राष्ट्र में संघर्ष हो रहा है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीतर भी, अमीर और गरीब में, शासक और शासित में, बलवान् और दुर्बल में, और-संघर्ष की परा काष्ठा-स्त्री और पुरुष में, पिता और पुत्र में, बूढ़े और जवान में, पुरानी पुश्त और नई पुश्त में, संघर्ष बढ़ रहा है ।

कठोरता ही हास का कारण

भारतीय रस्म-रिवाज भी, यद्यपि आरम्भ में वे सम्यक् सामाजिक संघटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित थे, धारे-धारे, कुछ अग्रों पर बहुत ज्यादा जोर दिये जाने, और दूसरे अंगों की उपेक्षा होने, से, वर्तमान जातिभेद में परिवर्तित हो गये। इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता, हिन्दू-धर्म तथा भारतीय जनता के हिन्दू अंश के स्पष्ट हास का, और फलतः अप्रत्यक्ष रूप से, परम्परा, अन्य अंशों के भी हास का, मुख्य कारण है; क्योंकि आज जैसी अवस्था है उस में सब को गर्दने एक ही डोरी में बंधी हैं; गिरेंगे तो सब साथ ही, और उठेंगे भी तो सब साथ ही। इस कहने पर उस आदमी को आपत्ति हो सकती है जो केवल इस स्थूल बात को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, (यथा मुस्लिम), संस्था में तेजी से बढ़ रहे हैं; पर उस आदमी को आपत्ति न होगी जो यह समझता है कि वह सम्प्रदाय, अपने ही अन्तर्गत साधारण लोगों के हित और भलाई की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि परायण से पाये हुए कृत्रिम संरक्षण सहायन पर अधिकाधिक अवलम्बित होते जा रहे हैं, और उन की संख्या में वृद्धि, केवल हिन्दुओं की ही 'जात-बाहर' करने की मूढ़ प्रथा से हो रही है।

ये कड़ाइयाँ उस उद्देश्य को सर्वथा व्यर्थ किये दे रही हैं, जिस के लिये इस जाति के बुजुर्गों ने, सुदूर अतीत में, वर्णव्यवस्था की स्थापना की थी। इस व्यवस्था को तो 'वृत्ति-विभाग', वा 'वृत्ति-व्यवस्था', वा, संग्राहक शब्द में, 'समाज-व्यवस्था' कहना अधिक उचित होगा। वह उद्देश्य था, परस्पर सहायक अङ्गों से युक्त संग्रहित समाज की रचना, सच्चे समाजरूपी देह की रचना, जो जीवित मानव शरीर की भाँति ही सिर, हाथ, घड़, और पैर रखता हो। पर इस की जगह आज हम समाज के इन विविध अंगों में परस्पर सहायकता के स्थान में भेद, फूट, ईर्ष्या, तीव्र द्वेष तक, देख रहे हैं। जो वर्णव्यवस्था सब को आपस में बाँधे रखने की, एक केन्द्र की ओर खींचे रखने वाली, शक्ति थी, वह आज सब को अलग अलग करने की, और केन्द्र से दूर फेंक देने वाली, शक्ति बन गई है।

सब मे मेल कराने के बदले, वह सब को सब का विरोधी वैरी बना रही है।

हिन्दू 'भूयसीयता', कहानी-मात्र

हिन्दुओं के जिस 'मेजारिटी,' majority, बहुतायत, या बहुसंख्यता की इतनी चर्चा है, वह नितान्त 'मिथ्या कल्पनामात्र है। वास्तव मे हिन्दू समाज, आपस मे लड़ते हुये अल्पसंख्यक समुदायों का, कोई तीन हजार जातियों और उपजातियों का, जो सब भोजन और विवाह के विषय मे एक दूसरे को अछूत अस्पृश्य समझती हैं, प्रतिक्षण विशरीर्यमाण एक 'ढेर' मात्र है; सच्चे वर्णधर्म का स्वांग है; जिसे बाहरी आलोचक, विस्मय और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं।

यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों और रिवाजों की दिन दिन बढ़ती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शरीर की मृत्यु का कारण होगी, जैसे क्रोमल सप्राण तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना, धारे धीरे, कुछ काल मे, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है। अवश्य ही, जो मानव समुदाय इस समय 'हिंदू'-समाज के नाम से पुकारा जाता है, वह और उस की सतति-प्रसंतति, यदि हिंदू धर्म (ईश्वर न करे) मिट भी जाय, तो भी नष्ट न होगी; पर आध्यात्मिक संस्कृति, तथा सभ्यता के कुछ बहु-मूल्य तत्व, समाज संघटन के उत्तम सिद्धान्त, बहुत दिनों के लिये लुप्त हो जायेंगे, जिस से सारी मानवजाति की भारी क्षति होगी।

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार

वर्ण-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूहन का आध्यात्मिक तत्व, वास्तविक रूप, और व्यावहारिक उद्देश्य, जब ध्यान मे लाया जायगा, तब यह स्पष्ट होगा कि, प्रचलित नाम-मात्र सवर्ण विवाह की रीति का बहुत कड़ाई से पालन करना, उस व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। आरम्भ मे, मानव समाज की सांगोपाग व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था थी। इसे पच्छिम मे 'सोशल आर्गेनिजेशन' कहते हैं। इस मे चार परस्पर सम्बद्ध व्यूह थे, (१) शिक्षा-व्यूह, ('एड्युकेशनल आर्गेनिजेशन', 'लनेड प्रोफेशनस'), जिस के अवयव, तस्वो विद्वान् ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग के शिक्षक और ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी, थे; (२) रक्षा व्यूह, राजनीतिक

प्रबन्ध, ('प्रोटेक्टिव आर्गेनिजेशन', 'एक्सेक्यूटिव प्रोफेशनल्'), जिस में साहसी, निर्बलों के रक्षक, 'क्षतात् त्राता', क्षत्रिय वर्ग वा वर्ण, और (साधारण दृष्टि से) वानप्रस्थ आश्रम, के लोग थे; (३) जाविहा व्यूह, आर्थिक संघटन, ('इकोनोमिक आर्गेनिजेशन', 'कोमर्शल प्रोफेशनल्'), जिस में कृषि-गोरक्ष-वाणिज्य-व्यापार वाले वैश्य वर्ग वा वर्ण, और (सामान्यतः) गृहस्थाश्रम, के लोग थे, और (४) सेवा-व्यूह, सहायता-व्यूह, श्रमजःवो संघटन, ('इंडस्ट्रियल आर्गेनिजेशन', 'लेबर प्रोफेशनल्'), जिस में शूद्र वर्ग वा वर्ण के शारीरिक सेवक, और संन्यासी आश्रम के आध्यात्मिक सेवक थे ।^१

इस चतुर्विध सामाजिक संग्रथन के आधारभूत, कुछ मौलिक और व्यापक सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के, थे; यथा शरीर-शास्त्र, चित्त-शास्त्र अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, भोजन शास्त्र, विवाह-शास्त्र, राज-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि । 'आगम' की परम्परा से 'आगत' शब्दों में, इन सब शास्त्रों का चतुर्विध शशीकरण चार पुरुषार्थों के चार शास्त्रों में किया है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम-शास्त्र, और मोक्षशास्त्र । आर्य जाति के बुजुर्गों ने, ऋषियो ने, पूर्व काल में, ज्ञानचक्षु से, इन सब तत्वों का प्रत्यक्ष कर के, उन की नीव पर, मानव जाति के हित के लिये, इस समाजव्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, कि इस में भारत की बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं, अपितु समस्त पृथ्वीतल के रहने वाले मनुष्य मात्र, उचित वर्ण में समाविष्ट हों, और जो ही इस के सम्पर्क में आवे वह 'आर्य' हो जाय, चाहे उस की जीविका, व्यसन, मनोवृत्ति, आचार-विचार, रीति रस्म, आदि कुछ ही क्यों न रहा हो ।

देश-धर्मान्, जाति-धर्मान्, कुल-धर्माश्च शाश्वतान्,
पाषण्डगण-धर्माश्च, शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः ।
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः,

1. Social organisation; Educational organisation, Learned professions; Protective organisation, Executive professions; Economic organisation, Commercial professions; Industrial organisation, Labor professions.

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्चेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

ब्राह्मणः, क्षत्रियो, वैश्यः, त्रयो वर्णाः द्विजातयः,

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रो; नास्ति तु पञ्चमः ।

(मनु, अ० १, श्लो० ११८; अ० २ श्लो० २०; अ० १०, श्लो० ४)

कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम् । (ऋग्वेद)

‘शरीर शास्त्र’ (आयुर्वेद) का सिद्धान्त यह है कि देहधारी जंतुओं की पारम्परिक पीढ़ियों की उत्पत्ति में दो नियम सदा कार्य करते रहते हैं। (१) पितृ-क्रम-सामान्य नियम, पितृ-परम्परा नियम, जन्मना-सिद्ध-स्वभाव नियम, आनुवंशिकता; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्मेष नियम, कर्मणा-साधित (व्यक्तीकृत, व्यंजित) स्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता। आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक, (१) को ‘ला आफ हेरेडिटी’, (२) को ‘ला आफ स्पान्टेनियस वेरियेशन’ या ‘म्युटेशन’ कहते हैं। अर्थात् (१) कुछ गुण तो जन्म से ही, माता-पिता द्वारा, प्राप्त होते हैं, और (२) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष में प्रादुर्भाव होता है। इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा-बाप की सन्तति, शरीर और बुद्धि में, अपने मा-बाप के सदृश और एक दूसरे के सदृश, कुछ अंश में, होते हैं, और (२) साथ ही, दूसरे अंशों में, उनमें विलक्षणता भी होती है। पुराने शब्दों में, इन्हें ‘जन्मसिद्ध गुण’ और ‘कर्मसिद्ध गुण’, अथवा ‘योनि कृत गुण’ और ‘तपः-श्रुत-कृत’ गुण, कह सकते हैं। इन परस्पर भेदी नियमों का मूल कारण, ब्रह्मविद्या से मिलता है। परमात्मा की ‘एकता’ ही, संसार में जो कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्तत भाव, अविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उसकी हेतु है; और परमात्मा की स्वभाव-रूप प्रकृति की ‘अनेकता’ ही, संसार में जो कुछ बहुता, विचित्रता, विभिन्नता, और परिवर्तन-शीलता है, उसकी कारण है। बुद्धिः (शक्तिः) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृतिः) मता। (शैवागम)

‘अन्तःकरण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अर्धतन्त्रशास्त्र’ का सिद्धान्त यह है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति में, एक का प्राधान्य

१ Law of Heredity, Law of Spontaneous Variation or Mutation,

होता है; और 'द्विज' अर्थात् सुशिक्षित, सुसंस्कृत, व्यक्ति, जो द्वितीय बार, आत्मज्ञान में, जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के होते हैं—(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान, तथा, (६) इच्छा-प्रधान; और बाकी लोग चतुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्तबुद्धि बालकबुद्धि के हैं, और ऊँची शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारीरिक श्रम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं। ज्ञानप्रधान मनुष्य के लिये हृदय का आश्रय और सत्कार्य का प्रेरक, विशेष कर प्रेमपूर्ण सम्मान ही होता है, और इसी का वह अधिक चाहता है 'मानो हि मर्तां घनम्'। क्रियाप्रधान पुरुष, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, 'ईश्वर-भाव', अधिकार, को अधिक चाहता है,

आज्ञाभंगो नरेन्द्राणां अशस्त्र-वधः उच्यते। (शुकनीति)

इच्छा-प्रधान पुरुष, घनधान्य को अधिक चाहता है, और श्रमजीवी मनुष्य खेल-तमाशा, क्रीडा-विनोद, को अधिक पसन्द करता है। यह अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिये कि चार सहोदर भाई, एक ही मा-बाप के चार लड़के, भिन्न-भिन्न श्रेणियों, वर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति, मनो-वृत्ति के हो सकते हैं, और अक्सर होते हैं। यह विभिन्नता उन में स्वतः उत्पन्न होती है। तथा यह भी ठीक है कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे प्रायः, स्वल्प भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार प्रकार और स्वभाव के, भी बहुधा होते हैं।

न विशेषोऽस्ति वर्णानाम्, सर्वं ब्राह्मम् इदं जगत्,

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टम् हि, कर्मभिः वर्णतां गतम्,

(म० भा०शांति० अ०१८६)

वेदों में उपमा दी है, 'चारों वर्ण एक ही स्रष्टा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण सब सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति और जीविका के भेद के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों में विभक्त हो गये हैं। अथ च, विभक्त हो कर भी प्रत्येक में अन्य तीनों की शक्तियों के बीज बने ही रहते हैं, और विशेष अवस्था में उद्बुद्ध अंकुरित हो सकते हैं और होते हैं,

न तदस्ति पृथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः,

सखं प्रकृतिजैः मुक्तं यत् स्याद् एभिस् त्रिभिर्गुणैः। (गी०)

‘अन्तःकरण शास्त्र’ का दूसरा सिद्धान्त यह है कि, स्त्री-पुरुष की राजस तामस काम-वासना जो होती है, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स्वार्थ त्याग, उत्तरदायित्व-सवेदन, और कर्तव्य-पगयणता, के भाव में परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें संतति उत्पन्न होती है। पर, जैसे अन्य बातों में, वैसे संतति में भी, ‘अति’ से बहुत दुःख पैदा होता है। जब इतनी संतति हो कि माता पिता उन का उचित रूप से पालन-पोषण न कर सकें, तो अनर्थ हो जाता है। साथ ही, यदि जान बूझ कर सर्वथा संतति का निरोध किया जाय, एक दो अपत्य भी न हो, इस लिये कि सब प्रकार की कष्टदायी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियां-बीबी बचे रहें, और केवल अपने ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासना से स्वार्थ अधिकाधिक प्रवृत्त होता है, थोड़े ही समय में सभी इंद्रियां कुपट हो जाती हैं, परस्पर श्लानि हो जाती है, सब वैवाहिक प्रेम और सुख नष्ट हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अधिक होने लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं। अतः स्मृतिकारों ने गृहस्थऽश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर उस की प्रशंसा की है। क्योंकि उसी से अन्य आश्रमों का पोषण होता है। साथ ही साथ बहुत संतति की भी निन्दा की है, यहां तक कि एक पहिले पुत्र को ही ‘धर्म ज’ कहा है, और दूसरों को ‘काम-ज’। (मनु, अ० ३, श्लो० ७७, ९८; अ० ६, श्लो० ८८, ९०; अ० ९, श्लो० १०७)

‘अर्थ शास्त्र’ का सिद्धान्त, वर्ण-धर्म-ऽात्मक समाज-व्यवस्था की जल्द बुनियाद में, यह लक्ष्य है कि, जीविकोपार्जन में अनियमित विनाशकारण प्रतिद्वंद्विता दूर की जाय, या उस की खराबियां यथा-सम्भव कम की जायें। इस लिये, चार वर्णों के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका-वृत्तियां नियत कर दी। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के कारण पैतृक जीविका के योग्य हों, वे निश्चयेन उसी का अवलम्बन करें। पर जब किसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार का स्वभाव पाया जाय, तो उस को यह इजाजत रहे कि वह अपनी प्रकृति के अनुकूल जीविका का कार्य उठा सकें, पर, धनोपार्जन के लिए, किसी दूसरे वर्ण के लिये निर्धारित

जीविकोपाय का कार्य करने न पावे। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, सारे समाज की सेवा के लिये कार्य कर सकेगा, और समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा, और काम, दाम, और आराम का न्यायोचित विभाजन हो सकेगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीविका के लिये, स्व-वर्ण-उचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा। शौक के लिये भले ही करे, पर उस से अर्थोपार्जन न करे। बृष्ण ने नारद महर्षि देवर्षि को संगीत की शिक्षा दी, और आज, पाँच हजार वर्ष से, चारों वर्णों को, वेद-वेदान्त-सार-भूत गीता की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने को क्षत्रिय ही कहते हैं, क्योंकि जीविका उन की क्षत्रियवृत्ति से रही; यदि अध्यापन-वृत्ति से जीविका करते तो ब्राह्मण कहलाते; एवं तुलाधार वैश्य और धर्मव्याघ शूद्र ने ब्राह्मण ऋषियों को शिक्षा दी, पर वृत्ति के कारण वैश्य और शूद्र ही अपने को कहते रहे; एवं जनक आदि।

‘समाज शास्त्र’ का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में सिर, हाथ, धड़, और सर्वधारक पैर होते हैं, और जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में ज्ञान, इच्छा, और क्रिया का संग्रह रहता है, तथा सर्वधारिणी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संघटन में, अर्थात् प्रत्येक सर्वाङ्ग-पुष्ट, सुविकसित, उन्नत, और सभ्य समाज में, चार ऐसी श्रेणियाँ होती हैं, जो स्थूल रूप से, जीविका की दृष्टि से, एक दूसरे से विभक्त जा सकती हैं—(१) विद्योपजीवी वर्ग, (२) (शासनात्मक) अधिकारोपजीवी वर्ग, (३) व्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) शारीरिक-श्रमोपजीवी वर्ग। इन चारों श्रेणियों में, चार प्रकृतियों के अनुरूप, अधिकार (हक) और कर्तव्य (फर्ज), कार्य और जीविका, परिश्रम और पुरस्कार, मिहनत और उन्नत, काम और दाम, श्रम और आराम, का उचित बँटवारा होना चाहिये। तथा, किसी को किसी दूसरे के क्षेत्र पर (विशेष कर जीविका के साधन पर) आघात करने का कोई अवसर न मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारों प्रकार से जीविका उपार्जन कर सकने की इजाजत होनी चाहिये। अवर्यः’

जीविका, रिज्क, के चार प्रधान तरीको मे प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत से उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ मे यह वैज्ञानिक और प्राज्ञानिक ('सायंटिफिक' व 'मेटाफिजिकल्') तथ्य है कि मनुष्यमात्र का परस्पर सम्बन्ध, शारोर ('बायोलोजिकल्') और चेतनीय (चेतनात्मक, 'स्परिचुअल') भी है। जैसा वाइवल मे कहा है, "वी आर् आल् फ्लेश अ फ् दि सेम् फ्लेश, ऐण्ड स्परिट आफ दि सेम स्परिट," सब प्राणियो मे एक ही भोति तत्र है, और सब जीवो मे एक ही चेतन तत्र है, सब उसा एक ही के अनन्त रूप है। इस को सदा याद रखने से सदा परस्पर स्नेहभाव सहायताभाव बढ़ता है। साम्प्रत काल मे, 'व्यक्ति' ही को, 'समाज' का आरम्भक 'अणु' मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है; इस का फल यह है कि 'बायोलोजिकल् बोण्ड' ('अन्न-सम्बन्ध,' 'यौन-सम्बन्ध,' 'वार्त्ता-सम्बन्ध,' अर्थात् 'कोन्जुवियम् 'कोम्मेन्सम्,' 'कोम्मर्सम्,' के 'प्राण-सम्बन्ध') मे शुचिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और 'स्परिट' (आत्मा) मे विश्वास का, आदर कम हो गया है; 'वैयक्तिक' स्वार्थ की पूर्त्ति का ही आग्रह अधिक रहता है; परस्पर संघर्ष बढ़ता है; दारुण विश्वयुद्ध होते हैं।'

दूसरा 'सामाजिक सिद्धांत,' जिस का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, और जा पुरातन सामाजिक व्यवस्था मे अनुस्यूत था, यह है कि व्यक्ति नहीं, अपितु, बल्कि, कुल वा कुटुम्ब, समाज का आरम्भक अवयव ('यूनिट') है। इस विषय पर पहिले कहा जा चुका है।

'समाज शास्त्र' का एक और बहुत गौरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्णधर्म मे गुथा हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मोटे 'तौर से चार विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, अध्ययन मे, दूसरा, गार्हस्थ्य और जांविक्पोपार्जन मे, तथा सन्तति के पालन-पोषण मे; तौसर, बिना किसी चेतन या प्रतिकल या कीमत के, सार्वजनिक सेवा मे; और चौथा, आध्या-

1. Scientific; Metaphysical; Biological; Spiritual. "We are all flesh of the same flesh and Spirit of the same Spirit. Con-nubium, Com-mensum, Com-mercum.

त्मिक ध्यान और मोक्षसाधन में; व्यतीत होना चाहिये। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिये, और परार्थप्रधान लोकोपकारी भाव और शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रतिदिन वर्धमान, मात्रा में सेवन, अन्तिम दो विभागों में होना चाहिये। 'आश्रम धर्म' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धांत है, जिस से 'वैयक्तिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है। इस का अटूट सम्बन्ध वर्णधर्म से है, जिस के द्वारा 'सामाजिक' जीवन का प्रबन्ध किया गया है। इन दोनों का, वर्णधर्म और आश्रमधर्म का, वंसा ही सम्बन्ध है जैसा कपड़े में ताने और बाने का।

तीसरे आश्रम में ऐसे लोग बहुतायत में मिलने चाहियें, जो प्रति-द्वंद्विता द्वारा जीविकोत्पत्ति करने से निवृत्त हो चुके हों; जो परिपक्व बुद्धि वाले, दुनिया को देखे, बोझ उठाए, धक्के खाए, सुख-दुःख भोगें, तजुर्वे-कार, अनुभवी हों; जो अब प्रेम और शान्ति की ही आशाओं से मानव जगत् को देखते हों; जो नयी पुरत पर विशेष अनुकम्पा रखते हों; जो वास्तव में सम्मान के योग्य और अधिकांश जनता के सम्मानित श्रद्धित हों; और जो बिना पुस्कार के, निराश्रित समितिया, बोर्डों, व्यवस्थापक सभाओं के, तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों को, लियाकत से, योग्यता से, कर सकें। वर्तमान समय (जमाने, युग) के लिये, 'यज्ञ' अर्थात् 'परार्थ कर्म' के रूप में ही हैं। यदि इस तीसरे आश्रम का, और ऐसे लोगों का, पुनः संघटन हो सके, तो नीच प्रकार के स्वार्थ, दम्भ, ईर्ष्या-मत्सर, और तरह तरह की बेईमानी, जो इस समय, केवल वेतनभोगी अहलकारों में ही नहीं, बल्कि निर्वाचित और अर्वाचनिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में भी, बहुत कुछ फैल गई है, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न भी जा सके, तो भी बहुत कम जरूर की जा सकती है।

'राजनीति शास्त्र' (धर्म-शास्त्र के अंतर्गत) का सिद्धान्त, जो इस वर्णव्यवस्था में अति-प्रोत है, वह यह है कि, चारों जीविकाओं के अनुसार विभक्त श्रेणियों का पृथक्-पृथक्, परन्तु परस्पर अवलम्बित, व्यूहन हो। उन में आपस में शक्ति का उचित बंटवारा रहे, और शास्त्र-शक्ति (ज्ञान-बल)

शस्त्र शक्ति (सेना बल), अन्न शक्ति (धन-बल), और सेवा-शक्ति (श्रम-बल), सब के सब, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति में केन्द्रोभूत न हो सकें; क्योंकि एक ही हाथ में कई शक्तियों के आने का स्वाहा म-स्वाहा यह नतीजा होता है कि अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्व, मद, उच्छृङ्खलत्व, निर्मर्यादता, अवश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के शिक्षण रक्षण पालन के सौम्य-भाव दब जाते हैं; और अनियन्त्रित अतिकार का दुरुपयोग कर के दूसरो को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग विलास के लिये, दुकृत ऐश्वर्य का रस चखने के लिये, निश्चयेन बढ़ता है। पुराणों में, नहुष, रावण, आदि क घोर अत्याचारों के वर्णन के आरम्भ में कहा है, “स सर्वथा एव देवाना अतिकारान् स्वयम् एव अधितष्टे”; अलग अलग देवताओं क जो अलग-अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ में उसने कर लिया। शिक्षक, रक्षक, पालक और सहायक, इन सब को, अपने-अपने दायरे में, परिधि के भीतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी वर्ण या वर्ग को किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्त्रित अधिकार रखने की, अथवा उस को पैर के नीचे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मिले।

‘शिक्षा-शास्त्र (धर्मशास्त्र क अंतर्गत) वा सिद्धांत यह है कि, प्रत्येक बच्चे को, जो जरा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक (‘कल्चरल’) शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार का व्यावहारिक (‘वोकेशनल’), अर्थ करी, जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिस के प्रति उस का स्वभाव से रुचि और प्रवृत्ति हो।’ और इस प्रवृत्ति को समझने, पहिचानने, के लिये उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यात्मवेदी हो कर, ध्यान देना और यत्न करना चाहिये।

‘स्वास्थ्य शास्त्र और विवाह शास्त्र (आयुर्वेद और काम-शास्त्र)’ का सिद्धांत यह है कि भोजन और विवाह क बारे में सब प्रकार की सावधानी रखनी चाहिये, हर तरह की शुचिता, सफाई, की फिक्र करनी चाहिये, और ऐसे हा लोगों के साथ भोजन और विवाह करना चाहिये जो समान शील और व्यसन वाले हो, जिन का स्वभाव मिलता हो। ऐसा

ही करने से व्यक्ति जीवन में, कुटुम्ब-जीवन में, और जाति जीवन में, स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि हो सकता है।

इन सिद्धान्तों के आधार पर पुरातन सामाजिक व्यवहन किया गया था। उस में, प्रत्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार में से किसी न किसी एक वर्ग वा वर्ण में, जीविकानुसार, स्थान पावेगा; और इस का निर्णय, पैतृक क्रम से नहीं, परन्तु उसी की प्रकृति और आकाक्षा के अनुसार, निश्चित किया जायगा; अर्थात्, जिस पेशे को वह अपनी रुचि और योग्यता से उठा सके, उसी के 'वर्ण' में वह रक्खा जायगा। इन चार प्रधान 'वर्णों' अर्थात् पेशों के अन्तर्गत, मोटे तौर से, वे सब अनन्त पेशे हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; उन सब का राशीकरण इन चार के नीचे हो सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्ति), अनायास, इस सामाजिक समष्टि में अपना स्थान पा सकता है, उस के अनुरूप कार्य कर सकता है, और, समाज पर बोझ हुए बिना, समुचित जीविका का उपार्जन कर सकता है।

यह मौलिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी। पूर्व काल में, इसी में भारत की हजारों जातियाँ अधिकाधिक संख्या में समाविष्ट हो कर, संघटित होती और सभ्य बनती रही। इस में वह शक्ति थी कि, भारत के इतिहास की आरंभिक शताब्दियों में, बिना अपना सम्प्रदाय, या जाति, या विशेष रीति-नीति रस्म-रिवाज, या मातृभाषा, छोड़े, कितनी ही जाति के, राष्ट्र के, देश के, सम्प्रदाय के, लोग, इस के भीतर आकर, संगमित सगृहीत हुए और इस में मिल गये। वर्ण-आश्रम-समाज-व्यवस्था तो एक ऐसा सयान, सञ्चिका, साँचा, ढाँचा, चार कोष्ठों खानोका है, जिस में सब प्रकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव गुण-(जीविका)-कर्म, के अनुसार, सहज में ढाले जा सकते हैं, और ढाले जाते थे। आज भी यह प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि हमारे बीच में पंजाबी, मारवाड़ी, अवधी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्रासी, मराठे, गुजराती और बाली द्वीप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद हैं, और इन के प्रत्येक दल (गरोह) में ऐसे लोग हैं, जो अपने को वैष्णव वा शाक्त वा शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदायों में से किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम से पुकारते हैं, और विविध भाषाएं बोलते हैं।

प्राचीन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं है कि ससार में बसने वाले सभी लोग—चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, फारसी, जर्मन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, या और कोई मजहब के हो, इन्हीं चार जीविकानुसार गरोहो या पेशों में विभक्त न किये जायँ। प्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना ही उचित है। वास्तव में सब मध्य जातियों में स्थूल रीति से ये चार वण अथवा श्रेणियाँ अथवा पेशे मौजूद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने नहीं गये हैं, न इस प्रकार से नियमित रूप से संघटित किये गये हैं, जिस से काम, दाम, श्रम, आराम का, बुद्धिपूर्वक विभाग हो सके, जमा प्राचीन भारत में किया गया था।

रूस के सोवियट राज्य प्रबन्ध ने भी अपना नाम 'किसानों (वैश्य), सैनिकों (क्षत्रिय), श्रमजीवियों (अर्थात् मानसिक श्रमजीवियों या 'ब्राह्मणों', तथा शारीरिक श्रमजातियों या शूद्रों) का सोवियट संघराज्य' ('पेजेन्ट्स, सोल्जर्स, ऐण्ड वर्कर्स सोवियट रिपब्लिक', प्रजातन्त्र राज), आरम्भ में रक्खा।^१ इङ्ग्लैण्ड में भी राष्ट्र के चार अंग हैं, अर्थात् 'क्लर्जी' (ब्राह्मण) 'नोबिलिटी' (क्षत्रिय), 'कामन्स' (वैश्य), 'लेबर' (शूद्र)।^२ कुरान में भी उल्-उल्-इल्म (ब्राह्मण), उल्-उल्-अम्र (हुकुमत करने वाले, आमिर, अमोर, क्षत्रिय), जुर्रा (जिराअत, खेती, करने वाले), तान तबीयत के आदमियों का जिक्र है, और चौथा श्रेणा में मजदूर (उल्-उल् मिह) अध्याहार्य हैं, समझे जा सकते हैं।

बाहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना असम्भव है कि हिन्दू-धर्म है क्या ? वास्तव में एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा आचार, ऐसा कर्म, ऐसा सस्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि यह हिंदू धर्म अथवा हिंदू मनुष्य का विशेषक, व्यावर्तक, अपरिवर्ती, अनुवर्ती, अव्यभिचारी लक्षण है। आवश्यक ही हिन्दूधर्म भी, मनुष्य के अन्य बड़े-बड़े धर्मों की तरह, विश्वव्यापी धर्म के प्रधान तत्वों को

१ Peasants, Soldiers, and Workers Soviet Republic.

२ Clergy, Nobility, Commons, Labor.

स्वीकार करता है; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के किसी-न-किसी गरोह में वे सब रस्म-रिवाज, विश्वास, आचार, पाये जायँगे, (चाहे वे सु-संस्कृत हों, चाहे नितान्त विकृत अभ्रम, नीच, और घोर), जो ससार के किसी भा अन्त्य प्रदेश में पाये जा सकते हैं। परमात्मवादी भी हिंदू हैं, देहात्मवादी भी; परम साधु, विरक्त, तपस्वी, पवित्राहारी, लोकोपकारी भी हिन्दू हैं, तथा ‘ठग साधु’ ‘अघोरपन्थी’, ‘वाममार्गी’, मुर्दा और विष्ठा तक खाने वाले भां, और नर-बलि देने वाले भा। ‘सनातनी’ हिन्दुओं में भी, बालक और संन्यासी, शिखा और यज्ञोपवीत सूत्र नहीं रखते; बहुतेरे क्षत्रिय, वैश्य, और सभी शूद्र, सूत्र नहीं रखते; चर्मकार हिन्दू, गोमांस खाते हैं; जन हिन्दू, बौद्ध हिन्दू, सिख हिन्दू, वेदों को नहीं मानते; ‘आर्य’ हिन्दू, मूर्त्तियों को नहीं मानते; इत्यादि। ईसाई धर्म में सैकड़ों भेद हैं, परन्तु सब को ही ईसा मसाह में विश्वास करना आवश्यक है। इस्लाम में बीसों भेद हैं, पर सब को मुहम्मद पैगम्बर में विश्वास करना जरूरी है। हिन्दू के लिये किसी पुरुष में, किसी एक अवतार में, किसी एक देव देवा में, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप में, विश्वास रखना आवश्यक नहीं है। हिन्दू की विशेषता यदि कोई है, तो यही कही जा सकती है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जान कर अथवा बिना जाने, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से, यह मानता है कि एक समाज-व्यवस्था में, वर्णाश्रम योजना में, वह सम्मिलित है, और अपने को ‘हिन्दू’ कहता है। वास्तव में, पुरानी पुस्तकों में ‘हिन्दू’ शब्द नहीं मिलता। धर्म-शास्त्र में ‘मनुज’, ‘मनुष्य’, ‘मानव’, ‘नर’, ये नाम मिलते हैं, जिन का अर्थ केवल मनुष्य, आदमी, ही है। शब्दों का मूल धातु, अंग्रेज़ी शब्दा ‘मैन’ का मूल धातु, और मनुष्य, मानव ‘मन्’, ‘मनस्’ एक ही है। यह सत्य है कि एक तरफ ‘आर्य’ शब्द, और दूसरी तरफ उस के विरोधी भावों को दिखाने वाले ‘अनार्य’, ‘वृषल’, ‘म्लेच्छ’, और ‘दस्यु’ शब्द भी धर्मशास्त्रों में आते हैं। पर आर्य वा अनार्य ‘सभ्य’, और अनार्य आदि का ‘असंस्कृत, असभ्य, पतित, बर्बर,’ है, जाति-विशेष नहीं है। वर्तमान अर्थ में ‘हिन्दू’ शब्द की उत्पत्ति उसी समय हुई है जिस

समय से उस 'अस्पर्श'-रोग का आरम्भ हुआ, जो धीरे धीरे, और अब तीव्रता से, उस समाज को जर्जर करने लगा, और अब सुमूर्धु कर रहा है, जिस समाज का अब यह नाम है । इस शब्द का अर्थ पहिले 'हिन्दी' अर्थात् 'हिन्द' का रहने वाला था, और यहा उचित भी है । प्राचीन ईगनियों ('आर्याना'-वासियो) ने यह नाम रक्खा था, और पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, हिघ, इड, इंडस) के आधार पर, 'इण्डिया' कर दिया । 'ईगानी', जो 'आर्यों' की ही एक शाखा थे, 'स' को 'ह' कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम के इस्लामी देशो मे भ्रमण करते हैं, वहाँ 'हिन्दी' या 'हिन्दू' नाम से ही पुकारे जाते हैं ।

वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय मे आजकाल चार पांच प्रकार के मत प्रचलित हैं । कोई गोरे, लाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देखने से, इन सब मतों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्यवस्था की बड़ी वैज्ञानिकता, और व्यवहार के क्षेत्र मे उपयोगिता भी, मालूम हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि मे जाँविका-अनुसारी 'वर्णों' मे और शरीर-परम्परा-अनुसारी 'जातियों' मे भेद किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, जीविकोपार्जन-सम्बन्धी स्वभाव और वास्तविक पेशे के अनुसार, विशेष वर्ण मे रक्खा जाता है । 'जाति' और 'वर्ण' शब्दो के अर्थो मे भेद है । 'जाति' (जन् धातु से) जन्मना है, जैसे अंग्रेज, जर्मन, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, मद्रासी, आदि 'जातिया' । 'वर्ण' (वृज् वा वर्ण धातु से) कर्मणा है ।

जीविका के साधनो का पृथक्करण

जीविका के साधनो के पृथक्करण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, शिक्षकों (या विद्वानो), रत्नकों, व्यापारियों, और श्रमजीवियों के चार बड़े बड़े व्यूहों मे से किसी एक मे, उस के स्वभाव और पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से यह भी आशा की जाती थी, कि वह अपनी जीविका

का उपार्जन उसी प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के अनुकूल हो। उस को यह इजाजत नहीं थी, कि किसी दूसरे वर्ण के कार्य से वह अपनी जीविका चलावे। इस प्रकार से धन का उचित बटवारा होता था, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उचित आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने का भी मौका मिलता था। अन्य बातों में भी, उपर्युक्त थोड़े से आवश्यक मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, यह सम्भव होता था कि मनुष्य की स्वार्थ और परार्थ भावनाओं का समुचित समन्वय हो सके; व्यष्टिवाद और समाजवाद में, प्रातिस्विकवाद और सार्वस्विकवाद में, वैषम्यवाद और साम्यवाद में, व्यक्तिवाद और समाजवाद में, 'अह'-वाद और 'वय-वाद' में, 'इण्डिविजुएलिज्म' और 'सोशलिज्म' में 'सोशलिज्म' और 'कॉम्युनिज्म' में, बुद्धिसंगत समभौता हो सके; और वे सब समस्याएं व्यवहार्य रूप से पूरी की जा सकें जो सदा मनुष्यों के सामने आती रहती हैं।^१

वर्ण-व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरवाही करने, उस के अर्थ का अनर्थ करने, उस के कुछ अंशों पर अत्यधिक जोर देने और दूसरे अंशों को भुला देने, से, बलवानों और चालाकों का सब अधिकारों को पकड़ने और कर्तव्यों से परहेज करने, से ही, जीविकानुसार विभाजित वर्ण-व्यवस्था बिगड़ गई, और आज उस का स्वांग मात्र रह गया है; तथा अन्य बहुत-सी खगलियों के साथ, विवाह सम्बन्धी वे खराबियाँ उत्पन्न हो गयी हैं, जिन को दूर करने के लिये नये कानून को बनवाने की परम आवश्यकता है।

नये विधान से कई लाभ

उपन्यस्त विधान का अभिप्राय केवल इतना ही है कि, यदि कोई चाहे तो 'अन्तर्वर्ण' विवाह कर सकता है; और ऐसा विवाह जायज, धर्म्य, शिष्ट, सम्भ्रा जायगा; नाजायज, खिलाफ कानून, अधर्म्य अशिष्ट नहीं होगा। विधान, अनुज्ञा (अनुमति) ही देता है, आज्ञा नहीं; यदि चाहो तो कर सकते हो, यह नहीं कि जरूर करो। इस का सिद्धान्त सीधा,

और लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि हम दूसरो को जीने दें और दूसरे हमे जीने दे, हम दूसरो के जीवन मे बाधा न डाले, और दूसरे हमारे जीवन मे बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्म-परिषत् (असेम्बली) मे स्वीकृत हो कर, कानून का रूप ग्रहण कर ले, तो हिन्दू समाज मे जो अत्यन्त भेदभाव का आतरिक दोष आ गया है, जिस के कारण वह नितांत जर्जर हो रहा है, वह दूर हो सकेगा। भातर और बाहर, हर तरह से, एक दूसरे से, आग्रहपूर्वक दुराव बराव करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तात्र और भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा; अन्य समुदायो से प्रेम-सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू धर्म का सब भाव मृदु और सुन्दर हो जायगा; विवाह सम्बन्धी बातचीत मे जो बहुत सी मक्कारी और बेईमानी और परस्पर घोखा देने की बुद्धि भरी रहती है, वह दूर हो जायगी, क्योंकि इस की आवश्यकता हा न रह जायगी। सब को मालूम है, कि विवाह के योग्य लड़कियो और औरतो को भारत के कितने ही प्रदेशो मे भगाया और बेचा जाता है; इस लिये कि ऐसी उपजातियो को स्त्रियां मिले, जिन मे, किन्हीं कारणो से, स्त्रियों की कमी है; और बेचने के समय, स्त्रा का 'वर्षा' नाम असल मे दूसरा भी हो तो भी, खरीददार की रुचि के अनुसार बता दिया जाता है। स्त्रियो की उक्त कमी का एक कारण यह भा है कि कई उपजातियो मे लड़ाकया पैदा होते ही मार डाली जाती हैं। अब ऐसा शायद कम होता है, पर यह जुर्म इस प्रकार का है, और ऐसी सरलता से किया जा सकता है, कि यह कहना सभव नहीं है कि बिलकुल बन्द हो गया है। इस नये विधान से, इस अपराध के बन्द होने मे भी, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी। तथा यह सम्भव होगा कि अन्ध विश्वास के ही आधार पर विवाह सम्बन्ध न बिया जाय, जैसा इस समय हो रहा है, (कि बिना विचार किये, 'धर्माभास', 'मिथ्या धर्म', 'मृदुग्राह' का अनुसरण करते हुए, विश्वास किया जाता है कि पैत्रिक वर्षा नाम मात्र मे कोई अलौकिक शक्ति है); प्रत्युत इस के, वैज्ञानिक सहेतुक सद्धर्म के आधार पर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा;

वैदिक धर्म, वैज्ञानिक धर्म, आयुर्वेद, और काम-शास्त्र, गार्हस्थ्यशास्त्र, के अनुसार, स्त्री और पुरुष का शारीर और मानस सच्ची स-वर्णता, समान-शील-व्यसनता, परस्परानुकूलता, देख कर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा।

हेतुभिर्धर्ममन्विच्छेन्, न लोकं विरसं चरेत्; (म० भा०)

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः; (मनु)

अनिदितैः स्त्रीविवाहैरनिद्या भवति प्रजा; (मनु)

विशिष्टायाः विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत्; (म० भा०, नलो०)

इस विधान से किसी को विवश नहीं किया जाता है, कि वह अपने वर्ण अथवा उपवर्ण के बाहर विवाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने वालों की, 'जातिच्युत' किये जाने से, केबल रक्षा करेगा। किसी के लिये यह भी, लाजिमी न होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वह सामाजिक सबंध रखे, जिस ने इस प्रकार का विवाह किया हा; पर यदि कोई प्रकट रूप से, खुले तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तर्वर्ण विवाह करने के कारण कोई स्त्री या पुरुष 'जातिच्युत' हो गया, और सम्बन्ध रखने योग्य नहीं है, तो उस पर मानहानि का मुकद्दमा चल सकेगा और वह अदालत में अपराधी और दण्डनीय समझा जायगा।

इस विधान से कुछ और लाभ भी होंगे। (१) युवा और युवती की साथ साथ पढ़ाई का कालिजों में जो प्रचार अब चला है, और देश में बढ़ता हा जा रहा है, (यद्यपि इस प्रथा में दोष बहुत हैं), उस से बहुत से सुखदायी विवाह हो सकेंगे; और अनाचार की घृणाजनक भूलें, मन और शरीर को गन्दा करने वाले, आजीवन हृदय में चोर और शोक-शंकु बैठा देने वाले, कार्य न होंगे; तरह तरह की बीमारियां, विशेष कर युवतियों को, न भोगनी पड़ेंगी; यदि इस 'सह-अभ्ययन', 'को-एड्युकेशन', के साथ, कुछ आवश्यक मर्यादाएँ बाँध दी जायं, और यह शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाय, कि अविवाहित मैथुन के अनुबन्ध (फल) बहुधा इस इस तरह के, बड़े दारुण हुआ करते हैं। (२) युवतियों की आत्म-हत्याएँ और दूसरी खराबियां, जो अब शादी के समय बड़े-बड़े दहेज

(यौतुक) मांगने के कारण हो रहीं हैं, वे कम हो जायंगी; शिक्षित युवा और युवती, स्वतन्त्र रूप से अपना स्वयंवरण कर सकेंगे, और वर्ण के नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बंध न जायेंगे। याद रहे कि बहुत देहेज मागने की प्रथा, कुछ तो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ आधुनिक सभ्यता की घनलोलुपता के भाव के कारण, हुई है। कहीं कन्या खरीदी जाती है, कहीं वर खरीदा जाता है।

सद्धर्म के किस आवश्यक सिद्धान्त का, अथवा धर्म-शास्त्र के किसी मौलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान, उस समाज को, सामाजिक जीवन और संघटन के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः अनुप्राणित कर सकेगा, जिसे अब 'हिन्दू' समाज कहते हैं, जिसे वास्तव में 'मानव' समाज कहना चाहिए, पर जिस ने इन सिद्धान्तों को काल के प्रवाह में धीरे धीरे बहा और भुला दिया है।

शास्त्र इस के पक्ष में हैं।

जो लोग धर्मशास्त्र के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी 'अन्तर्वर्ण' विवाह का समर्थन, प्राचीन ग्रन्थों में, विशेष कर पुराणों में, पावेंगे। मैं भी, बहुत विनीत भाव से, धर्मशास्त्र के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि शास्त्र वास्तव में प्राचीन हों, और ऐसे समय के हों जब भातरवर्ष स्वाधीन स्वतन्त्र था और ऋषिजन शास्त्रकार थे, तथा उन के शब्दों का अर्थ, धर्मशास्त्र के मुख्य अंग निरुक्त और मीमांसा के अनुसार, ठीक तरह से लगाया जाय। जो लोग बुद्धिवादी, और साधारण समझदारी पर भरोसा करने वाले, हैं, उन के लिये तो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी किसी दलील की आवश्यकता ही नहीं है।

विधान किसी को विवश नहीं करता

यह बात विशेष प्रकार से याद रखने की है कि, उपन्यस्त विधान के अनुसार कोई भी अन्तर्वर्ण विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता है। प्रस्तावित विधान केवल यही व्यवस्था करना चाहता है कि, जो कोई इस प्रकार का विवाह करे, उस की सामाजिक अवस्था, और हिन्दू की हैसियत से उस के धार्मिक और कानूनी अधिकार और कर्तव्य, पहिले की तरह

सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सब मित्रों और रिश्तेदारों से बना रहे जो उस से सम्बन्ध रखना चाहते हो; और समाज उन की सेवा से वंचित न हो, जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है ।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह बहुत नहीं होंगे ।

अधिकतर लोग अपने ही परिचित और परम्परागत समुदायो में रिश्तेदारी खोजेंगे । अन्तर्वर्ण विवाह अपवादरूप ही रहेगा, उत्सर्गरूप नहीं; गैरमामूली मुस्तास्त्रियात में दाखिल होगा, मामूल में नहीं ; पर ऐसा अपवाद, इस्तिस्ना, लाभदायक और वाञ्छनीय होगा ।

‘वर्ण’ शब्द में ‘उपवर्ण’ सम्मिलित है

वर्ण शब्द के अन्तर्गत ‘उपवर्ण’ भी सुतरा है । हिंदी में ‘जात’ ‘जाति’ शब्दों में उपजातिवा भी अन्तर्गत है । वर्तमान प्रथा क अनुसार, कुछ अपवादों को छोड़ कर, दो वर्णों में भी, और दो उपवर्णों में भी, परस्पर विवाह, दोनो ही; एक ही तरह से, ‘असवर्ण’ विवाह माना जाता है, और अदालतों में गैरकानूनी समझा जाता रहा है । पर संस्कृत के पण्डित, धर्मशास्त्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नहीं कह सकते, कि प्रधान वर्ण के दो उपवर्णों का परस्पर विवाह धर्म के विरुद्ध है । सच तो यह है कि इतने उपवर्णों में से अधिकतर के अस्तित्व के ही औचित्य का, वे समर्थन नहीं कर सकते । प्राचीन पुस्तकों में तो उन के नाम ही नहीं मिलते । ऐसे वर्ण जिन्हें वास्तव में उपवर्ण मानना चाहिए, उन्हें भी हिन्दू जनता आज व्यवहार में स्वतन्त्र वर्णों के ऐसा मान रही है ।

रीतियों की व्यामोहक भिन्नता और असंख्यता

उपवर्णों के सम्बन्ध में यह विचार करने योग्य बात है कि, रस्म-रिवाज में, पदे पदे अन्तर पाया जाता है । उदाहरणार्थ, उत्तर भारत में ब्राह्मणों के उपवर्णों में परस्पर विवाह नहीं होता । वैश्यों में भी यही प्रथा है । प्रत्येक उपवर्ण अपने में ही, गोत्र बचा कर, विवाह करता है । पर क्षत्रियों के उपवर्ण अपने बाहर विवाह करते हैं । अपने ही उपवर्णों में कोई क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकता, पूरे पूरे उपवर्णों को ही एक गोत्र जैसा मानते हैं । संयुक्त प्रान्त के कायस्थों की उपजातियों में भी, गोत्र बचा कर, अपने में

ही विवाह होता है। मसलन्, कायस्थ वर्ण में, संयुक्तप्रान्त में, श्रीवास्तव उप वर्ण में, दो उप-उप-वर्ण हैं, अर्थात् 'दूसरे' और 'खरे', और ये दोनों परस्पर विवाह नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में, पंचद्राविड ब्राह्मणों के उपवर्णों में भी, उपवर्ण के भीतर ही विवाह होता है। संयुक्तप्रान्त में कहावत है, 'सात कर्नोजिया नौ चूल्हा' ; पर गुजराती कहावत है, 'तेरह गुजराती तैंत्राश चूल्हा'। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण वर्ण के, पंचद्राविड उप-वर्ण के, गुजराती उप-उप-वर्ण के, नागर उप-उप-उप-वर्ण के तीन उप-उप-उप-उप-वर्ण हैं, वड़नगरा, विशनगरा, सिपहनगरा, और हर एक, अन्य दोनों से अपने को ऊँचा जानता है, और तीनों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता। बङ्गाल के ब्राह्मणों और कायस्थों के उपवर्ण, अपने (उपवर्ण) के बाहर विवाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे उपवर्णों को एक गोत्र सा मानते हैं। शूद्र नाम से कहे जा सकने वाले उपवर्ण भां, हिन्दुस्तान भर में, प्रायः अपने भीतर ही शादी करते हैं।

और देखिये। स्मृतियों में आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा है, और दाय का दृष्टि से बारह या उस से भी अधिक प्रकार के पुत्र माने जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रकार के विवाह के तुराके भी जारी हैं। उदाहरणार्थ, जाटों में श्वशुर का, विधवा पतोहू से, विवाह होना, एक हाईकोर्ट द्वारा, हाल में, जायज ठहराया गया है। मुझ से यह भी कहा गया है कि, जाटों में एक स्त्री के कई पति एक ही समय में होना भी जायज माना जाता है, और कभी-कभी दो तीन भाइयों के बीच एक ही विवाहिता स्त्री होती है। कुछ समुदायों में विधवा सास के साथ दामाद का विवाह होना जायज है। किन्हीं-किन्हीं पहाड़ी हिन्दू जातियों में पत्नियों का विनिमय भी होता है, तथा एक स्त्री का कई पुरुषों से एक समय में ही विवाह होता है। यह, एक और, हृद से गुजरे 'अति' के उदाहरण है। साथ ही इस के, दूसरी और, उच्च जातियों में दूसरे प्रकार की 'अति' मिलती है। मुझ से दो मित्रों ने कहा है, जो ब्राह्मण वर्ण के पंचगौड़ उपवर्ण के सरयूपारी उप-उप-वर्ण के द्विवेदी और त्रिपाठी उप-उप-उप वर्ण थे (एक तो काशी के प्रसिद्ध परम

विद्वान् स्वामी मनीषानन्द, उरनाम हरिनाथ स्वामी, थे), कि उन में और भी पवित्रतम दल हैं जो ‘पंक्तिपावन’ कहलाते हैं, और जो अरवध के कुछ जिलों में रहते हैं, जिन में, अति चूद्र निस्सार हेतुओं से, इतने लोग जाति-च्युत कर दिये गये हैं, और विवाह सम्बन्ध के योग्य इतने थोड़े रह गये हैं, कि अरव विवाह स-गोत्र में होने लगा है. ‘केवल दूध का बरगव किया जाता है’, अर्थात् एक माता का दूध पीने वाले भाई बहिन का ब्याह आपस में नहीं किया जाता है । मुसलमानों में, मैंने दोस्तों से सुना है कि इसी तरह से, कुरैशी, मिलकी, और सय्यद समुदाय हैं, जो भी यथासंभव यही प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करें । दक्षिण में, मालाबार समुद्रतट के प्रदेश में, मातृ-परम्परा से दाय का अधिकार मिलता है, और वहाँ के उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों के विवाह संबंधी नियमों में, उत्तर के ब्राह्मणों के नियमों से, बहुत अन्तर है ; और उन में भी, नाम्बुदिरि ब्राह्मणों की ही दो प्रकार की सन्तान हांती हैं; एक तो नाम्बु-दिरि ही कहलाते हैं, दूसरे, नायर, और इन दोनों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता ।

रसमों की यह अनन्त विभिन्नता, जो बुद्धि को चक्रा देती है, प्रस्ता-वित विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस से लाभ उठाना चाहेंगे । जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे बिना रोक-टोक के अपनी विशेष रीति के अनुसार कार्य करने और कौटुम्बिक जीवन का निर्वाह करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे ।

‘वर्ण’ का अर्थ ‘पेशा’ है ।

जो लोग ‘वर्ण’ का मौलिक अर्थ ‘जीविका’, ‘पेशा’, मानते हैं, जिस से मनुष्य का ‘वर्णन’ होता है, ‘वर्णयति इति वर्णः’; जिस से यह जाना जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज में क्या स्थान और समाज से क्या संबंध है; ऐसे लोगों को यह समझने में कोई दिक्कत न होगी, कि स्त्रियों के ‘वर्ण’ का नाम वही है जो उस के विवाहित पति का है, चाहे उस के पिता का वर्ण अथवा पेशा कुछ ही क्यों न रहा हो । उचित ही है कि ऐसा हो, क्योंकि स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी होती है, उस की

सुव्यवस्था कर्ती है, अतः पति की जीवन-यात्रा में और जीविका-उपार्जन में सहायक होती है; अतः एव, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, उसी जीविका की उपार्जन, उसी पेशे का करने वाली, वह भी हो जाती है। धर्मशास्त्र में पति और पत्नी एक माने गये हैं,

यो भर्ता सा स्मृता (अङ्गना । (मनु, ६, ४५)

ईनादयो के वेद अर्थात् बाइबिल में भी ऐसा ही कहा हुआ है।

अदालतों में गवाह से पहिले पूछा जाता है, नाम क्या है ? फिर पिता का नाम, उम्र, वासस्थान, मजहब; अन्त में, 'पेशा' क्या है ? जब वह अपना पेशा, अर्थात् अपना 'वर्ण' बतला देता है, अपने जीविकोपार्जन का उपाय प्रकट कर देता है, तब उस का 'वर्णन', उसका 'पता', पूरा हो जाता है; तब यह ठीक ठीक मालूम हो जाता है कि वह किस प्रकार से समाज का अंग है, किस प्रकार से समाज के साथ बंधा है, समाज के ब्युहन सम्बन्धन में उस का क्या विशेष स्थान है।

वर्ण का परिवर्तन, गोत्र के परिवर्तन की तरह है

पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण भी जन्म से चलता है। रोमन लोगों में जैसे 'जेन्स' होते थे, जैसे स्कॉट लोगों में 'क्लान', अरब लोगों में 'कबीला', और अफगानों में 'खेल' या 'जई' होते हैं, वैसे ही हिन्दुओं के गोत्र हैं।^१ ऐसे लोगों के भाण, जो किसी एक पौराणिक पूर्व पुरुष की सन्तति माने जायें, एक गोत्र के नाम से कहे जाते हैं। पर हम देखते हैं कि कन्या का गोत्र, विवाह होने पर, बदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, वही उस का भी गोत्र हो जाता है। यदि गोत्र को, जो निर्विवाद जन्मना प्राप्त होता है, कन्या बदल सकती है, तो वर्ण को क्यों नहीं बदल सकती, जिस की जन्म परम्परा उतनी स्पष्ट नहीं है ? यह भी स्पष्ट है कि तीनों ही 'द्विज' वर्णों में कई गोत्र एक ही हैं, जिस का अर्थ यह होता है कि तीन भिन्न वर्णों के पुरुष एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न हुए हैं, और भिन्न-भिन्न जीविका-कर्मों को, वृत्तियों को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों के हो गये। "कर्मभिर्वर्णतां

गता。”। जो लोग वर्ण को जन्मना मानते हैं, वे इन बातों पर विचार करें, और, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद और पुराण स्पष्ट रूप से कहते और दिखाते हैं, कि एक ही कुटुंब के कई मनुष्य कई वर्ण के हुए हैं। पुराणों में ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं कि, एक व्यक्ति, या एक समग्र कुल, एक वर्ण छोड़ कर दूसरे वर्ण का हो गया है। बहुत से छोटे-छोटे समुदाय, जो पहिले शूद्र समझे जाते थे, वे अब, आज काल, अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वैश्य कहने लगे हैं। वास्तव में यह वही भाव है जिसे पाश्चात्य देशों में, ‘सामाजिक दर्जे में उन्नति करना’ (‘राइजिङ् इन् दि सोशल स्केल’) कहा जाता है।^२ १९३१ ई० की मनुष्य-गणना के विवरण में, कई कई छोटी उपजातियों के एक में मिल जाने की, कई के लुप्त हो जाने की, कई की नयी उत्पत्ति की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तनों को, चर्चा की गयी है। यह जाति परिवर्तन या वर्णोन्वर्ण-परिवर्तन, लगातार, सब काल में होता रहा है, अब भी जारी ही है, और इस के कारण, उपजातियों का ठीक ठीक गिनती करना इतना जटिल हो गया, कि मनुष्य-गणना करने वाले अधिकारियों ने इस उपजाति-गणना को, सन् १९३१ ई० और १९४१ ई० की गणना में, छोड़ ही दिया।

वर्ण-नाम-परिवर्तन के प्रवर्तमान प्रयत्न

हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्ण को, अर्थात् वर्ण-नाम को, किस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से, बदलने का यत्न हो रहा है। संयुक्तप्रांत में कायस्थ समुदाय के कितने ही पढ़े लिखे लोग यज्ञोपवीत पहिनने लगे हैं, जो द्विजत्व का चिन्ह है, और अपने को क्षत्रियों का एक उच्च वर्ण मानते हैं। ऐसे ही, वैश्यों की कई जातियों ने, जिन में यज्ञोपवीत लुप्त हो गया था, अब उस का धारण पुनः आरंभ किया है। मराठा ‘प्रभु’ जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती है; वे भी पहिले एक प्रकार के कायस्थ वर्ण के समझे जाते थे; अब अपने को क्षत्रिय कहने लगे हैं। बंबई के ‘भाटिया’ समुदाय के कुछ लोगों को मैं ने कहुते सुना है कि वे ‘लोहाना क्षत्रिय’ हैं, यद्यपि उन की गणना अब तक

१ Rising in the social scale; स्वाभाविक लोकैषणा।

वैश्यो मे होतो रही है । संयुक्त प्रांत के कुर्मी और अहीर अब अपने को क्रमशः कूर्माचलीय और यादव क्षत्रिय पुकारने लगे हैं; कोई तो अपने को कूर्माचलीय ब्राह्मण भा कहते हैं । 'जायसवाल' जाति का पहिले उपवर्ण नाम 'कलवार' था, जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते थे; किन्तु अब उन मे, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेसर आदि हो गये हैं; कुछ महाजना अर्थात् लेन-देन का व्यापार करते हैं; और कुछ, अन्य रोजगार और पेशे उठाये हुए हैं; अब उन मे यह यत्न हो रहा है, कि सब के सब जायसवाल, 'हेहय क्षत्रिय' पुकारे जाय; कुछ पंडित विद्वानो ने उन को इस ओर उत्साहित किया है, और पर्याप्त 'वकालती फीस' पर, पुराणो के कुछ ऐसे अध्यायो का 'पता लगाया' है जो 'खो' गये थे, और जिन मे से उपयोगी 'नजीर' (निदर्शन) और 'प्रमाण' मिल सकते हैं । संयुक्त प्रांत का एक समुदाय अथवा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वर्ष पहिले 'धूसर बनिया' पुकारता था, अब अपने को 'भार्गव ब्राह्मण' कहने लगा है । मद्रास प्रांत मे सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले अपने को शूद्र मानता था, अब अपने को 'स्वर्ण-वर्णिक' कहने लगा है, अर्थात् वैश्यों का एक उपवर्ण हो गया है । यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्रास के ब्राह्मण पण्डितों का, अहंकारवश, यह कहना है कि कलियुग मे केवल दो ही वर्ण रह गये हैं, अर्थात् ब्राह्मण और शूद्र, कोई क्षत्रिय या वैश्य बचा ही नहीं है, और भारत के किसी प्रांत मे जो अपने को क्षत्रिय या वैश्य कहते हैं, वे वास्तव मे शूद्र ही हैं । १९३१ ई० की 'सेन्सस-रिपोर्ट' (मनुष्य-गणना-विवरण) से मालूम होता है कि 'अहीर', 'ग्वाला', 'गोर', आदि उपजातियों के पशु-पालक सभी अब अपने को 'यादव' कहने लगे हैं । कुछ 'सोनारों' ने, १९२१ ई० मे, अपने को क्षत्रिय या राजपूत लिखयाया, १९३१ मे, ब्राह्मण या वैश्य । कुछ 'नाई' ('नापित, हजाम) लोगों ने (संयुक्तप्रांत मे) १९२१ मे अपने को 'ठाकुर', १९३१ मे 'ब्राह्मण', लिखाया । तथा 'नापितों' ने (बंगाल मे) १९२१ मे 'वैश्य', १९३१ मे 'ब्राह्मण' । कुछ 'कहारों' ने १९२१ मे 'वैश्य', १९३१ मे 'क्षत्रिय'; कुछ 'सूत्रधारों' सुताड़ों ने, (बंगाल मे) १९११ मे, 'ब्राह्मण'; इत्यादि ।

सामाजिक श्रेणियों का, अपनी उन्नति के लिये, यत्न करना उचित ही है। तथापि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह किसी बुद्धिसंगत वैज्ञानिक सिद्धान्त का अनुसारी नहीं है। यथा, 'जायसवालों' के समग्र समुदाय का एक साथ 'हैहय क्षत्रिय' बन जाने में कोई मतलब नहीं मालूम पड़ता। पौराणिक समय में, 'हैहय' जाति के क्षत्रियों में बड़े शक्तिशाली कुल हुए; नर्मदा नदी के तटों पर उन का राज्य था; माहिष्मती नाम की राजधानी थी; कार्तवीर्य नाम के इन के सबसे अधिक प्रतापी राजा हो गये हैं; आरम्भ में वे बड़े धर्मात्मा प्रजापालक थे; धीरे धीरे, ऐश्वर्य के मादक मद से, निरंकुश प्रजापीडक हो गये; जमदग्नि आदि तपस्वी ऋषियों की 'कामधेनु' अर्थात् भूमि छीनने लगे; ब्राह्मण-ऋषियों ने भी, आवश्यकता से बहुत अधिक भूमि का परिग्रह कर लिया था; जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ब्राह्मणों, वैश्यों, और शूद्रों की सेना बना कर, घोर संग्राम कर के, इन्हें मार डाला। स्यात् कार्तवीर्य के सैनिकों को मदिरा अधिक प्रिय थी; सैनिकों को तो साधारणतः मद्यभान बहुत पसन्द होता ही है; स्यात् यही कारण है कि जायसवालों को इस पौराणिक क्षत्रिय कुल से विशेष कर नाता जोड़ने का विचार हुआ। पाश्चात्य देशों में भी, राजवंशों के, और अन्य उच्च कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि 'हिरल्ड' (चारण) गण, उन की कुल परम्परा को 'आदम और हौआ' तक पहुँचा दें। मैं ने एक छुपा कुर्सीनामा, 'वंशवृक्ष', देखा है, जिस में मनुष्य जाति के उस 'आदिम' जोड़े से, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, १०८ वीं पीढ़ी में दिखाई गई थीं। परन्तु सब जायसवालों को अपने को 'हैहय क्षत्रिय' के नाम से पुकारने से, न तो हृदय का ही, न बुद्धि का ही, कोई विशेष संतोष देख पड़ता है। हां, दोनों ही का संतोष हो, यदि उन में जो लोग महाविद्वान् पुरातत्ववेत्ता या वकील या अध्यापक आदि 'विद्योपजीवी' हैं, वे अपने को 'ब्राह्मण' पुकारें; जो जमींदार या शासन विभाग में गवर्नमेंट अहलकार आदि 'शासनोपजीवी' हैं, वे अपने को 'क्षत्रिय' पुकारें; जो कृषक या दूकानदार या व्यापारी तानि आदि 'वात्तोपजीवी' हैं, वे अपने को 'वैश्य' कहें; और जो लोग 'सेवोपजीवी' 'भूति-उपजीवी'

हों, वे अपने को सत्-‘शूद्र’ कहें; तथा जो अब भी शराब बनाते हों, वे अपने को असत्-‘शूद्र’ समझें, (‘असत्’ इस कारण से कि शराब बनाना और बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है; यद्यपि, सामाजिक जीवन के विचित्र असंगत विचारों के अनुसार, शराब पीना, क्षत्रियवृत्ति के लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है) । यदि उन्हें ‘जायसवाल’ शब्द से विशेष प्रेम हो तो वे ‘ब्राह्मण’ ‘क्षत्रिय’ आदि के पहिले, विशेषण के रूप मे यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसवाल ब्राह्मण, जायसवाल क्षत्रिय, आदि । पर उचित तो यह है कि वे इस नाम को ही, सद्यः नही तो धीरे धीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस मे कुछ अर्थ नहीं रह गया है । संभव है कि आरम्भ मे इस उपजाति के पूर्वपुरुष संयुक्त-प्रान्त मे, ‘जायस’ नाम के उस शहर के (या उस के आसपास के प्रदेशों के) बाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय मे बहुत प्रसिद्ध था, अब एक गांव रह गया है, और मलिक मुहम्मद ‘जायसी’ के ‘पद्मावत’ काव्य के कारण अब भी प्रसिद्ध है ।

यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियो और श्रेणियो का आधार, परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, बल्कि वास्तविक पेशे को अर्थात् जीविकोपार्जन के प्रकार को आधार बना कर, अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-धारित, सुव्यवस्थित, सुव्यूह, और सुख-समृद्धि-शान्ति-शाली कर सकता है ।

इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । बीच-बीच मे मुझ से पूछा गया है कि ‘एक वर्ण को स्त्री जब दूसरे वर्ण के पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस’ का, तथा उस के लड़कों का, वर्ण क्या होगा ?’ । सीधा और स्पष्ट उत्तर इस का वही है जो पहिले कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना ‘गोत्र’ बदल कर पति के गोत्र की हो जायगी, उसी तरह वह अपना ‘वर्ण’ भी बदल कर पति के वर्ण की हो जायगी, और लड़कें भी पिता के ही वर्ण के होंगे, तथा व्यवहार-धर्म-सम्बन्धी कानूनी अधिकार और कर्तव्य के लिये, उसी वर्ण के माने

जायेंगे; जब तक वे, स्वतंत्र जीविका-कर्म (पेशा) उठा कर, अपना वर्ण-नाम स्वयं बदल न लें।

हर तरह से ऐसा मानना उचित और आवश्यक होगा। स्त्रियों की प्रतिभात्मक शीघ्रगामिनी बुद्धि, और पुरुषों की अनुमानात्मक शनैश्चरती बुद्धि, दोनों ही इस उत्तर की समर्थक हैं। जिस तरह पाश्चात्य देशों में 'किङ्ग' की पत्नी 'क्वीन', 'एम्परर' की 'एम्प्रेस', 'ड्यूक' की 'डचेस', इत्यादि, विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वह किसान, या पादरी, या सैनिक की बेटी हो; जिस तरह 'मिस कार्टर' ('छुकड़ावाल') मिस्टर पोर्टर ('भोटिया') के साथ विवाह कर के तत्काल 'मिसेज पोर्टर' हो जाती है, और 'कुमारी शकटवाल' नहीं रह जाती; जिस तरह 'मिस टेलर' ('दर्जी'), मिसेज स्मिथ ('लोहार') हो जाती है; उन्नी तरह (कम से कम संयुक्त-प्रान्त में), स्त्रियां, तहसीलदार की पत्नी को तहसीलदारिन, कोतवाल की कोतवालिन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, पण्डित की पण्डितानी, ठाकुर की ठाकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डाक्टर की डाक्टरनी, सूबेदार की सूबेदारिन, रिसालदार की रिसालदारिन, जमादार की जमादारिन, हीरातराश की हीरातराशिन, चूड़ीहारे की पत्नी को चूड़ीहारिन पुकारती हैं। पुरातन धर्मव्यवस्थापक मनु ने भी यही कहा है, "यो भर्तासा स्मृताङ्गना" जो पति है वही पत्नी भी है। इस प्रमाण से, जो वर्ण पुरुष का है वही वर्ण उस स्त्री का भी हो जायगा, जो उस के साथ विवाह करेगी और जिस से वह विवाह करेगा। यह ध्यान में रखने की बात है कि 'कार्टर', 'पोर्टर' 'टेलर', 'स्मिथ' आदि, इंग्लिस्तान में, कुलों के नाम हो गये हैं; जैसे यहां 'लोहार', 'माली' 'सोनार', 'कोंहार', आदि, उपजाति या उपवर्ण के, तथा, लोहारिन, मालिन, सोनारिन, कोंहारिन।

जान बूझ कर, ऊपर, उदाहरणार्थ, तहसीलदारिन आदि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो ऐसे प्रसिद्ध वर्णों अथवा उपवर्णों के नाम नहीं

१ King; Queen; Emperor; Empress; Duke; Duchess; Miss Carter; Mr. Porter; Mrs. Porter; Miss Taylor; Mrs. Smith.

हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नाम पहिले से मौजूद है, जैसे वैश्य, वैश्या, क्षत्रिय, क्षत्रिया, ब्राह्मण, ब्राह्मणी । इन उदाहरणों से यह भी सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वर्ण-उपवर्ण-सूचक हैं, आरम्भ में जीविकासूचक, वृत्तिसूचक, 'पेशा-गो' थे । कुछ ऐसे भी हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहाँ आरम्भ में कोई समुदाय-विशेष बसा था, जैसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, चूरुवाल, ओसवाल, और कुछ, पौराणिक वंश-प्रवर्तक पूर्वपुरुष के सूचक हैं, जैसे खुवंशी, यदुवंशी, सोमवंशी आदि । फ़रासीसी भाषा में स्त्री 'वैद्य' (लेडी डाक्टर) को 'डाक्ट्रेस' कहते हैं । मैं नहीं कह सकता कि वहाँ 'वकीलिन' 'बारिस्ट्रेस' भी होती हैं या नहीं, पर 'प्रासीक्यूट्रिक्स' तो मालूम हुआ है कि होती हैं ।^१ जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है, कि जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी तरह से उठा ले, जिस तरह से गोत्र ले लेती है ।

पुरातन परिपाटी का पुनरुद्धार

इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं होता । उस परिपाटी का पुनरुद्धार ही होता है जो सातवीं शती ई० के पहिले इस देश में वास्तव में जारी थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक सुखी, संप्राण, सबल, स्वाधीन, स्वराज्यवान् था ।

ऐसी पुरानी परिपाटी की तरफ फिर घूमना स्वाभाविक है । यह आवर्तन, सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों में, चारों ओर देख पड़ता है । 'नये' प्रकार जिन से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को पूरी करता रहता है, वे वास्तव में और भी पुराने प्रकार हैं जिन पर घूम घूम कर वह वापस आता रहता है । हाँ, युगों के आवर्तन में पुराने प्रकार जब पुनर्वाप आते हैं, तो अपना रूप कुछ थोड़ा नया कर लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवस्था में देख पड़ते हैं । हर प्रश्न के दो पहलू (पक्ष) और केवल दो ही पहलू होते हैं; मनुष्य समाज सदा एक 'अति' की कोटि से दूसरी 'अति' की कोटि तक, आगे-पीछे, लगातार चलता रहता है, ("उभयकोटिस्पर्शिनी प्रकृतिः, अमध्यस्था")

1. Lady doctor, Doctress; Barristress; Prosecutrix.

लेकिन हर चक्र में कुछ आगे बढ़ता है; पृथिवी देवी इस नियम की प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, चक्र खाती लुङ्कती भी हैं और आगे भी बढ़ती जाती हैं; दौड़ते चलते हुए सभी गेंदों, गोलों की यही हालत है। इस 'द्वंद्वमयी' अवस्था को अंग्रेजी में 'एम्बी-वालेन्स' कहने लगे हैं। 'ड्यूआलिटी', 'पोलारिटी', भी कहते हैं। प्रकृति में स्थिरता, मध्यस्थता, किसी बीच के स्थान पर चिर काल तक टहरना, नहीं होता। वह सदा एक तरफ की अति से दूसरी तरफ की अति की ओर दौड़ती रहती है। किन्तु ("पुरुषः मध्यस्थः") पुरुष का काम है कि बीच का रास्ता पकड़े, 'अति' बचावे; इस दोहरी खींचातानी का ही फल 'आवर्त', संसार-चक्र होता है। भवसागर के मंथन में, 'वासुकि' (वासु, प्राण), की रस्सी से लपेट कर, 'मन्दर' (स्वतः 'मन्द,' निश्चेष्ट) पर्वत को, एक ओर देव पक्ष (शुभवासना) दूसरी ओर दैत्य पक्ष 'अशुभ वासना', जब खींचता है, तब 'मन्दर' में और 'सागर' में 'भ्रम', भ्रमि, चक्र, उत्पन्न होते हैं, और विष भी और अमृत भी निकलता है।

'नया' आविष्कार करने वाले लोग यह समझते हैं कि हम सचमुच 'नया' उपज्ञान कर रहे हैं, 'नया' प्रकार निकाल रहे हैं, 'नये' मार्ग पर चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिले नहीं जाना था। दूसरे लोग, पुरातनवादी अपरिवर्तों की हैसियत से, और इतिहास के पूर्वापर को, आगे पीछे को, दूरदर्शिता बहुदर्शिता से ग्रहण न कर के, ऐसे नये मार्ग को वास्तव में नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं। पर इतिहास यह बतलाता है कि नयी पीढ़ियाँ, नयी जातियाँ, नये समाज, नयी सभ्यताएँ उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिन से पुराने जा चुके हैं। हाँ, बाहरी नाम, रूप, भाषा आदि में अवश्य अन्तर होता रहता है, पर मूलभूत द्वन्द्वमयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, राग-द्वेष, स्वार्थ-परार्थ, विचार के प्रकार, आवश्यकताएँ (आहार की, वित्त की, घर-द्वार दारा-सुत की) एषणा-आकांक्षा, सब भीतर भीतर, सदा वही होती हैं।

पेड़ अपने पत्तों को भाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देते

हैं, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो की तरह फिर हो जाते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने चमड़े, सीप, सीध, पर, आदि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं और नये उत्पन्न करते हैं, जो पुरानो की ही तरह, आगे चल कर, हो जाते हैं। यदि बड़े परिमाण से, विस्तार-प्राही नेत्रों से, स्फार-दृष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो मनुष्यो मे भी आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती है।

दोनो का समन्वय कैसे हो

मनुष्य जीवन के सब अंगो मे सदा एक ही समस्या रहती है। स्वार्थ, परार्थ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यकताएं, जरूरतें; अराजकता, और निरंकुश एक-राजकता; प्रत्येक व्यक्ति अपने मन माना करे, सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जायें; ऐसे विरोधी विचारों का समन्वय कैसे किया जाय ?। स्त्री पुरुष की परस्पर कामना और विवाह के संबंध मे, विगत तीस-चालीस वर्षों मे, पाश्चात्य देशो मे, इतने छोटे लेख और बड़े ग्रंथ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भारी आमूल उलट-पलट हो रही है। पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि इस सब अनंत लिखाई मे, एक ही प्रश्न के दो परस्पर विरोधी उत्तरों मे से, एक का या दूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र प्रश्न यह है, (१) एक तरफ स्वार्थी शारीरिक काम-वासना, अनियंत्रित स्वच्छदता, यथेच्छाचार, इंद्रिय-लौल्य, परिवर्तनशील राजम तामस आसक्तियां और विरक्तियां; और (२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, स्थायी, सार्विक, पति-पत्नी-प्रीति के भाव, जिन के बिना 'गृह' 'कुल', 'कुटुम्ब' आदि शब्द अर्थ-शून्य हो जाते हैं; और नयी पुष्ट का पालन-पोषण असम्भव हो जाता है, और समाज मे से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रतिष्ठा (प्रकर्षण स्थानं), व्यवस्था (विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से स्थिति) सब लुप्त हो जाती हैं—इन दो विरुद्ध, मानव-प्रकृति मे विद्यमान, अशुभ और शुभ वासनाओ का समन्वय कैसे किया जाय; किस प्रकार से, स्वाथपूर्ण आनन्द का, और कर्तव्य-परायणता पर आश्रित परार्थ-पूर्णा स्वतान-पालन का, समन्वय हो; किस प्रकार से दम्भति-रति का और संतति-

प्रीति का अ-विरोध हो ? । एक समुदाय, स्वार्थ-वासनाओं की तृप्ति पर ही बल देता है; दूसरा परार्थ-वासनाओं की ही पूर्ति पर ।

अभीष्ट मध्यम मार्ग

दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, राष्ट्र-नायकत्व-योग्यता, राजशास्त्रज्ञता, इसी में है, कि वैयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन के, सभी अंगों की क्रियाओं को, बीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और दोनो ओर से 'अति-कोटि' बचाई जाय; यदि घड़ी का लंगर, दोला (भलुआ), एक ओर बहुत ज्यादा दौड़ जाय, तो सारा यन्त्र उलट पड़े और टूट जाय । याद रखना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों का हृदय-स्थानीय, केन्द्रभूत, गार्हस्थ्य ही है । सब 'गृह' सम्पन्न हों, सब 'गृहस्थ', सब कुटुम्ब, सुखी हो, यही समग्र राष्ट्रप्रबन्ध का एकमात्र लक्ष्य है । प्रजा के हित के लिये, प्रजा को सुखी रखने के लिये, राजा बनाया जाता है, अपने मन-माना ऐश आराम करने के लिये नहीं; राजा के ऐश के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है । हिताय राजा क्रियते, न काम करणाय तु । (म० भा०)

पाश्चात्य देशों में विवाह की प्रथा का अद्भुत परिवर्तन हो रहा है । काम-विषयक, मिथुनता-विषयक 'सेक्सुअल', स्त्री-पुरुष-आचारविषयक मर्यादा-विषयक 'मारल', विचारों में विप्लव, परिवर्तन, अधरोत्तर, 'रिवोल्युशन' हो रहा है । इस के साथ साथ, समाज की अन्य चिर-कालीन संस्थाओं और प्रथाओं में भी परिवर्तन हो रहे हैं । जो सस्था और प्रथा 'इंस्टिट्यूशनस', समाज की स्तम्भ और आधार मानी जाती थीं, और जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमेस्टिक', 'फैमिली', गार्हस्थ्य-सम्बन्धी विचारों के परिवर्तन से सम्बन्ध, कारण और कार्य के रूप से, है, अर्थात् 'ईकोनोमिक', आर्थिक, व्यावसायिक, 'पोलिटिकल', राजनीतिक, 'रिलिजस' धार्मिक, और 'एड्युकेशनल', आध्यापनिक, सभी प्रथाओं में परिवर्तन हो रहा है । राजनीति की जड़, आर्थिक है; अर्थनीति की जड़ गृहस्थी और मानव शील-स्वभाव है; गार्हस्थ्य नीति की और मानव शील

१ Sexual; moral; revolution; institutions; domestic; family; Economic; political; religious; educational,

और प्रवृत्ति की एक बड़ी जड़, शिद्दा है। सदा से परस्पर के विरोधी एतत्संबंधी अतिवादी विचारों के गुण दोष, छुपी हुई अनन्त पुस्तकों में पेश किये जा रहे हैं; बड़े परिश्रम से नए-नए शब्द और वाक्य गढ़े जा रहे हैं, नये नये 'दृष्टिकोण' और 'प्रस्थान' खोजे और बनाये जा रहे हैं, बड़े आटोप और आडम्बर वाले और कोई कोई सुन्दर भी, ग्रन्थ और लेख और व्याख्यान निकलते चले आ रहे हैं; पर जड़-मूल में जो विचार-भेद का द्रन्ध्र है, वह वैसे का वैसे ही रह जाता है। यह सब वाग्जाल उसी बहुरूपिये द्रन्ध्र के अनन्त वेशों का फैलाव है।

सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी 'क्रान्ति' ('विप्लव', पर्याप्लाव) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट और रक्तपात सहा है, वह भी बीस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, 'योग्याओ', आज़मा-इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्भयता और 'सत्यवीरता' से अपनी भूलों को भी स्वीकार करता हुआ, फिर (जैसा यात्रियों के वर्णनो से मालूम हो रहा है) कुछ पुराने रास्ते पर वापस आ रहा है। 'साम्य' के आग्रह को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-बेश ('विषम') सम्पत्ति, परिग्रह ('प्रापटी'), को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा है, जिसमें 'कम' और 'बेश' में बहुत अधिक 'अति' अन्तर न होने पावे। तथा धार्मिक विचारों की तरफ अब सहिष्णुता, सम्मर्षण, रवादारी, ('टालरेन्स'), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाही ('प्रीस्ट-क्राफ्ट') का अनन्याधिकार नहीं होने देता। तथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन एक का दूसरे को गुलाम नहीं बनने देता।'

भारत में अन्तर्वर्णविवाह को रुकावट की कड़ाई, 'अति' को पहुँच गयी है; इस हेतु से, शिद्दित, प्रभावशाली, कार्यपरायण समुदायों में, इस के विरुद्ध, विद्रोह-सा हो रहा है। यदि यह विद्रोह, बुद्धिसमंत और शिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, और, समय से, उपयुक्त अनु-मतियों, रियायतों, न दी और की जायगी, तो हिन्दू समाज में घोर उत्पात मचने का, और समाज के नष्ट हो जाने का, भय है। "रसरी उतनिहि

तानिये, जो नहीं जावे टूट” । शिक्षा, देशाटन, और जीविका की आवश्यकताओं के दबाव से, अंतर्वर्ण विवाह बढ़ रहे हैं; बहुत लोग, बहुत दिनों के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों में चले जाते हैं: विवाहित स्त्री-पुरुष, अपने रिश्तादारों से, और उन सब लोगों से जिन से साधारणतः उन का संबंध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारणर तरीके नहीं निकाले जाते, जैसा कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, जिस से वे सब लोग सामाजिक व्यूहन में अपना उपयुक्त स्थान बनाये रह सकें, तब, अवश्य ही, उन के कारण, समाज-शरीर में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे, जैसे रोगी, दुर्बल, और जर्जर व्यक्ति के शरीर में पैदा हो जाते हैं, जब उस में कोई बाहरी, प्रतिकूल, असाल्म्य, अजरणीय, अपचनीय, पदार्थ प्रवेश कर के रह जाय, और निकाल कर दूर न किया जा सके । ऐसे अजीर्ण भी, और अनुद्गीर्ण भी, द्रव्य, शरीर में बड़े उपद्रव उत्पन्न करते हैं । इस लिये उचित है, आवश्यक है, कि इन का स्नेहन कर के, इन को सत्त्व बना के, इन का, समाज-शरीर में परिणामन, जरण, पाचन, मिश्रण, आत्मसात्करण, कर लिया जाय; क्यों कि अब जो उद्गीरण, ‘जात बाहर’, हो रहा है, उस से समाज क्षीण होता जा रहा है; और सर्वथा उद्गीरण कर देना असम्भव भी है ।

भारतवर्ष के प्राचीन, किम्वा ‘सनातन’, धर्म का, हृदय कहिये, मर्म कहिये, प्राण कहिये, मूल कहिये, अध्यात्मशास्त्रानुसारी ‘वर्णाश्रम-धर्म’ है । इस लिये उस वर्ण-धर्म के तत्त्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित करने के लिये, जितना भी विचार किया जाय, उचित है । लोग, ‘शास्त्रों’ के, ‘आप्तों’ के, ब्रह्म-तत्त्व तक ‘प्राप्तों’ के, वाक्यो का, प्रमाण चाहते हैं । चाहना उचित है । वृद्धों से, श्रद्धित ज्ञानियों अनुभवियों से, उपदेश लिये बिना नई पुष्ट पनप नहीं सकती, ठीक रास्ते से भटकती रहेगी, बहुत ठोकर खा कर तब फिर सीधे रास्ते को पावेगी और पहिचानेगी । इस के विपरीत, यदि वृद्धों की उचित शुश्रूषा करेगी, तो बहुत भटकने से बच जायगी । पर, साथ ही इस सब के, यह भी सदा याद रखने की बात है कि, “श्रुति-द्वैधे यथेष्टम्”; जब दो श्रुतिया, दो वेद-वाक्य, दो आप्त-वाक्य, परस्पर

विरुद्ध हों, जब दो वृद्धों की राय न मिले, “नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं”, “स्मृतयो विभिन्नाः”, जब दो शास्त्रों में, दो शास्त्रियों में, विवाद हो, तो फिर सुनने वाले को चारा नहीं, सिवा इस के कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करे, या “महाजनो येन गतः स पन्थाः”, जिस रास्ते से, श्रन्तरात्मा की प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनता, चल पड़े, उसी रास्ते पर आप भी चले। ‘महाजन’ शब्द का जर्थ जन-समूह, जनता, है, ‘बड़ा आदमी’ नहीं—यह, ‘मानव-धर्म-सार’ में, ‘शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद में’, तथा ‘समन्वय’ में, बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धरणों से मैंने सिद्ध किया है। श्रन्ततो गत्वा, लोक-मत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पड़ता है। ‘यही एक आदमी सब से अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है’—यह भी ‘लोक-मत’ से ही सिद्ध होता है।

वासना वासुदेवस्य, वासितं सकलं जगत् ।

ऊपर बहुत बार कहा जा चुका है कि ‘जन्मना वर्णः’, ‘कर्मणा वर्णः’, यह दोनो पक्ष पुराणोतिहास में मिलते हैं, इन की मीमासा भी की है, और श्रन्ततो गत्वा ‘कर्म’ ही बलीयान् कहा गया है।

कुछ पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है। सुनने पढ़ने वाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर लें।^१

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है,

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः,

ऊरू तदस्य यद्भ्रूयः, पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।

इस सनातन पुरुष का मुख (स्थानीय) ब्राह्मण हुआ, इस के बाहुः

१ ‘मानव-धर्म-सारः’ नाम के अपने संस्कृत पद्यमय ग्रन्थ में, बहुतेरे अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मैंने उद्धृत कर दिया है; यह ग्रंथ, १९४० ई० में छपा; इस के पश्चात्, श्री इंदिरा रमण शास्त्री ने “मानवः आर्ष-भाष्यं” नामक अपने ग्रन्थ में, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, बहुत से प्राचीन उदाहरणों और प्रमाण वाक्यों का संग्रह किया; इस ग्रंथ का पहिला खंड १९४२ ई० में छपा। ‘मानव-धर्म-सारः’ का दूसरा संस्करण, बहुत उपवृंहित, १९४४ में छपा गया।

(के स्थान मे) राजन्य क्षत्रिय किया गया, जो वैश्य है वह इस का ऊरु-हुआ, तथा पार्वों के लिये शूद्र उत्पन्न हुआ ।^१

अब, यदि इस वेद मंत्र का अक्षरार्थ ही लिया जाय, तब चारो वर्णों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, बाह, जाघ्र अथवा धड़, और पैर का । ‘अथवा धड़’ इस वास्ते कि भीष्मस्तवराज मे ऐसा ही कहा है, “कृतसमूरुदर विशः” । जब इन मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो भाई भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है, तब इन के बीच ‘छुओ मत’, ‘खाओ मत’, ‘ब्याहो मत’ का दुराव बराब कैसा ?

पर यदि ऐसा अक्षरार्थ न किया जाय, और स्पष्ट ही न करना चाहिये, क्योंकि रूपकमात्र है, तब भी यह विचारने की बात है कि, जहां तक मे नै देखा, पूछा, सुना, यह नही जान पड़ा कि वेद मे कहीं भी यह कहा है कि चारो वर्ण एक दूसरे को छूवे नहीं, साथ खाये नहीं, साथ विवाह न करें । ऐसी स्पष्ट मनाई वेद मे देखी सुनी नहीं गयी । प्रत्युत, मनु सन्तान के लिये वेद मे यह आज्ञा है ।

समानी प्रपा, सह वो अन्नभागः,

समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि,

सं गच्छध्वम्, सं वदध्वम्,

स वो मनांसि जानताम् । इत्यादि ।

साथ पाँयो, साथ खाओ, साथ अन्न मे भाग लो, समाज कार्य मे (समाज-ब्यूहन के कार्य मे) तुम सब साथ लगाये जाते हो । साथ चलो, सम्वाद से बोलो, (विवाद से नही), मन एक दूसरे से मिलाओ । पौरा-

१ “पद्भ्यां” को पंचमी विभक्ति मान कर, इस का अर्थ ‘पैरों से’ शूद्र पैदा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है । एक घूमते-फिरते वृद्ध संन्यासी से मुझे शिक्षा मिली, कि ‘पद्भ्यां’ चतुर्थी है, ‘पैरों के लिये’, विराट् पुरुष के शरीर मे पैरों के स्थान के लिये, पैर बनने या पैर होने के लिये, शूद्र हुआ । जैसे, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ नहीं, मुख हुआ; क्षत्रिय भुजा बनाया गया, भुजा से पैदा हुआ नहीं; वैश्य जांघ था, जांघ से पैदा नहीं हुआ; एवं, पैर का स्थान शूद्र ने लिया, पैर से पैदा नहीं हुआ ।

णिक रूपक मे ब्रह्मा के चार पुत्र, 'अग्रजन्मा', 'अनुजन्मा', चारों वर्ण माने जायं, तो भी सगे भाई होते हैं ।

पुराणो और स्मृतियों मे बहुशः कहा है कि आदि काल मे, सत्ययुग मे, वर्ण-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता मे आरम्भ हुई ।

अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः पुण्यपापयोः;
वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदाऽसन् न संकरः ।
त्रेतायुगे तु अविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति;
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीर्तिताः ।

(वायु पुराण, ८, ३३, ४६, ५७ आदि अध्यायों मे)

इसी अर्थ के श्लोक भागवत मे, विष्णु पुराण मे, मार्कण्डेय पुराण मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं ।

एक ही एक वंश से, पुनः-पुनः, चारों वर्णों के मनुष्य निकलते रहे । इस के उदाहरण ये हैं ।

एते त्वंगिरसः पुत्राः जाताः वंशेऽथ भार्गवे,
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्च, भरतर्षभ !
सम्बन्धो ह्यस्य वंशेऽस्मिन् ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः;
दिवोदासश्च राजर्षिः, अहत्या च यशस्विनी × ×
दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्षिर्मित्रयुत्तुपः (हरिवंश, अ० ३२) ।
प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वार्थभुवस्य यः,
तस्याग्नीध्रस्, ततो नाभिः, ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः;
तमाहुर्वासुदेवांशं, मोक्षधर्मविवक्षया
अवतीर्णः; सुतशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगम् ।
तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, नारायण-परायणः,
विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतम् अद्भुतम् ;
तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः ;
कर्मतन्त्र-प्रणेतारः एकाशीतिद्विजातयः ।

यवीयांसः एकाशीतिः महाश्रोत्रियाः कर्मविशुद्धाः ब्राह्मणाः बभूवुः ।

(भा० स्क० ११ अ० २ ; स्क० ५ अ० ४)

घृष्टाद्घाष्टंमभूत् क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ ;

ततो ब्रह्मकुलं जातं आशिवेरयायनं, नृप !;

नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यो कर्मणा वैश्यतां गतः । (भा० स्क० ६ अ० २)

शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह,

यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान् । (भा० स्क० ६ अ० ३)

गर्गात् शनिः, ततो गार्ग्यः, क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवत्तं ।

दुरितक्षयो महावीर्यात् ; तस्य त्रय्यारुणिः, ऋविः,

पुष्करारुणिरप्यत्र, ये ब्राह्मणगतिं गताः ।

भर्म्याश्वस्, तनयाः तस्य पंचऽसन् मुद्गलादयः;

मुद्गलाद् ब्रह्म निवृत्तं गोत्रं मौद्गल्य-सञ्जितम् ।

मिथुनं मुद्गलाद् भार्म्याद्, दिवोदासः पुमानभूत्,

अहल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् (भा० स्क० ६ अ० २१) ।

ययाति क्षत्रिय का विवाह, शुक्राचार्यं दैत्य ब्रह्मर्षि की बेटी देवयानी से हुआ, यह प्रसिद्ध है । उन्हीं के सब से बड़े बेटे यदु के वंश में कृष्णावतार हुआ । ब्रह्मर्षि कर्दम की पुत्री काम्या (विष्णु पुराण में नाम 'कन्या' लिखा है) राजा प्रियव्रत क्षत्रिय को ब्याही गयी ।

काम्या प्रियव्रताल्लेभे स्वायंभुवसमान् सुतान्

दश, कन्याद्वयं चैव, यैः क्षत्रं सम्प्रवर्तितं ।

रजसो (ब्रह्मर्षेः) चाप्यजनयन् मार्कण्डेयी यशस्विनी,

प्रतीच्यां दिशि राजन्यं(क्षत्रियं)केतुमंतं प्रजापतिम् । (वायु पु० अ० २८)

वैश्ययोन्यां समुत्पन्नाः, शुद्रयोन्यां तथैव च,

ब्रह्मर्षय इति प्रोक्ताः पुराणाः द्विजसत्तमाः ।

लोकोऽनुमन्यते चैतान्, प्रमाणं ह्यत्र वै तपः ।

कर्पिजलादो ब्रह्मर्षिः चांडाल्याम् उदपद्यत ।

अदृश्यन्त्याः पिता वैश्यो नाम्ना चित्रमुखः, पुरा,

ब्राह्मणत्वमनुप्राप्तो, ब्रह्मर्षित्वं च, कौरव !;
 वैश्यश्चित्रमुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्य वै,
 शुभां प्रादात्, ततो जातो ब्रह्मर्षिस्तु पराशरः ।
 तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानृषिः,
 पराशरात्प्रसूतश्च, व्यासो योगमयो मुनिः । (म० भा० अनु० अ० ५३)
 वीतहृदयश्च नृपतिः, श्रुतो मे, विप्रतां गतः,
 भृगोर्वचनमात्रेण; स च ब्रह्मर्षितां गतः,
 वीतहृदयो महाराजो, ब्रह्मवादित्वमेव च । (म० भा० अनु० अ० ८)
 शूद्रयो नौ हि जातस्य सद्गुणान् उपतिष्ठतः,
 वैश्यत्वं भवति ब्रह्मन्, क्षत्रियत्वं तथैव च,
 आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यम् अभिजायते । × ×
 ब्राह्मणः, पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु,
 दाम्भिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत् ।
 यस्तु शूद्रो, दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः,
 तं ब्राह्मणम् अहं मन्ये; वृत्तेन हि भवेद् द्विजः ।

(म० भा० वन, अ० २१६-२१६, धर्मव्याधकथा) ।

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते । (अत्रि स्मृति)

शूद्रण हि समस्तावद् यावद् वेदे न जायते ।

शूद्रो ब्राह्मणताम् एति, ब्राह्मणश्च एति शूद्रताम् ,

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्, वैश्यात् तथैव च । (मनु०)

अनुलोम अन्तर्वर्ण विवाह की तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्मृतियों
 मे दी है, बल्कि ऐसे विवाहों के लिये विशेष विधि और कर्मकांड भी
 बताया है, और यह भी कहा है कि जो गुण भर्ता का होता है वैसे ही गुण
 भार्या का भी हो जाता है । क्षत्रिय पति और ब्राह्मणी भार्या से उत्पन्न 'सूत',
 द्विज ही माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, विवाह सम्बन्ध भी
 करते थे, यह भी कहा है । यदि शास्त्र पर आस्था है, तो इधर सैकड़ों
 वर्ष से अनुलोम अन्तर्वर्ण विवाह भी भारतवर्ष में क्यों बन्द रखे हैं, और
 'सूत' का आदर क्यों नहीं होता ?

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य, सा च स्वा च विशः स्मृते;
 ते च स्वा चैव राज्ञश्च, ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः । ×
 असवर्णासु अयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकर्मणि । × ×
 यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत, यथाविधि;
 तादृग्गुणा सा भवति, समुद्रेणैव निम्नगा ।
 अक्षमाला वसिष्ठेन संयक्त्वाऽधमयोनिजा,
 शारंगी मन्द्रपालेन, जगामाभ्यर्हर्णायतां (मनु) ।
 ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातः, स सूतः इति कथ्यते;
 प्रतिलोमजवर्णानां स हि एवैको द्विजः स्मृतः;
 सूतैश्च सह सम्बन्धः पूर्वं नृपतिभिः कृतः । (म०भा०विराट०कीचकाख्यान)

ये वाक्य निदर्शनमात्र, नमूने के लिये, लिखे गये । पुराणइतिहास मे ऐसे और भी बहुत हैं । अर्थ भी इन का स्पष्ट है, इस लिये हिंदी मे अनुवाद दुहरा कर विस्तार नहीं बढ़ाया जाता; विशेष कर इस लिये भी कि 'शास्त्र' के प्रमाणो को जो मागते हैं वे विद्वान् सज्जन प्रायः संस्कृत से सुपरिचित होते हैं ।

आदिकाल मे 'कर्मणा वर्णाः पर ज्यादा जोर था । धीरे-धीरे 'जन्म-नावर्णाः' पर ज्यादा जोर होने लगा । पर जब जब लोग अपना-अपना स्वभावोचित धर्म-कर्म छोड़ देते थे, अधिकार छीनते थे, कर्तव्य से भागते थे, और सच्चा वर्ण-संकर, अर्थात् जीविका-संकर, वृत्ति-संकर, होता था, तब तब, पुनर्वार, प्रतापी पुरुषों की, अवतारों को, 'धर्मसंस्थापन', 'वर्ण-व्यवस्थापन', करना पड़ता था । भविष्य पुराण मे कथा कहीं हैं कि कण्व ऋषि ने 'मिश्र', 'इजिप्त', देश मे, जहाँ वर्णव्यवस्था नहीं थी, नयी वर्ण व्यवस्था कायम की । यह कथा भी प्रायः सभी पुराणो मे संक्षेप या विस्तार से कही है कि, जब कलियुग मे, आगे चल कर, इतना वर्णसंकर हो जायगा कि सब 'एक-वर्णम् अभूत् सर्वं', सब एक वर्ण हो जायगा, तब फिर से कल्कि अवतार वर्ण-व्यवस्था का स्थापन करेंगे, अर्थात् उस समय के मनुष्यों मे जो मनुष्य जिस योग्य होगा उस को उस 'वर्ण' का नाम देंगे । नये स्त्री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है ।

निष्कर्ष यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णव्यवस्था का विरोध नहीं करता, प्रत्युत स्वभाव-गुण-(जीविका)-कर्म के अनुसार सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है । यह विधान स्वप्न में भी यह नहीं चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से विवाह हो, बल्कि यही चाहता है कि उत्कृष्ट का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो । और सर्वोपरि यह चाहता है कि 'जात बाहर' कर देने की प्रथा मिटे, जो हिन्दू 'समाज' को हिन्दू 'प्रतीपाज' 'विषमाज' बना रही है, (समं अजंति जनाः यस्मिन् स 'समाजः', जिस में सब लोग साथ साथ मिल के चलें वह 'समाजः'; 'परस्परस्य प्रतीपं विषमं विरुद्धं अजंति यस्मिन् सः 'प्रतीपाजः', 'विषमाजः', जिस में सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह 'प्रतीपाज', 'विषमाज'), और जिस ने उस समाज को इतना क्षीण कर दिया है कि, इधर बाहर सौ वर्ष में जहा सौ फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पैंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज रोज और भी कम होते जाते हैं, और परस्पर भेद-भाव के कारण इतने अकर्मण्य निर्वीर्य भीरु हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को होकर लगा देता है ।

यदि सच्ची वर्ण-व्यवस्था पुनर्वा र स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सूत्रपात होता है, तो यह सब बात अति शीघ्र बदल जाय, समग्र समाज में, 'सुसंहताश्चापि, न भिन्नवृत्तयः', 'संघशक्ति' नाम की 'दुर्गा देवी' का नवावतार हो, और सब अभीष्टों की सिद्धि हो ।

पुनर्वा र सज्जनो को याद दिलाता हूँ कि यह उपक्षिप्त उपन्यस्त विधान किसी को भी अपने जन्मवर्ण के बाहर विवाह करने को विवश नहीं करता । केवल यही कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर ले, तो उस को, डिडिम कर के, 'जात बाहर' मत करो, और उस की पत्नी का वही वर्ण समझो जो उस पुरुष का है ।

हिन्दुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण

'जातिप्रथा' के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस के कृत्रिम, मिथ्या, बाहरी जाहिरी लक्षणों के, और उस के सच्चे, तात्त्विक, मौलिक लक्षणों

के, बारे में, उस के वैज्ञानिक, शास्त्रीय, और अ-वैज्ञानिक, अ-शास्त्रीय, रूप के सम्बन्ध में, कुछ कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित विधान के आभ्यन्तर मार्मिक लक्ष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा।

इधर कई शक्तियों, शताब्दियों, से ‘हिन्दू’ कहलाने वाले समाज का सब से अधिक व्यक्त रूप यह रहा है, कि वह परस्पर भेद भरी जातियों और उपजातियों का एक ढेर है, जिन की संख्या अभी तक बढ़ती ही जा रही है। सन् १९०१ ई० की मद्रास शहरी में २३७८ जातियों और उपजातियों का उल्लेख किया गया है। १९३१ की गणना की रिपोर्ट में, संख्या ‘दो से तीन हजार तक’ लिखी गयी है। और उस समाज के धर्म का, जो धर्म अब ‘हिन्दुत्व’ कहलाता है, सब से ज्यादा खास निशान, सब से अधिक प्रसिद्ध लक्षण, यह है कि, जातियाँ, और (कुछ अपवादों को छोड़ कर) उपजातियाँ, आपस में रोटी-बेटी का व्यवहार न करें, और जो मनुष्य करें वे जाति से निकाल दिये जाँय, जातिच्युत हों, और बहुत सी सामाजिक सुविधाओं और कानूनी हकों से हाथ धो बैठें।

अन्य समाजों से तुलना

बाहरी देखने वालों को यह सामाजिक प्रबन्ध, बल्कि प्रबन्ध का अभाव, यह रूढ़ि, बल्कि परस्पर विरोधी रूढ़ियों का ढेर, बिलकुल अबोध अर्थरहित पहली और अचम्भा जान पड़ता है। ठीक ऐसी प्रथा अन्य किसी देश में नहीं मिलती; यद्यपि जैसे सर्वथा नीरोग मनुष्य नहीं मिलता, वैसे ही कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिस में कोई विशेष रोग का दोष न हो। मुसलमानी समाज में आपस में झगड़ने वाले क्रोधियों फिरके हैं। ईसाई धर्म में सैकड़ों। १९११-१२ के बड़े राष्ट्रविप्लव (रिवोल्यूशन) तक, चीन देश, अपनी स्त्रियों के पैर छोटे रखने के लिये, मितान्त निबुद्धि और निर्दय क्रूरता से, बचपन में ही, कपड़े के वेष्टनो से, या लकड़ी लोहे के जूते में, कस दिया करता था, कि बढ़ने न पावें। ब्रिटेन में भी, सन् १८८४ ईस्वो तक भी, पत्नियों की खरीद भिक्री होती रहती थी। उस साल, स्त्रियों के, प्रति स्त्री २० गिन्नी से ले कर आधा पियाला शराब पर, बेचे जाने के बीस उदाहरण, नाम सहित, लिखे पाये जाते हैं। १६ वीं

सदी के प्रारम्भ तक, ब्रिटेन में, कहीं-कहीं, देहात में, गले में डोरी बाँध कर, स्त्रियाँ, हाट में बेचने के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने को कि वे पशुओं की भाँति अपने पतियों की सम्पत्ति हैं¹। मुझे, मौलवी मित्रों से मालूम हुआ है कि, भारत में, रूढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों का, तलाक देने का, अधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों को दे दिया है; यद्यपि कुरान ने यह हक दोनों को समान रूप में दिया है।

हिंदू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मेल की एक तह है, जो समाज शरीर पर जम गयी है। पर इतनी मोटी और कड़ी हो गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, और जीवन को खतरे में डाल दिया है।

कुरूपता का कारण, अङ्ग-विशेष की अति वृद्धि

यदि यह मेल की तह सावधानी से निकाल दी जाय, तो शुद्ध वर्ण-धर्म, आश्रमधर्म का जौहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि उस तह के नीचे ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरिष्कृत, तत्त्व, सब सभ्य समाजों में पाये जाते हैं। समाज संघटन के जो तत्त्व और सिद्धान्त अपने पूर्णरूप में सर्वथा सहेतुक और लाभदायक हैं, उन का अंगभंग करने से, और अर्ध-सत्यों को पूर्ण-सत्य समझ लेने से ही, यह महा रोग पैदा हो गया है। व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र, ('काटून'), का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अंग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बढ़ा या बहुत छोटा दिखाया जाय। सुन्दर से सुन्दर मनुष्य का मुख अत्यन्त कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुत घटा कर दिखाये जाय। हिन्दू समाज का अंग विकृत इस लिये हुआ है, कि उस में उस नियम पर हृद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान शास्त्री 'ला आफ हेरिडिटी' वा 'आनुवंशिकता नियम', 'जन्मना

1 *Sex in Civilisation*, edited by Calverton and Schmalhausen, art: 'Sex and Social Struggle,'

वर्णः', कहते हैं; और उतने ही उपयोगी और उस के सहकारी दूसरे नियम की उपेक्षा कर दी गई है, जिसे 'ला आफ म्यूटेशन', 'स्वभावविशेषोन्मेष नियम' 'कर्मणा वर्णः', कहते हैं।^१ इस के विपरीत, पाश्चात्य समाज में (आधुनिक रूस को स्यात् छोड़ कर) 'कर्मणा वर्णः' पर ही अधिक जोर दिया जाता है, जिस का परिणाम, नितान्त अव्यवस्थित, अनियन्त्रित, भयावनी प्रतियोगिता, संघर्ष, और नित्य की उथलपुथल, है। इन दोनों में प्रत्येक नियम अर्द्ध-सत्य है; दोनों मिल कर पूर्ण-सत्य होते हैं। 'जन्मना वर्णः' का नियम, शिक्षा के आरम्भ में इस बात की सूचना करता है, कि किस प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 'प्रायः' उचित होगा; फिर, विद्यार्थी अवस्था में, ब्रह्मचर्याश्रम में, क्रमशः, छात्र की जैसी विशेष स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्मेषित हा और देख पड़े, तदनुसार शिक्षा में परिवर्तन कर के, उस आश्रम के अन्त में, 'कर्मणा वर्णः' का नियम निर्णायक होना चाहिये। अर्थात् एक नियम शिक्षा के आरम्भ में 'सूचक', दूसरा नियम उस के अन्त में 'निर्णायक'।

साधारणतः आनुवंशिकता नियम से, अर्थात् 'जन्मना' से, शिक्षा, जीविका, और विवाह के संबंध में, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने में सहायता मिलती है, और अधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से अन्तिम निर्णय भी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हों, वहाँ 'कर्मणा' के नियम की रक्षा होनी चाहिये।

महाभारत जैसे धर्मशास्त्र के ग्रंथ में, जो पंचम वेद कहलाता है, यह नियम, केवल प्रसंगतः और आपाततः नहीं, किन्तु सहेतुक विचार करने के बाद, कि जन्म प्रबल है या कर्म, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, कि 'कर्म' ही प्रबल है।

न योनिर्, नापि संस्कारो, न श्रुतं, न च संततिः,

कारणानि द्विजत्वस्य; वृत्तमेव तु कारणम्।

(वनपर्व, यज्ञयुधिष्ठिर-संवाद, अ० ३१४)

प्राप्ति में, जहाँ की बस्ती प्रायः एक सी होती है, स्वभावतः 'आनुवं-

१ Cartoon; Law of Heredity; Law of Mutation.

शिकता नियम' का प्राधान्य होगा ; पर नगरों में, जहाँ सगे भाइयों की रुचि, प्रकृति, और बुद्धि में अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा नियम अधिक प्रयोजनीय होता है ।

जो समाज अपने अन्तर्भूत व्यक्तियों या समुदायों की, शिक्षा या जीविका या विवाह के सम्बन्ध में, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों और आत्म-निर्णयों को, अन्धाधुन्ध लकीर पीटने से, बद्धमुष्टिवानर-न्याय से, दबाना ही चाहता है, वह समाज अपने कुटुम्बों में भारी क्षोभ, असन्तोष, और क्रोध उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर, भोगना ही पड़ता है । दोनों के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिए । सामान्य नीति 'जन्मना', विशेष नीति 'कर्मणा' । उत्सर्ग 'जन्मना', अन्वादा 'कर्मणा' ।

विवाह के, तथा वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के अन्य कर्मों के, संबंध में, बीच का मार्ग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी नियमों का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम और प्रवृत्ति को व्यक्त होने के लिये, भली भाँति सुविचारित, नियमित, नियंत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति और समाज, दोनों, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध हो सकते हैं ।

वर्णव्यवस्था का, 'कर्म' अर्थात् पेशा के आधार से
हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना

यह विश्वास करने के लिये अनेक कारण हैं, कि भारतीय सभ्यता के प्रारम्भ में नियम यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुरूप, जिस का निर्णय उस के शिक्षक आचार्य करते थे, वृत्ति अर्थात् ज विका कर्म वा पेशा ग्रहण करता था । आचार्य ही उसे, उस की प्रवृत्ति और वृत्ति के अनुरूप, 'वर्ण'-नामात्मक उपाधि देते थे, जैसे आजकाल 'प्रोफेसर', 'डाक्टर', 'जेनरल', 'जज', 'बैंकर' आदि उपाधि दी जाती हैं । उसे पाने के बाद, पुरुष केवल उन्हीं उपाधों से जाविकोपार्जन कर सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे । दूसरे वर्णों की जीविका के उपाधों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । तथा अपनी जीविका से जो अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, और उसी के कर्तव्य उसे पालन करने पड़ते थे । अन्य अधिकारों और कर्तव्यों से उस का कोई

सम्बन्ध नहीं होता था। इस सिद्धांत की न्याय्यता, आज भी, स्वभावतः, किसी किसी बात में स्वीकार की जाती है, जैसे गवर्मेन्ट के नौकरों को दूसरी नौकरी करना मना है। पर, अपने वेतन के सिवा, कई अन्य प्रकारों से भी धन का उपार्जन करना उन के लिये मना नहीं है। प्राचीन प्रथा के अनुसार मना होना चाहिये।

षण्णां तु कर्मणां अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका.

अध्यापन, याजनं च, विशुद्धात् च प्रतिग्रहः;

शस्त्र-अस्त्र-भृत्वं च त्रयस्य; वणिक्-पशु-कृषिर् विशः।

विघ्नसऽाशी भवेन्नित्यं, नित्यं वाऽमृत-भाजनः;

विघ्नसो मुक्कशेषं तु, यज्ञशेषं तथाऽमृतम्। (मनु)

अवश्यं भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते।

देवताभ्यः पितृभ्यश्च भृत्येभ्योऽतिथिभिः सह,

अवशिष्टं तु योऽश्नाति, विघ्नसऽाशी स उच्यते।

भृत्यशेषं तु यो मुहुक्के, यज्ञशेषं तथाऽमृतम्,

यो मुनिश्च सदा, धीमान्, विघ्नसऽाशी च उच्यते।

(म० भा०, शान्ति० ५६, २२६, २२८)

- ब्राह्मणवर्ग की वृत्ति की जीविका के, उपाय, जरिया, तन हैं, अध्यापन की दक्षिणा, याजन की दक्षिणा, प्रतिग्रह अर्थात् दान लेना; क्षत्रिय-वर्ग की, शस्त्र-अस्त्र से सब की रक्षा करके उन की आय में से एक भाग, 'कर', 'टिकस', तन्खाह, मासिक वेतन, लेना; वैश्य वर्ग की, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के सब प्रकार; शूद्र-वर्ग की, अन्य तीनों वर्गों की सेवा सहायता करके, उन से भृति, भरण-पोषण, अन्न वस्त्र, पाना। शूद्र का तिरस्कार तो दूर रहा, मनु की, भीष्म की, स्मृतिकारों की, आज्ञा है कि, गृहस्थ और गृहणी, बच्चों, अतिथियों, और भृत्यों को पहिले खिला कर, तब पीछे आप खायें और 'विघ्नसऽाशी' कहलायें। 'देवताओं', अतिथियों, भूदों को खिला-पिला चुकने के बाद, 'पंच-महा-यज्ञ' प्रति दिन कर लेने के पीछे, 'यज्ञ-शेष', 'यज्ञ' से बचा हुआ, अन्न, जो खाय, वह 'विघ्नसऽाशी' 'अमृतऽाशी'। जैसे अन्य सब भाव बिगड़ गये, वैसे ही इस विषय का

भी । दया के स्थान में गर्व तिरस्कार; स्नेह आदर, के स्थान में भय; चारों ओर दम्भ, मत्सर, द्रोह; अधिकारों पर छीन झपट, कर्तव्यों से दूर भाग; कमजोरों का तिरस्कार और अधिकाधिक पददलन और अर्दन; शहजोरों के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; चारों ओर इन्हीं दूषित भावों और असद्विचारों का राज्य हो रहा है ।

कर्मणा वर्णः के सिद्धान्त से, कार्य का और वेतन का, भ्रम का और विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रजन का, काम और दाम का, व्यायाम और आराम का, मिहनत और उज्रत का, न्याय्य विभाजन होता है; तथा बेकारी घटाने में सहायता मिलती है ।

वर्ण-व्यवस्थापन के आरम्भ काल में ऐसा ही विभाजन, स्मृतियों से सिद्ध होता है । बाद को, जीविका, वृत्ति, मन्त्राश, रिज़ूक, के मामले में, 'जन्म' का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा । वृत्ति के अनुसार बने हुए वर्ग, मध्ययुग में, जातियों और उपजातियों के रूप में परिणत हो गये, जो एक दूसरे का बराब करने लगे । इन जात्युपजातियों का भीतरी मतलब, सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा औद्योगिक संघों, पूर्णों, निगमों, श्रेणियों, दलों, सार्थों का हुन्ना करता है । आजकाल के शब्दों में, इन को 'ट्रेड यूनियन', 'आर्टेल', 'कार्टेल', 'गिल्ड', 'असोसियेशन', 'कम्पनी' आदि नाम से पुकारते हैं । इन का अभीष्ट, मकसद, यही होता है कि अपने अपने भीतर के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि और जीविका प्राप्ति में सहायता की जाय, और बाहर वालों के मुकाबिले रक्षा की जाय । आर्थिक स्वार्थी कारणों से ही प्रेरित हो कर, ये संघ नये व्यक्ति को जल्दी अपने भीतर आने नहीं देते थे । आज भी, सर्वत्र, व्यवसाय-संघ के से समूहों में, इस प्रकार की आर्थिक शंका-शीलता और ईर्ष्या दिखाई देती है । इस देश के एक प्रधान नगर में एक ऐसा 'अटोर्नियों' का 'असोसियेशन' है जिस में किसी ऐसे नये व्यक्ति का प्रवेश सम्भव नहीं है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद या ऐसा ही कोई नजदीकी रिश्तादार या विशिष्ट मित्र न हो ।^१

1. Trade union; Artel; Cartel; Guild; Association; company; Attornies' association.

मुख्य चार वर्णों के नामो की व्युत्पत्ति ही से सिद्ध होता है कि ये प्रधानतः वृत्तियों के, पेशे के, जीविका के, चोतक थे। जैसे (१) ब्राह्मण, ('ब्रह्म' अर्थात् वेद अर्थात् आध्यात्मिक और आधिभौतिक शास्त्रों के वेत्ता), अध्यापक, याजक, ऋत्विक्, इष्टापूर्त मे, वापी-कूप-तटाकादि सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यों मे, यज्ञो मे, उन्नित शास्त्रीय सलाह देने वाले और निगरानी करने वाले; आजकाल के शब्दों मे 'सार्जिस्ट', 'एंजिनियर', 'आर्किटेक्ट', आदि^१; (२) क्षत्रिय ('क्षतात्', चोट से, 'त्राण', रक्षा, करने वाले) पुलिस, शासक, आदि; (३) वैश्य ('विशः', सम्पत्ति, रखने वाले), कृषि आदि व्यापार करने वाले, जिस व्यापार से धनधान्य मिलता है; और (४) शूद्र ('आशु', शीघ्र, 'द्रवन्ति', दौड़ते हैं) शारीरिक परिश्रम से जीविका उपार्जन करने वाले। उसी प्रकार, नयी उपजातियों के नये नाम भी प्रधानतः वृत्ति या पेशे के सूचक हैं; जैसे माली लोहार, कुम्भार (कुम्भकार), गडेरिया (गाडर यानी भेड़ बकरी चराने वाले), ग्वाला (गोपालक, गाय बैल रखने वाले), लोनिया (लवण, नोन, बनाने वाले), मूसहर, बनजारा, चमार (चर्मकार), धोबी (धावक), कोयरी (कोयर, तरकारी, पैदा करने वाले), आदि। ब्रिटेन मे, ऐसे नाम परिवारों के हो गये, और भारत मे उपजातियों के; पर जैसे वहाँ 'स्मित्थ' (लोहार) नाम का पुरुष, पेशे मे, आजकाल पुरोहित, या जज, या सिपाही, या व्यापारी, या मजदूर हो सकता है, वैसे यहाँ भी, अब, जातियों और उपजातियों के नाम से तो कोई दूसरा पेशा प्रकट होता है, पर वास्तविक पेशा अकसर कुछ दूसरा ही होता है। सभी 'जात' के लोग सभी 'पेशों' मे देख पड़ते हैं। यह परिवर्तन प्रायः हज़ार बारह सौ वर्ष पहिले ही शुरू हुआ, किन्तु इस देश मे पाश्चात्य सभ्यता के आने के बाद जोर से होने लगा है। उस नयी सभ्यता ने यहां के जीवन मे चौमुहों, चतुर्दिक, विप्लव कर डाला है, कुछ अच्छा भी, कुछ बुरा भी। उन्ही विप्लवों परिवर्तनो मे से एक यह भी है। इस मे बुराई का अंश यह है, कि 'पारम्परिक-जीविका' मे जो स्थिरता और निश्चितता

थी वह मारी गयी ; किसी को नहीं मालूम होता कि किस रोजगार में लगना चाहिए या लग सकेंगे ; सभी अपने लिये, नहीं तो अपनी अगली पुश्त के लिये, चिंतामस्त रहते हैं। भलाई का अंश यह है कि, क्रमशः, सारा देश, नये वैज्ञानिक रूप से, समाज का नया व्यवस्थापन करने के लिए मजबूर होगा ; प्रकृति, स्वभाव, रुचि, रुझान के मुताबिक, प्रत्येक आदमी को जीविका दिलाई जायगी ; केवल 'पारम्परिक-जीविका', स्वभाव और रुचि और योग्यता के विरुद्ध होते हुए भी, किसी पर न लाद दी जायगी।

भिन्न-भिन्न वृत्तियों के भिन्न भिन्न संघों में बड़ी उपयोगिता और कार्यसाधकता थी; पश्चिम और पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के आविष्कार से, अब वह प्रबंध सब जगह टूट गया; उस संघ व्यवस्था ('गिल्ड-सिस्टम') के टूटने का प्रधान कारण, अति लोभ, ईर्ष्या, और परस्पर दुराव हुआ है। पर संभव है कि क्रमशः पुनर्वाार अधिक अच्छी राति से, व्यवसाय संघ, पूग, निगम, श्रेणी, 'ट्रेड यूनियन', 'गिल्ड', पंचायत, बिरादरी, आदि, नये नये नाम और अशतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार धारण कर के, पुनर्जीवित हों; जैसा रूस में तथा अन्यत्र भी होता मालूम होता है। मनमाना पेशा उठा लेने पर जो भारतवर्ष में पहिले रुकावट थी, वह जब दूर हो गयी है, और कुलजागत, वंशजागत, 'जातीय', पेशा करने पर जोर नहीं दिया जाता, तब अन्तर्वर्ण विवाह की रुकावट को बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उस से कोई लाभ नहीं देख पड़ता। अब उस रुकावट में उपयोगिता कुछ भी नहीं रह गयी है; प्रत्युत प्रत्यक्ष हानिकारकता बहुत हो गयी है।

यदि लोग वर्ण-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के विरुद्ध विवाह भी न करना कुछ सार्थक था। "समानशात्रव्यसनेषु सख्यं" जिन का एक चाल का रोजगार, उन का प्रायः एक चाल का रहन-सहन, खान-पान, आहार-विहार, आचार-विचार, घर-द्वार, उठक बैठक, रस्म-रिवाज, रीति-नीति, बोल बतलाव, शील-स्वभाव। ऐसों ही का परस्पर

प्राण-सम्बन्ध, विवाह-सम्बन्ध, अन्न-सम्बन्ध, आदि उचित है। जहाँ पेशा एक नहीं, चाल व्यवहार एक नहीं, वहाँ एकवर्णता का कुछ अर्थ नहीं; नाममात्र की सर्वर्णता होगी। प्रकृत्या, फ़ित्रतन्, आजकाल यह हो रहा है कि, गवर्मेटी नौकरी के हिन्दुस्तानी अफसर लोग आपस में विशह-सम्बन्ध करने का यत्न करते हैं; क्योंकि उन का रहन-सहन एक-सा हो रहा है; मानो ऐसे 'अफसरों' की एक नई 'अन्तराल' 'उपजाति' ही बन रही है।

शास्त्रीय विचार

अत्यन्त अ-परिवर्त-वादी, शास्त्रवाक्यश्रद्धालु, पण्डितजन भी (और काशी, जिस का आजन्म मैं एक परम लुद्र दास हूँ, संस्कृतशास्त्रज्ञ पण्डितों का केन्द्र ही है), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियों और उपजातियों की, जो लगभग तीन हजार संख्या हो गयी है, वह बहुत अधिक है, अप्रामाणिक है, धर्मशास्त्र से उस का समर्थन नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों में मुख्य चार, तथा अन्तर्वर्ण-विवाह से उत्पन्न कुछ थोड़े से अन्तराल, वर्णों का उल्लेख है। मनु ने प्रायः चवालीस के नाम, अ० १० में, गिनाये हैं, और सब की अलग अलग वृत्तियाँ बांध दी हैं। कोई टीकाकार इन नामों को छत्तीस गिनते हैं, कोई चौंसठ, क्योंकि स्मृति के शब्द कहीं कहीं अस्पष्ट हैं; इतना और गोल लिख देते हैं कि इन के पुनः-पुनः संकर से नये-नये प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्मृति में लिखे नामों की उपजातियाँ बहुतेरी अब नहीं मिलती हैं।

पण्डितगण यह भी स्वीकार करते हैं कि धर्मशास्त्र ने 'अनुलोम' अन्तर्वर्ण विवाहों की अनुमति भी दी है, और उन को जायज, धर्म्य, माना है। 'प्रतिलोम' अन्तर्वर्ण विवाह को मना किया है। 'ऊंचे' वर्ण के पुरुष के, 'नीचे' वर्ण की स्त्री से, विवाह को 'अनुलोम' विवाह कहते हैं। 'नीचे' वर्ण के पुरुष के, 'ऊंचे' वर्ण की स्त्री से विवाह को, 'प्रतिलोम' कहते हैं। पर वस्तुतः प्रतिलोम विवाह भी होते हैं, यह बात स्वीकार की गयी है, तथा उन की सन्तति को विशेष विशेष नाम दिये गये हैं। साथ ही, आर्थिक संघटन और बेकारी दूर करने के प्राचीन

सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक 'अन्तराल' वर्ण को एक छोटे दर्जे का काम भी दिया गया है। इन अन्तराल वर्णों के व्यक्तियों वा परिवारों के लिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णों में से किसी के अन्तर्भूत हो जाने के उपाय भी बताये गये हैं। महाभारत में, जो धर्मशास्त्र का ग्रन्थ समझा जाता है, त्रिराट पर्व (अ० २१) में कहा गया है कि, मत्स्य देश में ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर विवाह होता है, और उन की सन्तति द्विज ही समझी जाती है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री को जो पुत्र हो वह 'सूत' कहा जाता था, और राजा लोग उस से विवाह-संबन्ध करते थे; सूतो के एक राजा का नाम केकय था। स्यात् दशरथ को पत्नी केकयी उसी जाति की रही हो।

ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातः सूतो भवति, पार्थिव !

प्रातिलोम्येन जातानां स हि एको द्विजः एव तु।

सूतेन सह सम्बन्धः कृतः पूर्वं नराधिपैः ;

सूतानां अधिपो राजा केकयो नाम विश्रुतः।

कर्ण पर्व में, जब कर्ण और शल्य एक दूसरे की निन्दा कर रहे थे, तब, आक्षेपबुद्धि से, पर वास्तविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कहा है कि, पंचनद के अन्तर्गत वाल्हीक देश में पुरुष अपना वर्ण अक्सर बदलते रहते हैं।

तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा, पुनर्भवति क्षत्रियः,

वैश्यः, शूद्रश्च, वाह्लीकः, ततो भवति नापितः,

नापितश्च ततो भूत्वा, पुनर् भवति ब्राह्मणः,

द्विजो भूत्वा च तत्रैव, पुनर्दाशोऽभिजायते। (कर्ण पर्व, अ० ३६)

वाह्लीक (बल्कि?) देश में, वही पुरुष कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य कभी शूद्र, हो जाता है; 'नापित'(नाई,हज्जाम)हो कर पुनः ब्राह्मण, और पुनः दाश (मछुआ, धीवर) हो जाता है। मतलब यह कि पंचनद प्रदेश में, महाभारत के समय में भी, 'जन्मना' पर उतना जोर नहीं दिया जाता था जितना ब्रह्मावर्त प्रान्त में; बल्कि 'कर्मणा' ही पर अधिक जोर दिया जाता था; पर दोनो प्रान्तों में यौन-सम्बन्ध निरन्तर होते थे। शल्य स्वयं युधिष्ठिर के मातुल थे।

आज भी नेपाल में ‘अनुलोम’ विवाह होते हैं; अन्यत्र कहीं, खुले तौर पर, नहीं होते। इस सम्बन्ध में, लोकमत-परिवर्तन होने के कारण, हिन्दू समाज ने अपने धर्मशास्त्र को प्रत्यक्ष बदल दिया है, और ‘अनुलोम’ विवाह करने वाले स्त्री पुरुष; धर्मशास्त्र की आज्ञा होते हुए भी, (नेपाल को छोड़ कर, अन्यत्र) ‘जात बाहर’ कर दिये जाते हैं। अवश्य ही उद्देश्य इस नियम का, कि सवणों में ही विवाह हो, यह है कि ‘बीज’ शुद्ध रहे, कुल की, वंश की, संस्कृति में, परिशुद्धि में, त्रुटि न हो। उद्देश्य बहुत अच्छा है, पर जो उपाय अब काम में लाया जाता है, वह सर्वथा अकिञ्चित्कर हो गया है; क्योंकि ‘बीज शुद्धि’, ‘रक्त-शुद्धि’, ‘जाति-शुद्धि’, किसी ‘जाति’ या ‘वर्ण’ में रह नहीं गयी है। प्रत्यक्ष ही सब तरह के स्वभाव सब तरह की प्रकृतियाँ, सब तरह के रंग रूप, सब तरह की बुद्धियाँ, सब ‘वर्णों’ अथवा जातियों में देख पड़ती हैं।

जातिर् अत्र, महासर्प ! मनुष्यत्वे, महामते !,
संकरात् सर्ववर्णानाम्, दुष्परीच्या इति मे मतिः,
सर्वे सर्वासु अपत्यानि जनयन्ति यदानराः।(म० भा० वन० अ० १८२)

‘जाति’ की परीक्षा करना, निश्चय करना, असम्भव है; क्योंकि सब वर्णों के पुरुष सब वर्णों की स्त्रियों में सन्तान उत्पन्न करते हैं।

शारीर विज्ञान के एक आधुनिक पाश्चात्य विशेषज्ञ ने यही बात ऐसे शब्दों में कही है, मानो इन कई हजार वर्ष पुराने श्लोकों के शब्दों का अनुवाद ही किया हो, यद्यपि यह निश्चित है कि उस को इन की जानकारी नहीं थी। वह कहता है, ‘मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शास्त्री को अब तक एक भी ‘विशुद्ध’ जाति (‘रेस’) का मूल आदर्श-आकार (‘टाइप’) नहीं मिला है;’ क्योंकि इस का अस्तित्व ही अब नहीं है। अतः सम्भावना यह है कि शुद्ध जातियाँ ही नहीं; और क-ी रही भी हों तो आज वे पहिचानी नहीं जा सकती; क्योंकि वे परस्पर, आपस के, विवाह से मिल गयी हैं ‘संकरण’ हो गयी हैं। मनुष्य के आकार के असंख्य भेद

हैं, और वे ऐसे मिल गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते। सब आकार प्रकार के मनुष्य सब जातियों में पाये जाते हैं। कोई ऐसा विशेषक व्यावर्तक लक्षण नहीं है जो एक ही जाति में पाया जाता हो, दूसरा किसी में न मिलता हो। सभी जातियों की हृदे, परिधियां, एक दूसरे में, सूक्ष्म रीति से लीन हो जाती हैं। जातियां नहीं हैं, वर्ग हैं।' यह एक श्वेत वर्ण के 'अमेरिकन' का लेख है। सब को मालूम ही है कि श्वेतांगों में जातिगर्व कितना बढ़ा हुआ है; भारत के द्वि-जो से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य-काम है, गर्व-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं। ऐसी दशा में, यदि विवेकपूर्वक, 'विशिष्टायाः विशिष्टेन', 'समानायाः समानेन' विवाह हों, चाहे वे 'अन्तर्वर्ण' विवाह हो, चाहे 'वर्णान्तर-विवाह हो', चाहे 'वर्णान्त-विवाह' हो, चाहे नाम को 'असवर्ण' विवाह कहावे, चाहे 'सवर्ण' विवाह कहावे, वे ही सच्चे असली 'स-वर्ण' अर्थात् 'सम-शील-व्यसन-विवाह' होंगे, और तभी भारतीय मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर भी उत्कर्ष हो सकता है। केवल नाममात्र जाति वा उपजाति वा वर्ण वा उपवर्ण के बाहर विवाह न करने की अन्धप्रथा से तो अयकर्म ही होता जाता है, और होता जायगा।

पाश्चात्य देशों में भी, विशेष कर सम्पत्तिशाली मण्डलों में, 'असम' विवाह, 'मिस-आलियांस', का विरोध किया ही जाता है^२। पर वहां 'असम' विवाह का अर्थ है, अपने पद, अपनी सङ्कृति, और अपने सामाजिक गौरव के नीचे विवाह करना। एक 'रईस' घराने की लड़की यदि १ सी० ए० बियर्ड, 'द्विदर मैनकाइंड', पृष्ठ २५२-२५४, 'रेस एंड सिविलिजेशन' शीर्षक का अध्याय। इस के कई वर्ष बाद, १९३६ ई० में छपी, 'बी यूरोपीयन्स' नाम की पुस्तक को, जूलियन हक्सली और ए० सी० हैडन नाम के दो प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने छपवाई; इस में भी इसी बात का विस्तार से, विविध प्रमाणों से, समर्थन किया है। C.A. Beard, *Whither Mankind*; Julian Huxley and A.C. Haddon, *We Europeans*.

२ Mesalliance.

किसी गाड़ीवान, या बागवान, या घोड़ा फेरने वाले सवार, या 'शोफर' के साथ भाग जाय, तो उस की निन्दा बहुत होती है, जैसे यहाँ 'प्रतिलोम' कहलाने वाले विवाह की। धाय की या किसान की लड़की से शादी करने वाले रईस युवक की उतनी निन्दा नहीं की जाती है; जैसे यहाँ 'अनुलोम' कहलाने वाले विवाह की उतनी निन्दा नहीं की जाती जितनी प्रतिलोम की। तथा श्वेत और अश्वेत व्यक्तियों के परस्पर विवाह के विरुद्ध तो लोकमत पच्छिम में बहुत ही उग्र है। एवं जैसे यहाँ 'ऊँची जाति का' अभिमान करने वाला मनुष्य, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर खाना नहीं खाता जिसे वह नीची जाति का समझता है, चाहे इस 'नीचे' की संस्कृति 'ऊँची' हो या 'नीची', उसी तरह पश्चिम में भी, (श्वेत अश्वेत रंग विषयक आग्रहों के अलावा भी), कोई 'रईस'-मिजाज आदमी, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर जल्दी खाना नहीं खाता, जो ठीक उसी के जैसे कपड़े नहीं पहिनता, उसी की तरह हँसना बोलना, दुआ सलाम करना, झुकना धीधे खड़े होना, नहीं जानता, उसी की तरह धन्यवाद नहीं देता, और खाने के वक्त का सारा अदब कायदा उसी के जैसा अदा नहीं करता, कॉटे चमचे आदि का प्रयोग उसी के ऐसा नहीं करता। पर इस सब का अर्थ वहाँ 'समानशील-व्यसनेषु सख्यम्' ही है।

महासमर के साथ-साथ पश्चिम में जो मिथुनता-विषयक ('सेक्सुअल'), कामीय-आचार-विषयक, तथा नैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक आदि 'क्रातियाँ' हुई हैं, उन से भिन्न-भिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के परस्पर विवाह का विरोधी भाव नष्ट होता जा रहा है; पर निस्सार और हानिकारक बातें भी नष्ट होती दिखाई देती हैं। "सग-च्छ्वम्, संवदध्वम्, सं वो मनासि जानताम्", ऐसा वेद का उपदेश है। उस के विरुद्ध, बिना सगति के, बिना संवाद के, जब पुराना जर्जर मकान, चाँड़ लगा कर धीरे धीरे उतारने और मरगमत करने की जगह, रम्भों की अंधाधुन्ध मार से गिराया जाने लगे, तो अवश्य ही उस की धरन, पटिया, पर्श के पत्थर, दरवाजे, शीशा, सामान, जो अच्छा दुरुस्त काम लायक हो, वह भी चूर हो जायगा। बिना आँख से काम

लिये, केवल हाथो से भाङ्ग ही चौफेर चलायी जाय, तो कूड़ा करकट भाले मकड़े के साथ, सोना चाँदी हीरा मोती की चीजे भी फिक जायगी। भीतरी और बाहरी, पुरानी और नयी, प्राचिन और अर्वाचीन, पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती 'पूर्व' देशो मे भी व्यापक परिवर्तन होने लगे हैं। आपस की फूट से जर्जर, असख्य जातियो के परस्पर भेद भाव से शोर्ण जार्ण, भारतवर्ष मे, यह परिवर्तन, ब्रिटिश जाति के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण और भी तीव्र, विवेक-शून्य, और दूषित हो रहा है। विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण स्वाधान और पश्चात्य राष्ट्रों के तुल्य महापराक्रमी हो रहा है, जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वह सब सुविचारपूर्वक सुविवेकपूर्वक हो रहे हैं। भारत का पश्चिम से संपर्क हुआ, और राजनातिक स्वतंत्रता स्वराजकता लुप्त हो गई, दासता पराधानता आ गई; जापान का भी पश्चिम से संपर्क हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सर्वथा बनाये रहा, बल्कि अधिकाधिक उत्कृष्ट और बलवती करता रहा है; यही, इन दोनो देशों की दशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, आकाश-पाताल का, अन्तर है, उस का कारण है। पच्छिम के पैरो मे भारत जनता, अपने पापिष्ठ भेदभावो के कारण, बँध गयी है, सर्वथा पराधीन हो गई है। इस लिये जैसे-जैसे वे पैर चलाते हैं, हम भी उधर खिचते घसिटते हैं। अतः वहाँ के कार्य और विचारो की लहरे, हमारे जीवन के सभी अशो मे, वैसे ही विक्षोभ उत्पन्न कर रही हैं। इस अवस्था मे हमारा कर्तव्य यही है, कि प्राचीन से नवीन मे सक्रमण के समय होने वाली आकुलता को, जहाँ तक हो सके, १ १६३१ ई० से थोड़ा-थोड़ा, और १६३७ ई० से बहुत उग्र रूप से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रक्खा था; इस कारण उस की, सभी देशों मे बड़ी निन्दा हुई; चीन देश ने भी, जापान को क्रुद्ध करने वाली, कोई भारी भूल की या नहीं, यह भविष्य मे विदित होगा। अब, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब महिमा नष्ट हो गई; यू० स्टे० अमेरिका ने उस को १९४५ ई० युद्ध मे परास्त और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जापान ने अति गर्व किया, उसी का यह फल हुआ।

कम करने का यत्न करें, और निरुपयोगी तथा मूढ़ग्राह और मिथ्याग्रह की सब बातों को, जिन से समाज की बड़ी हानि हो रही है, दूर करने में सहायक होते हुए, प्राचीन में जो कुछ सच्चा, सात्विक, अश है, उस को रक्षा करें ।

सब के साथ, बिना समझे बूझे, बिना साथी की शुचिता और समान-शील व्यसनता का विचार किये, भोजन या विवाह न करना चाहिये—यह बुद्धि मनुष्य में स्वभावतः होती है, और बहुत ही उपयोगी है । 'बिना विचारे' शब्द का अर्थ ठीक समझना चाहिये । जितने मानसिक और शारीरिक विकार, जितने मन के और तन के रोग, देखने में आते हैं, उन में प्रतिशत ६० का कारण, आहार की और कामीयता की, मैथुन की, भूलें होती हैं; और केवल १० ऐसे होते हैं जिनके कारण परायत्त हैं, वा अपने अधिकार के बाहर होते हैं, जैसे हिंस्रपशु, कीट, अपघात, संक्रामक रोग, दूसरों के पाप और अपराध आदि । इस देश में जो तीन चार जगत्प्रसिद्ध और व्यापक चिकित्सा-पद्धतियां प्रचलित हैं, वैद्यक, हकीमी, आलंपेथी, होमियोपेथी प्रभृति, उन सब के वृद्ध और अनुभवी चिकित्सकों में जिन-जिन से मैंने पूछा, उन सब ने इस मत की पुष्टि ही की है । आहार में विवेक, सावधानता, और पवित्रता की रक्षा करने से व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि होती है । विवाह में विवेक, सावधानता, मानसिक और शारीरिक पवित्रता, तथा स्वभाव-साम्य का ध्यान, रखने से पारिवारिक सुख, तथा आनुवंशिक जातीय ('रेशियल')^१ पुष्ट दर पुष्ट का स्वास्थ्य, सिद्ध और समृद्ध होता है । इन दो अत्यन्त आवश्यक विषयों में जितनी भी सावधानता रक्खी जाय थोड़ी है । यही 'विज्ञान' या 'वैदिक' धर्म का, वैज्ञानिक धर्म और धार्मिक विज्ञान का, प्रधान तत्त्व है, जिस का विचार अन्तर्वर्ण-भोजन और अन्तर्वर्ण-विवाह के करने या न करने में अवश्य करना चाहिये । केवल आनुवंशिक जातिनाम या वर्णनाम एक होने से ही पवित्रता और गुणसाम्य की सिद्धि होती है—यह प्रचलित धारणा, धर्माभास या मिथ्याधर्म के

सिवा, जिस को गीता में 'मूढ़ग्राह' का नाम दिया है, और कुल्ल नहीं है। सच्च। पवित्रता और समता प्राप्त होने पर भी, केवल इस लिये विवाह न होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वर्णनाम एक नहीं है, यह नितान्त मूढ़ग्राह है। ऐसे मूढ़ग्राहों से, केवल जाति-नाम वर्णनाम पर ही जोर देने से, लाखों विवाह, नितान्त बेमेल बेजोड़, आज भारत में हो रहे हैं, यह किस को नहीं मालूम। कालें और गोरे का, सुशील और दुःशील का, पढ़े लिखे और अनपढ़ का, बुद्धिमान् और नितान्त मूर्ख का, अक्सर ही विवाह हो जाता है।

ज्योतिष के विचार

इस सम्बन्ध में एक कुतूहल-जनक और गुर्वर्ध बात पर, अपरिवर्तवादी सज्जनों को ध्यान से विचार करना चाहिए। ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार, जो जन्म-पत्रिका बनाई जाती है, उस में नवजात शिशु का जो वर्ण बताया जाता है, वह अक्सर माता पिता के 'जाति' या 'वर्ण' के नाम से भिन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र के संबंध में, यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान युङ्ग, जो अभी जीवित हैं, तथा जो चित्चिकित्सा ('साइको-पेनालिसिस') के नवीन विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवर्तकों और जनकों में गिने जाते हैं, अपनी एक हाल की पुस्तक ('मोडर्न मैन इन् सर्च आफ ए सोल') में कहते हैं कि ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से, उस का स्वभाव निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती है।^१ आप यह भी कहते हैं कि, प्राचीन काल के लोगों के मानस-शास्त्र-विषयक उत्कृष्ट ज्ञान का प्रभाव इस शास्त्र से मिलता है। इस ज्योतिष शास्त्र पर बहुतेरे यूरोपियन, ईसाई, तथा मुसलमान भी, जाहिर नहीं तो चुपके-चुपके, गहिरा विश्वास करते हैं। इसी शास्त्र की सहायता से हमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने की चेष्टा करते हैं कि वर और वधू ३६ गुणों में अधिकांश मिलते हैं या नहीं। वर-वधू के शारीरिक और मानसिक गुण तथा उन के स्वभाव मिलते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा अत्यन्त स्वाभाविक और वैज्ञा-

1. Jung; Psycho-analysis; *Modern Man in Search of a Soul.*

निक है। इस के निर्णय के लिये, जहाँ इस से अधिक विश्वसनीय साधन न मिलें, वहाँ सच्चे ज्योतिषी के ज्योतिष की अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। कम से कम प्रत्येक हिन्दू, जो अपने को सर्वश नहीं समझता, इस की अवहेलना नहीं करता, प्रत्युत इस पर विश्वास करता है। पर यही हिन्दू इस शास्त्र की उपेक्षा और अवमानना करते हैं, जब वह बताता है कि किसी मनुष्य का सच्चा वर्ण, उस के कौटुम्बिक नाम-वर्ण से भिन्न है। ज्योतिष के बताये इस सच्चे वर्ण से ही उस के विवाह-सम्बन्धी गुणों का, तथा वृत्ति (पेशा) सम्बन्धी योग्यता का, भी परिचय मिलता है। शरीर और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं, और तदनुरूप प्रधान वृत्तियाँ अर्थात् जीविका-कर्म भा चार प्रकार के होते हैं—इस का समर्थन पाश्चात्य मानस शास्त्र से भी किया जा सकता है; प्राच्य शास्त्र में तो यह बात स्पष्ट ही बहुत जोर से कही गयी है। एक 'जाति' के सब लोगों की, यहाँ तक कि सगे भाई-बहनों का, प्रकृति और वृत्तिविषयक योग्यता एक सी होती है—यह तो ऐसा भ्रम है, जो बहुत थोड़े से ही विचार और परीक्षण से नष्ट हो जाता है।

पारस्कर गृह्यसूत्र और जीविका-वर्ण

ज्योतिष के सिवा, एक और प्रकार, बचपन में ही जीविका-वर्ण की योग्यता के निर्णय का, पारस्कर गृह्य-सूत्र आदि आर्ष धर्म-ग्रंथों में लिखा है। अन्नप्राशन संस्कार के समय, भूमि पर, (१) पुस्तक, लेखनी, मसीपात्र आदि, (२) शस्त्र अस्त्र, छुरी, तलवार, घनुष, बाण आदि, (३) चाँदी, सोना, ताम्बा, आदि के सिक्के, अन्न, कपड़ा, आदि, (४) फावड़ा, कुदाल, आदि, फेंका कर, बच्चे को, इन वस्तुओं के पास छोड़ देना चाहिये। गड़ता (रिङ्गण करता) हुआ, वह जिस वस्तु की ओर पहिले जाय और उस को पकड़े, तदनुरूप उस की जीविका-वर्ण-योग्यता है, ऐसा जानना। मूर्धा की धुकधुकी जब तक अस्थि से बंद नहीं हो जाती, तब तक, सूक्ष्म शरीर द्वारा, अन्तरात्मा, बच्चे के स्थूल शरीर का प्रेरण और स्तब्ध करता रहता है। इस से भी यही सिद्ध होता है कि एक ही कुल में भिन्न भिन्न 'वर्ण' के पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल में

एक ही कुल में कई कई वर्णों के अपत्य होते और माने जाते थे, इस के उदाहरण, आर्ष ग्रन्थों से, पृ० ४६२-५ पर, दिये जा चुके हैं। 'ऐतिहासिक काल' के वृत्तों से 'पुराणकाल' की अवस्था ठीक समझ में आ जाती है। ईसा से पूर्व की छः सात शतियों में जब रोम के राष्ट्र में सघराज्य (रिपब्लिक) का शासन-प्रबन्ध था, तब उन्ही-उन्ही 'पैट्रिशन्' कुलों में से 'पाट्रिफ, हारुस्पेक्स, फ्लामेन' आदि धर्माधिकारी 'ब्राह्मण' भी, और 'कान्सल, सेन्सर, डिक्टेटर, प्राइटर', 'सेनापति', 'जेनरल', आदि शासनाधिकारी 'क्षत्रिय' भी, चुने और नियुक्त किये जाते थे। एव ईसा के बाद, मध्ययुग में, यूरोप में, 'प्रिंस आफ दी लैंड', पृथ्वी-शासक, 'भूपति', 'क्षत्रिय', और 'प्रिंस आफ दी चर्च', 'देवालय-शासक', 'धर्म-पति', 'ब्राह्मण', अक्सर सगे भाई होते थे। एव, भारत में, बौद्धकाल में, एक भाई राजा और एक भाई भिक्षु संघ का नायक।'

सबर्ण विवाह और वर्ण-संकर का सच्चा अर्थ

यदि दो व्यक्ति, युवक युवती, समान आचार-व्यवहार और समान जीविका वाले दो परिवारों में उत्पन्न हो और पाले-पोसे जायें, तो यह अनुमान करना और मानना, कि उन के मानसिक और शारीरिक गुण परस्पर-विरोधो न होंगे, यह अनुचित नहीं है। अपनी जाति के भीतर ही—अर्थात् 'सर्वर्ण' विवाह के मूल में शास्त्रीय वा वैज्ञानिक तथ्य इतना हा है। पर यह कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो भिन्न नाम की जातियों में उत्पन्न हुए हैं, इस लिये उन के स्वभाव वा गुण नहीं ही मिल सकते, यह वर्तमान स्थिति में, जब कि जाति वा वर्ण का नाम किसी व्यक्ति के शील, आचार, विचार, व्यवहार, और वृत्ति का द्योतक कुछ भी नहीं होता, केवल मूढ़ग्रह है।

वस्तुतः सर्वर्ण विवाह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के गुण-कर्म, जिन के बौद्ध और शारीरिक व्यसन, जिन की ज्ञान-इच्छा-क्रिया

१ Republic; patrician; pontiff, haruspex, flammen; consul; censor, dictator, praetor, general; prince of the land, prince of the church.

संबंधी रुचि-अरुचि, समान वा अ-विरोधी हों, परस्पर संगत हों। सवर्ण का अर्थ यह नहीं है कि केवल उन के जाति-नाम वर्ण-नाम मात्र एक हों। मनुष्यों के लिये यह भ्रम साधारण है, कि कार्य को कारण और कारण को कार्य मान लें। ऐसे ही भ्रम में हम हिन्दू लोग विशेष रूप से पड़ गये हैं, और गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे जोत रहे हैं; अर्थ की अपेक्षा शब्द को अधिक महत्व दे रहे हैं। स्वाभाविक क्रम यह है—स्वभाव से गुण, गुण के अनुसार शिक्षा और जाविका-कर्म, कर्म के अनुसार वर्णनाम; भगवद्गीता के शब्दों में, पहिले स्वभाव, उस से गुण, उस से कर्म।

चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुण-कर्म-विभागशः;

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-प्रभवैर् गुणैः (गीता)।

आज हम ने इस कर्म को उलट दिया है; मान रक्खा है कि पहिले आनुवंशिक जाति या वर्ण नाम, फिर उस से वृत्ति, फिर उस से स्वभाव उत्पन्न होता है; अर्थात् एक आदमी का जन्म एक विशेष जाति वा वर्ण में हुआ है, अतः उस का वही कर्म होगा जो उस जाति के नाम से जाना जाता है; और यतः उस का वह कर्म है अतः उस में तदनुकूल गुण भी अवश्य है! प्राकृतिक कर्म के इस विपर्यय का ही स्वाभाविक परिणाम यह है कि गुण, कर्म, और वर्ण-नामो वा जाति-नामो के असंख्य अनमेल बेमेल सयोग दिखाई देने लगे हैं; जन्म से वर्ण-नाम जाति-नाम कुछ है, शील-स्वभाव योग्यता कुछ और ही है; जिस जाविका-कर्म में लग गये हैं वह कुछ तीसरा ही है; वर्ण-नाम बहुत अर्थ-रहित और मिथ्या हो रहा है; अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता सफल नहीं होती, प्राकृतिक रुचि तृप्त नहीं होती, उस की योग्यता न होने से वह जीविका-कर्म भी ठीक नहीं सचता। वर्ण-व्यवस्था बिगड़ते-बिगड़ते, अब उस का अर्थ सिर्फ यह रह गया है कि नाम-वर्ण वा जाति के बाहर भोजन-सम्बन्ध और विवाह-सम्बन्ध न हो; अनेक ऐसे विवाह होने लगे हैं जो नाम को तो सवर्ण हैं, पर वस्तुतः नितान्त अ-सवर्ण हैं, पति और पत्नी का रूप रंग शील स्वभाव कुछ भी नहीं मिलता, परस्पर अप्रसन्नता वैर द्रोह रहता है, तथा समाज से वह अन्वाधुन्धी और जीविका-सम्बन्धी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है, जो ही

संस्कृत शब्द 'वर्ण-संकर' का सच्चा अर्थ है ।

अस्पृश्यता का प्रश्न

अन्तर्वर्षा विवाह के इस प्रश्न से अस्पृश्यता के प्रश्न का भी सम्बन्ध है । अस्पृश्यता-विषयक भाव में विज्ञान का अंश इतना ही है, कि स्पर्श उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संक्रामक या क्लृप्त के रोगों से पीड़ित हैं । पर मनुष्य चाहे जैसा निर्मल और नीरोग और शुभ्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐसी जाति का है जो प्रचलित प्रथा से अस्पृश्य है, तो उसे छूना न चाहिये—यह केवल 'मूढ़-ग्राह' है । और ऐसे आदमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-वर्ण-नाम को दाँतों से पकड़े रहना, यह और भी घोर 'मूढ़-ग्राह' है ।

वस्तुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा

१ कई वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने जब अछूतों के लिये 'हरिजन' शब्द ईजाद किया, उस के थोड़े ही दिन बाद, एक सज्जन मेरे पास आये; साधारण धोती कुर्ता टोपी पहिने थे ; मैं ने पास की कुरसी पर बैठने को कहा; बैठे । पर आरम्भ में ही उन्होंने ने कहा कि मैं 'चमार' हूँ । मुझे दुःख हुआ; उन से कहा—'मैं ने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी, आप ने हठात् मुझ को क्यों सुनाया कि आप 'चमार' हैं; मेरे लिये यही पर्याप्त था कि आप मनुष्य हैं, और मलिन नहीं हैं; पर जब आप को यह हृद है कि आप 'चमार' ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है और याद दिलाता है कि मैं प्रचलित रीति से, त्रैवर्णिक द्विज (वैश्य अग्रवाल) हूँ, और आप 'अशुभ' हैं; इस कुर्सी पर मेरे पास आप को नहीं बैठना चाहिये; खैर अब आप बैठ गये हो तो बैठे रहिये, पर 'जाति' न बतला कर, अपना जीविका कर्म बतलाइये । उन्होंने ने कहा कि 'आटा दाल आदि बेचता हूँ, पंसारी की दूकान करता हूँ' । मैं ने उन से फिर इत्तार से, निर्बन्ध से, कहा, 'तब आप अपने को वैश्य कहो, चमार मत ही कहो' । खैर, दूसरी बातों के बाद वे चले गये ।

इसी आशय की प्रार्थना, मैं ने, तीस पैंतीस हजार आदमियों के भारी समागम, 'पब्लिक मीटिङ्ग', में १६३४ ई० में, काशी में, महात्मा गांधी से

समझा जाता हों, पर वह उस पेशे का न हो। ‘दलित वर्ग’ का प्रश्न एक द्वाण में हल हो जाय, यदि वे हज़ारों क्षुद्र जातिनामों का त्याग कर दें, और प्रधान चार वर्गों में से ऐसे वर्गों के नाम का ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत उनका पेशा हो; यथा, करोरा ‘हरिजन’, जो कृषि से जीविका करते हैं, वे सब अपने को ‘वैश्य’ ही कहें, और अन्य सब नाम छोड़ दें। साथ ही, यदि उनका पेशा मैले काम का हो, तो, उन्हें वह काम करके, तुरन्त अपना शरीर धोकर साफ करना चाहिये; तथा समाज की ओर से उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिये, कि वे अपना शौच इस तरह करें। यह प्रश्न वस्तुतः बहुत सरल है, पर उसे हल करने की नीयत का, और उपाय के ज्ञान का अभाव है; इसी से सरल भी अत्यन्त कठिन हो गया।

की, कि “हरिजन शब्द को छोड़िये, इससे आपका अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, बल्कि एक और नई जाति, ‘हरिजन’ नामकी, बन जायगी, और जो इस समय प्रायः दो हज़ार ‘अज्ञत’ कहलाने वाली जातियाँ हैं वे ज्यों की त्यों परस्पर ‘अज्ञत’ बनी रहेंगी, आपस में अन्न-यौन-सम्बन्ध नहीं करेंगी, (महात्माजी के, हरिजनोद्धार कार्य करने वाले अनुयायियों से भी यही प्रार्थना समय समय पर करता रहा), ‘हरि-जन’ शब्द के स्थान में ‘मनु-जन’ शब्द का प्रयोग कीजिये, और सब को यह उपदेश दीजिये कि अपने पेशे के अनुसार, चार में से एक वर्ण का अपने को बतलावें, और दो हज़ार भिन्न नामों को बिल्कुल छोड़ दें (जैसा बौद्धयुग में हुआ था)। पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हरिजनोद्धार जिस प्रकार से हो रहा है, वह सबको प्रथम है। हाँ, अपना ‘हक’ माँगने का बल उनमें, कुछ अधिक हुआ है, उच्चमन्त्यों को कुछ नीचा देखना पडा है, ‘नीची’ कहलाने वाली जातियों ने सिर ऊँचा किया है; उनके साथ वैसा तिरस्कार का व्यवहार ‘ऊँच जात वाले’ अब नहीं करते जैसा पहिले, पर मन में अधिक बुरा मानते हैं। लेकिन, जो महात्मा गांधी जी का और उनके अनुयायियों का लक्ष्य था, वह बात, तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुई, अर्थात् हिन्दु-मुस्लिम एका तो बहुत दूर रहा, बल्कि परस्पर द्वेषनितरां बढ़ता ही गया, और केवल ‘हिन्दू’ कहलाने वालों का भी थोडा भी सच्चा एका नहीं ही हुआ। वह एका,

प्राणहारक शब्द और प्राणकारक भाव

सभी देशों और सभी कालों में मनुष्य के स्वभाव की इस दुर्बलता का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले ‘भाव’ की तो उपेक्षा करता है और मार डालने वाले ‘शब्दों’ को पकड़े रहता है; अनाज की हीर फेंक देता है, और भूखी को हिफाजत से रखता है ।

तान्येव भावोपहतानि कल्कः । (म० भा०)

अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नीयत से, किया जाय, तो बुरा हो जाता है; गलत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो जाता है ।

शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पीछे दौड़ने की, अर्थों की ओर ध्यान न देने की, इस दुर्बलता से बचने का प्रयत्न मदा बढ़ी सावधानी से करने रहना चाहिये ।

एक अंग्रेज मित्र से मैं ने सुना है कि, उन के देश में, जब, चालीस पचास वर्ष हुए, यह बात अस्वल-अस्वल वैज्ञानिकों को मालूम हुई, कि मैले हाथों में लगे हुए रोगाणुओं से रोग, स्पर्श द्वारा, एक शरीर से दूसरे शरीर में सक्रमण करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि, आटा तथा अन्य खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गूंधे या अन्य प्रकार से छूए न जाने चाहिये ।¹ ज्यों ही यह बात कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई जिनसे पर इस मज़मून के पुर्जे लगाने लगे—‘हाथ नहीं लगाया गया ।’¹ (न केवल हिन्दुओं का, बल्कि मानव-मात्र का), तभी संभव है, जब ‘कर्मणा वर्षाः’ और ‘वयसा आश्रमः’ के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर जोर लगाया जाय । ‘हरि-जन’ नाम की निष्कलता, और ‘चतुर्वर्ण्यत्मक’ ‘मनु-जन’ नाम की सफल-गर्भता, मैं ने बहुत बार पुनः पुनः हिन्दी और अंग्रेज़ी अक्षरवारों में, लेखों द्वारा, जब से ‘हरि-जन’ शब्द चला, तब से दिखाने का यत्न किया है । ‘अद्भूत’ जातियों ने जो कुछ सिर उठाया, वह ‘हरि-जन’ नाम के बल से नहीं, बल्कि सारे देश के, जो सब का सब ही ‘दलित’ है, राजनीति के क्षेत्र में सिर उठाने से ।

१ Untouched by hand, ‘अन्-टचड बाइ हैण्ड’ ।

मेरे मित्र को यह जानने की इच्छा हुई कि, देखूँ, अन्य किस प्रकार से गूँघने आदि का काम ऐसे कारखानों में किया जाता है, जहाँ 'डबल रोटी', 'बिसकिट', आदि खाद्य द्रव्य बनाये जाते हैं। वे एक कारखाने में गये तो क्या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे पैरों से आटा गूँघ रहे हैं ! डाक्टरों ने 'हाथ' लगाने को मना किया था, 'पैरों' के बारे में तो कुछ नहीं कहा था !

जहाँ बुद्धि का अभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या लोभ प्रदूषण करता है, या धोखा देने, बहकाने, और ठगने की प्रवृत्ति होती है, या स्वतंत्रों या अधिकारियों को हथियाने और कर्तव्यों को टालने की इच्छा होती है, वहाँ ऐसा अर्थ का अनर्थ सदा हुआ ही करता है। वर्णव्यवस्था की भी यही दशा हुई है।

उद्देश्य यह था, और चिरकाल तक सफल भी होता रहा, कि भारत की हज़ारों जातियों और फ़िरकों को 'अंगंगिभाव' से, 'मुख-बाहु-ऊरु-पाद'वत् मिला कर, उन का एक पूर्ण 'समाज-शरीर' संघटित किया जाय, जिस में प्रत्येक व्यक्ति को उस के ख़ास स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने और आत्मविकास करने का अवसर मिले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त स्वभावानुकूल जीविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयी, कि उस के ख़ास गुणों के सदुपयोग से सारे समाज की सेवा भी हो।

आगे चल कर यह भाव ही उलट गया। जहाँ मूल-कल्पना, गुणानुरूप जीविका-कर्म की थी, वहाँ नई कल्पना हुई जन्म से कर्म की, गुण का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने लगा; और आगे चल के यह भी व्यवस्था गिर गयी, वर्ण कुछ और कर्म कुछ होने लगा। फलतः, सुसंघटित, सुसंहत, सुव्यूढ समाज, विश्वखल, असंहत, विदीर्ण हो गया, और उस के हज़ारों टुकड़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे से ईर्ष्या, मत्सर, विरोध, स्पर्धा करने ही में अपना भला मानते हैं।

वर्णव्यवस्था की सर्वसंप्राहकता

यदि वर्णव्यवस्था के, अर्थात् चतुर्विध जीविका-कर्मों के, अनुसार, समाज के वर्गीकरण के मूलगत, अन्तःवर्ण-शास्त्रानुकूल, अध्यात्

शास्त्रानुकूल, सिद्धान्तों का अर्थ ठीक ठीक और उदारतापूर्वक किया जाय, तो वह व्यवस्था अब भी अपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है। समस्त जगत् के मनुष्य-जीवन को बुद्धिपूर्वक, खूब सोच समझ कर परस्पर-सम्बद्ध, अन्योन्याश्रित, चार विभागों में विभक्त कर के सुसंघटित और सुसंयोजित करना—यही वह उद्देश्य है। पूर्वकथनानुसार चार वर्ग वा व्यूह ये हैं—पहिला वर्ग 'शिद्धकों', ब्राह्मणों, जानियों, आलिमों, आरिफों का है, यानी उन लोगों का जो ज्ञान, इल्म, 'इफान' के अधिकारी हैं—वह ज्ञान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दूसरा वर्ग 'रत्नकों' का है, जिस में क्षत्रिय, महाफ़िज़, आमिल, 'आमिर' या 'अमीर' जिन में 'अम्र', 'हुकूमत', 'आज्ञाशक्ति' तथा शौर्य है—वह शौर्य जो परोपकारी है; तीसरा वर्ग आर्थिक 'पोषकों' का है, जिस में वाणिज्य व्यापार के कुशल व्यक्ति हैं—वह वाणिज्य और तिजारत जिस से सब मनुष्योपयोगी पदार्थों का सग्रह और वितरण, कुशलता और उदारता से होता है; अन्तिम और चौथा वर्ग 'सहायकों' वा 'भारका' का है, जिस में सेवा, परिश्रम, जिस्मानी मिहनत, मशक, मशककत करने वाले हैं—वह सेवा जिस का भाव (बलात्कारेण, अपना इच्छा के विरुद्ध, सेवा का नहीं, बल्कि) दूसरों की सहायता करने का स्वयं रुचि, उत्साह, भ्रद्धा का है। इस प्रकार से, पुस्तक (अर्थात् ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्रबल) के द्वारा तलवार (दण्ड, दमन-शक्ति, आज्ञाशक्ति, शासनबल, शास्त्रबल) का नियमन, नयन, प्रणयन होता है; खड्ग के द्वारा थैली (धन-धान्य, कोषागार-अन्नागार, धनबल) का रक्षण होता है; थैली के द्वारा हल-बैल, फावड़ा-कुदाल (शारीर श्रमबल) का भरण-पोषण होता है; और हल-बैल से चारों की सहायता होती है।'

'कर्मणा' वर्ग-धर्म और 'वयसा' आश्रम-धर्म के, अर्थात् सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के, संघटनों के संयोग से बनी हुई यह व्यवस्था, व्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा अन्य सब 'वादों' का सुन्दर समन्वय करती है; जिस को जो चाहिये उसे उतना ही, न अधिक न कम,

१ इन के तुल्यार्थ अंग्रेजी शब्द, पृ० ४५८-९ पर, फुट-नोट में दिये हैं।

दे कर, यह, मनुष्यजीवन की आवश्यकताओं के परस्पर-विरोधी द्वन्द्वों के बीच का मार्ग दिखाती है; पारिवारिक जीवन में अच्छे मनोरंजन और सुप्रजनन की, रति-प्रीति सुसर्तति की, यथेष्ट, न अधिक न कम, सुविधा कर देती है; सब प्रकार की प्रकृतियों के लोगों को अपने अपने कृत्यों और रुचियों के लिये उचित अवसर देती है। समस्त मानव सघ की, सर्व-लोक-संग्रह का, उदार और उदात्त कल्पना इस से सम्भव होती है। कृषक (और व्यापारी), सैनिक (और शासक), श्रमजीवी (बौद्धिक और शारीरिक उभय प्रकार के श्रम करने वाले) लोगों के सोवियेट (सघ) स्थापित कर के, रूस इसी ओर जाता दिखाई देता है; यद्यपि वह इस काम में बड़ी गलतियाँ भी करता रहा है, और मनुष्य स्वभाव की अग्रभूत आध्यात्मिक और मानसिक कई व्यवस्थाओं का उपेक्षा कर रहा है, जिस का परिणाम, आगे चल कर भयंकर हो सकता है। जापान, बाह्यतः, समाज व्यवस्था में रूस के बिलकुल विरोधी दिखाई देने वाले मार्गों से, पर कई गुर्वर्ध बातों में तत्सदृश ही, व्यवस्थित समाज-सघटन का काम करता रहा है। भारत की प्राचीन व्यवस्था ने इन दोनों का समन्वय करने और ऊमरी नुमाइशी विरोधों का परिहार करने का मार्ग दिखाया है।

मूल 'कर्मणा वर्षाव्यवस्था' में स्थान पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई मनुष्य अपने देश, राष्ट्र, मातृभाषा, वा विशेष धर्म का त्याग करे। किसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी भाषा का बोलने वाला, कोई भी नाम धारण करने वाला, वेद में, कुरान में, पुरानी तौरों में, नई इज्जत में, जिंदाविस्ता में, बौद्ध त्रिपिटक में, जिनसागम में, या 'ग्रन्थ साहब' में विश्वास करने वाला, अपने विशेष विश्वासों की, तथा अन्य सब लवाजिमों की, रक्षा करता हुआ, अपने अपने पेशे के अनुसार वृत्तिसूचक वर्षा-नाम का ग्रहण कर सकता है; और यदि वह सोच समझ कर समान शील वाला 'सहधर्मिणी' से विवाह करे, तो उस की अर्द्धांगिनी को भी उस का वृत्तिसूचक वर्षा नाम प्राप्त होगा।

इस की विशेषता

मूल वर्षाव्यवस्था तो एक ऐसा सौँचा ढाँचा है जिस में मानव जाति

की सब अवांतर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों और जीविका-कर्मों के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और भारतवर्ष में प्रायः बौद्ध-काल के अन्त तक ढाले जाते थे। 'ब्रात्यस्तोम' आदि विधियों से उनका संस्कार कर के 'ब्रात्य' से 'शालीन', 'अनार्य' से 'आर्य', 'वर्ण-रहित' से 'वर्ण-सहित', 'अव्यक्त-वर्ण' से 'सुव्यक्त-वर्ण', बना लिए जाते थे। 'शाक-द्वीपी ब्राह्मण' आदि का अर्थ यही है कि जो 'शक' जाति के लोग भारत-वर्ष में आ कर बस गये उनमें से ज्ञान-प्रधान व्यक्ति 'ब्राह्मण' वर्ण में शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी' कहलाये। एवं चौहान परमार आदि राजपूतों के जो चार 'अग्निकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, कि ब्राह्मणों ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्षा के लिये यज्ञ किया और अग्निकुण्ड में से अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकल आये और उन्होने विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध में हरा कर निकाल दिया:—इस प्रथा का अर्थ यही है कि, वेदी-कुण्ड में अग्नि को प्रज्वलित कर के वेद-विधि से चार विदेशी शूरों को, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो 'जन्मना' क्षत्रिय नहीं थे, वैदिक याज्ञिक आदि विधि से 'क्षत्रिय' बनाया। परशुराम ने नये ब्राह्मण बनाये, यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र देश के 'चित्पावन' ब्राह्मणों के विषय में ऐसी किवदन्ती है कि परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के यह वंशज हैं। महाभारत में यह स्पष्ट लिखा है कि, जमदग्नि और परशुराम के सेनापत्य में, अन्य तीन वर्णों ने मिल कर, प्रजोत्पीडक 'क्षत्रियों' का ऐसा संहार किया, कि क्षत्रिय, रक्षा कार्य के लिये, पर्याप्त बचे नहीं; तब उन्हीं तीन वर्णों में से, 'स्वर्णकार' 'व्योकार' आदि में जो विशेष शूरवीर और रक्षा-धर्म-निष्ठ थे, उनको 'क्षत्रिय' बना दिया गया। इत्यादि। निष्कर्ष यह कि वर्ण-व्यवस्था एक ऐसा उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, सृष्टि-विकास के क्रम में चाहे वे किसी दर्जे पर हों, चाहे 'मानसिक' बाल्य वा कोमार वा यौवन वा प्रौढ़ वा वृद्ध और शान्त अवस्था में हों, सब प्रकार की प्रकृतियों के, यथा-स्थान, इसमें समावेश पा सकते हैं। पाच पीढ़ियों के संयुक्त बृहत्तर परिवार के सदस्यों की तरह इस के सदस्य भी, परस्पर प्रेम, परस्पर संमर्ष, सहनशीलता, रवादारी, परस्पर सहायता, और परस्पर सहा-

यता के भावों से भावित हो कर, सुख से रह सकते हैं।

इस पर यह कहा जा सकता है कि, व्यवहार में यह तो पृथ्वी में सर्वत्र हो ही रहा है, फिर वर्ण व्यवस्था में विशेषता ही क्या है ? इस का उत्तर यह है कि, (१) इस से मनुष्य मात्र की एकता और संग्रहण का आदर्श सब के आंख के सामने सदा बना रहता है, और समस्त मानव-समाज के संगठन के उत्तम स्वरूप का, और उस के नियामक सिद्धांतों का, स्मरण सब को सदा बना रहता है; यह बड़े महत्व की बात है; इस के अभाव में, प्रचलित व्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह जाती है, अन्ध-संघर्ष होता रहता है, और सहयोग की जगह प्रतियोग प्रबल होता है; (२) सामाजिक जीविका-कर्मों, और सब प्रकार के व्यवसायों और उद्योगों का, बुद्धिपूर्वक विभाग कर के, और तदनुसार पारितोषिक की व्यवस्था कर के, यह व्यवस्था, व्यक्ति-वाद और समाजवाद का वैज्ञानिक समन्वय करता है। ऐसा बुद्धिपूर्वक-समन्वय, वर्तमान स्थिति में, कही पाया नहीं जाता। इस व्यवस्था में यह संभव नहीं है कि एक मनुष्य अपने वर्ण या वर्ग के लिए निर्धारित जीविका-कर्मों के सिवा, अन्य वर्गों के लिए निर्धारित किसी कर्म के द्वारा, अधिक धन उपार्जन करने का चेष्टा करे। इस व्यवस्था में कोई श्रम्यापक, आचार्य, वकील, सैनिक, मजिस्ट्रेट, जज वा जमींदार, अपना कर्म करता हुआ, बैंकर, साहूकार, या कम्पनी डाइरेक्टर का काम नहीं उठा सकेगा। उसी तरह, लेन-देन करने वाला सुदखोर कुसीद-जोवी वाधुषिक 'महाजन' या कम्पनी डाइरेक्टर भी, श्रम्यापकी, वकीली, जजी, जमींदारी, सिपाहीगिरी, कान्स्टेब्ली, मजिस्ट्रेटी आदि का काम नहीं करने पावेगा। इस में वेतन लाभ, कर, पुरस्कार, राजाश्रों की तनज़ाह ('सिविल लिस्ट') आदि, न्याय्य परिमाण की सीमा का अतिक्रमण नहीं करने पावेगा। तथा 'गरीब अमीर' में अत्यन्त अन्तर नहोने पावेगा। यही इस प्राचीन 'कर्मणा' वर्ष व्यवस्था का, आजकाल जो अन्य देशों में समाजों का रूप है उस से, विशेष भेद है।

ज्ञात इतिहास-काल में, मालूम होता है कि, समस्त मानवजाति में से केवल प्राचीन भारतीयों ने ही, बुद्धिपूर्वक और क्रमपूर्वक, मानवजाति के

प्राकृतिक नियमों और चिन्त की वृत्तियों का प्रनुसरण करते हुए, वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अगों वा अशों का वैज्ञानिक विभाग करने का प्रयत्न किया है, और सफलता के साथ किया है। दक्षिण अमेरिका के 'पेरू' नामक देश में, ईसा की १२ वीं से १५ वीं शताब्दी के बीच, अर्थात् चार सौ वर्ष तक, भारतीय वर्षाव्यवस्था से कुछ मिलता-जुलता, समाज का प्रबंध हुआ। बुद्ध के बाद, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिये, चारों ओर भिक्षु लोग गये। आधुनिक पाश्चात्यों की ही खोज से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका में भी ये लोग चीन जापान से होते हुए गये। क्या अजब जो ऐसों ने हा, पेरू में यह व्यवस्था चलाने का यत्न किया हो। स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने पेरू और मेक्सिको को नितरा भ्रष्ट कर दिया। आधुनिक समय में रूस भी कुछ ऐसी ही समाज व्यवस्था का यत्न कर रहा है, जैसा पहिले कहा जा चुका है।

सिद्धान्तों की उपेक्षा

इस देश में कर्मानुसार वर्षाव्यवस्था के सब मूल सिद्धान्त अब भुला दिये गये हैं। आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, और विनाद को, अर्थात् इज्जत, हुकूमत, दौलत, खल तमाशा, इन चारों को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने का यत्न करता है; जसा अन्य देशों में हो रहा है। सारांश यह कि वह, सब अधिकारों को प्राप्त कर लेने का, और सब कर्तव्यों का त्याग कर देने का, यत्न करता है; अधिक चतुर और भाग्यवान् मनुष्य, इस में कृतार्थ भी हो जाता है। सर्वहारा के इस आति-प्रचलित यत्न से, इस वर्षासंकर से, कर्म और पुरस्कार के बटवारे की पद्धति की इस अस्तव्यस्तता से, मानव-समाज में भयंकर क्षोभ उत्पन्न हो गया है; तथा भारतवासा, और विशेष कर हिंदू, बहुत ही शोचनीय दशा को प्राप्त हो गये हैं। जिस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि परस्पर सगठन और एकता कराने वाली शक्ति उत्पन्न हो, वही व्यवस्था, सिद्धान्तों को भूल जाने से, समाज को खण्ड-खण्ड करने का, असंख्य भागों में विभक्त करने का, कारण हो रही है। जो एक समय 'वर'

(वर-दान, 'ब्लेसिङ्ग्') था, वही अब 'शाप' (कर्स) हो गया है ।'

जैसे 'अनियंत्रित व्यक्तिवाद', अपना-अपना खिचड़ी अलग पकाने की बुद्धि, 'जिसे का जैसा जो चाहे वैसा वह करे'—यह बुद्धि, जैसे जात्युपजाति के भेदों की हेतु, भारत में है, वैसे ही राजनीतिक, राष्ट्रीय, प्रान्तीय, आदि मनमाना स्वच्छन्दता से उरन्न भेदों की जननी यहाँ भी और पच्छिम में भी है। मूल भाव के बिगड़ जाने से सारी बातें बिगड़ जाती हैं। 'तान्येव भावोपहतानि कल्कः'। यदि हम प्रचलित वर्ण-व्यवस्था को स्थापना, पुनः उस के सच्चे प्राचीन गुण-कर्म के आधार पर कर सकें, यदि हम निश्चय कर सकें कि सम्मान और अधिकार केवल उन को हा मिलेंगे जो शानी, आत्मत्यागा, और जनसेवक हैं; तथा विलासी घन बटोरने वालों को कमा न दिये जायेंगे; जैसा वर्ण धर्म के द्वारा प्राचीन समय में निरोध किया जाता था; तो व्यक्तिवाद और स्वाथवाद और उन सब 'वादों' का अन्त हो जायगा, जो पच्छिम का नयी वैज्ञानिक सभ्यता को वैज्ञानिक राक्षसता और दुर्बल-पीड़क बर्बरता बनाये हुए हैं। ऐसा होने से मनुष्यता का, इन्सानियत का, भाव पुनः उदित होगा, तथा हमारे सब प्रश्नों का सुलभाव आप हा हो जायगा; क्योंकि जब भाव शुद्ध हो जायगा, जो निलासिता और घनप्रियता से सम्मान और आज्ञाशक्ति को अलग कर देने से अवश्यम्भावा है, तो सब बातें आप ही सुधर जायेंगी। जब कर्मों का प्रेरक चित्त, शुद्ध और ज्ञानवान् है, तब कर्म अवश्य ही शुद्ध और सुख संचारक होंगे।

आज जाति और उपजाति का पंचायतों के मुखिया भूल गये हैं कि उन का कर्तव्य, अपनी-अपनी सीमा के भीतर, अपना बिरादरी की सेवा सहायता करना है। इस की जगह, वे भोजन, विवाह, और छूतछात के मामिलों में, उन की राय से जरा भा प्रतिकूल काम करने वालों को जातिच्युत कर के, अपनी अधिकार-शक्ति का रस ले रहे हैं। सर्वत्र अधिकार का अर्थ हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का; दूसरों को दबाने, दुःख देने, में ही शक्ति का रस माना जाता है, सुख देने में शक्ति क

उत्तम महत्तम स्वाद होता है—यह भूल गया है।

तीन मूढग्राह

(१) अन्तर्वर्णा-भोजन-विषयक मूढग्राह तो अब उन लोगों में से अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है। दक्षिण भारत में अभी नहीं मिटा है। वर्तमान अवस्था के दबाव से, विशेषतः व्यवसाय कर्म और मनोरञ्जन के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने से, अधिकाधिक घटता जा रहा है। (२) स्पर्शास्पर्श के सम्बन्ध का मूढग्राह भी नष्ट हो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को कानून की सहायता चाहिये, क्योंकि बहुत से चिराम्यस्त स्वार्थ और कालपोषित हक इस में बाधक हो रहे हैं। साथ ही इस भाव के प्रचार की भी आवश्यकता है, कि मल अस्पृश्य है, मनुष्य अस्पृश्य नहीं। (३) अन्तर्वर्णा-विवाह सम्बन्धी मूढग्राह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी अधिकारों से और 'अदालती मुआमिलों' से है। इस लिये इस विषय में खास कानून को आवश्यकता है, जैसा कि इस उपरिष्कृत विधान द्वारा बनाने का उद्योग किया गया है।

इन तीनों मूढग्राहों का उन्मूलन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धान्त, सूत्ररूप से, इस सुप्रसिद्ध संस्कृत वाक्य में कहा हुआ है—

समान-शील व्यसनेषु सख्यम्

सच्ची मित्रता उन में ही सम्भव है, जिन के आचार-विचार, शील-स्वभाव, एक से, वा अ-विरोधी, परस्पर सहायक होते हैं।

देशकाल-अवस्था के परिवर्तन से धर्म-परिवर्तन

केन्द्रीय धर्मशास्त्रात्री सभा, धर्मपरिषत्, 'लेजिस्लेटिव असेम्बली,' 'सेन्ट्रल लेजिस्लेचर' में इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई जगह सार्वजनिक सभाएं हुईं। उस के सभापतियों और मन्त्रियों के हस्ताक्षर से सभाओं के निश्चयों की प्रतियाँ मेरे पास आईं। समाचार पत्रों में कुछ लेख भी छपे। निश्चय ही, लेख भी, कुछ विरोधी हैं, कुछ समर्थक। ऐसी ही आशा थी। कुछ समर्थकों ने परामर्श भी दिया, कि उपन्यस्त

१ Legislative Assembly; Central Lagislature.

विधान में ऐसी-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देना चाहिये। अन्तर्वर्ण विवाह के सम्बन्ध में इस समय जो कानून मौजूद हैं, उनका हवाला देकर कुछ सज्जनों ने यह लिखा कि नये कानून का जरूरत नहीं मालूम होती।

इन लेखों पर मैंने आदर से ध्यान दिया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वर्तमान विधानों में कई ऐसी शक्तें हैं, जो ऐसे कुछ सज्जनों को ग्राह्य नहीं हैं जो अन्तर्वर्ण-विवाह करना चाहते हैं। वर्तमान विधानों में केवल हिन्दू धर्म की ही चर्चा नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों की भी है; तथा उन के अनुसार, ऐसे लोगों को जो अन्तर्वर्ण विवाह करना चाहते हैं, या तो यह करार करना पड़ता है कि हम किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं हैं; या, यदि वे हिन्दू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई हक छोड़ देने पड़ते हैं; यथा, यदि अविभक्त कुल के अंग हैं तो कुल से उनका सम्बन्ध कट जायगा; उन के पिता को दूसरा लड़का गोद लेने का हक हो जायगा; उनको स्वयम् गोद लेने का हक न रहेगा; उनको सन्तान को सिर्फ उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक 'इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट' के अनुसार होगा, स्मृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार नहीं; उनको सन्तान को अपने दादा आदि की जायदाद में स्मृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार अधिकार न होगा; उनको किसी धर्मदाय या सम्पत्ति के प्रबन्ध का अधिकार न रहेगा; कुल-देवता के मन्दिर में पूजा नहीं कर सकते; कुल के स्थापित देवत्र ('ट्रस्ट') की समिति के सदस्य नहीं हो सकते; इत्यादि। जिन सज्जनों को यह शक्तें मजूर हों, उनको लिये तो वर्तमान विधानों का रास्ता खुला है, और वे उस पर चल सकते हैं और चलेंगे। पर कुछ सज्जन ऐसे हैं जो अपने कुल कुटुम्ब से कानून सम्बन्ध-विच्छेद करना, और स्मृत्युक्त दाय-विभाग के और दत्तक पुत्र को गोद लेने आदि के अधिकार का त्याग करना, नहीं चाहते; 'हिन्दू' होने के नाते जो अधिकार-कर्तव्य उनको प्राप्त हैं उन सबको बनाये रखना चाहते हैं, सर्वथा 'हिन्दू' बने रहना चाहते हैं, केवल अन्तर्वर्ण-विवाह की अनुमति चाहते हैं। ऐसे लोगों के अभीष्ट की पूर्ति के

लिये यह सीधा सादा विधान, श्री विठ्ठलभाई पटेल जी ने प्रस्तुत किया था, और मैं ने उन का अनुकरण कर के पुनर्वा प्रस्तुत किया । जहाँ तक मैं विचार सका हूँ, इस विधान से किसी को कोई हानि नहीं होती है, प्रत्युत कुछ सज्जनों की अभीष्ट-सिद्धि होती है, और, 'दीर्घं पश्यत, मा ह्रस्वं, पर पश्यत माऽपरम्' के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम संप्रथन, उपोद्बलन, दृढीकरण का आरम्भ होता है । इस लिये हिंदू समाज के विविध समुदायों के नेताओं से मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस पर शान्तिपूर्वक विचार कर के इस विधान को आर्शावाद दें, कि हिंदू समाज के राजयत्नमा ल्यरोग को दूर करने के लिये, अति वार्यवान् औषध का यह काम करे । जरूर है कि बहुत दिनों से जिस बात का, जिस दस्त्र का, अभ्यास पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुत हिचकता है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचारशील पुरुष, पुराने संस्कार को बदल कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं । श्लोक प्रसिद्ध है,

अश्वमेधं, गवालम्भं, संन्यासं, पलपैतृकं,
 देवराच्च सुतोत्पत्तिं, कलौ पंच विवर्जयेत् ;
 निवृत्तानि पंचाऽपि, व्यवस्थापूर्वकं, बुधैः,
 दृष्ट्वा कालगतिं सम्यक् कलेर् आदौ महात्मभिः ।

* अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, श्राद्ध में मांस का पियडदान, देव से विधवा को सन्तान—इन पाँच बातों को, जो पहिले धर्म्य थीं, जायज थीं, कलि के आरम्भ में, बुद्धिमान् महात्माओं ने, काल की गति को अच्छी तरह विचार कर के, मना कर दिया । तिस पर भी संन्यासी आज तक होते ही हैं, और उन में कोई कोई, सी दो सौ में एक, सच्चे तपस्वी ज्ञानी बृद्ध भी होते हैं, जिन की तपस्या के बल से भारतवर्ष का आध्यात्मिक प्राण अभी तक बचा हुआ है । तथा अश्वमेध भी होते ही रहे हैं । कलि के आरम्भ से प्रायः तीन हजार वर्ष पीछे, समुद्रगुप्त ने काशी में अश्वमेध यज्ञ किया, उस के अश्व की पाषाण मूर्ति अब तक, प्रायः पन्द्रह सौ वर्ष पुरानी, संकटमोचन हनुमान्

के मन्दिर के सामने वर्तमान रही है'; इस का पता श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' की स्फूर्तिमती बुद्धि ने, उस मूर्ति पर खुदे, अधिकांश मिटे हुए, अक्षरों को पढ़ कर लगाया। और भी ऊपर कह चुके हैं, कि हिन्दू कहलाने वाले समाज में कोई ऐसा आचार (सदाचार वा दुराचार) नहीं है जो, किसी न किसी समुदाय-विशेष में, किया न जाता हो। संन्यासी स्वामी भावानन्द तीर्थ के, अनशन व्रत से, शरीर-त्याग को भी मैंने १८८८ ई० में, काशी में, केदार-घाट पर, गंगा के तीर पर, देखा है, जिस से बढ़ कर किसी पुराणोक्त ऋषि की तपस्या नहीं हो सकती। तथा सब प्रकार की पशुबलि, साक्षात् गो-मेघ नहीं तो महिष-मेघ, अज-मेघ, अवि-मेघ, कुक्कुट-मेघ आदि भी जारी हैं; यहाँ तक कि 'अघोर' पन्थियों में, विष्ठा-भक्षण, मूत्रपान, नर-शव-भक्षण, और अक्सर मिलने पर नर-बलि-दान भी, हो रहा है; वाममार्गी द्विजों में भी पंच 'मकार' का सेवन प्रसिद्ध है; विवाह के विषय में सभी चाल की प्रथा की प्रथित है; दक्षिण में सगे/ भाई-बहिन के बेटा-बेटी का, अर्थात् सगे फुफैरे-ममेरी भाई-बहिन का, तथा मामा और भाजो का भी, परस्पर विवाह बहुत होता है. (जैसा कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और उन के मामा रुक्मी की बेटी का हुआ); उत्तर में यह घोर अनाचार समझा जाता है; नीच कहलाने वाली 'हिन्दू' जातियों में, देवर से, जेठ से, श्वशुर से, जामाता से भी, तथा अन्यों से, विधवाओं के विवाह आज हो रहे हैं; पत्नियों का विनिमय, बदलौवल, भी होता है। शाबर-भाष्य में और तन्त्रवार्त्तिक में और भी बहुत से विशेष प्रान्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं। दाय के सम्बन्ध में, उत्तर भारत में मिताक्षरा का कानून, पूर्वभारत बंगाल में जीमूतवाहन का कानून, त्रावणकोर कोचीन आदि मालाबार प्रान्त में 'नराणां मातुल-क्रमः,' अर्थात् बेटे को नहीं, भाजे को जायदाद मिले, जारी है। पर सभी 'हिंदू' धर्म और 'हिंदू' समाज के अन्तर्गत हैं। 'शास्त्र' 'शास्त्र' की दुहाई तिहाई बहुत दी जाती है, पर प्रत्येक समुदाय

१ अब यह अश्व-प्रतिमा, संकटमोचन से हटा कर, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कला-भवन में रख दी गई है।

५३० 'हिन्दू'-धर्म मे अति उत्कृष्ट तथा अति पापिष्ठ बातों का 'संकर'

अपना 'शास्त्र-विशेष' अलग रखता है, और उस से अपने 'आचार-विशेष' का समर्थन करता है। ऐसी 'सर्वमेवसांकुलीकृतं' की अवस्था में, जब सब प्रकार की मर्यादाओं का ऐसी संकर हो रहा है कि 'निर्मर्यादम् अवर्तत', तब केवल शब्दों को पकड़े रहना, अर्थ को न देखना, ठीक नहीं। गम्भीर विचार कर के मर्यादा का ऐसा संशोधन करना चाहिये जो लोकसंग्राहक हो, लोकविग्राहक, भेदवर्धक, न हो। केवल 'धर्मनाश' 'धर्मनाश' पुकार कर के ही विधान का विरोध करना उचित नहीं। अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। धर्मनाश तो वर्तमान प्रथाओं से हो रहा है। उपन्यस्त विधान सद्धर्मरक्षा करने का उपाय है। पुनः पुनः विपत्नी सज्जनो से प्रार्थना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये कि, जितना आप कहते हो कि आप को 'धर्म' प्रिय है, उस से किसी तरह कम प्रिय मुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है; पर हां, धर्म क्या है, इस विषय में आप के और मेरे विचार में कुछ अन्तर है; उस अन्तर को, मैं, आप के सामने, अपना विचार, नितान्त विनय से रख कर, मिटाना चाहता हूँ।

पुराणम् इत्येव न साधु सर्वं,
न चापि काव्यं नवम् इति श्रवणं;
संतः परीक्ष्य ऽन्यतरद् भजंते,
मूढः पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धिः ।

(कालिदास, 'मालविका-अग्निमित्र') ।

सब पुराने ही काव्य अच्छे हैं, सब नये काव्य बुरे हैं, यह ठीक नहीं; मले आदमी जांचते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, और अच्छे को अपनाते हैं; मूढ़ लोग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं; आभाणक भी प्रसिद्ध है—
तातस्य कूपोऽयं इति ब्रुवाणाः

चार' जलं कापुरुषाः पिबन्ति ।

पिता का बनाया हुआ कूआ है, ऐसा कहते हुए, वे ही आदमी खारा पानी पीते हैं, जो निरुद्यम, अशक्त, आलसी हैं; उत्साही पुरुष नया कूआ बना कर, मीठा पानी निकालते और पीते हैं।

सो मैं तो कोई नयी बात भी नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास से मानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है, उसी को आप के सामने कहता हूँ। आदि काल के वेद-पुराण-सम्मत तात्विक धर्म का, शुद्धरूप से, पुनः प्रतिष्ठापन चाहता हूँ। चारो ओर रहन सहन बदल रहा है, और निर्मर्यादाता, उच्छ्रंखलता, स्वच्छन्दता की लहर उठ रही है। उस सर्व-संकर की दशा में, सन्ची वर्णव्यवस्था के प्रतिष्ठापन का यत्न, अपनी अत्यन्त लुप्त शक्ति भर कर रहा हूँ, और इस कार्य में सब विचारशाल-सज्जनों से सहायता की प्रार्थना करता हूँ।

यह मानता हूँ कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है। किस उत्तमोत्तम 'परिदा' के दुरुपयोग का भय नहीं है ?

कृष्ण भगवान् ने कहा है,

सर्वारम्भाः हि दोषेण धूमेन अग्निर् इव ऽवृताः ।

इस वाक्य के भीतर बैठे हुए अथ को पूरा अभिव्यक्त करने के लिये यह व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है, अर्थात्,

तथैव गर्भिताः सर्वे गुणैर्धूमो यथा ऽग्निना ।

सभी कार्यों में कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष। द्रुद्धमय संसार है। अग्नि के साथ धूम लगा हुआ है, तो धूँएँ के साथ अग्नि भी। एक समय में उसी कार्य से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय में दोष; जैसे 'अश्वालम्भ' आदि में, जिन की चर्चा ऊपर की गई। मर्यादा-स्थापक शासक का, और उस के परामर्शदाता निस्स्वार्थी अनुभवी विद्वानो का, यह काम है, कि सदा सावधान हो कर देखते रहें कि किस मर्यादा से, जिस से पहिले गुण अधिक निकलते थे, अब दोष अधिक पैदा होने लगे हैं, और तब उस को बदल कर दूसरी मर्यादा स्थापन करे। धर्म-परिषत्, 'लेजिस्लेचर', 'मज्लिसि-कानून' का एकमात्र यही कर्तव्य है। सो अब चातुर्वर्ण्य की मर्यादा के तीन हजार उपो-पो-पो-पो-जातियो में बिखर जाने से, निश्चयेन ऐसी दशा आ गयी है कि, यदि चातुर्वर्ण्य का सर्वथा नाश इष्ट न हो, उसे बचाना मंजूर हो, तो यह नया विधान स्वीकार करना चाहिये।

एक विवाह, तथा विवाह-सम्बन्ध के विच्छेद, के विषय में विचार

कुछ सज्जनों ने यह सूचना की है कि उपन्यस्त विधान में ऐसी शर्त बढ़ा देनी चाहिये जिससे एक पत्नी के जीवन-काल में, इस विधान के अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष-विशेष कारणों से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा। बम्बई प्रान्त के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के 'लीडर' अखबार में, निकला था, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बम्बई प्रान्त में कई ऐसे विवाह हुए हैं जिनमें, पहिले बाल्यावस्था में ब्याही अनपढ़ पुराने चाल की सीधी सादी पत्नी मौजूद होते हुए, उन के पत्तियों ने, नयी 'ग्रेजुएट' (बी० ए० आदि पास) स्त्रियों के लोभ में पड़ कर, इनसे ब्याह कर लिया है, और पहिली पत्तियों का त्याग कर दिया है, जिससे वे घोर कष्ट में पड़ी हैं। इस बात पर मैंने बुद्धि भर, शक्ति भर, ध्यान दिया; मित्रों से भी सलाह की; अन्त में मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में विवाह-विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शर्त बढ़ाने से कोई लाभ न होगा, प्रत्युक्त हानि होगी।

विवाह-विच्छेद

पहिले, विवाह-विच्छेद-विषयक विचार लिखता हूँ। विवाह-विच्छेद के लिये कोई शर्त रखना उचित नहीं जान पड़ता। जो स्त्री पुरुष अन्तर्वर्ण विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः प्राप्त-वयस्क, बालिया, सयाने, होंगे, "सारडा ऐकूट" में बाधी उमर की हृद की (कन्या १४ वर्ष और वर १८ वर्ष से कम न हो) पार पहुँचे होंगे। जब ऐसे स्त्री-पुरुष, स्नेह प्रेम से, विवेक-पूर्वक, आँख खोल कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार की विधि से विवाह करे, तब उन की प्रेमशाला के द्वार पर सम्भवी विच्छेद का विकराल पहरुआ पहिले से खड़ा कर देना कदापि ठीक नहीं। इस विवाह-संस्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्यात्मिक आदर्श और प्रभाव है, कि न केवल इसी जन्म में, अपितु 'आवयोः सर्वदा संगो भवेत् जन्मनि जन्मनि' हम दोनों का जन्म-जन्म में साथ रहे, यह आत्मोत्कर्षक भाव, इस विकट

चौकीदार को देखते ही भाग जायगा । यह भी याद रखने की बात है, कि विवाह की हृदय-ग्रंथि को काट देने वाली 'तलाक' 'त्याग' 'डाइवोर्स' की तलवार दुधारी है, और जो धार स्त्री की ओर है वही अधिक निशित है, उस से स्त्री की ही अधिक हानि होने का भय है; 'न पुनरेति गतं चतुर चयः,' 'अचिरस्थायि यौवनम्', 'वयसि गते कः कामविकारः', पुरुष की अपेक्षा स्त्री के रूप में जीर्णता जल्दी और अधिक आ जाती है, और विगत-यौवना स्त्री के पुनर्विवाह में कठिनाई होती है । यदि इस हानि से उस की रक्षा करना है, तो उस की जीविका का भार, विच्छिन्न पति के ऊपर डालना होगा; तब नया भय उत्पन्न होगा, जैसा समाचार-पत्रों और पुस्तकों के देखने से मालूम होता है, कि अमेरिका आदि देशों में यह दशा उत्पन्न हो गयी है, कि अकसर जवान स्त्रियाँ, धनिकों को फुसला बहला कर, उन से ब्याह कर लेती हैं; फिर मिथ्या बहानों से तलाक कर के, अदालतों की दिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अच्छी बँधी रकमें, माहाना या सालाना, वसूल करती हैं, और मनमाना भोग विलास और चैन, 'गिगोलो' पुरुषों (नर-वेश्याओं, विटों) के साथ, करती हैं । छपी पुस्तकों और समाचार-पत्रों से मालूम होता है कि अमेरिका के बड़े शहरों में तो अब यह नौबत आ गयी है, कि सौ विवाह पीछे पचास में तलाक होता है, और समग्र 'युनाइटेड स्टेट्स' का अनुपात, सात विवाह पीछे एक तलाक, यानी पंद्रह फी सदी है । यह सब दशा तो अपने विधान के लक्ष्य के नितरां विरुद्ध है । अपना मंशा तो यह है कि पति-पत्नी का, कुल-कुटुम्ब का, समस्त हिन्दू समाज का, परस्पर सम्बन्ध अधिक दृढ़ हो, न कि शिथिल । त्यागों तलाकों की वृद्धि से तो यह सम्बन्ध, व्यूहन, ग्रंथन, बहुत दुर्बल हो जायगा ।

ज़रूर है कि बीच-बीच में ऐसे मामिले होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, जिन में पति-पत्नी में किसी कारण से अनबन हो कर सहवास असह्य हो जाता है । पर 'सर्वारम्भाः हि दोषेण', 'नास्ति कोऽपि खलु तादृग् उपायः सर्व-लोक-परितोष-करो यः', कोई भी प्रबन्ध किया जाय, ऐसा नहीं होगा कि उस से सुख-ही सुख निकले, कोई उपाय ऐसा नहीं है जो सब मनुष्यों

का एक साथ संतोष कर सके। मेरी समझ में यही आता है कि, त्याग-तलाक़ को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक कष्ट है, और दुष्कर बनाने में कम। बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ट की राह पकड़ी जाय। समाज के आगे यही आदर्श सदा रखे रहना अच्छा है, कि जो स्त्री-पुरुष परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, धार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, अथ किम् उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है, उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के संमर्षण से, परस्पर गुणोद्बोधन और दोषाच्छादन से, सदा बुद्धिपूर्वक बढ़ाते रहने का यत्न करना है, और सन्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत कुछ त्यागना है—ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि छिछोरी, लुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की क्षणिक काम-वासना को पूरा करने के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने के लिये, आज विवाह और कल अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक़ के लिये। इस प्रकार की अति तृप्ति और परस्पर ग्लानि उन लोगों के चित्तों में बहुत जल्दी आ जाती है, जो स्त्री-पुरुष के विवाह में कोई आध्यात्मिक भाव, रूहानी जज़्बा और फ़ायदा, 'स्परिचुअल वैल्यू', नहीं देखते, प्रत्युत उस को केवल शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते हैं, तथा, आज के समय में प्रचलित, पश्चिम देश में आविष्कृत, नूतन उपायों से अतिमात्र सन्ताननिरोध कर लेते हैं। निश्चयेन अति संतान से भी अति कष्ट होता है; पर अतिमात्र सर्वथा सन्ताननिरोध से, स्त्री पुरुष दोनों की प्रकृति स्वार्थमय और द्रोहमय हो जाती है, जिस से अधिकतर कष्ट अन्ततो गत्वा होता है। यदि पश्चिम की दासता में पड़ जाने के कारण, इस देश के भाग्य में यही लिखा है कि यहाँ भी यह सब अति-तीव्र अनुभव, दुःख के (भी, तथा सुख के भी, पर सुख के बहुत कम, दासता के कारण), भोगना लाज़िमी है, तो भोगे जायेंगे। पर इस उपन्यस्त विधान को ऐसे अनुभवों का साधन बनाना उचित नहीं है। उचित यही है कि विवाह-सम्बन्ध का और कौटुम्बिक जीवन का, वही प्राचीन वैदिक, आध्यात्मिक,

धार्मिक, सांस्कारिक आदर्श यहाँ बना रहे; पाश्चात्य देशों का भाव नहीं, कि विवाह केवल लौकिक, अधिभौतिक, सात्विक, (संवित्-सम्बन्धी, मोआहिदी, ‘कांट्रैक्टुअल’), या सांकेतिक, सामयिक, ‘श्रौपयिक’ (सीता ने कहा है, “नऽहं श्रौपयिकी भार्या”, शारीर कामवेग को तृप्त करने की उपाय-मात्र), ‘पाणिक’, वाणिजिक, (आपस के संकेत, समय, ‘पण’, वाणिज्य, ‘विजिनेस-कांट्रैक्ट’, लेन-देन, तिज्जारती कौल करार, मुआहिदा की बात), ‘अपरस्पर-सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्” (गीता), व्यवहार है। इस नवीन पाश्चात्य भाव से हमारा कल्याण नहीं।

भारतवर्ष की प्राचीन धारणा इस विषय में यह है कि, जैसे चिनगारी का (आजकल दियासलाई का) कार्य इतना ही है कि वह दीपक बाल दे, वैसे ही दो शरीरों के विवाह और क्षणिक ‘रति’ का प्रधान कार्य यह है, कि दो हृदयों में, चित्तों में, जीवों में आध्यात्मिक स्नेह प्रीति के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्योतक दीपक बाल दे; ‘अग्निहोत्र’ के ‘गार्हपत्य अग्नि’ को बालना और बलते रखना—इस का भी एक अर्थ यह भी है।

न गृहं गृहमित्याहुः; गृहिणी गृहमुच्यते ;

न गृहेण गृहस्थः स्याद्, भार्याया कथ्यते गृही ;

यत्र भार्या गृहं तत्र, भार्याहीनं गृहं वनं ।

एतावानेव पुरुषः यज्जायाऽऽत्मा प्रजा इति ह ;

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना (मनु०);

घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं; घर से घरवाला नहीं होता; जहाँ भार्या नहीं वह गृह भी वन है। अकेला पुरुष, पुरुष नहीं; पिता, पत्नी, पुत्र, तीनों मिल कर पूरा पुरुष बनता है।

सब धार्मिक सम्प्रदायों में सब से पवित्र और मीठे नाम हैं—‘जग-पिता’ परमेश्वर, ‘जगज्जननी’ प्रकृति; दोनों का ‘अपत्य’, मानव है।

पिताऽहं अश्य जगतः, माता, धाता, पितामहः। (गीता)

इसी हेतु से मनु की आज्ञा है कि पिता, माता, प्रजा, तीनों मिल कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनों खंडित

असम्पूर्णा रहते हैं; तत्रापि विशेष कर पति-पत्नी एक ही हैं, जो वह सो वह, उन मे भेद नहीं, परस्पर अर्धांग-अर्धांगिनी । ऐसे आदर्श के साथ, आरम्भ मे ही, परस्पर त्याग-तलाक के सम्भव को लगा देना, किसी प्रकार उचित नहीं जान पड़ता । 'प्रथम-कवले मद्धिकापातः' ।

हा, जो ऐसी ही विशेष कर्कश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का किसी प्रकार परस्पर निर्वाह नही ही हो सके, तो उन के लिये स्वयं स्मृतियों ने, उत्सर्ग के अपवाद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था मे वैवाहिक ग्रन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन इन दोषों से, विवाह-बंध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवस्थाओं मे विच्छिन्ना पत्नी का भी भरण पोषण कराया जाय । यदि बिरादरियों की पंचायतें अपना कर्तव्य सच्ची नेकनीयती और धर्मबुद्धि से करने लगे, और उक्त स्मृतियों के वाक्यों से काम लेवें, और स्त्री, पुरुष, और अपत्यों के हकों की, और जीविका की, उचित रक्षा का प्रबन्ध कर के, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी विशेष असह्य दशाओं मे, विच्छेद कर दे, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे ।

वर्तमान अवस्था मे जब सब प्रकार के अधिकार गवर्मेंटी नौकरों और कचहरियों के हाथ मे आ गये हैं, इस विषय मे अदालतें बहुत कुछ सहायता दे सकती हैं । यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग, बिना उचित कारण के, कर दिया है, तो अदालत का काम है कि उस स्त्री को पति से पर्याप्त जीविका दिलावे, बिना इस शर्त के कि पत्नी खाह-म-खाह अपने पति के साथ सहवास करे । और ऐसे निर्णय करने मे प्राङ्ग्विका, मुजव्विज, को उस बिरादरी की पंचायत के वृद्ध स्त्री पुरुषों से सहायता मिल सकती है, जो उन स्त्री-पुरुष की रहन-सहन से वाकिफ हों । पर यदि सारे देश की मानस हवा बिगड़ी है, भाव दूषित हैं, और स्वयं न्यायाधीश ही निष्पत्त नहीं हों, और पहिले से ही मन मे निश्चय कर लिये हों, कि स्त्रियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ ही ऐसे मामिलों मे निर्णय करना चाहिये, तब तो कितनी भी सूक्ष्मेच्छिका कर के कानून के शब्द फूँक फूँक कर रखे जाँय, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिवा इस के

कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों की खींचा-तानी तोड़-मरोर की जाय, वकीलों की बहसों और लम्बी हों, तजवीजें और बग़ादा लंबी लिखी जाँय, वादी-प्रतिवादी फरीक़ैन की और ज्यादा बरबादी, अदालतों रसूम और अहलकारी शुक्राना और ज़ब्राना और वकीली मिहनताना देते देते, और ‘ला-रिपोर्ट्स’ का हजम, परिमाण, अधिक भारी हो। एक ऐसा मुक़द्दमा हाल में, काशी में, हुआ है जिस में, एक मृत सब-जज को विधवा को उस के सौतेले बेटे के खिलाफ़, केवल पांच रुपया मासिक ‘नान-व-नफका’, ‘रोटी कपड़ा’, की डिक्री, एक ज़िन्दा सब-जज ने दी, यद्यपि मृत सब-जज ने कई लाख की जायदाद छोड़ी थी।

ऐसी वजहों से यही मुनासिब मालूम होता है कि विवाह-सम्बन्ध तोड़ने या न तोड़ने का निश्चय, स्त्री-पुरुष के शुभचिन्तकों और रिश्तेदारों की पंचायत पर ही छोड़ना चाहिये; कचहरियों पर नहीं। जब ऐसी पंचायत (जिस में आदत सम्मानित अनुभवी कुटुम्बिनी महिलाओं को अवश्य सम्मिलित होना चाहिये) निर्णय कर दे, कि स्त्री का दोष नहीं और पुरुष ऐसा नालायक है कि उस के साथ स्त्री का रहना असम्भव है, और स्त्री के जीवन के निर्वाह के लिये पुरुष को इतना इतना मासिक या वार्षिक देना चाहिये, और पुरुष इस फ़ैसले को न माने, तब स्त्री अदालत में भले ही उसी फ़ैसले के भरोसे, नान-व-नफका की नालिश कर सकती है, और मुजव्विज को जब तक कोई खास सबब उस पंचायती फ़ैसले के खिलाफ़ मालूम न हो, उसी के अनुसार डिक्री देना चाहिये। यदि पंचायत के सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, पति का नहीं, तो पति उस को अलग कर दे सकेगा, और दूसरा विवाह करने की अनुमति भी पा सकेगा; किंतु यदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देना रहेगा। काशी की एक ऐसी बिरादरी में, जिस में से चिरकाल से बहुत विवाह को प्रथा उठ गई है, कुछ वर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो गया जिस से वह बिल्कुल अपाहज हो गई, चारपाई से उठने योग्य न रही; पंचायत से अनुमति ले कर उस युवा ने उसी की छोटी बहिन से विवाह

कर लिया और उस की भी बीमारदारी अंत तक करता रहा ।

पहिले लिखा गया है कि भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही था कि पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे । प्रसक्त अधिकरण के अन्त मे पुनः कुछ वेद-मंत्रों का उद्धरण करता हूँ। जन से भी यही आशय निकलता है कि कम-से-कम इस जन्म मे तो विवाह का विच्छेद न हो—

ध्रुवा द्यौः, ध्रुवा पृथिवी, ध्रुवं विश्वं इदं जगत,
ध्रुवा सपर्वता मही, ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयं ।
इह धृतिर्, इह स्व-धृतिर्, इह रतिर्, इह रमस्व;
सयि धृतिर्, मयि स्वधृतिर्, मयि रमो, मयि रमस्व;
यद् एतद् हृदयं तव, तद् अस्तु हृदयं मम,
यदिदं हृदयं मम, तदस्तु हृदयं तव,
अन्नपाशेन मणिना, प्राणसूत्रेण पृथिनना,
अध्नामि सत्यग्रन्थिना, मनश्च हृदयं च ते । (वे०)

जैसे आकाश, पृथ्वी, यह सब विश्व, पर्वत-सहित मही, ध्रुव हैं, वैसे पति के कुल मे पत्नी ध्रुव हो, स्थिर हो। यहीं तुम धृतिमती हो, अपने को, आत्मा को, पहिचानो, और उस मे निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक-दूसरे मे रमे, मेरा तुम्हारा हृदय एक हो, अन्न के, मणियों के, विविध गोधन के, सूत्रों और पाशों से तुम्हारे और अपने मन को और हृदय को, सत्य की गाँठ मे बांधता हूँ ।

एक-विवाह की व्यवस्था

बम्बई तथा अन्य प्रान्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों के प्रलोभन से अपनी पहिली बाल्यावस्था की ब्याही अशिक्षित पत्नियों का, निर्दयता से, त्याग कर के, उन के जीते जी, नवशिक्षित स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं; और स्त्रियाँ भी, नवशिक्षित होती हुई भी, पहिली पत्नियों की मौजूदगी और उन के त्याग का हाल जान कर भी, ऐसे ब्याह कर लेती हैं— ऐसा अनाचार अ-सद्-आचार अवश्य ही अनिष्ट है, सत्पुरुषों के आचार के विरुद्ध है । भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही है कि यदि माता वा अन्य गुरुजनो, वृद्धों, अपने शुभचिन्तकों, की भूल से भी, बाल्यावस्था मे

किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है जिस से आगे चल कर यौवन-काल में पुरुष का मन नहीं भरता, तौ भी उस का निर्वाह करना ही चाहिये, अपने मन का निग्रह करना ही चाहिये; उस पत्नी को ईश्वर की सौंपी धरोहर समझ कर अपने मनोऽनुकूल बनाने की, शिक्षित-संस्कृत करने की, उसको ईश्वरकृत अपनी परीक्षा का उपकरण मान कर, अपने और उसके, दोनों के, आत्म-विनयन की कोशिश करनी चाहिये। आदर्श तो यह है। पर इस आदर्श को व्यवहार में लाने के लिये, स्वयं पुरुष को बहुत ऊंचे दर्जे का सुसंस्कृत, सुशिक्षित, अध्यात्म-विश्वासी होना चाहिये। ऐसे लोग, विशेषकर नयी पाश्चात्य शिक्षा और भावों के प्रभाव से, कम होते जाते हैं। ‘वं अद्य-कपोतः, श्वो-मयूरात्’, ‘ए बर्ड इन् दि हैंड इज़ वर्थ टू इन् दि बुश’,^१ यह न्याय संसार में अधिकाधिक जोर कर रहा है। ‘आज का चैन साधो, कल की कल देखी जायगी’; हिन्दी के कवि भी कह गये कि ‘खाये खरचे जो बचै तो जोरिये करोर’, यद्यपि यह भी उनको कहना चाहता था कि ‘खरचै जो बिनु समुझ तौ जाय कुबेर निचोर’। निष्कर्ष यह कि ऊंचा आदर्श सामने तो रखना ही चाहिये, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही गिरते जायंगे; पर यह भी याद रखना चाहिये कि ऊंचे आदर्श के पास पहुँचना कठिन है; ‘मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्’ ही कर सकता है। इस लिये मध्यम श्रेणी की प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवहारतः करने से अधम तो मध्यम की ओर खिचेंगे, और मध्यम को उत्तम, अपनी ओर, स्वभावतः खींचते रहेंगे; उत्तम के लिये विशेष विधि निषेध का प्रयोजन नहीं है।

इन मूल सूत्रों (सूचनात् सूत्रम्) ‘प्रिसिपल्स’^२ (‘प्रिसिपियम्’ आदि, अस्ल, मूल) सिद्धांतों को मन में रख कर यह विचारना चाहिये कि इन से प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिये क्या व्यावहारिक सूचना मिलती है। वस्तु-स्थिति को पहिले निश्चय करना चाहिये। जिस प्रकार के द्वितीय विवाहों की बगई प्रांत के सज्जन ने चर्चा की, क्या वैसे मामिले बहुत होते हैं ?

१ A bird in the hand is worth two in the bush.

२. Principles,

यदि बहुत होते हैं तो, उपन्यस्त विधान मे एतद्विषयक निषेध की शर्त न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएं और भी बढ़ेंगी ? इन दोनो उप-प्रश्नों का यदि उत्तर हो कि हां, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त विधान मे संशोधन करना उचित होगा; अन्यथा नहीं । जहां तक जाच-खोज कर सका हूँ, ऐसा विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं है, कि ऐसे द्वितीय विवाह बहुत होते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन की संख्या बढ़ेगी ।

नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले हिंदू समाज की दृष्टि से बनाना चाहिये । सौ दो सौ, या हजार दो हजार भी, ऐसी घटना हों, जो सचमुच ‘अपवाद’ रूप हैं तो, उन की बुनियाद पर एक नया ‘उत्सर्ग’, नया नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोटियों की प्रगति और उन्नति मे कुछ भी बाधा पड़े ।

इस समय, हिन्दू समाज और हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षय-रोग की सब से उत्तम औषध और उनका एक मात्र अभीष्ट साध्य, यही जान पड़ता है कि, अंतर्वर्ण-विवाह, धर्म्य, जायज, प्रामाणिक, धर्माविरुद्ध सिद्ध हो जाय । इस मेषज के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और प्रयोग मे कुछ भी संकोच, कुछ भी प्रतिबंध, पड़ जाय ।

हिंदू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुत से अनाचार हो रहे हैं, जैसा कई वेर पहिले कह चुका । सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के कुलीन ब्राह्मणो मे, पुरुषो के पचास-पचास और सौ-सौ स्त्रियों से विवाह होते थे । युवावस्था मे मै ने, पचास वर्ष पहिले, एक सामाजिक हिन्दी पुस्तक मे पढ़ा था, कि कुछ समय पहिले, एक कुलीन के अस्ती और एक के डेढ़ सौ विवाह हुए थे । ऐसे ‘भाग्यशाली’ जामाताओं की जीविका ही यह होती थी कि श्वशुरालयो मे दो-दो, चार-चार, आठ-आठ दिन ठहरते हुए, भोजन-मैथुन करते हुए, अपनी उमर बिता दें । पत्नियाँ पति के घर मे नहीं, पिताओं के घर मे ही रहती थीं । बहुत वर्ष हुए एक सजन मित्र से सुना कि वे बम्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के पुरुष से बातचीत चली; ‘बम्बई तो बड़े रोजगारियों धनवानों का शहर है, कौन

सब से अधिक सुखी है ?; बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'मगरू ग्वाला का नर-भैंसा और वल्लभ-कुलियों का गुरु 'महराज'; नित्य उत्तम भोजन और नित्य नया मैथुन—यह सुख इन्हीं दो को है'। मध्य युग मे बहुतेरे ईसाई पादरियों का यही हाल था; विवाह नहीं करते थे, अनुयायियों के घरों मे व्यभिचार मनमाना। काल के प्रवाह से यह सब दारुण अनाचार कम होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के दुराचार पैदा होते जाते हैं। राजा रजवाड़ों मे अब भी बहुत बहु-विवाह होते हैं; इस के अलावा, बड़े-बड़े 'अवरोध', 'हरम', 'स्त्री-गृह' भी होते हैं, जहाँ सैकड़ों रखेलियाँ सहेलियाँ रक्खी जाती हैं। कई वर्ष हुए, कुंवर मदन सिंह जी के कई लेख काशी के दैनिक 'आज' मे छपे थे, जिन मे ऐसी बातों का त्रासकारी और घृणाकारी वर्णन किया था। ऐसे 'अवरोधों' मे सब प्रकार के व्यभिचार भी, और हत्याएँ भी होती थीं; और अब भी होती ही होगी। प्रायः पैंतीस वर्ष हुए, (१९०३-१९०६ ई० मे), कई रियासतों मे घूमने का मुझे अवसर हुआ। कई जगह, रनवास के नीचे, दीवार से मिले, बड़े-बड़े तालाब देखे; वहाँ के आदमियों ने कहा कि इन मे मगर हैं; यदि राजा किसी स्त्री पर व्यभिचार आदि की शंका से क्रुद्ध हुए, तो खिरकी से तालाब मे वह गिरा दी जाती थी; इत्यादि। वात्स्यायन के काम सूत्र मे भी, (और 'अलिफ लैला' मे भी, जिस मे, बहुत सी भूठी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का यथातथ वर्णन भी बहुत कुछ है), दिखाया है कि कैसे 'सुरक्षित' अवरोधों मे भी व्यभिचार होता ही था; मुगल बादशाहों, तथा अन्य पूर्वोक्त पश्चिमीय देशों के शाहनशाहों, सुलतानों, राजाओं के महलों मे भी, कम बेरा, यही हालत रही है। और, वह तो दूर की बातें हैं, आजकाल भी, राजाओं की, नवाबों की, रियासतों मे जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, उस से स्यात् कुछ कम मात्रा मे, अन्य घनाढ्य घरों मे, मठों मे, तीर्थ स्थानो मे भी, वे सब, थोड़ा सा ही दर्याप्त करने से, मालूम हो जाते हैं; अथवा. यह कहना चाहिये, कि सभी मध्यवयस्क आदमियों को विदित है ही। गाँव गाँव मे, शहर शहर मे, तरह तरह के व्यभिचार, कुछ स्त्रियों के आरंभ किये, कुछ पुरुषों के आरंभ किये, हो रहे हैं; नये प्रकार

की प्रच्छन्न वेश्याएँ भी बड़े शहरों में बढ़ रही हैं; बल्कि पुराने चाल कैं, तौर्यंत्रिक मे, वाद्य, गीत, नृत्य कलाओं में, प्रवीण, प्रकट वारागंगा कम हो रही हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से। इन सब पापों के परिशोध का यत्न करना नितात आवश्यक है। पर, उपन्यस्त विधान में इन सब के संबंध में शर्त बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उचित और सुप्रसक्त नहीं जान पड़ेगा। उक्त द्वितीय विवाह को भी इसी कोटि में डालना चाहिये, और इन के परिशोध का यत्न अलग करना चाहिये; वह भी, पूर्व-पर को, कार्य-कारण को, बहुत विचार कर के। आजकाल, पच्छिम में, रोज नये कानून बनाने, बिगाड़ने, का शेवा हो रहा है। ब्रिटेन में १६१६ से १६३० तक, बारह वर्ष में प्रायः आठ सौ कानून बने, जो प्रायः आठ हजार पृष्ठों पर लुपे हैं। जल्दबाजी से, बिना दूर-अन्देशी के, एक फुंसी पर तेजाब डाल दिया; फुंसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों में विकार पैदा हो गये; अब एक-एक नस के विकार की अलग अलग चिकित्सा होने लगी, अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही गयी। जल्दबाजी के 'लेजिस्लेशन' का यही नतीजा होता है।

जब बीमारी सारे शरीर में व्याप्त हो गयी है, और एक एक अंग प्रत्यङ्ग में तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की अलग अलग चिकित्सा करने का यत्न व्यर्थ है। 'हमा तन दाग दाग शुद्, पुम्बा कुजा कुजा निहम्'। हजारों फोड़े देह में भर गये हैं, एक एक पर फाहा कहाँ तक रखा जायगा। 'तनक्रीया' करना चाहिये, 'मुन्जिज' देना चाहिये, 'कायाकल्प' करना चाहिये, 'आल्टरेटिव' पिलाना चाहिये, ऐसे भेषज का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सारण, वमन, विरेचन हो कर, रक्तशोधन हो कर, समस्त शरीर का पुनर्नवीकरण हो जाय, 'कास्ट्रियूशन आल्टर' हो जाय, बदल जाय, दूसरा, नया, हो जाय।

पचास वर्ष से विचार करते-करते, 'कारणं चिकित्स्वं, न तु कार्यं', 'सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिताः मलाः', इन सूत्रों पर ध्यान देते देते, मेरी बुद्धि में तो यही बैठा है, कि जिस स्वार्थ-बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर-द्रोह-बुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज तीन सहस्र खंडों में यह 'हिन्दू'-नामक

समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है, यह दूषित बुद्धि ही इन सब उपर्युक्त दोषों और रोगों का एकमात्र निदान कारण है, और उस के शोधन से, वर्णाश्रम-धर्म का शोधन हो कर, सब रोग स्वयं शांत होंगे, कम हो जायँगे—जहाँ तक ऐसा कम होना, शांत होना सम्भव है; क्योंकि सब दुःख, सब शोक, सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो 'न भूतो, न भविष्यति', न कभी हुआ, न होगा।

अन्तर्वर्ण-विवाह से कई आपत्तियों का निवारण

जिन कुल कुटुम्बों में अन्तर्वर्ण-विवाह की चर्चा स्वप्न में भी नहीं हुई है, उन में से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष, हज़ारों की ही संख्या में, अपने ही घर के पुरुषों द्वारा भ्रष्ट हो कर, घर से, घोर निर्दयता से, निकाल दी जाती हैं, और जीते जी तरह तरह के नरकों में भोंक दी जाती हैं; इन की यातना के आगे उन स्त्रियों की संख्या कितनी है, और उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दूसरा विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्री को जीविका देने के लिये अदालत से मजबूर किये जा सकते हैं ?

यदि अन्तर्वर्ण-विवाह का सिद्धान्त देश में फैले, तो धीरे-धीरे ऐसी भयंकर घटनाएँ भी कम हो जायँगी।

विचारने की और भी बातें हैं। अत्यधिकांश हिंदू आज भी ऐसे ही हैं जिन की एक ही पत्नी है। बहुत अल्पसंख्यक घनाट्ट्यों की, राजाओं की, कई-कई पत्नियाँ होंगी। आर्थिक कष्ट, बे-रोजगारी, ऐसी हो रही है कि एक भार्या का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस, इसी हेतु से, मध्यवर्ति वर्ग में 'सारडा-विधान' के भी आगे, आप से आप बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियाँ भी, स्वतन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की चिंता में, पाठशाला आदि की नौकरियाँ खोज रही हैं और उठ-लेती हैं, और विवाह करने से रुकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी के कर्तव्य निबाहना कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, लाखों की संख्या में बेकार हो रहे हैं, और ब्याह करने से हिचकते हैं, अपने खाने का ठिकाना नहीं, पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावेंगे ? ऐसी दशा में, जब प्रथम

विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रहा है, तब उक्त दूषित अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन न-गण्य होगी; उन के विचार से इस विधान मे विशेष 'समय' अर्थात् शक्त बढ़ाना उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भर्त्सना और आक्रोश पर्याप्त है, इसी से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे। और भी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशिक्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असम्भव हो रहा है, और थोड़े ही दिनों मे सर्वथा असम्भव हो जायगा; इस लिये भी ऐसे विशेष समय की, शक्त की, जरूरत नहीं। रहा यह कि, परस्पर मनमुटाव से, वैमनस्य से, त्याग—यह तो किसी भी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा ही; उस का प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, और आज भी कानूनन हो सकता है, कि यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा मे, पुरुष दे।

जापान ऐसे स्वतन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे भी, जब विवाह के सम्बन्ध मे उथल पुथल हो रही है, तो भारतवर्ष ऐसे अभागे देश का क्या कहना ? जापान के भी आदर्श, विवाह के, गार्हस्थ्य के, और स्त्री-कर्तव्य के पुरुष-कर्तव्य से भिन्न होने के, विषय मे, वैसे ही थे जैसे भारतवर्ष के। पर, 'यंत्र-देव' के अवतार के कारण, और उस की फलभूत, सहगामिनी, नयी 'यंत्रप्रधान' सभ्यता के आगमन के कारण, वहाँ भी वह सब पुराने आदर्श प्रायः अव्यवहार्य हो गये हैं। आम-दनी काफी न होने से पुरुष जल्दी ब्याह नहीं करते; लड़की वाले अल्प-वित्त माता-पिता को, बहुत वर्ष तक अनब्याही लड़कियों को अपने घर मे रखना बोझ होता है, लड़कियाँ, मजबूरन, नौकरी मजदूरी आदि, पैसे कमाने का कोई काम ढूँढती हैं, जापान मे बहुसंख्यक और वर्षमान-कल के कारखानों मे, तथा वहाँ की गवर्नमेण्ट और नेताओं की दूरदर्शिता के और प्रजाभक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की रोजगारी संस्थाओं मे, ऐसी लड़कियों को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत कुछ मिल जाता है; तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, और सब प्रकार का रक्षा, का भी पर्याप्त प्रबन्ध होता है, और मजदूरी इतनी पूरी दी जाती है कि उस मे से, सब खाने पहिने के खर्च देने के बाद भी,

अच्छी रकम बच जाती है। यही रकम उन लड़कियों का स्वतो-दत्त यौतुक, दहेज, जहेज, होता है, और इस के बल पर वे अपना विवाह स्वयं ठीक कर लेती हैं।

भारत की दशा दूसरी है। आजकाल यहाँ भी यह विचार और भाव उठा है, कि स्त्रियों को भी 'आर्थिक स्वतंत्रता' होनी चाहिये। ठीक है; पर जो ही अवस्था एक दृष्टि से 'आर्थिक स्वतंत्रता' जान पड़ती है, वही दूसरी दृष्टि से 'आर्थिक दासता' मालूम होती है। ज़रूर, बहुवित्त और मध्यवित्त कुलों में भी यदि स्त्रियों को पैसे पैसे के लिये तरसना हो, और पुरुषों का मुंह ताकना हो, तो घोर अन्याय है। भारतवर्ष में, सभी सद्भावों के, सदाचारों के, अंश के कारण, स्यात् ऐसा अन्याय बहुत घरों में होता होगा; बहुतेरों में ऐसा नहीं भी है; प्रत्युत, स्त्रियों के हाथ में, पुरानी स्मृतियों की आज्ञा के अनुसार, जहा पति-पत्नी में यथोचित परस्पर स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त अंश में, आमदनी दे दी जाती है; पर अल्पवित्त, किं वा दरिद्र, घरों में तो (और नब्बे फी सदी हिंदू अति दरिद्र ही हैं), मियां-बीबी दोनों, बेचारे, बल्कि छोटे बच्चे भी, सुबह से शाम तक पिसते रहते हैं, और तिस पर भी दो चक्र की रोटी नहीं पा सकते; ऐसों के लिये, अलग अलग कमाते हुए भी, 'आर्थिक स्वतंत्रता' और 'आर्थिक दासता' में कोई भेद नहीं।

देश में शिक्षा फैले, रक्षा फैले, जीविका फैले, इस लिये 'पुरोहित', धर्मशास्त्राता, 'लेजिस्लेटर', चुने माने जाते हैं, तथा राजा बनाये जाते हैं; व्यापारी रोजगारी के पास धन-धान्य का संचय होने दिया जाता है; उन के निजी ऐश आराम ही के लिये नहीं।

द्वितीय राजा भवति, न कामकरण्याय तु।

षड् एतान् पुरुषो जह्याद्, भिक्षां नावम् इव ऽर्थांवे,

अप्रवक्तारं आचार्यं, अनधीयानं ऋत्विजम्,

अरक्षितारं राजानं, भार्यां च ऽप्रियवादिनीम्,

ग्रामकामं च गोपालं, वनकामं च नापितम्।

लोकैरंजनं एव ऽत्र राज्ञां धर्मः सनातनः;

चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्याः महीक्षिता ।

(म० भा०, शान्ति०, अ० ५६)

अरक्षितारं राजानं, बलि-षड्भागहारिणम्,

तं आहुः सर्वलोकस्य समग्र-मल-हारकम् । (म०)

जो पुरोहित पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगी ज्ञान न सीखे न सिखावे, जो राजा टैक्स, कर, ले, पर रक्षा न करे, चातुर्वर्ण्य के धर्मों का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक् अपना कर्मकांड न जानता हो, जो भार्या नितान्त कलहिनी कटु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशुओं को चराने के लिये जंगल में जाने से हिचकता हो और गाँव के भीतर बस्ती में ही घुसा रहता हो, और जो नापित हजाम जंगल में ही घूमा करता हो—इन छः को त्याग देना चाहिये, निकाल देना चाहिये; जैसे दूटे वहित्र को नाविक और यात्री समुद्र में छोड़ देते हैं । जो राजा, प्रजा से कर लेता है, और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह कर नहीं खाता, बल्कि समग्र प्रजा की विष्ठा खाता है । शेख सादी ने भी, अपने प्रसिद्ध काव्य बोस्तान में, यही आशय प्रकट किया है,

चो दुश्मन् खरे रोस्ताई बरद्,

मलिक् बाजो-दह्यक् चिरा मी खुरद् ?

अगर काश्तकार के हल बैल खच्चर गधे को, चोर डाकू मनमाना उठा ले जायं, तो राजा किस वास्ते 'बाज' और 'दह-यक्', कर, खाय ?

निष्कर्ष यह कि महासम्राट् सार्वभौम चक्रवर्ती से चौकीदार पटवारी तक, महामहोपाध्याय आचार्य से गांव के छोटे 'मास्टर' तक, कोटिपति से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा सुखी रहे, शिक्षित, रक्षित, पोषित रहे, और घर घर में स्त्रियां और बच्चे हँसें खेलें । यह सब तभी हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग के—शिक्षक वर्ग, रक्षक वर्ग, धनधान्योत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग के—अनुभवी वृद्ध एकत्र होकर, लोकहित की बुद्धि से, समग्र समाज की व्यवस्था करें । उस व्यवस्था का, इस देश के स्वदेशी प्राचीन विचारों के अनुसार, एक परमावश्यक अंग यह है कि 'वर्ण' का अर्थ 'पेशा', 'रोज़गार', समझा जाय, 'वर्ण-

व्यवस्था’, पेशे के अनुसार बांधी जाय, और इस का आनुषंगिक और गुर्वर्थ कर्तव्य यह है कि ‘समान-शील-व्यसनेषु सख्यं’ की दृष्टि से, ‘अन्तर्वर्ण-विवाह’ की अनुमति दी जाय, अन्तर्वर्ण विवाह की धर्म्यता, और पत्नी का पति के वर्ण को धारण कर लेने की धर्म्यता, स्वीकार कर ली जाय, ‘जात-बाहर’ करने की प्रथा बन्द हो, परस्पर सौमनस्य बढे। यदि यह सिद्ध हो गया, तो क्रमशः अन्य सब दोष, आप से आप, घट जायंगे।

वर-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाएं

हिन्दुओं में धार्मिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं, उन में वर-वधू, परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिज्ञा करते हैं, कि परस्पर स्नेह प्रेम से, अव्यभिचार से, आमरण और जन्मनि-जन्मनि भी, एक दूसरे के साथ जीवन वित्तवेंगे, एक दूसरे की भूल चूक को क्षमा करेंगे, एक दूसरे का मन रक्खेंगे, एक दूसरे को दुर्गम संसार-सागर के पार करने में सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के हाथ में देगा, वर की सलाह से वधू किरायात से खर्च करेगी, कोई भारी गैरमामूली काम एक दूसरे से परामर्श किये बिना न करेंगे, गृहस्थी के सुख दुःख के कामों में धीरज से एक-दूसरे का साथ देंगे और रुष्ट न होंगे, पत्नी को पति अलंकार आभूषण अच्छे वस्त्र देगा, पत्नी अपने को स्वच्छ सुसंस्कृत अलंकृत प्रदृष्ट प्रसन्न रक्खेगी, तथा गृह को भी; किन्तु जब पति विदेश गया हो तब अपना अलंकार आदि न करेगी; न पराये घर जायगी, मित्रों के भी; तथा साधारणतः तीर्थस्नान, देवालय, आदि को पति से कह कर जायगी; इत्यादि।

धर्मं चार्थं च कामे च, कर्त्तव्येषु अखिलेषु च;

आवां न ऽतिचरिष्यावः कदाचन परस्परं।

‘त्व मया लभ्यसे भर्ता पुण्यैस्तु विविधैः कृतैः;

देवी संपूजिता नित्यं; वंदनीयोऽसि मे सदा’।

‘पुण्यैः पूवैः मेया त्वं च प्राप्ता भार्या सुलक्षणा,

आराधनीया, पाल्या च, माननीया च सर्वदा।

पत्नी मनोरमा भूयाः, मनोवृत्तानुसारिणी,
 तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवा ।
 'सुखदुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति हि,
 त्वां सदैव भवेः सौम्यः, मयि रोषं च मा कृथाः;
 वापी-कूप-तटाकानि, यात्रा-मख-महोत्सवान्,
 बहुलश्यासकार्याणि, विज्ञाप्यैव रमस्व मां:
 ब्रतोद्यापन-दानानि, स्त्रीणां बाल-स्वभावतः,
 कुर्यां चेत्, तत् तु भवता प्रसन्नेन ऽनुमन्यतां;
 स्वकर्मणाऽर्जितं वित्तं पशु-धान्य-धनऽगमं,
 सर्वं निवेदयेः महां ; गोऽरवादीनां क्रयं तथा
 मां अनापृच्छ्य मा कार्षीः; दद्याश्च ऽभरणानि मे,
 गीतवादित्रमांगल्ये बन्धूनां तु गृहे यदा,
 अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय ।'
 'सौम्यः एव भविष्यामि, वार्यां त्वां मधुरां वदेः;
 वित्तं निवेदयिष्ये त्वां, मुक्रहस्ता तु मा भवेः;
 आभूषणानि दास्यामि, संस्कृता ऽलङ्कृता भवेः;
 आयव्ययौ त्वां वक्ष्यामि, सत्परामर्शदा भवेः;
 उद्यानेषु, विहारेषु, पितृमित्रगृहेषु च,
 देवालयेषु, तार्थेषु, गच्छेत् अपृच्छ्य मां तथा;
 क्रीडां, शरीरालङ्कारं, समाजोत्सवदर्शनं,
 हास्यं, परगृहे यानं, वर्जयेः प्रोषिते मयि;
 आदरो मम बन्धूनां, अतिथीनां च सत्क्रिया,
 मम चित्तऽनुचारित्वं, कर्त्तव्यं तु त्वया सदा;
 चरिष्यामि अनु ते चित्तं, तथैव ऽहमपि, प्रिये !;
 दांपत्येन विना धर्मो न ऽश्रमाणां प्रवर्त्तते,
 अर्धाङ्गिनौ ततो हि आवां ध्रुवं स्याव परस्परं ।
 विष्णुर् वैश्वानरो ऽग्निश्च, वृद्धाश्च, ज्ञाति-बान्धवाः,
 सर्वे कुर्वन्तु साक्षित्वं विवाहस्य ऽवयोः शुभं ।'

दूसरा प्रकार, प्रतिज्ञा का, पर उसी आशय का, यह भी कहा है—

‘तीर्थ-व्रत-उद्यापन-यज्ञ-दानं मया सह त्वं यदि, कान्त !, कुर्याः,
 वामाङ्गं आयामि तदा त्वदीयं, (जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी);
 हव्यप्रदानैर् अमरान्, पितृंश्च कव्यप्रदानैर्यदि पूजयेथा;
 वामाङ्गं आयामि तदा त्वदीयं, (जगाद कन्या वचनं द्वितीयं);
 कुटुम्बरक्ष्माभरणे यदि त्वं, कुर्याः पशूनां परिपालनं च;
 आय-व्ययौ धान्यधनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे विदध्याः;
 देवालय-सारास-तडाग-कूप-चापीर् विदध्याः यदि, मां तु पृच्छेः;
 देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विदध्याः क्रयविक्रयौ त्वं;
 न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद् भावविकारमेत्य;
 वामाङ्गं आयामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनानि सप्त;
 चरोऽपि तद्वत् वचनं ब्रवीति, सर्वं करिष्यामि यथा तवेष्टं,
 मदीयचित्तानुगतं च चित्तं कुर्याः, ममेच्छापरिपालनं च,
 पतिव्रतं च ऽचर यत्नशीला, त्वमप्यथो स्नेहपरा कुले मे’ ।

॥(१) यदि तीर्थ यात्रा, व्रत, आदि, मुझे साथ ले कर करो, (२) देव-
 पितृ-धर्म कार्य मे मुझे साथ रखो, (३) कुटुम्ब का और पशुओं का
 पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-व्यय के विषय मे मुझ से
 सलाह कर लिया करो, (५) बाग-बगीचा, कूआ-तालाब, मंदिर आदि मुझ
 से पूछ कर बनाओ; (६) देश विदेश को, किसी हेतु से, यदि जाओ तो
 मुझे बता कर, (७) दूसरी स्त्री का स्पर्श न करो—यदि यह सात प्रतिज्ञा
 करो तो मैं तुम्हारी वामांगिनी होऊँ; यह वधू कहती है । वर स्वीकार करता
 है—तुम भी पतिव्रता होना, मीठा बोलना । मेरे कुल वालों का आदर
 स्तकार करना, मेरे चित्त मे अपना चित्त मिलाये रहना ।

माता पिता के घर से विदा हो कर, पति के घर को जाती हुई कन्या,
 द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और घर के लिये आशीर्वाद
 करती है—

मात्रा, पित्रा, ऽन्यवृद्धैश्च, पालिता, लालिता तथा,
 स्वसुभिर्भ्रातृभिस्सार्धं क्रीडन्ती न्यवसं सुखं,

यत्र ऽहं अद्यपर्यन्तं, तद् विहाय पितृगृहं,
 पत्युगृहं तु गच्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे,
 पित्रोः, ऋद्धिर्भवतु अस्य सर्वथा, प्रथतां यशः,
 देव्यः एतच्च च रक्षंतु, गौरी, लक्ष्मीः सरस्वती,
 मया याः पूजिताः नित्यं, मातुरङ्गे निलीनया ।

माता पिता और अन्य वृद्ध जनो ने जहा मेरा आज तक लालन पालन किया, जहा मै भाई बहिनों के साथ हंसती खेजती आज तक सुख से रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के घर को जा रही हूँ; सो, हे गौरी देवी, हे लक्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी ! जिन की, मै ने माता की गोद मे बैठ कर, नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल की, सदा रक्षा करना, यह सब प्रकार से सम्पन्न समृद्ध हो, सदा फूलै फलै, इस का यश सब ओर फैले ।

जब प्रतिज्ञा करने वाले वर-वधू, वयःस्थ, प्राप्त-वयाः, बालिग, प्रौढ़, 'मेजर' हैं, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते हैं, तब बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनो के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी प्रतिज्ञाओं मे, कम से कम उतना बल होना चाहिये जितना 'स्टाम्प' पर लिखे कानूनी मुआहिदों मे, सन्धि-पत्रों मे, होता है; अर्थात्, यदि दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिला पहुचे ही, बिरादरी की पंचायत से तै न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदालतों को डिक्री देना चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करे, तो उस को वही दण्ड होना चाहिये जो व्यभिचार और बहु-विवाह के लिये निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धर्म पत्नी समझी जाय, और उस को उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । अच्छा हो, यदि न्यायालय मे उक्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, साप्तपदी के समय की प्रतिज्ञाओं मे ही यह प्रतिज्ञा भी पुरुष की ओर से करा ली जाय, कि दूसरा विवाह इस वधू के जीते जी न करूँगा ; यद्यपि, परस्पर अव्यभिचार की प्रतिज्ञा मे यह अंतर्गत है ही ।'

१ साप्तपदी का मंत्र यह है, जिस से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन आदर्श यही था कि गृहिणी घर की स्वामिनी हो— "एकं ह्येषे, द्वे ऊर्जे,

नये विचारों की बाढ़ में कुछ लोग यह तर्क फैला रहे हैं, कि प्रतिज्ञा ही अनुचित है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते ही अपने मन में यह भाव उठता है कि हम तो बँध गये, दास हो गये ; इस दासता का विरोधी भाव भी तत्काल उठता है कि इस बन्धन को तोड़ देना चाहिये; और इस आभ्यन्तर द्वंद्व के कारण सब ज़िदगी खट्टी हो जाती है, स्नेह मारा जाता है; स्त्री-पुरुष के चित्त, एक दूसरे से मिलने सटने की जगह, एक दूसरे से फटने हटने लगते हैं, और उन प्रतिज्ञाओं का प्रभाव उलटा ही हो जाता है; तथा, ऐसे लोगों का कहना है कि, परस्पर प्रतिज्ञा न करने से ही अ-बद्ध स्त्री पुरुष परस्पर सु-संबद्ध रहते हैं। इस शंका का समाधान करना उचित है। दो प्रकार से समाधान होगा।

प्रकृति अनन्त है; स्व-भावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, पशुओं को ऐसी परस्पर प्रतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की बुद्धि, अभी उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सकें, या उस का अर्थ समझ सकें। मनुष्यों से ऊँचे, देवताओं को भी, यदि उन्होंने ने अहंता-ममता को जीत लिया है तो, ऐसी प्रतिज्ञाओं की, परस्पर विश्वासोत्पादन के लिये, आवश्यकता न होगी; “निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः • को निषेधः।” (यह उन के लिये लिखा जाता है जो इस बात को मानते हैं कि मनुष्य से ऊँची काष्ठा के भी, तथा अन्य प्रकारों के शरीर धारण करने वाले भी, जीव हो सकते हैं, और जिन्होंने अपने को सर्वज्ञ मान कर यह निर्णय नहीं कर लिया है कि मनुष्य में ही जीव का उत्कर्ष, परा काष्ठा को पहुँच कर, समाप्त हो जाता है)। साधारण मनुष्यों को, सदाचार के अध्यवसाय को दृढ़ करने के लिये, अपनी इच्छा-शक्ति को बढ़ाने के त्रीणि रायस्पोषाय, चत्वारि मयो-भवाय, पंच पशुभ्यः, षड् ऋतुभ्यः, सखे सप्तपदा भव, सा मां अनुव्रता भव” (वे०)। वधू से वर कहता है, “हे सखे !, साथी, मित्र !, पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, षष्ठवें, पद (कदम) पर हम दोनों साथ साथ, अन्न, प्राण, धन, पृथ्वी के सब सुख, पशु, और उत्तम ऋतु, पावें, और आगे सातवां पद चलें। इस मंत्र के और गम्भीर अर्थ भी हो सकते हैं, यथा सातों लोकों में साथ रहै।

लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगले जन्मो मे उत्तम शरीर और बुद्धि पाने के लिये, अपने चित्त की शिक्षा और विनयन के लिये, यह आवश्यक है कि वे ऐसे प्रतिज्ञा और शपथ करें, और अपने चित्त के भीतर सत् और असत् वासनाओं की मुड़-मेड़ का अनुभव करें, अशुभ कामनाओं को जीतें और दबावें। उचित परिग्रह, सुसंस्कृत कुल-कुटुम्ब, आध्यात्मिक धर्म, की सामग्री के बीच मे, ऐसी प्रतिज्ञाएँ, उस सामग्री को शुद्ध रखने के लिये, आवश्यक हैं। अतः सब काल और सब देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े और जोखिम के कार्यों के आरम्भ मे, परस्पर विश्वासन आश्वासन के लिये, सदा से शपथ और प्रतिज्ञा करते चले आये हैं। अभिषेक के समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी प्रतिज्ञाएँ कराई जाती हैं। न्यायालयों मे साक्षियों को शपथ दी जाती है; इत्यादि।

और भी। जैसे भिन्न प्रकार के पेशों वृत्तियों कर्मों के लिये भिन्न प्रकार के स्वभाव और गुण चाहते हैं, वैसे ही भिन्न प्रकृतियों के लिये भिन्न प्रकार के विवाह उपयुक्त होते हैं। यह देख कर, मनु ने आठ प्रकार के विवाह कहे हैं। एक तो पापिष्ठ पेशाच कह कर मना ही किया है, दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है; पाँच को अच्छा कहा है। 'ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, आर्ष', चार मे, माता पिता ही विवाह तै करते हैं; 'गांधर्व' वा 'स्वयंवर' मे कन्या और युवा परस्पर रुचि से निश्चय करते हैं; 'राक्षस' मे, युद्धवृत्ति वाले, क्षत्रिय आदि, कन्या को उठा ले जाते हैं; 'आसुर' मे धन दे कर कन्या ली जाती है। आज काल भी यह सब प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न देशों मे जारी ही हैं। पहिले, कन्या खरीदी जाती थीं, अब तो भारत मे, वर ही अधिक खरीदे जाते हैं। 'विवाह के इतिहास', जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज से लिखे हैं, उन मे इन सब प्रकारों का वर्णन है। स्वयंयूरोप मे, अल्पवित्त श्रेणियों मे सब देशों मे, तथा 'लैटिन' जातियों मे विशेष कर, (फ्रांस, स्पेन, इटली आदि मे), माता-पिता ही प्रायः विवाह तै करते हैं; बहुवित्त श्रेणियों मे सब देशों में, तथा 'एंग्लो-सेक्सन' जातियों मे (ब्रिटेन, जर्मनी आदि मे), विशेष कर संपन्न कुलों मे, स्वयंवर की प्रथा प्रचलित है। पुराणो मे

कहीं-कहीं, यथा शिव पुराण में, पशुओं के नाम से, विवाह के सम्बन्ध में, मानव प्रकृतियों का इशारा किया है, यथा सिंह-सिंही, अश्व-अश्विनी, कपोत-कपोती, वृष-सुरभि, इत्यादि ।

इन सब बातों को विचार कर के, यही उचित जान पड़ता है कि, जो स्त्री पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-भंग के सम्भव की, और एक-विवाह आदि की, शर्तों के साथ ही विवाह करना चाहते हों, वे १९२३ ई० के वर्तमान कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं । दूसरी प्रकृति के सभी स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों में और धार्मिक कर्मकाण्ड में आस्था है, और जो, साथ ही इस के, केवल नाम मात्र के वर्णभेद में आस्था नहीं रखते, उन के लिये यह उपन्यस्त विधान उपकारी होगा ।

अन्तर्वर्ण-विवाह का नाम लेते ही, ‘अपरिवर्तवादी’ सज्जनों को तत्काल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो ऊँच नीच को एक करना चाहता है, उत्कृष्ट स्त्री वा पुरुष का सम्बन्ध निकृष्ट पुरुष वा स्त्री से कराना चाहता है । इस लिये पुनः पुनः यह बात दुहरानी तिहरानी पड़ती है कि ऐसा मन्शा इस विधान का स्वप्न में भी नहीं है । यह तो सुतरां नितरां सच्चे उत्कृष्ट का (केवल वर्णनाम से ही नहीं) सच्ची उत्कृष्टा से ही सम्बन्ध चाहता है; और तत्रापि यह किसी से स्वप्न में भी ऐसा नहीं कहता कि तुम खाह-म-खाह ऐसा-ऐसा विवाह करो; बल्कि केवल इतना ही कहता है कि यदि कभी कदाचित् किसी किसी स्त्री पुरुष ने, परस्पर स्नेह प्रीति से, मन मिलाने के कारण, विवाह कर लिया, तो चाहे उन के वर्णनाम भिन्न भी रहे हों, तौ भी उस विवाह को धर्म्य ही जानो, उन दोनों को जातिच्युत करने का यत्न मत करो, और पत्नी का नाम-वर्ण भी वही मानो जो पति का है ।

एक अपूर्व दृष्टान्त

३१ मई, १९३६ ई० के ‘आज’ में एक मुकद्दमे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस का फैसला २८ अप्रैल १९३६ ई० को ब्रिटिश साम्राज्य के सज़ से बड़े न्यायालय प्रिवी कौंसिल, ने किया है। इस मामिले में ‘हिंदू’ कहलाने

वाले, 'हिंदू-धर्म' को मानने वाले, 'धर्म' का बाना बाधने वाले लोगो मे प्रचलित रूढ़ियो और रस्म-रिवाजो का, जिन का उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा विचारोद्बोधक प्रदर्शन होता है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश यहा नितान्त प्रसक्त और प्रयोजक है ।

मुसम्मात जग्गी का पहिला विवाह बैजनाथ से हुआ । दोनो वैश्य-वर्ण की एक ही उपजाति के थे । यह उस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस उपजाति का नाम नहीं दिया गया है । बैजनाथ मर गया । जग्गी ने अपने देवर, यानी बैजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया । पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस ब्याह की स्त्री जीवित थी । दोनो सौतो मे रोज भगडा होने लगा । ऊब कर शिवनाथ ने जग्गी का त्याग कर दिया । जग्गी ने निककूलाल से सगाई कर ली । निककूलाल वैश्य वर्ण की कसौंधन उपजाति का था । जग्गी की उपजाति दूसरी थी । निककूलाल की मृत्यु के बाद, उस की अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण, और जग्गी से उत्पन्न पुत्र श्रीकृष्ण, मे, निककूलाल की सम्पत्ति के आधे हिस्से के लिये, भगडा हुआ ।

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गी का निककूलाल से जो विवाह हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायज नहीं था, क्योंकि (१) ब्याह के समय जग्गी का पहिला पति जीवित था और (२) जग्गी और निककूलाल एक ही उपजाति के नहीं थे, इस लिये जग्गी का लडका श्रीकृष्ण, निककूलाल की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता ।

प्रिवी कौंसिल के विचारपतियो ने राय दी है, कि निककूलाल से जग्गी का विवाह जायज है, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला पति जीवित था । विचारपतियो ने स्पष्ट लिखा है—यद्यपि यह 'विवाह' द्विजों मे गिने जाने वाले वैश्य वर्ण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों मे हुआ है, फिर भी, 'विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन धर्मशास्त्रो से ठहरायी जाती है, उन मे एक ही वर्ण की दो उपजातियों मे परस्पर विवाह का निषेध कहीं नहीं पाया जाता, और न कोई पहिले की ऐसी नज़ीर या साधारण सिद्धान्त

ही है, जिस के अनुसार ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाय।

पति के मरने के बाद देवर से विवाह; देवर का, एक पत्नी के रहते, दूसरी स्त्री से विवाह; पति द्वारा पत्नी का त्याग, यानी दर असूल तलाक़; फिर उस त्यक्ता स्त्री का एक पति के जीवित रहते दूसरे पुरुष से विवाह; अन्त में एक द्विज वर्ण के अन्तर्गत दो उपजातियों के स्त्री-पुरुष का विवाह— इस एक ही मामिले में, ब्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्यायालय ने, अंशतः रूढ़ि, अंशतः शास्त्र, के आधार पर, इन सब बातों को जायज़, धर्म्य, हिन्दूधर्मानुकूल करार दे दिया है।

हाल में, एक समाचार पत्र में मैं ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्त के एक क़सबे में एक ऐसा कुल क्षत्रियों का है, जिस के आदमी दारोगा तहसील-दार आदि गवर्मेंटी नौकर हुए हैं, पर उस में कई पुरतों से लड़की पैदा ही नहीं हुई। इस का अर्थ पाठक सज्जन स्वयं लगा सकते हैं।

मथुरा प्रान्त में चौबे उपजाति में, भगिनी-विनिमय से विवाह अक्सर होता है, अर्थात् एक सज्जन की बहिन दूसरे सज्जन से ब्याही जाती है, तो उस दूसरे सज्जन की बहिन पहिले सज्जन से ब्याही जाती है। दोनों सज्जन परस्पर सले भी और बहनोई भी होते हैं। अब जैन समाज में भी 'जन्मूना वर्णः,' माना जाता है, यद्यपि महावीर जिन का और प्राचीन जैनाचार्यों का मत 'कर्मणा वर्णः,' का ही था, यथा—

कम्मणा बम्भणो होइ, कम्मणा होइ खत्तिओ,

कम्मणा वइसो होइ, सुहो हवइ कम्मणा।

(उत्तराध्ययन सूत्र, जैनागम)

बुद्धदेव का भी श्लोक इसी अभिप्राय के हैं।

न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मात्ति-सम्भवम् ;

अकिंचनं अनादानं तं अहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ।

सन्नद्धो खरियो तपति, ऋथी तपति ब्राह्मणो । (धम्मपद)

न जच्चा वुसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो;

कम्मणा वुसलो होति, कम्मणा होति ब्राह्मणो ।

(वुसल-सुत्त, सुत्त-निपात)

अर्थात्, माता को धोनि से जन्मे को ही मे ब्राह्मण नहीं मानता, नहीं कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का लोभ नहीं करता, उस को ब्राह्मण जानता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्ज, दुर्बल की रक्षा के लिये सदा सन्नद्ध, क्षत्रिय होता है; ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या-व्यसनी, तपस्वी, ब्राह्मण होता है।

पर अब जैना मे 'जन्मना वर्णः' की प्रथा फिर से हो गयी है, और इस के दुष्फलो मे एक सुफल यह हुआ है, कि नाम से एक ही उपवर्ण वाले, जैन और वैष्णव 'हिन्दू' कुलों मे, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है। यद्यपि दोनो उपधर्मों की विवाह-पद्धतियों मे बहुत भेद है, पर प्रायः वर के पक्ष की पद्धति से विवाह हो जाता है। 'सिक्खों' के एक वर्ग के साथ भी हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं। किन्हीं-किन्हीं हिन्दू 'जातियों' मे ज्योतिष की बारीकी इतनी की जाती है और लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि एक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-ग्रहण हो सकता है; किन्हीं हिन्दू 'जातियों' मे यह प्रथा है कि ज्योतिषी विद्वान् एक दिन अच्छा निश्चित कर देते हैं, और उसी एक दिन मे उस जाति के, बल्कि आस-पास के गाँवों के भी, सभी विवाह हो जाते हैं। १८६१ ई० मे काशी मे कल (वाटरवर्क्स) के जल का, 'धर्म' के नाम से बड़ा भारी विरोध हुआ; "रामदत्ता" के नाम से एक छोटा बलवा भी हो गया; आज यह हालत है कि संयुक्त प्रांत भर मे, अन्य सब शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी मे ही 'पाइप कनेक्शन' है।

जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, 'सर्वसहा मेदिनी' के ऐसा सर्वसह 'हिन्दू धर्म', 'सनातन धर्म', 'मानव धर्म', बर्दाश्त कर रहा है, बल्कि खुशी से ढो रहा है, तब फिर अन्तर्वर्ण-विवाह मे वधू का वर्ण-परिवर्तन हो कर वर के वर्ण मे सम्मिलित हो जाने को, और उस विवाह को, 'धर्मानुकूल मान लेने को, क्यों अति-भार माने? "दधताकिमु मन्दराचलं परमाणुः कमठेन दुर्धरः?"। अभी हाल मे एक सरयूपारी ब्राह्मण सज्जन से मैं ने सुना कि उनके, और असपास के, गाँवों मे, उन की बिप्रादरी मे, हर गाँव मे दस पन्द्रह लड़के 'क्वारे', कुमार, अनब्याह, रह जाते हैं; और दस

पन्द्रह लड़कियाँ भी; लाछन लगा देने के कारण । यही हालत, कई वर्ष हुए, आरा नगर के एक भूमिहार रईस से, उन की बिरादरी की, मैं ने सुनी, पर दूसरे कारण से । कहीं लड़कियाँ ब्याह के लिये बेची खरीदी जा रही हैं, कहीं जामाता । हाथी को निगल गये, चूहा गले में अटकता है !

ऐसी वस्तुस्थिति में, शास्त्रोक्त विधि से किये गये अन्तर्वर्ण-विवाह को, ऐसा विवाह जिस में वर और वधू दोनों ही परस्पर अतिचार व्यभिचार न करने और संसार में परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा करते हैं, जिस का पालन करने के लिए उभय पक्ष को पंचायत के और अदालत के द्वारा बाध्य किया जा सकता चाहिये—ऐसे अन्तर्वर्ण-विवाह को कानून बना कर जायज़ करार देने से, सच्चे वर्णाश्रम धर्म का अणुमात्र भी हास नहीं होगा ; प्रत्युत, अधिकतर उत्कृष्ट, और सर्व प्रकार से विज्ञानसिद्ध और विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी ; और धीरे धीरे सद्धर्मविरुद्ध रूढ़ियों, व्यवहारों, रस्म-रिवाजों की प्रचलित अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्तुतः ‘वर्णसंकर’, उचित अनुचित का संकर, है, दूर कर के उस की जगह सुव्यवस्था स्थापित होगी ।

कानून की आवश्यकता

* एक और बात का विचार करना बाकी है । कुछ मित्रों का कहना है कि हम उपन्यस्त विधान के मूलस्थ, अन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, पर हमें यह मजूर नहीं कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं द्वारा इस प्रकार का विधान या कानून बनवाया जाय । इन मित्रों के भाव को मैं समझता हूँ । पर मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस उपन्यस्त विधान के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक सभा द्वारा विधानबद्ध करने में सहायता न करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों को, विवश हो कर, पूर्वोक्त अन्य वर्तमान विधानों द्वारा, केवल लौकिक, या अहितकर या असुविधाजनक या हानिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि वे हृदय से चाहते हैं कि वैदिक विधि से विवाह करें । उन मित्रों से इस बात का भी स्मरण रखने की प्रार्थना करता हूँ, कि प्राचीन धर्मशास्त्र में ‘लौकिक’ और ‘वैदिक’ अथवा ‘धार्मिक’ बातों के बीच, वैसा तीव्र विवेक और भेद-

नहीं किया गया गया है, जैसा आज पच्छिम में भी और पूर्व में भी दिखाई देता है। यदि हम भीतर पैठ कर विचार करें, तो यह विवेचन और भेदन टिक भी न सकेगा। यदि इस भेद को आत्यंतिक माना जाय, तो यह भी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर और मन का, सम्पूर्ण सजीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं का एक आकस्मिक समुच्चय वा गट्टर है, जैसा ईधन की लकड़ियों का हुआ करता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विषयों का, आज 'धार्मिक' और 'लौकिक' समझे जाने वाले उभयविध विषयों का, समावेश किया गया है। सब से प्राचीन और आज भी सर्वमान्य धर्म-शास्त्र के ग्रन्थ मनुस्मृति में, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी विषयों पर, अन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आज्ञा दी गई है। शिक्षा और संस्कार, कुटुम्ब और दाम्पत्य, व्यवसाय और सम्पत्ति, संरक्षण और शासन और राजनीति, इहलोक और परलोक, ऐहिक जीवन और पारलौकिक जीवन, इन सब विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया है, 'धर्म', अर्थात् मनुष्य का कर्तव्य, अधिकारयुक्त कर्तव्य और कर्तव्ययुक्त अधिकार। इस में आचार-धर्म, प्रायश्चित्त-धर्म, संस्कार-धर्म, शिक्षा-धर्म, रक्षा-धर्म, वार्ता-धर्म, देवपितृ-धर्म, महायज्ञ-धर्म आदि, सर्वोपरि वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म, सभी शामिल हैं। साथ ही, यह बात भी स्पष्ट कर दी गयी है, कि सर्वसंग्राहक 'राज-धर्म' में यह सब धर्म अन्तर्गत हैं।

सर्वे धर्माः राजधर्मे प्रविष्टाः । (म०भा० शान्ति०अ०६२ ।

वर्णानाम् आश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता । (म०)

लोकरंजनं एव अत्र राज्ञो धर्मः सनातनः;

चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्याः महीक्षिताः ;

'धर्मसंकर'-रक्षा च राज्ञां धर्मः सनातनः,

चतुर्वर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्च ये मताः ;

स्वेषु धर्मेषु अवस्थाप्य प्रजाः सर्वाः, महीपतिः,

धर्मेण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत् ।

दण्डनीतिं परित्यज्य, यदा, कात्स्न्येन, भूमिपः,
 प्रजाः क्लिश्नन्ति अयोगेन, प्रवर्तेत तदा कलिः ।
 कलौ अधर्मो भूयिष्ठो, धर्मो भवति न क्वचित् ;
 सर्वेषामेव वर्णानां स्वधर्मात् च्यवते मनः ;
 शूद्राः भैक्षेण जीवन्ति, ब्राह्मणाः परिचर्यया ;
 योगक्षेमस्य नाशश्च, वर्तते 'वर्णसंकरः' ;
 ह्रसन्ति च मनुष्याणां स्वर-वर्ण-मनांसि उत ;
 व्याधयश्च भवंत्यत्र, म्रियन्ते चापि अनायुषः ;
 विधवाश्च भवंति अत्र, नृशंसा जायते प्रजा ;
 क्वचिद् वर्षति पर्जन्यः, क्वचित् सस्यं प्ररोहति ;
 रसाः सर्वे क्षयं यान्ति, यदा न इच्छति भूमिपः
 प्रजाः संरक्षितुं सम्यग् दण्डनीतिसमाहितः ।
 राजा कृतयुगस्त्रष्टा, त्रेतायाः, द्वापरस्य च
 युगस्य च चतुर्थस्य, राजा भवति कारणम् ।

(म० भा०, शान्ति०, अ०५६,५६,६६)

इस प्रकार से राजा और राजधर्म पर सब धर्म को आश्रित कर
 दिया है। और राजा के विनयन, सत्य पर प्रणयन, असन्मार्ग से
 निवर्तन, धर्मसादेशन, तर्जन, नियन्त्रण का भार पुरोहित पर रक्खा है।
 निष्कर्ष यह कि राजधर्म के बाहर कोई धर्म नहीं रक्खा है, और उद्धृत
 श्लोकों से यह भी स्पष्ट होता है, कि केवल विवाह से ही सम्बन्ध 'संकर'
 शब्द का नहीं है, अपितु वर्णों और आश्रमों के पृथक् पृथक् विवेचित
 मर्यादित धर्मों अर्थात् अधिकार-कर्तव्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना
 ही, 'संकर' शब्द का पूरा अर्थ है। 'धर्मसंकर' शब्द और 'वर्णसंकर'
 शब्द दोनों ही उक्त श्लोकों में आये हैं।

धर्मशास्त्र कहिये, या कानून का ग्रन्थ कहिये, सम्य मनुष्य के
 जीवन के प्रत्येक अंग का, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से, स्पर्श किये बिना
 नहीं रह सकता ; क्योंकि मर्यादा का बांधना सभी के लिये चाहिये ;
 हां, यह स्पर्श, यथोचित मृदुता और उदारता से होना चाहिये; और

अच्छे को उभारना, बुरे को दबाना, शिष्टसंग्रह, दुष्टनिग्रह, उस का उद्देश्य होना चाहिये। अपने को अत्यन्त व्यवहार-कुशल, अत्यन्त कर्मण्य, मानने वाली, और अत्यन्त पैसा-प्रिय, भारत की वर्तमान गवर्नमेंट का भी एक धर्म विभाग ('इंक्वीजियास्टिकल डिपार्टमेंट') भी है, (यद्यपि वह उचित कर्तव्य नहीं करता)। उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार (पारसियों की 'जुन्नार' या 'नवजोत' की रस्म), जिस का आधुनिक रूप, हेड-मास्टर्स द्वारा रजिस्टर में विद्यार्थियों के नाम का लिखा जाना है, विद्यारम्भ वा ब्रह्मचर्याश्रम के प्रारम्भ का द्योतक है। यह संस्कार, विवाह-संस्कार से, जिस से गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है, अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये। यज्ञोपवीत संस्कार न किया जाय तो द्विज 'पतित' होता है, अर्थात् पदभ्रष्ट, वर्णभ्रष्ट, 'त्रात्य' समझा जाता है। विवाह न करने से कोई पतित नहीं होता। स्पष्ट है कि विद्या को प्राप्त न करे तो मनुष्य सम्यक्ता से गिर जाता है, 'असभ्य' हो जाता है; और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से, यदि यह ब्रह्मचर्य सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता नहीं, प्रत्युत तपस्या से उत्कर्ष ही पाता है। पर जो सज्जन विवाह के विषय में वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं का हस्तक्षेप असहनीय मानते हैं, वे इस में कोई आपत्ति नहीं करते कि वर्तमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनावे, और 'अन्तर्वर्ण' शिक्षा भी चलावे, जिस में सब जातियों के लड़के और लड़कियाँ एक स्कूल, एक कालेज, में, एक साथ बैठ कर, एक ही शिक्षा पाया करे। 'सती' प्रथा, विधवाओं के आग में जल जाने या जला दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश कानून का विरोध करने की हिम्मत किसी हिंदू धर्म-धुरंधर की नहीं हुई। ऐसे ही और भी कानून, प्रचलित हिन्दू 'धार्मिक' प्रथाओं को बदल देने वाले कई हैं। विधवा-विवाह का कानून ('हिंदू-विधो-री-मैरेज-एक्ट') भी, ब्रिटिश-इंडियन-गवर्नमेंट ने बना दिया; और बनाया भी पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्वान् विख्यात सज्जन की प्रेरणा से। पंजाब में एक कानून बनाया गया है जिस से विशेष-विशेष 'जाति' के हिन्दुओं को जमीन खरीदने से रोक दिया है; 'सायडा ऐक्ट'

जिस से, १६ वर्ष के वयस् से कम पुरुष और १४ वर्ष से कम स्त्री के विवाह का निषेध कर दिया गया है, वह भी इसी कोटि में है; इत्यादि 'राजा' के द्वारा 'धर्म' में हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण यहा कहने योग्य है। पर्वतीय ब्राह्मणों में 'पन्त', 'जोशी', 'पाण्डे', तीन मुख्य उपजातियाँ हैं; 'उप्रेती', 'कुक्रेती', प्रभृति अवान्तर; प्रसिद्ध है कि 'पन्त' महाराष्ट्र देश से आरम्भ में गये, 'पाण्डे' संयुक्त प्रान्त से, 'जोशी' स्थानीय हैं; 'पंत' शाकाहारी हैं, 'पाण्डे' और 'जोशी' मासाहारी हैं; इन में पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था; बाद में, एक समय, उस काल के राजा की दृढ़ आज्ञा से ही होने लगा, और अब बराबर होता है। स्मृतियों के अनुसार, 'ब्राह्मण' चाहे जो महापातक कर डालें, अवध्य है; अंग्रेजी दंड-विधान से फाँसी पाता ही है; इस के विरुद्ध, 'धर्म-शास्त्रियों' ने आवाज़ नहीं उठाई।

हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेजों के बनाये व्यवस्था-मण्डल और न्यायालय, उत्तराधिकार-सम्बन्धी विधानों में, तथा और भी ऐसे अनेक विषयों में, जिन्हें अपरिवर्तनवादी केवल 'धर्म' का विषय समझते हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल 'धार्मिक' न्यायालयों अर्थात् परम्परागत धर्माधिकारियों की ही सभाओं, अथवा वर्णों और उपवर्णों की पंचायतों और मुखियों, को ही होना चाहिये; किंतु संसार की वर्तमान अवस्था में प्रचलित सरकारी न्यायालयों की प्रथा को बदलना न सम्भव है, न इष्ट ही।

केवल यही नहीं। हिंदुत्व और हिंदू समाज में भी बहुत परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। कुछ परिवर्तन धीरे धीरे, अस्पष्ट, अव्यक्त, 'बे-मालूम' तरीके से हो जाते हैं, और कुछ के होते समय शोर-गुल मचता है, और शास्त्रार्थ, भाष्य, टीका, पण्डितजन की लिखित 'व्यवस्था', आदि से सहायता ली जाती है। जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी टीका, नया भाष्य कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है 'हाइ कोर्ट' की नज़ीर या जज का बनाया कानून। इधर सैकड़ों वर्षों से, धर्मशास्त्र में संशोधन ('फ़ॉर्मेट'), परिवर्तन ('चेंज'), परिवर्द्धन ('एडिशन'), निवर्तन ('रिपील'), यौ

नव-विधान ('इनैक्टमेंट') स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर समाज के विश्वास-भाजन विद्वान् उस 'शास्त्र' का समयानुरूप नया 'अर्थ' करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृतिकारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक' 'व्यवसायक' 'प्रवर्तक' ऋषियों और पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों में, साक्षात् संशोधनादि करने की रीति उठ गयी। स्पष्ट है कि न्यायालय चाहे जैसे हों, उन का सघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, पोथी में कानून के शब्द कैसे भी हों, मामिले मुकद्दमे का निर्णय, कानून के विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा। यदि जज, प्राड्विवाक, न्यायपति, सत्प्रकृति का, बुद्धिमान्, धीमान् हो, तो उस का निर्णय भी अच्छा होगा, नज़ीर अच्छी क़ायम करेगा। यदि जज अच्छा न हो, मूर्ख, अविचारी, अविवेकी, जल्दबाज़, बेईमान, रिश्त-खोर, उत्कोच-ग्राही, रागद्वेषी, स्वार्थी, अदूरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, कूप-मण्डूक हो, तो फ़ैसला और तजवीज़ ख़राब होगी, और नज़ीर ख़राब, हानिकारक, क़ायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे परम्परागत धर्माधिकारी और धर्मशास्त्री, केवल प्राचीन संस्कृत पोथियों का ही अध्ययन करते हैं, और यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड विद्वान् होते हैं, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, नयी समस्याओं, नयी ग्रंथियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, कठिनाइयों और आवश्यकताओं, का ज्ञान बिलकुल नहीं होता; अत-एव ये प्राचीन 'शास्त्रों' का, नवीन और समयानुकूल 'अर्थ' कर के, जीवन की नित्य-नैमित्तिक कठिनाइयों का सामना करने में, जनता को कुछ भी सहायता नहीं कर सकते; प्रत्युत, 'पुराणमित्येव हि साधु सर्वे' को हठ से पकड़े रहने के कारण, हिन्दू समाज को अधिक कठिनाई और व्याकुलता में डाल देते हैं। अगत्या, नया 'भाष्य' करने का भार

१. Amendment; change; addition; repeal; enactment.

ऐसे लोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं हैं, पर प्राचीन और नवीन दोनों अवस्थाओं, भावनाओं, विचारों, और आन्दोलनों से परिचित हैं; और आज जो व्यवस्थामण्डल, व्यवस्थापकसभा, धर्मपरिषत्, हैं, उन्हीं की सहायता से, नवीन 'भाष्यों' को, विधान का, कानून का, बल और गौरव और रूप दिलाने का यत्न, उन्हें ही करना पड़ता है; जिस में नित्य के जीवन में, जनता उन का उपयोग कर के, जीवन की कठिनाइयों को सुलभता सके। स्वयं मनु ने कहा है, 'वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्थ च प्रिय आत्मनः', 'वेद, स्मृति, सदाचार, और अपनी आत्मा की सात्त्विक वृत्ति को जो बात प्रिय, उचित, जान पड़े, यह चार धर्म के लक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं'; जिस का भी अर्थ यही है कि अन्त में जा कर सात्त्विक बुद्धि, विद्वान् 'पुरोहित' प्राङ्गुलिका की, धर्म की व्याख्या करती है। और भी मनु की आज्ञा है कि न्यायपति, देश-काल-अवस्था-अनुबन्ध का विचार कर के निर्णय करे, तजवीज् दे, 'किस-ला' मनावै। "अनुबन्ध परिज्ञाय, देश-कालौ च तत्त्वतः, सारापराधौ चावेक्ष्य, दंडं दंडेषु पातयेत्"। (८. १२६)।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई खास हिन्दू विवाह, शास्त्र-संमत, धर्मसंगत, जायज़ है या यहीं, इस का निर्णय करने का अधिकार अब न्यायालयों या अदालतों को ही प्राप्त है। धर्माधिकारी नयी व्यवस्था दे भी दें, तो वह, न्यायालयों में, किसी हिन्दू-विवाह को धर्म्य, जायज़, सिद्ध न कर सकेगी, यदि कोई स्वार्थी मनुष्य, रूढ़ि या रिवाज आदि की दोहाई देता हुआ, अदालत में उस के विरुद्ध जाय। इस कारण से, 'व्यवस्थामण्डल' से, अर्थात् 'लेजिस्लेचर'^२ से, जो ही वर्तमान समय में 'धर्म-सभा', 'धर्म-परिषत्' है, सहायता लेना अनिवार्य हो गया है। जनता के हित के नये कानून बनाने में, और पुराने हानिकारक दस्त्रों और कानूनों को हटाने में, हमें व्यवस्थामण्डलों से अवश्य सहायता लेनी चाहिये। प्राचीन स्मृतियाँ ही हमें सलाह देती हैं, कि 'नये कानूनों,

१. Case-law.

२. Legislature.

वैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, शुचिता और आरोग्य-रक्षा के नियमों, सुभाषितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और कला-कौशलों, सभी अच्छी नयी चीजों का, और विशेष कर विवाहार्थ अच्छी स्त्रियों का ग्रहण सब स्थानों से करना चाहिये ।'

स्त्रियो, रत्नानि, अथो विद्याः, धर्माः, शौचम्, सुभाषितम्,

विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि सर्वतः । (मनु०)

मनु की यह आज्ञा है कि,

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्याद् वृत्ति चेद् भवेत्,

यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः सः धर्मः स्याद् अशंकितः ।

धर्मेण ऽधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः,

ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः, श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः । (मनु० अ० १२)

नई अवस्था में नया कानून बनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास पुराण और सब अंग उपाग से परिवृंहित वेद को जानने वाले, प्रज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने वाले 'ब्राह्मण' जो कहें, कि इस अवस्था में यह धर्म है, वही धर्म माना जाना चाहिये। अब, न ऐसे 'ब्राह्मण' हैं, न अपने को 'ब्राह्मण' कहने वाला को कोई धर्म-कानून बनाने का अधिकार रह गया है। सब प्रकार के 'धर्म-कानून' सकारी 'लेजिस्लेचर' के सभासद ही बनाते हैं; और इन सभासदों में, अच्छी संख्या में, प्रजा के मनोनीत, वृत्त, 'प्रतिनिधि' भी होते हैं; प्रतिनिधि, प्र-णि-धि, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, उसी 'धा' धातु से है जिस से 'पुरो-हित' 'पुरो-धाः' की; 'प्रजाना हिताय, धर्म-कार्येषु, सर्वेषां हितचिन्तकः, यः विद्वान् तपस्वी सज्जनः, पुरः, अग्ने, धीयते, सः प्रजाभिश्च, शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थाने स्थापितः, वि-हितः, नि-हितः, प्र-हितः, पुरो-धा-पुरो-हितः'। वर्तमान युग (जमाने) में, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-हित हैं, और धर्म-ऽम्नान, धर्म-व्यवसान, धर्म-परिकल्पन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में यह कहना कि, 'लेजिस्लेचर' से यह काम नहीं लेना चाहिये, अत्र-नितरा व्यर्थ है। बरोदा राज्य में, राजा और 'लेजिस्लेचर' ने परस्पर सम्मति से, 'अंतर्वर्ण-विवाह' का कानून बना भी दिया है, जो उस रियासत की बीस लाख

हिंदू प्रजा पर लागू है। ऐसे अन्य कानून भी उस रियासत में बना दिये गये हैं।

इस स्थान पर और भी कई बातें, सज्जनों के विचारार्थ, कहना हूँ। (अभी जीवित) भूतपूर्व महाराज तुको जी राव होल्कर की अमेरिकन पत्नी, मिस् मिलर को, (कोल्हापुर के) करवीरपीठ के भूतपूर्व 'शंकराचार्य' डाक्टर कुत्त कोटि ने, शर्मिष्ठा देवी का नाम दे कर, 'हिन्दू' बनाया; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्रियों और पुरुषों को, जिन को मैं जानता हूँ, ऐसे विद्वानों ने, जो 'जन्मना' ब्राह्मण हैं, पर उदार बुद्धि और परार्थी हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म में दीक्षित किया है।

गवर्मेंट ने इस उपन्यस्त विधान के विषय में, देश के प्रमुख अधिकारियों, नेताओं, समितियों, से राय मागी; उस के उत्तर में, बम्बई, बिहार, पंजाब, मद्रास, अवध के हाई-कोर्टों के जजों में से २१ ने (अधिकांश हिन्दू) ने इस का समर्थन किया, ६ तटस्थ रहे, ६ विरुद्ध रहे; युक्त-प्रांत, बंगाल, बर्मा के हाई-कोर्ट तटस्थ रहे; बहुत से कमिश्नर, मिनिस्टर, गवर्मेंट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, लीगल रिमेम्ब्रांसर आदि ने इस के पक्ष में राय दी; कुछ थोड़ों ने प्रतिपक्ष में भी; देश-भर की सभी स्त्रियों की समितियों ने इस का समर्थन किया; अखिल-भारतीय स्त्री-सभा ने, महारानी त्रावण-कोर के सभापतित्व में, इस का समर्थन किया; बहुत से 'बार-असोसियेशनों' ने भी ऐसा ही किया; इत्यादि।

इन हेतुओं से हिन्दू समाज के सब अंगों और वर्गों को उचित है, कि हृदय से इस उपन्यस्त विधान का समर्थन करें; इस से हिन्दुत्व और हिन्दू

१—एक-विवाह और विवाह-भंग के विषय में जो ऊपर लिखा गया इस के सम्बन्ध में, ये वाक्य, स्मृतियों के, आलोचनीय हैं; मनु० अ० ६, श्लो० ४६—८६, १०१; "धर्मप्रजासम्पन्ने दारे, न ऽन्यां कुर्वीत," आपस्तम्ब-धर्म-सूत्रं; "नष्टे, सृते, प्रव्रजिते, क्रोडे च, पतिते, पतौ, पंचसु आपस्तु नारीणां पतिर् अन्यो विधीयते", पराशरस्मृतिः; "याद्गुण्येन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि, ताद्गुणा सा भवति, ससुद्रेथेव निम्नगा", मनु०, ६.२२; "न्यालप्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलाद्, एवं पतिव्रता नारी भर्तार

समाज में उस सुधार, संस्कार, और पुनर्जीवन का सूत्रपात होगा, जो ही उन्हें विनाशकारी, सर्वांगव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर-द्रोह-रूप महारोग से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे सकता है, और अपने समाज के भीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मों और सम्प्रदायों के साथ, शान्तिपूर्वक रहने की शक्ति दे सकता है ।

संक्षिप्त निष्कर्ष और समाप्ति

(१) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तर्वर्ण-विवाह करने के लिये, या ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं करता । इस विषय में सब को यथेष्ट आचरण का अधिकार रहेगा ।

(२) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तर्वर्ण-विवाह करने वाले को, यह लांछन लगा कर कि इन्होंने धर्मविषय आचरण किया है, जाति-बहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे को इन के साथ संसर्ग करने से मना करे ।

(३) ऐसे विवाह करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय में जो पति का 'निजी कानून', धर्मशास्त्र के अनुसार हो, ('दि हू-बैंड्स हिन्दू पर्सनल ला'), वही लागू होगा । पत्नी का वर्ण वही माना जायगा जो पति का हो; तथा सन्तान का वही वर्ण माना जायगा जो पिता का हो । ऐसा होने से वर्ण का अस्तित्व सर्वथा बना रहेगा, और व्यवहार में कोई अडचन या कठिनाई न होने पावेगी । यदि आगे चल कर, इस का प्रयोजन पड़ा, तो उपन्यस्त विधान में उक्त आशय के शब्द, स्पष्ट रूप से बढ़ा दिये जायेंगे ।

(४) इस उपन्यस्त विधान का आशय स्वप्न में भी कदापि नहीं है, कि सचमुच उत्कृष्ट का विवाह सचमुच निकृष्ट से हो । प्रत्युत, इस का दार्ष्टिक नीचगामिनं, अपि वा नरकं प्राप्तं, स्यात् चेत् तं अनु-संस्थिता? , पराशर० ॥ यह भी विचारणीय है कि १६३१ ई० की भारतीय मनुष्यगणना 'रिपोर्ट' में लिखा है कि विवाहित स्त्रियों में, हजार में केवल आठ को सर्पानियाँ हैं; अर्थात् बहुविवाह प्रायः न-गण्य है ।

अभिप्राय और अभीष्ट यह है कि, जरा ज़रा सी थोथी बातों पर ‘जात-बाहर’ कर देने की समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्रोह-वर्धक, संघ-क्षय-कारक, प्रथा बन्द हो; तथा, जो ‘वर्ण’ शब्द अबनितरां अर्थ-शून्य हो रहा है, वह पुनः अर्थ-पूर्ण हा; स्वाभाविक, स्वप्रकृत्यनुकूल, धर्म-कर्म, जिस वर्ण का जो करे, वह उस वर्ण का नाम पावे ; विद्या-तपः-शील का विवाह विद्या-तपः-शील से हो, शूर-वीर का शूर-वीर से, धन-संग्रही दानी का धन-संग्रही दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, सचमुच विशिष्ट का सचमुच विशिष्ट से, समान का समान से ; केवल वर्ण-नाम ही पर एकमात्र अत्यन्त जोर न दिया जाय ।

इन बातों पर शान्त मन से, (‘हिंदू’) ‘मानव’ धर्म और (‘हिंदू’) ‘मानव’ समाज के जीर्णोद्धार के भाव से, सब सज्जन, गंभीर विचार करें; त्वरा से नहीं, रागद्वेष के भाव से नहीं ; यह काल युग-संधि का है; दो समयों ज़मानों की, दो समुदाचारों शिष्टताओं की, पुराने नये विचारों आचारों प्रकारों की, मुठभेड़, टक्कर, घोर प्रतिस्पर्धा हो रही है; भारत के हितैषियों को, ऐसे शांत विचार के अनन्तर, यदि निश्चय हो जाय कि यह उद्योग किसी दुर्भाव से, किसी बदनीयती से, प्रेरित नहीं है, तथा सचमुच इस विधान से हिंदू समाज और धर्म का कल्याण ही होगा, और दोनो प्रतिद्वंद्वियों का, सहूलियत से, सरलता से समझौता हो जायगा, तब दिल खोल कर प्रसन्न हृदय से इस को आशीर्वाद दें ।

ॐ, सह नः अवतु, सह नः भुनक्तु, सह वीर्यं करवामहे;

तेजस्वि नः अधीतमस्तु, मा विद्विषामहे, ॐ

ॐ, उद्बुद्ध्यध्वम् समनसः सखायः, समग्निमिध्वम् बहवः सनीडः

संगच्छध्वम्, संबद्ध्वम्, सं वो मनांसि जानताम् ;

समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समानं मनः, सह चित्तं अस्तु;

समानं मन्त्रम् अभिमंत्रये वः, समानेन वो हविषा संजुहोमि,

समानी व आकृतिः, समाना हृदयानि वः,

समानम् अस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति;

समानी प्रपा, सह वोऽन्नभागः, समाने योवन्ने सह वो युनक्ति;
 सम्यंचो ऽग्निं सपर्य्यत, अरा नाभिमिव ऽभितः । ॐ
 सैत्यं भणामि, अपि समाजहितं गृणामि, संसारयात्रिकसहायकरं ब्रवीमि,
 प्राचीनशास्त्रहृदयं प्रणवीकरोमि; स्वार्थेषु मा कुर्वत मत्सरमार्यधीराः ।
 न्याय्यं वदामि, उभयलोकहितं गदामि, लोकौ अतीत्य परमार्थयुजं स्तवीमि,
 शंसामि यन् ननु निदेशनं आर्षमेव, गृह्णीत हृष्टहृदयाः तद् अथऽार्यवर्याः ।
 चर्याश्रमाऽर्यमत-मानवधर्म-सारं, विच्छिन्नभिन्नजनतात्तपूर्तिकारं,
 सौहार्द-संव-बलकृत्परमोपचारं, व्याख्यामि, संगतं इह ऽाचरत ऽार्यमिश्राः ।
 ॐ सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु,
 सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु । ॐ

: ६ :

चतुःपुरुषार्थसाधक, विश्वव्यवस्था- कारक, विश्वधर्म ।

(काशी के 'सिद्धान्त' नामक साप्ताहिक पत्र के १९६८ वि० (३ जून १९४१ ई०) के अंक में, मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ 'सब धर्मों की तार्किक एकता' की छोटी समालोचना छपी ; तथा, १९६९ वि० (१०, १७, २४ मार्च १९४२ ई०) के तीन अंकों में मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध—विश्वव्यवस्थाकारक विश्वधर्म' की विस्तीर्ण परीक्षा । समालोचक सज्जन ने अपने अन्तिम लेख में यह इच्छा भी प्रकट की, कि मैं उत्तर लिखूं । इस लिये उन की उठाई शंकाओं के समाधान के लिये मैं ने कुछ लिखा । वह १९६९ वि० (२६ मई, २, ९, १६, २३, ३० जून, १९४२ ई०) के छः अंकों में छपा । उस का पुनर्दृष्ट, कुछ संक्षिप्त कुछ परिष्कृत रूप यहाँ छपा जाता है ।)

विश्वव्यवस्था और विश्वधर्म ।

समालोचक ने, २४-३-१९४२ ई० के लेख के आदि में लिखा है कि "जिस तरह हम डाक्टर भगवान्दास जी की 'विश्वव्यवस्था' समझने में असमर्थ हैं, उसी तरह 'विश्वधर्म' से उन का क्या अभिप्राय है, यह भी हम नहीं समझ सके हैं" । इस से मैं कुछ संकट में पड़ गया ; ७५० पृष्ठों की पुस्तक (दि एसेन्शल् यूनिटी आफ् आल् रिलिजनन्स्, 'सब धर्मों की तार्किक एकता') में, जब मैं 'विश्वधर्म' का रूप समझा न सका, और ५५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक ('वर्ल्ड् वार ऐण्ड इट्स ओनली क्यूर—वर्ल्ड् आर्डर् ऐण्ड वर्ल्ड् रिलिजन', 'विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र औषध—विश्वव्यवस्था और विश्वधर्म') में, 'विश्वव्यवस्था' का आकार-

१ *The Essential Unity of All Religions,
World War and Its Only Cure—World Order
and World Religion.*

प्रकार समझाने में असमर्थ हुआ, तब नये छोटे लेख में, यह साध्य सिद्ध करने में कृतार्थ कैसे हो सकूंगा ! और अब, 'विवाद' तो दूर, 'वाद' के लिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति नहीं रही ! वाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है। "विकल्प्य दशधा च ऽर्थं प्रत्येकं दशधा ऽच्छिनत्;...दिनाष्टकं वाक्कलहो जजृम्भे च तयोस्तथा," "अथ सा कथा प्रववृते स्म तयोः, उभयोः परस्पर-जयोत्सुकयोः; न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नैयमिककालंभृते; अतिजल्पतोः समं अनल्पधियोर् दिवसानि सप्तदश च ऽत्यगमन्"; इत्यादि शङ्कराचार्य के वादों की कथा प्रथित है। यद्यपि, पहिले, 'वाद' क्या 'विवाद' में भी, मूढतावश, मुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः पिछली कड़ी बीमारी के बाद, 'अङ्ग' गलितं, क्षीणा शक्तिः, हीना वादविवादप्रसक्तिः, किञ्चिद् अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेऽपि च भक्तिः'। ऐसे हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करूं कि सब शङ्काओं का समाधान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों में तथा 'मानव धर्म-सार' में किया जा चुका है। पर समालोचयिता की इच्छा का यथाशक्ति आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा।

मुख्य मतभेद का स्थान — 'वर्णः जन्मना वा कर्मणा वा ?'

मतभेद मुख्यतः इसी प्रश्न पर है कि 'वर्णभेद' 'जन्मना' ही होता है, वा 'कर्मणा' होना चाहिये। मैं 'वर्ण' और 'जाति' के अर्थों में विवेक करता हूँ; 'वर्ण' का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक 'कर्म' वा व्यवसाय, (यथा शास्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी, वात्तोपजीवी, सेवोपजीवी), और 'जाति' का अर्थ विशेष देश वा वंश में 'जन्म' से साधित दल वा वर्ग, (यथा, कुरवः, यादवाः, राघवाः, सारस्वताः, वाङ्गाः, गौर्जराः, अंग्रेज, जर्मन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आदि)। दूसरे पक्ष के लोग वर्ण और जाति में विवेक नहीं करते, दोनों को एक ही मानते हैं।

एक और मतभेद का स्थान—'सामान्य' और 'विशेष' ।

मै 'सामान्य' और विशेष' मे 'समवाय' सम्बन्ध को, उन दोनो के सर्वथा अपृथक्-कार्यत्व अयुत-सिद्धत्व को, सुतरां नितरा मानता हुआ, 'सामान्य' को अधिक गौरव देता हूँ, और 'विशेष' को उस से कुछ कम; विशेषतः इस दारुण समय मे, समस्त मानव 'जाति' के कल्याण के लिये, 'व्यवस्था-सामान्य' अर्थात् 'विश्व-व्यवस्था' और "धर्म-सामान्य" अर्थात् 'विश्व-धर्म' की आवश्यकता देखता हूँ; व्यवस्था-विशेषों और धर्म-विशेषों के साथ साथ, परन्तु उन के ऊपर; परऽपर-जाति-न्याय से; जैसे परम-सामान्य, सत्ता-सामान्य, चैतन्य-सामान्य, परम-महान्, के अन्तर्गत असंख्य चरम-विशेष, सत्ता-विशेष, जीव-विशेष, परम-अणु। उस मानव जाति के कल्याण के लिये इन की आवश्यकता मानता हूँ, जो आदि प्रजापति' 'मनु' की (जिसके कई अर्थ हैं, 'एतंपके वदन्ति अग्निं, मनुम्-अन्ये प्रजापतिं' इत्यादि) सन्तति है, और जो कौटिल्यो सिर, भुजा, धड़, पैर वाली जाति "अनेक-बाहू-उदर-वक्त-नेत्रः", "सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात्, स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद् दशगङ्गा (ङ्)लम्", अपने दस अङ्गों इन्द्रियों के बल से, तथा दो हाथों की दस अँगुलियों के बल से; समग्र भूतल पर 'स्पृत', (अंग्रेजी 'स्प्रेड्' फैलाना, फैलाना), वि-स्तृत (अंग्रेजी 'स्ट्रेच') हो रही है ।

प्रतिपत्नी सज्जन, व्यवस्था-विशेष और धर्म-विशेष को ही समझते मानते हैं । इस सम्बन्ध मे, 'सामान्य' पदार्थ को, वे कोई भी स्थान देते हैं वा नहीं, और यदि हाँ तो क्या, यह मुझे नहीं विदित हुआ ।

आखिर यह तो तथ्य ही सभी देखते-हैं, कि हिन्दू-धर्म नाम के पदार्थ के अन्तर्गत बहुत से विशेष-धर्म हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर आदि; उन विशेष-धर्मों की अपेक्षा से, 'हिन्दू'-धर्म पदार्थ को 'सामान्य' धर्म आप मानेगे और कहेंगे-वा नहीं ? इस 'हिन्दू-सामान्य-धर्म' वा 'हिन्दू-विश्व-धर्म' का रूप, भारतीय तथा विदेशी जिज्ञासुओं विद्यार्थियों को बताने के लिये ही, चालीस वर्ष हुए, 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज' के 'बोर्ड आफ ट्रस्टीज' ने 'टेक्स्ट

बुक्स आफ सनातन-धर्म' तयार की;^१ और उनका स्वागत और प्रचार भारत वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में, कई बड़ी देशी रियासतों में भी, (हिन्दू ही नहीं, अपितु मुसल्मानी राज्यों में भी, यथा निजाम के हैदराबाद के सर्कारी स्कूलों में), बहुत अच्छा हुआ ; पर 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज' के 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी' के रूप में परिणत हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया ! 'हिन्दू' धर्म का स्वरूप-निरूपण, निर्वचन, पहिले 'अनिर्वचनीय' हो रहा था; विशेष कर अंग्रेजी पढ़ों के लिये; यहाँ तक कि जब 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट' पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में, विचार हो रहा था, उस समय, श्री मोतीलाल जी नेहरू ने यह शब्दा उठाई कि "ऐक्ट के नाम में जो 'जो हिन्दू' शब्द है उसका क्या अर्थ है, उसका समझाने में सभी असमर्थ हो रहे हैं, असंख्य मतों, सम्प्रदायों, आचार-विचारों के सङ्कुल सम्बाध समुच्चय का नाम 'हिन्दूधर्म' हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते हैं कि 'हिन्दू-धर्म' सिखावेंगे; क्या सिखावेंगे ?" । इस शब्दा का समाधान थोड़े शब्दों में पूर्णतया श्री मदनमोहन मालवीय जी ने उस समय यही कर दिया कि "क्या सिखावेंगे, इस प्रश्न का अस्वर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा बारह वर्ष से सिखा रहे हैं" । परन्तु, 'एक्ट' के 'पास' हो जाने के बाद वह सिखाना बन्द कर दिया । क्यों ? अस्तु ।

जैसे हिन्दू-जगत हिन्दू विश्व का हिन्दू-विश्व-धर्म हिन्दू-धर्म-सामान्य पदार्थ एक वस्तु है, और समझ में आ सकता है, वैसे ही मानव-जगत मानव-विश्व का मानव-धर्म-सामान्य मानव-विश्व-धर्म । 'हिन्दू' (वा वैदिक), पारसी (जिन्द-अवस्ता), यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, शिन्तो (जापानी), कङ्फुत्से और लाओत्से (चीनी) आदि सभी मुख्य धर्मों का अन्तर्भावक; उन सब में व्याप्त अनुस्यूत; उन सब का संग्राहक; ऐसा धर्म भी एक वस्तु है; और समझ में आ सकता है । उसी को, विभिन्न भाषाओं में, वेदान्त, तसव्वुफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म आदि नामों से कहते हैं । हां, इतना

और है कि भारत में कई शताब्दियों से, वेदान्त केवल आत्माऽवबोधक, और संसार से सर्वथा वैराग्य का रूप रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिये हुए, समझा और बर्ता जाता है। यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण का वेदान्त, सर्वसंग्राहक, सर्व-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माऽवबोधक भी और प्रकृति-प्रसाधक भी, ज्ञानशोधक भी और कर्ममार्जक भी, था। “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्”, “राजविद्या राजगुह्यम्” (गी०), “यस्मात् त्रयोऽन्याश्चमिणः ज्ञानेन ऽनेन च ऽन्वहम्, गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माज्ज्येष्ठऽश्रमो गृही (म०)”, “आन्वीक्षिकी”, “व्यवहितपुतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिम् अहरद् आत्मविद्यया यः, चरखरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु” (भाग०), “राज्ञां दैन्यऽपनोदऽर्थं, सम्यग्दृष्टि-क्रमाय च, ततो ऽस्मदादिभिः प्रोक्ताः महत्यभो ज्ञानदृष्टयः, अध्यात्मविद्या तेनेयं राजविद्या इत्युदाहृता” (यो० वा०), “न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलं उपाश्नुते”, “सैनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च, सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविद् अर्हति” (मनु०), इत्यादि ; इस सब का आशय, विस्तार से ‘दर्शन का प्रयोजन’ नामक हिन्दी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में, दिखाने का यत्न मैं ने किया है।

• ‘सामान्य’ और ‘विशेष’ के सम्बन्ध में, इस स्थान पर दो श्लोक चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और प्रसक्त विषय पर बहुत प्रकाश डालते हैं—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्,

हासहेतुविशेषश्च; प्रवृत्तिर् उभयस्य तु।

सामान्यम् एकत्वयरं; विशेषस्तु पृथक्त्वकृतः

तुल्यार्थता हि सामान्यं; विशेषस्तु विपर्ययः”। (चरक)

‘विश्वधर्म’ कोई ‘विशेषधर्म’ नहीं।

समालोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वाक्यों से तो ऐसा ज्ञात होता है कि वे ‘जीवित’ धर्मों से भिन्न कोई ‘विशेष विश्व-धर्म’ चाहते हैं।” इस पर ‘योगवासिष्ठ’ का पुराना श्लोक याद आता है। “सकल-लोकचमत्कृतिकारिणोऽप्यभिमतं यदि राषवचेतसः फलति नो, तद् इमे

वयमेव हि स्फुटतरं मुनयो हतबुद्धयः” । निश्चयेन यह मेरी हतबुद्धि और हतशब्दों का ही दोष है, कि ७५० पृष्ठों की एक पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में, और ५५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुर्थ पृष्ठ में, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि ‘विश्व-धर्म’ ‘विशेष’ नहीं है, और किसी विशेष धर्म से ‘भिन्न’ नहीं है, प्रत्युत ‘सामान्य’ है और सब विशेष धर्मों से ‘समवेत’ है, सब में अनुस्यूत है, उस यत्न में कृतार्थ नहीं हुआ; और आप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अभीष्ट अभिप्राय के सर्वथा विपरीत है। ‘सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप’ ! ‘वैज्ञानिक’ शब्द का अर्थ ।

मैं इस ‘विश्वधर्म’ को ‘प्राज्ञानिक’ भी और ‘वैज्ञानिक’, विज्ञान-सम्मत, भी मानता हूँ। आप पूछते हैं, “फिर ‘वैज्ञानिक’ का क्या अर्थ है ?” शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। यहां तक कि आरम्भ में जो अर्थ एक शब्द के साथ बांधा जाता है, उस का सर्वथा विपरीत अर्थ, कुछ काल पीछे, उस से बंध जाता है। यथा, ज्यौतिष मित्रों से सुना है कि ‘मङ्गल’ ग्रह क्रूर ग्रह है। रौद्र भावों का, युद्ध आदि का, जनक है। परन्तु “प्रथमहिं बन्दौ दुर्जन चरना” न्याय से उस के प्रसादनार्थ, ‘आप तो परम शुभ हैं’, उस का वाचक शब्द, शुभ का द्योतक कर दिया गया। ‘नाग’ को ‘नागराज’, और आस्तीक मुनि के मातुल, अतः साधारण जनता में ‘मामा’, की पदवी मिल गयी, और उन की पूजा होने लगी। अरबी शब्द ‘हरम्’ की यही दशा हुई; आदिम अर्थ उस का ‘मना किया हुआ’ है; इस अर्थ की प्रवृत्ति दो विरुद्ध दिशाओं में हुई; ‘अति पवित्र’, इस लिये उस का स्पर्श निषिद्ध, वह ‘अ-स्पर्श’; ‘अति अ-पवित्र’, इस लिये भी ‘अस्पृश्य’, ‘हराम्’। ऐसे ही अंग्रेज़ी शब्द ‘पिटि-फुल्ल’ और संस्कृत ‘कृपाण’ का अर्थ ‘कृपायोग्य’ भी और ‘तिरस्कारयोग्य’ भी। वैयाकरण मित्रों से सुना है कि ‘महाभाष्य’ में पतञ्जलि लिख गये हैं, “सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचकाः”। ठीक ही है। कोई भी शब्द किसी भी १ पाणिनीय धातुपाठ में, दो विरुद्ध अर्थ रखने वाले एक ही एक धातु, बहुत से मिलते हैं।

अर्थ के साथ, समाज के संकेत से, बाँध दिया जा सकता है। प्रायः यही देख कर, और यह भी देख कर कि शब्द और अर्थ के घनिष्ठ सङ्कर से तत्त्व के ज्ञान में कितनी भ्रान्ति उपज सकती और उपजती ही है, उन्हीं पतञ्जलि ने, (अथवा सम-नाम किन्ही अन्य परम-विवेकी विद्वान् ने), योग-सूत्र में, “शब्द-अर्थ-ज्ञान” को “असङ्कीर्ण” करने का, उन में विवेक करने का, और “अर्थमात्र-निर्भास” साधने का, उपदेश किया है। कई भाषाओं का ज्ञान, इस ‘चित्त-विनयन’, ‘चित्त-निरोधन’, ‘चित्त-परिक्रम’, में बहुत सहायक होता है। विविध भाषाओं के विविध शब्दों द्वारा एक ही अर्थ को पहिचानने से, पद और अर्थ का पार्थक्य अनायासेन सिद्ध हो जाता है। प्रसक्त वक्तव्य यह कि, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, प्रयोक्ता मनुष्यों के परस्पर सङ्केत से, (सम्-अर्थ, सं-गति) ‘समय’ सम-भौते से, बंधता है और टूटता है; और इसी हेतु से यदि दो मनुष्य एक सङ्केत में सम्मिलित नहीं हैं, तो उन के बीच में एक दूसरे के अभिप्राय का अ-ग्रहण, विपरीत-ग्रहण, भ्रान्त-ग्रहण, और वाद-विवादादि उत्पन्न हो जाते हैं। “वाचि अर्थाः निहिताः सर्वे, वाङ्मूलाः वाग्विनिःसृताः, तस्माद् यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन् नरः” (म०); पर, अबुद्धिपूर्वक किये ऐसे ‘स्तेय’ से बचना बहुत कठिन हो गया है; उक्त हेतु से, और शब्द-बाहुल्य से। ‘विज्ञान’ शब्द अब कई अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है; मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेजी पुस्तकों में, ‘सायंटिफिक्’ शब्द का प्रयोग किया है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने ‘वैज्ञानिक’ किया है; ठीक ही किया है, आजकाल (‘अध काले’) हिन्दी में प्रायः ऐसा ही सब लेखक करते हैं। अंग्रेजी ‘सायंस’ शब्द का भी मूल धातु ‘शंस्’ ‘शास्’ जान पड़ता है, जिस से ‘शास्त्र’ बना है; ऐसे ही अंग्रेजी ‘क्नो’ का (जिस का उच्चारण ‘नो’ होता है) मूल धातु ‘श’ है (जिस का उच्चारण महाराष्ट्र प्रान्त में ‘ग्ना’ होता है, जैसा अंग्रेजी ‘ग्नास्टिक’ अर्थात् ‘ज्ञानी’ में)। ‘सायंस’ का अनुवाद ‘शास्त्र’, और ‘सायंटिफिक्’ का ‘शास्त्रीय’ होता, तो स्यात् अच्छा होता; किन्तु ‘सायंस’ का प्रयोग पच्छिम में प्रायः ‘अधिभूत-शास्त्र’ के लिये ही आरम्भ हुआ, जिसे भारत में लोग ‘विज्ञान’

कहने लगे हैं; और 'सायंस्' और 'सायंटिफिक' शब्दों के अर्थ में 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' की अनुकूलता, और 'शब्द' 'आगम' आदि में तर्करहित आस्था भ्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित सकेतित हो गयी है। भारत में, 'शास्त्र' में चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अर्थ-काम-शास्त्र' भी, और 'मोक्ष-शास्त्र' भी जो ही प्रायः 'ब्रह्मज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत हैं; तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तर्क-नपेक्ष, बुद्ध्य-तोत, आस्था भ्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और 'शास्त्रीय' शब्द से वह अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वैज्ञानिक' से लिया जाता है; सब सङ्केत कालवशात् बदल गये हैं। किन्तु, पच्छिम में भी, 'सायंस्' के अर्थ का विस्तार, क्रमशः, 'शास्त्र' के अर्थ के समान, होता जाता है; 'साइकी', 'जीव', का शास्त्र, 'सैकालोजी', अन्तःकरणशास्त्र, चित्तशास्त्र, जिस को हिन्दी ग्रन्थकर्ता 'मनोविज्ञान' कहने लग गये हैं, और जिस का निकटतम प्राचीन संस्कृत शब्द 'अध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है—यह 'सैकालोजी' तो अब पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायन्सों' में गिनी जाती है। फ़िला-सोफी, 'मेटा-फ़िज़िक्', को भी, 'सायन्स' आफ् रियालिटी, आफ् बीइड्, आफ् ट्रूथ, अर्थात् 'वास्तविकता' का शास्त्र, ('वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु विशद') 'सत्, सत्ता, सन्मय' का शास्त्र, ("ॐ तत् सत्", "सत्-चिद्-आनन्दं ब्रह्म"), 'सत्य' का, 'तत्त्व' का, शास्त्र, ("सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म", "परं तत्त्वं"), यहाँ तक कि 'सायंस् आफ् सायंसेज्', शास्त्रों का शास्त्र, अब कहने लगे हैं; तथा 'सायंस् आफ् दी इनफ़िनिट्', अर्थात् 'अपरिमित पदार्थ' का शास्त्र, 'परा विद्या', और 'सायन्सेज् आफ् दी फ़ाइनाइट्', 'परिमित पदार्थों के शास्त्र'—ऐसा भी प्रयोग होने लगा है; "स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या-प्रतिष्ठाम्"।

संस्कृत वाङ्मय में, 'ब्रह्म' वा 'आत्मा' शब्द के साथ 'शास्त्र'

१ इस धारा (पैरा) में आये हुए अंग्रेजी शब्दों के मूल रूप ये हैं; Pitiful; scientific; science; know; gnostic; psyche; psychology; philosophy; metaphysic; science of

शब्द प्रायः नहीं, और ‘विद्या’ शब्द ही बहुधा, लगाया जाता है; ‘मोक्ष’ के साथ ‘शास्त्र’; ऐसी रूढ़ि हो रही है; स्यात् इस हेतु से कि ‘आत्मा’ ‘शास्त्र’ नहीं, ‘निजानुभववेद्य’ ही है; परन्तु “प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म-विद्या”, “तत् त्वं असि”, यह गुरु का उपदेश, ‘शासन’ ही है। अस्तु।

ऐसी अवस्था में, ‘विज्ञान’ शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करना उचित है, यह निर्णय है। यह शब्द उपनिषदों में बहुत आया है; गीता में चार हो बार, और इस के रूपान्तर, ‘विज्ञातु’ और ‘विज्ञाय’, एक एक बेर; उपनिषदों में अन्य उपसर्गों के साथ भी ‘ज्ञा’ का प्रयोग हुआ है, “संज्ञानं आज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं” आदि; ‘ज्ञान’ का तो बहु-तायत से; भाष्य और टीका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने ‘विज्ञान’ का अर्थ ‘आधिभौतिक-शास्त्र’, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया है, जिसे पश्चिम में प्रायः “फ़िज़ि-कल् सायंस्” कहते हैं।

“श्रुतिद्वैधे यथेष्ट” न्याय से, और हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत सङ्केत के अनुसार, तथा व्युत्पत्ति-निरक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में यही बैठता है कि, ‘ज्ञान’ शब्द को ‘सामान्य’, उभय-संग्राहक, अर्थ में प्रयोग करना उचित है; “ज्ञानिनो मनुजाः नूनं, किन्तु ते नहि केवलं; ज्ञानमश्रुति समस्तस्य जन्तोः विषयगोचरे” (दुर्गा०); और उसके अवान्तर दो मुख्य ‘विशेष’ करना ठीक है; यथा, (१) ‘प्रकृष्टं ज्ञानं, प्रकृष्टस्य, उत्कृष्टस्य, श्रेष्ठ-प्रेष्ठ-पदार्थस्य, आत्मनः, परमात्मनः, सर्वविशेषेषु सामान्येन सपवेतस्य, ध्यातस्य ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रज्ञानं’; और (२) ‘विशिष्टं ज्ञानं, विशेषेण, विशेष-विशेष-पदार्थानां ज्ञानं, विज्ञानं’; “यदा भूतपृथग्-भावं एकस्थ अनुपश्यति” यह प्रज्ञान; “तत एव च विस्तारं” यह विज्ञान; “ब्रह्म सम्पद्यते तदा” (गी०); “ज्ञान-विज्ञान वृत्तात्मा”, प्रज्ञान-विज्ञान उभय से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी द्रष्टा का ब्रह्म, वेद, ज्ञान, सम्पन्न-पूर्ण reality, of being, of truth; science of sciences; science of the infinite; sciences of the finite.

१ Physical science.

होता है, और वह द्रष्टा, ज्ञानी, ब्रह्मत्वेन स्वयं सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, परमएव ब्रह्म भवति यः एवं वेद”, ब्रह्ममय, परमात्म-मय, हो जाता है। ऊपर कहा कि, ‘साइकालोजी’ शब्द का अनुवाद ‘आध्यात्म-विद्या’ शब्द से ही तो अच्छा है; इससे, अन्य विद्यार्थी विज्ञानों की अपेक्षा से, उसका निकटतम सम्बन्ध ‘फिलासोफी’, ‘आत्मावद्या’, से प्रकाशित हो जाता है; जैसा होना चाहिये। गीता में, ‘ज्ञान’ शब्द, उक्त ‘प्रज्ञान’ के अर्थ में बहुधा प्रयोग किया गया है; यथा—“आवृत ज्ञान-मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण”; “विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः”; “उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः”, “श्रद्धावान् लभते ज्ञानं”, “ज्ञानं लब्त्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति”, “अज्ञानेनऽवृतं ज्ञानं”, “ज्ञानं प्रकाशयति तत्र”, “ज्ञानं तेऽहं स-विज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः”, “ज्ञानं विज्ञानसहितं”, “बुद्धिर्ज्ञानमसमोहः”, “ज्ञानं ज्ञानवतामहं”, “क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज् ज्ञानं मतं मम”, “एतज्ज्ञानं इति प्रोक्तं”, “ज्ञानानां ज्ञानं उत्तमं”, “इदं ज्ञानं उपाश्रित्य”, “ज्ञानं आवृत्य तु तमः”, “ज्ञानं विज्ञानं अस्तिक्य”, “इति ते ज्ञानं आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरमया”; इति प्रभृति। और लाकरूढ़ि भी ऐसी ही हो रही है कि ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, और ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी है। तथापि, गीता में यह भी कहा है, “तज् ज्ञानं विद्धि सात्त्विकं, तज् ज्ञानं विद्धि राजसं, तत् (ज्ञानं) तामसं उदाहृतं”; इस लिये, साधारण बोल चाल में चाहे जो भी व्यवहार होता हो, जहाँ सूक्ष्म विवेक और संदेहऽभाव इष्ट हो, वहाँ ब्रह्म-परमात्म-आत्म-ज्ञान के लिये ‘प्रज्ञान’, और ‘प्रकृति-ज्ञान’ के लिये ‘विज्ञान’, का प्रयोग उचित जान पड़ता है।

“विश्व-धर्म” किस राति से ‘आध्यात्मिक’ ‘दार्शनिक’ भी और ‘वैज्ञानिक’ भी है, “गुह्यतम” भी और “प्रत्यक्षावगम” भी है, तर्कसिद्ध भी और प्रत्यक्षसिद्ध भी है; पार्श्वाल्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों के अतिरिक्त है, अद्वैत है; अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत सभी शास्त्रों के अनुकूल क्या सब का संग्राहक, प्रतिष्ठापक, ‘सर्वविद्याप्रतिष्ठा’ है—यह उक्त दो अर्थों में पुस्तक में सविस्तर दिखाने का यत्न मैंने किया है। “प्रत्यक्ष-

परा प्रमितिः”, सत्र प्रमाणों का पर्यवसान ‘प्रत्यक्ष’ में है; और सब प्रत्यक्षों का पर्यवसान प्रतिक्षणऽनुभूयमान आत्म-प्रत्यक्ष में है, “नहि कश्चित् संदिग्धे अहं वा नऽहं वा, इति” (भामती); अतः उस एकमात्र ‘सनातन’ पर निष्ठित प्रतिष्ठित ‘सनातनधर्म’, गाताक्त धर्म, नितान्त तर्कानुकूल भी और आत्यन्तिक आस्था भ्रद्धा का पात्र भी है—यह सब भी दिखाने का उद्योग वहाँ किया है । और बीसियों आधुनिक प्रसिद्धतम पारश्चात्य ‘सायंटिस्ट’ विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन सब का विश्वास इस की ओर झुक रहा है, यह भी दिखाया है ।

‘विश्व-धर्म’ का क्या अर्थ है ?

आप ने पूछा है, “विश्व-धर्म शब्द का ‘विश्व’ किस अर्थ में लिया जाय ?”, और कई वैकल्पिक अर्थों की उद्भावना का है । ऊपर जो ‘सामान्य’ और ‘विशेष’ के ‘समवाय’ के विषय में कहा गया है, उस पर यदि आप ध्यान देंगे, तो स्यात् यह स्फुट हो जायगा, कि आप के सभी विकल्प, मंवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प हैं, विकल्प नहीं; अनुरोधी हैं, विरोधी नहीं ; एक ही अर्थ के विविध ‘अस्त’, अंश, अंशु, पक्ष हैं । यह ‘विश्व-धर्म’ (१) मानव विश्वभर में फैला भी है, (२) उसे सब लोग चाहते भी हैं, (३) वह सब में समान भी है, (४) सनातन सत्य भी है । किन्तु, जिन भिन्न-भिन्न भाषाओं, शब्दों, संकेता में, भिन्न-भिन्न देशों और जन-समुदायों ने उसे लपेटे रखा है, उन सब शब्दों और संकेतों की एकार्थता, सामान्यार्थता, समानार्थता, तुल्यार्थता को वे सब देश और समूह पहिचानते नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों संकेतों में अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों संकेतों से प्रतिनिवेश । आदिवा के पाँच पर्व ही महामाया की ‘आवरण’ और ‘विक्षेप’ शक्तियों के प्रत्यक्ष रूप हैं; “आवृतं ज्ञानमेतेन कामरूपेण वैरिणा”, “आवृत्य विक्षिपति संस्फुरदात्मतत्त्वं”, “ज्ञानिनामपि चेनांसि, देवा भगवती हि सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति”; सज्ज्ञान पर आवरण, सत्य को देखने वाली आँख पर पर्दा, अहंकार-काम-क्रोध से ढक जाता है; और ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट ‘विक्षिप्त’ बना कर, असन्मार्ग

पर, अधर्म, अन्याय, पाप के पथ पर, पुनः पुनः धक्का देते हुए, दौड़ते रहते हैं। इन आवरणों और विज्ञेयों से, आज समस्त मानव जगत् में कलि का, कलह का, विवाद, वैर, घोर युद्ध का 'साम्राज्यवाद' हो रहा है। "सोऽयमात्मा श्रेष्ठश्च, प्रेष्ठश्च, सर्वसमश्च, विशुश्च"; परन्तु शरीरों में, उपाधियों में, "आप्रणखात् प्रविष्टः" हो कर, अत्यन्त आवृत और विक्षिप्त हो गया है, नितान्त छिप गया है; उस को देखने समझने पहिचानने में सभी मनुष्य असमर्थ हो रहे हैं। घनिष्ठ मित्र भी नाम बदल कर, कपड़े बदल कर, दूसरे-दूसरे वेश में सामने आता है तो पहिचाना नहीं जाता; क्योंकि हमी ने उस के कपड़ों, आवरणों, ही पर ध्यान सदा जमाया, उस के वास्तविक, तात्त्विक, अस्ली स्वरूप पर, मुख पर, आँख नहीं लगाया।

'विश्वधर्म', 'धर्मसार', 'धर्मसामान्य', की रूप-रेखा।

'सर्व धर्मों की तात्त्विक एकता' नामक उक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में, इसी लिये, ११ (ग्यारह) मुख्य प्रवर्तमान धर्मों (चार भारतीय—हिन्दू वा वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख; एक पारसीक; तीन अरबी—यहूदी, ईसाई, मुस्लिम; दो चीनी—कङ्कुत्से, लाओत्से, के नाम वाले; एक जापानी—शिंतो) के, 'अपौरुषेय' 'श्रुति' ग्रंथों, वा तद्वत्सम्मानित 'स्मृति' ग्रन्थों, से, प्रायः ११५० (साढ़े ग्यारह सौ) तुल्यार्थ वाक्यों का संकलन कर के, तीन अध्यायों में बाँटा है, अर्थात् 'ज्ञानाङ्ग' (ज्ञानमार्ग, ज्ञानकाण्ड), 'भक्त्यङ्ग' (भक्तिमार्ग, भक्तिकाण्ड, इच्छाङ्ग), 'कमाङ्ग' (कर्ममार्ग, कर्मकाण्ड, क्रियाङ्ग) में। ये तीन, प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा समालोचक ने 'आध्यात्मिक वा दार्शनिक', 'व्यावहारिक और उपासनात्मक', तथा 'सदाचारविषयक' नामों से की है; और ये ही तीन,

१ इस ग्रन्थ का भारत में भी (भारतीयों के लिखे ग्रन्थों की दशा देखते हुए, अपेक्षा-दृष्टि से, कहना पड़ता है कि) प्रचार अच्छा ही हुआ; और बिदेशों में भी कुछ और अच्छा हुआ। पाँच वर्ष में ४००० (चार हज़ार) प्रतियाँ लोगों ने ले लीं। नये संस्करण का छपना आरम्भ हो गया है। इस में १३५० (तेरह सौ) से अधिक उद्धरण रहेंगे।

प्रत्येक विशेष धर्म के भी अस्त्र, अङ्ग, अवयव, रूप, (अंग्रेजी ‘आस्पेक्ट’, फारसी ‘पहलू’) हैं; क्योंकि शरीरोपहित चेतन, जीव, चित्त, अन्तःकरण के तीन अस्त्र हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, वा सत्त्व, तमस्, रजस्, (जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिद्, आनन्द, सत्, और गुण, द्रव्य, कर्म, से है)। उक्त तीन अध्यायों को ३५ (पैंतीस) अधिकरणा में विभक्त कर के, प्रायः १२ (बारह) भाषाओं के मूल शब्दों को ‘रोमन’ अक्षरों में, और उन सब का अनुवाद अंग्रेजी में, रत्न दिया है। इन उद्धरणों से यह दिखाने का यत्न किया है, कि इन सब धर्मों में, आध्यात्मिक दार्शनिक अङ्ग में प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा-चार के अङ्ग में ऐक्यप्राय साम्य है; केवल, उपास्य पदार्थ के नाम-रूप में कुछ वैविध्य है; तथा कर्मकाण्ड में कुछ वैदश्य होते हुए भी अधिकतर सादश्य है। अन्य चार अध्यायों में, इस ग्रंथ में, ‘अभ्युदय-निःश्रेयस’ दोनों के साधक, भोग-मोक्ष उभय के दाता, देह और चित्त दोनों की भूख के शमन तोषण करने वाले, शारीरिक आहार और आध्यात्मिक आहार दोनों को देने वाले, स्वार्थ-परमार्थ दोनों को साधने वाले, प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों की वासनाओं को पूरा करने वाले, दुनिया और आकाश दोनों को बनाने वाले, ‘सिन’ और ‘साल्वेशन’ दोनों के पार लगाने वाले—ऐसे ‘धार्मिक प्रज्ञान विज्ञान’ और ‘वैज्ञानिक प्राज्ञानिक धर्म’ की, मनुष्य को, अपरिहार्य अनिवार्य आवश्यकता का, और तत्सम्बन्धी शिक्षा का, और तद्-द्वारा पृथ्वीतल पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रतिपादन विवरण किया है।

साम्प्रदायिक (‘धार्मिक,’ ‘धर्मीय’!) उपद्रव ।

सन् १९३१ ई० के फरवरी मास में, काशी में, भारी हिन्दू-मुस्लिम ‘साम्प्रदायिक उपद्रव’ हुआ। दोनों पक्षों के सब मिल कर प्रायः चालीस आदिमियों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ घायल हुए। इस के बाद, मार्च मास में, कानपुर में बहुत अधिक उपद्रव हुआ। प्रायः चार सौ आदमी, स्त्री, पुरुष, बालक, जान से गये, प्रायः बारह सौ घायल हुए, कुछ मन्दिर-मस्जिद तोड़े गये, पचासों छोटे-बड़े मकान जलाये-दहाये

गये, सैकड़ों दूकाने लूट ली गयी। उपद्रव के कारणों की जांच और चिकित्सा के उपायों की सूचना के लिए कांग्रेस ने, (जिस का वार्षिक अधिवेशन, उन्हीं दिनों, कराची में हो रहा था), लः आर्टामयो की, तीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिस के 'चेयरमेन' का कार्य मेरे जिम्मे किया गया; तीन महीने कानपुर में रह कर और गली-गली घूम कर, इस कमेटी ने जांच की; और प्रायः चालीस हिन्दू मुसलमान, और दो तीन ईसाई, जानकार सज्जनों के, जिन में कई प्रकार के व्यवसायों के लोग थे, साहित्येन कथन, गवाही के बयान इज़हार, इस कमेटी ने लिखे ।

ऐसे उपद्रवों के उन्मूलन का उपाय ।

उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में प्रायः सब साक्षियों ने यह स्वीकार किया कि (१) दोनों धर्मों के मूलतत्त्व एक ही हैं, केवल कर्म-काण्ड और भाषाओं में, जैसा पहिनावे में हुआ करता है, भेद है; और (२) समान मूलतत्त्वों का प्रचार, शिक्षा संस्थाओं में और जनता में किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए हों तो हों । केवल एक या दो साक्षियों ने इस में सन्देह किया, सर्वथा वैमत्य नहीं । सिवा इन एक दो के, सब ने यह माना कि सब लड़कों-लड़कियों को, विद्यार्थी अवस्था में, इस 'धर्मसार' वा 'धर्मसामान्य' वा 'विश्वधर्म' की मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस् में साम्प्रदायिक उपद्रवों से अलग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, 'ईश्वर' का पर्याय 'अल्ला', 'परम' का पर्याय 'अकबर' (सब में 'कबीर', बड़ा), 'अल्लाह-अकबर' का पर्याय 'परमेश्वर' 'महा-देव' । सन् १९३१ ई० के पहिले भी और उस के पीछे भी, अब तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर मुझे वार्तालाप का अवसर हुआ है, उन में से अधिकतर यह मान लेते हैं कि ऐसा सार-धर्म, सब विशेष धर्मों में ओत-प्रोत है, और शिक्षणीय शासनीय है ।

१ इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त में इस उपाय को मुख्य स्थान दिया गया, तथा अन्य अवान्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और स्व-स्व-विशेष-धर्म-प्रचरण सम्बन्धी, बताये गये ।

‘सामाजिक धर्म’, ‘साधारण धर्म’ ‘धर्मसर्वस्व’ ।

‘सामासिक धर्म’, ‘साधारण धर्म’, ‘परम धर्म’, ‘धर्मसर्वस्व’,
ऐसे शब्द, मनु, याज्ञवल्क्य, आदि की स्मृतियों में आये हैं ।

श्रूयतां धर्मसर्वस्व, श्रुत्वा चैवऽध्यायतां,

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्,

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् । (म. भा.)

यह व्यास ने, भीष्म के कहे का, शान्तिपर्व में, अनुवाद किया है,

कांग्रेस की ‘वर्किङ्ग कमेटी’ ने तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, इस रिपोर्ट को मञ्जूर भी कर लिया । पर तदनुसार कांग्रेस ने प्रचार का कुछ भी यत्न नहीं किया । मुस्लिम लीग, और हिन्दू महा सभा, और कांग्रेस का परस्पर वैर बढ़ता ही गया । १ मई १९४६ ई० को सात आठ प्रान्तों, (सूबों, ‘प्रोविन्स’) में कांग्रेस मिनिस्ट्रियां बनीं, तीन चार में मुस्लिम लीग; केन्द्र में ६-६-१९४६ ई० को कांग्रेसी नई सरकार, ‘केबिनेट’ के नाम से बनीं । फुटकर कामो ही में भन देते और समय खोते रहे, मूल कारणों की ओर नहीं; स्वराज की सर्वसन्तोष-कारक रूप-रेखा देश के सामने नहीं रखी; विशेष पुलिस और ‘होम-गार्ड’ (गृह-रक्षक) दलों द्वारा ही दंगों के दमन के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के द्वारा नहीं । इस भ्रान्तिमय शासन का फल क्या हुआ ? १६ अगस्त से २१ अगस्त १९४६ तक कलकत्ते में ऐसा उपद्रव हुआ जैसा अंग्रेजी शासन में पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस हजार स्त्री पुरुष बच्चे, हिन्दू भी मुस्लिम भी, जान से गये, बहुत दारुण दारुण प्रकारों से चीरे फाड़े गये, और प्रायः तीस हजार को गहरे घाव लगे । यह अंग्र, बंगाल कौंसिल की १८ सितम्बर १९४६ की बैठक में और ८-१०-४६ को, ब्रिटेन में, मध्य प्रान्त के गवर्नर, ट्विनाम, के व्याख्यान में, बताये गये । नोआखाली में इससे भी वीरतर । ढाका, प्रयाग, अहमदाबाद और बीसियों अन्य स्थानों में बहुत मार काट हुई, और हो रही है । बम्बई में १-६-४६ से दंगा आरम्भ हुआ; २१-६-४६ तक ३००० मनुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए । शासन प्रबन्ध में, उत्तम शिक्षक और उत्तम शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान न देने का यह फल है ।

जिन भीष्म के लिये कृष्ण ने कहा कि “शानानि अल्पीभविष्यन्ति दिवं याते पितामहे”, पितामह जब देवलोक को चले जायेंगे तब पृथ्वी पर सब ज्ञान कम हो जायेंगे। इस धर्म-सर्वस्व के अक्षरशः एकार्थ वाक्य, अन्य धर्मों के धर्म-ग्रन्थों से उद्धार कर के, मैं ने उक्त ग्रन्थ में प्रथा है।

व्यवहार में कैसे लाया जाय ?

रही, इस विश्वास को व्यवहार में लाने और व्यापक करने की बात; तो अभी, विविध धर्मों के, सम्प्रदायों के, राष्ट्रों के, मुखियों के, कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या में वर्तमान काल में नहीं है, जं “मनसि एकं, वचसि एकं, कर्मणि एकं महात्मना” के उदाहरण हों; और इस विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर ‘संशतक’ हो कर, इसके प्रचार में कटिबद्ध हों। सब देशों, सब युगों, में जीर्णोद्धार के, सुधार के, धर्म के नए रूपों और प्रकारों के, भावा और विचारों का प्रचारण, ऐसे ही ‘मिश्र-नरियों’, परमात्मा के ‘संदेशहरों,’ द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मूसा, ईसा, मुहम्मद, शङ्कराचार्य, रामानुज, मध्व, चैतन्य, मार्टिन लूथर, कबीर, नानक, गुरु गोविन्दसिंह, आदि के समय में। मानव-जगत् के वर्तमान काल में, इस युग में, इस अवस्था और ‘परि’स्था में, ‘विश्व-व्यवस्था से उपहित विश्वधर्म’ के रूप में ‘धर्म’ पदार्थ को ला कर, उस के जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वासी, श्रद्धालु, ‘सम्यग्व्यवसित’, हृद-प्रतिज्ञ, संशतक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो गये, तब यह जीर्णोद्धार सिद्ध, और उन का सङ्कल्प सत्य, हो जायगा। ऐसे विचार और विश्वास वालों की संख्या प्रत्येक देश में बढ़ती देख पड़ती है। ये सज्जन, समस्त मानव-जातियों और देशों का, इस युग में, अभूतपूर्व सम्बन्धन, विशानकृत और वार्त्ताकृत, हृदतर होता हुआ, देख रहे हैं; साथ ही, इन जातियों के हृदयों में, प्रतिस्पर्धा-संघर्ष-आत्मक, द्वेष-द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्धमान देख रहे हैं; और ‘विशेष-धर्म’ और ‘विशेष-राष्ट्रीयता’ (‘नैशनलिज्म’) के भावों से उत्पन्न परिखात्रों, भिन्नियों, प्रवारों प्रकारों, को, ‘सामान्य-धर्म’ और ‘सामान्य-मानवीयता’ (‘ह्यूमैनिज्म’) के विरोधी उग्र भेदभाव का, और अब जगत् के ज्ञय का, कारण, जानते-मानते हैं; इस लिए इन को

हटाना-मिटाना चाहते हैं। यह मतलब नहीं, कि सब विशेषता, सब जातीयता, सब राष्ट्रीयता मिट जाय; कदापि नहीं; यह तो असम्भव है; किन्तु यह कि, ये सब विशेषताएं, ‘सामान्यता’, ‘समानता’ के ‘अधीन’ रहें; ‘उपरीण’ नहीं; विशेष ही नहीं, विशेष भी रहें, और सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समन्वय-कारकत्वेन, समवाय-कारकत्वेन, सार्व-भौमत्वेन, रहे। परन्तु ऐसा चाहने वालों के विचार अभी स्थिर, निश्चित, निर्णयित, सु-दृढ, सु-व्यूह (‘आर्गेनाइज़्ड’, ‘सिस्टेमाटाइज़्ड’) नहीं हुए हैं; प्राचीन आर्ष निर्णयों का प्रतिपादन, नये शब्दों में कर के, इस निश्चयन, सु-दर्भण, सु-व्यूहन, स्थिरीकरण में सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की प्रेरक आशा है।

“क्लिश्यतिअन्तरितो जनः”।

यत्न करते रहना चाहिये; ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते, फलसिद्धिरथेश्वरे’; कर्तव्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के हाथ है; जब हो तब हो। इस बीच में, अस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति-कारिणी”, के बवंडर में ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उड़ते रहते हैं; गहिरा बातों की ओर, मूल कारणों की खोज में, रोग-निर्मूलक औषधों को ढूँढ़ निकालने और काम में लाने में, मन देते ही नहीं; “सर्वे प्राथम्यमिच्छन्ति”, “कोऽन्योस्ति सदृशो मया?”, “मेरा ही मत सर्वोत्तम और अस्पृश्य”, इसी धुन में अलग-अलग पड़े हैं। ‘मुझी को सब से ऊंचा पद मिलना चाहिये’, ‘मेरे मुक़ाबिले का दूसरा है कौन?’, ‘हम तु मनु दीगरे नीस्त’, हमारा वेद, हमारे पुराण इतिहास, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि महर्षि, हमारा परमेश्वर’, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे रसूल पैगम्बर, हमारे औलिया, हमारा अल्ला अक़्बर’, ‘हमारा मसीहा, हमारा यहोवा, हमारा अपासल’, इसी ‘मै-मेरा-हमारा’ की अहन्ता-ममता में मस्त हो रहे हैं; समझते हैं कि हम को और हमारे पूर्वजों को, हमारे वंश, हमारी जाति को, उत्पन्न कर के, और उन के द्वारा एक विशेष भाषा में कुछ ग्रन्थों का सं-हनन, (संहती-करण, संघी-करण, संघाती-
 १ Nationalism; Humanism; organised, systematised,

करण, सं-धान,) सहितो-करण, सङ्कलन, प्रकाशन, प्रवचन करा के, परमात्मा की, अल्लाह का, 'गॉड' का, समस्त शक्ति रिक्त और वीत हो गयी । ('हः' 'हन्' धातु के साथ भिन्न उपसर्ग लगाने से अर्थ भिन्न क्या विरुद्ध भी, हा जाते हैं; 'स-हत', 'सं-हनन', 'सं-घान', 'स-घ', का अर्थ एकांकरण है; 'वि-हत', 'वि-हनन' 'वि-घात', 'वि-घ्न', 'आ-घात' 'अ-हत', 'वि हत', का अर्थ, इस का विपरीत है । ऐसे ही 'सं-भिन्न' और 'वि भिन्न') ।

राजनीतिक व्यवहार मे उदाहरण देखिये—ब्रिटिश गवर्मेंट की ओर से दूत रूप मे, भारत से समझौता करने को, मार्च, १९४२ ई० मे, सर स्ट्याफ़ोर्ड क्रिप्स नई दिल्ली मे पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के 'विशेष धर्मों' के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर जोर देने के कारण, (शिखा ही; दाढ़ी ही; धोती ही; सूयन ही; दो सन्ध्या ही; पांच नमाज़ ही; हिन्दी-संस्कृत ही; उर्दू-अरबी-फ़ारसी ही; माला ही; तस्वीह ही; मन्दिर ही; मस्जिद ही; मूर्ति ही, कब्र ही; हिन्दू और मुस्लिम का, जीवन-प्रकार मे, पार्थक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन मे बसे धँसे रहने के कारण), और सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धर्म' 'सामान्य-धर्म' पर ध्यान न देने के कारण, समझौता नहीं हो सका; मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखाती रही; अपने दोष नहीं; दूसरे के गुण नहीं; कांग्रेस दोनो से वि-मत; "मुरारेस्तुतीयः पन्थाः"; कांग्रेस के भीतर भी वै मत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष की 'द्वन्द्वात्मक' प्रकृति को आमूल बदल कर 'एकात्मक', शुद्ध अहिंसात्मक, बना डालने पर तुले हुए; केवल इतना कहने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दण्ड' मे महा-भेद है, और न्याय्य दण्ड राजा के परम धर्मों मे परिगणित है, तथा चतुर्विध राजनीति मे चतुर्थ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतवर्ष की जो दुर्दशा, अपने और पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुर्दशा की अवस्था मे, भारत-जनता के पास, सिवा 'अहिंसा' के, बर्दाश्त के, "क्षमाशस्त्रं करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति" पर भरोसा करने के, अथवा यथा-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और तटस्थता के, कोई दूसरा

उपाय, ब्रिटिश प्रभुता के विरुद्ध नहीं — केवल इतना कह कर संतोष नहीं । (कांग्रेस के ही कुछ अन्य सज्जन, इस आश्रम में अहिंसा-वाद को छोड़ कर, शूरता-वीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने की सलाह देते रहे, पर उसी शूरता वीरता से वर्तमान ब्रिटिश-साम्राज्य के स्थान में भारतीय स्वराज्य कायम नहीं कर सकते); इत्यादि ।

धर्म-सामान्य; ब्रिटेन-भारतीय-मंघ से मानवजगत्संघ । •

यदि ये सब सज्जन 'धर्म-सामान्य' और 'सामाजिक-व्यवस्था-सामान्य', अर्थात् 'विश्व-धर्म' और विश्व व्यवस्था' पर ध्यान दिये होते और इन को पहिचानते, तो, स्यात् बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष को 'स्वराज' मिल गया होता; भारत के भीतर भी शान्ति होती; और समस्त मानव-जगत् में भी; क्योंकि चारों ओर ईर्ष्या-मत्सर-द्रोह का, और तज्जनित दारुण युद्ध का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूतल से उठ गया होता, और उस के स्थान में, 'ब्रिटिश-इण्डियन-कामन्वेल्थ', 'ब्रिटेन-भारत-संघ', ('वृष्णि-अन्धक-संघ' के ऐसा), प्रतिष्ठित हो जाता; जो 'विश्व महासंघ' का आरम्भक केन्द्र वा बीज होता, जिस में क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, भूतल के, शामिल होते, और जो थोड़े ही काल में मानव-जगत्-संघ के रूप में परिणत हो जाता । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शैल चिल्ली का क्रिस्ता नहीं; प्रत्युत मानव-जगत् की सूत्रात्मा, बुद्धि-समष्टि, इसी ओर जा रही है, और इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों और जातियों को पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही है—यह बात मैंने 'विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र औषध, विश्वधर्मानुप्राणित-विश्वव्यवस्था', पुस्तक में, प्रायः सवा सौ प्राश्चात्य और भारतीय प्रमुख लेखकों, ग्रन्थ-कर्ताओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण करके, दिखाने का यत्न किया है ।^१

प्रकृत यह कि क्रिप्स जी से समझौता न हो सकने का एकमात्र कारण यही, कि अपने-अपने 'विशेष' ही की ओर प्रत्येक दल वा उपदल

१ British Indian Commonwealth. *The World-War and its only Cure—World Religion and World-Order.* ...

के नेताओं का ध्यान रहा, 'सामान्य' की ओर भी नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं; प्रत्येक नेता, दूसरों ही का दोष देवता दिखावा रहा, अपना नहीं; "राजन्, सर्षपमात्राणि पर-छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पश्यसि", सरसो ऐसे दूसरों के छिद्र देवते हो, बेल ऐसे अपने छिद्र देखते हुए भी नहीं देखते हो। "देवाना तु शरीरतः निर्गतं सुम-हत्तेजः, तच्चैक्य समगच्छत", जब सब देवों का तेजस् मिल कर एक देवी का शरीर बन गया, तभी दैत्य परास्त हुए, बिना ऐक्य को, सामान्य को, सिद्ध किये, गति नहीं—यह मुह से कहते हुए भी, उस के साधने के मर्म से सर्वथा अनभिज्ञ। साधने का मर्म, उपाय, रहस्य, एक ही है—'विश्व-धर्म से अनुप्राणित विश्व-व्यवस्था' का डिण्डिम।

सर्व-धर्म-सम्मेलन सभाएं।

कितने ही वर्षों से 'यियोमाफिकल सोसाइटी' की, 'पार्लिमेंट आफ रिलिजन्स' की, 'वर्ल्ड कांग्रेस आफ फ़ेथ्स्' को, प्रायः सभी देशों में फैली हुई शाखाओं के द्वारा, 'विश्व बन्धुत्व' की, 'विश्व-धर्म' की, पुकार हो रही है। तथा 'सोशलिस्ट' नेताओं और ग्रन्थकर्त्ताओं द्वारा 'विश्व-व्यवस्था' की पुकार हो रही है; रूस देश में अंशतः ऐसी समाज-व्यवस्था बनायी भी गयी है। और अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, और वर्त्तमान विश्वयुद्ध के आरम्भ से तो बहुत ही, 'न्यू वर्ल्ड आर्डर' की पुकार चारों ओर हो रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताओं का ध्यान, एक दो छोड़ कर इस 'सामान्य' की ओर गया ही नहीं है; अपने अपने 'विशेष' ही में रम रहे हैं।'

क्या 'सामान्य' पर जोर देने से 'विशेष' भूल जायगा ?

एक समालोचक ने यह बात कई बेर, प्रश्न के, शका के, स्वमत-प्रकाश के, शब्दों में, लिखा है कि, "अधिकतर जोर समानता पर ही देने से अपने विशेष धर्म पर आस्था या श्रद्धा ही क्या रहेगी?" क्या विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा ? वास्तव में

१ Parliament of Religions; World Fellowship of faiths; socialist; New World Order.

जो सब को मानने का दावा रखता है वह किसी को नहीं मानता ; इत्यादि । इन का उत्तर, एक प्रकार से, ऊपर हो गया है ; तौ भा, पुनर्वाग, मनफेा के लिए, प्रति-शब्दकों से करूँ गा । ‘अधिकतर जोर शरीर के सामान्य स्वास्थ्य. सौंदर्य, दाढ्य पर देने मे, क्या अपने विशेष कपडों पर आस्था श्रद्धा रह जायगी ?’, ‘जो मनुष्य गोहूँ-सामान्य का भोजन मे प्रयाग करता है, उसे किसी विशेष प्रकार की रोटी, पूरी, परांटे, दलिया, माठ, मठली, दल के लड्डू, ‘सत्यनारायण के चूर्ण’, सूजी के हलवे, शकरपारे, या पाव-रोटी, गिस्किट, नान-खताई, केक, सैडविच, रोल, बन, स्कोन मे रूचि क्या रह जायगी ?’, ‘जो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह नवनीत, हैयङ्गवीन, घृत, दधि, मन्थ, तक्र, छ्छ, के सेवन को अनावश्यक न समझ लेगा ?’. अथवा, ‘जा विशेष प्रकार के अपने पहिनावे को अच्छा समझता है, वह क्या दूसरे सब विशेष प्रकारों को बुरा न समझेगा?’ इत्यादि । ऐसा नहीं; प्रत्येकचित्तमे. सामान्य के लिये भी निसर्गतः स्थान है, और विशेष के लिए भी; केवल इस बात को बुद्धिपूर्वक, अभिव्यक्त रूप से, पहिचानने, ‘प्रत्य-भिज्ञान’ करने, की देर है; ऐसा होतेही, अमर्ष के स्थान मे सम्मर्ष, तत्रस्तुत्र की जगह रवा-दारी, का प्रवाह होने लगेगा । यह पहिचनवाना, सत्-शिक्षो का कर्त्तव्य-धर्म है । और एक बात ध्यान देने की है; समालोचक ने उपर्युक्त अपनी प्रथमशंका मे, “अधिकतर जोर समानता पर देने से. . .” लिखा है; जिस ने ऐसा जोर समानता पर दिया हो, उससे यह प्रश्न करना उचित है; मै ने तो ऐसा कभी नहीं किया; मै तो ही के स्थान मे भी का प्रयोग करता रहता हूँ; आप ही ‘विशेष’ पर ही जोर देते हो ! दूसरे प्रकार से भी आप के प्रश्न का उत्तर लिखने की चेष्टा करता हूँ । आप के वाक्यों की ‘ध्वनि’ यही निकलती है कि ‘सब को’ नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष को ही मानना चाहिये । इस ‘विशेषता’ का कहां पर्यवासना होगा ? भारत मे ‘तीस कोटि’ देवता प्रथित हैं; क्या उनमे से एक-एक को एक-एक मनुष्य चुन ले ? सैकड़ों विशेष पन्थ चल रहे हैं, किस को कोन पकड़े ? जिस का जिस को जी चाहे ? बलसाधारण ऐक्य का संवशक्ति कैसे हा ? “संघे शक्तिः कलौ युगे”, ‘तच्चैक्यं समगच्छत’, कैसे सिद्ध हों ?

प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म और आत्मा के वर्णन में 'सर्व' शब्द का बहुत प्रयोग किया है; "सर्व खल्विद ब्रह्म", "सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामानि, प्रज्ञान ब्रह्म", "सर्व असि", "आत्मं देवताः सर्वाः", "सर्वमात्मनि संपश्येत्", "सर्व अस्म त्युयातात्" "यस्तद्वेद स वेद सर्व", "आत्मवेदं सर्व", "यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति", "समं पश्यति वाञ्छुन" "सर्वात्र समदर्शनः", "सर्वसमतामेत्य"—ऐसे सैकड़ों वाक्य और महावाक्य उगनिषदों में, गीता में, मनु में, भरे हैं। 'वेदा' का जहा 'अन्त' होता है, भर्माति सम्पूर्ण सम्पन्नता होता है, वह 'वेदान्त', उसी वस्तु को मानने पर जोर देता है जो वस्तु 'सर्व' है। मनु को इस आशा पर भी विचार क लिये—

जप्येनैव तु संसिद्ध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः,

कुर्याद् अन्यन्, न वा कुर्यान्, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

सावित्री-मात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः,

न ऽयन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि, सर्वऽाशी सर्व-विक्रयी । (म०)

इस का आराय तो यही ज्ञान पड़ता है कि मुख्य सामान्य-धर्म, जो गायत्री के शब्दों में निहित है, अर्थात् सदा सर्वत्र परमात्मध्यान परमात्म-भावन, उस का पालन करना चाहिये; गौण, विशेष-विशेष, धर्मों आचाञ्चों में कमी भी हो पर सदाचार रक्खा जाय, तो इतना भी पर्याप्त है।

साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सर्व' को, 'समता' को, 'समान' को, इस प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्हीं ने वर्ण और आश्रम के विशेष धर्मों का भी विधान किया है, और, दूसरा कुछ नाची क्राष्टा में, उन को भी गौरव दिया है। इन दोनों में, सामान्य और विशेषों में, कोई शत्रुता नहीं; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परोपकारिता है।

१—जिस प्राचीन काल में यह श्लोक लिखा गया, उस समय में भी, 'सर्वऽाशी, सर्वविक्रयी', 'बकव्रतिक', 'बिडालव्रतिक', 'माज्जरिजिङ्गी' "यथा काष्ठमयो हस्ती, यथा चर्ममयो मृगः, तथा विप्रोऽनधीयानः, अयस्ते नाम विव्रते" (म०)—ऐसे 'विप्र' होने लगे थे।

“स्वधर्ममपि..क्षात्रियस्य” को भी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है।

वेदान्त के अर्वाचीन प्रतिपादकों ने, “न वर्णाऽश्रमऽाचार-धर्माः” “निस्त्र-गुण्ये पथि विचरतो का विधिः को निषेधः” “अतिवर्णाश्रमी” आदि लिखा है। इन का अर्थ, अपनी अपनी मुविधा से, विविध व्याख्याता विविध प्रकार से लगाते हैं। यद्यपि इन शब्दों से सूचित भावों, आचरणों, व्यवहारों का यथोचित समावेश, वानस्थ्य और सन्यास में हो सकता है।

मेरी लुद्ध बुद्धि तो वर्ण-आश्रम धर्मों के (प्रचलित नहीं, प्रत्युत) उचित, अध्यात्मविद्या से सशोधित, सुसंस्कृत, परिमार्जित विधान, विवेचन, विभाजन, परिपालन को, (भारतीयों या ब्रह्मावत्ताओं का ही नहीं, अपितु) समस्त मानव जगत् क कल्याण के लिये परमावश्यक जानती है। पर, हाँ, ‘उचित’ क्या है, ‘वर्ण’ जन्मना है और हाना चाहिये, वा ‘स्वभाव-गुण- (जीविका) कमभिः”—इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विरवास से, “(जीविका-) कमभिः” उचित है। अन्यथा यह ‘मानव’ धर्म, मनु की आज्ञा के अनुसार “पृथिव्यां सर्व मानवाः” को ग्राह्य नहीं हो सकता, सर्वलोकहितकारी, सब मनुष्यमात्र का शिक्षक-रक्षक-पोषक-धारक, नहीं हो सकता। केवल मूठी-भर परस्पर संघृष्यमाण आदमियों की धराहर बन कर, उस कलह और संघर्ष के कारण क्रमशः अधिकाधिक घिस कर, क्षीण हो कर, लुप्त हो जायगा।

‘जन्मना वर्णा.’ का प्रत्यक्ष दुविपाक।

क्या यह ‘जन्मना वर्णाः’ का ही फल है, या नहीं, कि ‘हिन्दू’ कहलाने वाले समाज में दाईं हज़ारों से ऊपर ऊपर (राष्ट्रीय मनुष्य गणना के विवरण के अनुसार) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, उपपजाति, उपापोजातिया बन गयी हैं ? क्या इन जात्युपजातियों में परस्पर स्नेह, प्रीति, समवेदिता, सहायता, अनु-क्रोश, अनुकम्पन, अतः ‘संघ-शक्ति-जनक ऐक्य’, की बुद्धि है ? वा परस्पर ईर्ष्या, मत्सर, द्रोह आदि ही अधिक हैं ? क्या ‘जन्मना वर्णा’ का यह फल है वा नहीं, कि ‘उच्च’ वर्णों में ‘अधिकार’ तो जन्मना सिद्ध मान लिये जाते हैं, और ‘कर्तव्य’ सब भुला दिये जाते हैं ?

• कौन वर्ण-व्यावस्था सनातन और व्यावहारिक है ?

समालोचक ने लिखा है, ‘जो वर्ण-व्यवस्था (अर्थात् ‘कर्मणा’)

डाक्टर साहब बतलाते हैं; वह न भारतीय है, न सनातन है, और न व्यावहारिक है; उससे संघर्ष दूबेगा नहीं; उलटे बड़ेगा”। मेरा विश्वास है कि ‘कर्मणा वर्णः’ की व्यवस्था ही तन्त्रतः भारतीय है, सनातन है, व्यावहारिक है, अध्यात्मशास्त्रसम्मत है, अथ कि, वेद-वेदान्त की सम्मत ही नहीं आदिष्ट भी है; तथा यह भी कि, उसी से संघर्षण कम, और सं-मनन, स-वदन, स-मनन अधिक किये जा सकते हैं। और ‘जन्मना वर्णः’ ही अ-सनातन, अ-व्यावहारिक, संघर्ष-वर्षक है; यद्यपि अब ‘भारतीय’ तो, ‘विशेषण’ क्या ‘केवलत्वेन’ है, क्योंकि और किसी देश में नहीं है; यथा राष्ट्रीय दासता भी ‘भारतीय’ है।

प्रत्यक्षं च अनुमानं च शास्त्रं च विविधऽगमं,

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिभभीप्सता । (मनु)

इस मेरे विश्वास के पोषक, साधक, जनक, प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम के प्रमाणों का संग्रह करने का यत्न, मानव-धर्म-सारः नाम की संस्कृत पुस्तक में मैं ने किया है।

‘भारतवर्ष की, समाजशास्त्र, को खास देन’।

जैसा आपने लिखा है, मैं भी मानता हूँ कि, ‘वर्ण-व्यवस्था, भारत की, समाजशास्त्र को खास देन है’; इस दृढ़ता, से मानता हूँ कि, आज प्रायः पैंतीस (अब, १९४७ ई० में, चाबीस) वर्ष से, पुस्तकों और छोटे लेखों द्वारा इस तथ्य की ओर, सब देशों का ध्यान आकृष्ट करने का यत्न कर रहा हूँ; और ‘थियोसाफ़िकल् सोसायटी’ की सब देशों में वितत शाखाओं के द्वारा, स्वरूपलेशतः कृतार्थ भी स्यात् हुआ हूँ; जैसा, मेरी जान में, कोई अन्य स्वदेशी वा विदेशी जन ने स्यात् यत्न नहीं किया, न कृतार्थ हुए; तथा, भारत के भी, ‘नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए’ सज्जनों का भी ध्यान इधर आकृष्ट करने में। पर, बहुत सम्भव है कि, अन्य जनों के यत्न का ज्ञान मुझे नहीं है। अस्तु। प्रसक्त निवेदन मेरा यह है कि ‘वर्ण-व्यवस्था’ को ‘खास देन’ मैं भी हृदयेन मानता हूँ, परन्तु ‘कर्मणा वर्ण-व्यवस्था’ को, क्योंकि वही अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है; ‘जन्मना’, अध्यात्मशास्त्र के विरुद्ध है, और मानवों को हानिकर है। ‘जन्मना वर्ण-व्यवस्था’ तो,

भारत की खास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, बल्कि भारत को ही, और सर्वनाश-कारी देन है; “गर्भमश्वतरी यथा” । इस बात को इन प्रतिप्रश्नों की दृष्टि से विचारिये; वर्णव्यवस्था को भारतवर्ष की खास देन जिस समाजशास्त्र को आप बताते हो, वह समाजशास्त्र क्या भारतीय समाज से ही सम्बद्ध है, वा समस्त मानव समाज से ? यदि भारतीय से ही, तो भारतीयों के अनेक समाजों में से किस ‘विशेष’ समाज से ?

‘संघर्ष’ और ‘सम्मर्ष’ का द्वन्द्व ।

इस सत्र से यह अभिप्राय मेरा नहीं, कि ‘कर्मणा वर्णः’ की व्यवस्था से ‘संघर्ष’ पदार्थ मानव जगत् से मिट जायगा; न यह कि ‘जन्मना’ को सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्थापन में कोई स्थान ही नहीं । ‘द्वन्द्व’-मय सृष्टि में ‘संघर्ष’ भी, ‘सम्मर्ष’ भी, अपऽय भी उपऽय और ‘सहऽय’ भी, दोनों ही, अविच्छेद्य और अनुच्छेद्य हैं; पर, बुद्धिमान्, बुद्ध, प्रबुद्ध, सम्बुद्ध मानवों का कत्त व्य है, कि संघर्षण को क्रम, और संमर्षण सह-अयन को अधिक, सर्वथा उचित ‘कर्मणा’ वर्णव्यवस्था के द्वारा, करें; तथा ‘जन्मना’ को, ‘कर्मणा’ द्वारा निरीक्षित नियन्त्रित करते हुए, उस व्यवस्था में स्थान दें । न यह ही, न वह ही; बल्कि दोनों भी; किंतु ‘जन्मना’ को ‘अधीन’ ‘अवरीण’, और ‘कर्मणा’ को ‘उपरीण’ रक्खें; ‘जन्मना’ को मातहत और ‘कर्मणा’ को बालादस्त ।

एक सन्दिग्ध अभ्युपगम ।

आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अर्थात् हिन्दुओं से इतर) लोग भी अपने समाज में ‘स्वभावानुसार’ चार श्रेणियों को मान ले, और ‘समानशीलव्यसन’ वाले लोग, परस्पर शादी विवाह करने लगें, तो किसी समय उन लोगों में भी ‘जन्मना वर्णः’ चल पड़ेगा” । बहुत ठीक; किन्तु ‘स्वभावानुसार’ और ‘समानशीलव्यसन’ को नियामक हेतु मानना ही तो ‘कर्मणा’ मानना है; यदि ऐसे ‘कर्मणा’ की ‘मातहती’ में, ‘अधीनता’ में, ‘निग्रानी’ ‘नियंत्रण’ ‘त्रिनयन’ में, ‘जन्मना’ न केवल चल पड़े, बल्कि सदा बना रहे, तब तो ‘ओमिति ब्रूमः’; अपने को यही तो नितरां सुतरां अभीष्ट है । पर यदि चल पड़े और कुछ दूर चल कर गिर पड़े, उन

नियामक हेतुओं को भूल कर पथभ्रष्ट हो जाय, जैसा भारत में हुआ है, तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'कर्मणा' के बल से ही उठा कर सत्य मार्ग पर लाना होगा; जैसा, महाभारत में, सर्प-युधिष्ठिर-सम्वाद और यज्ञ-युधिष्ठिर-सम्वाद में, तथा अन्य अनेक स्थलों में, सिद्ध किया है। 'मानव-धर्म-सार' में उद्धरणों और उदाहरणों को देखिये।

ऊपर उद्धृत अपने वाक्य को लिख कर कि, "उन लोगों में भी 'जन्मना वर्णः' चल पड़ेगा," आप ने यह और लिखा है, कि "स्वधर्म पालन करते हुए धीरे धीरे उन की उन्नति होती रहेगी। और किसी जन्म में वे अपने उचित वर्ण में भी पहुँच जायेंगे"। इस वाक्य का अर्थ मैं नहीं समझ सका हूँ। जब 'जन्मना वर्णः' की प्रथा उन में चल पड़ी, 'जन्मना' चातुर्वर्ण्य उन में सिद्ध हो गया, तो फिर, "किसी जन्म में उचित वर्ण में पहुँच जायेंगे" का क्या मवलब है ? क्या यह, कि त्रे सब भारतवर्ष के, अनादि काल से, आ-ब्रह्मदेव 'शुद्ध', 'असङ्कीर्ण', 'अविच्छ्रुत' चातुर्वर्ण्य के वर्णों में जन्म ग्रहण करेंगे ? !

'सब' को मानना, या किसी एक 'विशेष' को मानना ?

प्रसक्त वक्तव्य यह है, कि 'सब' को अधिकतर, और किसी 'विशेष' को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी, उपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ ; और मेरा विश्वास है कि, ऐश करने से वह 'अलू (रू)दा' और 'संमर्षिणी' लोकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार में फैलेगी, जिस की प्रशंसा तैत्तिरीयोपनिषत् के स्नातकोपदेश में की है। 'ही' शब्द, 'यह ही', लोक-विग्रह-कारक है; 'भी', लोक-संग्रह-कारक है; 'सब' को भी मानिये, 'विशेष' को भी मानिये; 'विशेष' ही को नहीं, न सामान्य ही को।

इस अभिप्राय को, मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेज़ी और संस्कृत तथा अन्य अंग्रेज़ी और हिन्दी पुस्तकों में भी, "भाँति अनेक बार बहु बरना" 'किन्तु काज तनिकहु नहिं सरना', अब तक, लोक-प्रिय नहीं बना सका हूँ ; मेरे ही विचार और बुद्धि में अशुद्धि, भ्रान्ति, त्रुटि, होगी, तथा शब्दों में सौष्ठव और प्रभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक संस्कार बहुत बलवान् है, त्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, "रसरी आवत

जब यत्न सफल न हो, तो विचारिये कि इसमे क्या कमी हुई ५६५

जात ते सिल पर परत निसान”, उतने ही त्रिकालिक आयास से साध्य है। क्योंकि “स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः”, (योगसूत्र), किं पुनः अविदुषः साधारणजनस्य; अथवा,

अवश्यभङ्गेषु अनवग्रहग्रहा, यथा दिशा धावति वेधसः स्पहा,

तृणैर्वात्येव तयाऽनुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना” (नैषध)

सौर जगत् के विधाता, विधि विधान-कर्ता, विधि-रचयिता, विरंचि, सावित्री के सविता, महत्त्व के अंश, प्रत्यक्ष देव, “सूर्यः आत्मा जगतस्तस्थुषश्च”, ब्रह्मा-हिरण्यगर्भ-आदि सहस्रनामधारी, आदित्य-नारायण, ‘वेधाः’, जिन के चारो ओर ज्यतिषोक्त सव ग्रह सदा भृत्यवत् घूमते रहते हैं, उन की, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, इच्छा यही जान पड़ती है कि, “हरः संतुभ्येन भजति भसितोद्भूलनविधि” ; ‘कतहुँ भूमि पर शान्ति न सरना, भेदभाव ही दाँतन धरना, देस देस को कलिमय करना, विकट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन बहुतन भूखन मरना, महामारि के हू वस परना, विविध प्रकारन यम-धर भरना; जे बचि जायँ ईश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, उबरना’ ! हरीच्छा ! तथापि—

‘यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोऽत्र दोषो’

यत्नेऽभवन् मम पुनस्त्विदमेव चित्यं;

निश्चित्य तं च विनिचार्य, यथा हि शक्तिः.

कार्यः पुनर् दृढतरं सुतरां प्रयत्नः ।

यदि यत्न सिद्ध नहीं हुआ तो विचारो कि क्या त्रुटि हुई, और उस को पूरा कर के फिर यत्न करो। विशेषता, विद्वशता, प्रकृति की ‘नाना’-ता, को न छोड़ते न हुए, समानता, सदृशता, परमात्मा की ‘एक’-ता पर अधिक ध्यान करने से, ‘विश्व-धर्म’ अनायासेन समझ मे आता है। विशेष का ‘ही’ अवधारण होने से समझना कठिन। एक ही वस्तु के विविध नाम विविध भाषाओं मे होते हैं; जो मनुष्य उन सब भाषाओं को जानता है, वह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; पर, साथ ही, सब मे एक ही, सामान्य ही, अर्थ देखता है; जो मनुष्य एक ही भाषा मे रम रहा है, अन्य भाषाओं को तुच्छ, हेय, अस्तुश्य मानता है,

वह नहीं देख सकता। एक भाषा को समान रूप से जानने बोलने वाले बहुत मनुष्यों में से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, और 'स्वर' (अंग्रेजी 'साउन्ड', वा 'ध्वनि', "ध्वनिश्च माङ्गल्यमृदङ्गमासलः") भिन्न होता है; पर एक दूसरे का अर्थ समझ ही लेते हैं। ऐसे ही, 'विश्व-धर्म', 'विश्व-व्यवस्था', शब्दों का भी अर्थ 'सामान्यतः,' 'साधारणतया,' समझा जा सकता है। ये शब्द, सर्वथा निरर्थ, अपार्थ, व्याहृतार्थ, दुरर्थ नहीं है। सज्जन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के भी समाचारपत्रों में, आजकाल, आये दिन, 'न्यू वर्ल्ड आर्डर', 'नवीन विश्व-व्यवस्था', शब्द का प्रयोग, और उस पद के अर्थ के विशदीकरण की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग करने वाले, उस से कुछ अर्थ तो समझते ही होंगे। "नऽन्यन्तमज्ञा, नापि ज्ञः, अधिकारी इति कथ्यते", जिज्ञासायाः अधिकारी। संस्कृत दर्शन का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिना, विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, ही नहीं हो सकती; जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, अथवा जो नितरां अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता— इन दोनों को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ही नहीं सकती।

ऐसे ही, 'वर्ल्ड-रिलिजन', 'विश्व-धर्म', शब्द का प्रयोग होने लग है; यद्यपि उतना नहीं जितना 'न्यू वर्ल्ड आर्डर' शब्द का; क्योंकि पाश्चात्य मानव जगत्, 'विशेष' धर्मों की विकृतियों, भ्रष्टताओं, परस्पर कलहों, के फलभूत धार उाद्रवों और युद्धों से उद्विग्न हो कर, धर्ममात्र को, 'रिलिजन'-'धर्म' शब्द को भी, घृणा से देखने लगा था; परन्तु अब केवल 'ऐहिकता' के ही, 'बहिःकरणों' के ही, तर्पण के फलभूत घोरतर उपद्रवों और युद्धों से उद्विग्न हो कर, सर्व-संप्राहक, परस्पर-प्रीति-शान्ति-कारक, धर्म सार, धर्म-सामान्य, विश्व-धर्म, के स्वरूप का निश्चय करने की आरं, और उस के प्रचार द्वारा धर्म-पदार्थ के जीर्णोद्धार की आरं, भुक्त रहा है; और इस भुक्ताव को अपने विवेकितम, प्रसिद्धतम, शिरःस्थानीय, 'उत्तमाङ्गोद्भव' व्यक्तियों के द्वारा, यथा ब्रिटेन में एच्. जी. वेल्स आदि, और अन्य देशों के भी ऐसे ही प्रमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों,

विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सर्वसाधारण के चित्त को उसी ओर झुकाने का प्रयत्न कर रहा है। इस झुकाव, इस प्रकार, के सैकड़ों उदाहरणों का संग्रह, उक्त अंग्रेज़ी ग्रन्थों में मैंने किया है; और यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि ऐसे 'न्यू वर्ल्ड् आर्डर' और 'वर्ल्ड रिजिजन' के तात्विक सात्विक मार्मिक धार्मिक सिद्धान्त, सब, वैदिक-सनातन-आर्य-बौद्ध-(बुद्धिसङ्गत)-मानव-(मनु कहे, तथा सर्व-मनुष्य-संग्रहक)-धर्म में उपस्थित हैं; यदि 'वर्ण' को 'कर्मणा' और 'आश्रम' को 'वयसा' माने तो। कबीर, नानक, प्रभृति सन्तों महात्माओं के, धर्म के जीर्णोद्धार के लिये, उद्यमों का भी तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि 'धर्म-सामान्य' की, आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित 'धर्म' की, भूली हुई स्मृति को जनता के हृदय में पुनः जगावे; और इन सब ने, यथा बुद्ध और जिन ने, 'कर्मणा वर्णः' पर जोर दिया।

जिन भारतीय सज्जनों को, "रजो-लेश-ऽनुविद्ध-सत्व" होने के कारण, इस भाव में कुछ सन्तोष होता हो कि भारतीय प्राचीन आर्यशास्त्र में, सहस्रों वर्षों से, ऐसे सिद्धान्त-विद्यमान हैं, उन को यह सन्तोष भी इस रीति से प्राप्त हो सकता है। और यह सन्तोष, उचित मात्रा में, अनुचित नहीं है; "यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ"।

'अहम् एव, मम धर्म एव, श्रेष्ठतम' का फल।

किन्तु, जैसा यहूदी धर्माधिकारियों को हार्दिक विश्वास है, कि यहूदी जाति ही अकेली ईश्वर को प्रिय है, अन्य सब से अलग की हुई है, 'चोज़न्' है; जैसा ईसाई धर्माधिकारियों को, और उन के श्रद्धालुओं को, कि ईसा मसीह ही अकेले 'सन् ऑफ़ गाँड', 'ईश्वरपुत्र', हुए, ('ईश्वरस्य पुत्रः', 'आर्य' शब्द के अर्थ में, निरुक्त में आया है), 'द्वितीयो न भूतो न भविष्यति', यद्यपि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य का पुत्र और मनुष्य ही कहा, और सभी शरीरों को 'ईश्वर के जीवन्-मन्दिर', चैतन्य की उपाधि, 'लिबिड् टेम्पल्स ऑफ़ गाँड', कहा; जैसा मुस्लिम धर्माधिकारियों, मौलवियों, और उन के भक्तों को दृढ़ विश्वास

१ Chasen son of God Living temples of God.

है, कि मुहम्मद ‘खातिमुन्नबूअत’ हुए, नवियों, (ऋषियों) की परम्परा को खतम कर दी, अब कोई दूसरे नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही, और न होगी, यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, और यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश और जाति के लिए शिक्षक, उपदेशक, धर्मोद्धारक, रसूल, नबी, पैग़म्बर, ‘सन्देशवाहक’, समय-समय पर अल्ला-ईश्वर भेजता रहा और भेजता रहेगा; जैसा, मुहम्मद के बाद, ‘यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्’, जो क़ुरान में लिखा है, अन्य सब किताबें या तो उस की नक़ल हैं, या उस के खिलाफ़ और ग़लत है, इसलिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा हदू निश्चय कर, और हुक़म देकर, एक खलीफ़ा ने मिस्र देश में अलेक्ज़ेंडरिया नगर के एक पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा अब श्वेतवर्ण यूरोपीय जाति के लोग अपनी ही श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उन में भर्जमन जाति के लोग अपने को श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम मानते हैं, और यहूदियों को पैर के नीचे रौंद रहे थे; जैसा जापानी लोग सब जापानियों को साक्षात् सूर्यदेव की सन्तति निश्चयेन मानते हैं; वैसे ही, कुछ लोग, ‘सर्वे ब्राह्मण इदं जगद्’, ‘मनोः अपत्यानि सर्वेऽपि मानवाः’, को भूल कर, केवल भारत के, तत्रापि आर्यावर्त के, तत्रापि ब्रह्मावर्त के, निवासियों को, और उन में भी कुछ ‘जाति-विशेषों’, ‘दल-विशेषों’, ब्राह्मण-नामकों, ‘पंक्तिपावनो’, ‘आत्रियवर्गी’, ‘आर्यवर-गुह्रों’ (दक्षिण में, ऐयर-अर्यंगार-आवर्गालो) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किवा ‘ईश्वरांश’, साक्षात् भू-देव मही-सुर, सच्चे निश्चय से विश्वास कर रहे हैं—ऐसों को यह समझना-समझाना दुस्ताध्य है कि ईश्वर का अंश ‘सामान्य’ में भी है, त्रैगुण्य सब में छाया है, केवल “भूयसा व्यपदेशः” ‘विशेष’ का होता है। यह भी परम सत्य है कि ‘मृत्तिका इत्येव सत्यं’, हॉडी, पुरवा, कसोरा, मटका, मटकी, नौद, घड़ा, कमोरा, अथरी, अथरा, भंडेहर, प्याली, प्याला, तशरी, ईंटा, टाली, खपरा, नरिया, थपुआ, सब उसी मृत्-सामान्य के विशेष विशेष विकार हैं; यह भी ठीक है कि प्रत्येक विशेष का कार्य भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवश्यक-

कता पड़ने पर, एक के अभाव में, दूसरे से उस का काम कुछ न कुछ, थोड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; और यह भी ठीक है कि, एक इद तक, 'विशेष' पर जोर दिये बिना, मानव-सभ्यता में, प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि "सर्वथा साम्यं तु प्रलयः; वैषम्यं सृष्टिः"; एवं अपनी अपनी श्रेष्ठता का विश्वास, यदि पर-स्वमर्दक अन्य-तिरस्कारक दर्प गर्व से रहित, श्रेष्ठता के साधन का प्रेरक, हो, यथा प्रीति-पूर्वक अखाड़े में नियुक्त करनेवालों का, तो सभाजनिय अभिनन्दनीय ही है; पर यदि उचित सीमा के पार चला जाय, यदि 'विशेष' ही पर जोर दिया जाय, और 'सामान्य' भुला दिया जाय, तब, जैसा उपर कहे यहूदी आदि के उदाहरणों से देख पड़ता है, वह परस्पर द्रोह, कलह, युद्ध, 'कलियुग का कलि-राज्य', जो आजकाल चारों ओर मच रहा है, मचता ही रहेगा, और उस का अन्त तभी होगा जब सभी लड़ने वाले नष्ट हो जायेंगे।

वर्तमान समय क्या चाहता है ?

निष्कर्ष यह कि, अब वह समय, वह निमित्त आ गया है, कि 'सामान्य'-मानवता पर, 'विश्व-धर्म' और 'विश्व-व्यवस्था' पर, और उनके साधने वाले 'कर्मणा वर्णाः' पर अधिक बल दिया जाय। इस विषय के सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, "देशकालनिमित्तानां भेदैर्धर्मो विभिन्यते", "आचाराणां अनैकाग्र्यं तस्मात् सर्वत्र लक्ष्यते", "कुलानि अकुलतां याति, कुलतां अकुलानि च", "आश्रयेत् मध्यमां वृत्तिम्, अति सर्वत्र वर्जयेत्", इत्यादि। 'कर्मणा वर्णाः' के अनुसार, वर्ण के परिवर्तन के उदाहरण, इतिहास-पुराण में, एक विश्वामित्र का ही नहीं, बीसियों ही नहीं, अपितु सहस्रों, कहे हैं; 'मानव-धर्म-सारः' पुस्तक में उन का उल्लेख किया गया है। अस्तु।

विश्व-धर्म से व्याप्त विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा।

विश्व-धर्म से प्राणित विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा, कुछ ऐसी गूढ़ मूढ़ अन्धकार-अच्छन्न भी नहीं है। मन को, थोड़ा सा, "शब्द-अर्थ-ज्ञान-विकल्पः असङ्कीर्णः" कर के, उस रूपरेखा की ओर फेरने मात्र की आवश्यकता

है। उस का उपन्यसन मैने 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध' नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अध्याय में कर भी दिया है।

अंतिम संक्षेप से यहाँ भी किये देता हूँ; विस्तार, अन्य ग्रन्थों में किया है।

चैतन्य, जड़ उपाधि में उतरता है; जीवात्मा, भौतिक शरीर में 'बद्ध' होता है, जन्म लेता है, उस के सुख-दुःखों का अनुभव कर के, क्रमशः विरक्त होकर, उस से मुक्त होता है, उपाधि को छोड़ता है; 'बद्ध' अवस्था में, गृहस्थ-आश्रम में, "तस्माज्ज्येष्ठऽश्रमो गृही", पुरानी पुस्तक का कर्त्तव्य, कृत्य, धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुस्तक का (१) शिक्षण; (२) रक्षण, (३) पोषण, (४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार से कर दे; 'सब प्रकार से', इस में, इन मुख्य चार प्रकार के कृत्यों के अवा-तर सह-कारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समाज की उत्तम व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कर्त्तव्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन' के, 'पब्लिक' के, लिये है; "प्रजानां (१) विनयऽधानात्", शिक्षकवर्ग और विद्यार्थी आश्रम, शिक्षाव्यूह, 'एड्युकेशनल् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'शिक्षण'; (२) "रक्षणात्", रक्षकवर्ग, और वानप्रस्थ-आश्रम, रक्षाव्यूह, 'एक्सेक्यूटिव् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'रक्षण'; (३) "भरणाद् अपि" पोषकवर्ग, धनिकवर्ग, ('धनति, दधन्ति, इति धनं, उत्तमं गोधनं धनम्'), वैश्यवर्ग, ('विशः सम्पदः, धनानि, लोकपोषणार्थं विशन्ति यस्मिन्, यश्च ब्राह्म्यतां, ब्राह्म्यतां, सततव्रजतां, परित्यज्य, शालाः निर्माय, शालीन आरोग्य, शालीनः भवन्, कृष्टक्षेत्राणां मध्ये निविशति, इति'), और गृहाश्रम, वार्ता-व्यूह, 'ईकानोमिक् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'भरण'; 'सेवनाच्चऽपि', श्रमिकवर्ग, ('आशु द्रवति, शुचा द्रवति, शुचं द्रावयति'), शारीरिक सेवक, और संन्यास-आश्रम, आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्यूह, 'इन्डस्ट्रियल (और 'स्पिरितुअल') आर्गेनिजेशन' के द्वारा सेवन सहायन; 'राजैव, तासां सत्यः पिता स्मृतः; 'पाति इति पिता'।^१

१ *World War and its Only Care.*

२ Educational organisation, Executive, Economic, Industrial (and Spiritual), Organisation.

प्रत्येक देश में, प्रत्येक मानव-समाज में, निसर्गतः, चार स्वभाव वा प्रकृति वा तबीयत के, मुख-बाहु-ऊरूदर-पाद-स्थानीय, ज्ञान-क्रिया-इच्छा-प्रधान और अनभिव्यक्तबुद्धि, विभिन्नप्रकृतिक, मनुष्य, एक ही वंश में भी, एक ही कुल में भी, एक ही दम्पति से भी, उत्पन्न होते रहते हैं; और तदनुसार चार प्रधान प्रकार, जीविका, पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय के भी, होते ही हैं; बुद्धिपूर्वक, सुविचारित, वा अबुद्धिपूर्वक, अविचारित। भारत में, वृद्धों ने, ऋषियों ने, सहस्रों वर्षों के सञ्चित अनुभव और ज्ञान से, एक प्रकृति के साथ एक जीविका बाधने का और दूसरी जीविकाओं के वर्जन का प्रबन्ध, जैसा बुद्धिपूर्वक कर दिया था वैसा बुद्धिपूर्वक अन्य किसी देश के इतिहास में नहीं पाया जाता। ये चार प्रवृत्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, (१) शिक्षोपजीविका, शास्त्रज्ञजीविका; (२) रक्षोपजीविका, शस्त्रज्ञजीविका, (३) पोषणोपजीविका, वार्ताज्ञजीविका, (वृत्त नोपायः वृत्तिः, 'वार्ता च सर्वजगता परमार्तिहंत्री'); (४) (शारीर-अमोपजीवी, सेवाज्ञजीवी। अग्रज्जी में, (१) 'लर्नेड् प्रोफेशनस', (२) 'एक्सेक्यूटिव प्रो०', (३) 'कामर्शल प्रो०', (४) 'लेबर प्रो०'। इन चार में से प्रत्येक के अवान्तर बहुतेरे विशेष, परापरजाति न्याय से, होते हैं।

ऐसी समाज-व्यवस्था, जो प्रत्येक मनुष्य को, उस के स्व-धर्म, अर्थात् स्वभाव-निर्दिष्ट-धर्म, के अनुकूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उपयुक्त जीविका कर्म में लगावे—यही 'विश्व-व्यवस्था' है। ऐसा धर्म जो प्रत्येक मनुष्य को उस के स्व-भाव से उत्पन्न रुचि के अनुसार, सांसारिक अभ्युदय और परमार्थिक निःश्रेयस के अन्तर्गत चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का प्रकार दिखा दे; इहलोक और परलोक, दुनिया और आक़वत, दोनों में यथासम्भव साधारण सुख की प्राप्ति का, और तीव्र दुःख से बचने का उपाय बता दे—यही विश्व-धर्म, 'धर्म-सार', है। यही 'दर्शन'-सार भी है; यही 'ब्रह्म' पर प्रतिष्ठित, ब्रह्म की प्रकृति के अनुकूल, 'धर्म' है।

प्रजानां विनयऽधानाद्, रक्षणाद्, भ्रष्टाद् अपि,

स पिता, पितरस्तासां क्वेवलं जन्महेतवः। (रघुवश)

१° Learned professions, Exacutive, Commercial, Labor.

इन चार पुरुषार्थों, चार प्रकृतियों, चार वर्णों, चार आश्रमों के समान, सहगामी, सदृश, उपमेय, सौ से अधिक चतुष्कों की चर्चा ‘मानव-धर्म-सारः’ में की है, और इन में से मुख्य-मुख्य चौदह के अरबी, फ़ारसी, और अंग्रेजी पर्याय, इस्लामधर्म और ईसाई धर्म के अनुसार वा अतिरिक्त, ‘सब धर्मों की तात्त्विक एकता’ नाम की पुस्तक के अन्त में लिख दिये हैं।^१

पूरे सामान्य की बाधा न करते हुए ‘विशेष’ बहुतेरे हो सकते हैं। इन मूल सिद्धान्तों का विस्तारण उक्त तथा अन्य ग्रन्थों में किया गया है।

‘वर्ण का निर्णय कौन करे; वर्ण की डिग्री कौन दे?’

समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक बोर्ड एकमत से निर्णय पर पहुँचता ही नहीं; वर्णों को ‘डिग्रियाँ’ प्रदान करने वाला बोर्ड कभी भी समर्थ हो सकेगा ?” इस का उत्तर यही है कि ऐकमत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुत-मत से, भूयसीय से, काम चलाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी के दुर्भाग्य से “मुग्धे मुग्धे मतिर्भिन्ना” की नौबत आयी, तब रोगी के परिवारक परिचारक का, वा स्वयं रोगी ही को, निर्णय करना पड़ता है, कि किस वैद्य, किस डाक्टर, किस हकीम, की शुश्रूषा की जाय। आप की कही कठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठायें जाते और बैठते ही हैं; “शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तं, जीवितव्यं कथं नु वा”, “सन्ति भिक्षुकाः इति किं स्थाल्यां नाधिश्रीयन्ते ? सन्ति मृगाः इति किं शालयो नोप्यन्ते ?” “पिबन्त्येवोदकं गावो, मण्डूकेयु र्वत्सु अपि”, “यत्ने कृते”, “...कर्मण्येवाधिकारस्ते”, “नात्यन्तं गुणवत् किञ्चिन्, नात्यन्तं दोषवत्तथा ; यत्स्याद् बहुगुणं च ऽल्प-दोषं, तत् तु समाचरेत्”, “बहवः समुपेक्षकाः भृशं, बहवः केवल-दोष-दर्शिनः”, “स तु तत्र विशेषदुर्लभः सद् उपन्यस्यति कृत्यवर्त्म यः”; इत्यादि बातें इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं।

यदि यह बात एक बेर मन में बैठती जाय कि वर्ण का अर्थ पेशा है, ‘जाति’ नहीं; और वर्ण-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, वृत्ति विभाग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघर्ष और जीवन-संग्राम घटाया

१ *The Essential Unity of All Religions.*

जैसे लोग बी० ए०, एम० ए०, आदि की डिग्रियां देते हैं, वैसे ६०३

जाय, तो प्रश्न का उत्तर नितान्त सरल हो जाय। कनौजिया, रघुबंसी, सर्वरिया, महेसरी, द्राविड, पेरिया, अग्रवाला, सक्सेना, सारस्वत, बिसेन, देद, मुखर्जी, बाणुज्झा, भाटिया, चित्पावन, मावली, लालवेगी, पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, गुजराती, मराठे, चीनी, जापानी, अंग्रेज, जर्मन, पठान, रूसी, अरब, तुर्की, आदि जातियां असंख्य हैं; पेशे, 'वर्ण', चार ही मुख्य हैं; सब जातियों के सभी मनुष्य, चार वर्णों में से किसी न किसी वर्ण के अवान्तर उपवर्णों में देख पड़ते हैं।

शका तो पद-पद पर है, जीयै कैसे ? भिखमंगे फिरते हैं, इस लिए दाल-चावल आँच पर न चढ़ाया जाय ? मृगों का भय है, तो क्या खेती न की जाय ? मेडक टर् टर् करते हैं, तो क्या गाय बैल तालाब में पानी नहीं पीते ? यत्न करना ही चाहिये, फल ईश्वराधीन है। सवार में कोई भी प्रकार, न सर्वथा गुणमय है, न सर्वथा दोषमय; देश-काल-अवस्था के विचार से जो कार्य कम दोषवान् और अधिक गुणवान् जान पड़े वह करना ही चाहिये। निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले बहुत हैं; रोड़ा हटाने में मदद देने वाले, रुकी गाड़ी का पहिया चलाने में कषा लगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा रास्ता बतलाने वाले, नहीं मिलते।

और देखिये, आप पूछते हो—“वर्णों की डिग्रिया कोई बोर्ड दे सकेगा ?” काशी में ही, आये दिन, श्रद्धालु लोग अपने धर्म-संकट का प्रश्न, किसी धर्मकृत्य या प्रायश्चित्त आदि के सम्बंध में, धर्माधिकारियों के पास लाते हैं। तब पांच, सात, दस पंडितों का बोर्ड ही तो व्यवस्था नाम की डिग्री दे देता है। कैसे देता है ? जैसे वह देता है, वैसे ही विशेषज्ञ अध्यापकों का बोर्ड उचित जांच परीक्षा, स्वभाव-गुण-रुचि-प्रवृत्तिकी, कर के, वर्ण की डिग्री दे सकेगा।

और देखिये; आज काल यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों में जो पेशा-रूप वर्ण की डिग्रियाँ दी जाती हैं वे कैसे दी जाती हैं ? 'बैचलर या मास्टर आफ़ ला' (कानून), आफ़ मेडिसिन् (आयुर्वेद), आफ़ कामर्स (वाणिज्य), आफ़ एंजिनियरिङ् (यंत्र-शिल्पादि), आफ़ एग्निकल्चर

(कृषि), आफ्र एड्युकेशन (अध्यापन), इत्यादि बहुत प्रकार की डिग्रियाँ एगज़ामिनेशन बोर्डों ही के द्वारा दी जाती हैं।¹ कैसे दी जाती हैं ? आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कौन करेगा ?” उत्तर है, ‘राजशक्ति, शासनशक्ति’, कानून-धर्मानुसारिणी दंडशक्ति । अन्ततो गत्वा “दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः” । यूनिवर्सिटी की डिग्री की प्रामाणिकता की ‘प्रतिभूः’ आज भी अन्ततो गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा पुरुषो दण्डः...धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः” ; ‘युनिवर्सिटी ऐक्ट’ को शासनशक्ति ने ही बनाया है ।

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णरूप से विचार करने पर पता लगेगा कि केवल कर्मणा वर्णः की व्यवस्था कितनी अव्यवहार्य है । प्रतिवादा इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण की व्यवस्था सर्वथा अव्यवहार्य भी और अव्यवहृत भी हो गयी है; नितरा अकिञ्चित्कर और अर्थशून्य हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के विषय में कुछ इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममात्र को, जैसा शुक्र-नीति में स्पष्ट लिखा है; और वह भी छूटता जाता है ।

षण्णां तु कर्मणाम् अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका,

अध्यापनं याजनं च, विशुद्धान् च प्रतिग्रहः;

शास्त्रास्त्रभृत्त्वं सत्रस्य; वणिकृपशुकृषिर्विशः;

शुद्रस्य सेवा चऽन्येषां इति वृत्तिविनिर्यायः । (मनु)

इस प्रकार से भगवान् मनु ने जो वृत्ति-विभाजन का आदेश किया है, क्या ‘जन्मना वर्णः’ वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल, क्या कितनी ही शताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों में सभी ‘जन्म-वर्ण’ के मनुष्य देख पड़ते हैं ।

यदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूर्ण क्या अंश रूप से भी, विचार करेंगे, तो ‘जन्मना वर्णः’ की नितरां अर्थशून्यता, अव्यवहार्यता,

1 Bachelor or Master of Law, of Medicine, of Commerce, of Engineering, of Agriculture, of Education; Examination Board.

अपितु हानिकारकता, तथा 'कर्मणा वर्णाः' की ही व्यवहार्यता, इस युग में, उजागर हो जायगी। 'सर्वनाशो समुत्पन्ने अर्धे त्यजति परिद्वन्द्वः' की ध्ववहारिक नीति से भी यही इष्ट है।

ऐसी सब शङ्काओं और प्रश्नों पर, उक्त तथा अन्य ग्रन्थों में, मैं ने अपनी क्षुद्र शक्ति की गति पर्यन्त, प्रायः पचास वर्षों में 'पूर्ण रूप' से विचार है; निष्कर्ष रूप उस विचार की मुख्य-मुख्य बातें, उन ग्रन्थों में लिख भी दीं हैं; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ तिहराऊँ।

कुछ प्रतिप्रश्न।

एक प्रतिप्रश्न आप से करता हूँ, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालने के लिए ही। 'मिस मिलर' नाम की अमेरिकन महिला को, आजकाल के पचासों 'जगद्गुरुओं' और 'शङ्कराचार्यों' में से एक 'जगद्गुरु शङ्कराचार्य' ने, 'शर्मिष्ठा देवी' नाम दे कर, 'हिन्दू' बनाया; वह महिला वर्तमान इन्दौर महाराज के पिता, भूतपूर्व (अभी जीवत्, पर राजगद्दी से उतारे हुए) महाराज, की पत्नी हैं। यह प्रसिद्ध है। ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्री-पुरुषों को, हिन्दू संप्रदायों में प्रमुख धर्माधिकारित्वेन माने जाते कुछ विद्वानों ने 'हिन्दू' बनाया है। ये धर्माधिकारी, 'हिन्दू' शास्त्रों को कुछ तो जानते समझते होंगे। क्या इन का यह कर्म, 'जन्मना वर्णाः' के विरुद्ध नहीं है? औरों की कथा जाने दीजिये; 'सिद्धान्त' के द्वितीय वर्ष की लेख-सूची जो छपी है, उस में "श्री शिवशरण जो, भूतपूर्व 'एले डेला' नाम-धारी, हिन्दू-धर्म दीक्षित काशोनिवासी एक फ्रांसीसी विद्वान्" के चार लेखों की सूची दी है। इन फ्रांसीसी सज्जन को किस हिन्दू धर्माधिकारी विद्वान् ने 'हिन्दू' धर्म की दीक्षा दी है? क्या 'जन्मना वर्णाः' के सिद्धान्त के अनुसार दी? 'हिन्दू' तो चातुर्वर्ण्य से बाह्य नहीं हो सकता न? और चारो वर्ण 'जन्मना' ही हो सकते हैं न? शिवशरण जी को, इन दीक्षक सज्जन ने किस वर्ण में रक्खा है? अथवा 'वर्ण-बाह्य', 'अन्त्यज', भी, और 'हिन्दू' भी बनाया है?

• १—इस के लिखने के पश्चात् मुझे विदित हुआ कि, श्री शिवशरण के मित्र श्री रेमो ब्युर्नियर नामक फ्रांसीसी सज्जन को भी, 'हरशरण' का

६०६ कुछ श्वेताङ्गों को विद्वान् 'ब्राह्मणों' ही ने 'हिन्दू' कैसे बनाया ?

यदि इन प्रतिप्रश्नों पर आप विचार करेंगे, तो यह स्फुट हो जायगा कि वर्तमान देश-काल-निमित्त-अवस्था में, 'जन्मना वर्णाः' का (गौण) सिद्धान्त कितना अव्यवहार्य, कितना 'हिन्दू' समाज की वृद्धि, पुष्टि, प्रगति का विरोधी, जीवन-सौन्दर्य का प्रतिबन्धक विहन्ता विघ्नकर्ता हो गया है। जमाना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि 'जन्मना' पर जोर कम, और 'कर्मणा वर्णाः' के (मुख्य) मूल सिद्धान्त पर बहुत अधिक बलसाधन करना परम आवश्यक है। यदि 'कर्मणा वर्णाः' माना जाय, तो श्री शिवशरण जी अपनी जीविका-वृत्ति के अनुसार, जो भी वह हो, चार में से एक 'वर्ण' के स्वरसतः गिने जायेंगे; यदि शास्त्रोपजीवी हैं, तो 'ब्राह्मण'; यदि शस्त्रोपजीवी, तो 'क्षत्रिय'; 'वार्त्ताऽजीवी', तो वैश्य; साधारण सेवाऽजीवी, तो शूद्र। "नास्ति तु पंचमः" यह भी मनु की ही आज्ञा है। कुमारिल, मण्डन, शंकर, आदि के पीछे, अरबों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर असंगति और संघाभाव के हेतु से न हो सकने के कारण, अन्य उपाय न देख कर हिन्दू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया। विक्रम की सप्तम अष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिक्षुओं और विहारों में वज्रयान-वाममार्ग आदि के वाम-मार्गीय दुराचारों और भ्रष्टाचारों के आ जाने के पहिले हिन्दू-समाज का विकास और विस्तार कर्मणा के ही अनुसार होता रहा; और बहुतेरी बाहर से आयी 'बाह्य' जातियों का, इस समाज के शरीर में स्वीकार, अभ्यवहार, जरण, पाचन होता रहा। प्रत्यक्ष ही है, वर्धमान, नीरोग, बलवद् युवा शरीर को सदा भूख लगी रहती है, और यही फिक्क रहती है कि क्या पाऊँ क्या खा जाऊँ; विपरीत इस के, वृद्ध, जीर्ण, रुग्ण, मन्दाग्निपीडित शरीर का यही चिन्ता रहता है कि कोई गरिष्ठ वस्तु तो उदर में नहीं पहुँच गयी ? अहार में और कमी क्या की जाय ? कौन वस्तु और भी त्याग दी जाय ?

नाम दे कर 'हिन्दू' बनाया गया, और दोनों को हिन्दू-धर्म की दीक्षा देने वाले और हिन्दू-समाज में मिलाए जाने वाले, काशी के ही एक विद्वान् संन्यासी 'करपात्री' उपनाम के हैं।

साधं कथंचिदुचितैः पिच्छुमर्दपत्रैर्

आस्यातरालगतमम् आम्रदलं अदीयः,

दासेरकः, सपदि संवलितं निषादैः

विभ्रं, पुरा पतगराड् इव, निर्जंगार । (माघ)

पेट में पहुँच गई हुई उस वस्तु का उद्धारण कैसे कर दिया जाय, अपने ही कुल से प्राणी कैसे निकाल बाहर किये जाय, कि हमारा महिमा अल्लुप्सा, अस्पृश्य, बनी रहे ! आजकाल, 'पाकिस्तान' के नाम से कितना तूफान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के सात-आठ कोटि मनुष्यों को जब 'अछूत', अस्पृश्य, अशुचि, 'ना-पाक', बना रखा है, तो यदि दूसरे लोग 'हिन्दू-समाज' को 'ना-पाकिस्तान' कहें और अपने लिए 'पाकिस्तान' अलग करना चाहें, तो क्या आश्चर्य ? 'कर्मणा वर्णाः' की नाति से यह सब उत्पात एक क्षण में शान्त हो जायं ।

उक्त कुमारिलादि के अर्वाक् काल के भावों से भावित, 'जन्मना' के विश्वासी, साम्प्रत काल के 'धर्माधिकारी' शास्त्र-प्रेमी प्रकाण्ड विद्वान् भी अब उन संकोची भावों को अंशतः छोड़ने लगे हैं, और उन के भी हृदयों में, हिन्दू-समाज का पुनः विकास और विस्तार करने का शुभ वासना जहाँ-तहाँ अफुरित होने लगी है; इस का निदर्शन, प्रमाण, शर्मिष्ठा देवी और श्री शिवशरण आदि के उत्तम उदाहरण हैं; 'अत्राप्युदाहरन्ताममि-तिहासं तु साम्प्रतं' ।

स्पष्ट ही है कि, 'जन्मना' अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वैद्य, ज्योति-र्वित्, नैयायिक, वा 'जन्मना' मजिस्ट्रेट, कोतवाल, कप्तान, रिसाल्दार, सूत्रादार, गवर्नर, वा जन्मना दूकानदार, बैंकर, वाधुषिक, कृषक, वणिक्, सार्थवाह, नैगम, श्रेणीमुख्य, गोपालक, कोशाध्यक्ष, ट्रेजरी-आफिसर, एक्कोटेंट-जनरल, गवर्नर आफ् बैंक, अर्याव-पोत-स्वामी, खनि-स्वामी, जोहरी, मणिमुक्ताव्यापारी, वा जन्मना चप्रासी, पियादा, बचन कपड़ा धोने वाला भृत्य — ये सब वर्त्तमान युग में जन्मना नहीं ही होते, नहीं हो सकते । यदि नाम-मात्र वर्णों के नामों को पकड़े

रहने में कुछ विशेष सन्तोष हो, तो पकड़े रहे; यदि इन नामों को, मन्वा-दिष्ट जीविका कर्मों से पृथक् कर के केवल जाति-वाचक मान लेना हो तो भले ही माने जायें; पर उन नामों का समाज के दैनन्दिन जीवन-व्यवहार में लेशमात्र भी उपयोग नहीं रह गया है। अच्छा हो यदि उन के स्थान में 'कर्मणा वर्णः' के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम प्रयुक्त किये जायें—शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक, प्रभृति। मानव-धर्म-सार में इस के तुल्यार्थ छः सात अन्य चतुष्टयों की सूचना की है। बगाल में सेवक के स्थान में धारक शब्द का प्रयोग होने लगा है। रहा भोजन और विवाह—तो इन में बलात्कारेण कोई किसी विशेष स्त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा विवाह करने को न जन्मना बाध्य रहा है, न कर्मणा बाध्य होगा।

संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, काल-प्रवाह से, विकृतियाँ।

दूसरे प्रकार से देखिये—समालोचक ने थियोसोफिकल सोसायटी की "व्यवहार में" विकृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का भी उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निरव्यता वा प्रशस्यता पर कोई आक्षेप व कटाक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं (१) विश्वव्यापी भ्रातृभाव का वर्धन प्रसारण; (२) विविध धर्मों मजहबों शास्त्रों का सम्प्रधारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन और मीमांसन, उन सब में अनुस्यूत समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओं भावों के ज्ञानार्थ; (३) मनुष्य की अनभिष्यक्त अन्तर्वर्तमान शक्तियों का योगद्वारा अन्वेषण। विचारने की बात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन धर्म कहते हैं उस की 'सोसायटी' अर्थात् 'समाज' में क्या बहुत अधिक विकृतियाँ "व्यवहार में" नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयी नहीं हो रही है? थियोसोफी शब्द का ठीक तुल्यार्थ शब्द ब्रह्मविद्या है; (ग्रीक शब्द 'थीओस' देव परमात्मा; 'सोफिया' विद्या); भारतीय संस्कृतज्ञ मण्डली में ब्रह्मविद्या के मूलग्रन्थ, प्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्गीता, दश उपनिषत्, ब्रह्मसूत्र, माने जाते हैं; एक एक के कई कई माध्य वार्त्तिक टीका प्रटीका आदि परस्पर प्रतीपायमान हो रहे हैं; एक ब्रह्मसूत्र ही के

आठ भाष्य मुख्य कहे जाते हैं; इन में से पांच वा छः प्रसिद्ध हैं, यथा शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ, और विज्ञानभित्तु के, जो भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अपौरुषेय वेद नहीं तो तद्वत् धर्मग्रन्थ बन गये हैं और उन सम्प्रदायों की अलग अलग “अ तरंग (‘इसाटरिक’)” दीक्षा भी होती है; और प्रत्येक में महन्तई और जगद्गुरुता चल रही है। देव-सृष्टि में भी बृहस्पति और उन की पत्नी तारा और शिष्य चन्द्रमा, और चन्द्रमा और तारा के पुत्र बुध और तारा के कारण चन्द्रमा और बृहस्पति के तारकामय संग्राम का पौराणिक इतिवृत्त प्रसिद्ध है। यदि ब्रह्मा के चार मुखों में से किसी एक से या चारों से ब्राह्मण वर्ण, बाहुद्वय से क्षत्रिय, उरुद्वय से वैश्य, और पादद्वय से शूद्रवर्णों की उत्पत्ति को हम अक्षरशः सत्य माने, रूपक-मात्र नहीं, तो उक्त बृहस्पति तारा-चन्द्र-तारकामय संग्राम की कथा को अक्षरशः सत्य मानना न्यायप्राप्त होगा, तथा अन्य ऐसे बीसियों आख्यानों को। एवं विश्वामित्र और वसिष्ठ सरीखे महर्षियों के आड़ी-बक युद्ध भी होते रहे हैं। निष्कर्ष यह कि फिर वही बात कहना पड़ता है, “शकाभिः सर्वमाक्रान्त”, ‘यत् जायते अस्ति परिणामते, वर्धते, तद् विक्रियते अपत्नीयते भ्रियते’। “विभ्रद् वपुः सकलसुन्दर-सन्निधान”, कृष्ण के “त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं” वपुः में भी “शरच्छतं ज्वतायाय पंचविंशाधिक विभो”, जब सौ से अधिक वर्ष बीत गये तब वह सौन्दर्य कैसे रहा होगा जो किशोरावस्था में था ?। पुनरपि विकृतिः पुनराप मरण पुनरपि जननं, इसी का नाम तो ससार-चक्र है; इसी लिए तो युग-युग में धर्म और आचार में परिवर्तन होते रहते हैं; हानि-ग्लानि और संस्थापन-परिमार्जन; इत्यादि। “यद् देवा अकुर्वस्तद् दैत्याः अभिद्रुत्य पापमना अविध्यन्”; जब ब्रह्मदेव से भी नहीं बना कि अपनी सृष्टि को विकार रहित रखे, देवों के साथ दैत्य भी उत्पन्न हो ही गये, और उस के पुनः पुनः प्रतिमंस्करण के लिये विष्णु को तिर्यग्योनि में भी अवतीर्ण करा के भेजते रहते हैं, तो मूठी भर हाढ़ मास के मनुष्य काल-कृत प्रकृतिकृत विकृतियाँ से कैसे सर्वाथा बच सकते हैं ? निश्चयेन थियो-

साफिकल सोसायटी के “व्यवहार मे” दोष आ गये हैं, तो उन दोषों के अपाकरण मे सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम है; और ‘सनातन-धर्म समाज’ के बृहत्तर दोषों को भी देखिये और दूर कीजिये ।

वर्णव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी स्वीकार; पर क्या सुधार ?

आप ने दूसरे लेख मे लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज अपने यहां की वर्णव्यवस्था मे कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णों ने अपने धर्म को छोड़ रक्खा है; उस मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है” । आप यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों मे भी वर्णव्यवस्था मान लेने मे कोई हानि नहीं है” ।

मै भी तो यही कहता हूँ । यही तो ‘विश्व-व्यवस्था’ का रूप है । आप सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान कारण नहीं बताते, तथा उस सुधार का कोई स्पष्ट और व्यवहार्य उपाय नहीं बताते । मै बताता हूँ । यदि आप मेरे बड़े निदान को भ्रान्त मानते हैं, तो दूसरा कारण कहिये । यदि आप मेरे बताये उपाय को व्यर्थ और अव्यवहार्य समझते हैं, तो बहुत अच्छा, मै भी मान लेता हूँ कि वह ऐसा ही है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये ।

अन्त मे आप कहते हैं, “आवश्यकता है धैर्य के साथ स्वधर्म-पालन की, स्वधर्म निधन श्रेयः” । यह धैर्य कैसे उत्पन्न किया जाय ? यह आवश्यकता सब के मन मे कैसे बैठायी जाय ? स्व-धर्म पालन कैसे कराया जाय ? ‘नियन्त्रण कौन करे ?’ । प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ चलने वालों का नियन्त्रण (क्षात्त्रायते, रक्षक, दंड का धारक) दण्डधर ‘क्षत्रिय’ राजा करे; और जब स्वयं राजा उत्पथ उच्छ्रांख हो जाय तो (ब्रह्म का, वेद का, सज्ज्ञान का धारक, शिक्षक) वेदधर ‘ब्राह्मण’ उस का नियन्त्रण करे; “ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात्” क्षत्रस्यात्युद्धतभ्य तु, “प्रजाना तु नृपः स्व मी, राज्ञः स्वामी पुरोहितः” । आजकाल, ‘जन्मना ब्राह्मण’ पुरोहिता की जो दशा, जो स्वधर्म के पालन मे धैर्य और आसक्ति, हो रही है, वह अभ्यसे छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कभी बरस दो बरस मे दबी ज्ञान से

उन के आचरणों की निन्दा 'सिद्धान्त' पत्र में की भी है; क्या ऐसे 'जन्मना' क्षत्रिय राजाओं और 'जन्मना' ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा, आप अपने अधिलक्षित सुधार को सम्भाव्य मानते हैं ? अथवा 'पुरोहित' शब्द का, 'कर्मणा, वृत्त्या, वृत्तेन, सस्वभावेन, पुरः श्रे, धर्माग्नायाय, धर्मप्रवर्तनाय, जनैः धेयः, प्रतिनिधोकार्यः,' अर्थ करने से ही, और तदनुसार सच्चे 'पुरोहितों' के वरण, निर्वाचन, मनो-नयन, आयोजन, से ही, यह सुधार सम्भाव्य है ?

अब धर्माधिकारियों ने यह चाल पकड़ी है, कि मुंह से बराबर कहते रहते हैं कि पच्छिम से आई सब नई बातें, सब नई रीतियाँ, बुरी हैं; पुरानी हिन्दू रीतियाँ जो हम (धर्माधिकारी) बरत रहे हैं, वह सभी अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश में चलाने से, और सब नई बातों को दूर रखने से, ही 'हिन्दुओं' का कल्याण है । पर, जब कोई उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, इन पच्छिम की बातों पर मुग्ध 'नव शिक्षितों' नौ-सिखुओं से मनवाने के लिए और पश्चिम की बातों को देश से निकाल बाहर करने के लिए स्वयं भी कुछ हाथ-पैर हिलाइये-डुलाइये, कुछ त्याग तपस्या कीजिये, क्रिया-साहित उपदेश कीजिये—तब यह उत्तर मिलता है कि 'यह तो राजा का काम है और तुम्हारा काम है; हमारा काम तो केवल पुरानी बातों की प्रशंसा और नई की निन्दा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्तियुक्त बुद्धियुक्त हेतु बताना हमारा कर्त्तव्य है, न उन से उपजी बुराइयों को देखना पहिचानना शोधनां हमारा कर्त्तव्य है; बल्कि उन पुरानी बातों से तो कोई खराबी पैदा ही नहीं हुई; जो हुई सो अब नई बातों से ही' !; और इस सब के ऊपर तुर्रा, चूड़ामणि, यह है कि, ऐसे उपदेष्टा धर्माधिकारी महाशय, सभी, स्वयं अपने जीवन के उपयोगी पच्छिम के सभी आविष्कारों से खूब काम लेते हैं, जैसे लोहे की कलम, मशीन का कागज, मिल का कपड़ा, छाता लम्प लालटेन, छापाखाना, छपी पुस्तकें, साइकिल, बस्, मोटर-कार, रेल, तार, डाक, घड़ी आदि; और इन में से बहुतरे, मत्स्य-मांस का तो खुले हुए उपयोग करते हैं, कुछ छिपा कर मद्य का भी, और कुछ तो पंचम-कार का भी । जब उन से कहा जाता है कि आप तो भू-देव मही-सुर आदि

पदवी अर्पने को देते हैं, अपनी तपस्या और त्याग और योग की शक्ति से, आत्म-बल से, राजा और प्रजा का भी नियंत्रण करो, जैसी मनु की स्पष्ट आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस में त्याग तपस्या का ठिकाना नहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप और गंगा-स्नान और ब्राह्मण-पूजा से ही सब कुछ हो जायगा'। ऐसे लोगों से देश के कल्याण की आशा नहीं, और उनकी बातें सुनने के योग्य नहीं।

शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है ?

'शास्ति यत् साधनोपाय चतुर्वर्गस्य निश्चितं, तथा तद्बोधनऽपायं, एषा शास्त्रस्य शास्त्रता', यह तो शब्द का निर्वचन हुआ, जिस से उम का तात्त्विक मूल अर्थ निकलता है, और जो प्रायः निर्विवाद है। पर यहाँ इस शब्द के सम्बन्ध में दूसरी बात स्मरण कराने और उस की ओर ध्यान दिलाने का तात्पर्य है: "यः शास्त्रविधिमस्तुज्य" "तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते" ये दो टुकड़े गीता के प्रतिपद उपस्थित किये जाते हैं। इन के कहने वाले कृष्ण ने स्वयं शास्त्र का क्या अर्थ किया है, इस की ओर कितने सज्जन ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता में केवल पांच बेर आता है; एक बार अर्जुन के प्रश्न में और चार बार कृष्ण के उपदेश में और स्वयं कृष्ण ने इस का अर्थ यों कहा है !, "इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मयाऽनघ," अर्थात् गीतात्मक शास्त्र ही से सर्वलोकसंग्राहक अध्यात्मशास्त्र, अध्यात्म-विद्या विद्यानां, सर्वविद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, ही से, उन का अभिप्राय है; निर्णयसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, हेमाद्रि, पराशर-माधव, और परिभाषेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेखर, गादाधारी, जागृदीशी, आदि से नहीं; न अद्वैतसिद्धि, गौड़ब्रह्मानन्दी, चित्सुखी, खडनखडखाद्य, तंत्रवार्त्तिक, राणक, भाट्टदीपिका आदि ग्रन्थों से।

और भी यह बात याद रखने की है; शास्त्र शब्द का यदि यह विशिष्ट अर्थ हम न ले तो प्रश्न उठता है—

अस्तु शास्त्रं प्रमाणं मे कार्यऽकार्यव्यवस्थितौ;

किंतु किं मे प्रमाणं स्यात् शास्त्रं शास्त्र-व्यवस्थितौ ?

वेदो मान्यः कुरानो वा बाइबलो वेति संशये,

‘स्व-धर्म’ क्या है ?

६१३

ऋते तु मानवीं बुद्धिं कः प्रभूयाद् विनिर्णये ?
कृष्ण ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रक्खा है,

उद्धौ शरणम्अन्विच्छ, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति;

जब संशय हो कि क्या कार्य है, क्या अकार्य, तब जो शास्त्र कहै सो मानो; बहुत अच्छा; पर जब यह शंका हो, कि कौन शास्त्र है, कौन अ-शास्त्र, तब क्या करें ? वेद, बाइबल, कुरान आदि सभी अपने को इकलौता शास्त्र कहते हैं ! कृष्ण का उत्तर यही है कि, अन्ततो गत्वा अपनी ही बुद्धि इस का निर्णय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरपि, गीताशास्त्र, अध्यात्मविद्या, का ही, गुह्यतम भी और प्रत्यक्षतम भी, शास्त्रत्व सिद्ध होता है । इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यत्न मैं ने ‘मानव-धर्म-सारः’ में किया है ।

‘स्व-धर्म’ क्या है ?

आप चाहते हैं कि सब लोग “धैर्य से स्वधर्म-पालन” करें; बहुत सुना-सिना, बहुत उचित; पर ‘स्व-धर्म’ क्या है, कौन किस का ‘स्व-धर्म’ है, इस का निर्णय निश्चय कौन करे, कौन ‘कार्त’ बनाये और ‘डिग्रियाँ’ दे ? जन्म ? अब, जब सभी देशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध, संघर्षात्मक भी, सहायात्मक भा, रेल तार रेडियो जहाज विमान द्वारा बँध गया है; और कोई देश भी सर्वथा सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र नहीं रह गया है, तब एक भारतवर्ष ही में जन्मना-स्वधर्म-पालन की व्यवस्था सिद्ध भी कर ली जाय, तो उतने से ही काम कैसे चलेगा ? भारतीयों पर परायों का आक्रमण और विदेशियों के द्वारा उन का दासीकरण कैसे रुकैगा, यदि सब विदेशी भी भारतीय धर्माधिकारि-सम्मत और आज्ञप्त स्व-धर्म का परिपालन न करेंगे ? यदि इस ग्रन्थि को सुलभाने का प्रयत्न आप करेंगे, इस पर कुछ भी विचार करेंगे, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि, कर्मणा वर्णः के अनुसार मन्वादिष्ट ‘पृथिव्यां सर्वमानवाः’ की संग्राहक, विश्व-धर्म से प्राणित विश्व-व्यवस्था को छोड़ कर, दूसरी गति, शांति-बहुला प्रेम-प्रचुरा, अग्रजन्मा-ऽनुजन्मा-भ्रातृ-भाव-वर्धिनी मानव लोक के लिए है ही नहीं । नैवास्ति गतिरन्यथा ।

जन्मना की कथा यह है कि पश्चिम में भी, जैसे भारत में, चाहे दूसरे-शब्दों में पर तत्त्वतः उसी भाव से, डिवाइन् राइट् आफ् किंग्ज़् एंड् प्रीस्ट्स्, राजाओं और धर्माधिकारियों पादरियों का (पाद्री, पितृ, दोनो शब्द एक ही और एकार्थ ही हैं) दिव्य देवदत्त (डिवाइन् डीयस् थोश्चस् ; द्यौः देवः दिवस् ज्यौः; दिवस्पति ज्यीयस् ज्युपिटर् ; सब एक ही वा समान सदृश ही वा सन्निहित ही हैं, तथा राइट् (श्रुतं रिक्तं भी) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था । १ उस महीश्वरत्व और महीसुरत्व के दुरूपयोग से ही, रत्नक के भक्त बन जाने से ही, भारत-जानता निरय में गिरी है ; तथा सब भूमण्डल पर सर्वत्र क्रमशः अधिकाधिक दारुण जगद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं; रावण के भी साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आखों के सामने विप्लुत हो गये और हो रहे हैं, तथा भारत-जनता, पेशणी चक्की के उत्तर और अधर प्रस्तरों के बीच में गोधूमवत् पड़ी है । इन शासनाधिकारियों और धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्थों को 'अपौरुषेय', मान रक्खा है; अपनी अपनी सुविधा और विविध गर्वा के अनुकूल उनका अर्थ लगाते हैं; नये नये स्वार्थ-साधक 'धर्म' कानून बनाते हैं; और अपनी अपनी 'आपौरुषेय' श्रुतिदेवियों से पराई श्रुतिदेवियों का मुख-निष्कोटन और कबरी-लुञ्चन कराते हैं । यह 'स्व-धर्म' की दशा हो रही है ।

कवि ने मारीच राक्षस के मुह से कहलाया है, "अद्मःद्विजान्, देवयजीन् निहन्मः, कुर्मः पुरं प्रेतनराधिवासं; स्व-धर्मः एषः क्षणदाचराणां; नैव ऽध्यकारिष्महि वेदधर्मे", द्विजों को खा जाना, देव-यज्ञ करने वालों को मार डालना, नगरों को प्रेतावास बना देना—हिंस्र सिंह व्याघ्र वृक बिड़ाल आदि ऐसे रात में घूमने वाले राक्षसों का 'स्वधर्म' तो यह है; वेद-धर्म उन का स्वधर्म नहीं । तथा गम जी से कवि ने इस का उत्तर दिलाया है । पर उस उत्तर के यथार्थ आशय का, तथा अन्य स्व-धर्मों को भी, दूसरे शब्दों में

१ Divine right of kings and priests ; divine, *deus*, *theos*, Zeus, Jupiter ; right.

वर्णन करने का यत्न करूंगा, और मनफेर के लिये, कवि का अनुकरण करूंगा। पर, भट्टि कवि महावैयाकरण थे, और मैं व्याकरण से सदा अत्र-राता रहा; 'लघुकौमुदी' को भी कण्ठस्थ न कर सका; इस लिये अशुद्धियों को, वैयाकरण पाठक सज्जन स्वयं कृपा कर के शोध लेंगे ! राम जी के उत्तर का आशय यह था, 'हिस्मः ऽसुरान्, देवरिपूंश्च पिंभः, .ल्लंकां विदधमः निजदासवासां; एषः स्वधर्मः खलु मादृशानां, यस्माद्अदीक्षिभहि राजधर्मे'। अन्य लोगों के स्व-धर्म यो हैं, 'मूर्त्तीस्तु छिद्मः, ऽथ तदाल-यांश्च भिद्मः, ऽन्यधर्माऽन् च तथैव रुध्मः धर्मे स्वर्कायेऽपि, बलेन, केषांचिदस्त्येव; स नः स्व-धर्मः। पूतं पवित्रं परमं स्वम् एवविद्मः, तथा ऽन्यान् सुवहून् विविचमो ह्यस्मृश्यम्लेच्छाऽन्त्यजशूद्रवर्गान्, कंचिद् वयं तु, एष हि नः स्व धर्मः। मिथ्यैव दोषान् अनयुज्य दम्भाद् बंधुष्वपि, इमान् स्वकुलाद् विरिचमः, स्वशुद्धतायाः प्रथनाय, नूनं अस्मत्स्व-धर्मः यद् अमंस्तु भजमः। अश्वेतवर्णान् निखिलांस्तु भुञ्जमः, प्रैष्येऽपि दास्येऽपि च तान् नियुज्मः, मृद्मः अपि सर्वाः कृपणास्तु जातीः, स्व-धर्म एषः अस्ति सिताङ्गजातेः'। इत्यादि ।

जब बलवान् पापिष्ठ शासकों और धर्माधिकारियों का 'स्व-धर्म' सैभी देशों में, निर्दोष दुर्बलों को सताना, चूसना, ठगना, मूर्ख बनाये रखना; जब इन दरिद्र दुर्बलों का भी, 'ब्राह्मणानां अदर्शनात्' सत् शिक्षकों के लुप्त हो जाने से, यह स्वधर्म हो रहा है कि जल्दी-जल्दी ब्याह करना, जल्दी-जल्दी असंख्य संतान उत्पन्न करना, और जल्दी-जल्दी मर जाना; जब राम जी ऐसे सत्त्वत्रियों के 'स्व-धर्म' का ("क्षत्रियैः धार्यते चापः नार्चनादः भवेद् इति", यह राम जी की प्रतिज्ञा थी), दुष्टों के निग्रह का धर्म, आजकाल के 'जन्मना क्षत्रियमन्य' राजाओं में, शतांश-लेश में भी नहीं है, प्रत्युत स्वयं प्रजा-भक्षक हो रहे हैं; जब उच्च-पवित्रमन्य 'ऊँची' जातियों का 'स्व-धर्म,' नीची जातियों को अधिकाधिक 'नीची' और 'अस्पृश्य' करते जाना; जब दाम्भिकों का 'स्व-धर्म' अपने ही कुल-कुटुम्ब-वंश-जातिवालों को, नितान्त थोथे मिथ्या अभियोग लगा कर 'जात

बाहर' कर देना, अपने समाज को दुर्बल कर के दूसरे सम्प्रदायों और समाजों का बल बढ़ाना; जब, ईसा की छठी शताब्दी से सातहवीं तक कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, और सातवीं से आज तक कुछ मुसलमान सम्प्रदायों का, 'स्व-धर्म' यह रहा है कि दूसरे धर्मवालों का लूभ से, बल से, विविध प्रलोभन से, अपने धर्म और समाज में ले आना, हथशो तथा अन्य अफ्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना, और दूसरों के इष्ट पदार्थों, चिह्नों, धर्मग्रन्थों, उपासना-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट करना; जब छठी से बारहवा शताब्दी तक वैदिकम्न्य और बौद्धम्न्य सम्प्रदायों, समाजों, दलों का भी ऐसे ही परस्पर व्यवहार का 'स्व-धर्म' रहा; जब आर्य, ईरानी, गॉल, गॉथ, शक, हूण, मुगल, तुर्क आदि पौरस्त्य जातियों का, बेदकाल '१६ अग्रहत १६४६ ई० से कलकत्ता में आरम्भ हो कर, जनवरी, १६४७, में भी अभूत पूर्व घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव कलकत्ता और नोआखाली में हो रहे हैं; जिन में, गवर्मेन्टी अफसरों का कहना है कि बीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार डाले गये, औ पचासों हजार घायल हुए, (दोनों सम्प्रदायों के); और ढाका, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों में भी उपद्रव हो रहे हैं, यद्यपि इस दारुणता को अभी नहीं पहुँचे हैं; और हजारों हिन्दू स्त्रियाँ बलात्कार से दूषित हुईं और मुसलमान बनाई गईं—यह सब देखने के बाद, अब 'उधरे पटल परसु-धर मति के'। कलकत्ता में, काशी में, लुधियाना में, लाहौर में, कांची में, तथा अन्य स्थानों में, 'पंडित' लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हैं कि ऐसी अबलाओं के लिये, वा विधर्मी-कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित्त का आवश्यकता नहीं है, केवल भगवन्नाम का स्मरण पर्याप्त है। पर, अब वे स्त्रियाँ रो रही हैं, कि हमारे कुल के पुरुष तो सब मार डाले गये, अब हम किस का आश्रय लें। यह फल है, 'पंडित-रूप-धारिणी' धर्मान्धता, 'शास्त्रान्धता', अदूर-दर्शिता का! इसी 'जन्मना वर्णः' के मूढ-ग्राह ने, मूढता ने, महा मोह ने, तामसी बुद्धि ने, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज को नरक में डाला है। इस नरक से सद् धर्म को, हिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानव-समाज को,

और उपनिषत्काल से ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी तक, पाश्चात्य यूरोप की ओर बढ़ते जाना, और पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन का खंस करना, 'स्व-धर्म' था; जब सोलहवीं शताब्दी से आज तक सूर्य उलटे चल रहे हैं; और पाश्चात्य श्वेत जातियों का, पौरुष्य जातियों पर, आक्रमण और प्रभुत्व स्थापन करना स्व-धर्म हो रहा है; और सभी अपने-अपने 'स्व धर्म'-पालन में 'धैर्य' स्थैर्य के साथ लगे रहे, और लगे रहे हैं; तब भी, 'स्व-धर्म'-पालन से जगत् मे शान्ति की आशा जो आप ने प्रकट की, वह पूरी नहीं हो रही है; प्रत्युत अशान्ति ही बढ़ती रही है ! काम कैसे चले ? इन वाक्यों मे 'स्व-धर्म' शब्द का प्रयोग मैं ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सब, सचमुच, अपने अपने क्रूर आचरणो को 'स्व-धर्म' ही मानते रहे हैं: क्योंकि उन के धर्माधिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही तुम्हारा धर्म है ।

निचोड़ निश्च्योत निष्कर्ष निष्पत्ती बात यह है कि, 'स्व-धर्म' का निर्धारण-निर्णयन-निश्चयन सब से पहिले आवश्यक है; इस का उपाय, आप बतावें, और तदनन्तर, उस उपाय के प्रचार, प्रसार, प्रवर्तन का उपाय, बतावें । अभी आप ने अपना आशामात्र, इच्छामात्र, प्रकट की है । मेरे बताये उपायों को सदोष मानने को मैं तैयार हूँ; 'अव्ययं महोषध' नहीं ही है; 'नात्यन्तं गुणवत् किञ्चित्' । वेद-वेद-वेद की पुकार हो रही है; ठीक है; पर एक वेद के चार वेद हुए; प्रत्येक की बहुत-बहुत शाखाएं हुईं; यहाँ तक कि 'सद्वस्वर्मा साम'; और अधिकतर लुप्त हो गयीं, 'अनादि-निघना' होती हुई भी; कितने हा भाष्य बने और लुप्त हो गये; अब बहुतेरी ऋचाओं का अर्थ नितरां सन्दिग्ध ही है; वैदिक-मर्चिकाओं और पण्डित-मतल्लिकाओं को भी ठीक पता नहीं; दो हजार वर्ष पहिले, निरुक्तकार यास्क के समय मे ही सन्देह उत्पन्न होने लग गये थे; पातंजल-महाभाष्य मे, तथा अन्य प्राचीन भाष्यों-टीकाओं मे, कितने ही आर्ष सूत्रों के कई कई अर्थ, 'अथवा' 'अथवा' कर के लिखे हैं; अर्थ के, और प्रयोग के

उद्धारने, उद्धारने, का एकमात्र उपाय 'कर्मणा वर्णाः, वयसा आश्रमः' के महामंत्र मे सं-निहित है !

निर्णय के लिये पूर्वमीमांसा का महाशास्त्र ही बन गया; राणक ऐसे महाकाय ग्रन्थ बन कर प्रायः लुप्त हो गये, उस में भी भाट्टमत, गुरुमत, ‘मुरारेस्तु-तीयं पन्थाः’, तीन भेद हो गये; ‘पौरुषेयता’ ‘अपौरुषेयता’ की, तर्क-प्रतितर्क से, कितनी बाल की खाल निकाली गयी और निकाली जा रही है, और ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणांते’ के स्तनयित्नु-निर्हाद होते हुए भी, एक और प्रमुख महाशास्त्र न्यायशास्त्र (‘सर्वेषामपि शास्त्राणां न्याय-व्याकरणां मुखं’) वेद को पौरुषेय ही कहता है, और दूसरा महाशास्त्र मीमांसाशास्त्र उस को अपौरुषेय ही बताता है, और अपौरुषेय कहता हुआ भी भूतार्थवाद, अनुवाद, गुणवाद, ‘रोचनार्था फलश्रुतिः’ आदि का बहुत सूक्ष्म, बुद्ध पर तांत्र तीखी सान चढ़ाने वाला, विवेक करता है; ऐसी सान, कि ‘बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च’ के ऐसी बारीक हो कर, बुद्धि अदृश्य और लुप्त ही हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावहारिक कार्यों के स्पर्श को सहन ही नहीं कर सकती ! प्रत्यक्ष ही सैंकड़ों पंथ, परस्पर विवद-मान, कलहायमान, भारत में भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन-धर्मानुयायी, स्व-धर्म पालक कहते हैं; ‘अग्निः यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव’, ‘सनातनश्चापि धर्मः तथा एकः जातिं जातिं प्रतिजातिः बभूव’। ऐसी दशा में ‘स्व-धर्म’ के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, और उस का, सब से, धैर्येण अवलम्बन कराने का, उपाय बताइये। गीता में ‘स्व-धर्म’ शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ (दो बार); २-३१, ३३; १८-४७। इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और १८-४१ पर, विचार करने से मेरे समझ में यही आया है कि ‘स्वभाव-नियतं कर्म’ ही को कृष्ण ने ‘स्व-धर्म’ माना है; अर्थात्,

स्वस्य भावे प्रधानो यो गुणः, सत्त्वं, रजः, सधवा
तमः, तदुद्गतं कर्म यत्, स्व-धर्मः स एव हि ।

पुनरपि मेरा नम्रनिवेदन ।

ऐसे हेतुओं से, वर्तमान अवस्था में, सब पाठक सज्जनो से पुनरपि मेरा नम्र निवेदन है, (क्योंकि मैं हिन्दूधर्म और हिन्दू समाज का द्रोही नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हितैषी और सिसैविषु, आज पैतालीस पचास वर्ष

से, अधिकाधिक हो रहा हूँ), कि, इस समय में 'जन्मना वर्णाः' का उद्-
 बोधन प्रचारण प्रवर्तन दुर्लभ क्या असम्भव है, और कल्याणकर नहीं है;
 प्रत्युत बलवानों का गिसर्गतः अधिकारों का अधिकाधिक गृह्णु बनाता है,
 और कर्तव्यों से अतितरा विमुख और च्युत करता है; और दुर्बलों को
 अधिकार-हीन और केवल कर्तव्यों के भार से भुग्न और मज्यमान कर
 देता है । विपरीत इस के, 'कर्मणा वर्णाः' का, और तदनुसार अधिकारों और
 कर्तव्यों के परस्पर दृढ़ सम्बन्ध का और भिन्न वर्णों में विभाजन का,
 शिक्षण प्रसारण प्रवर्तन बहुत सुकर है, बहुत कल्याणकर है, सब प्रकार
 की आभ्यन्तर और बाह्य शान्ति का सर्वत्र आधायक है; इस की ओर सब
 देशों में विचारशील सज्जनों की प्रवृत्ति स्वयं ही हो रहा है; उन के विचारों
 का, परम्पराप्राप्त गीतोक्त शास्त्र गृह्यतम भी और प्रत्याक्षावगम और
 धर्म्य भी और कर्तुं सुसुखम् भी अध्यात्मशास्त्र, आत्मविद्या, के द्वारा, परि-
 मार्जन परिष्करण निश्चयन उत्तेजन करने की आवश्यकता है । इस
 कार्य के लिए 'कर्मणा वर्णाः' के आनुषंगिक विचारों, तर्कों, प्रमाणों, सद्भावों
 में निष्णात, थोड़े से संश्लेषकों के दल की आवश्यकता है, जो वेद की
 आज्ञा "संगच्छुध्वं, संवदध्वं, सं वो मनासि जानतां" तथा "कृण्वन्तो विश्व
 आर्यं" को हृदय से, मनसा वचसा कर्मणा, पालना चाहते हों । उक्त श्रंग्रेजी
 ग्रन्थों में 'तथा मानव-धर्म-सार' और 'शास्त्र-वाद बनाम बुद्धि-वाद, नाम क
 ग्रन्थों में यह सब बात सविस्तर कही है, तथा इसी ग्रन्थ के गत अध्याओं
 में भी ।

यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निषेध-मुखेन प्रवृत्ति पर्याप्त
 नहीं, विधिमुखेन भा चाहिये; खण्डन ही नहीं, मण्डन भी; अपोहन हा नहीं,
 समूहन व्यूहन भी; परदोष-दर्शन और वर्जन ही नहीं, स्वगुण-सर्जन, प्रदर्शन
 व्यवहरण, प्रचारण भी । वर्तमान 'डिमोक्रैसी' में बड़े दोष; निश्चयेन; उस
 के स्थान पर क्या शासन-प्रकार होना चाहिये और कैसे उस का स्थापन
 किया जाय, यह बताइये । प्रवर्तमान निर्वाचन-प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वा-
 चित नहीं होते; निश्चयेन; पर कौन दूसरा प्रकार काम में लाया जाय ?
 मैं ने एक-अन्य प्रकार बताने का यत्न किया है; अपनी नूतन बुद्धि के

भरोसे नहीं; आर्ष वाक्यों के भरोसे। यदि वे प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे कहिये।

विधानात्मक कृत्यवर्त्म बताइये।

‘कर्मणा वर्णाः’ के अनुसार, हिन्दू-धर्म और हिन्दूसमाज-व्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए किञ्चिद् अत्यल्प न-गण्य लुप्त सेवा करने की चेष्टा, सम्भविचार सम-भाव के उद्योगियों के साथ, १८६८ ई० से, जब से ‘सेण्ट्रल् हिन्दू कालिज’ की स्थापना काशी में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ। पहिले कुछ अनुद्बुद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान रूप से, अब बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि ‘हिन्दू धर्म’ पर प्रतिष्ठित यही ‘हिन्दू-समाज-व्यवस्था’ यदि अध्यात्मशास्त्र और आत्मविद्या के अनुसारी ‘कर्मणा वर्णाः’ के सिद्धान्त से परिमार्जित परिष्कृत प्रतिसंकृत कर दी जाय, तो ‘हिन्दू-धर्म’ ‘हिन्दू-समाज’ के कृत्रिम नाम और संकुचित भाव को छोड़ कर, सर्वलोकसंग्राहक तथ्य और उदार और प्राचीन आर्ष नाम और भाव, ‘मानव-धर्म’ ‘मानव-समाज’ का, ग्रहण कर लेगी; और “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः” ‘सनातन’ आत्मा पर प्रतिष्ठित, उस की प्रकृति से निःसृत, ‘धर्म’, ‘सनातनधर्म’ ‘विश्व-धर्म’, से प्राणित, विश्व-व्यवस्था के रूप में परिणत हो कर, सर्व-मानव-लोक की कल्याण-कारिणी हो जायगी।

‘डिमोक्रैसी’ के दोष

इस लेख को यहां समाप्त करना चाहता था, किन्तु समालोचक के दो और लेख, “पाश्चात्य लोकतन्त्र” और “हमारा कटु अनुभव”, नज़र आये; उन में जो बातें वर्तमान ‘डिमोक्रैसी’ के दोषों के सम्बन्ध में कही हैं, प्रायः वंद सब, अधिक विस्तार से, बहुत हेतुओं के, और पाश्चात्य लेखकों के मतों के, प्रतिपादन के साथ, विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध^३ नाम के ग्रन्थ में मैंने लिखा है। पर उस ग्रन्थ में एक बात और लिखी है। इतना ही

१. ‘सिद्धान्त’ के १४ और २८-४-१६४२ के अङ्कों में।

२. *World-War and Its Only Cure—World-Order and World Religion.*

फह और पूछ कर (जैसा समालोचक ने किया है), कि “इन सब प्रश्नों पर क्या अभी से विचार करने की आवश्यकता नहीं है?”, मैं, ने सन्तोष नहीं किया है, बल्कि विस्तार से विचार किया है। आश्चर्य है कि इन विचारों की ओर समालोचक का ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ में आरम्भ से अंत तक यह बात तो कही है कि इन प्रश्नों पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है; और मेरी बुद्धि में प्रश्नों के उत्तररूप जो विचार उठे हैं, उनका भी प्रतिपादन किया है, और उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूत्र-शब्द भी तो ये ही हैं— विश्वचर्मानुप्राणित विश्व-व्यवस्था !

इस स्थान पर एक चेतावनी पुनः कर देना उचित है। साधारण मनुष्य की साधारण प्रकृति यह है कि अपने और अपने पूर्व पुरुषों के गुणों को ही देखे, और पापों के दोषों को ही; पर ‘विद्वान् गुणज्ञो दोषज्ञः’ अपने भी और पराये भी, गुणों को भी दोषों को भी, देखता है। ‘रामराज्य’ सर्वशान्तिदोष सर्व-सुख-मय था—यह सुन कह मान लेना पर्याप्त नहीं; वाल्मीकि जी ने, इशारे में, उस युग के दोष भी दिखाये हैं। और रोचक शब्दों में, साधनीय आदर्श व्यवस्था का वर्णन किया है; रावण के घोर पाप दिखाते हुए उस के अद्भुत गुण भी कहे हैं; राम जी के मुख से, रावण के मरण के बाद उस को ‘महात्मा’ कहलाया है; यह भी कहलाया है कि दशरथ ‘कामाभिमूत’ थे,

अर्थधर्मो परित्यज्य यः कामं अनुवर्त्तते,

एवं आपद्यते क्षिप्रं, राजा दशरथः यथा ।

यह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों में कहा है कि दशरथ को पहिले से ही कैकेयी से शंका थी, इसी लिए भरत को हिमालय पार, मामा के यहाँ भेज कर उन्होंने राम को सुवराज बनाने का यत्न किया।

बहु विवाह की प्रथा उस समय थी ही; राम ने अपने पिता के बहु-विवाह के दुःफल भुगत कर ही एक-पत्नी-व्रत किया; उन के चारो तरफ पचासों स्वतंत्र राजा लोग बहु विवाह करते ही थे, उन के वंशजों ने भी पुनः किया; एक धोत्री के बकने से सीता को निकाल दिया, अन्त में स्वयं दुःखी हो कर सत्यु मे प्रवेश कर गये। एक अकेले राम जा के परम सदाचारा और प्रजा वत्सल होने से उन के जीवन काल में ‘राम-राज्य’ रहा, तो इससे देश

का सार्वकालिक कल्याण कैसे हो ? यह कैसे निश्चय किया जाय कि सब राजा राम जी के ऐसे ही होंगे ?

सर्वोपरि प्रश्न यह है कि, अब, इस देश-काल में, 'राम-राज्य' के आदर्श आश का पुनःआवाहन पुनः स्थापन कैसे किया जाय; केवल उस की प्रशंसा कर देना पर्याप्त नहीं। क्या किसी को आशा है कि राम जा फिर से उठकर राज्य करेंगे ? 'इति-ह-आस' पर्याप्त नहीं; 'इति-ह-भूयात् पुनः'; का प्रकार सामने रखना चाहिये।

लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता।

कांग्रेस के, हिन्दू महासभा के, मुस्लिम लीग के, 'निर्दल नेता-दल' के, सभी प्रकार के भारतीय नेताओं से यहाँ प्रार्थना पुनः पुनः उक्त ग्रन्थ में, और सन् १९२१ से आरम्भ कर के सैकड़ों 'आर्टिकल्स' में संवादपत्रों में, अंग्रेजी और हिन्दी में, मैं ने की है; तथा उक्त ग्रन्थ के पहिले और युद्ध-रम्भ के बाद भी बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के राष्ट्रा-धाशों राष्ट्र-सञ्चालकों शासकों से भी यहाँ प्रार्थना की है, अर्थात् यह कि युद्ध के 'लक्ष्य' 'साध्य' के रूप में आप लोग किस प्रकार की नयी और साधुतर सृष्टि, उमदातर दुनियाँ, न्यू ऐंग्ड बेटर वर्ल्ड, रचेंगे, (क्योंकि सभी युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं), कैसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतन्त्रता 'फ्रीडम' सब देशों और जातियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेसी का क्या रूप बनाना चाहते हैं, (क्योंकि प्रवर्तमान डिमाक्रेसी के घोर दोषों का स्वयं ब्रिटेन और अमेरिका के अति प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों ने विस्तार से दिखाया है), जिस से अच्छे, अनुभवी, लोक-हितैषी, निःस्वार्थ आदमी हा धर्म व्यवस्थापक संभाओं में जायें, और ऐसे अच्छे कानून बनावें, जिन कानूनों धर्मों से ऐसी समाज-व्यवस्था बन जाय, कि सब मनुष्यों को, यथोचित, स्व-स्व-प्रकृति के अनुकूल, पेट-भर रोटी, पीठ भर कपड़ा, सिर भर छप्पर छाजन, माथे मस्तक मस्तिष्क भर ज्ञान, धर्म (उपासना) और अर्थ (स्वत्व), सम्पत्ति, परिग्रह, रिकृथ, 'प्रापटी'

१ Articles; New and Better World; Freedom, Democracy, Property.

‘मिल्कीयत) और काम (गार्हस्थ्य) का उचित मात्रा में सुख, और अन्याय के भय से छुटकारा, मिल सके। और, ऐसी प्रार्थना, इन सब से, पुनः पुनः सतत करते हुए, यह सूचना भी, पुनः पुनः उक्त, दोनों अंग्रेजों और एक संस्कृत ग्रन्थों में, तथा अन्य कई अंग्रेजों और हिन्दी ग्रन्थों और छोटे देखों में, समास से भी और व्यास से भी, कर दी है, कि ‘मानव-धर्म’ के ‘मानव-आध्यात्मिक और आधिभौतिक, आधिजैविक (आधिदैविक) और आधिदैहिक, प्रकृति, के, अनुसार ‘कर्मणा वर्णः’ की नीति रीति से, ‘मानव-समाज-व्यवस्था’ और ‘गृह-शासन-पद्धति’ ऐसी ऐसी होनी चाहिये; और यदि हो तो उक्त लक्ष्य, जो सब तीन एषणाओं के अन्तःपाती हैं, तथा मोक्षैषणा भी, अर्थात् स्वार्थ, परमार्थ सभी, तृप्त और सिद्ध हो जायें; तथा, लोकतन्त्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, ‘शास्त्री राज्य’, ‘शस्त्री राज्य’, ‘धनी राज्य’, ‘श्रमी राज्य’, ऐकराज्य, द्वैराज्य, गणराज्य, साम्राज्य, संघराज्य, वैराज्य, भोज्य, आदि प्रत्येक में जो गुण का अंश है, उस सब का आ-कर्ष, और सब के दोष के अंशों का अत्र-कर्ष, भी, यथासम्भव, हो जाय; यथासम्भव, क्योंकि प्रकृति की अपरिहार्य द्वन्द्वता के कारण, आत्यन्तिक निर्दोषता, कभी, किसी प्रकार में और से, सिद्ध नहीं हो सकती, दोष कम, गुण अधिक, दुःख कम, सुख अधिक —किसी एक निर्दिष्ट, परिमित, देश और काल के जनपद और युग में—इतना ही साधा जा सकता है; और सध जाय, तो अहो भाग्यम्।

कांग्रेस, से मेरी निरन्तर बीस वर्ष से रटन।

भारत के लिए विशेष रूप से, सन् १९२१ से, मैं, कांग्रेस के प्रधान नेताओं से, तथा जनता से, रट रहा हूँ कि, अभिलषित भारतीय ‘स्व-राज्य’ के रूप का सविस्तर निरूपण निर्धारण कर दीजिये।^१ देशबन्धु

१ १९२० तक कांग्रेस का ‘क्रीड’, ‘creed’, लक्ष्य, साध्य, ध्येय था— ‘ब्रिटेन के उपनिवेशों’, ‘कालोनीज़’, ‘colonies’, जैसे कनाडा, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, के ऐसा स्वराज्य, ‘सेल्फ गवर्मेंट’, self-government. १९२० में नागपुर की कांग्रेस में ‘क्रीड’ बदला गया,

चित्तरञ्जनदास जी के साथ एक 'स्वराज्य-योजना' भी मैं ने बनायी; 'डिमा-क्रेसी', लोकतन्त्र, के विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रकार भी उस में दिखाया, श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से लु: हजार प्रतियाँ उस की, महात्मा गांधी के 'यड्-इण्डिया' नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और जनताओं के विचारार्थ, सन् १९२३-४ में बाँटी गयी; तथा और भी सहजै प्रतियाँ भारत और ब्रिटेन में बाँटी गयी; पर नेताओं का और नीतियों का ध्यान इधर नहीं फिरो; सब इसी त्वरा में थे कि 'स्वराज', फ्रूट, 'मन्त्रवत्' चालवाजियों से मिल जाय, तब पंछे विचारा जायगा कि रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल 'स्वराज' रखा गया; जिस से वह शब्द नितरां गूढ़-मूढ़, अभावह, संदेहाच्छन्न हो गया। पहले पर गांधी जी यह कहा करते थे कि स्वराज का अर्थ, 'राम राज', जो और भी अधिक अभावह है। इसी से इस राम राज स्व-राज के अर्थ के स्पष्ट विवरण की इच्छा मुझ को उत्कट हुई। खेद है कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को यह उग्र आवश्यकता अनुभूत न हुई; और इसी से कांग्रेस के कार्य में निश्चय नहीं बढ़ाचने उठती हैं, और वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे ही हटता चला जा रहा है। इसी विषय का बहुत विस्तार से प्रतिपादन, मैंने, 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध' में किया है। अब कई कारणों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मई १९४६ से प्रांतों में, और सितम्बर १९४६ से केन्द्र में, कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर जैसा पहिले फुट-नोट में लिख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये हैं। इस का भी कारण यही है कि, यद्यपि कांग्रेस के सब प्रधान नेता, एक दो को छोड़ कर, अहमद नगर के किले में, अगस्त १९४२ से जून १९४५ तक, बंद रहे, और तीन वर्ष तक, दिन रात, निरन्तर, एक साथ रहे; फिर भी, कैद से बाहर आने पर, और शासन शक्ति पाने पर, भारतीय 'स्वराज' को क्या रूप देने का यत्न करना होगा—इस अति गुर्वर्ध, अति गम्भीर, प्रश्न पर विचार ही नहीं कर पाये; दूसरे-दूसरे विषयों पर पुस्तकें पढ़ते और लिखते रहे। "कार्यकाले तु सम्भाप्ते गताः किंकार्य-मूढताः"

इस शब्द का क्या अर्थ है। जितनी त्वरा की, उतना ही अधिक विलम्ब होता गया; 'मन्त्र' मे, चाल मे, सार नहीं, वीथ नहीं, तत्त्व नहीं; 'तच्चैक्यं समगच्छत' का उपाय मालूम नहीं, 'संभवे शक्तिः' की संघता के स्थान मे, 'विशेष-विशेष-धर्म कृत' 'विशेष-विशेष-जाति-कृत' और 'विशेष-विशेष-स्वार्थ-कृत' अनन्त परस्पर इध्यां, द्वेष, मत्सर, अविश्वास, शंका; 'ऐक्य'-जनक 'विश्व-धर्म' और 'विश्व-व्यवस्था' की ओर उपेक्षा ही नहीं, अपितु अप-हास-बुद्धि। फल, प्रत्यन्त; जितनी अधिक दौड़ 'स्वराज्य' के पीछे, उतना अधिक वेग से 'स्वराज्य' अधिकाधिक दूर भागता गया। "सहसा विदधीत न क्रियां", "अतिरभसकृतानां कर्मणां.. भवति हृदयदाही शल्यतुल्यः विपाकः", "क्षिप्रकारी विपद्यते"। 'एक करो', 'एका करो'—ऐसा, जो नेता महोदय, दूसरों से कहते पुकारते फिरते थे, एक जान, दो कालिब, "स्वमसि मे हृदयं द्वितीयं", "बहिश्चाराः प्राणाः", जो परस्पर समझे जाते थे; स्वयं उन मे, परस्पर घोर 'अनेका' ओर तोत्र मतभेद हो रहा है, कारण—'स्वराज्य' शब्द पर थोथा खोखला दिखावटी 'एका' रहा, शब्द के वास्तविक अर्थ पर 'एका' करने का कभी स्वप्न भी नहीं देना। अथ, जब बीस वर्ष के रटने के बाद, गांधी जी ने इस बात को माना, कि ऐसी स्वराज की रूपरेखा एक कमेटी द्वारा तयार कर क जनता के समक्ष विचारार्थ उपस्थित कर दी जानी चाहिये; और मुझे बड़ी आशा उत्पन्न हुई कि यह परम आवश्यक कार्य अब निश्चयेन करा देंगे, तब ऐसी घटनाएं हुईं कि गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व से और सदस्यता से भी (१९३४ ई० के अन्त से) तटस्थ हो गये और अनेक्य की भावना परस्पर अस्पृश्यता की भेद-बुद्धि जो हिन्दू जनता मे भरी हुई है और उस के अधःपात का प्रधान कारण है, वहीं कांग्रेस के भीतर भी सहसा जागी, और छोपो, तोपो, बोलो मत, की थोथी नीति को सद्यः पार्थिवदान से दूर फेंक कर कांग्रेस के संघटन का विघटन करने के लक्षण दिखाने लगा। और अब तो ६ अगस्त १९४२ से महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता प्रायः सभी पुनः कारावास मे बंद कर

दिए गए हैं। (गांधी जी से और मुझ से जो इस विषय पर पत्र व्यवहार अगस्त-अक्टूबर १९४१ में हुआ था वह 'वर्ल्ड वार्' की पुस्तक के पृ० ५२३-५३६ पर छपा है)। रात्रि: गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वासुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं तु करी ममर्द; अर्भा सर्वथा "गज उज्जहार" नहीं; आसि पर साँसा और 'जब तक साँस तब तक आस'।

कांग्रेस की अनवस्था दुरवस्था ।

नेता महोदय सदा इसी महाभ्रान्ति में पड़े रहे हैं कि पहिले शासन-शक्ति हाथ में आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का प्रयाग कैसे किया जायगा; कितना भी रटा गया, इन महोदयों ने अब तक यह नहीं ही पहिचाना कि बिना इस बात को सब दलो सब मत-वालों को समभाये, और बिना उन के मन में यह विश्वास बैठाये, कि शासन-शक्ति का प्रयोग इस-इस प्रकार से किया जायगा, ऐसे-ऐसी योग्यता के 'तपोविद्या-युक्त पुरोहितों' के द्वारा ऐसे-ऐसे कर्नून बनाय जायेंगे, और ऐसी समाज-व्यवस्था साधा जायगी, जिस से सब को अन्न वस्त्रादि आवश्यकीय वस्तुओं की प्राप्त नश्च हो जायगा।—बिना इस के सब वर्णों वर्गों दलों तबकों सम्प्रदायों प्रान्तों के भारतीयों में वह ऐक्य वह ऐकमत्य नहीं होत्रे का, जिस ऐक्य के बल से भारतवर्सी, शासन-शक्ति को परदेश-वासियों के हाथ में से निकाल कर, अपने हाथ में लाने में, और पर-राज के स्थान में स्व राज को स्थापित करने में, समर्थ कृतार्थ होंगे। ये महोदय अब तंक कहते रहे हैं कि स्व-राज मिल जाय तो चौबीस घंटे के भीतर सब मतभेद दूर हो जायेंगे अर्थात्—जब कार्य पहिले सिद्ध हो जायगा तब कारण 'चौबीस' घंटे के भीतर उपस्थित हो जायेंगे ! कार्य पहिले, साधन पीछे; शब्द पहिले, अर्थ पीछे ! इस महाभ्रान्ति का फल प्रत्यक्ष ही है।

अब तो मानव-संसार की दशा प्रतिदिन ऐसे वेग से बदल रही है कि भारतीयों का हाल क्या होगा यह आज निश्चयेन, क्या संभाव्यत्वेन भी, नहीं कहा जा सकता। पर अंग्रेजी में एक कहावत है 'इट

इज नेवर टू लेट् टु मैण्ड् ' ; दैर तो बहुत हां गया है पर सुधार अब भो असम्भव नहीं है; जमी कुमथ का छोड़ कर सुपथ पर लौटे अच्छा है ।

(‘अपि चेदुत्पथं यातः, भजने सत्पथं पुनः),

साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्वसितो हि सः,

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छांतिं निगच्छति' ।

किन्तु ऐसे सुधार के लिए परमावश्यक है कि हम अपने दोषों को निश्चय से पहिचाने । भारतीय जीवन और सिद्धान्तों की जब कोई यूरोपीय जरा प्रशंसा करता है और यूरोपीय का निन्दा, तब हम बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़े लाव-चाव शोक-जोक से उस के वाक्यों का आम्नेडन करने हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्दा और यूरोपीय का प्रशंसा करता है तब हम उस ओर आँव कान फेरना भी नहीं चाहते । भारत का उद्धार यों नहीं होना है । जब हम दोनो के गुणांशों को भी, दोषों को भी, राग-द्वेष रहित निष्पक्षता-सहित सर्ज-महत-समाहित बुद्धि और हृदय से परखें और पहिचानेंगे, और दोनो के गुणांशों का ग्रहण और दोषांशों का त्यजन करेंगे, तभी भारत का उद्धार होगा ।

उपसहार ।

भारतभूमि पर, परमात्मा को इच्छा से, पृथिवी पर प्रचलित सब ही मुख्य धर्म एकत्र हैं । यहाँ हिन्दू, बौद्ध, जन, पारसा, सिख भी, ईसाई मुसल्मान, यहूदी भा.सभा हैं । अति प्राच.न'सनातन'-धर्मसार धर्म-सामान्य, विश्व-धर्म वेदान्त-तसव्वुक-ग्रास्टिक्मिसटिसिज्म का नवावतार भारत मे यदि नहीं होगा तो अन्य किस देश से आशा है ?

चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः,

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः;

(‘चातुर्वर्ण्यान्तरायाताः पृथिव्यां सर्वमानवाः

त्रयः द्विजाः; एकजातिः एकः); नास्ति तु पञ्चमः ।’

सर्व धर्म सम्प्रदायान्तर्गत सब मानवों को, व्यवस्थासार, समाज-व्यवस्था-सामान्य विश्व-व्यवस्था, भारत का ही देन, कर्मणा ही (न तु जन्मना)

हा सकता है। और ऐसी विश्वधर्म से अनुप्राणित विश्वव्यवस्था से ही मानव-जगत् का सब प्रकार का कल्याण हो सकता है और प्रत्येक मनुष्य के लिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं।

सुलभाः पुरुषाः नूनं सततं प्रियवादिनः,

अग्नियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः,

(दुर्लभश्चापि सत्-कृत्यवर्त्म-निर्देशकः जनः) ।

प्रायः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति;

आत्मनः बिल्वमात्राणि जनः पश्यन् न पश्यति ।

सामान्यम् एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृतः;

तुल्यार्थतां द्वि सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः;

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं;

हासहेतुः विशेषश्च; प्रवृत्तिः उभयस्य तु ।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं; परम् पश्यत माऽपरम् ;

धर्मं चरत माऽधर्मं; सत्यं वदत माऽनृतं ।

सर्वम् आत्मनि सम्पश्येत् सच्च असच्च समाहितः;

आत्मौपग्येन सर्वत्र समं पश्यति यः जनः,

सः सर्वसमताम् एत्य स्वाराज्यं अधिगच्छति ।

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं प्रशयेम अक्षभिः यजत्राः,

स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यद् आयुः ।

स्वस्ति नः इन्द्रः बृहश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,

स्वस्ति न ताक्ष्यःऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर् धातु । ॐ

ॐ शं नो मित्रः, शं वरुणः, शं नः भवतु अर्यमा,

शं नः इन्द्रः बृहस्पतिः, शं नः विष्णुः उरुक्रमः । ॐ

ॐ सर्वः तरतु दुर्गाणि, सर्वः भद्राणि पश्यतु

सर्वः सद्बुद्धिम् आप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु । ॐ

